पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एक महारत्न कंपनी)

ऊर्जावान
विकास की नई गाथा

37वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

ऊर्जावान विकास की नई गाथा

आज, भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऊर्जा की खपत अक्सर किसी देश के विकास की मापक होती है।

एक महारत्न सीपीएसई के रूप में, हमें यह कहते हुए वास्तव में गर्व है कि हमने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करके इस तीव्रतम संवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पीएफसी में, हम सदैव अपने देश और अपने स्टेकधारकों के लिए सृजित मूल्य को संवृद्ध करने का प्रयास करते हैं। अभी तक, हम केवल विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहे थे, लेकिन हमने अपने क्षितिज का विस्तार करने और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का कार्यनीतिक निर्णय लिया; हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) को संशोधित किया। यह कार्यनीतिक विकास हमें इन क्षेत्रों में आकर्षक अवसरों का लाभ उठाने और भारत को शीर्ष पर पहुंचाने में सहायता करता है।

अधिक जानकारी हेतु हमारी
वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें

विषय-सूची

02 निगमित सिंहावलोकन

02	निदेशक मंडल
03	वरिष्ठ प्रबंधन
04	कॉर्पोरेट पहचान
07	वित्तीय पेशकश (ऑफरिंग)
08	माइलस्टोन
10	मूल्य वर्धित विवरण
12	कार्य-निष्पादन - एक नजर में
13	कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक
18	विविधीकरण
22	हरित ऊर्जा की ओर संकेंद्रण
24	शेयरधारकों के नाम पत्र

30 सांविधिक रिपोर्टें

30	निदेशक प्रोफाइल
32	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट
56	प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट
62	एकीकृत रिपोर्टिंग
65	निगमित शासन पर रिपोर्ट
83	निगमित शासन संबंधी प्रमाण-पत्र
84	व्यवसाय जिम्मेदारी और संधारणीयता रिपोर्ट
108	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

128 वित्तीय विवरण

128	एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट
140	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
141	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
142	एकल (स्टैंडअलोन) तुलन-पत्र
143	लाभ और हानि का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण
146	एकल (स्टैंडअलोन) नकदी प्रवाह विवरण
148	एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
242	समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट
250	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
252	समेकित तुलन-पत्र
254	समेकित लाभ एवं हानि विवरण
258	समेकित नकदी प्रवाह विवरण
	संदर्भ सूचना

निदेशक मंडल

पंक्ति में बैठे हुए *(बाएं से दाएं)*

परमिंदर चोपड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भास्कर भट्टाचार्य
स्वतंत्र निदेशक

अजय तिवारी
निदेशक (सरकारी नामिती)

पंक्ति में खड़े हुए *(बाएं से दाएं)*

मनोज शर्मा
निदेशक (वाणिज्यिक)

राजीव रंजन झा
निदेशक (परियोजना)

उषा सजीव नायर
स्वतंत्र निदेशक

प्रसन्ना तंत्री
स्वतंत्र निदेशक

वरिष्ठ प्रबंधन*

सिम्मी आर नाकरा
सीवीओ

आर के भारद्वाज
कार्यपालक निदेशक

पी के सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

संदीप कुमार
कार्यपालक निदेशक

सौरव कुमार शाह
कार्यपालक निदेशक

मनोज कुमार राणा
कार्यपालक निदेशक

डॉ जी जवाहर
कार्यपालक निदेशक

राज कुमार मल्होत्रा
कार्यपालक निदेशक

आर के चतुर्वेदी
कार्यपालक निदेशक

वी पकरीसामी
कार्यपालक निदेशक

राजेश कुमार शाही
कार्यपालक निदेशक

संजय महरोत्रा
कार्यपालक निदेशक

अली शाह
कार्यपालक निदेशक

संजय शर्मा
कार्यपालक निदेशक

हेमंत कुमार दास
कार्यपालक निदेशक

पवन कुमार
कार्यपालक निदेशक

पी शनमुगा सुंदरम
कार्यपालक निदेशक

समिधा जैन
कार्यपालक निदेशक

मनीष कुमार अग्रवाल
कंपनी सचिव

* 21.08.2023 तक

कॉर्पोरेट पहचान

1986 से भारत को सशक्त करते हुए

1986 में निगमित, हमें भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्वाधीन एनबीएफसी होने पर गर्व है और हम देश के विद्युत एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। नोडल एजेंसी के रूप में, हम संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमावली, एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) सहित प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक प्रतिष्ठित अनुसूची-क महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में स्थापित है और परिसंपत्ति की श्रेणी में भारत की सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है।

पिछले कुछ वर्षों में, हमने विद्युत क्षेत्र की जरूरतों की पूर्ति हेतु तैयार वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विविध श्रृंखला की पेशकश करते हुए, परिश्रमपूर्वक अपने क्षितिज का विस्तार किया है। हमारी पेशकश में उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए रुपया सावधि ऋण, अल्पावधि ऋण, उपकरण पट्टा वित्तपोषण, ट्रांजिशनल वित्तपोषण सेवाएं आदि शामिल हैं।

संवृद्धि और विविधीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, हमने ई-वाहन फ्लीट्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, बंदरगाहों, मेट्रो रेल, स्मार्ट शहरों और अन्य बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में कदम रखा है। हमारे ग्राहकों में केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र की विद्युत संस्थाएं (यूटिलिटियां), विद्युत उपकरण निर्माता, राज्य सरकार के विभाग और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के डेवलपर शामिल हैं।

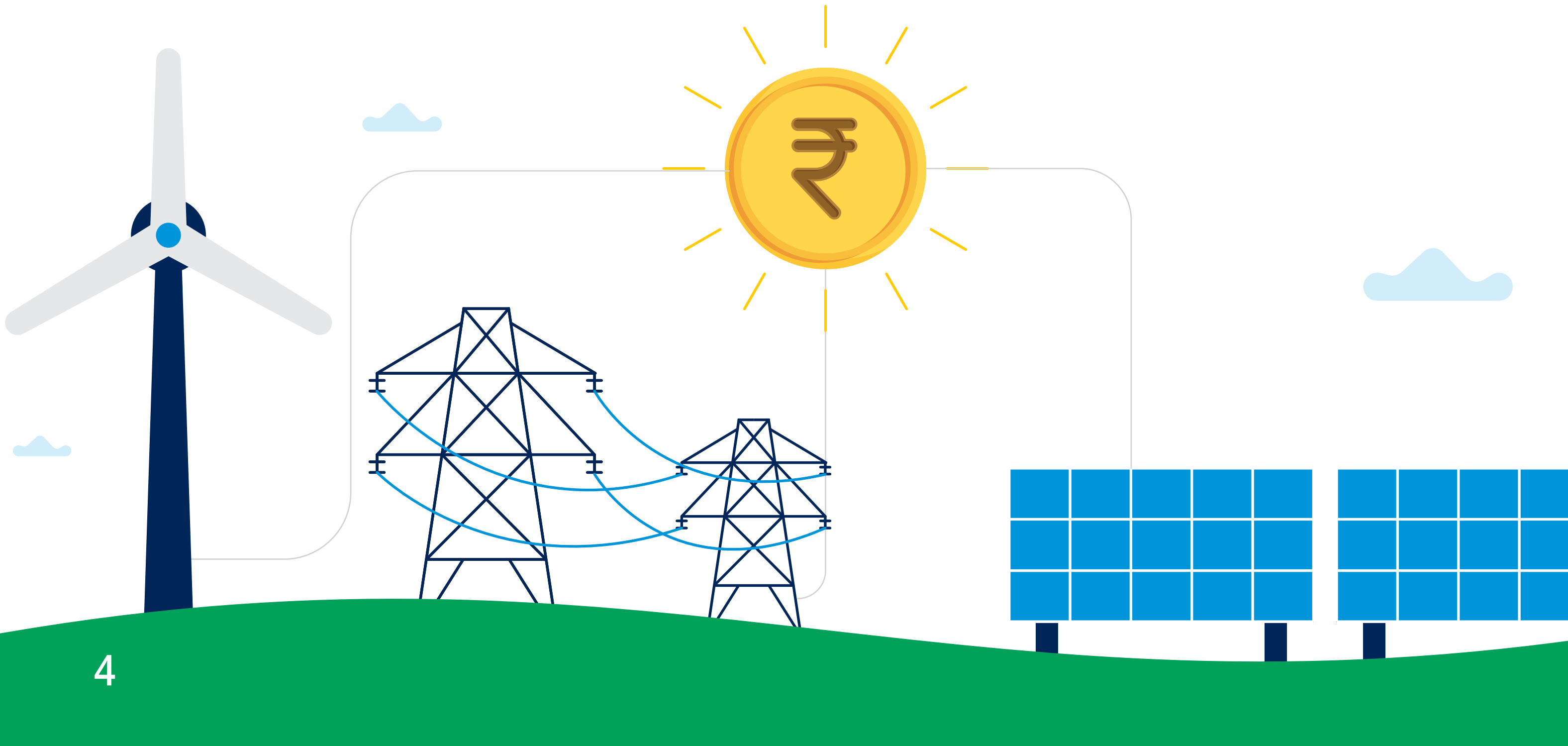

हमारी पृष्ठभूमि

विजन

भारत और विदेश में विद्युत एवं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रत्येक आयामीय श्रृंखला में एक अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना।

मिशन

पीएफसी सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान होगा और इसके लिए उसका साध्य है दक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से एकीकृत स्रोतीकरण तथा सेवा प्रदान करने के साथ-साथ वहनीय और प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों में अपनी भागीदारी करना और अपने स्टेकधारकों का मूल्य संवर्धन करना; भारत एवं विदेश में विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यक्षम निवेश को बढ़ावा देना।

हम यह लक्ष्य सिद्धि कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऊर्जास्वित, समंजनीय, अग्रदृष्टा, विश्वस्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन हैं, अपने स्टेकधारकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं एकनिष्ठा के कारण सदा-सर्वदा लाभप्रद एवं चिरस्थायी हैं।

हमारी समूह संरचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन

सहयोगी कंपनियां

- 100% अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं

सहायक कंपनियां

- 100% पीएफसी कंसल्टिंग
- 100% पीएफसी प्रोजेक्ट्स
- 52.63% आरईसी लिमिटेड

मुख्य तथ्य

1st

वित्तीय क्षेत्र में
1ला महारत्न

सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के बीच सबसे बड़ा समेकित तुलनपत्र*

*31.03.2022 तक की स्थिति के आंकड़ों पर आधारित

भारत सरकार
GOVERNMENT
OF INDIA
सत्यमेव जयते

अधिकांशतः
भारत सरकार के
स्वामित्वाधीन

विद्युत क्षेत्र में
भारत सरकार के लिए
प्रमुख वित्तीय भागीदार

Forbes

फोर्ब्स ग्लोबल लिस्ट 2023 के अनुसार परिसंपत्तियों के मामले में दुनिया में 378वें स्थान पर

फॉर्च्यून
500

इंडिया 2022 में
34वें स्थान पर

'एएए' की उच्चतम दीर्घावधि
घरेलू रेटिंग

वित्तीय पेशकश (ऑफरिंग)

स्वनिर्मित पोर्टफोलियो

लगभग चार दशकों के अनुभव के साथ, हम भारतीय विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण में अग्रणी रहे हैं। हमारी विशेषज्ञता अपने सम्मानित ग्राहकों के अद्वितीय वित्तीय प्रोफाइल के समकक्ष अनुरूपी वित्तीय समाधान प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, हम अपनी वित्तीय पेशकशों को कार्यनीतिक रूप से व्यापक राष्ट्रीय प्रयोजनों के साथ संरेखित करने के लिए देश के वित्तीय स्वास्थ्य और मौजूदा सरकारी प्राथमिकताओं पर बारीकी से विचार करते हैं।

निधि आधारित उत्पाद

- **परियोजना सावधि ऋण** (रुपया एवं विदेशी मुद्रा)
- **निगमित ऋण**
- **ऋण पुनर्वित्तपोषण**
- उपकरण की खरीद **हेतु पट्टा वित्तपोषण**
- **कोयले के आयात के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट**
- विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत खरीद के लिए **क्रेडिट सुविधा**
- उपकरण निर्माताओं को **अल्पावधि/माध्यम अवधि ऋण**
- **बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट**
- अध्ययन/परामर्श के लिए **अनुदान/ ब्याज मुक्त ऋण**
- **विंड पावर परियोजनाओं** के लिए पट्टा वित्तपोषण

गैर-निधि आधारित उत्पाद

- **विद्युत खरीद करार (पीपीए) के संदर्भ में संविदा/बाध्यताओं के निष्पादन की गारंटी**
- **लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी)**

निधियों के स्त्रोत

- **54 ईसी बॉण्ड्स**
- **सावधि ऋण/बॉण्ड**

माइलस्टोन

विगत वर्षों में मुख्य गतिविधियों की झलकियां

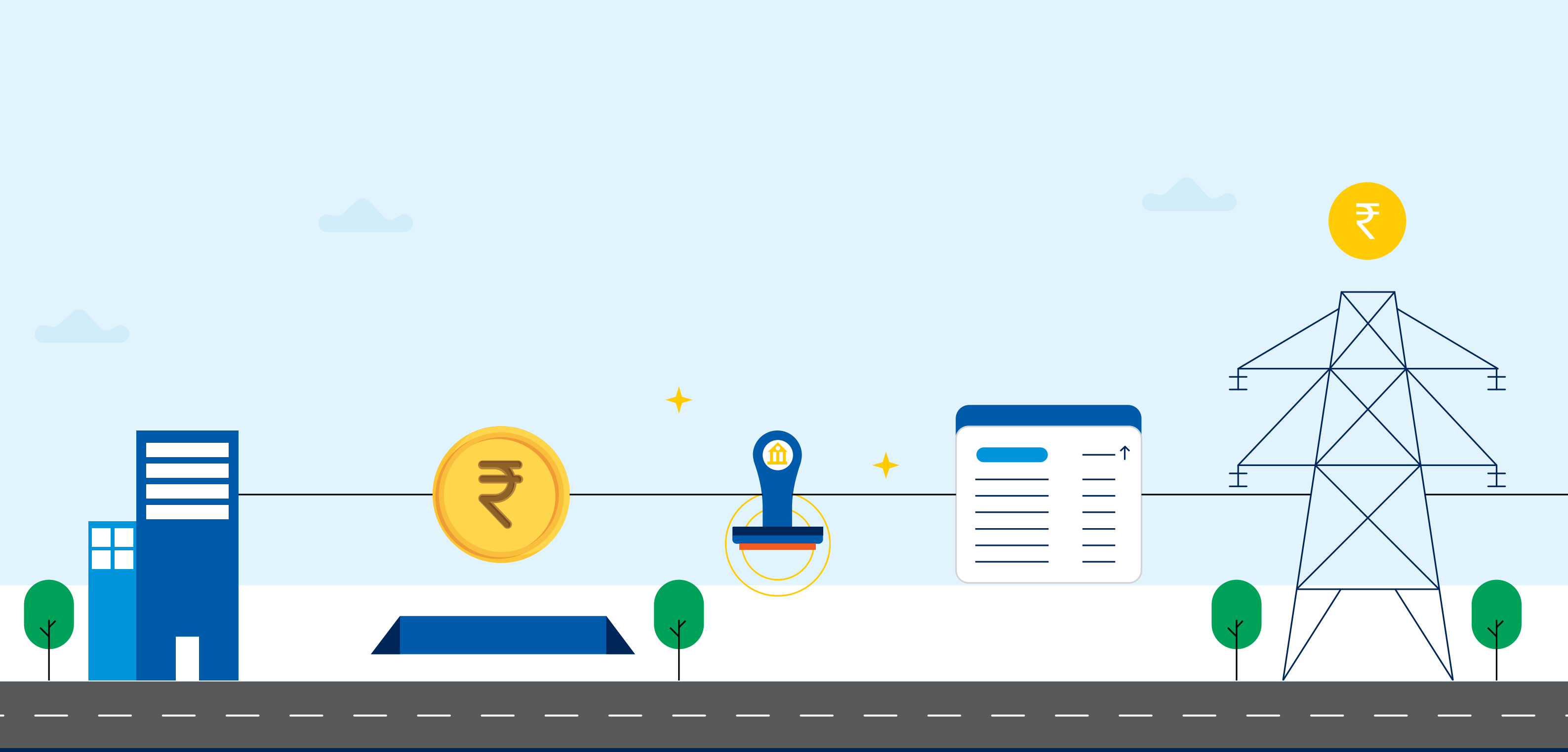

1986

कंपनी के रूप में निगमन

1988

ऋण देने संबंधी गतिविधियां प्रारंभ कीं

1998

एनबीएफसी के रूप में आरबीआई में पंजीकृत

2007

'नवरत्न' दर्जा प्राप्त हुआ और सूचीबद्ध कंपनी बनी

2010

एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत

इक्विटी शेयरों की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश की घोषणा की

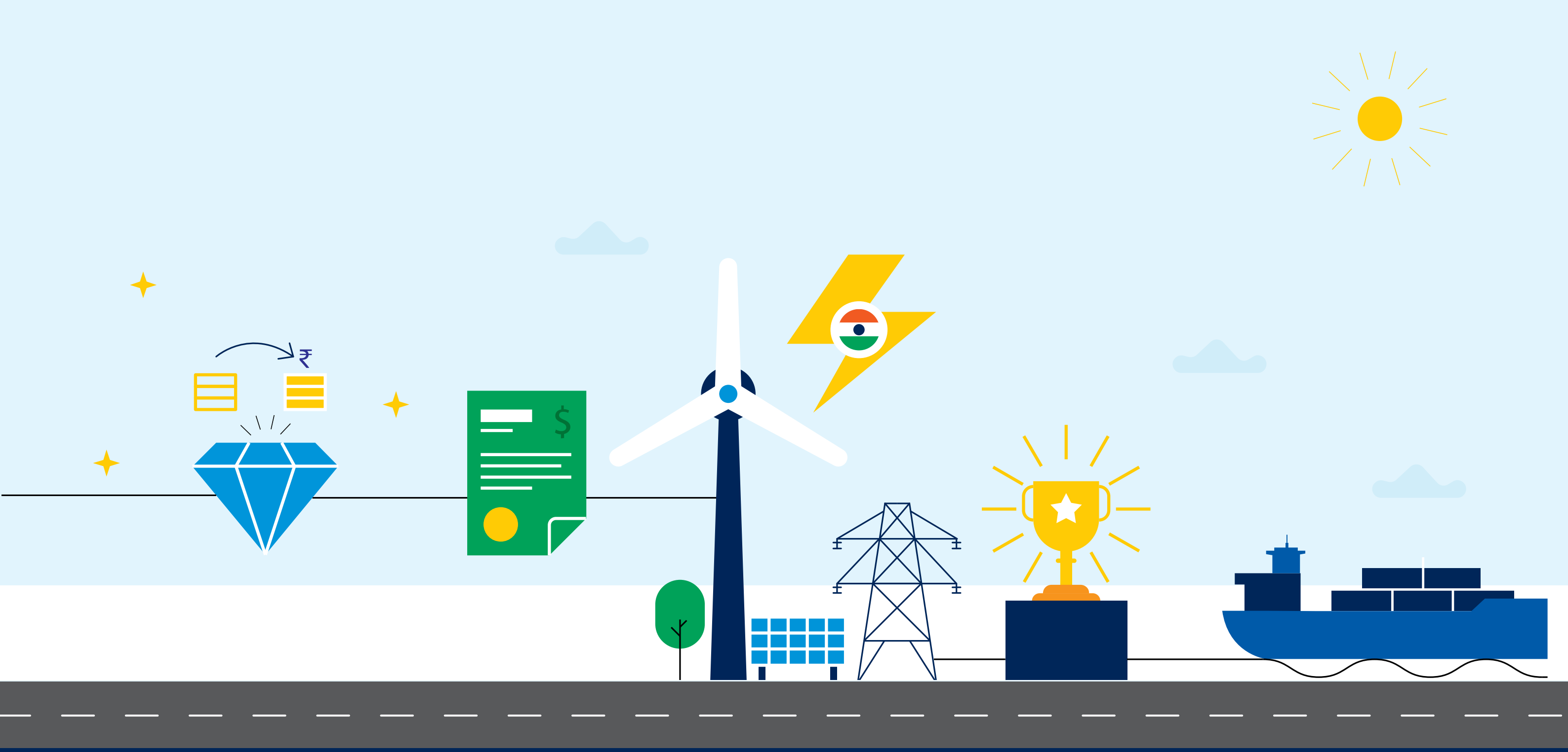

2014

ऋण परिसंपत्तियों में ₹ 2 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया

2017

400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ग्रीन बॉण्ड जारी किए

2019

आरईसी लिमिटेड का अधिग्रहण किया और भारतीय विद्युत क्षेत्र में सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान बन गया

2021

भारत सरकार द्वारा 'महारत्न'का दर्जा प्रदान किया गया (एक सीपीएसई के लिए सर्वोच्च सम्मान)

2023

इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में कदम रखा

मूल्य वर्धित विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
मूल्य वर्धित		
निवल ब्याज आय	14,030	**14,363**
गैर ब्याज आय	1,890	**2,020**
कार्मिक लागत, मूल्यहास, परिशोधन और निगमित सामाजिक दायित्व व्यय को छोड़कर प्रचालन व्यय	(1,029)	**(2,045)**
क्षतिग्रस्तता एवं राइट ऑफ	(2,222)	**296**
वितरण के लिए उपलब्ध मूल्य वर्धित	**12,669**	**14,634**
मूल्य वर्धित का वितरण		
लाभांश के रूप में इक्विटी शेयरधारकों के लिए	3,366	**2,640**
वेतन एवं अन्य हितलाभों के रूप में कार्मिकों के लिए	213	**219**
सीएसआर व्यय के रूप में समाज के लिए	215	**225**
आयकर के रूप में सरकार के लिए	2,206	**2,565**
पुनःनिवेश, विस्तार एवं वृद्धि के लिए - मूल्यहास, परिशोधन, प्रतिधारित आय, आरक्षित निधि	6,669	**8,984**
मूल्य वर्धित का वितरण	**12,669**	**14,634**

प्रमुख अनुपात

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
पी/ई अनुपात	2.96	3.45
पूंजीगत जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (%)	23.48	24.37
निवल लाभ मार्जिन (%)	25.97	29.26
निवल एनपीए (%)	1.76	1.07
निवल ऋण-इक्विटी अनुपात (X)	5.38	5.32
ईपीएस (₹)	37.96	43.96
प्रति शेयर बुक मूल्य (₹)	224.80	258.33

कार्य-निष्पादन एक नजर में

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
संसाधन (वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)					
इक्विटी पूंजी	2,640	2,640	2,640	2,640	**2,640**
रिज़र्व और सरप्लस	40,648	42,524	49,753	56,710	**65,562**
ऋण राशियां (बकाया मूलधन):					
(i) घरेलू ऋण राशियां	2,59,601	2,55,751	2,75,259	2,63,840	**2,98,084**
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण राशियां	28,827	47,701	49,836	56,288	**64,554**
वित्तपोषण संबंधी प्रचालन (वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)					
संस्वीकृतियां	95,230	1,11,089	1,66,370	51,616	**2,31,625**
संवितरण	67,678	67,997	88,302*	51,242	**85,756**
कार्यशील परिणाम (वर्ष के लिए) (₹ करोड़ में)					
कुल आय	28,766	33,371	37,767	38,591	**39,666**
कुल व्यय	18,951	25,179	27,559	26,364	**25,495**
कर पूर्व लाभ	9,816	8,193	10,207	12,228	**14,171**
कर व्यय	2,863	2,537	1,763	2,206	**2,565**
कर पश्चात लाभ	6,953	5,655	8,444	10,022	**11,605**
कार्मिकों की संख्या	498	484	483	501	**519**

नोट:

1. संस्वीकृतियां और संवितरण आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस/ आरडीएसएस को छोड़कर हैं

* इसमें कोविड महामारी के दौरान मोरेटोरियम ऋण के रूप में ₹ 20,144 करोड़ शामिल हैं

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

वित्तीय कार्य-निष्पादन

कुल आय

(₹ करोड़ में)

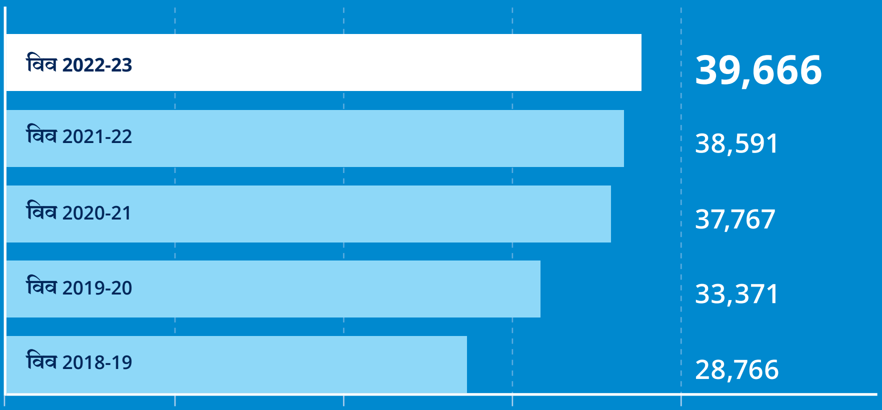

↑ **2.79%**
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

↑ **8.83%**
5-वर्षीय सीएजीआर

कर पश्चात लाभ

(₹ करोड़ में)

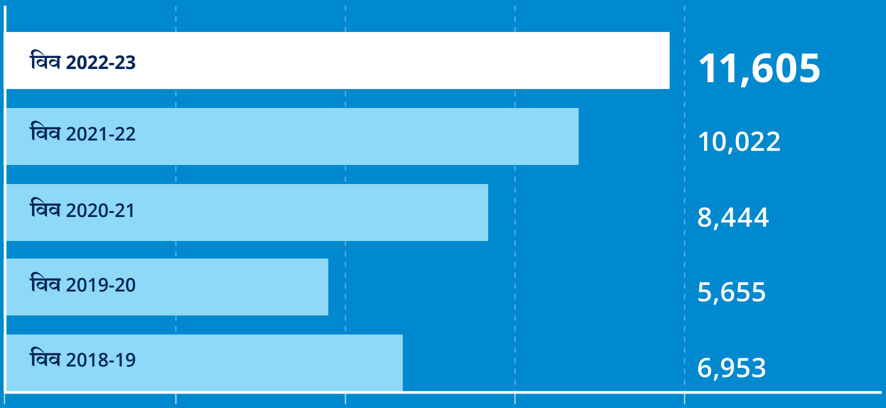

↑ **15.80%**
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

↑ **21.48%**
5-वर्षीय सीएजीआर

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

नेट वर्थ
(₹ करोड़ में)

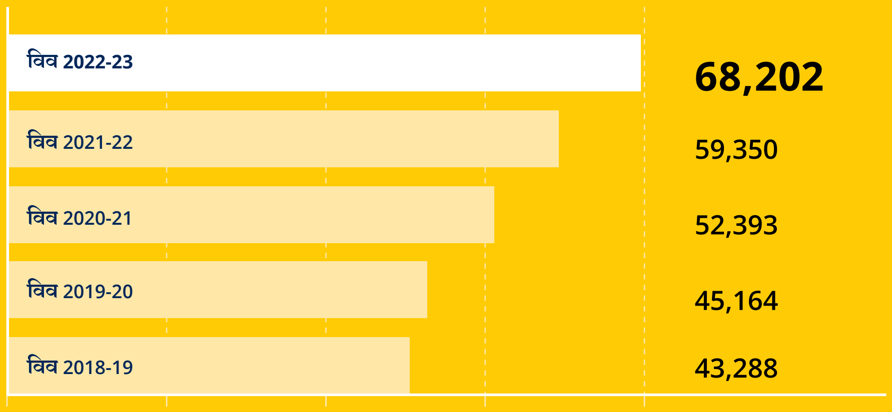

↑ **14.91%**
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

↑ **13.04%**
5-वर्षीय सीएजीआर

ऋण परिसंपत्ति बही
(₹ करोड़ में)

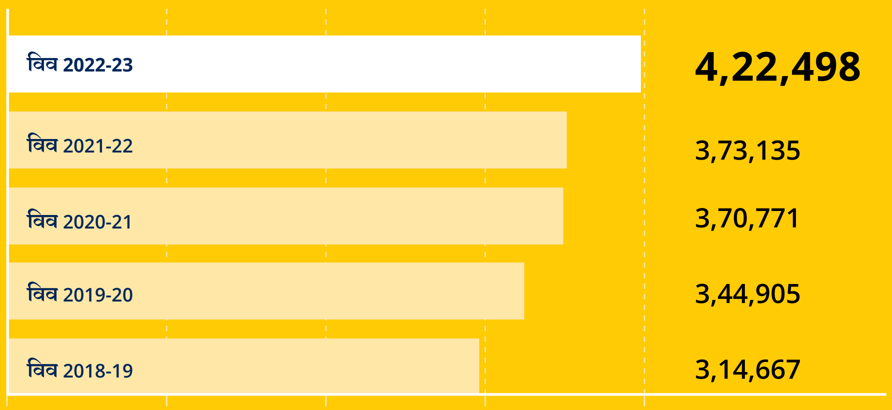

↑ **13.23%**
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

↑ **8.63%**
5-वर्षीय सीएजीआर

सभी आंकड़े 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार हैं।

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

निवल एनपीए अनुपात
(%)

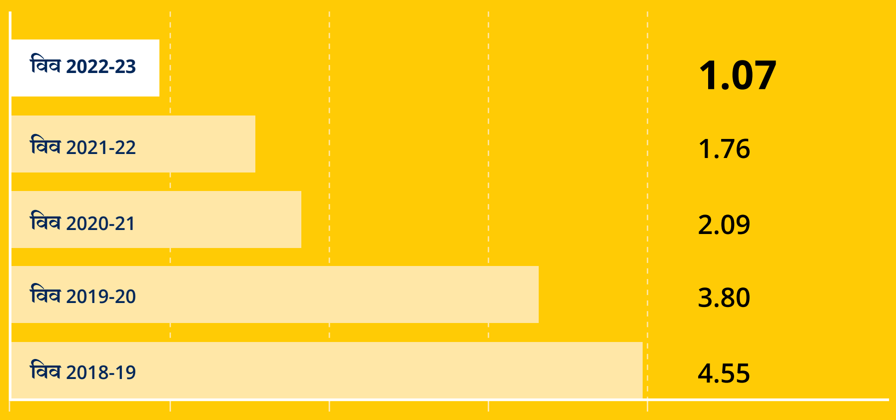

↓ 69 बीपीएस
वर्ष-दर-वर्ष कमी

निधियों की लागत
(%)

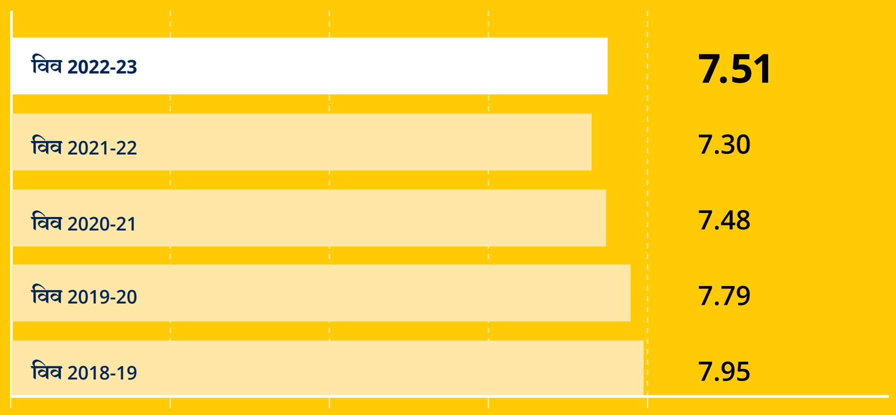

कई वर्षों से
समान

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

संवितरण

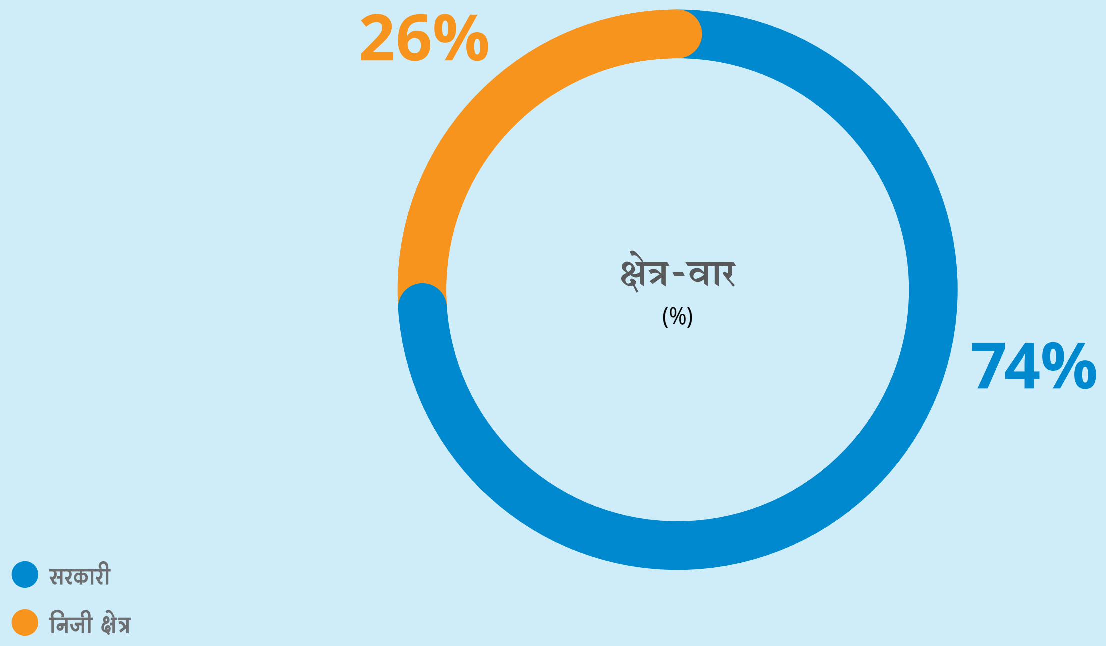

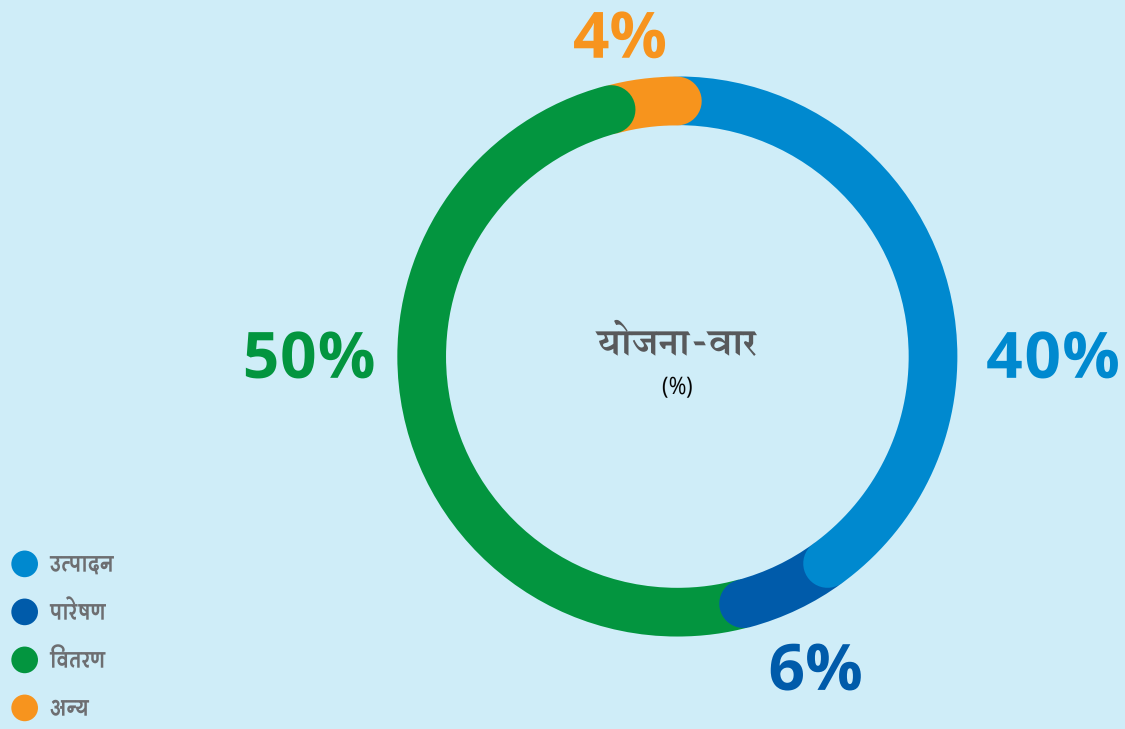

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

ऋण परिसंपत्तियां

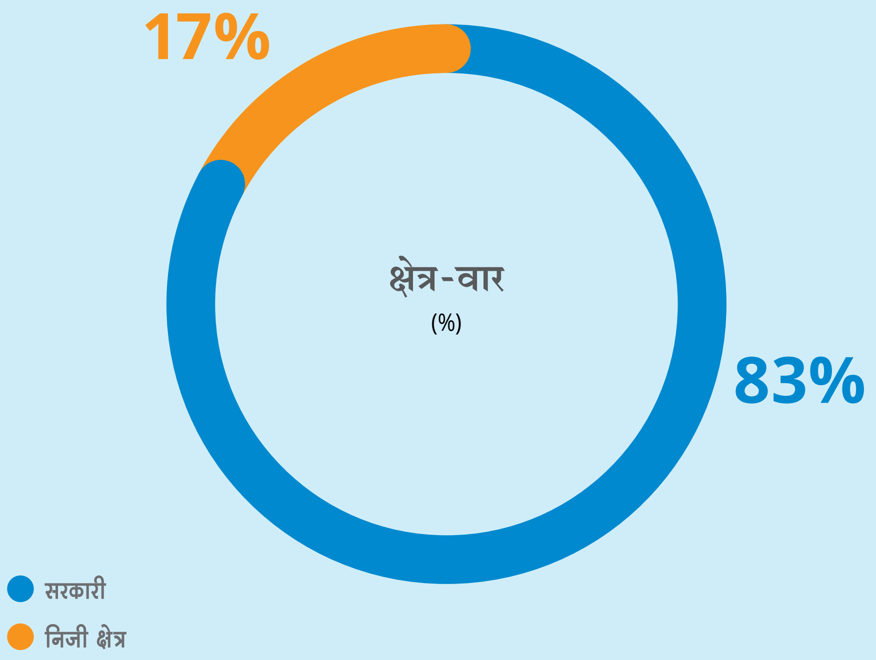

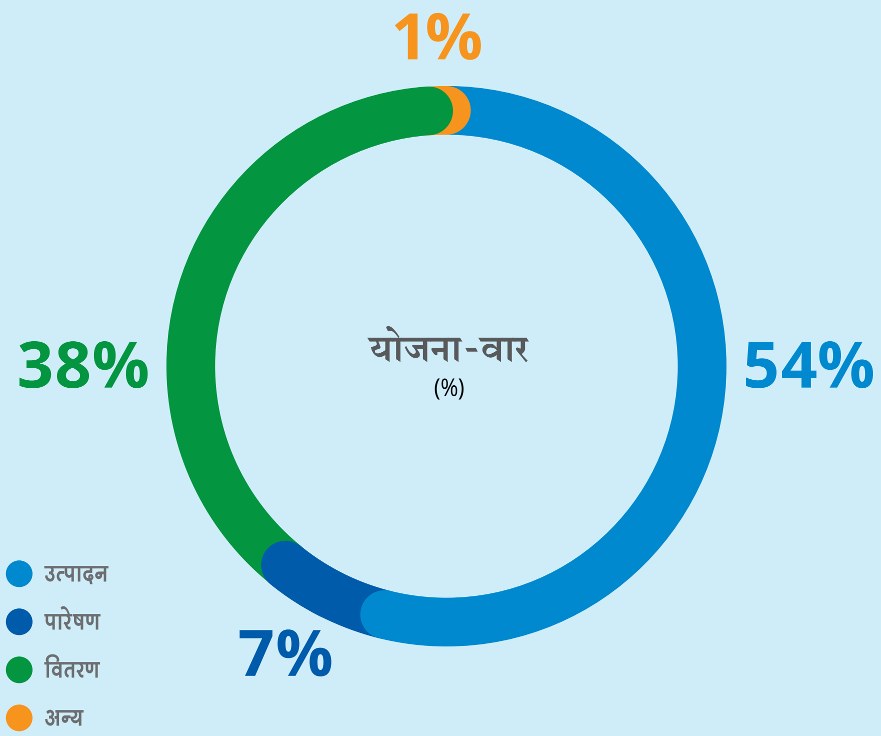

परिसंपत्ति स्नैपशॉट 2023

₹4,22,498 करोड़
ऋण परिसंपत्तियां

₹85,756 करोड़
संवितरण

3.91%
सकल एनपीए अनुपात

1.07%
निवल एनपीए अनुपात

विविधीकरण

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की ओर बढ़ते कदम

हमारे व्यापक कार्यनीतिक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, हमने व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कदम रखकर विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्यनीतिक परिवर्तन अपने पोर्टफोलियो में विविधीकरण लाने और हमारी ऋण परिसंपत्ति बुक की वृद्धि के दीर्घकालिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य के साथ, हमने बाजार की उभरती मांगों का को पूरा करने के निमित्त अधिक मजबूत और लचीली वित्तीय स्थिति के सृजन के लिए इस उद्यम को डिजाइन किया है।

वित्तीय वर्ष में नई संस्वीकृतियों में से दो-तिहाई संस्वीकृतियां विद्युत क्षेत्र के लिए किए जाने के अध्यधीन एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता बकाया ऋण बुक के 30% तक ऋण देने की हमारी नीति में स्पष्ट है। यह दृष्टिकोण हमारी विशेषज्ञता और विद्युत एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की उभरती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाते हुए संसाधनों का विवेकपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। हम सक्रिय रूप से अपेक्षित क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्बाध वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी मौजूदा टीमों को संवृद्ध कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घटकों के वित्तपोषण में अपने अनुभव से सीखते हुए, हम इस क्षेत्र की जटिलताओं का सामना करने के लिए तैयार हैं।

हमारे विविधीकरण प्रयासों के दायरे में कई प्रमुख क्षेत्र अर्थात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई परियोजनाएं, तेल रिफाइनरियां और फाइबर नेट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करके, हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रहते हैं और देश की आर्थिक प्रगति को गति देने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की संवृद्धि और उन्नति में योगदान देना चाहते हैं।

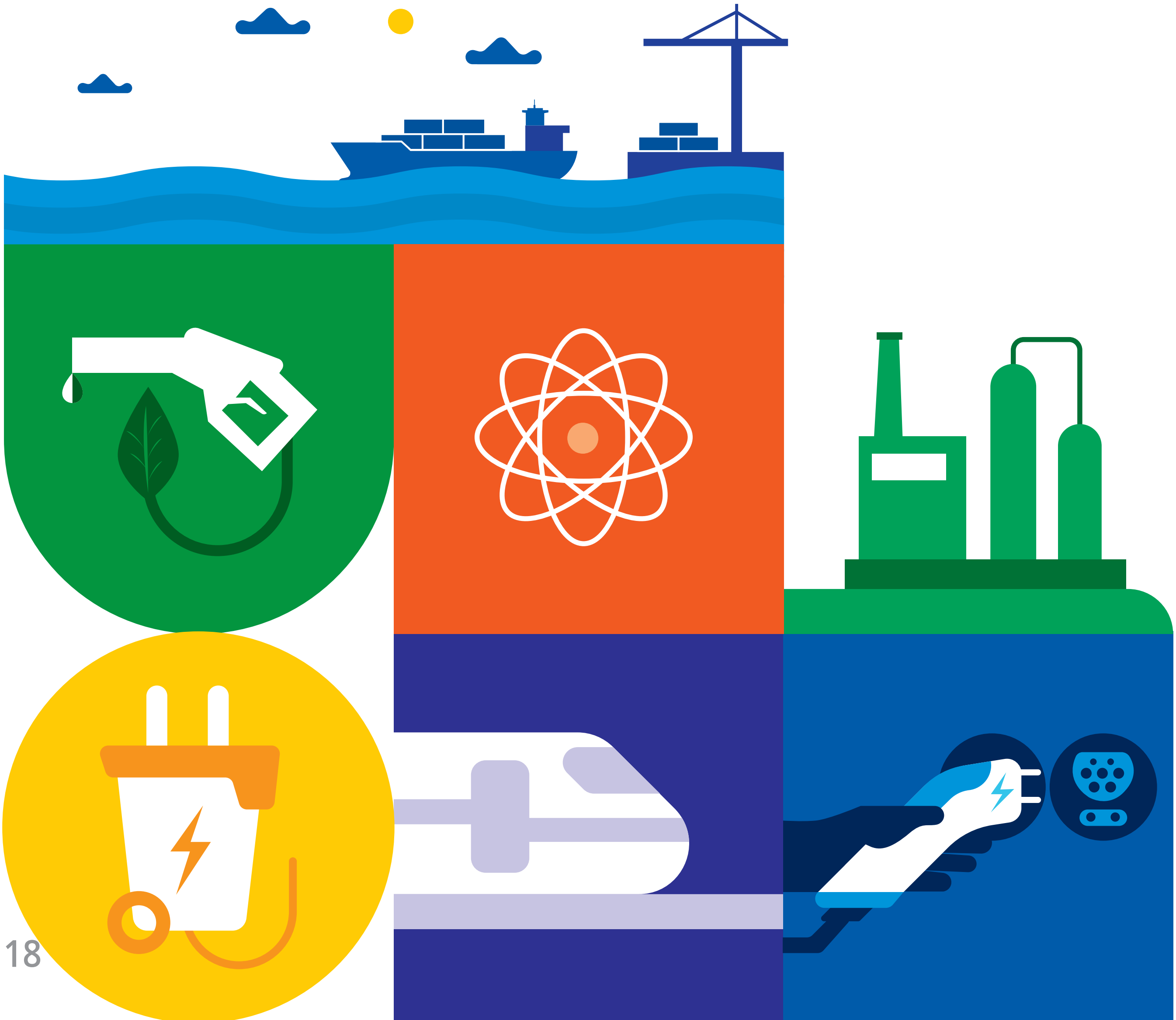

वितरण क्षेत्र योजनाओं की अग्रगामी राह की ओर

₹16,647 करोड़
31 मार्च, 2023 तक आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत ऋण

₹1,016 करोड़
31 मार्च, 2023 तक आरडीएसएस के अंतर्गत संवितरित ऋण

₹47,906 करोड़
वित्त 2022-23 में एलपीएस के अंतर्गत संस्वीकृत राशि

₹16,746 करोड़
वित्त 2022-23 में एलपीएस के अंतर्गत संवितरित राशि

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

आरडीएसएस के अंतर्गत पीएफसी से जुड़े लगभग सभी पात्र राज्यों की कार्य योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है

विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस)

एलपीएस शुरू होने के एक वर्ष से भी कम समय में जेनको पर डिस्कॉम का >40% बकाया कम हो गया

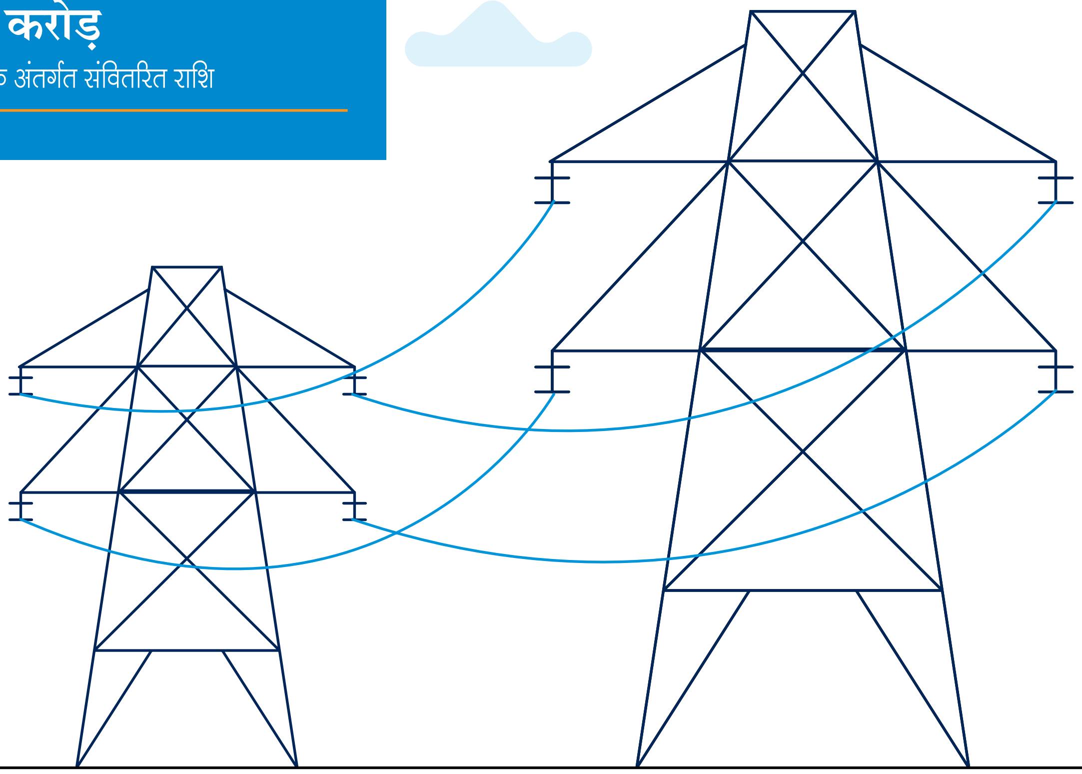

व्यावसायिक परिदृश्य

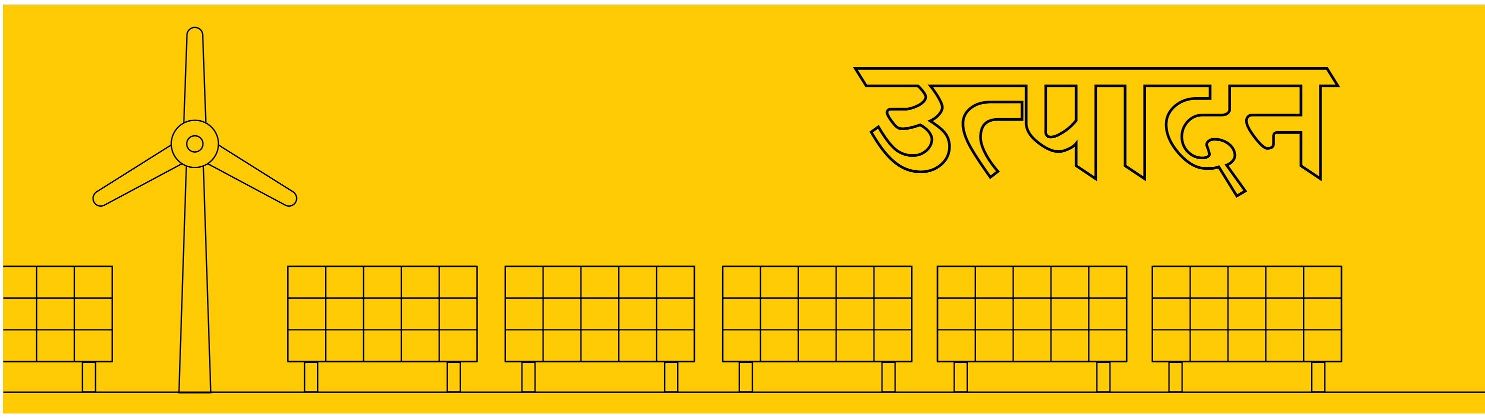

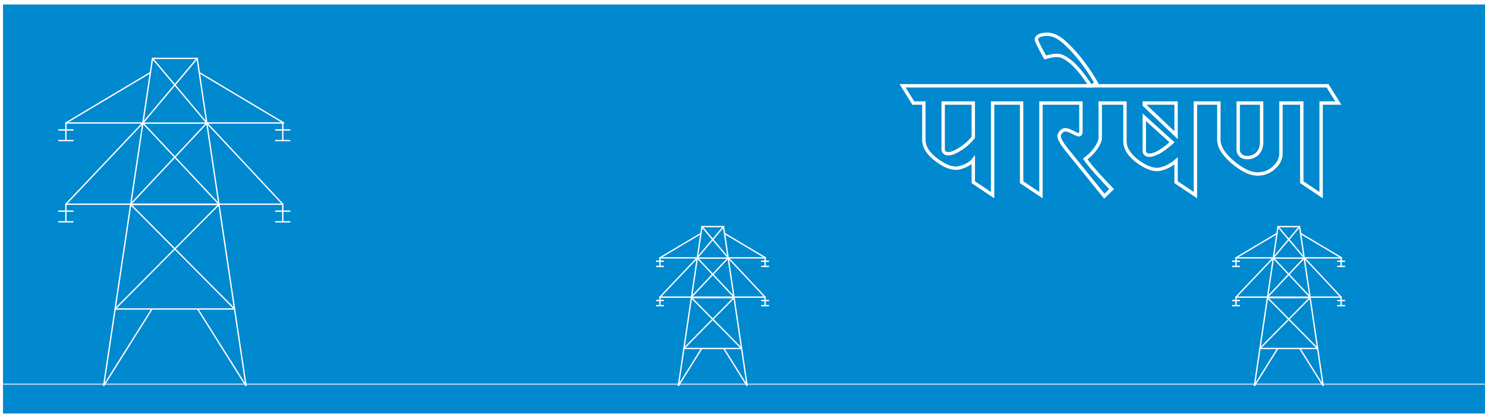

व्यावसायिक परिदृश्य

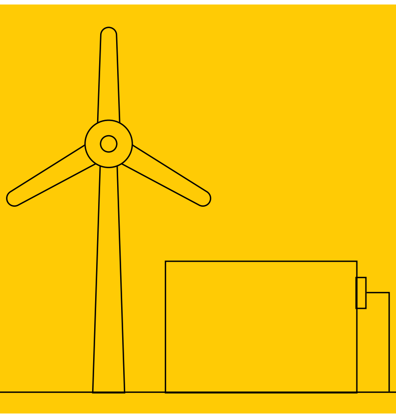

नवीकरणीय ऊर्जा – सौर ऊर्जा, ऑफशोर एवं ऑनशोर पवन ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत, और बैटरी स्टोरेज

परंपरागत ऊर्जा – अमोनिया को-फायरिंग, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), थर्मल प्लांट

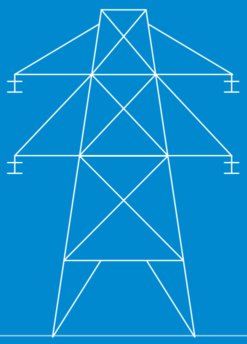

ग्रीन कॉरीडोर

स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)

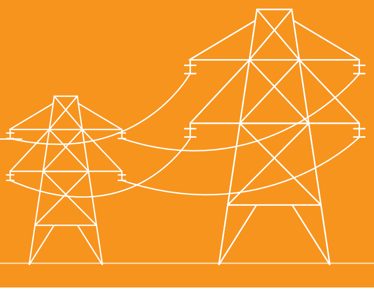

विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियम

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

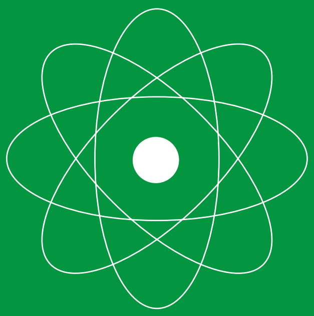

ग्रीन हाइड्रोजन

इंफ्रास्ट्रक्चर

ई-मोबिलिटी

न्यूक्लियर

सशक्त हरित प्रगति

हम हरित ऊर्जा को अपनाने की दिशा में भारत की प्रगतिशील यात्रा में अगुवाई करना चाहते हैं, और उन वित्तपोषण संबंधी पहलों का नेतृत्व करना चाहते हैं जो संधारणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। इसके अनुरूप, हम नवीकरणीय मार्गों में अपनी हिस्सेदारी को संवर्धित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संकेंद्रण

देश में नवीकरणीय ऊर्जा
के लिए सबसे बड़ा ऋणदाता

20%
पिछले 5 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा ऋण बुक का सीएजीआर

51,000 मेगावाट
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन को वित्तीय सहायता

भारतीय विद्युत क्षेत्र का
सबसे बड़ा ऋणदाता

भारत के हरित लक्ष्यों के साथ हमारी कार्यनीति का संरेखण

31 मार्च, 2023 तक पीएफसी द्वारा 51 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन को वित्तीय सहायता

पारंपरिक विद्युत उत्पादन ऋणों की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा ऋणों पर कम ब्याज दरों जैसे अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश

नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए अलग नीति और रेटिंग फ्रेमवर्क (सौर पीवी परियोजनाओं के लिए नीति दिशा-निर्देश)

हरित वित्तपोषण हेतु संसाधन जुटाव के लिए ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क

हरित ऊर्जा की ओर भारत का संकेंद्रण

भारत सरकार का ज्यादा फोकस देश की हरित ऊर्जा हिस्सेदारी को बढ़ाने पर है। भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकार ने आगे नए अवसरों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

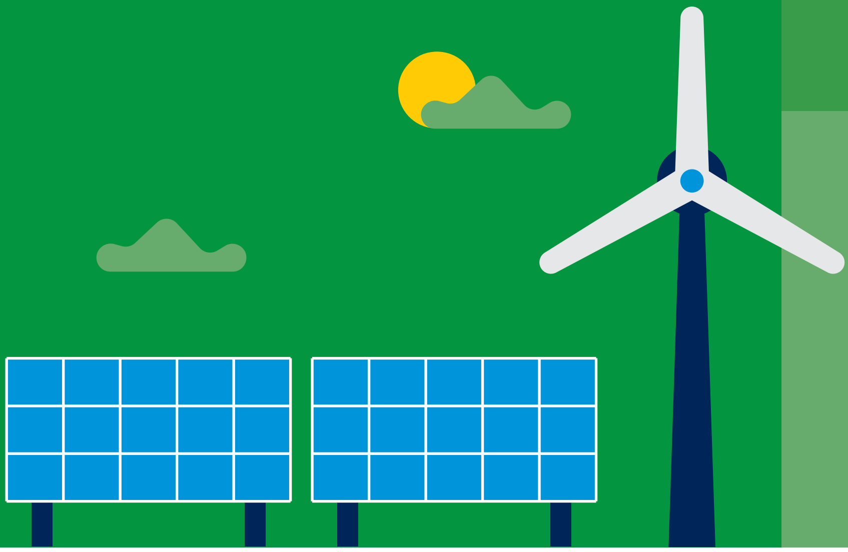

500 गीगावाट

2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित क्षमता

50%

2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा से संस्थापित क्षमता

45%

2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में कमी (2005 स्तरों से)

1 बिलियन टन

2021-30 के दौरान अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में कमी

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन ऋण पोर्टफोलियो को संवृद्ध करते हुए

(₹ करोड़ में)

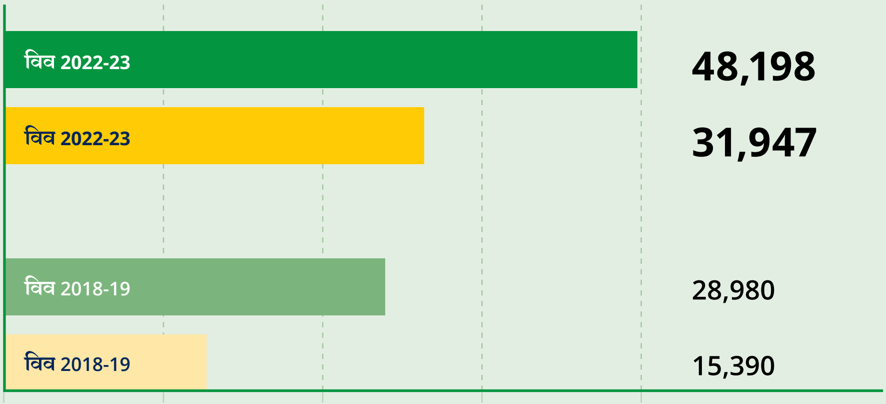

बड़े हाइड्रो से अन्य

↑ 14%

सीएजीआर

बड़े हाइड्रो सहित

↑ 20%

सीएजीआर

शेयरधारकों के नाम पत्र

देवियो और सज्जनो,

कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत है।
सबसे पहले, मैं इस वर्ष आपकी कंपनी के पुनः शानदार वित्तीय कार्य-निष्पादन के लिए आपको बधाई देती हूँ।

प्रचालन एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन

वर्ष 2022-23 पीएफसी के लिए पुन:स्थापना का वर्ष था, क्योंकि हम कोविड के प्रतिकूल प्रभाव से उभरे और हमने उत्कृष्ट वित्तीय कार्य-निष्पादन के साथ प्रभावशाली संवृद्धि की।

मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमने ₹11,605 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक निवल लाभ अर्जित किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 16% अधिक है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब हम सर्वाधिक वार्षिक लाभ का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमने अपनी ऋण परिसंपत्ति बुक में 13% की दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की। परिणामस्वरूप, ऋण परिसंपत्ति पोर्टफोलियो ने 31 मार्च, 2023 तक ₹4 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और यह ₹4,22,498 करोड़ पर पहुंच गया। हमने वर्ष के दौरान ₹2.32 लाख करोड़ की सर्वकालिक उच्च ऋण स्वीकृतियां भी की और ₹85,756 करोड़ संवितरित किए हैं, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाता के रूप में हमारी भूमिका को रेखांकित करता है। परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर भी, गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए अनुपात पिछले सात वर्ष में अपने सबसे निम्न स्तर पर आ गया है। वित्तीय वर्ष 2023 में, निवल एनपीए अनुपात 1.07% रहा। सुदृढ़ संवृद्धि, लगातार लाभ अर्जन और स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ, हमारी नेट वर्थ ₹68,202 करोड़ के सुदृढ़ आंकड़ें पर बनी रही। शेयरधारक रिटर्न की बढ़ौतरी करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, हमने प्रति शेयर ₹13.25 का लाभांश घोषित किया है, जो शेयर अंकित मूल्य पर 132.5% के बराबर है।

मैक्रो-इकोनोमिक परिदृश्य और विद्युत क्षेत्र का दृष्टिकोण

वित्तीय वर्ष 2022-23 में वैश्विक मैक्रो-इकोनोमिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन भारत उन उज्ज्वल देशों में से एक रहा है, जहां अर्थव्यवस्था सुदृढ़ गति से बढ़ रही है, जिसे स्वस्थ घरेलू मांग और विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति का समर्थन प्राप्त है।

इस अनुकूल आर्थिक वातावरण से विद्युत क्षेत्र की वृद्धि को हितलाभ प्राप्त होने वाला है। अप्रयुक्त मांग क्षमता महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भारत की लगभग 1.44 बिलियन की विशाल आबादी द्वारा उपयोग की जानी है। सरकार की मेक इन इंडिया पहल और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना से मांग में वृद्धि होने की आशा है। अनुमान है कि 2027 तक भारत की विद्युत खपत में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 7.18% पर पहुंच जाएगी।

इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी। सरकार की योजना है - 2032 तक लगभग 500 गीगावाट क्षमता के साथ, संस्थापित क्षमता को दोगुना करना, जिसमें 87% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और 13% जीवाश्म ईंधन से होगा, जिसके लिए लगभग ₹31 लाख करोड़ के अनुमानित निवेश की आवश्यकता होगी।

विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के बीच वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की भूमिका एक अभिन्न पहलू है। हाल के वर्षों में, डिस्कॉम को वित्तीय और परिचालन चुनौतियों से जूझना पड़ा है, जिसने पूरे विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला पर दबाव डाला है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। सरकार ने पिछले दो वर्ष में डिस्कॉम के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के भाग के रूप में इन सुधारात्मक उपायों का प्रभाव स्पष्ट है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानि 16.5% है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के 21.5% के आंकड़े से काफी कम है। एसीएस-एआरआर अंतर, जो बेची गई विद्युत का प्रति यूनिट नकदी-समायोजित राजस्व अंतर है, में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 89 पैसे प्रति यूनिट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 40 पैसे प्रति यूनिट तक काफी सुधार हुआ है।

एलपीएस नियमावली को लागू करने में हमारी सफलता भी उतनी ही उल्लेखनीय है। पिछले वर्ष में, हमने इस नियमावली के तहत विद्युत वितरण कंपनियों को ₹16,800 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया है।

इस योजना से वितरण संस्थाओं द्वारा देय लेगेसी ड्यू में उनके ₹1.4 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर से 40% की उल्लेखनीय कमी आई है।

"

मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमने ₹11,605 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक निवल लाभ अर्जित किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 16% अधिक है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब हम सर्वाधिक वार्षिक लाभ का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।

परमिंदर चोपड़ा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वर्तमान देय राशि के निपटान की भी प्राप्ति पोर्टल की सहायता से सख्ती से मॉनीटरिंग की जा रही है, जिसे हमारी सहायक कंपनी पीएफसीसीएल द्वारा स्थापित और रखरखाव किया जाता है। यह योजना इस क्षेत्र में बेहद जरूरी राजकोषीय अनुशासन लेकर आई है, जिससे विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सभी प्लेयर्स को मदद मिल रही है।

विद्युत क्षेत्र इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर है, जो पीएफसी के लिए वृद्धि के ढेरों अवसर उत्पन्न करता है।

नई सोच, नई राहें'
- नई दिशाओं की ओर अग्रसर पीएफसी

'नई सोच, नई राहें' के आदर्श वाक्य को अपनाते हुए, पीएफसी साहसपूर्वक नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है, नवीन विचारों और दूरदर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से भविष्य को आकार दे रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में प्रवेश

25 अगस्त, 2022 को, पीएफसी को इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिदेश दिया गया था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के साथ, व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पीएफसी की ऋण क्षमताओं को बढ़ा दिया गया है। यह उन माइलस्टोन निर्णयों में से एक है, जो पीएफसी के दीर्घकालिक व्यवसायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके पीछे विचार यह है कि समय के साथ इसे धीरे-धीरे विकसित किया जाए और विद्युत क्षेत्र के परिपक्व होने पर एक पूरक व्यवसायिक लाइन तैयार की जाए।

नए अधिदेश के तहत, हमने स्वास्थ्य सेवा, समुद्री जल अलवणीकरण, पेट्रोकेमिकल, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, सड़क, बंदरगाह और मेट्रो रेल प्रणाली के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है। पिछले वित्तीय वर्ष में, हमने गैर-विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए ₹16,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है। पीएफसी के लिए एक नया वित्तपोषण क्षेत्र होने के कारण, हमारा वर्तमान ध्यान आकलन और मॉनीटरिंग क्षमताओं के निर्माण पर है। अब तक हमने जिन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है उनमें से अधिकांश सरकारी क्षेत्र से हैं।

पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) स्तंभों को एकीकृत करके एक हरित भविष्य का निर्माण

आज विश्व में, जलवायु परिवर्तन हमारे सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। इसके चालकों में, ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण बनकर उभरा है, जिसका परिवर्तन समाज पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसे स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने 'पंचामृत' एजेंडा का अनावरण किया है, जिसका 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, एक अरब टन कार्बन कटौती, 2030 तक 45% उत्सर्जन तीव्रता में कमी और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है।

पीएफसी हरित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में, पीएफसी ने हमारी आकलन और ऋण नीतियों में जलवायु जोखिम को एकीकृत करने के लिए संरचनात्मक

जी20 शिखर सम्मेलन की परिधि में द्विपक्षीय मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान श्री आर.के. सिंह, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और महामहिम यासुतोशी निशिमुरा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री, जापान सरकार के साथ श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जिसमें पीएफसी को एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप (एटीएफएसजी) में शामिल होने वाले भारत के पहले सदस्य के रूप में घोषित किया गया।

एटीएफएसजी - एशियाई देशों के लिए संधारणीय परिवर्तन के निमित्त वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए जापानी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) की एक पहल है।

परिवर्तन करने के साथ-साथ हमारी मूल्य निर्धारण से जुड़ी कार्यनीतियों में जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को शामिल करके नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय का दोहन करने के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को सजग रूप से अनुकूलित किया है। इसके चलते पीएफसी नवीकरणीय पोर्टफोलियो पिछले 6 वर्ष में 6 गुना से अधिक बढ़ गया है, जो वर्तमान में ₹48,200 करोड़ है। आज पीएफसी भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय वित्तपोषक है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लगभग पांचवें हिस्से को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हम जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कि फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए संस्वीकृत ₹2,500 करोड़ से अधिक के ऋणों से प्रदर्शित होता है।

गोवा में जी20 कार्यक्रम की परिधि में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना) और श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक)।

भारत के नेट-जीरो उद्देश्य को पूरा करने की कड़ी में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, पीएफसी ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण माइलस्टोन प्राप्त किए हैं।

विशेष रूप से, पीएफसी ने 5000 यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद के लिए ब्लू स्मार्ट को ₹633 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया है। इस कदम से 100,000 टन से अधिक CO_2 समकक्ष उत्सर्जन बचत होने की आशा है। इस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण के लिए, यह एक वर्ष में 5 मिलियन से अधिक पूर्ण विकसित पेड़ों की CO_2 अवशोषण क्षमता के बराबर है। यह लेनदेन भारत में सबसे बड़ी ई-वाहन परिसंपत्ति वित्तपोषण पहल का भी प्रतीक है, जो स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ग्रुप की 1,227 मेगावाट की सौर और पवन परियोजनाओं को पुनर्वित्तपोषित करने के लिए पीएफसी द्वारा ₹6,112 करोड़ का निधियन संधारणीय ऊर्जा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। शहरी भारत को कचरा मुक्त बनाने की सरकारी पहल के अनुरूप, पीएफसी ने 192 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ ₹1,600 करोड़ की अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं को संचयी रूप से संस्वीकृत किया है। विशेष रूप से, इन परियोजनाओं के लिए 80% से अधिक संवितरण पहले ही किया जा चुका है।

एक संधारणीय भविष्य के निर्माण हेतु हम सुदृढ़ रूप से प्रतिबद्ध हैं और हम आगे की ओर बड़े कदम उठा रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में, पीएफसी हमारी ईएसजी कार्य-प्रणालियों के लिए एक सुसंरचित दृष्टिकोण स्थापित करने हेतु लगातार कार्य कर रहा है, जो हमारे परिचालनों में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन सिद्धांत को सहजता से एकीकृत करता है। इस दिशा में, पीएफसी ईएसजी को हमारे व्यवसाय में एकीकृत करने के लिए पहले ही मूर्त कार्रवाईयां कर चुका है। ईएसजी के प्रति एक केंद्रित दृष्टिकोण रखने के लिए, हाल ही में, एक समर्पित पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) यूनिट की स्थापना की गई है। यह केंद्रीकृत ईएसजी यूनिट पीएफसी के लिए ईएसजी कार्य-विधि तैयार करने हेतु विभिन्न स्टेकधारकों के साथ मिलकर काम करेगी।

ये प्रयास ईएसजी एकीकरण की दिशा में हमारे द्वारा उठाए गए कुछ तात्कालिक कदम हैं। हम जवाबदेह और सतत रूप से ऋण देना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने लिए बदलाव नहीं कर रहे हैं - हम संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

हमारा लक्ष्य हरित एवं बेहतर कल सृजित करना है, और हम उस भविष्य को साकार करने के लिए अवधारित पथ पर अग्रसर हैं।

पीएफसी के भावी व्यवसाय के महत्वपूर्ण क्षेत्र

हम उत्पादन और टी एंड डी क्षेत्र के अपने पारंपरिक व्यावसायिक क्षेत्रों में अपना वित्तपोषण करना जारी रखेंगे। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इन क्षेत्रों के अलावा, हमारे वित्तपोषण प्रयास में विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार के लक्ष्यों और दृष्टिकोण, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र और आरडीएसएस, के साथ भी निकटता से जुड़े रहना होगा।

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय एवं उभरती प्रौद्योगिकियां

भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी, जो वर्तमान में लगभग 27% है, को 2030 तक 50% तक पहुंचाना होगा। इसके लिए वर्तमान सौर और पवन

उत्पादन क्षमता को चार गुना करने की आवश्यकता है। हमें ऊर्जा संतुलन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 10 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज क्षमता और 100 गीगावाट से अधिक बैटरी स्टोरेज को भी शामिल करना होगा। अनुरूपी उपकरण निर्माण क्षमता और इवेक्युएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है।

हमारी अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन के लिए आवश्यक भारी निवेश को देखते हुए, निकट भविष्य में ऊर्जा परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण हरित भविष्य के लिए पीएफसी का मुख्य आधार होगा। पीएफसी ऊर्जा परिवर्तन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के वित्तपोषण पर केंद्रित है। पारंपरिक सौर/पवन परियोजनाओं के अलावा, हम नवीकरणीय उपकरण विनिर्माण, ऊर्जा भंडारण, ग्रीन इवेक्युएशन कॉरीडोर एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के क्षेत्र में विश्वसनीय परियोजनाओं की भी खोज कर रहे हैं।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

आरडीएसएस में स्मार्ट मीटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्यों के निमित्त ₹97,631 करोड़ के अनुमानित सरकारी अनुदान के साथ ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय शामिल है। योजना का उद्देश्य 2024-25 तक एटी एंड सी हानि को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना है।

योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए वित्तपोषण सरकारी अनुदान से किया जाएगा, और शेष पीएफसी या हमारी सहायक कंपनी आरईसी या राज्य की अपनी इक्विटी से काउंटरपार्ट फंडिंग से किया जाएगा।

काउंटर-पार्ट फंडिंग शुरू होने से पहले, राज्य डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया जाना होता है और माइलस्टोन प्राप्त करने के आधार पर सरकारी अनुदान भाग जारी किया जाना होता है। पीएफसी के लगभग सभी पात्र राज्यों के लिए कार्य योजना अनुमोदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके अलावा, डिस्कॉम द्वारा संस्वीकृत कार्य आवंटित किए जा रहे हैं और अनुदान जारी करने का चक्र शुरू हो गया है।

कैपेक्स की बात करें तो, हानि कम करने वाली परियोजनाओं के लिए 80% निविदाएं जारी की जा चुकी हैं और 40% कार्य आवंटित किए जा चुके हैं।

हमने स्मार्ट मीटरिंग में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें हमने ऐसे 1 करोड़ मीटर लगाने के लिए संविदा जारी की

श्री पंकज अग्रवाल, सचिव (विद्युत), भारत सरकार से 'स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023' प्राप्त करते हुए श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए पीएफसी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

नई दिल्ली में श्री आर.के. सिंह, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजभाषा सम्मान 2022-23 प्राप्त करते हुए श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

पीएफसी द्वारा अब तक लगभग ₹1,679 करोड़ का अनुदान जारी किया जा चुका है। हमने जो प्रगति की है, हम आशा करते हैं कि आरडीएसएस के तहत काउंटरपार्ट संवितरण वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक शुरू हो जाएगा।

अंत में, हम अपनी भावी संवृद्धि को लेकर आशावादी हैं। अनुकूल बाजार स्थितियों का लाभ उठाकर और विवेकपूर्ण ऋण कार्यविधियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए, हम इस वर्ष की भांति आगे भी समान गति से बढ़ने की आशा करते हैं।

निगमित अभिशासन एवं सामाजिक दायित्व

पीएफसी में, हम पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रकटीकरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में, हम कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी की सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों आदि जैसे निगमित अभिशासन फ्रेमवर्क और नीतियों के एक व्यापक फ्रेमवर्क का अनुपालन करते हैं। हमारे पास बोर्ड स्तर और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियां भी हैं, जो हमारी कंपनी के प्रमुख कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में कार्यनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

यह सुनिश्चित करता है कि हमारी कार्य-प्रणालियों का प्रत्येक पहलू उन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है जो अखंडता, निष्पक्षता और जवाबदेह आचरण को बढ़ावा देते हैं।

आभार

शब्दों को विराम देने से पूर्व, मैं अपने उन शेयरधारकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूं जिन्होंने हम पर विश्वास किया है। मैं माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों के समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनकी आभारी हूं। मैं निदेशक मंडल, हमारे ग्राहक यूटिलिटियों, कार्मिकों, विभिन्न मंत्रालयों, निवेशकों, लेखापरीक्षकों, विनियामकों और पीएफसी के अन्य स्टेकधारकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूं।

आइए हम नए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि हमारे प्रयास भारत के लिए उज्जवल, सतत भविष्य में योगदान दे रहे हैं। साथ मिलकर, हम जीवन को रोशन करना, प्रगति को गति प्रदान करना और अपने देश की विकास गाथा पर स्थायी प्रभाव डालना जारी रख सकते हैं।

धन्यवाद, आइए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की आगामी राह को हम और भी विलक्षित बनाएं।

परमिंदर चोपड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक प्रोफाइल

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08530587

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन पर, विद्युत मंत्रालय ने श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले, इन्होंने दिनांक 01.06.2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार संभाला और दिनांक 01.07.2020 से निदेशक (वित्त), पीएफसी के पद पर नियुक्त थीं।

निदेशक (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, इन्होंने वित्त प्रभाग का नेतृत्व किया, जिससे उच्चतम निवल लाभ, उच्चतम नेट वर्थ और निम्नतम एनपीए स्तर प्राप्त हुआ। इस तरह के सुदृढ़ वित्तीय कार्य-निष्पादन ने पीएफसी को महारत्न का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त करने में भी मदद की। इन्होंने विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए ₹1.12 ट्रिलियन लिक्विडिटी इंफ्यूजन स्कीम (एलआईएस) के सफल कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के भाग के रूप में शुरू किया गया था।

इन्हें विद्युत और वित्तीय क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का विविध अनुभव प्राप्त है। पीएफसी में, ये संसाधन जुटाव (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार), बैंकिंग, ट्रेजरी, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान सहित प्रमुख वित्त कार्यों का नेतृत्व कर रही थीं। उनके पूर्व अनुभव में एनएचपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी विद्युत क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में सेवाएं शामिल हैं। इन्हें विद्युत एवं वित्तीय क्षेत्र में अनुभव का एक साथ उपयोग करने और पीएफसी की परिवर्तनकारी यात्रा का नेतृत्व करने की अभूतपूर्व स्थिति में कार्य करने का अवसर मिला।

कार्यभार संभालने के साथ ही, ये विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के वित्तपोषण के अलावा भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के वित्तपोषण में पीएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका को गति प्रदान करेंगी। उनके नेतृत्व में, भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषक के रूप में पीएफसी ने इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, राउंड द क्लॉक जैसे हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय उपकरण विनिर्माण आदि सहित स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की है तथा हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा डेवलपर्स के साथ ₹2.40 लाख करोड़ के समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के प्रमुख वित्तपोषक के रूप में उभर रहे हैं। वे संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमावली सहित भारत सरकार की प्रमुख विद्युत क्षेत्र की पहलों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना जारी रखेंगी।

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक डिग्री है और ये योग्य कॉस्ट एवं मैनेजमेंट एकाउंटेंट हैं। इनके पास बिजनेस मैनेजमेंट में स्नाकोत्तर डिप्लोमा भी है। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध संस्थानों जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए और यूरोपियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में जोखिम प्रबंधन और वैश्विक प्रबंधन पर एडवांस कार्यक्रमों में भाग लिया है।

31.03.2023 तक, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के पास कंपनी के 2000 इक्विटी शेयर थे।

श्री राजीव रंजन झा

निदेशक (परियोजना)

डीआईएन: 03523954

57 वर्षीय श्री राजीव रंजन झा मार्च, 1997 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के साथ कार्यरत हैं।

इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के एनआईटी जमशेदपुर से विज्ञान में स्नातक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) और इग्नू से प्रबंधन में डिप्लोमा किया है। इनके पास कुल मिलाकर 35 वर्षों का अनुभव है और ये 27 मई, 2019 से पीएफसी में कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के पद पर आसीन थे। इससे पूर्व, ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों में राज्य क्षेत्र समन्वय कार्य सहित पश्चिमी क्षेत्र में पीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं। इन्होंने इससे पहले लीड एफआई के रूप में पीएफसी के साथ कन्सोर्शियम लेंडिंग में पूरे ऋण पोर्टफोलियो का कार्य संभाला। इन्होंने पीएफसी के पूरे नवीकरणीय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो को भी बखूबी संभाला है। इन्होंने परियोजना मूल्यांकन (विशेष रूप से स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए) और पीएफसी में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं पर भी काम किया है।

ये परियोजना प्रभाग का समग्र प्रभार संभाल रहे हैं, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन और संरचना, जोखिम विश्लेषण, संवितरण एवं क्रेडिट मॉनीटरिंग, नीति और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े व्यवसाय विकास और परियोजना वित्त कार्य शामिल हैं। एलपीएस के कार्यान्वयन और प्राप्ति पोर्टल के माध्यम से सिस्टम जनित डेटा संकलन करने, कोयले की थर्ड पार्टी सेंपलिंग के लिए सलाहकार पैनल, शक्ति बी (v) {संचालन समिति और बोली मूल्यांकन समिति के सदस्य}, कोयले के आयात के लिए कार्यनीति तैयार करने, अखिल भारतीय दबावग्रस्त परिसंपत्ति की मॉनीटरिंग करने, अन्य के लिए विद्युत मंत्रालय का समर्थन करने में पीएफसी के प्रयासों का नेतृत्व किया।

पीएफसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, इन्होंने नवंबर 1988 से फरवरी 1997 तक विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के साथ कार्य किया है और उनके कोयला आधारित कैप्टिव पावर प्लांट के प्रचालन और रखरखाव और मैटीरियल प्लानिंग में भी काम किया है।

31.03.2023 तक श्री राजीव रंजन झा के पास कंपनी के 16,004 इक्विटी शेयर थे।

श्री मनोज शर्मा

निदेशक (वाणिज्यिक)

डीआईएन: 06822395

57 वर्षीय श्री मनोज शर्मा विधि में डिग्री (एलएलबी) के साथ एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। इन्होंने 1990 में पीएफसी में कार्यग्रहण किया और निदेशक (वाणिज्यिक), पीएफसी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वाणिज्यिक प्रभाग के कार्यपालक निदेशक (प्रभारी) के रूप में काम कर रहे थे। इनके पास विद्युत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पीएफसी में, इन्होंने संस्थागत मूल्यांकन और विकास, एंटिटी अप्रेजल, विधिक और प्रलेखन, कराधान, बजट, लेखापरीक्षा, वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने, वित्तीय विश्लेषण, संसाधन जुटाव, ऋण सिंडिकेशन और विद्युत क्षेत्र में वित्तीय/वाणिज्यिक पहलुओं पर परामर्शी सहित कई क्षेत्रों और डोमेन को संभाला है।

पिछले 3 दशकों के दौरान, ये पीएफसी की ऋण परिसंपत्तियों के पूरे स्पेक्ट्रम से जुड़े रहे हैं, जिसमें ऋण नीतियों का निर्माण, वित्तीय विश्लेषण के लिए एक संगठित प्रारूप के साथ मूल्यांकन का मार्गदर्शन करने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क स्थापित करना, लागू नियामक और सांविधिक फ्रेमवर्क का अनुपालन, मॉनीटरिंग शर्तें, संवितरण की सुविधा, दबावग्रस्त लेखाओं के लिए समाधान तंत्र आदि शामिल हैं। वह पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पीएफसी की सहायक कंपनी, के अध्यक्ष हैं, जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु पीएफसी द्वारा ऋणदाताओं की समर्थित समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए एक एसपीवी है। वह आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में पीएफसी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं।

31.03.2023 तक श्री मनोज शर्मा के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्री अजय तिवारी

सरकारी नामिती निदेशक

डीआईएन: 09633300

53 वर्षीय श्री अजय तिवारी 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव हैं और ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान और विद्युत मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य योजना का कार्य देख रहे हैं। श्री अजय तिवारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर) हैं और वित्तीय प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा हैं। वर्ष 2018 में श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव और श्रम कल्याण महानिदेशक के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पहले, इन्होंने असम और मेघालय राज्यों में विभिन्न पदों पर कार्य किया था। श्री अजय तिवारी को वित्त, शिक्षा, आवास एवं शहरी मामले, खेल, युवा कल्याण, सामान्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, आपदा प्रबंधन और श्रम कल्याण क्षेत्रों में काम करने का व्यापक अनुभव है।

श्री अजय तिवारी का जन्म 5 अगस्त, 1970 को हुआ था और वर्ष 1993 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने से पहले इन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और आयुध निर्माणी, नागपुर में भी थोड़े समय के लिए कार्य किया था।

31.03.2023 तक श्री अजय तिवारी के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्री भास्कर भट्टाचार्य

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 09406292

65 वर्षीय श्री भास्कर भट्टाचार्य वाणिज्य में ऑनर्स ग्रेजुएट और विधि में स्नातक हैं। इनके पास व्यवसाय प्रबंधन में (प्रथम श्रेणी के साथ 2 वर्षीय पूर्णकालिक) डिप्लोमा भी है। ये 28 से अधिक वर्षों से एक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये हुगली टैक्स एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के पूर्व-अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण के सदस्य हैं। इन्होंने निबेदन नाम के एक एनजीओ में महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) के तौर पर भी काम किया है।

31.03.2023 तक, श्री भास्कर भट्टाचार्य के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्रीमती उषा सजीव नायर

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 09408454

47 वर्षीय श्रीमती उषा सजीव नायर कला में स्नातक हैं। ये एक महिला उद्यमी हैं जो दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में अपने स्वयं के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, जो पिछले कुछ समय से कई परिवारों को रोजगार और सहायता प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा, ये जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। कोविड महामारी की अवधि में, इन्होंने अपनी सहायता टीम के साथ संकट में लोगों को भोजन, चिकित्सा आपूर्ति, मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने आदि उपलब्ध करवाए। ये महिलाओं के मुद्दों को उठाने, वृद्ध और बेघर लोगों और अनाथों को मदद देने के कार्य से भी जुड़ी हुई हैं।

31.03.2023 तक श्रीमती उषा सजीव नायर के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्री प्रसन्ना तंत्री

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 06471864

41 वर्षीय श्री प्रसन्ना तंत्री ने मैंगलोर विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है और एक योग्य कॉस्ट एकाउंटेंट हैं। इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी किया है और डीकिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की है। वर्तमान में, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त क्षेत्र में एसोसिएट प्रोफेसर और आईएसबी में विश्लेषणात्मक वित्त केंद्र के कार्यपालक निदेशक हैं। इनके अनुसंधान क्षेत्रों में - बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल कन्टेजन, विनियमन, और राजनीति और वित्त के बीच संबंध शामिल हैं।

31.03.2023 तक श्री प्रसन्ना तंत्री के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकगण,

निदेशक मंडल की ओर से मुझे अपनी कंपनी की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

आपकी कंपनी ने एक और वर्ष का शानदार कार्य-निष्पादन दर्ज किया है और अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं यहां संक्षेप में दर्शाई गई हैं, जिससे कि सभी क्षेत्रों के संबंध में उपलब्धियों का अवलोकन हो सके।

1. पीएफसी की सुदृढ़ संवृद्धि और वित्तीय दृढ़ता: एक हरित भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत

i. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में प्रवेश - भारत की विकास गाथा रचने में एक कदम आगे

- आपकी कंपनी को भारत सरकार से लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में ऋण देने की सहमति प्राप्त हुई है, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो पीएफसी के दीर्घावधि विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- अगस्त, 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण देने के लिए अनुमोदन प्राप्त होने से लेकर, पीएफसी ने अपने प्रारंभिक वर्ष में 31 मार्च, 2023 तक लगभग ₹16,647 करोड़ संस्वीकृत किए हैं और ₹1,016 करोड़ का ऋण संवितरित किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, पीएफसी ने विलवणीकरण संयंत्रों, बंदरगाहों, मेट्रो रेल आदि नए क्षेत्रों में प्रवेश किया है।

ii. वर्ष-दर-वर्ष सुदृढ़ वित्तीय कार्य-निष्पादन - शेयरधारकों के लिए अधिकतम मूल्य

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹10,022 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16% की वृद्धि, अर्थात ₹11,605 करोड़ के साथ अब तक का सबसे अधिक पीएटी है।
- 31 मार्च, 2022 तक, ₹59,350 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2023 तक ₹68,202 करोड़ के वृद्धिशील लाभ के संबंध में 15% तक नेट वर्थ में वृद्धि हुई।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त कुल आय 2.78% बढ़कर ₹39,666 करोड़ हुई।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹10 प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर ₹4.50 की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 45% की दर से अंतिम लाभांश (₹1,188.04 करोड़) की सिफारिश की है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹10 प्रत्येक के ₹8.75 प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम लाभांश (₹2,310.07 करोड़) का भुगतान किया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए घोषित कुल लाभांश ₹3,498.11 करोड़ है, अर्थात ₹10 प्रत्येक के ₹13.25 प्रति इक्विटी शेयर हैं।
- पीएफसी को 'पब्लिक सर्विसेज एंटीटीज श्रेणी' में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रस्तुत लेखा/वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कार (बीपीए) में साफा स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ।

नई दिल्ली में 37वीं वार्षिक आम बैठक में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ श्री अजय तिवारी, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय, श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना), श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक), श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक, श्री प्रसन्ना तंत्री, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती सिम्मी आर. नाकरा, सीवीओ।

iii. निरंतर और सतत विकास

- ऋण परिसंपत्ति बही में 13% की वृद्धि दर्ज की गई, अर्थात 31 मार्च, 2022 तक ₹3,73,135 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2023 तक ₹4,22,498 करोड़।
- अपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य, केंद्र, निजी और संयुक्त क्षेत्र संस्थाओं को ₹2,31,625 करोड़ की राशि का कुल ऋण संस्वीकृत किया गया और समान अवधि के दौरान ₹85,756 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया।
- विलंब भुगतान अधिभार नियमावली के अंतर्गत, 31 मार्च, 2023 तक पीएफसी ने ₹47,906 करोड़ संस्वीकृत किए और ₹16,764 करोड़ संवितरित किए।

iv. स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता

- दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में निरंतर प्रयासों से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों में 21% की तीव्र कटौती हुई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.76% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.07% का निवल एनपीए अनुपात है।
- वर्ष के दौरान, पीएफसी ने चार चरण III ऋणों का सफलतापूर्वक समाधान किया अर्थात सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, साउथ-ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, झाबुआ पावर लिमिटेड और इंड बराथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड। समाधान की तिथि से पूर्व कुल बकाया मूलधन ₹4,634 करोड़ है।

v. वैश्विक और हरित ऋण पर बल

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पीएफसी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ 30 बिलियन जेपीवाई के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, पीएफसी और जेबीआईसी के बीच 2.65 बिलियन जेपीवाई के लिए एक परियोजना ऋण करार (पीएलए) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। जेबीआईसी ने 'ग्लोबल एक्शन फॉर रिकन्साइलिंग इकॉनोमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रेजर्वेशन' (ग्रीन) नामक अपनी पहल के अंतर्गत यह दीर्घावधि सुविधा प्रदान की है। इस प्रकार, इस सुविधा के अंतर्गत निधियों का उपयोग इसके नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।
- वर्ष के दौरान 1.60 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा ऋण का जुटाव किया गया:
  - 1.02% पर 875 मिलियन यूएस डॉलर के समान जेपीए मूल्य वर्ग में ऋण - एक लेनदेन में पीएफसी द्वारा जुटाई गई सबसे बड़ी एफसीएल।
  - 4.96% पर 720 मिलियन यूएस डॉलर का एफसीएनआरबी ऋण-यह पहली बार था, जब पीएफसी ने स्वैप के साथ यूएस डॉलर में एफसीएनआरबी जुटाया।
- बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त किया।
  - 20 वर्षों के अंतराल के बाद केएफडब्ल्यू से 58.74 मिलियन यूरो प्राप्त किया।

2. वित्तीय सारांश

i. लाभप्रदत्ता

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
कुल आय	**39,665.63**	**38,591.17**	**77,625.19**	**76,344.92**
कर पूर्व लाभ	**14,170.62**	**12,227.65**	**26,496.07**	**23,382.22**
कर व्यय	2,565.15	2,205.75	5,317.48	4,614.01
कर पश्चात लाभ	**11,605.47**	**10,021.90**	**21,178.59**	**18,768.21**
कंपनी के स्वामी			15,889.33	14,014.79
गैर-नियंत्रित ब्याज			5,289.26	4,753.42
कुल व्यापक आय	**11,445.80**	**10,202.73**	**20,047.88**	**18,889.78**
कंपनी के स्वामी			15,218.55	14,163.78
गैर-नियंत्रित ब्याज			4,829.33	4,726.00

ii. आरक्षित और अधिशेष निधियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित*	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
अधिशेष निधियों का प्रारंभिक शेष	8,863.49	7,203.86	12,757.10	9,760.52
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	11,605.47	10,021.90	15,889.33	14,014.79
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(2.68)	(3.70)	(5.04)	(6.98)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक)(ग) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व के निमित्त अंतरण	(529.39)	(576.44)	(529.39)	(576.44)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व में अंतरण	(2,372.31)	(2,423.45)	(3,780.27)	(4,044.97)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित*	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व में अंतरण	(2,321.09)	(2,004.38)	(3,484.93)	(3,062.34)
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में अंतरण	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-	-	-
ब्याज डिफरेंशियल रिजर्व- केएफडब्ल्यू ऋण (निवल) में अंतरण	(0.90)	(1.42)	(0.90)	(1.42)
लाभांश	(2,640.08)	(3,366.10)	(2,640.08)	(3,366.10)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-
उपयोग के आधार पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से अंतरण	-	-	-	-
ओसीआई - इक्विटी उपकरण से अंतरण	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-		
ओसीआई पर मापित इक्विटी उपकरण की बिक्री से लाभ/हानि का पुनर्वर्गीकरण	46.13	13.22	48.77	58.90
सामान्य नियंत्रण व्यवसाय मिश्रण के लिए ब्याज लेखांकन की पूलिंग	-	-	-	-
क्षतिग्रस्तता रिजर्व (इम्पेयरमेंट रिजर्व)	-	-	-	-
समायोजन	-	-	(18.30)	(18.86)
अधिशेष निधियों का अंतिम शेष	**12,648.64**	**8,863.49**	**18,236.28**	**12,757.10**

* कंपनी (पीएफसी) के स्वामियों पर आरोप्य

3. प्रचालनात्मक सारांश

i. परिसंपत्ति गुणवत्ता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
सकल ऋण परिसंपत्तियां	4,22,498	3,73,135
चरण III परिसंपत्तियां	16,502	20,915
चरण III परिसंपत्तियां के लिए प्रावधान	11,999	14,344
सकल ऋण परिसंपत्तियों के % के रूप में सकल चरण III	3.91%	5.61%
सकल ऋण परिसंपत्तियों के % रूप में निवल चरण III	1.07 %	1.76%

ii. संस्वीकृतियां/ संवितरण (आरडीएसएस/आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2021-22	
श्रेणी	संस्वीकृतिया	संवितरण	संस्वीकृतिया	संवितरण
राज्य क्षेत्र	149,300	57,963	36,197	41,512
केंद्रीय क्षेत्र	26,704	3,063	63	10
संयुक्त क्षेत्र	19,418	2,300	6,743	773
निजी क्षेत्र	36,203	22,430	8,613	8,947
कुल	**2,31,625**	**85,756**	**51,616**	**51,242**

4. ऋण

i. घरेलू बाजार से ऋण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पीएफसी ने 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ बॉण्डों सहित प्राइवेट प्लेसमेंट बॉण्डों और घरेलू बाजार से रुपया सावधि ऋण के द्वारा ₹62,297.47 करोड़ जुटाए हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जारी उक्त बॉण्डों का उद्देश्य/प्रयोजन निधिगत अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पीएफसी के संसाधनों को बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू बाजार से लिए गए प्रमुख ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

स्रोत	राशि
बॉण्ड (54 ईसी सहित)	44,697.47
रुपया सावधि ऋण	17,600.00
कुल	**62,297.47**

इसके अतिरिक्त, पर्याप्त लिक्विडिटी रखने के लिए, विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कंपनी को, समान्यतः बिना किसी प्रतिबद्धता शुल्क के, अल्पावधि वित्तपोषण के लिए 31 मार्च, 2023 तक ₹12,150 करोड़ की क्रेडिट लाइन संस्वीकृत की गई थी।

आरबीआई ने एनबीएफसी(यों) के लिए लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) फ्रेमवर्क निर्धारित किया है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में लिक्विडिटी बफर को बनाए रखना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनबीएफसी के पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र लिक्विडिटी दबाव परिदृश्य से बचने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली लिक्विडिटी परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) हो। पीएफसी निर्धारित एचक्यूएलए के रूप में पर्याप्त लिक्विडिटी बफर रखता है।

ii. विदेशी ऋण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग ऋण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्रोत	मूल्य
1.	विदेशी मुद्रा सावधि ऋण	7,258.77
2.	विदेशी मुद्रा अनिवासी ऋण	5,930.87
3.	केएफडब्ल्यू से ऋण- ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) रूट के माध्यम से	516.58
	कुल	**13,706.23**

हरित बॉण्ड

पीएफसी ने अक्तूबर 2017 में जलवायु बॉण्ड पहल (सीबीआई), लंदन, यूके से यथानुमोदित अपने हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क को शुरू किया। नवीकरणीय परियोजनाओं (अर्थात सौर और पवन) के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क को अगस्त, 2021 को अद्यतन किया गया है ताकि नवीनतम दिशानिर्देशों के साथ संरेखित किया जा सके जैसे क्लाइमेट बॉण्ड स्टैंडर्ड वर्जन 3.0, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (आईसीएमए) द्वारा जारी ग्रीन बॉण्ड प्रिंसिपल (जीबीपी), 2021। इस संबंध में, पीएफसी और जलवायु बॉण्ड पहल के बीच एक करार निष्पादित किया गया था।

पीएफसी ने अपना पहला यूएसडी ग्रीन बॉण्ड दिसंबर, 2017 में जारी किया और 3.75% के कूपन पर 400 मिलियन यूएस डॉलर (₹2,575 करोड़) की राशि जुटाई तथा ये बॉण्ड लंदन शेयर बाजार के नए इंटरनेशनल सिक्यूरिटीज मार्केट (आईएसएम) और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, सितंबर, 2021 में पीएफसी ने 1.841% के कूपन पर 300 मिलियन यूरो (₹2,597 करोड़) की राशि का अपना पहला यूरो ग्रीन बॉण्ड जारी किया और ये बॉण्ड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी में सूचीबद्ध हैं। पीएफसी के ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपेक्षित बॉण्डधारकों के लिए वार्षिक अद्यतन जानकारी इस प्रकार है:-

जेबीआईसी मुख्यालय, टोक्यो, जापान में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ जेपीवाई 2.65 बिलियन के परियोजना ऋण करार (पीएलए) के हस्ताक्षर समारोह में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

ग्रीन बॉण्ड के अंतर्गत जुटाई गई राशि का उपयोग पीएफसी ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया। 31 मार्च, 2023 तक पीएफसी से वित्तपोषित सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं का बकाया ऋण शेष क्रमश: ₹14,765 करोड़ और ₹13,422 करोड़ था। 31 मार्च, 2023 तक पीएफसी से वित्तपोषित सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं की बकाया कुल क्षमता (मेगावाट) 9,324 मेगावाट है। तदनुसार, पीएफसी का ग्रीन बॉण्ड पोर्टफोलियो, हरित बॉण्ड जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि से अधिक है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय एजेंसियों से बकाया शेष इस प्रकार है:

विवरण	राशि
केएफडब्ल्यू	यूरो 63,428,374.05*
क्रेडिट नेशनल	यूरो 2,104,961.44
एडीबी	यूएस डॉलर 6,245,707.13

* इसमें डिस्कॉम निवेश सुविधा (ओडीए ऋण- बिना सरकारी गारंटी के) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में केएफडबल्यू द्वारा संवितरित किए गए 58,747,000.56 यूरो शामिल हैं।

5. क्रेडिट रेटिंग

आपकी कंपनी को 31 मार्च, 2023 तक घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सर्वोच्च रेटिंग और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सॉवरेन रेटिंग दी गई है:

क्र.सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ऋण कार्यक्रम)			
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	सीएआरई (केयर)	केयर एएए	केयर ए1+
अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जारीकर्ता रेटिंग)			
1.	फिच रेटिंग्स	बीबीबी-	
2.	मूडीज	बीएए3	

आपकी कंपनी को विश्वास है कि ये क्रेडिट रेटिंग हमारे ऋणदाताओं के साथ मजबूत संबंध विकसित करने और प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां ऋण के रूप में लेने में हमें समर्थ बनाएगी।

6. भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन

आपकी कंपनी को केवल दो वित्तीय वर्षों को छोड़कर वित्तीय वर्ष 1993-94 से ही भारत सरकार द्वारा लगातार 'उत्कृष्ट रेटिंग' प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट रेटिंग' प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 की रेटिंग अभी दी जानी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, कुछ प्रमुख एमओयू पैरामीटरों पर (समेकित आधार पर) आपकी कंपनी की उपलब्धि निम्नानुसार रही है:

एमओयू पैरामीटर	उपलब्धि
प्रचालनों से राजस्व	₹ 77,568.30 करोड़
कुल उपलब्ध निधियों में संवितरित ऋण	99.99%
कुल ऋणों के लिए अतिदेय ऋण	0.11%
कुल ऋण से एनपीए	1.07%
समान रेटिंग वाले सीपीएसई/संस्थाओं की तुलना में बॉण्डों के माध्यम से निधियां जुटाने की लागत (मार्जिन ओवर रॉटर्स)	-16.69 बीपीएस

7. सहायक कंपनियां

क. आरईसी लिमिटेड

31 मार्च, 2023 तक आरईसी की निम्नलिखित सहायक कंपनियां भी पीएफसी की सहायक कंपनियां हैं:

i. आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
ii. बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
iii. चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
iv. दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
v. कोडरमा ट्रासंमिशन लिमिटेड
vi. मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड
vii. सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड
viii. रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड
ix. ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
x. मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
xi. लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
xii. नेरेस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
xiii. खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड
xiv. केपीएसआई ट्रांसमिशन लिमिटेड

आरईसी भी एक महत्वपूर्ण (गैर-जमा स्वीकारकर्ता या धारक) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में चाहे उत्पादन, पारेषण या वितरण हो, और साथ ही लॉजिस्टिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आरईसी राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य विद्युत संस्थाओं, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी और निजी क्षेत्र की एंटिटियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी की कुल आय ₹39,520 करोड़ थी और एकल (स्टैंडअलोन) आधार पर निवल लाभ ₹11,167 करोड़ था।

आरईसी के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन के बारे में अधिक ब्यौरा इसकी वेबसाइट www.recindia.nic.in. पर उपलब्ध है।

ख. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

आपकी कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को परामर्शी सेवा उपलब्ध करा रही है, जो इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है। पीएफसीसीएल मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराती है:

- **लेनदेन संबंधी परामर्श:** विद्युत क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में लेनदेन संबंधी परामर्श सेवाओं में शुरू से लेकर अंत तक (एंड-टू-एंड) समाधान (विक्रेताओं/ डेवलपरों का चयन, सुधार एवं पुनर्निर्माण, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं, संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत वितरण का निजीकरण, समाधान योजना)
- **परियोजना विकास:** परियोजना विकास और भारत सरकार की विभिन्न पहलों का कार्यान्वयन (अल्ट्रा-मेगा पावर परियोजनाएं, अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क, स्वामी का इंजीनियर, ऋणदाता का स्वतंत्र इंजीनियर, ऋणदाता का बीमा सलाहकार, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के लिए निर्माण जोन की स्थापना।)
- **पीएमए/ पीएमसी/ भारत सरकार की योजनाएं:** परियोजना प्रबंधन और परिवर्तन एजेंट, जिसमें संशोधित सुधारों और हानि को कम करने के लिए लक्षित सुधारों पर बल दिया गया (संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, विद्युत

की खरीद, दीप पोर्टल, शक्ति योजना के तहत कोयला लिंकेज नीलामी, पायलट योजना, प्राप्ति पोर्टल, एकीकृत विद्युत विकास योजना)

- **स्मार्ट समाधान:** कार्य-निष्पादन और प्रक्रियाओं, उत्पादन और सक्रिय नियोजन (स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा पोर्टफोलियों प्रबंधन) में सुधार के लिए स्मार्ट समाधान
- **नीति निर्माण सहायता:** नीतियों, विनियामक फ्रेमवर्क तथा दिशानिर्देशों एवं एसबीडी(यों) के निर्माण के लिए सरकार/विनियामकों को सहायता
- **अन्य सेवाएं:** कार्यनीति, विनियामक, टैरिफ सहायता, निधि जुटाव और विद्युत क्षेत्र के अन्य पहलु

पीएफसीसीएल ने अब तक पूरे देश में मौजूद ग्राहकों को परामर्शी सेवा उपलब्ध कराई है। अब तक पूरे किए गए कुल कार्यों की संख्या 200 से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पीएफसीसीएल की कुल आय ₹139.66 करोड़ थी और अर्जित निवल लाभ ₹63.80 करोड़ था। 31 मार्च, 2023 तक पीएफसीसीएल का नेट वर्थ ₹163.09 करोड़ था।

आपकी कंपनी को विद्युत मंत्रालय द्वारा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है और इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी अर्थात पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए 'निविदा प्रक्रिया समन्वयक' के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों ने पीएफसीसीएल को अपनी अंतरा-राज्यीय पारेषण योजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है।

31 मार्च, 2023 तक पीएफसीसीएल की सहायक कंपनियों के रूप में निम्नलिखित विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) शामिल किए गए हैं:

i. बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (स्ट्राइक ऑफ की प्रक्रिया के तहत)
ii. अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
iii. छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
iv. फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड
v. फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड
vi. भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड
vii. फतेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
viii. ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड
ix. सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड

ग. पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पीएफसी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी, कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (सीकेपीएल), की स्थापना भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार, कर्नाटक राज्य में यूएमपीपी के विकास के लिए की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीकेपीएल के करार-ज्ञापन (एमओए) में संशोधन किया गया है ताकि पीएफसी द्वारा ऋणदाता सहायता समाधान योजना में बोली लगाई जा सके और इसका नया नाम पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) रखा गया है।

नई दिल्ली में ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (बीएमपीएल) को लीज पर दिए गए यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की पहली खेप को हरी झंडी दिखाते हुए श्री आर.एस. ढिल्लों, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी और श्री अजय तिवारी, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय।

घ. यूएमपीपी के विकास के लिए स्थापित अन्य सहायक कंपनियां

i. कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
ii. उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
iii. सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
iv. घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
v. देवघर मेगा पावर लिमिटेड
vi. चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
vii. ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
viii. देवघर इंफ्रा लिमिटेड
ix. बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
x. बिहार मेगा पावर लिमिटेड
xi. झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

8. एक बहु-आयामी जोखिम फ्रेमवर्क के माध्यम से सक्रिय जोखिम प्रबंधन

i. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने पीएफसी में लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति के अनुरूप एक सशक्त एवं प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। लिक्विडिटी जोखिम का मापन और मॉनीटरिंग नकदी प्रवाह के माध्यम से तथा ब्याज दर जोखिम की मॉनीटरिंग पारंपरिक अंतराल विश्लेषण तकनीक के माध्यम से की जाती है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में विस्तार से दिया गया है। यह विश्लेषण विभिन्न समयावधि (बकेट) में किया जाता है और इसका उपयोग ऋणों के समय,मात्रा और परिपक्वता तथा समयावधि (अल्प, मध्यम, दीर्घ) और निर्धारित एवं परिवर्तनीय (फ्लोटिंग) ब्याज दर के आधार पर परिसंपत्ति और देयताओं के मिलान संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किया जाता है। परिसंपत्ति देयता परिपक्वता पैटर्न का विवरण, इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल एकल वित्तीय विवरणों की लेखांकन टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 53.1 में दिया गया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई पीएफसी की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति के अनुसार फंक्शनल निदेशकों की एक एएलएम समिति गठित की गई है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त) को समिति के अध्यक्ष और श्री आर. आर. झा, निदेशक (परियोजना) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित जोखिम के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋण पर जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है। कंपनी ने विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए विभिन्न लिखतों के माध्यम से फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वैप जैसे कई हेजिंग लेन-देन किए हैं।

31 मार्च, 2023 तक, कुल बकाया विदेशी मुद्रा देयताएं 7,852 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं और मुद्रा-वार मूल्यवर्ग ऋण 5,841 मिलियन यूएस डॉलर, 1,32,381 मिलियन जेपीवाई और 932 मिलियन यूरो हैं। कुल विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफोलियों में से 4,959 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात 63% हेज्ड हैं। इसके अतिरिक्त, 5 वर्ष तक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियों का 82% हेज किया गया है।

iii. एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन

कंपनी में संभावित जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएम नीति) लागू की गई है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए, आपकी कंपनी ने जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है। आईआरएम नीति के अंतर्गत, कंपनी को उन मुख्य जोखिमों की पहचान करनी होती है, जिसका असर कंपनी के लाभ/राजस्व पर पड़ सकता है। इस संदर्भ में, कंपनी ने 11 महत्वपूर्ण जोखिम पैरामीटरों की पहचान की है, जिनके उभरने की आशंका कंपनी के व्यापार मॉडल और वित्तीय लिखतों में संभव हो सकती है। इन जोखिम मापदंडों में कंपनी के समक्ष आने वाले बड़े प्रचालनात्मक जोखिम, वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, विनियामक जोखिम आदि आते हैं तथा इनका मूल्यांकन जोखिम मूल्यांकन मानदंड पर नियमित रूप से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त में कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलु शामिल होंगे जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान भी शामिल है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एन) के तहत अपेक्षाएं शामिल होंगी।

9. पीएफसी, विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने में भारत सरकार का एक कार्यनीतिक भागीदार

i. संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के साथ इसमें सम्मिलित)

आपकी कंपनी जुलाई, 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी सम्मिलित) और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने सहित, विद्युत क्षेत्र हेतु भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल है।

विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार ने 20 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रचालन क्षमता और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता, वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करने और पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और सुधारों में मूल न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग में सुधार के लिए 'संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) - एक सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र योजना' के कार्यान्वयन के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के संबंध में सूचित किया है। पीएफसी और आरईसी (पीएफसी की सहायक कंपनी) समय-समय पर अंतर-मंत्रालयी मॉनीटरिंग समिति/विद्युत मंत्रालय के आरडीएसएस दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार योजना के प्रचालन के लिए नामित नोडल एजेंसियां हैं। नोडल एजेंसियां मॉनीटरिंग समिति द्वारा इसके शुल्क के रूप में अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं के सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) घटक के कुल योग के 0.50% के लिए पात्र हैं। पीएफसी योजना के अंतर्गत 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नोडल एजेंसी है। आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत जारी अनुमोदित परियोजनाओं को आरडीएसएस में समाहित कर दिया गया है। निजी क्षेत्र की कंपनियों को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्युत विभाग, योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। योजना की कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) है।

योजना के उद्देश्य

क) वित्तीय रूप से टिकाऊ और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना।

ख) अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानि को 2024-25 तक 12-15% तक कम करना।

ग) एसीएस-एआरआर अंतर को 2024-25 तक शून्य करना।

योजना के कार्यक्षेत्र

योजना के दो भाग हैं:

- क) **भाग-क** में मीटरिंग कार्य (उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग) और वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य (हानि में कमी; आधुनिकीकरण और सिस्टम वृद्धि घटक) शामिल हैं।
- ख) **भाग-ख** में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य समर्थकारी और सहायक गतिविधियों को शामिल किया गया है।

परिव्यय और बजटीय सहायता

इस योजना का परिव्यय ₹3,03,758 करोड़ है जिसमें भारत सरकार से ₹97,931 करोड़ की अनुमानित सकल बजटीय सहायता शामिल है।

आरडीएसएस के अंतर्गत निधि की संस्वीकृति के आधार पर भारत के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का लक्ष्य:

- लगभग 500 नए सबस्टेशन
- 4,00,000 से अधिक वितरण ट्रांसफार्मर
- लगभग 7.5 लाख सीकेएम एबी और एक्सएलपीई केबल
- लगभग 7 लाख सीकेएम ओवरहेड लाइनें
- 20 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर

पीएफसी को आबंटित राज्यों में आरडीएसएस के अंतर्गत वित्तीय सहायता (31 मार्च, 2023 तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना	वित्तीय वर्ष 2022-23		मार्च, 2023 तक संचित	
	अनुमोदित लागत	संवितरित भारत सरकार निधि	अनुमोदित लागत	संवितरित भारत सरकार निधि
आरडीएसएस	54,534	1,142	1,16,951	1,679

अन्य पहल

- आरडीएसएस के अंतर्गत ऑटोमेशन और ईआरपी परियोजनाओं के लिए मॉडल बोली दस्तावेज तैयार करके राज्यों की सहायता।
- आरडीएसएस के अंतर्गत एनपीटीआई, फरीदाबाद में राष्ट्रीय स्काडा संसाधन केंद्र (एनएसआरसी) के रूप में एक उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने पर कार्य, ताकि विविध ओईएम द्वारा आपूर्ति की गई स्काडा/डीएमएस प्रणालियों में वितरण कार्यबल के तकनीकी और प्रचालनात्मक कौशल का विकास हो सके।
- पीएफसी (अपनी सहायक कंपनी अर्थात आरईसी के साथ) ने एक एकीकृत वेब पोर्टल विकसित किया है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ-साथ पीएफसी/आरईसी द्वारा प्रकाशित की जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण रिपोर्टों, यथा आरडीएसएस योजना, डिस्कॉम एकीकृत रेटिंग (आईआर) रिपोर्ट, डिस्कॉम निष्पादन रिपोर्ट, डिस्कॉम की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी), प्राप्ति पोर्टल, ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि के लिए एकल संस्करण के रूप में काम करेंगे।
- पीएफसी द्वारा एनपीटीआई को अनुबंधित करके आरडीएसएस के अंतर्गत डिस्कॉम कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मार्च, 2023 तक 175 प्रशिक्षण कार्यक्रम एनपीटीआई के माध्यम से चलाए गए थे, जिसमें 6,490 डिस्कॉम कार्मिक शामिल थे।
- पीएफसी द्वारा विभिन्न पीएफसी सीएसआर कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न जॉब संबंधी भूमिकाओं पर 1,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करके आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम चलाकर कार्यबल के कौशल विकास में सहायता की जा रही है।
- पीएफसी ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) की भागीदारी से क्षेत्र के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में विद्युत वितरण संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म, साउथ एशिया डिस्ट्रिब्यूशन यूटिलिटीज नेटवर्क (डीयूएन) शुरू किया है। पीएफसी दक्षिणी एशिया ऊर्जा भागीदारी (एसएआरईपी) कार्यक्रम के माध्यम से यूएसएआईडी से तकनीकी सहायता के साथ एंकर संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
- पीएफसी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से फोरन कॉमनवेल्थ एंड डवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ), यूके सरकार की तकनीकी सहायता से डिजीटल यूटिलिटी मैनेजर (डीयूएम) प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। कार्यक्रम का लक्ष्य डिस्कॉमों में सक्रिय प्रौद्योगिकी अंगीकरण करना है, ताकि स्मार्ट ग्रिड, एएमआई, ईवी, ऊर्जा भंडारण, एआई/एमएल ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स आदि जैसी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के साथ अधिकतम लचीलापन लाकर सीखने के माध्यम में बदलाव लाया जा सके।
- पीएफसी बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाएं शामिल करने में भी डिस्कॉमों को सहायता दे रहा है।

आरडीएसएस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार/डिस्कॉमों द्वारा किए गए विभिन्न सुधारपरक उपायों के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अखिल भारतीय औसत एटी एंड सी हानियों में वित्तीय वर्ष 2022 में 16.5% का सुधार आया है (11वीं एकीकृत एकीकृत रेटिंग रिपोर्ट पर आधारित आंकड़े) जो कि वित्तीय वर्ष 2021 में 21.5% से काफी कमतर हैं। इसके अलावा, एसीएस-एआरआर अंतराल, जिसमें प्रति यूनिट नकदी-समायोजित राजस्व अंतराल प्रदर्शित होता है, में भी वित्तीय वर्ष 2021 में 89 पैसे प्रति यूनिट ऊर्जा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में 40 पैसे प्रति यूनिट ऊर्जा में काफी सुधार आया है। इसके अलावा, टैरिफ आदेश दायर करने और जारी करने, तिमाही और वार्षिक लेखा रिपोर्ट डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत करने की अनुपालना में काफी सुधार आया है।

आरडीएसएस योजना के तहत इंदौर, मध्य प्रदेश में 33/11 केवी जीआईएस सबस्टेशन चालू किया गया।

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (सम्मिलित आर-एपीडीआरपी सहित)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता/प्रणाली मीटरिंग, आईटी समर्थित वितरण क्षेत्र, डिजिटल टेक्नोलॉजी पहल, नई और नवोन्मेषी टेक्नोलॉजी आदि को गति प्रदान करने के लिए शुरू की गई आईपीडीएस को पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल की गई (आर-आरपीडीआरपी सहित) को आरडीएसएस योजना में मिला दिया गया था। योजनाएं मार्च, 2022 में पूरी हो गई हैं।

आईपीडीएस (सम्मिलित आर- एपीडीआर सहित) की उपलब्धियां:

- योजना से देश के ऐसे 3,600 कस्बों में रह रहे करीब 10 करोड़ शहरी विद्युत उपभोक्ताओं के जीवन में अंतर लाने में सहायता मिली है, जहां पर विद्युत वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत किया गया है।
- आईटी और तकनीकी हस्तक्षेपों के साथ-साथ योजनाओं के तहत किए गए प्रशासनिक और अन्य उपायों से समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने के लिए बिलिंग/कलेक्शन क्षमता में सुधार लाने में सहायता मिली है।
- राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल के अंतर्गत शहरी वितरण मॉनीटरिंग प्रणाली पर आईटी सक्षम शहरों में लगभग 36,000 शहरी फीडर (11 केवी) से डेटा कैप्चर करने के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।
- फीडर स्तर पर विश्वसनीयता सूचकांकों के संदर्भ में डेटा कैप्चर करने के लिए लगभग 15,000 फीडरों को कवर करते हुए वास्तविक समय डेटा एक्विजिशन सिस्टम स्थापित किया गया है।
- 92 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन (जीआईएस) और हाइब्रिड पीएसएस कमिशन/उन्नत किए गए हैं। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह के सब स्टेशन पहली बार स्थापित किए गए हैं।
- आईपीडीएस के अंतर्गत देश में लगभग 10 लाख स्मार्ट/प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं।
- '1912' - 'विद्युत संबंधी शिकायतें' के लिए शॉर्ट-कोड अब सभी डिस्कॉम में चालू है।
- आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत डिजिटल साधनों का उपयोग करते हुए विद्युत संस्थाओं के कर्मियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण किया गया है ताकि एटी एंड सी हानि में कमी, स्मार्ट मीटरिंग, परियोजना प्रबंधन, दिशानिर्देश, सर्वोत्तम प्रथाओं आदि पर कार्यशालाओं/वेबिनार के माध्यम से उनके कौशल को बढ़ाया जा सके।

इस प्रकार, आपकी कंपनी भारत के लोगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने और वितरण संस्थाओं की प्रचालन दक्षता और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार लाने में योगदान दे रही है।

ii. विलंब भुगतान अधिभार नियमावली, 2022

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 3 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना के तहत 'विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संगत मामले) नियमावली, 2022' (एलपीएस नियमावली) अधिसूचित की है। इन नियमों के तहत उत्पादन कंपनियों, अंतर राज्य पारेषण लाइसेंसधारियों और विद्युत व्यापार लाइसेंसधारियों की बकाया देय राशियों का निपटान करने के लिए एक व्यवस्था प्रदान की गई है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को विद्युत मंत्रालय द्वारा एलपीएस नियमावली, 2022 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। पीएफसी की जिम्मेदारी नियमित समीक्षा और मॉनीटरिंग करने सहित इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में सभी क्रियाकलापों की होगी।

नियमों के परिचालन के लिए, 'प्राप्ति' पोर्टल (पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा विकसित और प्रबंधित) एक सूचना पोर्टल के रूप में कार्य करता है, जिसमें आपूर्तिकर्ता इनवॉइस का ब्यौरा डालते हैं और डिस्कॉम संबंधित भुगतान की राशि को अद्यतन करते हैं ताकि देश में विद्युत बिलों के इनवॉइस और भुगतान की जांच सुनिश्चित हो सके। 'प्राप्ति' पर उपलब्ध सूचना के आधार पर ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एलपीएस नियमावली, 2022 के तहत चूककर्ता डिस्कॉमों पर नियंत्रण रखा जाता है।

विद्युत (एलपीएस और संगत मामले) नियमावली, 2022 लागू होने के साथ ही, उत्पादन कंपनियों, पारेषण कंपनियों और व्यापारियों सहित आपूर्तिकर्ताओं की बकाया राशियों की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखने में आया है। दिनांक 03.06.2022 तक पुरानी बकाया ₹1,39,747 करोड़ की राशि में से 13 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों ने ₹69,790 करोड़ की किस्तों (12 ईएमआई) में भुगतान कर दिया है। इन 13 राज्यों में से 11 राज्यों के डिस्कॉमों में पीएफसी/आरईसी से ऋणों के लिए विकल्प दिया है (कुल ₹1,05,065 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया गया है)। इसके अलावा, 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने दिनांक 03.06.2022 तक कोई भी बकाया राशि शेष नहीं होने की सूचना दी है।

एलपीसी नियम, 2022 के अंतर्गत विनियमों के आलोक में, वितरण कंपनियां समय पर अपनी देय राशियों का भुगतान कर रही हैं। नियम लागू होने के बाद से 24 जुलाई, 2023 तक, ₹4,85,041 करोड़ की कुल बकाया राशि का निष्पादन कर दिया गया है, जबकि कुल बिल राशि ₹5,60,366 करोड़ है (विवादित इनवॉइस सहित पुरानी बकाया राशियों के लिए ईएमआई के भुगतान को छोड़कर)।

iii. स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)

विद्युत मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से पारेषण प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया भी शुरू की है।

इस पहल का उद्देश्य भारत में पारेषण क्षमता विकसित करना और ऐसी परियोजनाओं को विकसित करने के बाद प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य करने, मार्ग की पहचान करने, सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार करने, सब स्टेशनों, यदि कोई हो, के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने, यदि आवश्यक हो, तो वन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करने, आदि के चरण पर लाकर संभावित निवेशकों को आकर्षित करना है।

विद्युत मंत्रालय ने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) को स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में नामित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा आईटीपी के लिए 49 एसपीवी स्थापित किए गए हैं।

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित 9 कंपनियों/आईटीपी-एसपीवी को निगमित किया गया था:

i. सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड
ii. फतेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

iii. ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड
iv. खंदूखाल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड - हस्तांतरित
v. फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड
vi. भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड
vii. फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड
viii. रायपुर पूल धमत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड - हस्तांतरित
ix. धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड - हस्तांतरित

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पारेषण परियोजनाओं के विकास के लिए स्थापित किए गए निम्नलिखित एसपीवी को टीबीसीबी के माध्यम से चुने गए सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिया गया है:

i. खेतड़ी-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड
ii. खंदूखाल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड
iii. किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
iv. भादला-सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
v. रायपुरा पूल धमत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड
vi. धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, 49 एसपीवी में से 36 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए थे और 8 एसपीवी के लिए बोली प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय द्वारा योजनाओं का अधिसूचना रद्द किए जाने के कारण, 4 एसपीवी बंद कर दिए गए थे और 1 एसपीवी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

iv. अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के अंतर्गत सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता वाली प्रत्येक अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) का विकास किया गया है, जिसके लिए मंत्रालय ने आपकी कंपनी को 'नोडल एजेंसी' और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को तकनीकी भागीदार के रूप में नामित किया है।

बोली प्रक्रिया के प्रचालन के लिए आवश्यक समुचित विनियामक और भूमि, जल, कोयला ब्लॉक, पर्यावरण संबंधी अन्य मंजूरी हेतु पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) विद्युत मंत्रालय और सीईए के साथ मिलकर आवश्यक आरंभिक साइट जांच और भूमि अधिग्रहण तथा स्थल अध्ययन गतिविधियां संचालित करती है। सफल बोलीदाता से इन परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन की अपेक्षा की जाती है।

आपकी कंपनी ने 14 यूएमपीपी के लिए कुल 19 पूर्ण स्वामित्वाधीन विशेष प्रयोजनीय वाहन स्थापित किए हैं। इनमें से 4 यूएमपीपी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और 4 यूएमपीपी को बंद कर दिया गया है।

बंद यूएमपीपी के संदर्भ में, एसपीवी नामत: तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड (दूसरा आंध्र यूएमपीपी), कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (मुंगे यूएमपीपी) और छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (छत्तीसगढ़ यूएमपीपी) को वित्तीय वर्ष 2022-23 में आरओसी के अभिलेखों से स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी द्वारा एसपीवी नामत: कोस्टल

विद्युत पारेषण क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी दबावग्रस्त परिसंपत्ति साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के सफलतापूर्वक समाधान के दस्तावेजों को निष्पादित करते हुए श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उनके साथ श्री आर.एस. ढिल्लों, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना) एवं श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक)।

कर्नाटक पावर लिमिटेड (कर्नाटक यूएमपीपी) का उपयोग दबावग्रस्त परियोजनाओं की बोली के लिए किया जा रहा है (एसपीवी का नाम बदलकर पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड किया गया है)

चूंकि देश जीवाश्म से गैर-जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का परिवर्तन कर रहा है, अतः विद्युत मंत्रालय ने शेष यूएमपीपी को भी बंद करने का निर्णय लिया है और आपकी कंपनी को राज्य सरकार के परामर्श से यूएमपीपी को बंद करने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है।

10. अन्य प्रमुख निवेश

i. पीटीसी इंडिया लिमिटेड

पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) को संयुक्त रूप से पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी और पीएफसी द्वारा प्रोमोट किया गया। पीएफसी ने पीटीसी में 120,00,000 इक्विटी शेयरों के लिए ₹12 करोड़ का निवेश किया था, जो पीटीसी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 4.05% है। पीटीसी भारत में विद्युत व्यापार समाधान का अग्रणी प्रदाता है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, जिसका प्राथमिक फोकस देश में व्यावसायिक रूप से जीवंत विद्युत बाजार विकसित करने पर है। पीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹425 करोड़ के कर पश्चात लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹370 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च, 2023 तक पीएफसी के पास ₹102.06 करोड़ मूल्य के 120,00,000 पीटीसी शेयर हैं।

ii. पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड

पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ('पीएक्सआईएल') भारत का प्रथम संस्थागत रूप से प्रोन्नत विद्युत एक्सचेंज है, जो भारतीय विद्युत बाजारों के लिए नवोन्मेषी और भरोसेमंद समाधान प्रदान करता है। पीएक्सआईएल विद्युत की ट्रेडिंग के लिए राष्ट्रव्यापी, इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रदान करता है और पावर ट्रेडिंग तथा पारेषण क्लीयरेंस की व्यवस्था करता है, साथ ही यह पारदर्शी, निष्पक्ष और सक्षम इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। पीएक्सआईएल विभिन्न उत्पाद प्रदान करता है जैसे डे अहेड, डे अहेड कंटिंजेंसी, एनी डे, इंट्रा डे और साप्ताहिक अनुबंध। पीएक्सआईएल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। 31 मार्च, 2023 तक, पीएफसी का निवेश पीएक्सआईएल के 32,20,000 इक्विटी शेयरों में ₹3.59 करोड़ के मूल्य का है।

iii. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ('ईईएसएल') को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिनांक 10 दिसंबर, 2009 को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। ईईएसएल में ऊर्जा दक्षता और जलवायु परिवर्तन पहलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयोजन किया गया है। कंपनी के साथ इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के पास एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में 33.33% हिस्सा है। तथापि, इंड एएस 28 'सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश' की अपेक्षा के अनुसार संगत क्रियाकलापों को निर्देशित करने के लिए किसी व्यावहारिक क्षमता के अभाव में कंपनी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। तदनुसार ईईएसएल पर एक सहयोगी कंपनी के रूप में विचार नहीं किया गया है।

सावधि ऋण प्रदान करने के लिए एसजेवीएन थर्मल (पी) लिमिटेड (एसटीपीएल) के साथ करार-ज्ञापन (एमओए) को निष्पादित करते हुए श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उनके साथ श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एन.एल. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन, श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना), श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक)।

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी के साथ-साथ इनकी सहायक कंपनी, आरईसीएल के पास ईईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 33.13% हिस्सा है (17.65% प्रत्यक्ष रूप से और 15.68% इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के माध्यम से)। 31 मार्च, 2023 तक, पीएफसी के पास एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 24,55,00,000 इक्विटी शेयर हैं, जिनका मूल्य ₹158.08 करोड़ है।

iv. एनएचपीसी लिमिटेड

पीएफसी ने शुरू में ₹21.78 प्रति शेयर की दर से (प्रतिभूति लेनदेन कर, ब्रॉक्रेज और अन्य शुल्कों सहित) एनएचपीसी लिमिटेड के 26,05,42,051 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है, जिसका अप्रैल, 2016 में भारत सरकार द्वारा बिक्री माध्यम से प्रस्ताव करके विनिवेश के दौरान मूल्य ₹567.46 करोड़ है। पीएफसी ने 31 मार्च, 2023 तक 10,52,17,881 इक्विटी शेयरों की बिक्री की है। 31 मार्च, 2023 तक, पीएफसी के पास ₹624.40 करोड़ के मूल्य के एनएचपीसी लिमिटेड के 15,53,24,170 शेयर हैं।

एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹3,538 करोड़ के कर पश्चात लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹3,834 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्शाया है।

v. कोल इंडिया लिमिटेड

पीएफसी ने बिक्री माध्यम से प्रस्ताव करके फरवरी, 2015 में ₹500.74 करोड़ की राशि के ₹358.58 प्रति शेयर मूल्य पर (प्रतिभूति लेनदेन कर ब्रॉक्रेज और अन्य शुल्कों सहित) कोल इंडिया लिमिटेड के 1,39,64,530 इक्विटी शेयर में निवेश किया है। 31 मार्च, 2023 तक, पीएफसी के पास ₹298.35 करोड़ मूल्य पर कोल इंडिया के 1,39,64,530 इक्विटी शेयर हैं। सीआईएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹11,202 करोड़ पर कर पश्चात लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹14,802 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्शाया है।

11. डिस्कॉम के कार्य-निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए पहलें

i. राज्य वितरण संस्थाओं की वार्षिक एकीकृत रेटिंग

विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सुधार की विभिन्न पहल शुरू की हैं और राज्य वितरण संस्थाओं के कार्य-निष्पादन का उद्देश्यपरक मूल्यांकन करने के लिए एकीकृत रेटिंग विधि शुरू की है। एकीकृत रेटिंग का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र में सभी विद्युत संस्थाओं को उनके वित्तीय निष्पादन और निष्पादन स्तर को बनाए रखने की उनकी क्षमता के आधार पर रेट करना है। संपूर्ण क्षेत्रीय कवरेज प्रदान करने के लिए निजी वितरण संस्थाओं और विद्युत विभागों को भी शामिल किया जा रहा है।

इस विधि में व्यापक रूप से i) वित्तीय स्थिरता मापदंड ii) निष्पादन उत्कृष्टता मापदंड और iii) बाहरी पर्यावरण मापदंडों के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न मापदंडों के निमित्त वितरण संस्थाओं के निष्पादन को निष्पक्ष रूप से निर्धारित करने के प्रयासों को अपनाया। रेटिंग कार्रवाई में विद्युत विभागों की शुरूआत के लिए, समग्र विधि से संशोधित भारांक वाले मेट्रिक्स का एक सबसेट रेटिंग हेतु उपयोग किया गया है।

ये रेटिंग प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की जाती हैं और इनका समन्वय आपकी कंपनी द्वारा किया जाता है। ये रेटिंग राज्य सरकारों के साथ-साथ विद्युत संस्थाओं के नियंत्रण में एक नैदानिक उपकरण के रूप में बेहद फायदेमंद हैं, ताकि वे अपनी दृढ़ता का निर्माण कर सकें और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर काम कर सकें ताकि उनकी प्रचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार हो सके। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ग्यारहवीं एकीकृत रेटिंग, जिसमें देश भर की 69 विद्युत संस्थाएं शामिल हैं और विद्युत संस्थाओं की परस्पर रैंकिंग 10 अप्रैल, 2023 को माननीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जारी की गई थी।

ii. विद्युत संस्थाओं की वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट

पीएफसी वार्षिक आधार पर राज्य विद्युत संस्थाओं के कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों जैसे लाभप्रदता, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच अंतर, नेट वर्थ, प्राप्य, देय, एटी एंड सी हानि और विद्युत संस्था, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का उपभोग पैटर्न आदि की एक श्रृंखला शामिल है। यह रिपोर्ट भारतीय विद्युत क्षेत्र के व्यापक परिदृश्य की झलकियों के साथ भारत के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण संस्थाओं तथा सभी राज्य जेनको/ट्रांसको/ट्रेडिंग संस्थाओं को कवर करती है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए रिपोर्ट अक्तूबर 2022 में राज्यों/संघ राज्यों के विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में माननीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जारी की गई।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

iii. विद्युत संस्थाओं का वर्गीकरण

वित्तपोषण के प्रयोजन से, आपकी कंपनी राज्य विद्युत उत्पादन और पारेषण संस्थाओं को ए++,ए+,ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। राज्य विद्युत उत्पादन और पारेषण संस्थाओं का यह श्रेणीकरण (अर्द्धवार्षिक रूप से) पीएफसी की श्रेणीकरण नीति के अनुसार विशिष्ट पैरामीटरों की कसौटी पर कंपनी की विनियामक परिवेश, लेखापरीक्षित लेखाओं के उत्पादन सहित प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन के आकलन पर होता है।

राज्य विद्युत वितरण संस्थाओं (एकीकृत प्रचालन के साथ पीडी/संस्थाओं सहित) के संबंध में आपकी कंपनी की श्रेणीकरण नीति में रेटिंग/ग्रेडिंग को पीएफसी की मानक श्रेणियों ए+,ए,बी, सी और डी से जोडकर विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान किया गया है।

इस वर्गीकरण से पीएफसी को राज्य विद्युत संस्थाओं के लिए ऋण के मूल्य निर्धारण और सुरक्षा नियम तय करने में सक्षमता हासिल होती है।

12. राष्ट्रपति जी के निर्देश

पिछले 3 वर्षों के दौरान, राष्ट्रपति का कोई निर्देश नहीं आया है।

13. सूचना का अधिकार: पारदर्शी संचार व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के जानने के अधिकार पर आधारित एक प्रगतिशील विधान है, जो भारत के संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम का प्राथमिक लक्ष्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी प्रचालनों में खुले पन और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, और हमारे लोकतंत्र को वास्तव में लोगों के लिए कार्यशील बनाना है। एक जागरूक नागरिक को शासन व्यवस्था पर आवश्यक जानकारी रखने और सरकार को शक्तियों के प्रति जवाबदेह ठहरने के लिए बेहतर जानकारी होती है। यह अधिनियम सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

सभी सांविधिक प्राधिकरण, एजेंसियां, स्वामित्वाधीन और नियंत्रित, जो वस्तुत: सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, अधिनियम के दायरे में आते हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के सार्वजिनिक प्राधिकरणों को सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर उत्तर देने का भी अधिदेश दिया गया है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए पीएफसी में एक व्यापक तंत्र स्थापित किया गया है। पीएफसी ने भारत के नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए और साथ ही, कंपनी की कार्यप्रणाली में जबावदेही और पारदर्शिता रखने के लिए सूचना का अधिकार, 2005 कार्यान्वित किया है। आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, पीएफसी ने अपने कंपनी सचिव को जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) नामित किया है जो निगम के पंजीकृत कार्यालय में प्राप्त आरटीआई आवेदनों का निपटान करते हैं। इसके अलावा, कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी को आरटीआई अपीलों के निपटान के लिए पीएफसी में प्रथम अपील प्राधिकारी (आरटीआई) नामित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर संगत सूचना/प्रकटीकरण भी उपलब्ध है।

जहां तक आरटीआई आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया का संबंध है, यह अवगत कराया जाता है कि पीआईओ द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(5) के अंतर्गत पीआईओ के रूप में संबंधित यूनिटों के प्रमुख से सूचना एकत्रित की जाती है और वह सूचना 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है।

यदि आरटीआई आवेदक पीआईओ के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह पीएफसी के प्रथम अपील प्राधिकारी (आरटीआई) के पास, उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है। प्रथम अपील प्राधिकारी (आरटीआई) 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर अपीलों का निपटान करते हैं। दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त सभी 140 आवेदनों और 13 आरटीआई अपीलों पर विधिवत कार्रवाई की गई और उत्तर दिया गया। पीएफसी ने इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पोर्टल पर ऑनलाइन आरटीआई तिमाही विवरणी दायर करने की अपेक्षा को भी पूरा किया है।

इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रकटीकरणों के प्रावधानों की अनुपालना को सुदृढ़ करने के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दिनांक 15.04.2013 के अपने का.ज्ञा. सं. 1/6/2011-आईआर के तहत निम्नलिखित पर दिशानिर्देश जारी किए:

क) धारा 4 के तहत अधिक मदों का स्वत: प्रकटीकरण;

ख) धारा 4 के तहत सकारात्मक प्रकटीकरण के डिजीटल प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश;

ग) प्रकटीकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए धारा 4(1) (बी) की कतिपय क्लॉज के लिए दिशानिर्देश;

घ) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्वत: प्रकटीकरण (सक्रिय प्रकटीकरण) के लिए अनुपालन व्यवस्था।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अनुपालना में, पीएफसी ने कंपनी की वेबसाइट पर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है।

उपर्युक्त के अलावा, पीएफसी को भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in), के साथ भी लिंक किया है, जिसके तहत भारत के नागरिक भुगतान गेटवे के साथ ऑनलाइन आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। भुगतान एसबीआई एवं इसके सहायक बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/विजा और रुपे कार्ड के डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

सक्रिय/स्वत: प्रकटीकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए डीओपीटी ने दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के का.ज्ञा. सं. 1/6/2011-आईआर के तहत विस्तृत अनुदेश निकाले हैं। दिशा-निर्देशों में प्रति वर्ष अन्य पक्ष द्वारा अपनी सक्रिय प्रकटन लेखापरीक्षा कराने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था के तहत दिशा-निर्देशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित की जाती है। उपर्युक्त के अनुसार, पीएफसी ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) के माध्यम से वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी आरटीआई प्रकटीकरण लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक कराई है। उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सार्वजनिक सूचना के लिए पीएफसी की वेबसाइट पर भी रखा जाता है।

14. निगमित सामाजिक दायित्व

पीएफसी के निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति (सीएसआर और संधारणीयता नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी निगमित कंपनी बने जो सतत विकास, मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान देकर लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो।

नीति के तहत पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों के प्रमुख सिद्धांतों के साथ कंपनी के प्रयासों के अनुरूप बनाते हुए एक समग्र संकल्पना प्रदान की गई है, जैसा कि पर्यावरणीयता, संधारणीयता, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के प्रसार के माध्यम व्यापक पहलों से स्पष्ट है।

पीएफसी ने अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति को प्रभावी रूप से और तत्परता के साथ कार्यान्वित किया है। सीएसआर गतिविधियों को देखने के लिए पीएफसी में स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में निदेशकों की एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर और एसडी समिति है।

पीएफसी ने पर्यावरणीय संधारणीयता, पुनर्वास और निर्माण क्रियाकलापों, स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा, खेल, स्वच्छता और पेयजल तथा कौशल विकास और आजीविका आदि क्षेत्रों में व्यापक गतिविधियों को कार्यान्वित किया है। इसके अतिरिक्त, डीपीई अधिदेश के अनुसार, पीएफसी ने आकांक्षी जिलों के प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, 'स्वास्थ्य एवं पोषण' से संबंधित विषयों के लिए भी योगदान दिया है।

कंपनी (सीएसआर नीति), नियमावली के अंतर्गत निगमित सामाजिक दायित्व रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

15. मानव संसाधन पहल

क्षमता निर्माण

आपकी कंपनी पूर्ण रूप से यह विश्वास करती है कि सेवा क्षेत्र में होने के कारण, मानव संसाधन संगठन की बहुत ही महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी एक ऐसी उच्च निष्पादन कार्य संस्कृति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो व्यक्तियों को कारोबारी लक्ष्यों के अनुसार निरंतर शिक्षित करने और भावी चुनौतियों के अनुसार अंगीकरण करने के लिए तैयार कर और सशक्त बनाकर उनकी पूर्ण क्षमता को प्रकट करती है। हमारा लक्ष्य ऐसी उच्च स्तरीय संगठनात्मक क्षमताओं को विकसित करना है, जो हमें प्रतिस्पर्धा से अलग करती हैं।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निगमित लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया है। प्रदान किए गए प्रशिक्षणों में नए नियुक्त कार्मिकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम, और अपने कार्मिकों के लिए व्यवहारिक व प्रबंधकीय, व्यवहारपरक और नेतृत्व संबंधी प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा, व्यापक कार्यात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए, जिनमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, एडवांस एक्सेल, जेम पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक खरीद, ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण पर वित्तीय संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण, एएमएल-केवाईसी-सीएफटी और ऋण परिसंपत्तियों की धोखाधड़ी की निगरानी एवं वसूली के पहलुओं, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनयम, 2013, आईएसओ 45001:2018 - ओएचएस मानक का कार्यान्वयन, एक्सपोजर मानक और एनबीएफसी के लिए पूंजीगत अपेक्षाएं एवं अन्य पर बल देना शामिल है।

इसके अलावा, पीएफसी के सभी नए नियुक्त कार्मिकों ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) के विद्युत क्षेत्र में व्यावसायिकों के लिए एक व्यापक 3-सप्ताह के व्यापक फाउंडेशन कोर्स में भाग लिया। इस कोर्स में विद्युत क्षेत्र की बुनियादी बातों, नवीकरणीय और सौर ऊर्जा, सरकारी योजनाओं, ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता, एससीएडीए (स्काडा), परियोजना मूल्यांकन और अन्य जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, आपकी कंपनी ने आवश्यकता आधारित अनुकूलित कार्यक्रमों का आयोजन करने और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित बाहरी कार्यक्रमों के लिए कार्मिकों को प्रायोजित करके अपने कार्मिकों को सफलतापूर्वक 2,608 कार्य दिवसों का प्रशिक्षण दिया।

कुल मिलाकर, इन पहलों से हमारे संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुकूल हमारे कार्यक्रम के कौशल और ज्ञान में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कार्मिक सहभागी गतिविधियां

पीएफसी पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल क्लब (पीएससीबी) का संस्थापक सदस्य होने के नाते, पीएफसी कार्मिकों ने इस अवधि के दौरान पीएससीबी सदस्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न अंतर सीपीएसयू खेल टूर्नामेंटों, जैसे बैंडमिंटन, शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। पीएफसी शतरंज टीम ने एकल टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार जीता। पीएफसी ने पीएससीबी के तत्वावधान में दिनांक 27-29 अप्रैल, 2022 तक विश्व युवक केंद्र, नई दिल्ली में सीपीएसयू शतरंज टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पीएफसी ने पावर कप टूर्नामेंट में भी भाग लिया, जो पावरग्रिड द्वारा माह जनवरी-फरवरी, 2023 के दौरान दिल्ली एनसीआर में स्थित सभी विद्युत क्षेत्र के सीपीएसई के सहयोग से आयोजित किया गया था और पीएफसी ने टूर्नामेंट में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

इसके अलावा, पीएफसी ने दिनांक 16 जुलाई, 2022 को जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली में अपने कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पीएफसी स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजन किया। वर्ष के दौरान पीएफसी ने अपने कार्मिकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए मार्च, 2023 में विशालगढ़ फार्म्स, गुरुग्राम में फेमिली पिकनिक का भी आयोजन किया।

एक अत्याधुनिक इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च (आईसीईआर) भवन की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ श्री आर.एस. ढिल्लों, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना), श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक), श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक एवं श्रीमती उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक।

प्रतिभा प्रबंधन

आपकी कंपनी ने प्रभावी मानव संसाधन अधिग्रहण और रखरखाव का कार्य किया है, जो संगठनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित की गई श्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रथाओं के साथ एक बैंचमार्क है। यह अन्य कार्यनीतिक हस्तक्षेपों के अलावा, मानव संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करती है, जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है। पीएफसी के सभी भर्ती प्रयास विविध प्रतिभाओं को आकर्षित करने और पोषित करने पर केंद्रित होते हैं।

कंपनी के भीतर औद्योगिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहे हैं, जिनमें कार्मिक पूरी तरह से कंपनी के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी मानव दिवस हानि नहीं हुई। दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान पलायन 0.04% था।

कार्मिक कल्याणकारी उपाय

आपकी कंपनी उद्योग की श्रेष्ठ प्रबंधन प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करती है।

कल्याणकारी उपायों के एक प्रभावकारी पैकेज के माध्यम से कार्यबल की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाती है, जिसमें व्यापक बीमा, चिकित्सा सुविधाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जो कार्यबल को स्वस्थ बनाती हैं। इस अवधि के दौरान, कार्मिकों के कल्याण के लिए कई नई पहल की गई, जैसे एचओयू स्तर से नीचे के कार्मिकों के लिए फ्लेक्सी टाइमिंग शुरू करना, पेपरलेस मेडिकल क्लेम व्यवस्था लागू करना और टीए नियमों के तहत कुछ प्रावधानों की समीक्षा करना, कंपनी के पट्टा आवास नियम आदि।

विविधता और समावेशिता

कंपनी के समावेशी विकास के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। स्थिति नीचे दी गई है:

विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण की स्थिति

समूह	31 मार्च, 2023 तक कुल कार्मिक	एससी[1]	एससी%	एसटी[2]	एसटी%	ओबीसी[3]	ओबीसी%	ईडब्ल्यूएस[4]	ईडब्ल्यूएस%
क	500	89	17.80%	32	6.040%	100	20.00%	5	1.00%
ख	4	0	0.00%	1	25.00%	0	0.00%	0	0.00%
ग	15	2	13.33%	1	6.67%	3	20.00%	0	0.00%
घ	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
कुल	**519**	**91**	**17.53%**	**34**	**6.55%**	**103**	**19.84%**	**5**	**0.96%**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 'सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं' श्रेणी में 'बेस्ट प्रेजेंटेड एकाउंट्स / एनुअल रिपोर्ट अवॉर्ड' (बीपीए) में प्रतिष्ठित साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स (एसएएफए) गोल्ड अवॉर्ड प्राप्त करते हुए श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

पीएफसी एससी/एसटी/ओबीसी/ईएसएम[5]/पीडब्ल्यूडी[6] कार्मिकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करता है। उठाए गए कदमों में सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के लिए विभिन्न निर्देशों के तहत यथा लागू समुचित आरक्षण और छूट शामिल हैं। आरक्षण के मामलों को देखने के लिए अलग से संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

[1] अनूसूचित जाति

[2] अनुसूचित जनजाति

[3] अन्य पिछड़ा वर्ग

[4] आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

[5] भूतपूर्व सैनिक

[6] दिव्यांगजन

विविधता का सशक्तिकरण: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

आपकी कंपनी में महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में महिलाएं हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व पदानुक्रमित स्तर पर आ गया है। कंपनी इस संबंध में भारत सरकार के सिद्धांतों के अनुरूप महिलाओं के लिए समान विकास का अवसर प्रदान करती है। महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, जो कुल कार्यबल का 21.00% है।

स्तर	31 मार्च, 2023 तक कुल कार्मिक	महिला कार्मिकों की संख्या	समग्र स्टाफ संख्या में प्रतिशत
क	500	107	21.40%
ख	4	1	25.00%
ग	15	1	6.67%
घ	0	0	0.00%
कुल	**519**	**109**	**21.00%**

पीएफसी अपने सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में, महिला कार्मिकों के कल्याण के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास करता है।

एक सुरक्षित कार्यस्थल को बढ़ावा: लैंगिक उत्पीड़न निवारण की अनुपालना

कंपनी के महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

क)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
ख)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
ग)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

16. पुरस्कार और सम्मान

पर्यावरण, सामाजिक, शासन (ईएसजी) के आधारों के अंतर्गत प्राप्त पुरस्कार: स्थायी प्रभाव के सृजन में पीएफसी के प्रयासों को दर्शाता है।

पर्यावरणीय

- पीएफसी को इलेट्स द्वारा आयोजित आत्म निर्भर भारत समिट में इस वर्ष श्रेष्ठ नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण संस्थान के लिए 'ग्रीन ऊर्जा एनर्जी एफिसिएंसी पुरस्कार' प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता हेतु प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) गोल्ड शील्ड प्राप्त करते हुए श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री आर.एस. ढिल्लों, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

- 11वें ग्रीन एनर्जी समिट में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा क्षमता श्रेणी में सर्वोच्च वित्तपोषण संस्थानों के लिए इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ।

सामाजिक

- पीएफसी को एनडीएमसी क्षेत्र में कार्यालयों की श्रेणी में एनडीएमसी द्वारा 'स्वच्छता रैंकिंग' में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।

- पीएफसी ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता। पीएफसी को राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए उपक्रम 'क' क्षेत्र की श्रेणी में वर्ष 2021-22 के लिए सर्वोच्च और प्रतिष्ठित 'राजभाषा कीर्ति' का तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। पीएफसी की लगातार 9वीं बार यह पुरस्कार मिला है।

शासन

- पीएफसी को लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के तहत सर्वोच्च 10 लाभ अर्जित सीपीएसई के बीच 9वां स्थान दिया गया।
- पीएफसी को फॉर्च्यून मेगजीन द्वारा 'सर्वोच्च 500' भारतीय कंपनियों में '34वां' स्थान मिला।
- वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कारों की 'सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं' की श्रेणी में आईसीएआई गोल्ड शील्ड पुरस्कार मिला।
- पीएफसी को 'श्रेष्ठ प्रदर्शन (वित्तीय) एवं उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग: क्लाउड' की श्रेणी में गवर्नेंस नाउ (सब टीवी ग्रुप) पुरस्कार मिला।
- पीएफसी को एक वर्चुअल फार्मेट में श्रेष्ठ नवरत्न की श्रेणी में भारत के श्रेष्ठ पीएसयू पुरस्कार डन एंड ब्रेडस्ट्रीट पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, वर्तमान सीएमडी, पीएफसी को द इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 'आईकॉन ऑफ द ईयर' अवार्ड प्रदान किया गया।

अन्य

पीएफसी को श्रेष्ठ कॉर्पोरेट फिल्म (गोल्ड), श्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट (सिल्वर), श्रेष्ठ गृह पत्रिका मुद्रण (क्षेत्रीय) और श्रेष्ठ सोशल मीडिया उपयोग की श्रेणी में पब्लिक रिलेशन्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 16वें वार्षिक ग्लोबल कम्यूनिकेशंस कॉनक्लेव में चार पुरस्कार प्राप्त हुए।

17. सतर्कता: जबावदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा

सतर्कता यूनिट ने निगम के प्रभावी तंत्र के रूप में सक्रिय रूप से कार्य किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सतर्कता यूनिट ने विभिन्न यूनिटों के आवधिक और औचक निरीक्षण पर लगातार जोर देते हुए निवारक सतर्कता का कार्य किया है। इस अवधि में सतर्कता यूनिट ने आदेश/कारगर दिशा-निर्देश भी जारी किए ताकि रोजमर्रा के कार्यों में अंतराल दूर करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जा सके। एक नई पहल के रूप में सतर्कता मैगजीन प्रहरी का उदघाटन किया गया, जिसमें सतर्कता, विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्र और सतर्कता जागरूकता सप्ताह की विजेता प्रविष्टियों से जुड़े विभिन्न लेख शामिल किए गए हैं। सतर्कता यूनिट ने इस अवधि के दौरान पंजीकृत शिकायतों के संबंध में विस्तृत जांच की।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिनांक 31.10.2022 से 06.11.2022 तक 'विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया और नैतिक प्रथाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। इस अवसर पर, कार्यालय परिसर के अंदर और बाहर प्रमुख स्थानों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के बैनर लगाए गए। निगम के सभी कार्मिकों के डेस्कटॉप पर सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2022 की थीम प्रदर्शित की गई। इस आयोजन का प्रचार सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और समाचार पत्रों और उनके ऑनलाइन संस्करणों के माध्यम से भी किया गया। सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए इंट्रानेट और पीएफसी की वेबसाइट के माध्यम से कार्मिकों द्वारा 'सत्यनिष्ठा पर ई-प्रतिज्ञा' ली गई।

सप्ताह के दौरान सतर्कता से संबंधित विषयों पर चित्राभिव्यक्ति, नारा लेखन, कविता लेखन पर केंद्रित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिताएं क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात कार्मिकों सहित निगम के सभी नियमित कार्मिकों के लिए खुली थी। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य कार्मिकों की रचनात्मक, कल्पना और मौलिकता को प्रोत्साहित करना था ताकि वे सुशासन के संबंध में अभिनव विचारों के का सृजन हो सके। कार्मिकों के हितलाभ के लिए निगम द्वारा प्रतिष्ठित फैकल्टी के साथ पीएफसी के आचरण, अनुशासन और अपील नियम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें नियमित कार्मिकों ने भाग लिया। श्री विजय कुमार त्यागी, सीवीओ, पीएनबी द्वारा पीएफसी के कार्मिकों के लिए एबीबीएफएफ एंड रोल ऑफ आईएसी विषय पर एक व्याख्यान भी किया गया। पीएफसीसीएल द्वारा पीएफसीसीएल के कार्मिकों के लिए निवारक सतर्कता पर श्री आर. एन. नायक, पूर्व निदेशक, सीवीसी द्वारा वार्ता सत्र का आयोजन किया गया। इसमें सार्वजनिक जीवन में निरंतर प्रणालीगत सुधार, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता पर बल दिया गया।

सीवीसी के निर्देशों के अनुपालन में, निगम में संवेदनशील पदों की पहचान की गई है और संबंधित अधिकारियों की नियमित आधार पर अदला-बदली की गई है। वर्ष 2023 के लिए सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची सीबीआई के परामर्श से निगम कार्यालय, दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय-मुंबई और चेन्नई के संबंध में तैयार की गई जो पारदर्शी और जबावदेह प्रथाओं के अनुरूप थी। निर्धारित आवधिक सांख्यिकी विवरणियां समय पर सीवीसी, सीबीआई, विद्युत मंत्रालय को भेजी गई।

सतर्कता यूनिट ने निगम के प्रचालनों में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठा और जबावदेही में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रणालीगत सुधार किए। इस प्रकार इसने संगठन के कामकाज में योगदान दिया गया है।

18. राजभाषा

पीएफसी द्वारा अपने काम-काज में राजभाषा हिंदी को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह बड़े गौरव का विषय है कि आपकी कंपनी को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में किए गए अपने समन्वित प्रयासों के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 'क' क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों की श्रेणी में 'राजभाषा कीर्ति' तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएफसी द्वारा लगातार 9वीं बार पुरस्कार लिया गया है।

14 सितंबर, 2022 को हिंदी दिवस और 14 सितंबर, 2022 से 13 अक्तूबर, 2022 तक हिंदी माह मनाया गया ताकि हिंदीमय वातावरण सृजित किया जा सके। हिंदी माह के दौरान पांच (05) प्रतियोगिताएं, जैसे 'कथा विस्तारण', 'हिंदी टिप्पण एवं आलेखन' 'राजभाषा नीति' 'शब्द ज्ञान' और 'अनेक रंग एक प्रतियोगिता के संग' आयोजित की गई। हिंदी माह के दौरान दिनांक 07.10.2022 को सीरीफोर्ट ऑडिटोरियम कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली में पीएफसी कार्मिकों के लिए महाभारत-एक अमर कथा नाटक का आयोजन किया गया। यह नाटक प्रसिद्ध थिएटर कंपनी 'फेलिसिटी थिएटर' द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नाटक को फिल्म, टेलिविजन के दिग्गज कलाकार पुनीत इस्सर द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया। पुनीत इस्सर के साथ, कई दिग्गज कलाकारों, जैसे गुफी पेंटल, राहुल भूचर ने इस नाटक में अपना शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया।

वर्ष के दौरान, 06 हिंदी कार्यशालाएं और 01 संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिनमें 336 कार्मिकों ने भाग लिया। हिंदी माह के दौरान हुई प्रतियोगिताओं के अलावा, कार्मिकों को प्रेरित करने के लिए 04 हिंदी प्रतियोगिताएं नामतः 'स्मरणशक्ति प्रतियोगिता' 'बूझों तो जानें प्रतियोगिता' 'शब्दों का ताना-बाना प्रतियोगिता' और 'विश्व हिंदी दिवस प्रतियोगिता' भी आयोजित की गई, जिनमें 205 कार्मिकों ने भाग लिया। इन यूनिटों और कार्मिकों द्वारा किए जा रहे राजभाषा कामकाज की समीक्षा के प्रयोजन के लिए विभिन्न यूनिटों के साथ समीक्षा बैठकें, आंतरिक निरीक्षण और निजी संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्मिकों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए, जय शंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक 'कामायनी' सभी कार्मिकों को वितरित की गई।

हिंदी सलाहकार समिति, विद्युत मंत्रालय की बैठक दिनांक, 12 मई, 2022 को अशोका होटल, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की व्यवस्था के संबंध में सभी समन्वय कार्य पीएफसी द्वारा किए गए थे। बैठक की अध्यक्षता श्री आर.के. सिंह, माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई।

पीएफसी की सतर्कता पत्रिका 'प्रहरी' के पहले संस्करण का विमोचन करते हुए श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उनके साथ श्री आर.एस. ढिल्लों, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना), श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक) एवं श्रीमती सिम्मी आर. नाकरा।

'ऊर्जा दीप्ति' गृह पत्रिका के 'अतुल्य भारत विशेषांक' सहित चार (04) अंक भी प्रकाशित किए गए और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए।

ये सभी प्रयास निगम में राजभाषा हिंदी के बेहतर और प्रगतिशील उपयोग की संभावनाएं उत्पन्न करने के लिए प्रेरक उपकरण थे।

19. निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की अपेक्षा के अनुसार पुष्टि की जाती है कि:

(क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया और महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया गया और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए जो उचित एवं सार्थक थे, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के

कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि लेखा की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को अनवरत सतत सरोकार के आधार पर तैयार किया था; तथा

(ड़) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है, जिसका कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली तरीके से प्रचालनरत हैं;

(च) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और इस प्रकार तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली तरीके से प्रचालनरत हैं।

20. लेखापरीक्षक

i. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और किसी अर्हता, संदेह, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण (डिसक्लेमर) के बिना अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

ii. सचिवालयी लेखापरीक्षा

आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव को कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और उन टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की प्रति इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

iii. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने यह उल्लेख किया है कि लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कोई भी मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी दी जा सके या जिस पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के तौर पर पूरक दी जा सके। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की रिपोर्ट की प्रतिलिपि इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

21. प्रौद्योगिक का उपयोग करके शासन प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में, कंपनियों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज अपने सदस्यों को उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजने की अनुमति दी गई है। चूंकि पीएफसी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी है, अतः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की ग्रीन पहल के कार्यान्वयन में सक्रिय सहायता प्रदान करती है। आपकी कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों, जिनके ई-मेल पते पंजीकृत हैं, बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजने का बदलाव किया है। लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी ऐसे शेयरधारकों को इलैक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा रही हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे पोस्टल बैलेट और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निर्धारित संकल्पों के संबंध में अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक रूप से दे सकें। कंपनी इस वर्ष भी वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से एजीएम आयोजित करेगी। सदस्यगण एजीएम की सूचना में उल्लिखित अनुसार एजीएम में ई-वोटिंग और इलैक्ट्रॉनिक रूप से भाग लेने के लिए विस्तृत अनुदेशों को देख सकते हैं।

22. सांविधिक प्रकटीकरण

i. आपकी कंपनी एक जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी है और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोई निरंतर ऋण लिखित (पीडीआई) जारी नहीं किया गया था। कंपनी के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में अपेक्षित संकल्प पारित किया है।

ii. किसी भी विनियामक अथवा न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण और जरूरी आदेश जारी नहीं किए गए, जिनसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का लाभकारी संस्था का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हुआ हो।

iii. कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है, जिसमें विभिन्न लेन-देन की स्टीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, संचालन की दक्षता और सांविधिक कानूनों, विनियमों तथा कंपनी प्रक्रियाओं, नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं। विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

iv. वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना, विचारार्थ विषय और बैठकों की संरचना, व्हिसल ब्लोअर नीति, पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क और निदेशकों के परिचय कार्यक्रमों के लिए आईपीईएफ और वेब लिंक का ब्यौरा, संबद्ध पक्षकार लेनदेन की भौतिकता पर नीति और संबद्ध पक्षकार के साथ कार्य-व्यवहार, सारवान सहायक कंपनियों के निर्धारण संबंधी नीति, आदि को समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010

के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई 'निगमित शासन पर रिपोर्ट' में प्रदान किया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

v. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (11) के अनुसरण में, कंपनियों के वित्तपोषण के कारोबार में शामिल किसी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी, प्रदान की गई प्रतिभूतियां या कंपनियों के वित्तपोषण या अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए निवेश पर लागू नहीं होते हैं। अतः कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, निवेशों का ब्यौरा एकल वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणी संख्या 11 में दिया गया है।

vi. प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उसके अंतर्गत निर्मित नियम एक सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी के लिए लागू नहीं है।

vii. कंपनी ने निदेशक अथवा किसी कार्मिक को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

viii. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के तहत कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा लागत लेखों और रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है।

ix. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा और न ही सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों अथवा कार्मिकों द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट नहीं की गई।

x. कंपनी द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

xi. कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, नियुक्त प्राधिकारी नामित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएफसी के बोर्ड में कोई नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया।

xii. ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कोई महत्पूर्ण विवरण नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है।

xiii. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विदेशी मुद्रा व्यय कुल मिलाकर ₹10,226.94 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विदेशी विनिमय अर्जन शून्य था। भुगतान मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा के मूलधन और ब्याज घटक को चुकाने के प्रयोजन से किया जाता है।

xiv. वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹26,363.52 करोड़ के कुल व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय ₹25,495.01 करोड़ है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹22,671.30 करोड़ की वित्त लागत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹23,282.57 करोड़ वित्त लागत है। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का 91.52% शामिल है। विगत वर्ष में कार्मिक हितलाभ व्यय और अन्य व्यय क्रमशः ₹213.11 करोड़ और 122.71 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹219.01 करोड़ और ₹128.55 करोड़ है।

xv. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावकारिता की जांच के लिए नियुक्त, मेसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने यह प्रमाणित किया है कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक पर्याप्त प्रणाली स्थापित की है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता और प्रभावकारिता का एक संतोषपरक ढंग से नियंत्रण, मूल्यांकन और आकलन करती है।

पीएफसी द्वारा वित्तपोषित नई दिल्ली में 25 मेगावाट तेहखंड अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने भी आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि कंपनी के पास सभी वास्तविक संदर्भों में पर्याप्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आतंरिक नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आतंरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण प्रभावशाली तरीके से प्रचालनरत थे।

xvi. पीएफसी की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक विवरणी chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Investors/Annual_Return/Annual_Report_21_22.pdf लिंक पर उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यह आपकी कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

xvii. आपकी कंपनी द्वारा बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

xviii. वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अंतर्गत पीएफसी के विरुद्ध कोई भी आवेदन नहीं किया गया अथवा कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, एक बारगी निपटान समय किए गए मूल्यांकन व बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों के ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का ब्यौरा लागू नहीं है।

xix. सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद:

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 अधिसूचित किया है, ताकि उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं के विपणन में सहायता की जा सके। नीति की अनुपालना में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद की जाने वाली मदों सहित वार्षिक खरीद योजना को एमएसई के लाभ के लिए पीएफसी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

एमएसई के लाभ, जैसे निविदा शुल्कों से छूट और बयाना जमा राशि, खरीद वरीयता, विलंब भुगतानों पर ब्याज और पूर्व अनुभव से छूट-टर्नओवर पूर्व मानदंड को गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देशों की पूर्ति के अध्यधीन, इन उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया गया हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने एमएसई से उत्पादों और सेवाओं की प्राप्ति की है, जो कुल वार्षिक खरीद मूल्य का 66.09% है, जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25% की अनिवार्यता है। वर्ष के दौरान 309 एमएसई लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 19 एमएसई एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित है और 48 एमएसई का स्वामित्व महिलाओं के पास है।

पीएफसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) पर भी पंजीकृत है। ट्रेड्स प्लेटफार्म में एमएसएमई के इनवॉइस की छूट की सुविधा दी गई है, ताकि उनके नियमित व्यापार प्रचालनों के लिए कार्यशील पूंजी शीघ्र उत्पन्न हो सके।

आपकी कंपनी ने सूक्ष्म औल लघु उद्यमों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय से 03 वेंडर विकास कार्यक्रमों का भी आयोजन/भागीदारी की थी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत यथावश्यक प्रकटीकरण के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीद के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य (₹ करोड़ में)
I.	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	46.81	169.2 (135*+34.2)
II.	एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	30.93	42.3
III.	केवल अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	3.90	6.768
IV.	कुल खरीद में एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का प्रतिशत	66.09	25
V.	कुल खरीद में से अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	8.33	4
VI.	एमएसई हेतु विक्रेता विकास कार्यक्रम की कुल संख्या	3	2
VII.	समान हाइपरलिंक द्वारा आपकी वेबसाइट पर वार्षिक एमएसई खरीद प्रोफाइल को अपलोड करने की पुष्टि	https://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Statutory_Requirements/Codes_and_Policies/Public_Procurement_Policy_for_MSME/Procurement%20Target%20%20and%20Profile%202023-24%20V0_0.pdf	

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक बारगी आईटी अवसंरचना नए व्यय की योजना

23. सूचना प्रौद्योगिकी

पीएफसी ने सतत व्यापार विकास, समग्र उत्पादकता सुधार, डेटा की सत्यनिष्ठा और डेटा की निजता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलें शुरू की हैं। पीएफसी ने सभी कारोबारी कार्यों के एकीकरण, प्रचालनात्मक उत्कृष्टता के लिए पीएफसी की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सभी कारोबारी कार्यों को एकीकृत करने के लिए विभिन्न आईटी सेवाएं और आवासीय ईआरपी अनुप्रयोग प्रणाली प्रदान करते हुए अत्याधुनिक डेटा सेंटर कार्यान्वित किया है।

डिजिटल परिवर्तन और ईआरपी कार्यान्वयन

एमएस यूनिट ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए निर्धारित आईटी रोडमैप के अनुसार एक पूर्ण डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए पहल की है, जो कि महारत्न होने के मानकों को दर्शाने के लिए पीएफसी के लिए सहायक हो सके। इसके भाग के रूप में, सर्वाधिक महत्वकांक्षी परियोजना एक व्यापक आईटी ईआरपी प्लेटफार्म को कार्यान्वित करने के लिए है, जिससे कि एक सत्यता के स्रोत के रूप में यह प्रक्रियाओं और सेवाओं का पूर्ण एकीकरण और डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में ईआरपी प्लेटफार्म कार्यान्वयन की अवस्था में है और कुछ मॉड्यूलों को यूजर के अनुभव के लिए जारी किया गया है।

डिजिटल पहुंच में वृद्धि - ऑनलाइन ऋणदाता सेवाएं

डिजिटल युग में, सूचना प्रौद्योगिकी को यह सुनिश्चिय करने के लिए उपयोग में लाया गया है कि ऋणदाताओं के ग्राहक अनुभव में वृद्धि के लिए समय पर सूचना साझा हो सके। पीएफसी ने ऑनलाइन ऋणदाता पोर्टल कार्यान्वित किया है, जिसके माध्यम से वितरण ब्यौरे, ऋण लेजर, बकाया प्राप्ति, बकाया ब्यौरे और वापसी ब्यौरे आदि ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें तुरंत सूचना प्रसार के लिए प्राप्त किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से, ऋणदाता के पास तुरंत अपने ऋण डेटा प्राप्त करने की सुविधा होती है बल्कि उससे उन्हें आगे की कार्रवाई समय पर करने के लिए योजना मिल सकती है।

कारोबारी स्वचलन और पेपरलेस कार्यालय

पीएफसी अपने कार्मिकों को प्रभावी कारोबारी कार्यों की पूर्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए निरंतर अग्रसर कर रहा है। ऑनलाइन बैठकों के लिए सहयोगकारी उपायों के कार्यान्वयन, सक्षम फाइल प्रस्तुत करने का ई-ऑफिस समाधान, बोर्ड पैक के माध्यम से पेपरलेस डिजिटल बोर्ड बैठकें और पेपरलेस कार्मिक दावे पीएफसी के हरित बनने के प्रयासों को दर्शाने वाली कुछ पहलें हैं।

मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों का अंगीकरण

पीएफसी ने अपनी आईटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क विकसित किया है। पीएफसी ने साइबर सुरक्षा व्यवस्थाओं में वृद्धि के लिए पर्याप्त पहल की है। पीएफसी ने एंटी-एपीटी उपकरण, नेक्सट जनरेशन फायरवाल, आईपीवी 6 को साइबर सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि के लिए कार्यान्वित किया है और साथ ही, सक्रिय साइबर सुरक्षा संरक्षण के लिए मैनेज्ड डिटेक्सन एंड रेस्पोंस सर्विसेज भी प्रदान की है। विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक जागरुक साइबर सुरक्षा वातावरण बनाने के लिए पीएफसी में माह के हर पहले बुधवार को साइबर जारूकता दिवस आयोजित किया जा रहा है।

पीएफसी द्वारा वित्तपोषित कवलधारा, महाराष्ट्र में 76 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना

कारोबार में निरंतरता सुनिश्चित करना

कारोबार में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पीएफसी के कारोबार संचालन की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। एक लक्ष्य की उपलब्धि के रूप में, पीएफसी ने एक निजी क्लाउड पर एक आपदा वसूली साइट स्थापित की है, जिसे एक अलग भूकंपीय क्षेत्रों में मौजूदा डेटा सेंटर सेट-अप को दोहराने के लिए अत्यधिक सुरक्षित माना जाता है। इससे पीएफसी द्वारा किसी भी आपदा या साइबर सुरक्षा घटनाओं के दौरान अपना कारोबारी प्रचालन जारी रखा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण उपाय पीएफसी की संधारणीयता और लचीलेपन के लिए प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

पीएफसी वेबसाइट और ज्ञान साझाकरण

पीएफसी की द्विभाषी वेबसाइट का भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश के अनुसार अद्यतन सूचना के साथ रखरखाव किया जाता है। बाहरी हितधारकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः उन्नत वेबसाइट को और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया गया है।

कारोबारी विश्लेषण

कारोबारी आसूचना और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए एमआईएस पोर्टल निर्णय लेने में सहायता के लिए मौजूद है। पोर्टल को अधिक कारोबारी मैट्रिक्स के साथ नियमित रूप से समृद्ध किया गया है।

ज्ञान साझाकरण पोर्टल

पीएफसी में विभिन्न कार्यों को देखने वाले कार्मिकों के बीच अपने डोमेन की जानकारी साझा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे ज्ञान साझाकरण, पारस्परिक प्रशंसा और कार्मिकों के बीच सकारात्मक संबंधों के निर्माण के लिए पीपल नाम दिया गया है।

सांविधिक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना

पीएफसी में विभिन्न सांविधिक एवं नियामक निकायों द्वारा जारी अनुपालना दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन और कार्यान्वयन किया गया है। एनबीएफसी के लिए मास्टर निर्देशों के तहत आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आईटी रणनीति समिति का गठन किया गया है, आईटी नीति को लागू किया गया है और वार्षिक आधार पर नियमित रूप से आईटी लेखापरीक्षा की जा रही है। विभिन्न सांविधिक और नियामक निकायों जैसे मंत्रालय, आरबीआई, विद्युत मंत्रालय, एनसीसीसी, एनसीआईआईपीसी आदि द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में किए गए सभी दिशानिर्देशों और विनियमों को लागू किया गया है और पीएफसी द्वारा उनका कड़ाई से पालन किया गया है।

इन कार्यनीतिक आईटी पहलों के माध्यम से पीएफसी निरंतर ईएसजी सिद्धांतों के प्रति अपना अटूट समर्पण जारी रखता है। सतत विकास, प्रचालनात्मक क्षमता और जिम्मेदार निगमित प्रथाओं के लिए योगदान देता है।

24. सतर्कता तंत्र की स्थापना

एक मजबूत सतर्कता तंत्र की स्थापना पर्यावरण, सामाजिक और शासन (एएसजी) सिद्धांतों के लिए आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पहलु है। इस तंत्र में उचित प्रथाओं, आचार संहिता, आंतरिक लेनदेन की रोकथाम, धोखाधड़ी की रोकथाम, संबंधित पक्षकार लेनदेन, सार्वजनिक खरीद और एक व्यापक व्हिसल ब्लोअर नीति सहित कई कोड और नीतियां शामिल हैं। ये उपाय पारदर्शी, जबावदेह और नैतिक कारोबारी प्रथाओं की ओर संगठन का ध्यान आकर्षित करते हैं।

सतर्कता तंत्र की प्रभावकारिता को इसकी पहुंच और स्पष्टता के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रासंगिक सूचना के साथ इन कोडों और नीतियों का विवरण निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है। यह न केवल मुक्त संचार के लिए आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि हितधारकों को संगठन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को समझने और आकर्षित करने के लिए सशक्त बनाता है।

25. शिकायत निवारण

पीएफसी में व्यापक पैमाने पर जनता की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली है और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपने कार्मिकों की शिकायतों की निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति भी गठित की है।

इस प्रणाली की पारदर्शिता और सुलभता पीएफसी के जिम्मेदार शासन दृष्टिकोण के प्रमुख सिद्धान्त हैं। जन शिकायतों की स्थिति पीएफसी वेब पोर्टल पर खुले तौर पर उपलब्ध हैं, जो सभी हितधारकों के लिए सुलभ है।

इसकी सुलभता के लिए लिंक इस प्रकार है:

https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Statutory_Requirements/Status_of_Public_Grievances/PFC%20CPGRAMS%20Report.pdf

प्रणालियों को विधिवत अधिसूचित किया जाता है और नोडल अधिकारी अनुमत सीमा के भीतर शिकायतों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करते हैं। पारदर्शिता के लिए पीएफसी की प्रतिबद्धता के अपनी कारोबारी प्रथाओं का स्पष्ट संचार सुनिश्चित करते हुए अपने नागरिक चार्टर के माध्यम से और भी विस्तार प्रदान किया गया है। यह चार्टर पीएफसी की वेबसाइट पर आसानी से सुलभता के साथ उपलब्ध है।

26. सांविधिक और अन्य सूचना

कपंनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देश और अन्य लागू सांविधिक/प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक सूचना इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है जो निम्नानुसार दी गई हैं:

विवरण	अनुलग्नक
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	क
एकीकृत रिपोर्टिंग	ख
निगमित शासन पर रिपोर्ट	ग
व्यवसाय दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	घ
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	ङ.
सीएसआर गतिविधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट	च
संबंधित पक्षकार (एओसी-2) के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण	छ
डिबेंचर ट्रस्टियों का ब्यौरा	ज

ऊर्जा संरक्षण 2022 पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ श्री आर.एस. ढिल्लों, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना)।

27. आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, नीति आयोग, दीपम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और केंद्र तथा राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों इत्यादि द्वारा कंपनी को दिए गए मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक आभार करता है।

कंपनी, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों, आरबीआई लेखापरीक्षकों और सचिवीय लेखापरीक्षकों तथा बैंकरों का भी उनके सृजनात्मक सुझावों और सहयोग के लिए धन्यवाद करती है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, निवेशकों और ग्राहकों के प्रति उनके द्वारा पीएफसी पर लगातार व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। अंत में आपका निदेशक मंडल कार्मिकों को उनके निरंतर समर्थन और उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने में योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता है।

परमिंदर चोपड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08530587

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 अगस्त, 2023

प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

पिछला वर्ष पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के लिए सुदृढ़ कार्य-निष्पादन का रहा है। आर्थिक माहौल पहले की तुलना मे अधिक आशाजनक दिखाई देता है और यह माना जाता है कि यह विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में वृद्धि जारी रहेगी।

कंपनी (पीएफसी) के प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के कार्य-निष्पादन सहित उद्योग परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

(क)उद्योग संरचना और विकास

भारत वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आया है। चूंकि दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है और भारत इस चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया के अनुरूप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए विद्युत क्षेत्र में विकास के प्रति भारत का दृष्टिकोण हरित उत्पादन की ओर बदलाव की वैश्विक मांग के अनुरूप है। इस संबंध में भारत वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2005 और 2022 के बीच, प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत भारत में 631 यूनिट से दोगुनी होकर 1255 यूनिट हो गई है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत बाजार बन गया। कोविड-19 महामारी की शुरुआत होने से देश के ऊर्जा विकास की गति अस्थायी रूप से धीमी हो गई है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यह देखने में आया कि वास्तविक विद्युत परिदृश्य कोविड महामारी से सामान्य स्थिति में लौटने का संकेत दे रहा है, क्योंकि विद्युत की खपत हाल के दिनों में सामने आए रुझानों की तुलना में अधिक है। स्थायी आर्थिक विकास होने की संभावना के साथ ही मांग बढ़ने की भी संभावना है।

भारत सरकार ने सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विद्युत क्षेत्र की एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की है। भारतीय विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

- केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार ने उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूलों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक पीएलआई योजना के लिए ₹19,500 करोड़ का आबंटन किया था। सरकार ने सोवरन ग्रीन बॉण्ड जारी करने और साथ ही ग्रिड स्तरीय बैटरी प्रणालियों सहित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की।
- देश में विद्युतीकरण दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजेवाई), उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) जैसी योजनाओं से सहायता के साथ बढ़ रहा है।
- भारत के 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए और कोयले की मांग-आपूर्ति अंतर की वार्षिक समस्या से निपटने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने 81 थर्मल यूनिटों की पहचान की है, जिनमें वर्ष 2026 तक कोयले के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य को भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

वर्ष 2022-2027 तक की अवधि के लिए कुल निधिगत आवश्यकता ₹14,54,188 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2027-2032 तक के दौरान चालू की जाने वाली संभावित परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु वर्ष 2022-27 के दौरान होने वाला संभावित व्यय भी शामिल है। वर्ष 2027-2032 तक की अवधि के लिए कुल निधि की आवश्यकता अनुमानित ₹19,06,406 करोड़ है। इस निधिगत आवश्यकता में दिनांक 31.03.2032 के बाद चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई शामिल नहीं है।

वर्ष 2022-2027 तक की अवधि के लिए निधिगत आवश्यकता के अनुमान के आधार पर और क्षेत्र-वार इक्विटी अंशदान पर विचार करते हुए, अनुमान है कि डेवलपर को कुल ₹10,90,641 करोड़ के ऋण की व्यवस्था करनी होगी।

उत्पादन

संस्थापित क्षमता

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कुल संस्थापित क्षमता 416059 मेगावाट थी। तापीय स्रोतों का एक प्रमुख हिस्सा करीब 57% (237268.91 मेगावाट), हाइड्रो का करीब 11% (46850.17 मेगावाट), नवीकरणीय ऊर्जा करीब का 30% (125159.81 मेगावाट), और नाभिकीय का हिस्सा करीब 2% (6780.00 मेगावाट) जारी रहा है। संस्थापित क्षमता राज्य क्षेत्र में करीब 25% (105726.43 मेगावाट), निजी क्षेत्र में करीब 51% (210278 मेगावाट) और केंद्रीय क्षेत्र में करीब 24% (100054.93 मेगावाट) रही है।

देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन की महत्वपूर्ण संभाव्यता है। भारत सरकार द्वारा इस संभाव्यता का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होने और पवन फार्मों से अधिक आउटपुट (पवन गति में सुधार होने के कारण) के साथ ही कोयला/लिग्नाइट आधारित संयंत्रों का योगदान वर्तमान स्तरों से कम होने की संभावना है। राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 के तहत, गैर-जीवाश्म आधारित क्षमता का हिस्सा, 2026-27 के अंत तक 57.4% तक बढ़ने की संभावना है और वर्ष 2031-32 तक आगे 68.4% तक बढ़ने की संभावना है।

देश में समग्र उत्पादन (ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन सहित) वर्ष 2021-22 के दौरान 1491.859 बीयू से 8.89% तक बढ़कर

वर्ष 2022-23 के दौरान 1624.465 बीयू हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान श्रेणी-वार उत्पादन का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

तापीय ऊर्जा वृद्धि	8.21%
नाभिकीय ऊर्जा वृद्धि	2.66%
जल विद्युत वृद्धि	6.91%
भूटान से आयात में कमी	10.02%
सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में वृद्धि	19.10%

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि भारतीय सरकार से मजबूत नीतिगत सहायता के साथ-साथ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) कारकों पर अधिक बल के साथ और परिसंपत्तियों पर आकर्षक प्रतिफल से निवेशक हित बढ़ने के कारण हो सकती है। बाजार में पेंशन फंड, सोवरन वेल्थ फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड जैस व्यापक श्रेणी के वैश्विक निवेशकों और समूहों को आकर्षित किया है, जिन्होंने भारत में उपस्थिति स्थापित की है।

पिछले कुछ वर्षों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों से ऋण जुटाने के लिए अपेक्षाकृत आसानी हुई है। यह भागीदारों की ऋण साख में सुधार आने और मध्यावधि के दौरान ब्याज दरों में एक सामान्य कमी आने के कारण है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा भागीदारों द्वारा घरेलू ऋणों, घरेलू बॉण्डों, विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) और ग्रीन बॉण्डों सहित निधि जुटाव के लिए विभिन्न अवसरों की तलाश की गई है।

नवीन और नवोन्मेषी वित्तपोषण संरचनाओं के आने से ऋणदाताओं की आकांक्षाओं में सहायता मिली है। इनमें अनेक परियोजनाओं, नकदी जुटाव और सह-बाध्यकारी संरचनाओं के बीच क्रॉस-कोलेटराइजेशन शामिल है। इसके अतिरिक्त, मजबूत संस्थाओं अथवा संस्थानों द्वारा प्रदान की गई आंशिक अथवा पूर्ण गारंटियों के माध्यम से ऋण वृद्धि की गई है।

पारेषण

पारेषण प्रणाली उत्पादन स्टेशनों और वितरण प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण लिंक के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कोयला, हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा संसाधनों का भारत में असमान रूप से वितरण है। संसाधनों के इस असमान वितरण से विद्युत के अधिशेष से कमी के क्षेत्रों की ओर आसान अंतरण के लिए अंतर-क्षेत्रीय कॉरिडोरों की स्थापना सहित मजबूत पारेषण प्रणाली का विकास आवश्यक हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 14625 सीकेएम (सर्किट किलोमीटर) की पारेषण लाइनें जोड़ी गई हैं जिसमें 765 केवी की 1655 सीकेएम, 400 केवी की 3772 सीकेएम और 220 केवी की 9198 सीकेएम लाइनें शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्षेत्र-वार पारेषण लाइनों की उपलब्धि इस प्रकार है:

(सीकेएम) में

केंद्रीय क्षेत्र	3926
राज्य क्षेत्र	6816
संयुक्त उद्यम/निजी क्षेत्र	3883

आपकी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम से पारेषण प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (टीबीसीबी) शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारत में पारेषण क्षमताएं विकसित करना और ऐसी परियोजनाएं विकसित करने के बाद संभावित निवेशकों को प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य की अवस्था में लाना, मार्ग की पहचान करना, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, सब-स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, यदि कोई हो, शुरू करना, यदि आवश्यक हो तो वन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करना आदि है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पारेषण परियोजनाओं के विकास के लिए स्थापित किए गए 6 एसपीवी को टीबीसीबी के माध्यम से चुने गए सफल बोलीदाताओं को अंतरित किया गया है।

वितरण

वितरण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो क्षेत्र को समग्र स्थायित्व प्रदान करने के लिए राजस्व प्राप्ति को व्यवस्थित करता है। डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए, सरकार ने वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और 2022 में विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) योजना शुरू की है।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

विद्युत मंत्रालय द्वारा एक सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र योजना शुरू की गई है ताकि डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक क्षमताओं और वित्तीय स्थायित्व में सुधार लाया जा सके।

योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- एक वित्तीय रूप से सुस्थिर और प्रचालनात्मक क्षमता के वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और किफायतता में सुधार लाना;
- वर्ष 2024-25 तक 12-15% के अखिल भारत स्तरों तक एटी एंड सी हानियां कम करना और वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना।

पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड उक्त योजना के प्रचालन के लिए निर्दिष्ट नोडल एजेंसियां हैं। योजना के कार्यान्वयन की अवधि 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) तक की है।

आरडीएसएस में केंद्र सरकार से ₹97,631 करोड़ की अनुमानित सकल बजटीय सहायता के साथ ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय है।

विलंब भुगतान अधिभार नियमावली, 2022

विद्युत मंत्रालय ने 3 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना के तहत विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संगत मामले) नियमावली, 2022 (एलपीएस नियमावली) अधिसूचित की है। इन नियमों के तहत उत्पादन कंपनियों, अंतर राज्य पारेषण लाइसेंसधारकों और विद्युत व्यापार लाइसेंसधारकों की बकाया देय राशियों के निपटान के लिए एक व्यवस्था प्रदान की गई है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को विद्युत मंत्रालय द्वारा एलपीएस नियमावली, 2022 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। पीएफसी नियमित समीक्षा और मॉनीटरिंग सहित उक्त नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी।

नियमों के प्रचालन के लिए, प्राप्ति पोर्टल (पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा विकसित और प्रबंधित) एक सूचना पोर्टल के रूप में काम करता है, जिसमें कि सप्लायर इनवॉइस का ब्यौरा डालते हैं और डिस्कॉम द्वारा उससे संबंधित भुगतान राशि अपडेट की जाती है ताकि देश में विद्युत बिलों की इनवाइस और भुगतान ट्रेकिंग सुनिश्चित हो सके। प्राप्ति पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, एलपीएस नियमावली, 2022 के तहत ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा चूककर्ता डिस्कॉम पर नियंत्रण लगाए जाते हैं।

विद्युत (एलपीएस और संगत योजना) नियमावली, 2022 के कार्यान्वयन के साथ ही, उत्पादन कंपनियों, पारेषण कंपनियों और व्यापारियों सहित सप्लायरों की बकाया राशि की वसूली के लिए उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। दिनाकं 03.06.2022 तक, ₹1,39,747 करोड़ की बकाया पुरानी देय राशि में से, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ₹69,790 करोड़ (12 ईएमआई) की किस्त का भुगतान किया है। इन 13 राज्यों में से 11 राज्यों के डिस्कॉमों ने पीएफसी/आरईसी से ऋणों (₹1,05,065 करोड़ का कुल ऋण संस्वीकृत) का विकल्प दिया है। इसके अलावा, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दिनांक 03.06.2022 तक, कोई बकाया नहीं होने की सूचना दी है।

एलपीएस नियम, 2022 के तहत विनियमों को देखते हुए, वितरण कंपनियां समय पर अपनी वर्तमान बकाया राशि का भुगतान कर रही हैं। नियम के कार्यान्वयन के बाद से, दिनांक 24 जुलाई, 2023 तक, ₹4,85,041 करोड़ राशि के कुल बिलों का निपटान हो गया है, जबकि कुल बिल राशि ₹5,60,366 करोड़ की थी (पुरानी बकाया राशि में ईएमआई भुगतान को छोड़कर और विवादित इनवॉइस सहित)।

इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण

चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, अतः उसका वित्तपोषण भारत में एक मजबूत क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। भारत की जी20 अध्यक्षता के कारण देश के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा को आकार देने और वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के उद्देश्य से, भारत अपनी उच्च विकास दर को बनाए रखने में इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। अपनी युवा आबादी, बढ़ते मध्यम वर्ग और विशाल घरेलू बाजार को देखते हुए वैश्विक निवेशक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में भारत की ओर खिंचते चले आ रहे हैं। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण परिदृश्य, प्राइवेट इक्विटी की उपलब्धता, मजबूत विनियामक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी ऋण वित्तपोषण और नवोन्मेषी वित्तपोषण संरचना जैसे इनविट्स (इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट्स) के साथ परिपक्व हो रहा है।

बदलते कारोबारी परिवेश में उभरते अवसरों में संभावित तालमेल रखने के लिए और अपनी वित्तपोषण एवं विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की सुविधा हेतु भारत सरकार ने अपनी कंपनी का लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्राक्चर क्षेत्रों को ऋण देने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। 31 मार्च, 2023 तक पीएफसी ने करीब ₹16,647 करोड़ संस्वीकृत किए हैं और विलवणीकरण संयंत्रों, बंदरगाहों, मेट्रो रेल आदि के नए क्षेत्रों को करीब ₹1,016 करोड़ का ऋण संवितरित किया है।

(ख) अवसर और जोखिम

अवसर

आपकी कंपनी ने महारत्न का दर्जा मिलने के साथ ही, अधिक प्रचालनीय और वित्तीय स्वायत्ता अर्जित की है और पीएफसी बोर्ड को वित्तीय संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों को अधिग्रहित करने, विलय करने और भारत व भारत से बाहर अधिग्रहण करने के लिए इक्विटी निवेश करने जैसे विभिन्न वित्तीय निर्णय लेने हेतु अधिक शक्तियां प्रदान की हैं। बोर्ड कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन तथा ट्रेडिंग के संबंध में भी योजनाएं बना सकता है और कार्यान्वित कर सकता है। वे प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों अथवा अन्यों के साथ अन्य कार्यनीतिक गठबंधन भी कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पीएफसी ने अपने कारोबारी क्षेत्र में लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए भी वित्तपोषण को शामिल किया है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जो पीएफसी के दीर्घावधि कारोबारी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह विचार न केवल विद्युत से इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर रुख करने के लिए है, बल्कि इससे धीरे-धीरे समय के साथ-साथ, विद्युत क्षेत्र के परिपक्व होने पर एक अलग कारोबारी क्षेत्र तैयार होगा।

भारत की बढ़ती आबादी और आर्थिक विकास की मांगों को पूरा करने के लिए, परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश आवश्यक है। वर्ष 2023-24 में समग्र कैपेक्स के लिए बजट में 33% की महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ यह ₹10 लाख करोड़ (122 बिलियन यूएस डॉलर) हो गया है, जो जीडीपी का करीब 3.3% है। इसके अतिरिक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त सचिवालय की स्थापना का उद्देश्य रेलवे, सड़कों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और विद्युत सहित विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश के अवसरों में सुविधा प्रदान करना है।

नीतिगत सुधारों, केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा परियोजना अवार्ड करने में वृद्धि होने और पूर्ण हुई परियोजनाओं की हिस्सेदारी की बिक्रियों के माध्यम से पूंजीगत पुनर्चक्रण के कारण भारत में अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं के बावजूद पिछले वर्षों में सुधार देखा गया है। दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक और राजनैतिक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की स्थिरता और लचिलापन जलवायु लक्ष्यों में योगदान करते हुए और अधिक मजबूत व समावेशी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दीर्घकालिक पूंजी के लिए आशा की एक किरण लाई है।

अनुमोदन मिलने के बाद से, पीएफसी ने पहले ही करीब ₹16,650 करोड़ संस्वीकृत किए हैं और करीब ₹1,000 करोड़ का संवितरण किया है। ये निधियां बंदरगाहों, सिंचाई और फाइबरनेट जैसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई है।

पीएफसी की दीर्घावधि कारोबारी कार्यनीति

- पारंपरिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी बनाए रखकर और उभरते विद्युत क्षेत्रों के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में पोर्टफोलियों का विस्तार करके ऋण वृद्धि करना।
- बदलते ग्राहक मिश्रण को पूरा करने के लिए अलग-अलग सेवक, नवोन्मेषी उत्पादक और मौजूदा प्रक्रियाओं को पुनः तैयार करके लेखा प्रबंधन और ग्राहक अनुभव सिद्धांतों में आमूल परिवर्तन लाना।
- 54 ईसी बॉण्डों का हिस्सा बढ़ाकर एमडीबी ऋणों को प्राप्त करने के लिए एक समर्पित टीम शुरू करना, हेजिंग कार्यनीति को पुनः तैयार करना और संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को ठीक करके निधियों की लागत को अनुकूल करना।
- नेट जीरो हासिल करने के लिए नोडल एजेंसी बनने की स्थिति, निधियों की लागत कम करने के लिए अंतरिम रूप से तत्काल वितरण करना।
- पीएफसीसीएल को नेट जीरो/नए ऊर्जा क्षेत्रों में एक विचारशील नेतृत्व प्रदान करने और इन क्षेत्रों में बाजार गतिविधियों में पीएफसी की सहायता करने का उद्देश्य पुनः तय करना।
- पीएफसी को अपने प्रमुख उद्देश्यों के अनुसार पुनः अनुकूल बनाना।
- नए प्रतिभावान संसाधनों का दोहन करना और कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाना।

आशंका, जोखिम और चिंताएं

इस तथ्य के बावजूद कि पीएफसी विद्युत क्षेत्र में एक मजबूत वित्तीय भागीदार है, इसका कारोबार जोखिमों से रहित नहीं है। कंपनी अपने प्रचालनों की प्रकृति को देखते हुए सक्रिय रूप से जोखिम की पहचान करती है और उनका सामना करने के लिए तथा उनका प्रबंधन करने के लिए समय पर कार्रवाई करती है। आपकी कंपनी के समक्ष आने वाले जोखिम और चिंताए इस प्रकार हैं

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम में ऋणकर्ता की ऋण गुणवत्ता में कमी से होने वाली हानि के जोखिम के साथ-साथ यह जोखिम भी शामिल रहता है कि ऋणकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत अनुबंध के संबंध में सभी चूक करेगा। आपकी कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन करने और कम करने की एक सुव्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली, जोखिमों की पहचान और क्रेडिट जोखिम कम करने के उपायों की उचित संरचना तैयार करना शामिल है।

लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम मुख्यतः कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं से संबद्ध परिपक्वता असंतुलन से संबंधित होते हैं। लिक्विडिटी जोखिम में परिसंपत्तियों के लिए निधि और वित्तीय स्रोतों के अनियोजित परिवर्तन का प्रावधान करना और जरूरत पड़ने पर दायित्वों की पूर्ति करना शामिल है। इसमें हमें अनुकूल शर्तों पर निधि जुटाने अथवा परिसंपत्तियों का परिसमापन करने की जरूरत पड़ सकेगी। हम अनुमानित वितरणों और परिपक्वता दायित्वों के आधार पर दूरदर्शी संसाधन जुटाने सहित मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करते हैं।

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं में विनिमय दरों में बदलाव शामिल होता है, जिसमें विदेशी मुद्रा में अंकित परिसंपत्तियों के मूल्य, देयताओं और ऑफ बैलेंस शीट व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे विदेशी मुद्रा ऋण हमारी विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम में आ सकती हैं। विदेशी मुद्रा जोखिमों का प्रबंधन विदेशी मुद्रा में ऋण देकर और बैंकों, जो अधिकृत डीलर हैं, द्वारा प्रस्तावित डेरिवेटिव उत्पादों (जैसे करेंसी फॉरवर्ड, विकल्प, केवल मूलधन की अदला-बदली, ब्याज दर परिवर्तन और फॉरवर्ड दर करार) के माध्यम से किया जाता है।

कानूनी जोखिम

हमारे ऋणदाताओं की बाध्यता के संबंध में अनुबंधों को लागू करने में अनिश्चितता होने से कानूनी जोखिम उत्पन्न होते हैं। यह संविदा संबंधी बाध्यताओं को लागू करने की प्रक्रिया में विलंब अथवा लागू करने में कठिनाई के कारण हो सकती है। हम ऐसे कानूनी दस्तावेज के माध्यम से कानूनी जोखिम को न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं, जिन्हें हमारे अधिकाधिक संभव हितों के संरक्षण के लिए तैयार किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दरें परिवर्तनीय होती हैं और ऋण की लागत, बाजार में लिक्विडिटी, प्रतिस्पर्धी की दरों, बैंचमार्क में बदलाव, जैसे एए बॉण्ड/जीएसईसी प्राप्ति और आरबीआई नीति परिवर्तन सहित विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कंपनी के समक्ष आ रहे प्राथमिक ब्याज दर संबंधी जोखिम समय संबंधी भिन्नताओं से होते हैं। ब्याज दर के जोखिमों को ब्याज पर संवेदनशीलता अंतराल विवरणों के विश्लेषण द्वारा और नियत व अनियत ब्याज दरों के मिश्रण से साथ परिसंपत्तियों और देयताओं के निर्माण का विश्लेषण करके प्रबंधन किया जाता है।

कानून में परिवर्तन

पीएफसी एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और कंपनी अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। यह आरबीआई के साथ एक जमा राशि न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है और जुलाई, 2010 में आईएफसी के रूप में पंजीकृत की गई है। इसके परिणामस्वरूप, पीएफसी पर कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, सीपीएसई के लिए डीपीई दिशानिर्देशों, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और दिशानिर्देश, कर विनियम, आदि जैसे विभिन्न कानून लागू होते हैं। इन कानूनों में परिवर्तन, हमारी कंपनी के परिणामों/संचालनों का प्रभावित कर सकते हैं।

(ग) खंड-वार अथवा उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत तथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और कंपनी के पास अलग से कोई रिपोर्टयोग्य खंड नहीं है।

(घ) दृष्टिकोण

आपकी कंपनी एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। 1986

में स्थापित इस कंपनी ने भारत में प्रमुख विद्युत संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ बड़े ऋण पोर्टफोलियों और बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने के प्रबंधन में मजबूत विशेषज्ञता हासिल की है।

पीएफसी विद्युत क्षेत्र में नीति/योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है और विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे यूएमपीपी, आरडीएसएस/ आईपीडीएस/ (आरएपीडीआरपी सहित), लिक्विडिटी इंफ्यूजन योजना (एलआईएस) और विलंब भुगतान अधिभार योजना (एलपीएस) के लिए नोडल एजेंसी और आईटीपी योजना के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में रही है।

पीएफसी विद्युत क्षेत्र में हमारे ग्राहकों को उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय), पारेषण और वितरण परियोजनाओं के साथ-साथ संबंधित नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं सहित परियोजना की अवधारणा से लेकर चालू किए जाने के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित परामर्शी तथा अन्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। पीएफसी विभिन्न निर्णय आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें दीर्घावधि परियोजना वित्त, अल्पकालिक ऋण, क्रेता के विभिन्न ऋण और ऋण पुनर्वित्तपोषण योजनाओं की अंडरराइटिंग के साथ-साथ ऋण वृद्धि गारंटी और चुकौती आश्वासन-पत्र सहित गैर-निधि आधारित सहायता शामिल है। आपकी कंपनी हमारी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विभिन्न शुल्क आधारित तकनीकी सलाहकार और परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है।

पिछले वर्षों से पीएफसी हमेशा नवोन्मेष में आगे रही है, चाहे यह सौर, पवन, ईवी आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में विद्युत में हो। अथवा ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों का उपयोग करना हो। अब इस कंपनी ने अपने काराबारों में लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल कर लिया है, जो आगे चलकर हमारे भावी ऋणों के व्यवसाय का हिस्सा होगा।

(ड.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात दास गुप्ता एवं एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में यथा उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था।

पीएफसी एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। इन सशक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और ऋण समीक्षा तंत्रों के कारण चूकों की संख्या में कमी आई है और अंततः सभी हितधारकों का भरोसा हासिल करने में योगदान मिला है।

(च) प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर चर्चा

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक स्वस्थ विकास हासिल करना जारी रखा। कंपनी की कुल आय ₹39,666 करोड़ और अर्जित निवल लाभ ₹11,605 करोड़ रहा।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹59,350 करोड़ की नेट वर्थ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी की नेट वर्थ (शेयर पूंजी और समस्त रिजर्व) 15% बढ़कर ₹68,202 करोड़ हो गई और दिनांक 31 मार्च, 2023 तक सकल ऋण परिसंपत्तियां बढ़कर ₹4,22,498 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च, 2022 तक ₹3,73,135 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अर्जित परिसंपत्तियों पर ब्याज प्रसार 2.53% था और निवल ऋण इक्विटी अनुपात 5.32 गुना था, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.38 गुणा था। प्रचालनीय मार्जिन % वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31.60% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35.70% हो गया है और निवल लाभ मार्जिन % वित्तीय वर्ष 2021-22 में 25.97% था, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29.26% हो गया है।

कंपनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, 1 अप्रैल, 2018 से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') जहां तक वे लागू हैं, का पालन किया है।

(छ) मानव संसाधनों/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में वास्तविक विकास

आपकी कंपनी निर्माण पर केंद्रित है और हमारे संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ अनुकूलता के लिए हमारे कार्यबल के कौशल और ज्ञान में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान करने हेतु निभिन्न पहल की है। कल्याणकारी उपायों के प्रभावी पैकेज के माध्यम से कार्यबल की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाती है, जिसमें व्यापक बीमा, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जो एक स्वस्थ कार्यबल का नेतृत्व करती हैं। इस अवधि के दौरान, कार्मिकों के कल्याण के लिए कई नई पहलें की गई हैं, जैसे एचओयू स्तर से नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा दावा प्रणाली लागू करना और कुछ कर्मचारी संबंधी प्रावधानों की समीक्षा करना शामिल है।

कंपनी में औद्योगिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहे हैं, जिसमें कार्मिक पूरी तरह से कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी मानव दिवस की हानि नहीं हुई। 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की नामावली पर कार्मिकों की कुल संख्या 519 थी।

(ज) निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास (सीएसआर एंड एसडी)

आपकी कंपनी अपनी निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीयता विकास पहल के माध्यम से एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगमित इकाई बनना चाहती है, जो सतत विकास के लिए परियोजनाएं शुरू करके बड़े पैमाने

पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें मु ख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पीएफसी ने अपनी सीएसआर और संधारणीय नीति को पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ लागू किया है। कंपनी ने पर्यावरण संधारणीयता, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खेल, स्वच्छता और पेय जल तथा कौशल विकास और आजीविका आदि के क्षेत्र में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला लागू की है। इसके अलावा, डीपीई के अधिदेश के अनुसार, पीएफसी ने आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों अर्थात स्वास्थ्य आदि और पारेषण में भी योगदान दिया है।

(झ) नवीकरणीय और स्वच्छ विकास तंत्र

नवीकरणीय ऊर्जा सामाजिक और आर्थिक विकास, ऊर्जा पहुंच, सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति, जलवायु परिवर्तन में शमन और नकारात्मक पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के प्रभावों को कम करने में योगदान करने का अवसर प्रदान करती है।

विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हरित और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा को मुख्य धारा में लाने और 500 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई सुधार किए हैं। इस दिशा में, तापीय विद्युत उत्पादकों को स्वयं या समर्पित डवलपर्स के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना करने और मौजूदा पीपीए के तहत उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है।

पीएफसी ने भारत सरकार की विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा पहलों का लाभ लेने के लिए सौर, पवन, बायोमास और लघु पन विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर कार्यनीतिक रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया है। इन पहलों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से राज्य वितरण यूटिलिटीज की कुल विद्युत आवश्यकताओं का कुल न्यूनतम निर्दिष्ट प्रतिशत और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष टैरिफ शामिल है।

पीएफसी स्वच्छ/नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। 31 मार्च, 2023 तक, पीएफसी की सकल ऋण परिसंपत्तियों में नवीकरणीय ऊर्जा में ₹48,198 करोड़ शामिल थे, जिसमें ₹16,251 करोड़ की बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट) और ₹31,647 करोड़ की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा, अन्य परियोजनाएं शामिल थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पीएफसी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ 30 बिलियन जेपीवाई के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, पीएफसी और जेबीआईसी के बीच 2.65 बिलियन जेपीवाई के लिए एक परियोजना ऋण करार (पीएलए) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। जेबीआईसी ने 'आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण में सामंजस्य के लिए वैश्विक कार्रवाई' (ग्रीन) नामक अपनी पहल के तहत यह दीर्घावधि सुविधा प्रदान की है। इस प्रकार, इस सुविधा के तहत, पीएफसी द्वारा निधि का उपयोग अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए नई-नई प्रौद्योगिकियों की खोज के साथ ही भारत का ऊर्जा परिवर्तन परिदृश्य काफी उत्साहजनक हो गया है। कुछ उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, जिनके लिए अब वाणिज्यिक विस्तार की तलाश की जा रहा है, उनमें ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण और अपतटीय पवन हैं। आने वाले वर्षों में पीएफसी का लक्ष्य इन प्रौद्योगिकों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना और भारत को एक हरित राष्ट्र बनाने में योगदान देना है।

सचेतक टिप्पणी

'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण' खंड में कुछ विवरण अग्रगामी हो सकते हैं और लागू कानूनों और विनियमों द्वारा अपेक्षित बताए गए हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जो भविष्य में कार्य-निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन की कल्पना से अलग हो सकते हैं। पाठकों को सचेत किया जाता है कि वे इन अग्रगामी विवरणों पर आवश्यक भरोसा न करें।

एकीकृत रिपोर्टिंग

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

एकीकृत रिपोर्टिंग (आईआर) कंपनी की कार्यनीति, शासन, कार्य-निष्पादन और संभावनाओं के बारे में भौतिक जानकारी को इस तरह से एक साथ लाती है, जो वाणिज्यिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भ को दर्शाती है, जिसके भीतर कि यह संचालित होती है। यह आपकी मूल्य निर्माण व्यवस्था को एक स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करती है, जो सभी हितधारकों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक है।

आईआर व्यवस्था आपकी कंपनी को वित्तीय पूंजी से हटकर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणाली में योगदान देते हुए बनाए गए मूल्य के समग्र दृष्टिकोण का प्रकटन करने में सक्षम बनाता है। यह प्रकटीकरण अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क में इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी) द्वारा अपनाए गए मूल्य निर्माण के पूंजी मॉडल का उपयोग करके तैयार किया गया है और पूंजी के तरीकों पर हमारी निर्भरता और प्रभाव को स्पष्ट करता है, जो दीर्घावधि मूल्य निर्माण की हमारी क्षमता के लिए मौलिक अपेक्षाएं हैं।

उपर्युक्त व्यवस्था में पूंजी का वर्गीकरण वित्तीय निर्माण, बौद्धिक, मानव, सामाजिक एवं संबंध तथा प्राकृतिक के रूप में किया गया है।

छह पूंजियां

वित्तीय पूंजी

वित्तीय पूंजी किसी संगठन के पास उपलब्ध निधियों के रूप में मानी जाती हैं, जिनमें बैंक में नकदी, निवेश की गई पूंजी, देयताओं, ओपेक्स (प्रचालनात्मक व्यय), कैपेक्स (पूंजी व्यय), एनबीवाई (निवल बही मूल्य) और वास्तविक परिसंपत्ति मूल्य तथा अन्य शामिल है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूंजी है क्योंकि यह विनियम के माध्यम के रूप में भी कार्य करती हैं, जो निर्मित प्राकृतिक, मानव, सामाजिक और बौद्धिक पूंजियों जैसे अन्य पूंजीगत तरीकों में परिवर्तित करके मूल्य प्राप्त कर सकती है।

अर्जित पूंजी ऋण लिखतों पर शेयरधारकों को लाभांश और ब्याज के रूप में दी जाती है। सरकार को विभिन्न प्रकार का भुगतान किया जाता है, इस प्रकार देश के समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। अपनी कंपनी की मुख्य वित्तीय पूंजियां नीचे दी गई हैं:

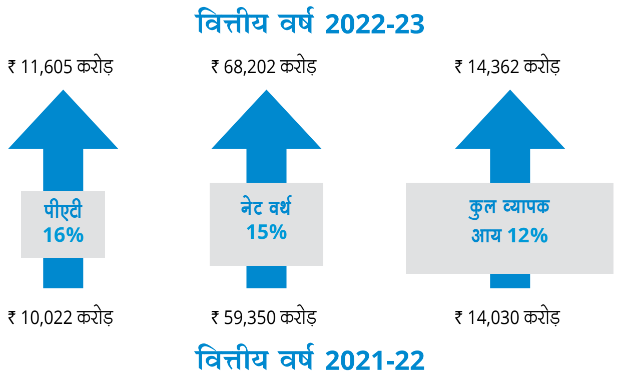

ऊपर दिए गए आंकड़े अपने आप ही स्थिति को स्पष्ट करते हैं। पीएफसी अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य का निर्माण करने में योगदान दे रही है और परिणामस्वरूप देश के विद्युत क्षेत्र के विकास में योगदान हो रहा है।

विनिर्माण पूंजी

विनिर्मित पूंजी में भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इससे संबद्ध प्रौद्योगिकी शामिल है, जिसमें भवन, उपस्कर, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल है। पीएफसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है और मुख्य रूप से केवल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करती है। तथापि, पीएफसी अपनी मूर्त और अमूर्त इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा विनिर्मित पूंजी के लिए योगदान करती है।

पीएफसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कारोबारी प्रचालनों में सुविधा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।

पीएफसी में सभी व्यावसायिक कार्यों को एकीकृत करने के लिए विभिन्न आईटी सेवाएं प्रदान करने और ईआरपी आवेदन प्रणाली रखने के लिए अत्याधुनिक डेटा सेंटर हैं। पीएफसी भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश करती है, जिनमें भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जिनमें सभी संबंधित हितधारकों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

मौजूदा विनिर्मित पूंजी पीएफसी को बाजार की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होने में सक्षम बनती है ताकि कार्मिक दूर रहते हुए, सक्षम और निर्बाध तरीके से कार्य कर सकें और कारोबार में निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

विनिर्मित पूंजी से पीएफसी को अन्य प्रकार की पूंजियों के सृजन में, विशेष रूप से मानव पूंजी और बौद्धिक पूंजी के सृजन पर ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता मिल रहा है।

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी में अमूर्त पूंजी शामिल हैं, जो कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करती हैं और यह पेटेंट, कॉपीराइट, संगठनात्मक प्रणालियों और संगत प्रक्रियाओं, जिन्हें एक संगठन ने विकसित किया है, के अतिरिक्त ब्रांड और प्रतिष्ठा से संबद्ध है।

आपकी कंपनी भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की पहल में एक कार्यनीतिक भूमिका निभाती है और भारत सरकार की एजेंसियों, राज्य सरकारों, विद्युत क्षेत्र की यूटिलिटीज, अन्य विद्युत क्षेत्र मध्यस्थों और निजी क्षेत्र के ग्राहकों के साथ नीतियों के विकास और कार्यान्वयन तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों के लिए काम करती है। यह विद्युत क्षेत्र से संबंधित भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल है, जिनमें संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के लिए नोडल एजेंसी, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईपीएस), आत्मनिर्भर भारत के तहत डिस्कॉम लिक्विडिटी

पैकेज और विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमावली, 2022 के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करना शामिल है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास में पीएफसी की भूमिका को ध्यान में रखते हे, पीएफसी ने ठोस संगठनात्मक प्रणालियां, प्रक्रियाएं, सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल विकसित किए है, जो पीएफसी के लिए प्रतिस्पर्धी योगदान के रूप में सिद्ध हो रहे हैं और बाजार में ब्रांड व प्रतिष्ठा के विकास में सहायक हो रहे हैं।

चूंकि बौद्धिक पूंजी मुख्यतः मानव संसाधन से संबंधित होती है, अतः पीएफसी ने प्रभावी मानव संसाधन अधिग्रहण और रखरखाव प्रणाली स्थापित की है, जो संगठनात्मक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए तैयार की गई श्रेष्ठ निगमित प्रथाओं के साथ निर्दिष्ट की गई है।

इन संगठनात्मक प्रणालियों, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल अर्थात बौद्धिक पूंजी के माध्यम से पीएफसी ने अपने प्रचालनों और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक जानकारी और बौद्धिक क्षमता विकसित की है। अपने गतिशील कारोबारी वातावरण की बनाए रखने के लिए पीएफसी ने अपने प्रतिभा भंडार और बौद्धिक क्षमताओं में लगाकर वृद्धि की है और व्यवधानों का सामना करने, नवाचार और परिवर्तित कारोबारी मॉडल के कारण होने वाले परिवर्तनों के साथ समयोजित होने के लिए बौद्धिक पूंजी सृजित कर रहा है।

मानव पूंजी

मानव पूंजी कंपनी के कार्मिकों की दक्षताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं से संबंधित है, जो उनकी प्रतिबद्धता और प्रेरणा के अलावा, उनकी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।

पीएफसी के पास उक्त कौशल प्राप्त, पेशेवर रूप से दक्ष और अनुभवी कार्यबल है। कंपनी उद्योग की सर्वोत्तम पेशेवर पद्धतियों को अपनाती है। कार्यबल की प्रतिबद्धता कल्याणकारी उपायों के एक प्रभावकारी पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, जिसमें व्यापक बीमा, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जो एक स्वस्थ कार्यबल का नेतृत्व करती है। इस अवधि के दौरान, कार्मिकों के कल्याण के लिए नई पहल की गई है, जैसे एचओयू स्तर से नीचे के कार्मिकों के लिए फ्लेक्सी टाइम शुरू करना, कागज रहित चिकित्सा दावा प्रणाली को कार्यान्वित करना आदि शामिल है।

कंपनी के भीतर संबंध सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहे हैं और कार्मिक पूरी तरह से कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका कारण यह है कि पीएफसी जिमनेजियम जैसी सुविधाओं, विभिन्न खेल, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रियाकलापों में कार्मिकों की भागीदारी के माध्यम से अपने कार्मिकों का समग्र व्यक्तिगत विकास कर रही है।

ऐसा करते हुए पीएफसी एक सशक्त मानव पूंजी तैयार करने में सक्षम रही है और इस अत्यधिक प्रेरित कार्यबल के कारण, पीएफसी हर वर्ष उत्कृष्ट वृद्धि हासिल कर सकती है। पीएफसी के विकास से देश के विकास में योगदान हो रहा है और इसके हितधारकों के लिए मूल्यों का सृजन हो रहा है। इस अत्यधिक प्रेरित कार्यबल से समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है।

सामाजिक और संबंध की पूंजी

सामाजिक और संबंध की पूंजी बाहरी हितधारक समूहों, यथा ग्राहकों, निवेशकों, सप्लायरों, समुदायों, सरकार और विनियमाकों के साथ किसी संगठन की व्यस्तताओं और संबंधों को दर्शाती है।

पीएफसी ने सीएसआर और संधारणीय नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी बड़े पैमाने पर समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगमित इकाई बने। पीएफसी ने पर्यावरण, स्थिरता, पुनर्वास और पुनर्निर्माण क्रियाकलापों, स्वस्थ्य देखरेख, शिक्षा, खेल, स्वच्छता और पेय जल तथा कौशल विकास व आजीविका आदि के क्षेत्रों में विस्तृत क्रियाकलापों की श्रृंखला लागू की है। इसके अलावा, डीपीई के अधिदेश के अनुसार पीएफसी आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए संबंधित क्षेत्रों यथा स्वास्थ्य और पोषण में भी योगदान दे रही है।

पीएफसी न अपने सामाजिक दायित्वों के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीडब्ल्यूडी कार्मिकों के कल्याण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों और दिशानिर्दे शों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। किए गए उपायों में सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के लिए विभिन्न निर्देशों के तहत यथालागू आरक्षण और छूट शामिल है।

पीएफसी हमेशा लोगों और समाज के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत है। पीएफसी समाज की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को वास्तविक और स्थायी तरीके से कम करने के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण में सहायता मिल सके। पीएफसी में उन गतिविधियों का समर्थन जारी रखा गया है, जिनका उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ियों, दोनों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाना है और साथ ही साथ, पृथ्वी की सभी विविधताओं में जीवन का समर्थन करने की क्षमता की भी रक्षा करना है।

प्राकृतिक पूंजी

प्राकृतिक पूंजी उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका उपयोग किया जाता है और परिणामात्मक एक संगठन के प्रचालनों द्वारा प्रभावित होती है।

पीएफसी द्वारा हमेशा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करके और उनकी बर्बादी में कमी लाकर पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। पीएफसी यथासंभव, प्रक्रियाओं को डिजिटल करके आईटीआर समाधानों के माध्यम से अपना कागज का प्रयोग कम करने का प्रयोग करती है। पीएफसी, एक वित्तीय संस्थान होने के कारण इसमें उत्पादों और अपशिष्ट को रिसाइकल करने की व्यवस्था करने की सीमित प्रयोज्यता है। यद्यपि कंपनी ने कार्यलय भवन की किचन/पेंट्री आदि से नियमित रूप से उत्पन्न होने वाले जैविक कचरे का पुनर्चक्रण करने के लिए कार्यालय परिसर में एक जैविक खाद मशीन लगाई है।

पीएफसी यथासंभव, कागज रहित हो गई है, जिसमें वह अपने कार्मिकों को कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ काम करने के लिए सशक्त बना रही है।

देश को स्वच्छ और हरित बनाने में सहायता के लिए पीएफसी ने जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) को 5000 यात्री इलैक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और 1,000 कार्गो ईवी की खरीद के लिए ₹633 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया है। यात्री इलैक्ट्रिक वाहन ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (बीएसपीएल) को पट्टे पर दिए जाएंगे ताकि राइडहेलिंग केब के फ्लीट में विस्तार हो सके। ऋण की प्रथम किस्त का वितरण कर दिया गया है और ईवी कैब की प्रथम खेप सड़कों पर आ गई है। पीएफसी द्वारा वित्तपोषित 5,000 ईवी का यह भारत में सबसे बड़ा ईवी असेट फाइनेंसिंग सौदा माना जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 1,00,000 टन से अधिक कार्बन डाईऑक्सइड के समकक्ष उत्सर्जन की बचत होगी। यह एक वर्ष में 5 मिलियन से अधिक पूर्ण रूप से विकसित पेड़ों द्वारा अवशोषित कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा के समान है।

भारत में नेट जीरो के लक्ष्य में तेजी लाने के दृष्टिकोण के साथ, पीएफसी द्वारा बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण के अलावा, ईवी (ओईएम और फ्लीट अधिग्रहण), बैटरी ओईएम और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऋण वित्तपोषण में अवसरों की तलाश की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी को इलेट्स द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण संस्थान होने का ग्रीन ऊर्जा दक्षता पुरस्कार मिला। इसे 11वें ग्रीन शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता श्रेणी में शीर्ष वित्तपोषण संस्थान होने के लिए इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) गोल्ड अवार्ड भी प्राप्त हुआ।

आपकी कंपनी ऐसे उपायों के माध्यम से प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण और वृद्धि में योगदान देती है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों में निवेश के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और व्यापार में सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई को एकीकृत करने की दिशा में काम करते हुए पीएफसी प्राकृतिक पूंजी तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

निगमित शासन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य कंपनी के संसाधनों का इस तरह से वितरण करना है कि सभी हितधारकों-शेयरधारकों, निवेशकों, कार्मिकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, पर्यावरण और समुदाय के लिए मूल्य को बढ़ाना है। यह प्रक्रियाओं, नीतियों और कानूनों का एक ऐसा सेट है, जिसके द्वारा एक कंपनी को निर्देशित, प्रशासित या नियंत्रित किया जाता है। निगमित शासन के मापदंडों पर अपने निर्णयों का मूल्यांकन करके अपने हितधारकों के प्रति जिम्मेदारी प्रदान करता है। पीएफसी श्रेष्ठ मान्यता प्राप्त निगमित शासन प्रथाओं का पालन कर रही है और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के हमारे प्रयास में ऐसे प्रत्येक अभ्यास के निमित्त स्वयं की निरंतर बैंचमार्किंग कर रही है।

आपकी कंपनी ने हितधारकों के मूल्य को अधिकतम करते हुए कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमेशा अच्छे निगमित शासन मानकों के लिए हमेशा प्रयास किया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुभव और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में नीचे दिए गए हैं।

1. निगमित शासन पर पीएफसी की धारणा

निगमित शासन पर पीएफसी की धारणा दो सिद्धांतों पर आधारित है। वे इस प्रकार हैं:

i. प्रबंधन को अनुचित प्रतिबंधों के बिना सतत विकास के लिए उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारी स्वतंत्रता होनी चाहिए; और

ii. प्रबंधन की इस स्वतंत्रता का उपयोग नियामक वातावरण और प्रभावी जवाबदेही संरचना के भीतर किया जाना चाहिए।

आपकी कंपनी की निगमित संरचना, व्यवसाय का संचालन और प्रकटीकरण प्रक्रियाओं को तदनुसार अपनी निगमित शासन धारणाओं के अनुसार अनुकूल बनाया गया है।

कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में मार्गदर्शक बल के रूप में प्रदान किए गए प्रकटीकरण और दायित्वों को नियंत्रित करने के सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन करती है। कंपनी ने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कंपनी के आंतरिक कोड/प्रक्रियाओं आदि के अंतर्गत उल्लिखित 'निगमित शासन के सिद्धांतों' के उद्देश्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी को नेतृत्व/उद्देश्यपरक निर्णय और कार्यनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। बोर्ड चार्टर के लिए कहा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम, संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा कंपनी की आंतरिक संहिता कोड/प्रक्रियाओं आदि में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासित होती है।

यह निगमित नीतियों, समग्र कार्य-निष्पादन, लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक तथा प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, निगमित शासन और नियामक अनुपालना की समीक्षा करती है। आपकी कंपनी के बोर्ड में विविध अनुभव और विशेषज्ञता वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं।

संरचना

पीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तात्पर्य से सरकारी कंपनी है क्योंकि 31 मार्च, 2023 तक भारत के राष्ट्रपति, कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 55.99% के धारक हैं और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

i. श्री अजय तिवारी, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 9 जून, 2022 से श्री विशाल कपूर, संयुक्त सचिव, जिन्हें पीएफसी के बोर्ड में पहले नामित किया गया था, के स्थान पर बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

ii. श्री आर. सी. मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप वे 11 जुलाई, 2022 से बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।

iii. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री मनोज शर्मा की नियुक्ति किए जाने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 29 अगस्त, 2022 से निदेशक (वाणिज्यिक) का कार्यभार ग्रहण किया।

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी के बोर्ड में आठ निदेशक शामिल थे, जिनमें से चार पूर्णकालिक फंक्शनल निदेशक, एक अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक शामिल थे और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के प्रावधानों और डीपीई द्वारा जारी, सीपीएसई के लिए निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसरण में आवश्यक संरचना की अनुपालना की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, दिनांक 11 जुलाई, 2022 से निदेशक मंडल की संख्या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)

विनियम, 2015 तथा डीपीई द्वारा जारी किए गए सीपीएसई हेतु निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। कंपनी नियुक्ति प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की यथाशीघ्र नियुक्ति करने के लिए अनुरोध करती रही ताकि कंपनी लागू प्रावधानों का अनुपालन कर सके।

31 मार्च, 2023 तक, निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

पूर्णकालिक निदेशकगण		
i)	श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
ii)	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त), मुख्य वित्त अधिकारी एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
iii)	श्री राजीव रंजन झा	निदेशक (परियोजना) एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
iv)	श्री मनोज शर्मा	निदेशक (वाणिज्यिक) एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
सरकारी नामिती निदेशक		
v)	श्री अजय तिवारी	निदेशक (सरकारी नामिती)
गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
vi)	श्री भास्कर भट्टाचार्य	स्वतंत्र निदेशक
vii)	श्री उषा सजीव नायर	स्वतंत्र निदेशक
viii)	श्री प्रसन्ना तंत्री	स्वतंत्र निदेशक

*श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों की अधिवार्षिता के परिणामस्वरूप वे 1 जून, 2023 से पीएफसी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नहीं रहे।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31.05.2023 के आदेश सं.24-8/1/2022-पीएफसी(एमओपी) के अनुसरण में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त), पीएफसी ने दिनांक 01.06.2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

तद्दोपरांत, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2023 के आदेश सं.24-8/1/2022-पीएफसी(पार्ट-3)(एमओपी) के तहत उन्हें पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया और तदनुसार श्रीमती परमिंदर चोपड़ा ने 14 अगस्त, 2023 से पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।

आपकी कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर अनुदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेनी वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) अनुदेश, 2016 के तहत कंपनी के निदेशकों की उपयुक्त और उचित स्थिति निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त और उचित नीति तैयार की। कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने उक्त नीति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उपयुक्त और उचित माना है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय विनियम और प्रतिभूति बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार, आपकी कंपनी ने एक पेशेवर कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशकों के रूप में नियुक्ति किए जाने अथवा जारी रहने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है। इसकी एक प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।

चूंकि पीएफसी सरकारी कंपनी है, अतः कंपनी के बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, चूंकि पीएफसी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के व्यवसाय में शामिल एनबीएफसी है, अतः विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशकों के पास कंपनी के कार्यों का संचालन करने के लिए अपेक्षित क्षेत्रों, अर्थात वित्त और तकनीकी आदि क्षेत्रों में अपेक्षित कौशल एवं विशेषज्ञता है। बोर्ड के सदस्यों के प्रमुख कौशलों, विषेषज्ञता और वित्तीय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, निगमित नियोजन और कार्यनीतिक कारोबारी विकास आदि सहित योग्यताओं और अनुभव का ब्यौरा यहां रिपोर्ट में विस्तार से दिया गया है। साथ ही, निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख की स्थिति के अनुसार निदेशकों की एक संक्षिप्त प्रोफाइल भी इस रिपोर्ट में प्रदान की गई है।

बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकें सामान्य तौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं और समय पूर्व उसकी तैयारी की जाती है। पीएफसी के बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जाती है। बोर्ड की बैठकें निर्धारित कार्यसूची के अनुसार संचालित होती हैं और बोर्ड का प्रत्येक सदस्य विचारार्थ विषयों की सूची में किसी विषय को शामिल किए जाने की सिफारिश कर सकता/सकती है। सभी मुद्दों पर कारणात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्यसूची दस्तावेज अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं ताकि बोर्ड तथ्यपरक एवं स्वतंत्र निर्णय ले सके। आपकी कंपनी इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवीय मानक-1 का पूर्ण रूप से अनुसरण करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की 14 बैठकें हुई:

(i) 9 अप्रैल, 2022 (ii) 25 मई, 2022 (iii) 29 जून, 2022 (iv) 18 जुलाई, 2022 (v) 12 अगस्त, 2022 (vi) 5 सितंबर, 2022 (vii) 28 सितंबर, 2022 (viii) 10 नवंबर, 2022 (ix) 22 नवंबर, 2022 (x) 17 दिसंबर, 2022 (xi) 13 जनवरी, 2023 और 21 जनवरी, 2023 (स्थगित) (xii) 13 फरवरी, 2023 और 16 फरवरी, 2023 (स्थगित) (xiii) 21 मार्च, 2023 और (xiv) 23 मार्च, 2023.

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक 21 सितंबर, 2022 को आयोजित की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति (वास्तविक उपस्थिति/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) अन्य कंपनियों में निदेशकों की संख्या तथा अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता, बोर्ड के सदस्यों के मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता आदि निम्नानुसार हैं:

नाम और पदनाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2023* तक अन्य निदेशकों की संख्या	31 मार्च, 2023 तक अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता*		21 सितंबर, 2022 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता
	कार्यकाल के दैरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष		
श्री आर. एस. ढिल्लों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14	14	1	शून्य	शून्य	उपस्थित	• बीई (इलेक्ट्रिकल)- थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला • एम.टेक (विद्युत प्रणाली) - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आईआईटी) • विद्युत क्षेत्र में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा निदेशक (वित्त)	14	14	7#क	2	0	उपस्थित	• दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक • अर्हता प्राप्त कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट तथा एमबीए • बिजेनेस मैनेजमेंट में स्नाकोत्तर डिप्लोमा • विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों, अर्थात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए और यूरोपियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से जोखिम प्रबंधन एवं वैश्विक प्रबंधन पर एडवांस प्रोग्राम • विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव
श्री राजीव रंजन झा निदेशक (परियोजना)	14	14	2	शून्य	शून्य	उपस्थित	• इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के एनआईटी जमशेदपुर से विज्ञान (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है • इग्नू से प्रबंधन में डिप्लोमा • विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव।
श्री मनोज शर्मा निदेशक (वाणिज्यिक) (29 अगस्त, 2022 से प्रभावी)	9	9	3	शून्य	शून्य	उपस्थित	• चार्टर्ड एकाउंटेंट • विधि में डिग्री (एलएलबी) • विद्युत क्षेत्र में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव
श्री अजय तिवारी निदेशक (सरकारी नामिती) (9 जून, 2022 से प्रभावी)	12	9	2	शून्य	शून्य	उपस्थित नहीं	• इनके पास आईआईटी, कानपुर से बीटेक (इलेक्ट्रिक इंजीनियर) की डिग्री है। • इग्नू, नई दिल्ली से वित्तीय प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा • ये असम मेघालय संवर्ग के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। • इन्होंने गेल और आयुध निर्माणी में भी सेवाएं दी हैं।
श्री विशाल कपूर निदेशक (सरकारी नामिती) (8 जून, 2022 तक)	2	2	8 जून, 2022 को कार्यकाल समाप्त			लागू नहीं	-
श्री आर. सी. मिश्रा स्वतंत्र निदेशक (11 जुलाई, 2022 तक)	3	3	कार्यकाल 11 जुलाई, 2022 को कार्यकाल समाप्त			लागू नहीं	-

नाम और पदनाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2023✲ तक अन्य निदेशकों की संख्या	31 मार्च, 2023 तक अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता*		21 सिंतबर, 2022 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता
	कार्यकाल के दैरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष		
श्री भास्कर भट्टाचार्य स्वतंत्र निदेशक	14	14	शून्य	1	0	उपस्थित	• बी.कॉम (ऑनर्स) • एलएलबी, बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा • 28 वर्षों से अधिक का कार्य
श्रीमती उषा सजीव नायर स्वतंत्र निदेशक	14	14	शून्य	0	1	उपस्थित	• बी.ए. • सामाजिक कार्यकर्ता
श्री प्रसन्ना तंत्री स्वतंत्र निदेशक	14	13	शून्य	0	1	उपस्थित	• बी.कॉम, मैंगलोर विश्वविद्यालय • आईसीडब्ल्यूए, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया • एफपीएम, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस • पीजीपी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस • पीएचडी, डीकीन विश्वविद्यालय

* निजी कंपनियों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 की कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों में निदेशक पद शामिल नहीं है।

** लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति को छोड़कर बोर्ड की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।

सूचीबद्ध एंटिटियों में निदेशक पद का विवरण

#क आरईसी लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड में पीएफसी के नामिती निदेशक

बोर्ड के निदेशकों में से कोई भी निदेशक, सभी कंपनियों को मिलाकर, जिनमें वे निदेशक हैं, 10 से अधिक समितियों के सदस्य और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी रूप में एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की भूमिका और जिम्मेदारियों पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत दिनांक 10 मार्च, 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक हुई। सभी निदेशकों ने बैठक में भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 9 अप्रैल, 2022 को आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस आशय की घोषणा प्रदान की कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रत के मानदंडों को पूरा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 9 मई, 2023 को आयोजित की गई बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस आशय की घोषणा प्रदान की कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र के मानदंडों को पूरा करते हैं। उक्त बैठक में निदेशक मंडल ने पुष्टि की कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन स्वतंत्र हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी स्वतंत्र निदेशक ने त्याग-पत्र नहीं दिया है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

निदेशकों के लिए किए गए परिचय कार्यक्रम का ब्यौरा कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित वेब लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड किए गए ब्यौरे देखे जा सकते हैं:

https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Investors/Equities/Disclosure/Details%20of%20Familiarisation%20Programs%20Imparted%20to%20Independent%20Directors.pdf

3. निदेशक मंडल की समितियां

विनियामक आवश्यकताओं के अनुसरण में तथा कंपनी के कार्यों पर तेजी से विचार-विमर्श और संकेंद्रित निर्णय लेने को सुगम बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ने अलग-अलग भूमिका, जवाबदेही एवं प्राधिकार के साथ बोर्ड स्तरीय समितियों का गठन किया है। बोर्ड ने संगत वित्तीय वर्ष में बोर्ड की समितियों की सिफारिशों को स्वीकार किया, जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं। बोर्ड स्तरीय समितियां निम्नानुसार हैं:

i) निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

iii) हितधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

iv) बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति

v) निदेशकों की सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति

vi) निदेशकों की निवेश समिति

vii) मानव संसाधन समिति

viii) फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति

i. निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2023 तक, लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

सदस्यों के नाम	पदनाम
श्री प्रसन्ना तंत्री, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना)	सदस्य

कंपनी सचिव ने समिति के सचिव के रूप में कार्य करना जारी रखा। लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकार कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार है। वर्ष के दौरान समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 7 बैठकें हुई, जो इस प्रकार है, अर्थात (i) 25 मई, 2022 (ii) 12 अगस्त, 2022 (iii) 26 सितंबर, 2022 (iv) 9 नवंबर, 2022 एवं 10 नवंबर, 2022 (स्थगित) (v) 22 नवंबर, 2022 (vi) 13 जनवरी, 2023 और (vii) 13 फरवरी, 2023।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति (वास्तविक उपस्थिति/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्यों के नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	उपस्थिति
श्री प्रसन्ना तंत्री	अध्यक्ष	6	6
	सदस्य	1	1
श्री भास्कर भट्टाचार्य	सदस्य	6	6
श्री राजीव रंजन झा	सदस्य	7	7
श्री आर.सी. मिश्रा (11 जुलाई, 2022 तक)	अध्यक्ष	1	1

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक) उक्त समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रिति है।

इसके अतिरिक्त, समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष, स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा सांविधिक लेखापरीक्षक(ओं) के प्रतिनिधि को आवश्यकता के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया।

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और तदनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के संगत अंतर्नियमों की शर्तों के अनुसार किया जाता है। तथापि, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के प्रावधानों के अनुसरण में एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2023 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार है:

सदस्यों के नाम	पदनाम
श्रीमती उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री प्रसन्ना तंत्री, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजना) और निदेशक (वाणिज्यिक) उक्त समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रिति हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका और विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों, सीपीएसई के लिए निगमित शासन संबंधी डीपीई के दिशा-निर्देशों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन संबंधी आरबीआई के मानदंडों के अनुरूप हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 5 बैठकें हुईं जो निम्नानुसार हैं अर्थात (i) 8 अप्रैल, 2022 (ii) 29 जून, 2022 (iii) 5 सितंबर, 2022 (iv) 23 सितंबर, 2022 एवं 26 सितंबर, 2022 (स्थगित) और (v) 16 दिसंबर, 2022।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति (वास्तविक/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्यों के नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	उपस्थिति
श्रीमती उषा संजीव नायर	अध्यक्ष	3	3
	सदस्य	2	2
श्री प्रसन्ना तंत्री	सदस्य	3	3
	अध्यक्ष	2	2
श्री भास्कर भट्टाचार्य	सदस्य	5	5

पारिश्रमिक नीति

आपकी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जो अन्य बातों के साथ ऐसे पूर्णकालिक निदेशकों के नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेश के माध्यम से उनका पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं। डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के अन्य कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है तथा पारिश्रमिक निर्धारित किए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों के मामले में निदेशकों का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त, बोर्ड के सदस्यों का कंपनी, इसके प्रोमोटरों या इसकी सहायक

कंपनियों के साथ कोई महत्वपूर्ण मौद्रिक संबंध या लेन-देन नहीं है, जो बोर्ड के निर्णय में निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। चूंकि पीएफसी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से अन्य बातों के साथ सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है। यदि केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी स्वयं की मूल्यांकन विधि के अनुसार निदेशकों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके पास कंपनी का प्रशासनिक रूप से नियंत्रण है। तद्नुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण पीएफसी को उपयुक्त अधिसूचना के अनुसार छूट प्राप्त है क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खत में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधान तथा मूल्यांकन तंत्र भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	वेतन (₹)	हितलाभ (₹)	बोनस/अनुग्रह कमीशन (₹)	कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (₹)	स्टॉक विकल्प (₹)	कुल (₹)	31 मार्च, 2023 तक धारित शेयरों की संख्या
श्री आर. एस. ढिल्लों	47,52,130	13,98,132	0	28,48,040	0	89,98,302	27,050
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	43,66,854	16,29,134	0	26,03,151	0	85,99,139	2,000
श्री राजीव रंजन झा	47,47,192	17,07,290	0	25,92,908	0	90,47,390	16,004
श्री मनोज शर्मा (29 अगस्त, 2022 से)	26,89,336	791,124	0	6,29,256	0	41,09,716	शून्य

टिप्पणियां:

1. निदेशक के पद पर कार्य अवधि के लिए वेतन और भत्तों पर भुगतान के आधार पर विचार किया गया है।
2. उपयुक्त जानकारी में पट्टा किराया, गैर-कर योग्य भत्ता एवं परिलब्धियां, गैर-कर योग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अधिवार्षिता हितलाभों आदि के लिए अंशदान, शामिल नहीं है।
3. कंपनी की कार्य-निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) प्रणाली के अनुसार कार्य-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहनों का भुगतान किया जाता है।
4. निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक सहित नियुक्ति की शर्तों, नोटिस अवधि, विभाजन शुल्क, यदि कोई हो, आदि का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

गैर-कार्यकारी निदेशकों/स्वतंत्र तथा सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र तथा सरकारी नामिती निदेशकों का कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण मौद्रिक संबंध या लेन-देन नहीं होता है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए ₹40,000 के बैठक शुल्क का भुगतान और निदेशकों की समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए ₹30,000 का भुगतान किया जाता है।

सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के लिए हकदार नहीं हैं।

31 मार्च, 2023 तक श्री प्रसन्ना तंत्री, स्वतंत्र निदेशक, श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक और श्री अजय तिवारी, सरकारी नामिती निदेशक की कंपनी में शेयरधारिता शून्य थी।

वरिष्ठ प्रबंधन

क) 31 मार्च, 2023 तक कार्यपालक निदेशक अर्थात बोर्ड से एक स्तर नीचे तथा केएमपी (पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम
1	संदीप कुमार	कार्यपालक निदेशक
2	संजय शर्मा	कार्यपालक निदेशक
3	राज कुमार मल्होत्रा	कार्यपालक निदेशक
4	राजेश कुमार भारद्वाज	कार्यपालक निदेशक
5	प्रणव कुमार सिन्हा	कार्यपालक निदेशक
6	पवन कुमार	कार्यपालक निदेशक
7	शनमुगा सुंदरम पलनीवेल	कार्यपालक निदेशक
8	अली शाह	कार्यपालक निदेशक
9	पकरीसामी वी.	कार्यपालक निदेशक
10	मनोज कुमार राणा	कार्यपालक निदेशक
11	हेमंत कुमार दास	कार्यपालक निदेशक
12	राजीव कुमार चतुर्वेदी	कार्यपालक निदेशक
13	संजय मेहरोत्रा	कार्यपालक निदेशक
14	राजेश कुमार शाही	कार्यपालक निदेशक
15	सौरव कुमार शाह	कार्यपालक निदेशक
16	मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यपालक निदेशकों, अर्थात बोर्ड से एक स्तर नीचे तथा केएमपी (पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा) में परिवर्तनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	टिप्पणियां
1	राजीव कुमार चतुर्वेदी	कार्यपालक निदेशक	पदोन्नति
2	पकरीसामी वी.	कार्यपालक निदेशक	पदोन्नति
3	पवन कुमार	कार्यपालक निदेशक	पदोन्नति
4	हेमंत कुमार दास	कार्यपालक निदेशक	पदोन्नति
5	अली शाह	कार्यपालक निदेशक	पदोन्नति
6	संजय मेहरोत्रा	कार्यपालक निदेशक	पदोन्नति
7	राजेश कुमार शाही	कार्यपालक निदेशक	पदोन्नति
8	संजय शर्मा	कार्यपालक निदेशक	पदोन्नति
9	शनमुगा सुंदरम पलनीवेल	कार्यपालक निदेशक	पदोन्नति
10	संजय कुमार राय	कार्यपालक निदेशक	सेवानिवृत्त
11	अमर जीत सिंह नंदा	कार्यपालक निदेशक	सेवानिवृत्त
12	सुबीर साह	कार्यपालक निदेशक	सेवानिवृत्त
13	राम किशोर तल्लूरी	कार्यपालक निदेशक	सेवानिवृत्त
14	पवन मलिक	कार्यपालक निदेशक	सेवानिवृत्त
15	रिजवानुर रहमान	कार्यपालक निदेशक	सेवानिवृत्त
16	डेविड गद्दम	कार्यपालक निदेशक	सेवानिवृत्त

iii. हितधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षा के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के निवारण की जांच करने के लिए कंपनी ने हितधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2023 तक हितधारक संबंध एवं शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्रीमती उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना)	सदस्य

श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव ने 30 अप्रैल, 2023 तक कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, हितधारक संबंध एवं शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति की चार बैठकें हुईं, जो निम्नानुसार हैं (i) 24 मई, 2022 (ii) 12 अगस्त, 2022 (iii) 9 नवंबर, 2022 और (iv) 13 फरवरी, 2023।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में (वास्तविक उपस्थिति/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्यों के नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	उपस्थिति
श्रीमती उषा सजीव नायर	अध्यक्ष	4	4
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य	4	4
श्री राजीव रंजन झा	सदस्य	4	4
श्री प्रसन्ना तंत्री (11 जुलाई, 2022 तक)	सदस्य	1	1

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों पर सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इक्विटी	बॉण्ड
वर्ष के प्रारंभ में लंबित	0	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	2624	5651
वर्ष के दौरान निपटान की गई	2616	5651
वर्ष के अंत में निपटान न की गई शिकायतें	8*	0

*वर्ष के अंत में प्राप्त शिकायतों का निपटान बाद में 4 अप्रैल, 2023 तक किया गया।

iv. बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की जोखिम प्रबंधन योजना की मॉनीटरिंग और उसकी समीक्षा करने तथा विभिन्न जोखिम प्रबंधन क्रियाकलाप के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने हेतु बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2023 तक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (17 जून, 2022 से)	अध्यक्ष
श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना)	सदस्य
श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक) (29 अगस्त, 2022 से)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड स्तरीय जोखिम समिति की 4 बैठकें हुईं, जो निम्नानुसार हैं (i) 28 जुलाई, 2022 (ii) 22 सितंबर, 2022 (iii) 16 दिसंबर, 2022 और (iv) 21 मार्च, 2023।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति (वास्तविक उपस्थिति/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से) का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्यों के नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. एस. ढिल्लों (17 दिसंबर, 2022 से)	अध्यक्ष	1	1
श्री भास्कर भट्टाचार्य	सदस्य	1	1
	अध्यक्ष	3	3
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य	4	3
श्री राजीव रंजन झा	सदस्य	4	4
श्री मनोज शर्मा (29 अगस्त, 2022 से)	सदस्य	3	3

मुख्य जोखिम अधिकारी बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति की सभी बैठकों के लिए एक स्थायी आमंत्रिती है।

v. निदेशकों की सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति

कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास गतिविधियों को दिशा प्रदान करने तथा सीएसआर एवं एसडी की विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने हेतु सीएसआर एवं संधारणीयता विकास समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2023 तक सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री प्रसन्ना तंत्री, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्रीमती उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना) (18 जुलाई, 2022 से)	सदस्य
श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक) (29 अगस्त, 2022 से)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों की सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति की 7 बैठकें हुई, जो निम्नानुसार हैं (i) 8 अप्रैल, 2022 (ii) 28 जून, 2022 (iii) 23 सितंबर, 2022 (iv) 28 अक्तूबर, 2022 (v) 9 नवंबर, 2022 (vi) 13 जनवरी, 2023 और (vii) 21 मार्च, 2023।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में (वास्तविक उपस्थिति/वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से) उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्यों के नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री प्रसन्ना तंत्री (18 जुलाई, 2022 से)	अध्यक्ष	5	5
श्रीमती उषा सजीव नायर	सदस्य	7	7
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य	7	6
श्री राजीव रंजन झा (18 जुलाई, 2022 से)	सदस्य	5	5
श्री मनोज शर्मा (29 अगस्त, 2022 से)	सदस्य	5	5
श्री आर. सी. मिश्रा (11 जुलाई, 2022 तक)	अध्यक्ष	2	2
श्री आर. एस. ढिल्लों* (28 अगस्त, 2022 तक)	सदस्य	2	उपस्थित नहीं

* निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार धारण करने के आधार पर

vi. निदेशकों की निवेश समिति

केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के आईपीओ में इक्विटी निवेश अनुमोदित करने तथा अन्य संबद्ध मामलों जैसे कि निकास/बिक्री के निर्णयों, आईपीओ के माध्यम से आवेदित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्येक कंपनी में व्यक्तिगत निवेश की सीमा आदि के लिए भी निदेशकों की निवेश समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2023 तक निदेशकों की निवेश समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्रीमती उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक (18 जुलाई, 2022 से)	सदस्य
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना)	सदस्य
श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक) (29 अगस्त, 2022 से)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशकों की निवेश समिति की (i) 28 जून, 2022 (ii) 18 जुलाई, 2022 और (iii) 18 दिसंबर, 2022 को तीन बैठकें हुई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्यों के नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. एस. ढिल्लों	अध्यक्ष	3	3
श्रीमती उषा सजीव नायर (18 जलाई, 2022 से)	सदस्य	1	1
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य	3	2
श्री राजीव रंजन झा	सदस्य	3	3
श्री मनोज शर्मा (29 अगस्त, 2022 से)	सदस्य	1	1
श्री भास्कर भट्टाचार्य (18 जुलाई, 2022 तक)	सदस्य	2	2

vii. मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने तथा अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व, उन पर निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए मानव संसाधन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2023 तक मानव संसाधन समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक) (29 अगस्त, 2022 से)	अध्यक्ष
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मानव संसाधन समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

viii. फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति

आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकारकर्ता कंपनी और जमा स्वीकारकर्ता कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुपालन में फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2023 तक फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
श्री राजीव रंजन झा, निदेशक (परियोजना)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति की 28 मार्च, 2023 को एक बैठक हुई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्यों के नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	उपस्थिति
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	अध्यक्ष	1	1
श्री राजीव रंजन झा	सदस्य	1	1

4. अन्य समितियां

आईटी कार्यनीति समिति

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया। 31 मार्च, 2023 तक, श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक, कंपनी के मुख्य सूचना अधिकारी/मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी को शामिल किया गया। उक्त आईटी कार्यनीति समिति के विचारणीय विषयों और भूमिका एवं दायित्वों के अंतर्गत आईटी कार्यनीति और नीति दस्तावेज का अनुमोदन करना, प्रबंधन द्वारा कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित आईटी संसाधनों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त विधि पर मॉनीटरिंग रखना और आईटी संसाधन जुटाने और उनके इस्तेमाल के लिए उच्च स्तरीय दिशानिर्देश प्रदान करना; पीएफसी की वृद्धि स्थायी बनाए रखने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी निवेश में समुचित संतुलन सुनिश्चित करना और आईटी जोखिमों के प्रति जागरूकता और जानकारी के साथ उन पर नियंत्रण करना आदि शामिल है।

5. वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

एजीएम	दिनांक	दिन	समय	स्थान	विशेष संकल्प
34वीं	29 सितंबर, 2020	मंगलवार	दोपहर 12:30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निगम के पंजीकृत कार्यालय में	• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अंतर्गत ऋण सीमा बढ़ाने का अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1) (क) के अंतर्गत संशोधन करने के लिए • कंपनी के एमओए के उद्देश्य खंड को बदलना
35वीं	21 सितंबर, 2021	मंगलवार	दोपहर 12:30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निगम के पंजीकृत कार्यालय में	शून्य
36वीं	21 सितंबर, 2022	बुधवार	पूर्वाह्न 11:30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निगम के पंजीकृत कार्यालय में	• श्री भास्कर भट्टाचार्य (डीआईएन: 09406292), की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए • श्रीमती उषा सजीव नायर (डीआईएन: 09408454), की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए • श्री प्रसन्ना तंत्री (डीआईएन: 06471864), की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए • कंपनी के एमओए के उद्देश्य खंड को बदलने के लिए

पोस्टल बैलट

पिछले वर्ष पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आगामी एजीएम तक पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है।

6. प्रकटीकरण

कंपनी ने ऐसा कोई वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है जिससे कंपनी के हित के साथ कोई संभावित टकराव की आशंका हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं किया जहां उनका निजी हित था। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में कंपनी ने ङ्गसंबंधित पक्षकार लेन-देन पर नीतियांफतैयार की हैं और संगत पक्षकार लेनेदेन और उनका ब्यौरा https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1679572235694šPOLICY%20ON%20M-TERI-LITY%20OF%20RPT13012023.pdfpath=Page लिंक पर उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई निंदा की गई है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी को बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना की आवश्यकता के गैर-अनुपालन के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुर्माने के नोटिस प्राप्त हुए थे। चूंकि उक्त अनुपालन पीएफसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, अत: कंपनी उक्त जुर्माने की छूट के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। 31 मार्च, 2023 तक पीएफसी द्वारा अपने बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना के संदर्भ में इसका पालन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएफसी 11 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक बोर्ड की संरचना के संदर्भ में अनुपालन नहीं कर सकी थी। एनएसई ने चार तिमाहियों की अवधि के दौरान अनुपालन न होने के कारण पीएफसी पर जुर्माना लगाया था और बीएसई ने पहली तीन तिमाहियों की अवधि के अनुपालन न होने पर जुर्माना लगाया था।

कंपनी ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के अंतर्गत यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई भी शिकायतें दर्ज नहीं कराई गई।

संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसरण में कंपनी से अन्य बातों के साथ-साथ निदेशकों एवं कार्मिकों के लिए एक सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोवर नीति स्थापित करने की अपेक्षा है ताकि वे अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता की नीति के उल्लंघन के बारे में अपने वास्तविक सरोकारों या शिकायतों को दर्ज करा सकें। ऐसे सतर्कता तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में, पीएफसी की व्हिसल ब्लोवर नीति स्थापित की गई है और इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से रोका न जाए। यह निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध है:-

https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490188785276_WBP.pdf&path=Page

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसरण में कंपनी ने 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनी पर नीति' तैयार की है और यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552854274_Final%20Policy%20for%20Material%20Subsidiary17052019.pdf&path=Page

लेखा बहियों में व्यय की ऐसी किसी मद को डेबिट नहीं किया गया, जो व्यवसाय के प्रयोजनार्थ नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया, जो निजी प्रकृति का हो और निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प/ईएसओपी जारी नहीं किया है।

आपकी कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुपालन को छोड़कर वर्ष के उस भाग के लिए व्यापक रूप से सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए समय-समय पर यथा संशोधित दिशा-निर्देशों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया। गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने की स्थिति निम्नानुसार है:

1. **बोर्ड:** कंपनी का नेतृत्व एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
2. **शेयरधारक के अधिकार:** कंपनी के तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, निगमित शासन रिपोर्ट के 'साधन और संचार' शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित अनुसार प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाए जाते हैं।
3. **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विचार:** कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि असंशोधित लेखापरीक्षा विकल्प के साथ वित्तीय विवरणों को रखा जाए। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों से असंशोधित रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
4. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट:** कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाता है और लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जाती है।

कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण के बारे में बोर्ड को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल इन प्रक्रियाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा करता है ताकि सुनिश्चित हो कि समुचित रूप से परिभाषित फ्रेमवर्क के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है।

आपकी कंपनी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क ₹1.29 करोड़ है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने लागू सीमा तक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का 1 अप्रैल, 2018 से अनुसरण किया है।

7. संचार के साधन

कंपनी संचार को निगमित शासन की समग्र फ्रेमवर्क के मुख्य घटक के रूप में मानती है और इसलिए व्यापक रूप से जनता से निरंतर, दक्ष एवं संगत संचार पर बल देती है। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्रों तथा वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण द्वारा अपने शेयरधारकों के साथ संचार करती है। कंपनी निवेशक सम्मेलनों, सम्मेलन कॉल आदि के माध्यम से भी अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ संचार करती है। यद्यपि तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे कि द इकॉनोमिक टाइम्स, द नवभारत टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण (हिंदी), अमर उजाला, द इंडियन एक्सप्रेस आदि में प्रकाशित किए जाते हैं, ये कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध हैं और व्यापक प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ लेखापरीक्षित लेखा, समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक रिपोर्ट, लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निगमित शासन पर रिपोर्ट शामिल है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को भेजी जाती है।

8. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार, सीईओ अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीएफओ अर्थात निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र 27 मई, 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया (इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-I** के रूप में प्रतिलिपि संलग्न है)।

9. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी ने सुदृढ़ अनुपालन मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित की है। बोर्ड कंपनी पर लागू सभी कानूनों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन की स्थिति का आवधिक आधार पर समीक्षा करता है।

10. आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता आपकी कंपनी के सभी निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू एक व्यापक संहिता है। यह मिशन एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन एवं मूल्यों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। संहिता की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन के वरिष्ठ कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-**II** के रूप में संलग्न है।

11. इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुपालन में आपकी कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए और इसका दुरुपयोग रोकने हेतु व्यापक संहिता अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में व्यापार के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचरण तथा अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता तैयार की है। कंपनी में अपने आबंटन के दौरान प्राप्त सभी ऐसी सूचना की गोपनीयता की रक्षा करना और निजी लाभ प्राप्त करने या किसी तृतीय पक्षकार को लाभ प्रदान करने के लिए अपने पद या सूचना का दुरुपयोग न करना संहिता में उल्लिखित सभी नामित कार्मिकों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों का दायित्व है। संहिता कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं एवं दिशानिर्देश तथा किए जाने वाले प्रकटीकरण और गैर-अनुपालन के परिणाम विहित करती है। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह उक्त संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार हैं।

उक्त संहिता की आवश्यकता के अनुसरण में, जब भी बोर्ड को कुछ मूल्यवान संवेदी सूचना प्रस्तुत की गई, तो ट्रेडिंग विंडो को समय-समय पर बंद किया गया। अनुपालन अधिकारी ने ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार न करने के लिए सभी कार्मिकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को रोकते हुए अग्रिम में कंपनी की वेबसाइट पर ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना प्रदान की।

'पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता तथा अप्रकाशित मूल्यवान संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता' की प्रतिलिपि कंपनी की निम्नलिखित वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:

https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1614952208955_Insider_Trading_Code_Amended05032021.pdf&path=Page

12. शेयरधारक की सूचना

क) वार्षिक आम बैठक

दिनांक	समय	स्थान
12 सितंबर, 2023	प्रातः 11:30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से

37वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों द्वारा किया जाएगा। कंपनी द्वारा उक्त एजीएम में उपस्थित होने के लिए शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा साथ ही, उक्त एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के उनके अधिकार का उपयोग करने का विकल्प भी शेयरधारकों को दिया जाएगा। कंपनी की 37वीं एजीएम की सूचना में उक्त एजीएम में भागीदारी और अन्य संबंधित जानकारी का विवरण दिया गया है।

ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

विवरण	तिथि
वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024
पहली तीन तीमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर घोषित किए जाएंगे। लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों में या इससे पहले घोषित किए जाएंगें।
एजीएम (अगले वर्ष)	अगस्त/सितंबर, 2024

ग) बही बंद करने की तिथि

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण का रजिस्टर मंगलवार 5 सितंबर, 2023 से मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 तक दोनों दिनों बंद रहेगा।

घ) लाभांश का भुगतान

लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 43ए के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति बनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे वित्तीय पैरामीटरों सहित बाहरी और आंतरिक विनिमय विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों के अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की आशा रख सकते हैं अथवा नहीं रख सकते हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

यह नीति पीएफसी की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1546009180778_DividendDistribution.pdf&path=Page

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹4.5 प्रति शेयर का अंतिम लाभांश भुगतान करने की सिफारिश की है, जिसका भुगतान वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद किया जाएगा। यह ₹8.75 प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अध्यधीन) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है जिसे कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर वर्ष के दौरान तीन चरणों में पहले ही घोषित और भुगतान किया गया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल लाभांश ₹13.25 प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अध्यधीन) के बराबर है।

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश किए गए इक्विटी शेयर पर अंतिम लाभांश को यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो कंपनी के सदस्यों अथवा उनके अधिकृत व्यक्तियों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम भौतिक शेयरों के संबंध में 16 जून, 2023 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। डिमेटिरियलाइज शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान शेयरों के लाभार्थी स्वामीफको किया जाएगा, जिनके नाम 16 जून, 2023 को कार्य घंटे समाप्त होने पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए लाभार्थी स्वामित्व विवरण में दर्ज है। यदि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में लाभांश की घोषणा की जाती है, तो इसका भुगतान स्टेकधारकों को एजीएम में उसकी घोषणा की तारीख से 30 दिन के अंदर किया जाएगा।

लाभांश का इतिहास

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	कुल लाभांश भुगतान राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश दर (%)	भुगतान की तिथि (अंतरिम और अंतिम)
2017-18	2,640.08 (प्रथम अंतरिम)	1,584.05	60	23 नवंबर, 2017
	2,640.08 (द्वितीय अंतरिम)	475.21	18	19 मार्च, 2018
	कुल	**2,059.26**	**78**	**-**
2018-19	2,640.08	-	-	-
2019-20	2,640.08 (अंतरिम)	2,508.07	95	12 मार्च, 2020
	कुल	**2,508.07**	**95**	**-**
2020-21	2,640.08 (अंतरिम)	2,112.06	80	31 मार्च, 2021
	2,640.08 (अंतिम)	528.02	20	12 अक्तूबर, 2021
	कुल	**2,640.08**	**100**	
2021-22	2,640.08 (प्रथम अंतरिम)	594.02	22.5	10 सितंबर, 2021
	2,640.08 (द्वितीय अंतरिम)	660.00	25	10 दिसंबर, 2021
	2,640.08 (तृतीय अंतरिम)	1,584.05	60	11 मार्च, 2022
	2,640.08 (अंतिम)	330.00	12.5	11 अक्तूबर, 2022
	कुल	**3,168.07**	**120**	

आईईपीएफ खाता बॉण्डों को अंतरित की गई अदावी राशि और शेयर/ लाभांश/ बॉण्डों की स्थिति:

बॉण्ड

31 मार्च, 2023 तक कुल अदावी राशि और अदत्त राशि ₹72,69,89,007.18 (मूलधन प्लस ब्याज)थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आईईपीएफ को अंतरित की गई अदत्त/अदावी बॉण्डों की राशि ₹12,39,576/- है।

अदावी लाभांश-इक्विटी

31 मार्च, 2023 तक लाभांश (इक्विटी) की अदावी शेष राशि ₹5,63,28,327.30 (राउण्ड ऑफ) थी। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹63,17,068 की अदावी लाभांश राशि अंतरण किए जाने के लिए देय थी और तदनुसार निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित कर दी गई थी।

आईईपीएफ को अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 (आईईपीएफ नियमावली) के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश का दावा लगातार सात वर्ष के लिए नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते को अंतरित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने जून, 2022 में 7,394 इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10), नवंबर, 2022 में 5100 इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10) और फरवरी, 2023 में 6680 इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10) अंतरित कर दिए हैं। 31 मार्च, 2023 तक आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में रखे इक्विटी शेयरों की संख्या 1,07,486 थी। तद्दोपरांत 2117 इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10) थे जिन्हें जून, 2023 में आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में अंतरित कर दिया गया।

जिन सदस्यों के पास उपयुक्त लाभांश और शेयरों पर कोई दावा है, वे आईईपीएफ प्राधिकरण से उनके लिए निर्धारित फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में, जो वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, ऑनलाइन आवेदन करके दावा कर सकते हैं और उसकी एक भौतिक प्रतिलिपि विधिवत हस्ताक्षर के साथ कंपनी को भेजकर, फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भेज सकते हैं। आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित लाभांश/ शेयरों के संबंध में कंपनी पर कोई दावा नहीं होगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमावली के नियम 7(2क) के अनुसरण में, निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के नोडल अधिकारी हैं:

नोडल अधिकारी	श्री मनीष कुमार अग्रवाल
बॉण्डों/डिबेंचरों के संबंध में नोडल अधिकारी	श्री ईश्वर सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (आरएमडी-II)

श्री मनोहर बलवानी दिनांक 30.04.2023 तक कंपनी में कंपनी सचिव थे, अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, वह दिनांक 01.05.2023 से कंपनी के कंपनी सचिव के पद पर नहीं रहे।

ड.) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता

पीएफसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
एक्सचेंज प्लाजा,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (ईस्ट),
मुंबई - 400 051
स्क्रिप कोड : पीएफसी ईक्यू

बीएसई लिमिटेड
25वां तल, पीजे टावर्स,
दलाल स्ट्रीट,
मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड : 532810

स्टॉक कोड (आईएसआईएन): INE134E01011

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एनएसई और बीएसई को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है।

च) बाजार कीमत डेटा

माह	उच्च (₹)		निम्न (₹)		अंतिम (₹)	
	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 22	124.80	124.80	112.50	112.45	117.75	117.75
मई, 22	117.75	117.90	104.25	104.30	111.35	111.60
जून, 22	113.80	114.40	97.10	97.15	104.45	104.60
जुलाई, 22	116.40	116.35	103.20	103.30	115.95	109.8
अगस्त, 22	122.45	122.35	115.90	115.95	119.60	104.95
सितंबर, 22	118.95	119.00	103.65	103.65	104.60	99.25
अक्तूबर, 22	115.50	115.50	100.85	100.85	115.25	109.1
नवबर, 22	139.15	139.10	114.50	114.50	135.90	135.95
दिसंबर, 22	147.80	147.80	130.50	130.20	141.15	141.05
जनवरी, 23	161.80	161.90	133.05	133.05	141.45	141.50
फरवरी, 23	151.90	151.90	134.20	134.35	145.40	145.35
मार्च, 23	170.60	170.55	144.40	144.45	151.75	151.75

छ) सूचकांकों की तुलना में कार्य निष्पादन

पीएफसी शेयर कीमत और निफ्टी 50

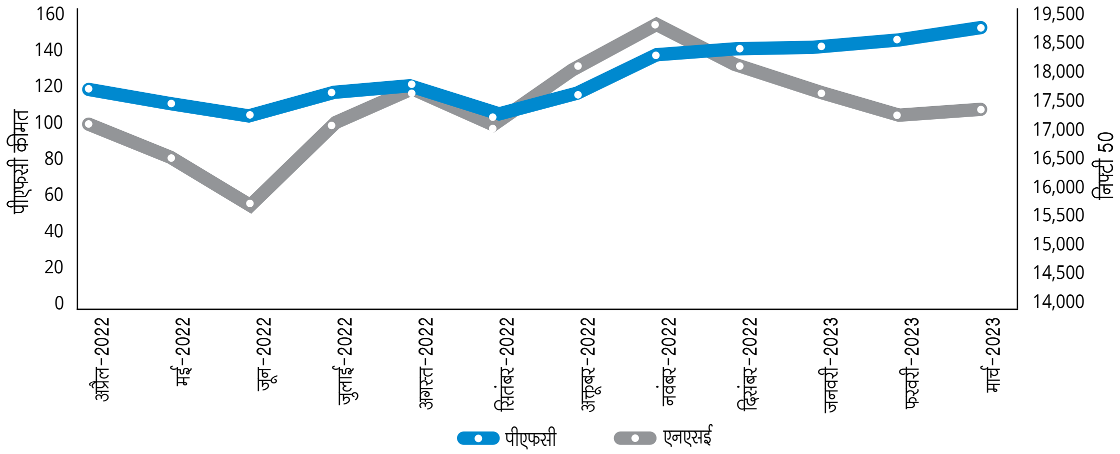

पीएफसी शेयर कीमत और बीएसई सेंसेक्स

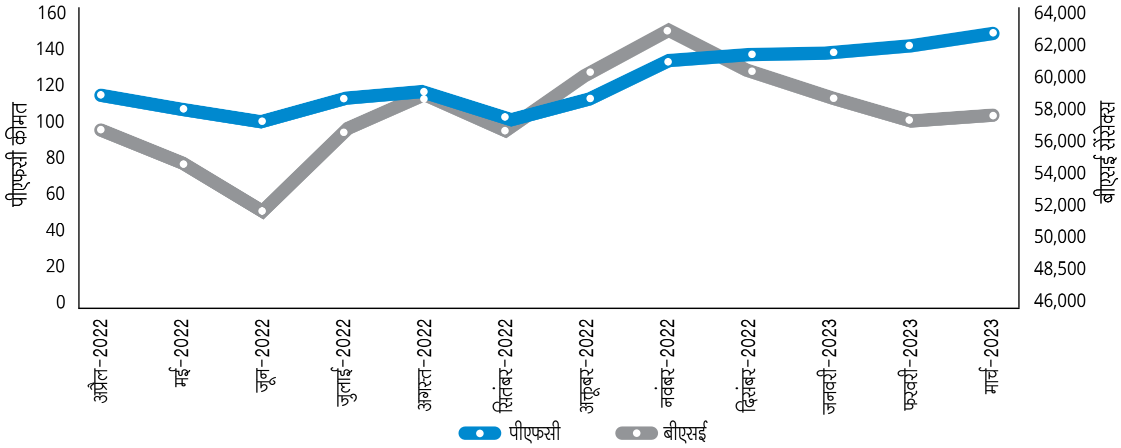

ज) इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

संचार का पता

केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी,
प्लॉट नं. 31 एवं 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500 032, भारत
टेलीफोन: +91 40 67162222
ई-मेल: einward.riskfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

झ) शेयर अंतरण प्रणाली

डिपॉजिटरी के माध्यम से इक्विटी शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरण किया जाता है जिसमें कंपनी की कोई भागीदारी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का लेन-देन सरल एवं त्वरित है। दलाल से बिक्री/क्रय लेन-देन की पुष्टि के बाद शेयरधारकों को लेन-देन के लिए खाते को डेबिट या क्रेडिट करने के अनुरोध के साथ प्रतिभागी डिपॉजिटरी से संपर्क करना चाहिए। प्रतिभागी डिपॉजिटरी खाते को अपडेट करके लेन-देन को पूर्ण करने की तुरंत व्यवस्था करेगा। अंतरण को पंजीकृत कराने के लिए कंपनी के साथ अलग से पत्राचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1 अप्रैल, 2019 से सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के भौतिक अंतरण पर रोक लगा दी है तथा केवल डीमैट के माध्यम से अंतरण को अनिवार्य कर दिया है। तथापि, निवेशकों को भौतिक रूप में शेयर रखने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

ञ) डीमेट सस्पेंस खाते का विवरण

31 मार्च, 2023 तक डीमेट सस्पेंस खाते में शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के शुरू में, अर्थात 1 अप्रैल, 2022 तक सस्पेंस खाते में शेयरधारकों तथा बकाया शेयरों की कुल संख्या	3	1432
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क किया	0	0
घटाएं : ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2022-23 के दौरान सस्पेंस खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
घटाएं: ऐसे शेयरों की संख्या जो वर्ष 2022-23 के दौरान आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए	0	0
वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2023 तक सस्पेंस खाते में शेयरधारकों तथा बकाया शेयरों की कुल संख्या	3	1432

ऐसे शेयरों के उचित स्वामित्व दावे किए जाने तक उक्त शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार बंद रहेंगे।

ट) शेयरधारिता का वितरण

- 31 मार्च, 2023 तक शेयरधारिता का वितरण

क्र. सं.	मूल्य	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	राशि (₹)	शेयरों का %
1	1-5000	4,01,843	88.06	43,52,22,910	1.65
2	5001-10000	29,495	6.47	23,54,32,700	0.9
3	10001-20000	12,982	2.84	19,46,63,430	0.73
4	20001-30000	3,803	0.83	9,78,69,340	0.37
5	30001-40000	1,849	0.40	6,68,66,740	0.25
6	40001-50000	1,432	0.31	6,75,60,730	0.26
7	50001-100000	2,503	0.55	18,37,59,190	0.70
8	1000001 और अधिक	2,439	0.54	25,11,94,39,040	95.14
	कुल	**4,56,346**	**100**	**26,40,08,14,080**	**100**

- 31 मार्च, 2023 तक शेयरधारिता पैटर्न

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का %
भारत के राष्ट्रपति	1,47,82,91,778	55.99
विदेशी पोर्टफोलियो - सीओआरपी	43,53,23,990	16.49
म्यूचुअल फंड	32,27,61,944	12.22
निवासी व्यक्ति	17,88,93,387	6.78
अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता	15,66,77,837	5.93
निगमित निकाय	3,35,64,432	1.28
बीमा कंपनियां	98,60,610	0.38
एचयूएफ	97,87,415	0.37
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय	44,83,987	0.17
अनिवासी भारतीय	38,39,627	0.15
बैंक	18,36,233	0.07
ट्रस्ट	17,06,688	0.06
एनबीएफसी	11,38,206	0.04
कार्मिक	9,34,329	0.04
वैकल्पिक निवेश निधि	5,01,356	0.02
समाशोधन सदस्य	2,69,903	0.01
आईईपीएफ	1,07,486	0.00
भारतीय वित्तीय संस्थान	1,00,000	0.00
विदेशी नागरिक	2,200	0.00
कुल	**2,64,00,81,408**	**100**

ठ) शेयरों का डिमैटीरियलाइजेशन

31 मार्च, 2023 तक डीमैट रूप में और भौतिक रूप में एनएसडीएल, सीडीएसएल के पास रखे गए शेयरों की संख्या।

विवरण	शेयरों की संख्या	जारी कुल पूंजी का %
एनएसडीएल	2,536,580,836	96.08
सीडीएसएल	103,478,065	3.92
भौतिक	22,507	0.00
कुल	**2,64,00,81,408**	**100**

ड) बकाया जीडीआर और एडीआर वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर और एडीआर वारंट/परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की गई है।

ढ) वस्तु कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम तथा हेजिंग गतिविधियां

विदेशी मुद्रा ऋणों से संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति स्थापित की है। कंपनी ने विभिन्न लिखतों जैसे फॉर्वर्ड, विकल्प, और स्वैप के माध्यम से विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए हेजिंग लिखत शुरू की है।

ण) पत्राचार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय
'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110 001

कंपनी सचिव
श्री मनीष कुमार अग्रवाल
टेलीफोन: +91 11 23456020
फैक्स: +91 11 23456786
ई-मेल: investorsgrievance@pfcindia.com

त) क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, दीर्घावधि और अल्पावधि, दोनों ही ऋणों के मामले में कंपनी की घरेलू रेटिंग (बैंक ऋणों सहित) सर्वोच्च बनी रही।

क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा प्रदान की गई घरेलू रेटिंग

- दीर्घावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम की रेटिंग - क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए और केयर एएए
- अल्पावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम की रेटिंग- क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, और केयर ए1+

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग

- कंपनी की अंतरराष्ट्रीय क्रेटिड रेटिंग बीएए3 और बीबीबी- जारी है, जो क्रमशः अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच द्वारा प्रदान की गई है।

थ) अधिमानी आबंटन/अर्हक संस्थान नियोजन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अधिमानी आबंटन/अर्हक संस्थान नियोजन के रूप में कोई निधि नहीं जुटाई है।

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक I

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत निदेशक मंडल के लिए प्रमाण-पत्र

हम एतदद्वारा निदेशक मंडल को यह प्रमाणित करते हैं कि:

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणों में कोई वास्तविक रूप से असत्य विवरण नहीं है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है या ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा इनमें लेखांकन के मौजूदा मानकों, प्रयोज्य कानूनों एवं विनियमों का पालन किया गया है।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला है।

हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की कारगरता का मूल्यांकन किया है और हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या प्रचालन में खामियों, यदि कोई हो, जिसकी हमें जानकारी है, और हमने इन खामियों को दूर करने के लिए जो कदम उठाया है या उठाने का प्रस्ताव किया है, उसके बारे में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को जानकारी प्रदान की है।

हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इंगित किया है:

i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी दी है और वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में उनका प्रकटीकरण किया गया है; तथा

iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनके बारे में हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले कार्मिक की संलिप्तता, यदि कोई हो।

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ
डीआईएन: 00278074

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार घोषणा:

'बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यवसाय आचार तथा बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।'

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08530587

निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाण-पत्र

निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

[सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

सेवा में,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
'ऊर्जानिधि' बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

हमने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 की अनूसूची V पैरा सी उपखंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार, **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, L65910DL1986GOI024862** और पंजीकृत कार्यालय 'ऊर्जानिधि' बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001, (इसके बाद इसे कंपनी के रूप में कहा जाएगा) से यह प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा हमारे पास प्रस्तुत किए गए संगत रजिस्टरों, रिकॉर्ड, फार्मों, विवरणियों और प्रकटीकरणों की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा ्.ाlर.सीं.ळप पोर्टल पर यथा आवश्यक सत्यापनों (निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें/मुझे प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी के बोर्ड में नीचे दिए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति करने/ जारी रहने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं किया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों	00278074	12.06.2019
2.	श्री भास्कर भट्टाचार्य	09406292	23.12.2021
3.	श्रीमती उषा सजीव नायर	09408454	23.12.2021
4.	श्री प्रसन्ना तंत्री	06471864	23.12.2021
5.	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	08530587	01.07.2020
6.	श्री राजव रंजन झा	03523954	28.10.2021
7.	श्री अजय तिवारी	09633300	09.06.2022
8.	श्री मनोज शर्मा	06822395	29.08.2022

कंपनी के बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति करने/ जारी रखने के लिए योजना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार इस संबंध में एक राय व्यक्त करने की है। यह प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते मेहता एंड मेहता
कंपनी सेक्रेटरीज
(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

ह/-
सीएस नयन हांडा
भागीदार
एफसीएस सं.:11993
सीपी सं.:18686

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई, 2023
यूडीआईएन: F011993E000422911

निगमित शासन संबंधी प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
'ऊर्जानिधि' बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद इसे सूचीकरण विनियम के रूप में कहा गया है) के विनियम 17 से 27, विनियम 46 के उप विनियम (2) के खंड (I) से (झ) और अनुसूची V के पैरा ग, घ और ड. और लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनकि उद्यमों के लिए निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किए अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद कंपनी के रूप में कहा गया है) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम यह उल्लेख करते हैं कि निगमित शासन की स्थितियों का अनुपालना करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सूचीकरण विनियमों के तहत और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन संबंधी शर्तों की निम्नलिखित को छोड़कर, अनुपालन किया है:

i. कंपनी ने निदेशक मंडल में कम-से-कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा के संबंध में दिनांक 11.07.2022 से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम, 17(1)(ख) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ii. कंपनी ने निदेशक के निष्पादन मूल्यांकन के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम, 17(10) और 25(4) (क) और (ख) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।

iii. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), दोनों से 30 सितंबर, 2022 एवं 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाहियों के लिए और एनएसई से 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं, 2015 के विनियम 17(1) के तहत अनुपालन के संबंध में कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी भावी व्यवहार्यता के लिए कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

यह प्रमाण-पत्र केवल सूचीकरण विनियमों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए जारी किया गया है और यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए उचित नहीं होगा।

कृते **मेहता एंड मेहता**
कंपनी सेक्रेटरीज
(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

ह/-
सीएस नयन हांडा
भागीदार
एफएससी सं.: 11993
सीपी सं.: 18686
यूडीआईएन:F011993E000832111

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 21 अगस्त, 2023

व्यवसाय जिम्मेदारी और संधारणीयता रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-घ

भाग क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध कंपनी का ब्यौरा

1.	सूचीबद्ध कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65910DL1986GOI024862
2.	सूचीबद्ध कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	16 जुलाई, 1986
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	'ऊर्जानिधि' बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
5.	कॉर्पोरेट पता	उपर्युक्तानुसार
6.	ई-मेल	investorsgrievance@pfcindia.com
7.	टेलीफोन	011-23456000
8.	वेबसाइट	www.pfcindia.com
9.	वित्तीय वर्ष, जिसकी रिपोर्टिंग की जा रही है	वित्तीय वर्ष 2022-23
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जहां शेयर सूचीबद्ध है	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी	₹2640.08 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक)
12.	बीआरएसआर रिपोर्ट के संबंध में किसी भी शंका के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है उसका नाम और संपर्क का ब्यौरा (टेलीफोन, ई-मेल पता)	श्री मनीष कुमार अग्रवाल कंपनी सचिव 011-23456740 mk_agarwal@pfcindia.com
13.	रिपोर्टिंग सीमा: क्या इस रिपोर्ट के तहत किए गए प्रकटीकरण एकल आधार पर हैं (अर्थात केवल कंपनी के लिए) अथवा समेकित आधार पर हैं (अर्थात कंपनी और ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक साथ हैं, जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का भाग हैं)	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण एकल आधार पर हैं

II. उत्पाद/सेवाएं

14. व्यवसाय गतिविधियों का ब्यौरा (टर्नओवर के 90% का लेखांकन)

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यवसाय गतिविधि का विवरण	कंपनी के टर्नओवर का %
1.	वित्तीय और बीमा सेवाएं	वित्तीय और क्रेडिट लीज गतिविधि	99.97

15. कंपनी द्वारा विक्रय किए गए उत्पाद/सेवाएं (कंपनी के टर्नओवर के 90% का लेखांकन):

क्र. सं.	उत्पाद/सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर हिस्से का %
1.	अन्य वित्तीय सेवाएं और क्रियाकलाप - अन्य ऋण प्रदान करना	64920	99.97

III. प्रचालन

16. जिस स्थानों पर कंपनी के संयंत्र और/ अथवा प्रचालन/ कार्यालय स्थित हैं, उनकी संख्या

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	-	3	3
अंतरराष्ट्रीय	-	0	0

17. कंपनी द्वारा सेवारत बाजार

क) स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	36*
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	-

*पीएफसी देश भर (28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों) में भारतीय बाजारों और उनके विस्तार क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है। संसाधन जुटाव के प्रयोजन के लिए, कंपनी घरेलू बाजारों के अलावा, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में भी सेवाएं प्रदान करती है।

ख) कंपनी के कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्यातों का क्या योगदान है?

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के टर्नओवर में निर्यातों का योगदान शून्य था।

ग) ग्राहकों के प्रकार का संक्षिप्त ब्यौरा

पीएफसी के प्रमुख उत्पाद राज्य यूटिलिटियों, निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता आदि के लिए सब्याज ऋण हैं। कंपनी के व्यवसाय गतिविधियों में, विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ई-मोबिलिटी, विनिर्माण, विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तपोषण, उपकरण और विद्युत परियोजनाओं के फॉरवर्ड/बैकवर्ड लिंकेज वाली गतिविधियों के साथ समग्र विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के वित्तपोषण परियोजनाएं शामिल हैं। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में समग्र विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के लिए दीर्घावधि ऋण, मध्यावधि ऋण, अल्पावधि ऋण आदि शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों में राज्य सरकारें, केंद्रीय/राज्य विद्युत यूटिलिटीज, राज्य विद्युत बोर्ड, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक और निजी क्षेत्र की यूटिलिटीज आदि शामिल हैं।

IV. कार्मिक

18. वित्तीय वर्ष के अंत तक ब्यौरा

क) कार्मिक और वर्कर (दिव्यांगजन सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	500	393	78.6	107	21.4
2.	स्थायी के अलावा (ड.)	0	0	0	0	0
3.	कुल कार्मिक (घ+ड.)	500	393	78.6	107	21.4
वर्कर						
4.	स्थायी (च)	19	17	89.4	2	10.52
5.	स्थायी के अलावा (छ)	0	0	0	0	0
6.	कुल वर्कर (च+छ)	19	17	89.4	2	10.52

ख) दिव्यांगजन कार्मिक और वर्कर:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
दिव्यांगजन कार्मिक						
1.	स्थायी (घ)	17	16	94.11	1	5.8
2.	स्थायी के अलावा (ड.)	0	0	0	0	0
3.	कुल कार्मिक (घ+ड.)	17	16	94.11	1	5.8
दिव्यांगजन वर्कर						
4.	स्थायी (च)	1	1	100	0	0
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	0	0	0	0	0
6.	कुल वर्कर (च+छ)	1	1	100	0	0

19. महिलाओं की भागीदारी/ समावेशन/ प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	8	2	25
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	5	1	20

20. स्थायी कार्मिकों और वर्कर के लिए टर्नओवर की दर (विगत 3 वर्षों के लिए प्रवृत्ति का प्रकटीकरण करें)

	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
कार्मिक	1.7	0.9	2.6	0.5	1.05	1.55	0.8	1.02	1.82
वर्कर	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0.05

V. धारक, सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

21. (क) धारक/ सहायक कंपनियों/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	धारक/ सहायक कंपनियों/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	बताएं कि क्या धारक/ सहायक कंपनी/ सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम (क) में उल्लिखित कंपनी सूचीबद्ध कंपनी की कारोबारी दायित्व पहलों में भाग लेती हैं? (हां/नहीं)
1	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
2	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
3	ओडिसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
4	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
5	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
6	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
7	चय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
8	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
9	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
10	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
11	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
12	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
13	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां	नहीं
14	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
15	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
16	फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
17	फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
18	भाडला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
19	फतेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
20	ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
21	सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
22	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	100	नहीं
23	आरईसी लिमिटेड	सहायक कंपनी	52.63	नहीं
24	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	सहायक कंपनी	आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां	नहीं
25	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
26	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
27	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
28	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
29	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
30	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
31	रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
32	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
33	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
34	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
35	नरेश XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
36	खावडा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं
37	केपीएसआई ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी		नहीं

VI. सीएसआर का ब्यौरा

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हां/नहीं): हां

(ii) टर्नओवर: ₹39,665.63 करोड़

(iii) नेट वर्थ: ₹68,202 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यवसाय संचालन संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) के संबंध में शिकायतें/समस्याएं

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	लागू शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
ग्राहक	www.pfcindia.com	0			0		
लोक शिकायत	--	0			1		
शेयरधारक (इक्विटी)		8*			0		
कार्मिक एवं वर्कर		0			0		
बॉण्डधारक		0			0		

*तिमाही के अंत में प्राप्त शिकायतों का निपटान बाद में 4 अप्रैल, 2023 तक कर दिया गया।

24. कंपनी के वास्तविक जिम्मेदार व्यवसाय संचालन संबंधी मामलों का अवलोकन

क्र. सं.	चिन्हित वास्तविक मामले	बताएं कि क्या जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए औचित्य	यदि जोखिम है तो स्वीकार अथवा कम करने की संकल्पना	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बताएं)
1.	पारंपरिक विद्युत स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में धीरे-धीरे परिवर्तन	अवसर	स्वच्छ विद्युत के लिए ट्रस्टों से कॉर्पोरेशन के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के अवसर प्राप्त होंगे		पीएफसी को स्वच्छ विद्युत के लिए वित्तपोषण से अतिरिक्त राजस्व के कारण सकारात्मक वित्तीय प्रभावों का अनुभव होगा
2.	संधारणीयता के लिए आगे कागज रहित व्यवस्था की ओर परिवर्तन	अवसर	संचार के डिजीटल माध्यमों और रिकॉर्ड प्रबंधन की ओर रुख करने, गति में तेजी, सटीकता, दक्षता, लागत बचत उत्तरदायित्व और रिकॉर्ड का संरक्षण होगा।		पीएफसी को लागत, बचत और प्रचालनों की तेजी में वृद्धि होने के कारण सकारात्मक वित्तीय प्रभाव का अनुभव होगा

भाग ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसाय कार्य-निष्पादन संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और प्रमुख घटकों में अंगीकरण के लिए सहायता करना है।

	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.	**क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियों में एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांतों और इसके प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है (हां/नहीं)**	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	ख. क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	ग. नीतियों का वेबलिंक, यदि उपलब्ध हो	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	**क्या कंपनी ने नीति को प्रक्रिया में बदला है (हां/नहीं)**	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	**क्या सूचीबद्ध नीतियों का आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तार किया गया है। (हां/नहीं)**	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	**राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोडों/ प्रमाण-पत्रों/ लेबलों/ मानकों के नाम (अर्थात फॉरेस्ट स्टीबार्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड रेनफॉरेस्ट, एलायंस, ट्रस्टिया) मानक (अर्थात एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) जो आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए हैं और मैप किए गए है।**	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	**कंपनी द्वारा परिभाषित समय-सीमा, यदि कोई हो, के साथ स्थापित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और उद्देश्य**	पीएफसी अपने प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित फ्रेमवर्क के तहत समझौता-ज्ञापन (एमओयू) करती है। एमओयू में कंपनी के प्रमुख कार्य-निष्पादन मापदंडों का उल्लेख है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है।								
6.	**विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्दश्यों के लिए कंपनी का कार्य-निष्पादन और जिनको पूरा नहीं किया गया, उसके कारण**									
	शासन, नेतृत्व और दृष्टिकोण									
7.	**व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा विवरण जिसमें ईएसजी संबंधी चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया हो (प्रकटीकरण के संबंध में सूचीबद्ध कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है)**									

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
8. व्यवसाय दायित्व नीति के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का ब्यौरा	निदेशक मंडल								
9. क्या कंपनी में एक विशिष्ट बोर्ड समिति/निदेशक है, जो संधारणीयता संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)। यदि हां तो कृपया ब्यौरा दें।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित, बोर्ड और सांविधिक बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में दिया गया है। पीएफसी में सीएसआर और संधारणीय विकास संबंधी एक बोर्ड समिति है, जो कंपनी के सीएसआर और एसडी क्रियाकलापों पर निर्देश देती है और विभिन्न सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करती है।								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्यौरा:

समीक्षा के लिए विषय	बताएं कि क्या निदेशक/ बोर्ड समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ती (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ तिमाही/ कोई अन्य - कृपया बताएं)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी 8	पी 9
उपर्युक्त नीतियों और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कार्य-निष्पादन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	तिमाही और वार्षिक आधार पर								
सिद्धांतों के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन की पुष्टि	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	तिमाही और वार्षिक आधार पर								

11. क्या कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्य का स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं), यदि हां, तो कृपया एजेंसी का नाम बताएं।

	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

नोट: संबंधित स्पष्टीकरण/ सूचना/ लिंक इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है, अर्थात नीति द्वारा सभी सिद्धांतों को शामिल नहीं किया गया है, तो उसके कारण बताएं।

लागू नहीं।

भाग ग: सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन प्रकटीकरण

सद्धांत 1: व्यवसाय को अपनी ईमानदारी से और ऐसे ढंस से संचालित और शामिल किया जाना चाहिए, जो नैतिक पारदर्शी और जवाबदेह हो।

अनिवार्य संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण और उसके प्रभाव के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा शामिल संगत श्रेणी में व्यक्तियों का %
निदेशक मंडल	2	स्वतंत्र निदेशक (आईडी) के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम	38%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (उक्त निदेशक मंडल में पहले से शामिल केएमपी के अलावा)	1	नेशनल कंवेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज	100%
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	3	1. संपत्ति विवरणी दाखिल करना 2. पीएफसी की आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली 3. शासन में नैतिकता और निवारक सतर्कता 15%	15%
वर्कर (वर्कमेन)	1	पीएफसी की आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली	16%

2. वित्तीय वर्ष में विनियामकों/ कानून प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों में (कंपनी अथवा निदेशकों/केएमपी द्वारा) भुगतान किए गए जुर्मानों/ शास्तियों/ दंड/ अवार्ड/ कंपाउंडिंग फीस/ समाधान राशि का ब्यौरा निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें (नोट: कंपनी द्वारा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में यथा निर्दिष्ट वास्तविकता के आधार पर और वेबसाइट पर किए गए प्रकटीकरण के अनुसार प्रकटीकरण किया जाएगा:

			आर्थिक		
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम**	**राशि (आईएनआर में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील की गई? (हां/नहीं)**
जुर्माना/शास्ती	सिद्धांत 1	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बीएसई लिमिटेड		वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी ने दिनांक 11.07.2022 से स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के संबंध में अनुपालन को छोड़कर, सेबी (एलोडीआर) विनियम की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है।	हां*
निपटान	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग फीस	-	-	-	-	-

			गैर-आर्थिक	
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक/ प्रवर्तन/ एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)**
जेल	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-

*पीएफसी पर जुर्माना लगाने वाले स्टॉक एक्सचेंज से पत्र/ई-मेल प्राप्त होने पर, आपकी कंपनी ने एक्सचेंज से अनुरोध किया कि अपने पत्रों (जुर्माना लगाने के संबंध में) को वापस ले लें, क्योंकि पीएफसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सीपीएसई है और पीएफसी के निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है।

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में से, जहां आर्थिक और गैर-आर्थिक कार्रवाई की अपील की गई है, वहां की गई अपली/संशोधन का ब्यौरा:

मामले का ब्यौरा	विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम
एनएसई और बीएसई द्वारा, जैसा कि विगत प्रश्न में उल्लेख किया गया है, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के लिए लगाए गए जुर्माने के संबंध में, चूंकि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को है, जो प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्रवाई करते हैं, अतः कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकरण अर्थात विद्युत मंत्रालय से अनुरोध करती रही है। इसे देखते हुए, कंपनी ने उक्त जुर्माने को माफ किए जाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज से अनुरोध किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बीएसई ने 1 जुलाई, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक की पिछली तिमाहियों के लिए कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को पहले ही माफ कर दिया है।	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बीएसई लिमिटेड

4. क्या कंपनी में एक भ्रष्टाचार विरोधी अथवा घूस विरोधी नीति है? यदि हां, तो कृपया संक्षेप में ब्यौरा प्रदान करें और यदि उपलब्ध है, तो कृपया नीति के लिए एक वेबलिंक प्रदान करें।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) एक अग्रणी पावर क्षेत्र सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधि और गैर-निधि आधारित सहायता प्रदान कर रही है। यह विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है और इस क्षेत्र में विकास के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसके ग्राहकों में राज्य विद्युत यूटिलीटीज, केंद्रीय क्षेत्र की यूटिलिटीज, विद्युत विभाग, निजी विद्युत क्षेत्र यूटिलिटीज (स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों सहित), संयुक्त क्षेत्र विद्युत यूटिलिटीज आदि शामिल हैं। पीएफसी ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर अपने ऋण प्रचालनों के लिए उचित प्रक्रिया संहिता (एफपीएल) विकसित की है, जिसका उद्देश्य कंपनी के सभी ऋणकर्ताओं को कंपनी की अपने व्यवसाय लेनदेनों में निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्धता के लिए आश्वासन प्रदान करना है।

पीएफसी, निगमित शासन को अच्छे प्रबंधन का एक अभिन्न भाग मानती है और अपने सभी व्यवहारों में पेशेवर, निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण और नैतिक संहिता एक व्यापक संहिता है, जो कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू है। इसे कंपनी के विजन और मूल्यों के अनुसार बनाया गया है ताकि मिशन एवं उद्देश्यों और लक्ष्यों को कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिकता और पारदर्शिता की प्रक्रिया में वृद्धि करके हासिल किया जा सके।

पीएफसी में एक धोखाधड़ी-रोधी नीति भी लागू है, ताकि कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम करने और उसका पता लगाने के लिए नियंत्रण और सहायता की जा सके। इसमें कार्मिकों, अनुबंध कार्मिकों (सहित) तथा हितधारकों, परामर्शदाताओं, वेंडरों, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, ठेकेदारों, ऋणदाताओं, ऋणकर्ताओं, बाहरी एजेंसियों और किसी अन्य पक्षकारों, जिनका पीएफसी के साथ व्यवसाय संबंध है, को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी की आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली में सभी कार्मिकों के लिए आचरण संहिता को परिभाषित किया गया है और रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि को दुराचरण के रूप में माना गया है।

उपर्युक्त नीतियों के वेबलिंक इसके साथ संलग्न हैं।

5. ऐसे निदेशकों/ केएमपी/ कार्मिकों/ वर्कर की संख्या, जिनके खिलाफ किसी कानूनी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी।

	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
निदेशक	-	-
केएमपी	-	-
कार्मिक	-	-
वर्कर	-	-

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों की ब्यौरा

	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2021-22	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-	-	-
केएमपी के हितों के टकराव के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	-	-	-	-

7. कृपया भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों के संबंध में विनियामकों/ कानून प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माने/ शास्ति लगाने/ कार्रवाई करने के संबंधित मामलों पर की गई या चल रही किसी निवारक कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत के संबंध में मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के दौरान शामिल विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल मूल्य श्रृंखला भागीदारों की प्रतिशतता (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा)
	शून्य	

2. क्या बोर्ड के सदस्यों के हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए कंपनी में प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)। यदी हां, तो कृपया उसका ब्यौरा प्रदान करें।

कंपनी में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता है, जिसमें अन्य के साथ-साथ, हितों के टकराव से संबंधित प्रक्रिया शामिल है। यह नीति https://www.pfcindia.com/Home/VS/63 पर उपलब्ध है।

सिद्धांत 2: व्यवसाय में स्थायी और सुरक्षित ढंग से वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. कंपनी द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और कैपेक्स निवेश में उत्पादन और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेशों की प्रतिशतता।

चूंकि पीएफसी कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है और केवल वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत करती है, अतः यह प्रश्न कंपनी के लिए लागू नहीं है।

2. (क) क्या कंपनी में सतत स्रोतों के लिए प्रक्रियाएं लागू हैं? (हां/नहीं)

चूंकि पीएफसी एक वित्तीय संस्थान है, अतः मेटिरियल इनपुट के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संसाधन आवश्यक होते हैं। हम भारत सरकार द्वारा खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों का भी अनुसरण कर रहे हैं। कंपनी अपनी खरीद में जेम पोर्टल (गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस) को भी बढ़ावा देती और एमएसएमई वेंडरों से खरीद को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद/प्राप्ति भी कंपनी के खरीद संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए?

सामग्री की जरूरतों के संदर्भ में, पीएफसी ने सरकार के निर्देशों के अनुसार एमआईआई/एमएसएमई से खरीद को तरजीह देने के साथ ही जेम पोर्टल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं का सामान्यतः उपयोग करना अनिवार्य किया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सामग्री एवं सेवाओं की कुल खरीद का 86.04% जेम पोर्टल के माध्यम से और 66.09% एमएसएमई से की है।

3. **अपने उत्पादों का उपयोगी समय पूरा होने पर (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए पुनः उपयोग करने, पुनर्चक्रण करने और निपटान के लिए सुरक्षित वापसी की प्रक्रियाओं का विवरण दें।**

चूकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान है, अतः पुनः उपयोग करने, पुनर्चक्रण करने और निपटान करने के लिए व्यवस्था लागू करने की सीमित प्रयोज्यता है। तथापि, कंपनी ने 50 कि.ग्रा. क्षमता की एक कंपोस्टर मशीन पीएफसी परिसर में लगाई है। यह गीली सामग्री को 24 घंटे में 10% को रीसाइकल कर सकती है और 90% को जैव खाद में परिवर्तित कर सकती है। उत्पादित जैव खाद का उपयोग पीएफसी द्वारा परिसर में और आस-पास के पौधों में किया गया है।

कारोबार और प्रचालनों की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी के पास प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट नहीं होता। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई खतरनाक अपशिष्ट नहीं होता।

पुराने, अप्रयोज्य और खराब आईटी उपकरणों के निपटान को जिन्हें ई-अपशिष्ट के रूप में पहचाना गया है, पंजीकृत रिसाइकलर/ रीप्रोसेसर के माध्यम से केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/ बोर्ड इलैक्ट्रोनिक अपशिष्ट के जरिए, कंपनी की खरीद नीति से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

कंपनी ने प्लास्टिक का उपयोग भी बहुत ही कम कर दिया है और उसके विकल्पों जैसे जूट बैग, क्लॉथ बैग, पेपर फोल्डर आदि के उपयोग को प्रोत्साहित किया है।

4. **क्या विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) कंपनी के क्रियाकलापों पर लागू है (हां/नहीं)। यदी हां, तो क्या अपशिष्ट एकत्रण की योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) योजना के अनुसार है? यदि नहीं, तो इसके लिए किए गए उपायों का ब्यौरा दें।**

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या कंपनी ने अपने किसी उत्पाद (निर्माण उद्योग के लिए) अथवा इसकी सेवाओं के लिए (सेवा उद्योग के लिए) जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित फार्मेट में ब्यौरा प्रदान करें।**

पीएफसी के वित्तीय उत्पाद जेसै सावधि ऋण, क्रेता ऋण श्रृंखला, पट्टा वित्तपोषण आदि के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण आदि है, जो कि स्थायी है और पर्यावरणीय दृष्टि से ठीक है। कंपनी अपने वित्तपोषण और सामान्यतः इसके क्रियाकलापों की परियोजनाओं के मूल्यांकन में सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों को शामिल करने का प्रयास करती है।

2. **यदि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलनों (एलसीए) में यथा निर्धारित अथवा किसी अन्य माध्यम से आपके उत्पादों/ सेवाओं के उत्पादन अथवा निपटान से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी सरोकार और/ अथवा जोखिम हैं, तो उसमें कमी लाने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ संक्षिप्त विवरण दें।**

लागू नहीं।

3. **उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) में प्रयुक्त अथवा सेवाएं (सेवा उद्योग के लिए) प्रदान करने के लिए कुल सामग्री (मूल्य द्वारा) हेतु रीसाइकल अथवा पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री की प्रतिशतता।**

कारोबार और प्रचालनों की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी द्वारा प्रयुक्त रीसाइकल अथवा पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री की प्रतिशतता नगण्य है।

4. **उत्पादों का उपयोगी समय पूरा होने पर पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से पुनः उपयोग, पुनः चक्रित और सुरक्षित निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित फार्मेट के अनुसार प्रदान करें:**

	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	पुनः प्रयुक्त	पुनः चक्रित	सुरक्षित निपटान	पुनः प्रयुक्त	पुनः चक्रित	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	-	-	-	-	-	-
ई-अपशिष्ट*	-	-	215	-	-	शून्य
खतनाक अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-
अन्य अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-

*सुरक्षित निपटाई गई आईटी यूनिटों की संख्या

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)

लागू नहीं।

सिद्धांत 3: व्यवसाय में वेल्यू चेन में शामिल कार्मिकों सहित सभी कार्मिकों के कल्याण को देखना और प्रोत्साहित करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. (क) कार्मिकों के कल्याण के लिए उपायों का ब्यौरा:

शामिल कार्मिकों का %											
श्रेणी	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व हितलाभ		पितृत्व हितलाभ		दिन में देखभाल सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ड.)	% (ड./क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कार्मिक											
पुरुष	393	393	100	393	100	लागू नहीं	लागू नहीं	393	100	0	0
महिला	107	107	100	107	100	107	100	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
कुल	**500**	**500**	**100**	**500**	**100**	**107**	**21.4**	**393**	**78.6**	**0**	**0**
स्थायी कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिक											
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(ख) वर्कर की भलाई के लिए उपायों का ब्यौरा

शामिल कार्मिकों का %											
श्रेणी	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व हितलाभ		पितृत्व हितलाभ		दिन में देखभाल सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ड.)	% (ड./क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कार्मिक											
पुरुष	17	17	100	17	100	लागू नहीं	लागू नहीं	17	100	0	0
महिला	2	2	100	2	100	2	100	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
कुल	**19**	**19**	**100**	**19**	**100**	**2**	**10.5**	**17**	**89.4**	**0**	**0**
स्थायी कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिक											
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और विगत वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृति हितलाभों का ब्यौरा

हितलाभ	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	कुल कार्मिकों के % के रूप में शामिल कार्मिकों की संख्या	कुल वर्कर के % के रूप में शामिल वर्करों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा राशि (हां/नहीं/लागू नहीं)	कुल कार्मिकों के % के रूप में शामिल कार्मिकों की संख्या	कुल वर्कर के % के रूप में शामिल वर्करों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा राशि (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100	100	हां	100	100	हां
ग्रेच्युटी	100	100	हां	100	100	हां
ईएसआई	0	0	नहीं	0	0	नहीं
अन्य पीआरएमएस अवकाश नकदीकरण एनपीएस	100	100	हां	100	100	हां

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या कंपनी के परिसर/कार्यालयों तक दिव्यांग कार्मिक तथा वर्करों को अशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार आसान पहुंच हैं? यदि नहीं तो क्या कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई उपाय किए जा रहे हैं।

हां। हमारे कार्यालय के परिसर दिव्यांग कार्मिकों और वर्करों के लिए सुगम है। सुगम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रैम्प, ब्रेल सहायता वाले एलवेटर और व्हील चेयर अनुकूल वाशरूप कंपनी के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

4. क्या कंपनी की अशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत समान अवसर की नीति है? यदि हां, तो नीति के लिए वेब लिंक प्रदान करें।

लागू विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएफसी दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करती है।

इसके अलावा, वर्तमान में समान अवसर के संबंध में औपचारिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके अनुमोदित होने के बाद उसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कार्मिकों और वर्करों के काम पर लौटने और उन्हें रखने की दर

लिंग	स्थायी कार्मिक		स्थायी वर्कर	
	काम पर लौटने की दर	काम पर रखने की दर	काम पर लौटने की दर	काम पर रखने की दर
पुरुष	100	100	100	100
महिला	100	100	100	100
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**

6. क्या निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिकों और वर्करों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो उस तंत्र का संक्षिप्त ब्यौरा दें।

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का ब्यौरा दें)
स्थायी वर्कर	हां। कंपनी में शिकायतों पर कार्रवाई की एक समर्पित नीति है। यह नीति कंपनी के इंट्रानेट पर कार्मिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें एक 4 स्तरीय सिस्टम होता है, जिसके तहत सभी स्थायी कार्मिक विविध स्तरों पर अपनी शिकायतों को आगे भेज सकते हैं।
स्थायी वर्करों से अन्य वर्कर	लागू नहीं
स्थायी कार्मिक	हां। कंपनी में शिकायतों पर कार्रवाई की एक समर्पित नीति है। यह नीति कंपनी के इन्ट्रा नेट पर कार्मिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें एक 4 स्तरीय सिस्टम होता है, जिसके तहत सभी स्थायी कार्मिक विविध स्तरों पर अपनी शिकायतों को आगे भेज सकते हैं।
स्थायी कार्मिकों से अन्य कार्मिक	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों अथवा यूनियनों में कार्मिकों अथवा वर्करों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	संबंधित श्रेणी में कुल कार्मिक/वर्कर (क)	संबंधित श्रेणी में ऐसे कार्मिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन के सदस्य हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कार्मिक/वर्कर (ग)	संबंधित श्रेणी में ऐसे कार्मिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन के सदस्य हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कार्मिक	**500**	**500**	**100**	**479**	**479**	**100**
पुरुष	393	393	100	382	382	100
महिला	107	107	100	97	97	100
कुल स्थायी वर्कर	**19**	**19**	**100**	**22**	**22**	**100**
पुरुष	17	17	100	19	19	100
महिला	2	2	100	3	3	100

8. कार्मिकों और वर्करों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23					वित्तीय वर्ष 2021-22				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के संबंध में*		कौशल उन्नयन के संबंध में		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के संबंध में*		कौशल उन्नयन के संबंध में	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ड.)	% (ड./घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कार्मिक										
पुरुष	393	66	17%	259	66%	382	54	14%	215	56%
महिला	107	20	19%	92	86%	97	18	18%	43	44%
कुल	**500**	**86**	**17%**	**351**	**70%**	**479**	**72**	**15%**	**258**	**54%**
वर्कर										
पुरुष	17	7	41%	7	41%	19	0	0	2	11%
महिला	2	1	50%	1	50%	3	0	0	0	0%
कुल	**19**	**8**	**16%**	**8**	**42%**	**22**	**0**	**0**	**2**	**9%**

*स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित प्रशिक्षण:

i. योग पर जागरूकता प्रशिक्षण

ii. आईएसओ 45001 : 2018 - पीएफसी में ओएचएस मानदंड का कार्यान्वयन

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित प्रशिक्षण

1. योग और प्राकृतिक चिकित्सा के इम्युनिटी बूस्टर कैप्सूल के माध्यम से कोविड से विजय
2. स्वास्थ्य और स्ट्रेस प्रबंधन
3. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग चर्चा

9. कार्मिकों और वर्करों के कार्य-निष्पादन और करियर विकास की समीक्षाओं का ब्यौरा:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ/ग)
कार्मिक						
पुरुष	393	101	25.69	382	51	13.35
महिला	107	25	23.36	97	19	19.58
कुल	**500**	**126**	**25.20**	**479**	**70**	**14.61**
वर्कर						
पुरुष	17	3	17.64	19	3	15.78
महिला	2	1	50	3	2	66.67
कुल	**19**	**4**	**21.05**	**22**	**5**	**22.72**

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क) क्या कंपनी द्वारा कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है? (हां/ नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज बताएं?

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों पर कंपनी के कारोबार और प्रचालनों की प्रकृति में बहुत ही कम विचार किया जाता है। कंपनी अपने कार्मिकों की भर्ती रोगी और बिना भर्ती रोगी चिकित्सा लागतों, चिकित्सा आधार पर अवकाश के प्रावधान आदि की प्रतिपूर्ति करके स्वास्थ्य एवं भलाई की देखरेख करती है, जो कि सभी कार्मिकों के लिए लागू है।

ख) कंपनी द्वारा नियमित और अनियमित आधार पर कार्य संबंधी खतरों की पहचान और जोखिमों के आकलन के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं?

लागू नहीं।

ग) क्या आपके पास खतरों से संबंधित कार्य की सूचना देने के लिए और उन्हें ऐसे जोखिमों से स्वयं को हटाने के लिए वर्करों के लिए कोई प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

लागू नहीं।

घ) क्या कंपनी के वर्करों/कार्मिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं सुलभ हैं?

हां, कार्मिकों को बेहतर स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाएं प्रदान की गई हैं ताकि चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। कंपनी अपने कार्मिकों को भर्ती और गैर-भर्ती चिकित्सा लागतों की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा आधार पर अवकाश का प्रावधान आदि करके उनके कल्याण की देखरेख करती है, जो सभी कार्मिकों के लिए लागू है।

11. सुरक्षा संबंधी दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित फार्मेट में प्रदान करें:

सुरक्षा घटनाएं/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति एक मिलियन व्यक्ति घंटे कार्य)	कार्मिक	कोई नहीं	
	वर्कर		
कुल रिकॉर्डयोग्य कार्य संबंधी चोट (इंजरी)	कार्मिक		
	वर्कर		
मृत्यु की संख्या	कार्मिक		
	वर्कर		
बड़े परिणाम वाली कार्य संबंधी चोट (इंजरी) अथवा स्वास्थ्य की ख़राबी (घातक चोटों को छोड़कर)	कार्मिक		
	वर्कर		

12. कंपनी द्वारा कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा दें:

पीएफसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यहां अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अग्रणी तकनीकें और एक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण रहता है। पीएफसी के अपने कारोबारी प्रचालनों में सुविधा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।

13. कार्मिकों और वर्करों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कितनी शिकायतें की गईं?

	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्यगत स्थितियां	शून्य					
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा						

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन

शून्य

15. सुरक्षा संबंधी दुर्घटनाओं (यदि कोई हो) को देखने के लिए और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कार्यगत स्थितियों के आकलन से प्राप्त महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं की जानकारी पर कार्रवाई के लिए की गई अथवा की जा रही सुधारपरक कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें:

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कंपनी (क) कार्मिकों (हां/नहीं) (ख) वर्करों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा अथवा कोई प्रतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है?

कार्मिक	हां
वर्कर	हां

2. कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय बताएं कि वेल्यू चेन भागीदारों द्वारा सांविधिक देयताओं की कटौती की गई है और जमा कर दी गई है।

एनबीएफसी होने के कारण, कंपनी अपनी ऋणकर्ताओं के लिए ऋण प्रदान करने की निबंधन एवं शर्तें, उनकी सांविधिक देयताओं की समय पर जमा करने की निर्दिष्ट शर्तें, सांविधिक मंजूरी प्रदान करने और सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी अन्य बाध्यताएं आदि लागू करती हैं। ऋणकर्ताओं को भी विभिन्न अवस्थाओं में कंपनी को दूसरी अनुपालना प्रस्तुत करनी होती है।

3. **ऐसे कार्मिकों/वर्करों की संख्या बताएं, जिन्हें कार्य संबंधी क्षति/ स्वास्थ्य खराबी/ घातक चोट के बड़े परिणामों को भुगतना पड़ा (जैसा कि उपर्युक्त अनिवार्य संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है), जिन्हें पुनर्वासित और उचित रोजगार प्रदान किया गया, अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को उचित रोजगार दिया गया:**

   वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शून्य

4. **क्या कंपनी रोजगार जारी रखने और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के फलस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन की सुविधा के लिए सेवानिवृत्ति सहायता प्रदान करती है? (हां/नहीं)**

   यह कंपनी एक सीपीएसई है, जो सेवानिवृत्ति अथवा रोजगार समाप्ति के मामले में डीपीई के रोजगार मानकों का अनुसरण करती है। कंपनी द्वारा अपने सेवानिवृत कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ और अन्य कल्याणकारी उपाय भी प्रदान किए जाते हैं।

5. **वेल्यू चेन भागीदारों के आकलन के संबंध में ब्यौरा:**

   शून्य

6. **वेल्यू चेन भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं और कार्यगत स्थितियों के आकलन से प्राप्त महत्वपूर्ण जोखिम/चिंताओं के समाधान के लिए की गई अथवा की जा रही उपचारी कार्रवाई बताएं:**

   लागू नहीं।

सिद्धांत 4: व्यवसायों के अपने सभी हितधारकों के हितों और उत्तरदायित्वों को देखा जाना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का उल्लेख करें।**

   जी हां, कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों का ब्यौरा तैयार किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कार्मिक और स्टॉक पत्र शामिल हैं और बाहरी हितधारकों में इक्विटी हितधारक, बॉण्डधारक, ऋणदाता, बैंकर, ऋणकर्ता और ग्राहक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों, राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज आदि सहित सरकारी निकाय और विनियामक प्राधिकरण शामिल हैं।

2. **आपकी कंपनी के लिए अभिज्ञात महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ती बताएं।**

   कंपनी अपने सभी हितधारकों जैसे इक्विटी हितधारकों, बॉण्डधारकों, ऋणदाताओं, बैंकरों, ऋणकर्ताओं, कार्मिकों और ग्राहकों के साथ आवश्यकता के अनुसार ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, आम बैठक, वेबसाइट, पत्रों आदि के जरिए संपर्क करती है।

नेतृत्व संकेतक

1. **हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर परामर्श करने के लिए प्रक्रियाएं बताएं अथवा यदि परामर्श की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो ऐसे परामर्शी से प्राप्त फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किए जाते हैं?**

   कंपनी में अपने कारोबार से संबंधित आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर समाधान के लिए विभिन्न बोर्ड अनुमोदित नीतियां हैं, जो संगत हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर समय-समय पर विकसित की गई हैं।

2. **क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन के लिए हितधारक परामर्श किए जाते हैं (हां/नहीं)। यदि ऐसा है, तो उदाहरण बताएं कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट कंपनी की नीतियों और क्रियाकलापों में शामिल किए गए थे।**

   पीएफसी एक सुधार आधारित और परिणाम संबंधी वितरण क्षेत्र की योजना, 'संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)' के लिए एक नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य पूर्ण योग्यता मानदंडों की पूर्ति और सुधारों में बुनियादी न्यूनतम बैंचमार्क हासिल करने के आधार पर वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था में सुधार के लिए डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्कॉमों की प्रचालन दक्षताओं और वित्तीय संधारणीयता को बेहतर बनाना है।

   पीएफसी ने सीएसआर एवं संधारणीयता नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगमित कंपनी बनना है, जो मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित सतत विकास की परियोजनाएं शुरू करके व्यापक रूप से समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएफसी द्वारा पर्यावरणीय संधारणीयता, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण क्रियाकलापों, स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, खेल, स्वच्छता एवं पेयजल तथा कौशल विकास एवं अजीविका आदि के क्षेत्र में विविध गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, डीपीई के अधिदेश के अनुसार, पीएफसी ने प्रमुख क्षेत्रों यथा 'स्वास्थ्य एवं पोषण' के लिए भी आकांक्षी जिलों को वरियता देते हुए योगदान दिया है।

3. **संवेदनशील/उपेक्षित हितधारक समूहों के सरोकारों का समाधान करने के लिए उनके साथ सहभागिता करने और कार्रवाई किए जाने के दृष्टांतों का ब्यौरा दें।**

सभी आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों (एससी/ एसटी/ ओबीसी/ दिव्यांग/ ईडब्ल्यूएस) एवं अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न स्तरों पर केरियर प्रोन्नति प्रदान करने के लिए भारत सरकार के सभी अनुदेशों का पालन किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के हितलाभ के लिए विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाएं की गई। अन्य बच्चों के साथ-साथ इस श्रेणियों के बच्चों के लिए अंकों को प्रतिशत में छूट देकर सराहनीय प्ररस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन श्रेणी में कार्मिकों के कल्याण की देखरेख के लिए अलग से संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपयुक्त स्तर की आरक्षित श्रेणी का कोई व्यक्ति विभिन्न चयन और प्रोन्नति समितियों के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है, ताकि आरक्षित वर्ग के कार्मिकों के हित का ध्यान रखा जा सके।

सिद्धांत 5: व्यवसाय में मानव अधिकारों का सम्मान और उन्हें प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **कंपनी में मानव अधिकारों के मामलों और कंपनी की नीतियों के संबंध में सूचना निम्नलिखित प्रारूप में दें।**

वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शून्य।

2. **कार्मिकों और वर्करों को प्रदान किए गए न्यूनतम वेतन का ब्यौरा निम्नलिखित प्रारूप में दें:**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष (2022-23)					वित्तीय वर्ष (2021-22)				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के समान		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के समान		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ड.)	% (ड./घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कार्मिक										
स्थायी	500	0	0	500	100	479	0	0	479	100
पुरुष	393	0	0	393	100	382	0	0	382	100
महिला	107	0	0	107	100	97	0	0	97	100
अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स्थायी से अन्य	57	0	0	57	100	67	0	0	67	100
पुरुष	56	0	0	56	100	66	0	0	66	100
महिला	1	0	0	1	100	1	0	0	1	100
अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्कर										
स्थायी	19	0	0	19	100	22	0	0	22	100
पुरुष	17	0	0	17	100	19	0	0	19	100
महिला	2	0	0	2	100	3	0	0	3	100
अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स्थायी से अन्य	0	0	0		0	0	0	0	0	0
पुरुष	0	0	0		0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0		0	0	0	0	0	0
अन्य	0	0	0		0	0	0	0	0	0

3. **पारिश्रमिक/ वेतन/ मजदूरी का ब्यौरा, निम्नलिखित प्रारूप में दें:**

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का मध्यम पारिश्रमिक/ वेतन/ मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का मध्यम पारिश्रमिक/ वेतन/ मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	3	22155408	1	8599139
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (उपर्युक्त बोर्ड में पहले से शामिल केएमपी के अलावा)	1	7445866	0	0
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	399	1289265128	106	302891899
वर्कर	18	42984859	3	5374905

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त तालिका में केवल ऐसे स्थायी कार्मिकों को शामिल किया गया है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूरी 2 माह की अवधि के लिए काम किया है।
2. पारिश्रमिक/ वेतन/ मजदूरी में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त भत्ते और पेंशन योजना के लिए कार्मिक अंशदान शामिल है। इसके अलावा, इसमें पीएफसी ग्रेच्युटी फंड में योगदान अवकाश नकदीकरण प्रावधान जो वास्तविक मूल्य के आधार पर है, कार्मिकों को यूनिफार्म, मनोरंजन, वाहन, बिजली, जल और अटेंडेंट शुल्क तथा छूट प्राप्त चिकित्सा व्यय के लिए दी गई विभिन्न प्रतिपूर्ति शामिल है।
3. उपर्युक्त पारिश्रमिक इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान किए गए हैं।
4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।

4. **क्या आपके पास कारोबार के कारण मानव अधिकारों के प्रभावों को देखने के लिए जिम्मेदार केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हां/नहीं)**

   हां।

5. **मानव अधिकारों के मामलों के संबंध मे शिकायतों के निवारण के लिए लागू आंतरिक व्यवस्था का ब्यौरा दें:**

   कंपनी में शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित नीति है। यह नीति कंपनी के इंट्रानेट पर, कार्मिकों के लिए उपलब्ध है।

6. **कार्मिकों और वर्करों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभियुक्ति	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभियुक्ति
यौन उत्पीड़न	-	-	-	-	-	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	-	-	-	-	-	-
बाल श्रम	-	-	-	-	-	-
जबरन मजदूरी/अनैच्छिक मजदूरी	-	-	-	-	-	-
वेतन	-	-	-	-	-	-
अन्य मानव अधिकार संबंधी मामलें	-	-	-	-	-	-

7. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायत के प्रतिकूल परिणामों को रोकने की व्यवस्था।**

   कंपनी में व्हिसल ब्लोअर नीति लागू है, जिसके तहत किसी भी भेदभाव, उत्पीड़न, अत्याचार अथवा अन्य अनुचित रोजगार प्रथा, यदि कोई हो, के खिलाफ शिकायतकर्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था दी गई है। व्हिसल ब्लोअर नीति https://www.pfcindia.com/Home/VS/126 पर उपलब्ध है।

8. **क्या मानव अधिकारों की अपेक्षाएं, आपके कारोबारी करारों और अनुबंधों का भाग है? (हां/नहीं)**

   चूंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान है, अतः किए गए करार और अनुबंध मुख्यतः ऋण दस्तावेजों के संबंध में होते हैं, जिनमें ऋणकर्ताओं के लिए स्वीकृति और वितरण की शर्तें निर्दिष्ट होती हैं।

9. **वर्ष के लिए आकलन**

   शून्य

10. **उपर्युक्त प्रश्न 9 में आकलन से प्राप्त महत्वपूर्ण जोखिमों/सरोकारों का समाधान करने के लिए की गई अथवा की जा रही किसी उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें।**

    लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **मानव अधिकारों की शिकायतों/ समस्याओं के समाधान के लिए संशोधित/ शुरू की जा रही कारोबारी प्रक्रिया का ब्यौरा दें।**

   लागू नहीं।

2. **किसी मानव अधिकार के क्षेत्र और कवरेज के लिए की गई व्यापक जांच का ब्यौरा।**

   लागू नहीं।

3. **क्या कंपनी का परिसर/कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुगम है?**

   हां, हमारा कार्यालय परिसर, दिव्यांग व्यक्तियों और वर्करों के लिए सुगम है। कंपनी के कार्यालय में रैम्प, ब्रैल सहायता से एलवेटर और व्हील चेयर के अनुकूल वाशरूम उपलब्ध हैं।

4. **वेल्यू चेन भागीदारों के आकलन के संबंध में ब्यौरा।**

   शून्य

5. **उपर्युक्त प्रश्न 4 में आकलनों से प्राप्त महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई अथवा की जा रही उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें।**

   लागू नहीं।

सिद्धांत 6: व्यवसाय में पर्यावरण के संरक्षण और बहाली के लिए ध्यान रखना और प्रयास करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **कुल ऊर्जा खपत (जूल अथवा मल्टीपल में) और ऊर्जा गहनता का ब्यौरा निम्नलिखित प्रारूप में दें:**

   चूंकि पीएफसी एक विनिर्माण कंपनी है और विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के ले ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अतः इसकी ऊर्जा गहनता सीमित है।

2. **क्या कंपनी ने भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत निर्दिष्ट ग्राहकों (डीसी) के रूप में किसी स्थल/सुविधा की पहचान की है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो यह प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारी कार्रवाई, यदि कोई हो, बताएं।**

   लागू नहीं।

3. **कृपया पानी के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण का निम्नलिखित प्रारूप में ब्यौरा प्रदान करें।**

   चूंकि पीएफसी एक निर्माण कंपनी नहीं है और केवल विद्यतु क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए है। वित्तपोषण प्रदान करती है, अतः इसकी जल अधिक्यता नगण्य है।

4. **क्या कंपनी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए एक व्यवस्था कार्यान्वित की है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें।**

   लागू नहीं।

5. **कृपया कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जनों (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा अन्य) का निम्नलिखित प्रारूप में ब्यौरा प्रदान करें।**

   उक्त प्रश्न पीएफसी के लिए लागू नहीं है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है।

6. **कृपया ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी अधिक्यता का निम्नलिखित प्रारूप में ब्यौरा प्रदान करें।**

   लागू नहीं।

7. **क्या ग्रीन हाउस उत्सर्जनों को कम करने के लिए कोई परियोजना है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।**

   लागू नहीं।

8. **कृपया कंपनी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित प्रारूप में ब्यौरा प्रदान करें:**

   चूंकि पीएफसी एक वित्तपोषण संस्थान है, अतः उत्पादों और अपशिष्ट के रिसाइकल करने की व्यवस्था की सीमित प्रयोज्यता है। तथापि, कंपनी ने 50 कि.ग्रा. क्षमता के एक कंपोस्टर मशीन पीएफसी परिसर में लगाई है। यह गीली सामग्रियों को 24 घंटे में 10% को रिसाइकल कर सकती है और 90% सामग्री को ऑर्गेनिक कंपोस्ट में बदल सकती है। उत्पादित ऑर्गेनिक कंपोस्ट का उपयोग पीएफसी द्वारा अपने परिसर और आस-पास के पौधों में किया गया है।

9. **आपकी कंपनी में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रियाओं का संक्षिप्त ब्यौरा दें। आपकी कंपनी द्वारा खतरनाक और हानिकारक रसायनों का अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में उपयोग कम करने के लिए अपनाई गई कार्यनीति बताएं और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का ब्यौरा दें।**

   अपशिष्ट के रूप में पहचाने गए पुराने, खराब और अप्रयुक्त आईटी उपकरण का निपटान आरईसी के खरीद के संबंधी दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों के अंतर्गत पंजीकृत रीसाइकलकर्ताओं/रीप्रोसेसकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है।

10. **यदि कंपनी के प्रचालन/कार्यालय ऐसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फर रिजर्व, वेटलेंड, जैवविविधता होटस्पोट, वन, तटीय विनियमन जोन इत्यादि) में आस-पास स्थित हैं, जहां पर पर्यावरणीय अनुमोदन/अनापत्तियां अवश्यक होती हैं, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ब्यौरा दें।**

    लागू नहीं।

11. वर्तमान वित्तीय वर्ष में, लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पूर्णकालिक प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें।

लागू नहीं।

12. क्या कंपनी भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/ विनियमों/ दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बने नियमों की अनुपालन करती है? (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो कृपया ऐसी गैर-अनुपालना का ब्यौरा निम्नलिखित प्रारूप में दें।

चूंकि पीएफसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है और केवल वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, अतः यह प्रश्न कंपनी के लिए लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से प्रयुक्त कुल ऊर्जा (जूल अथवा मल्टिपल में) का ब्यौरा प्रदान करें।

लागू नहीं।

2. कृपया जल निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें।

लागू नहीं।

3. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित प्रारूप में सूचना दें:

i. क्षेत्र का नाम

ii. प्रचालनों की प्रकृति

iii. निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

लागू नहीं।

4. कृपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जनों और उसकी अधिक्यता का निम्नलिखित प्रारूप में ब्यौरा दें।

लागू नहीं।

5. उपर्युक्त अनिवार्य संकेतक के प्रश्न 10 में सूचित पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के संबंध में, रोकथाम और उपचारी क्रियाकलापों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर कंपनी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का ब्यौरा प्रदान करें।

लागू नहीं।

6. यदि कंपनी ने संसाधन दक्षता में सुधार अथवा उत्सर्जानों/ एफ्लुएंट डिस्चार्ज/ अपशिष्ट सृजन के कारण प्रभाव में कमी लाने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है अथवा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है अथवा समाधान किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी पहलों के ब्यौरे और परिणाम बताएं?

पीएफसी अपने कार्मिकों के लिए कारोबारी कार्य दक्षतापूर्वक करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का निरंतर उपयोग करने के लिए अग्रसर हैं। ऑनलाइन बैठकों के लिए सहयोगकारी उपकरण, कुशल फाइल प्रस्तुती के लिए ई-ऑफिस सोल्यूसन, पेपरलेस, डिजीटल बोर्ड बैठकें और पेपरलेस कार्मिक दावे जैसे कुछ उल्लेखनीय क्षेत्र पीएफसी की पहल का एक हिस्सा हैं जिससे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संगठनात्मक दक्षता में सुधार लाया जा सके और साथ ही, पर्यावरणीय अनुकूल सोसाइटी के लिए योगदान दिया जा सके।

7. क्या कंपनी की कोई कारोबारी निरंतरता और आपदा प्रबंधन की नीति है? कृपया 100 शब्दों/वेब लिंक में ब्यौरा दें।

हां, पीएफसी ने विभिन्न भूकंपीय जोन में स्थापित मौजूदा डेटा सेंटर के लिए अत्यंत सुरक्षित माने जाने वाले एक प्राइवेट क्लाउड पर डेटा रिकवरी साइट स्थापित की है। इसके साथ, पीएफसी आपदा या साइबर सुरक्षा घटनाओं के समय अपना व्यवसायिक प्रचालन जारी रखेगा।

8. **कंपनी की वेल्यू चेन से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का ब्यौरा दें। कंपनी द्वारा इस संबंध में क्या उपशमन या अंगीकरण उपाय किए गए हैं।**

   चूंकि पीएफसी विद्युत क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान है, अतः यह सरकार के निर्देशों के अनुसार तापीय विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना का भी वित्तपोषण कर रही है। इसमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), चुनिंदा केटेलिक रिडक्शन (एसआरसी) इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स (ईएसपी), की स्थापना शामिल है, जो नुकसानदायक उत्सर्जनों और पार्टिकुलेट मैटर को कम करने में योगदान देता है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए, अनेक पहल जैसे कमतर ब्याज दर, अतिरिक्त छूट, अधिक मात्रा में वित्तपोषण आदि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान किए गए हैं।

9. **पर्यावरणीय प्रभावों के लिए आकलित किए गए वेल्यू चेन भागीदारों (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार की वेल्यू द्वारा) की प्रतिशतता।**

   चूकिं पीएफसी एक एनबीएफसी कंपनी है, अतः परियोजनाओं का अंगीकरण अथवा निष्पादन/कार्यान्वयन नहीं करती, तथापि, अपने ऋणकर्ताओं के जरिए पीएफसी यह सुनिश्चित करती है कि वे ऋण अवधि के दौरान पर्यावरण के संबंध में लागू सांविधिक और गैर-सांविधिक मंजूरियां प्राप्त और प्रभावी रखते हैं।

सिद्धांत 7: सार्वजनिक और विनियामक नीति के प्रभावित करने में शामिल व्यवसाय को ऐसा एक जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **(क) व्यापार और उद्योग चैम्बर्स/एसोसिएशनों के साथ संबद्धताओं की संख्या।**

   10 (दस)

   (ख) ऐसे सर्वोच्च 10 व्यापार और उद्योग चैम्बर/एसोसिएशनों की सूची (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित), जिनकी कंपनी सदस्य है/संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग चैम्बरों/एसोसिएशनों के नाम	व्यापार और उद्योग चैम्बरों/एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/ राष्ट्रीय)
1.	केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड	राष्ट्रीय
2.	स्कॉप	राष्ट्रीय
3.	वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल	अंतरराष्ट्रीय
4.	कांफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	राष्ट्रीय
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स	राष्ट्रीय
6.	पावर एचआर फोरम	राष्ट्रीय
7.	इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज	राष्ट्रीय
8.	आईसीएसआई	राष्ट्रीय
9.	सीआईजीआरई	अंतरराष्ट्रीय
10.	इंडिया हैबिटेट सेंटर	राष्ट्रीय

2. **विनियमन प्राधिकरणों से प्रतिकूल आदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी आचारण के संबंध में कुछ मामलों पर की गई अथवा की जा रही उपचारी कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें।**

   लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **कंपनी द्वारा समर्पित सार्वजनिक नीति की स्थितियों का ब्यौरा:**

   पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने भारत की अगुवाई वाले एक वैश्विक आंदोलन मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) में भागीदारी की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण और परीक्षण के लिए कार्रवाई करने हेतु व्यक्तियों और समुदायों को जुटाना है। पीएफसी ऊर्जा संबंधी जागरूकता अभियानों और जल संरक्षण, वित्तीय साक्षरता सफाई, वृक्षारोपण अभियानों, अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों और नवीकरणीय ऊर्जा के अंगीकरण को बढ़ावा देने सहित मिशन लाइफ के तहत आयोजित क्रियाकलापों और अभियानों मे सक्रिय रूप से शामिल है।

   इसके अलावा, 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का महोत्सव मनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और पीएफसी ने दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 'बिजली महोत्सव' का आयोजन किया। बिजली महोत्सव का राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोग के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया गया था।

   पीएफसी के वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2023 को जयपुर में आयोजित इकॉनोमिक टाइम्स रिन्यूएवल एनर्जी कॉनक्लेव जैसे विभिन्न मंचो पर परंपरागत से नवीकरणीय में बदलाव: विकासकर्ताओं, पीएसयू और ग्रीन वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर पैनल चर्चा के लिए वक्ता के रूप में भाग लिया। इसके अलावा, प्रबंधन

ने आईईईएमए द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक खरीद सम्मेलन में भी भाग लिया और पीएफसी द्वारा अपनाई गई सार्वजनिक खरीद में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण विचार प्रदान किए। हाल ही में, पीएफसी ने जीवंत पूर्वोत्तर प्रदर्शनी 2023 में भाग लिया, जिसमें उद्योग, सरकार और विकास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में हितधारकों को एक साथ देखा गया, जहां विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों और भारत सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। पीएफसी को संगठन के विविध पोर्टफोलियों को प्रदर्शित करने के लिए इसके सृजनात्मक और नवोन्मेष के लिए 'श्रेष्ठ नवोन्मेषी स्टाल पुरस्कार' मिला)

दिनांक 25 और 26 अप्रैल, 2023 को दिल्ली में स्मार्ट मीटरिंग और हानि कटौती परियोजनाओं और स्काडा परियोजनाओं पर एक कार्यशाला भी राज्यों, परियोजना परामर्शदाताओं के साथ सीएमडी, पीएफसी की अध्यक्षता में विचारों की प्रगति और साझाकरण की समीक्षा के लिए आयोजित की गई।

पीएफसी ने नए अवसरों, परियोजनाओं और विभिन्न अवसरों पर भूमिकाओं को हासिल करने के लिए प्रायोजक संबंधों को खोजा, विकसित किया और उपयोग किया। पीएफसी ने हाल ही में ऐसे सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के लिए प्रयोजकता के रूप में वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है, जो भारतीय युवाओं को जोड़ते हैं जैसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशंस इंडिया बनाम डेनमार्क डेविस कप टाई, प्रो टेनिस लीग टूर्नामेंट, सभी कार्मिकों के लिए स्पोर्ट्स मीट, गोवा में वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर, क्लाइमेट फोर्स इंटरनेशनल एंटार्कटिक एक्सपीडिशन। पीएफसी की सहायता सामान्यतः सरकार के दृढ़ निश्चय, समर्पण और सरोकार की स्थापना में और पीएफसी विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पेरिस करार और कॉप26 के प्रति प्रतिबद्धता के संबंध में दीर्घावधिक रही है।

सिद्धांत 8: कारोबार में समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **कंपनी द्वारा लागू निकायों के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में, शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का ब्यौरा।**

   लागू नहीं।

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं को संबंध में सूचना प्रदान करें, जिनके लिए आपकी कंपनी द्वारा पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) किया जा रहा है:**

   लागू नहीं।

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनके समाधान के लिए व्यवस्था का ब्यौरा दें।**

   पीएफसी में व्यापक जन शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत निपटान प्रणाली है। कंपनी ने निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर शिकायतों के तीन निपटान को सुनिश्चित करने के लिए निदेशक (जन शिकायत) के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री (मूल्य के अनुसार इनपुट से कुल इनपुट)**

	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	66.09%	38.57%
जिले और पड़ौसी जिलों से सीधे प्राप्त	-	-

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलनों (संदर्भ उपर्युक्त अनिवार्य संकेतक का प्रश्न 2) में पहचाने गए किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा प्रदान करें।**

   लागू नहीं।

2. **सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित सूचना प्रदान करें:**

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिले	परियोजना का नाम	कुल संस्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)
1	ओडिशा	कंधमाल	कांधामाल जिला, ओडिसा में 20 स्कूलों की शैक्षिक और संबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चरों का पुनरुद्धार और सुधार	6.00
2	पंजाब*	फिरोजपुर	पंजाब के 4 जिलों मे अकाल अकादमी स्कूलों में कक्षाओं और संबद्ध सुविधाओं का निर्माण	5.30
3		मोगा		
कुल				**11.30**

* कुल 4 जिले संस्वीकृत किए गए थे।

3. (क) क्या आपके पास उपेक्षित/वंचित समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद के लिए वरियता दी गई कोई अधिमानित खरीद नीति है? (हां/नहीं)

हां, भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित की है ताकि उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की गई सेवाओं के विपणन में सहायता हो सके। नीति की अनुपालना में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीदी जाने वाली वस्तुओं सहित वार्षिक खरीद योजना एमएसई के लाभ के लिए पीएफसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

(ख) आप किन उपेक्षित/वंचित समूहों से खरीद करते हैं?

सांविधिक अपेक्षा के अनुसार, पीएफसी को अपनी कुल खरीद का कम से कम 25% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसई) से खरीद करना है। इसके अलावा, उक्त 25% में से कम से कम 4% कुल एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से और कम से कम 3% केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से होना चाहिए।

(ग) इसमें कुल खरीद (मूल्य द्वारा) का कितना प्रतिशत शामिल होता है?

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के एमएसई से उत्पादों और सेवाओं की खरीद की है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25% की अनिवार्य खरीद के आदेश में कुल वार्षिक खरीद का 66.06% होता है। वर्ष के दौरान, 309 एमएसई लाभान्वित हुए थे, जिनमें से 19 एमएसई एससी/एसटी वर्ग से और 48 एमएसई महिलाओं के स्वामित्व से संबंधित थे।

4. आपकी कंपनी द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में परंपरागत ज्ञान के आधार पर अर्जित अथवा स्वामित्व वाली बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा लाभों का ब्यौरा दें।

लागू नहीं।

5. बौद्धिक संपत्ति से संबंधित विवादों में, जहां परंपरागत ज्ञान का उपयोग शामिल होता है, किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई अथवा की जा रही उपचारी कार्रवाई का ब्यौरा दें।

लागू नहीं।

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का ब्यौरा:

क्र. सं.	परियोजना विवरण	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	वंचित और उपेक्षित समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत*
1	पंजाब के 4 जिलों (फिरोजपुर, मोगा, अमृतसर एवं तरण तारा) में अकल अकादमी स्कूलों में कक्षाओं और संबद्ध सुविधाओं का निर्माण	1200	100
2	मछलीपटनम, आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार	200000	75
3	प्रतापगढ़, राजस्थान में जिला अस्पताल में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना	50000	75
4	पीएम केयर्स फंड में अंशदान	लागू नहीं	लागू नहीं
5	मल्लपुरम जिला, केरल में श्रीवलसम इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसआईएमएस) अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान करना।	20000	75
6	खानवेल, सिलवासा में वनवासी कल्याण आश्रम परिसर में ग्राउंड+1 होस्टल भवन का निर्माण	500	100
7	जिला अमरावती, महाराष्ट्र में डॉ हेडगेवर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (डीएचआईएमएसआर) अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान करना।	20000	75
8	स्वास्थ्य विभाग, मणिपुर सरकार के चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस और अन्य मोबिलिटी सहायता वाहनों की खरीद	1000	90
9	लंगलेंग, आइजोल जिला, मिजोरम में एएफसी परिसर का विकास	1000	100
10	उत्तर प्रदेश के बस्ती क्षेत्र के 50 स्थानों में 50 वाटर एटीएम (डब्ल्यूएटीएम) की आपूर्ति करना, लगाना और चालू करना	10000	75
11	बद्रीनाथ कस्बा, उत्तराखंड में बद्रीश झील के पास आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (आरईसी) भवन का निर्माण	15000	75

क्र. सं.	परियोजना विवरण	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	वंचित और उपेक्षित समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत*
12	शौचालय-दूसरा चरण का सर्वे करने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य में सीएसआर स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसबीएसवी) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में पीएफसी द्वारा निर्मित शौचालयों का सुधार	10000	75
13	आरा जिला, बिहार-भोजपुर ग्राम विकास कार्यक्रम के 3 ब्लॉकों (पिरो, बिहिया, जगदीशपुर) में विभिन्न विकास कार्य	100000	75
14	आईआईएससी बेंगलुरु के माध्यम से इंटर डिसिप्लिनरी सेंटर फार एनर्जी रिसर्च (आईसीईआर), आईआईएससी बेंगलुरु, कर्नाटक के लिए अत्याधुनिक भवन का निर्माण	300	लागू नहीं
15	जिला प्रशासन औरंगाबाद के माध्यम से ऑइस्टर मशरूम की खेती, मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने 500 महिलाओं के लिए सतत जीविका के अवसरों का सृजन	500	100
16	सूर्यपेट जिला, तेलंगाना में चुनिंदा मंडलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएसएल) स्कूलों, आंगनबाड़ियों में अतिरिक्त कमरे, शौचालय और पेयजल सुविधाएं, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करना।	15000	75
17	एमएनजे इंस्टिट्यूट ऑफ ऑकोलोजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर (एमएनजे), हैदराबाद में 5 वर्षीय वांरटी के साथ 64 एलाइंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्केनर प्रदान करना, लगाना और चालू करना	12000	75
18	भारत में विभिन्न स्थानों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित 1000 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	1000	100
19	नागा हॉस्पिटल अथोरिटी कोहिमा में सीटी स्कैन मशीन लगाना	36000	95
20	कल्गीधर सोसाइटी, बारू साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश (केएसवाई) के लिए 'फ्री कम्युनिटी किचन' के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार और उपकरण प्रदान करना।	2000	100
21	पलनाडु जिला, आंध्र प्रदेश के ग्रामों में आरओ जल शोधन संयंत्र की आपूर्ति करना और लगाना।	200000	75
22	मुर्शिदाबाद, कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) के लिए एक (1) कैंसर डिटेक्सन और जागरूकता मोबाइल वेन तथा संगत उपकरण की खरीद करना	50000	75
23	लेंसडाउन छावनी, उत्तराखंड में छावनी बोर्ड अस्पताल/डिस्पेंसरी का सुधार/उन्नयन	15000	75
24	कंधमाल जिला, ओडिशा में 20 स्कूलों में शैक्षणिक और संबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चरों का पुनरुद्धार और सुधार	3173	100
25	केजीएमयू, लखनऊ में भर्ती किए जा रहे गरीब कैंसर मरीजों के लिए जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति	10000	75
26	राजस्थान राज्य में सीएसआर स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में पीएफसी द्वारा निर्मित शौचालयों का सुधार।	4000	75
27	राउरकेला नगर निगम, सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा में सफाई वर्करों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की रोकथाम के लिए स्वच्छता और सफाई वस्तुएं प्रदान करना	200000	50
28	तुतुकुडी जिला, तमिलनाडु के विभिन्न गांवों में जन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार	75000	75
29	जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तरप्रदेश के 10 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भदर एंड न्यू बोर्न केयर यूनिट (एमएनसयू) के प्रचालन के लिए विभन्न उपकरण/ वस्तुएं प्रदान करना।	100000	75
30	पीएम केयर्स फंड में अंशदान	लागू नहीं	लागू नहीं

*लगभग लाभार्थी

सिद्धांत 9: व्यवसाय में एक जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं को शामिल करना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उत्तर देने के लिए लागू तंत्रों का ब्यौरा

पीएफसी ने आरबीआई, दिशानिर्देशों के, आधार पर अपने ऋण प्रचालनों के लिए उचित प्रक्रिया संहिता (एफपीसी) विकसित की है, जिसका उद्देश्य अपने कारोबारी लेन-देनों में उचित व्यवहार और पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के लिए कंपनी के सभी ऋणकर्ताओं को आश्वासन देना है। निदेशक मंडल उचित प्रक्रिया संहिता की अनुपालना की स्थिति की आवधिक समीक्षा करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उचित प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

पीएफसी में एक प्रणाली भी लागू है। जिसमें कि उपभोक्ता फीडबैक फार्म आवधिक रूप से हमारे ऋणकर्ताओं/उपचारकर्ताओं को परिचालित किए जाते हैं, जिनमें पीएफसी उत्पादों/सेवाओं की उपयुक्तता ऋण स्वीकृति/निष्पादन में लिए गए समय, ग्राहक मामलों के समाधान आदि जैसे पहलु शामिल हैं। फीडबैक का विश्लेषण व समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक सुधार के उपाय किए जाते हैं।

2. ऐसे सभी उत्पादों/सेवाओं, जिनके बारे में सूचना निहित है, से टर्नओवर की प्रतिशतता के रूप में उत्पादों और सेवाओं का टर्नओवर

कंपनी एक एनबीएफसी है, जो वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, जिनमें मुख्यतः विद्युत क्षेत्र से ऋण शामिल होते हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षा निपटान आदि से संबंधित आवश्यक निबंधन एवं शर्तें, जो संबंधित परियोजना से संबंधित हैं और अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी खंड आदि सामान्यतः ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित की जाती हैं।

3. निम्नलिखित के संबंध मे उपभोक्ता शिकायतों की संख्या

	वित्तीय वर्ष 2022-23		अभियुक्तियां	वित्तीय वर्ष 2021-22		अभियुक्तियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा निजता	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
विज्ञापन	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अनिवार्य सेवाओं की डिलिवरी	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अनुचित व्यापार प्रथाएं	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अन्यः	31	शून्य	-	51	1	-

4. सुरक्षा संबंधी मामलों के कारण उत्पादों को वापस लेने के उदाहरणों का ब्यौरा:

लागू नहीं।

5. क्या कंपनी के पास साइबर सुरक्षा और डेटा निजता के संबंध मे जोखिमों पर कोई फ्रेमवर्क/नीति है? (हां/नहीं)। यदि उपलब्ध है तो नीति का वेब लिंक प्रदान करें।

जी हां, कंपनी में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें साइबर सुरक्षा और उससे जुड़े पहलुओं को शामिल किया गया है। यह नीति आंतरिक दस्तावेज है, जो कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

6. कृपया विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की प्रदानता, साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा निजता; नियामक प्राधिकरणों द्वारा उत्पादों/ सेवाओं की सुरक्षा के संबंध में लगाई गई शास्ति/ की गई कार्रवाई के संबंध में मामलों पर की गई अथवा की जा रही है। सुधार की कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. ऐसे चेनल/प्लेटफार्म, जहां पर कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती हो (कृपया वेबलिंक, यदि उपलब्ध हो, तो प्रदान करें)

पीएफसी विद्युत क्षेत्र में हमारे ग्राहकों को परियोजना की संकल्पना से लेकर चालू किए जाने के बाद की अवस्था तक व्यापक वित्तीय उत्पाद और संगत परामर्श और अन्य सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय), पारेषण और वितरण परियोजनाएं तथा नवोन्मेषी और आधुनिकीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी की वेबसाइट पर अपने वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण प्रदर्शित किए गए हैं।

2. उत्पादों और/अथवा सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के संबंध में ग्राहकों को जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए किए गए उपाय।

कंपनी एक एनबीएफसी है, जो वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत करती है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर अपने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं और समय-समय पर जारी अन्य हितधारक/मीडिया संचार के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण किया गया है। हम अपने ऋणकर्ताओं के साथ आवधिक बैठकें भी करते हैं और पीएफसी के कार्यपालक भी कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के संबंध में सूचना और मुख्य विशेषताओं को साझा करने के लिए ग्राहक कार्यालयों/परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं।

3. क्या आवश्यक सेवाओं के अवरोध/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में ग्राहकों को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद है।

जी हां, पीएफसी में सुपरिभाषित कारोबारी निरंतरता नीति और आपदा प्रबंधन / जोखिम योजना है। नीति में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और पद्धतियों का उल्लेख है कि आईटी प्रचालन / सेवाएं अवरोधों/ आपदाओं के समय प्रयोक्ताओं के लिए जारी रहे। विभिन्न भूकंपीय जोनों (मुंबई) में आपदा बहाली स्थल कार्यनीतिक रूप से चालू किया गया है। इसके साथ, पीएफसी किसी भी आपदा साइबर सुरक्षा दुर्घटनाओं के दौरान अपने कारोबारी प्रचालन को जारी रख सकती है।

4. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्यताओं के अलावा उत्पादों पर उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है? (हां/ नहीं/ लागू नहीं)। यदि हां, तो कृपया संक्षेप में ब्यौरा दें। क्या आपकी कंपनी ने अपने प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता संतुष्टि, कंपनी या समग्र कंपनी के प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया था? (हां/नहीं)

यह कंपनी एक एनबीएफसी है, जो वित्तीय उत्पाद पेश करती है, अतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपने ऋणकर्ताओं के लिए ऋण करारों और दस्तावेजों तथा हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाए।

5. कृपया डेटा के उल्लंघनों के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रदान करें:

क) डेटा के उल्लंघनों व उनके प्रभावों के मामलों की संख्या

ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचानने योग्य सूचना के संबंध में डेटा के उल्लंघनों का प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शून्य।

व्यवसाय दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संबंधित नीतियों के लिंक निम्नानुसार हैं:

नीति का नाम	वेब लिंक	
	अंग्रेजी	हिंदी
सीएसआर तथा संधारणीयता नीति	https://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSR%20Policy.pdf	https://pfcindia.com/hnsite/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/HINDI_PFCs_CSR_and_Sustainability_Policy.pdf
उचित पद्धति संहिता	https://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Statutory_Requirements/Codes_and_Policies/Fair_Practices_Code/2020-09-02%20Fair%20Practice%20Code%20of%20PFC%20updated%20.pdf	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/62
व्यवसाय संचालन एवं नैतिकता आचार संहिता	https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1472556128687_Code%20of%20Conduct%2017042015.pdf&path=Page&Name=Code%20of%20Conduct%20for%20Board%20of%20Directors%20and%20Senior%20Management%20Personnel	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/63
धोखाधड़ी रोधी नीति	https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1471520577857_ANTI%20FRAUD%20POLICY%2005_11_2011.pdf&path=Page&Name=Anti%20Fraud%20Policy	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/65

नीति का नाम	वेब लिंक	
	अंग्रेजी	हिंदी
व्हिसल ब्लोअर नीति	https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490188785276_WBP.pdf&path=Page	https://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490268719103_wbpHND.pdf&path=Page
संबंधित पक्षकार लेन-देन पर नीति	https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552784406_Final%20Policy%20on%20RPT%2017052019.pdf&path=Page	https://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1562840382760_policy%20of%20related%20party%20transactions.pdf&path=Page
महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति	https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552854274_Final%20Policy%20for%20Material%20Subsidiary17052019.pdf&path=Page	https://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1563962455491_Policy_on_Material_Subsidiary.pdf&path=Page
लाभांश वितरण नीति	https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1546009180778_DividendDistribution.pdf&path=Page	https://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1500987575423_Dividend_Distribution_Policy_of_pfc_hindi.pdf&path=Page
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना एवं संचालन के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता	https://pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1614952208955_Insider_Trading_Code_Amended05032021.pdf&path=Page	https://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1561571325217_Hindi_Insider_Trading_Code26062019.pdf&path=Page
घटनाओं की भौतिकता के निर्धारण के लिए नीति	https://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Statutory_Requirements/Codes_and_Policies/Policy_for_Determination_of_Materiality_of_Events/Final%20Policy%20for%20Determination%20of%20Materiality%20of%20Events17052019.pdf	https://pfcindia.com/hnsite/DocumentRepository/ckfinder/files/Statutory_investor/DoMEvents_hi.pdf

अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं तथा केवल संगठन के कार्मिकों के लिए उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ड.

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110 001

हमने **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (इसके बाद यहां आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उपयुक्त निगमित प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई थी जिसका हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए तर्कसंगत आधार मिल सके।

कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त, बहियों, फॉर्मों एवं कंपनियों द्वारा दाखिल की गई विवरणियों तथा अन्य अनुरक्षित रिकॉर्डों और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयी लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमें प्रदान की गई सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी ने यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी ने इसमें यहां आगे की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, तरीके से और उक्त के अध्यधीन समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन तंत्र स्थापित किया है:

हमने निम्नलिखित लागू प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दाखिल बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों एवं विवरणियों तथा उसके द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली:

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन अधिनियम), 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप नियम;

(iv) विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, जिस हद तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋण का संबंध है;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश;

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित/कार्मिक हितलाभ और स्वेट इक्विटी विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2021;

(छ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंटों के पंजीयक) विनियम, 1993 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);**

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);**

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाय-बैक) विनियम, 2018 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)**; और

(ञ) कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू अन्य कानून:

(क) सार्वजनिक उद्यम विभाग दिशानिर्देश;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और एनबीएफसी नियमावली;

(ग) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002;

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;

(ड़) ई-कचरा (प्रबंधन एवं निपटान) नियमावली, 2011;

(च) श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानून और

(छ) विनियम तथा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002;

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमावली, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

(i) कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कम-से-कम आधी रहने की अपेक्षा के संबंध में दिनांक 11.07.2022 से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के प्रावधान की अनुपालना नहीं की है।

(ii) कंपनी ने निदेशक के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) (क) और (ख) के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की है।

(iii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) से सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के तहत अनुपालना न किए जाने के संबंध में 30 सितंबर, 2022 एवं 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बीएसई और 31 मार्च, 2023 के लिए एनएसई से कारण बताओ नोटिस मिले हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

सभी निदेशकों को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों के कार्यक्रम एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स की पर्याप्त सूचना कम-से-कम सात दिनों पहले भेज दी गई थी और बैठक से पहले कार्यसूची के मदों पर और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बहुमत से निर्णय लिया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की मॉनीटरिंग करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी की लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के प्रमुख कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/कार्रवाइयां की थीं।

1. कंपनी ने अपनी 21 सितंबर, 2022 को हुई वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 12.50% का अंतिम लाभांश अर्थात ₹1.25 प्रति इक्विटी शेयर घोषित किया था।

2. कंपनी के निदेशक मंडल ने 12 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में 22.50% अर्थात ₹2.25 प्रति इक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य के साथ पहला अंतरिम लाभांश 10 नवंबर, 2022 को 30% अर्थात ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के साथ ₹3 प्रति इक्विटी शेयर का दूसरा लाभांश और 13 फरवरी, 2023 को 35% अर्थात ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के ₹3.5 प्रति इक्विटी शेयर का तीसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया।

कृते **मेहता एंड मेहता**
कंपनी सेक्रेटरीज
(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

ह/-
नयन हांडा
भागीदार
एफसीएस नं.:11993
सीपी नं.: 18686
यूडीआईएन: F011993E000563456

स्थान: दिल्ली
तारीख: 7 जुलाई, 2023

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए जो '**अनुलग्नक क**' के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

हमारी समदिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कभी भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन के अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6. जहां तक फॉर्म एमआर-3 में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दाखिल बुक, पेपर, फार्मों, रिपोर्ट, विवरणी का संबंध है, उक्त विनियमों की अपेक्षाओं की अनुपालना करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त विनियमों के तहत कंपनी द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष दाखिल किए जाने हेतु विभिन्न फार्मों, रिपोर्ट विवरणियों और दस्तावेजों का निष्पादन करने और समय पर अनुपालन किए जाने तक सीमित थी।

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उसके प्रभाव या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **मेहता एंड मेहता**
कंपनी सेक्रेटरीज
(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

ह/-
नयन हाडा
भागीदार
एफसीएस नं.:11993
सीपी नं.: 18686
यूडीआईएन: F011993E000563456

स्थान: दिल्ली
तारीख: 7 जुलाई, 2023

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु शेयरधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित सचिवीय लेखापरीक्षक के अवलोकनों के साथ-साथ उन पर स्पष्टीकरण

क्र. सं.	अवलोकन	स्पष्टीकरण
1.	कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कम-से-कम आधी रखने की आवश्यकता के संबंध में 11.07.2022 से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के प्रावधान की अनुपालना नहीं की है।	वर्ष 2022-23 के दौरान, दिनांक 01.04.2022 से 10.07.2022 तक निदेशक मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार थी। पीएफसी चूंकि एक सरकारी कंपनी है और पीएफसी के संगम अनुच्छेद (एओए) के खंड 86 के अनुसार, पीएफसी के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। तदनुसार, कंपनी ने समय-समय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करने का अनुरोध किया ताकि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन हो सके।
2.	कंपनी ने निदेशक के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) (क) और (ख) के प्रावधानों की अनुपालना नही की है।	पीएफसी चूंकि एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के खंड 86 के अनुसार फंक्शनल निदेशकों, सरकार के नामिती निदेशकों और पीएफसी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। ऐसी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के साथ-साथ पारिश्रमिक और मूल्यांकन का दायित्व भारत सरकार का है। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती हैं और ये आवधिक निष्पादन समीक्षा के अध्यधीन होती हैं और यह कि कंपनी के निष्पादन की भी पीएफसी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुसार वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, प्रारूप बोर्ड मूल्यांकन नीति तैयार की गई थी और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल द्वारा उस पर विचार किया गया था और प्रारूप नीति को विद्युत मंत्रालय को उन पर मार्गदर्शन हेतु भेजा गया था। विद्युत मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि प्रारूप बोर्ड मूल्यांकन नीति आगे जांच के लिए सीपीएसई नीति प्रभाग को भेज दी गई है।
3.	समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) से सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के तहत अनुपालना न किए जाने के संबंध में 30 सितंबर, 2022 और 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बीएसई तथा 31 मार्च, 2023 के लिए एनएसई से कारण बताओ नोटिस मिले हैं।	कंपनी के संगम अनुच्छेद (एओए) के खंड 86 के अनुसार, फंक्शलन निदेशकों, भारत सरकार के नामिती निदेशकों और पीएफसी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। तदनुसार, पीएफसी ने विद्युत मंत्रालय से निरंतर अनुरोध किया कि वे पीएफसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाए। उपर्युक्त को देखते हुए, पीएफसी ने स्टॉक एक्सचेंज से जुर्माने को माफ करने के लिए अनुरोध किया है। इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंज के उत्तर की प्रतीक्षा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-च

1. कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा

पीएफसी की निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति (सीएसआर संधारणीयता नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगम सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी निगमित निकाय बन सके, जो मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देते हुए स्थायी विकास के लिए परियोजनाएं पूरी कर बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो।

पीएफसी ने अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति का कार्यान्वयन पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ किया है। सीएसआर संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर पर निदेशकों की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन किया है।

पीएफसी ने पर्यावरणीय निरंतरता, स्वास्थ्य देख-रेख, साफ-सफाई, पेयजल और कौशल विकास आदि के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर गतिविधियों का कार्यान्वयन किया। इसके अतिरिक्त, डीपीई के अनुदेश के अनुसार, पीएफसी ने विषयगत क्षेत्रों अर्थात 'स्वास्थ्य और पोषण' के लिए योगदान दिया है, जिसमें आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है।

2. 31.03.2023 तक सीएसआर समिति की संरचना

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक के पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान भाग ली गई सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	श्री प्रसन्ना तंत्री (18 जुलाई, 2022 से)	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	5	5
2.	श्रीमती उषा सजीव नायर	सदस्य/स्वतंत्र निदेशक	7	7
3.	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य/निदेशक (वित्त)	7	6
4.	श्री राजीव रंजन झा (18 जुलाई, 2022 से)	सदस्य/निदेशक (परियोजना)	5	5
5.	श्री मनोज शर्मा (29 अगस्त, 2022 से)	सदस्य/निदेशक (वाणिज्यिक)	5	5
6.	श्री आर.सी. मिश्रा (11 जुलाई, 2022 तक)	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	2	2
7.	श्री आर. एस. ढिल्लों* (28 अगस्त, 2022 तक)	सदस्य/सीएमडी एवं निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार	2	उपस्थित नहीं

*निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार धारण करने के कारण

3. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किए गए जाने का वेब लिंक।

(क) सीएसआर समिति की संरचना	https://pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1614341684991_Latest_Composition_of_Committees26022021.pdf&path=Page
(ख) सीएसआर नीति	https://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSR%20Policy.pdf
(ग) बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं	https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/List%20of%20projects.pdf

4. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाओं के लिए किए गए प्रभाव आकलन का ब्यौरा, यदि कोई हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

शून्य

5. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ किए जाने के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ किए जाने हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का ब्यौरा।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1	2020-21	शून्य	शून्य
2	2021-22	39.39	39.39
3	2022-23	शून्य	शून्य
	कुल	**39.39**	**39.39**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ।

₹ 8,929.20 करोड़

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत।

₹178.58 करोड़

(ख) पिछले वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि।

शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ किए गए जाने हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो।

शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर बाध्यता (7क+7ख-7ग)

₹178.58 करोड़

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित शेष सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर की कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
72.24	106.34	28.04.2023	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई जारी परियोजनाओं पर शेष सीएसआर राशि:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ करोड़ में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ करोड़ में)	धारा 136 (6) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अबंटित शेष सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम	कार्यान्वयन का माध्यम - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	पंजाब के 4 जिलों में अकाल अकादमी स्कूलों में कक्षाओं और संबद्ध सुविधाओं का निर्माण	मद (ii)- शिक्षा को बढ़ावा	नहीं	पंजाब	फिरोजपुर, मोगा, अमृतसर, तरन-तारन	7	5.30	3.35	1.95	हां	-	-
2	मछलीपत्तनम, आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन	मद (i)- स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	आंध्र प्रदेश	मछलीपत्तनम	6	5.07	4.06	1.01	नहीं	जिला प्रशासन, कृष्णा जिला	सीएसआर 00033025
3	मल्लापुरम जिला, केरल में श्रीवलसम इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसआईएमएस) अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	मद (i)- स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	केरल	मल्लापुरम	6	0.97	0.55	0.42	हां	-	-
4	खानवेल, सिलवासा में वनवासी कल्याण आश्रम परिसर में ग्राउंड+1 होस्टल भवन का निर्माण	मद (ii)- शिक्षा को बढ़ावा	नहीं	दादरा नागर हवेली	सिलवासा	24	4.77	0.48	4.30	हां	-	-
5	जिला अमरावती, महाराष्ट्र में डॉ हेडगेवर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (डीएचआईएमएसआर) अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	मद (i)- स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	महाराष्ट्र	अमरावती	8	1.91	-	1.91	हां	-	-
6	स्वास्थ्य विभाग, मणिपुर सरकार के चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस और अन्य मोबिलिटी सहायता वाहनों की खरीद	मद (i)- स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	मणिपुर	विभिन्न जिले	9	2.80	0.28	2.52	नहीं	राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) मणिपुर	सीएसआर 00031715
7	लंगलेंग, आइजोल जिला, मिजोरम में एएफसी परिसर का विकास	मद (vii)- खेल	नहीं	मिजोरम	लंगलेंग एंड आइजोल	12	5.47	-	5.47	नहीं	मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल (एमएस एससी)	सीएसआर 00017572

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ करोड़ में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ करोड़ में)	धारा 136 (6) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अबंटित शेष सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम	कार्यान्वयन का माध्यम - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
8	उत्तर प्रदेश के बस्ती क्षेत्र के 50 स्थानों में 50 वाटर एटीएम (डब्ल्यूएटीएम) की आपूर्ति करना, लगाना और चालू करना	मद (i)- स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	उत्तर प्रदेश	बस्ती	12	3.97	1.95	2.02	हां	-	-
9	बद्रीनाथ कस्बा, उत्तराखंड में बद्रीश झील के पास आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (आरईसी) भवन का निर्माण	मद (xii)- आपदा प्रबंधन	नहीं	उत्तराखंड	चमोली	24	17.58	-	17.58	नहीं	श्री केदारनाथ उत्थान चेरीटेबल ट्रस्ट (एसकेयूसीटी), उत्तराखंड सरकार	सीएसआर 00009855
10	शौचालय-दूसरा चरण का सर्वे करने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य में सीएसआर स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसबीएसवी) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में पीएफसी द्वारा निर्मित शौचालयों का सुधार	मद (i) - स्वच्छता मद (ii) - शिक्षा को बढ़ावा	नहीं	आंध्र प्रदेश	विभिन्न जिले	6	1.86	0.93	0.93	नहीं	कनेक्ट टू आंध्र, आंध्र प्रदेश	सीएसआर 00008366
11	आरा जिला, बिहार-भोजपुर ग्राम विकास कार्यक्रम के 3 ब्लॉकों (पिरो, बिहिया, जगदीशपुर) में विभिन्न विकास कार्य	मद (x) - ग्रामीण विकास परियोजनाएं	नहीं	बिहार	आरा	7	1.79	0.96	0.84	हां	-	-
12	आईआईएससी बंगलुरू के माध्यम से इंटर डिसिप्लिनरी सेंटर फार एनर्जी रिसर्च (आईसीईआर), आईआईएससी बंगलुरू, कर्नाटक के लिए अत्याधुनिक भवन का निर्माण	मद (ii) - शिक्षा को बढ़ावा, मद (iv) - पर्यावरणीय स्वच्छता संधारणीयता	नहीं	कर्नाटक	बंगलुरू	36	10.87	-	10.87	नहीं	आईआईएससी बंगलुरू	सीएसआर 00007370
13	जिला प्रशासन औरंगाबाद के माध्यम से ऑइस्टर मशरूम की खेती, मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए 500 महिलाओं हेतु सतत जीविका के अवसरों का सृजन	मद (ii) - शिक्षा को बढ़ावा	नहीं	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	24	7.06	-	7.06	नहीं	जिला प्रशासन औरंगाबाद	सीएसआर 00043765

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ करोड़ में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ करोड़ में)	धारा 136 (6) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अबंटित शेष सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम	कार्यान्वयन का माध्यम - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
14	सूर्यपेट जिला, तेलंगाना में चुनिंदा मंडलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएसएल) स्कूलों, आंगनबाड़ियों में अतिरिक्त कमरे, शौचालय और पेयजल सुविधाएं, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करना।	मद (i) - स्वच्छता, मद (i)- स्वास्थ्य देखरेख मद (ii) - शिक्षा को बढ़ावा	नहीं	तेलंगाना	सूर्यपेट	24	5.77	0.58	5.19	नहीं	जिला कलेक्टर, सूर्यपेट	सीएसआर 00041884
15	एमएनजे इंस्टिट्यूट ऑफ ऑनकोलोजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर (एमएनजे), हैदराबाद में 5 वर्षीय वारंटी के साथ 64 एलाइंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर प्रदान करना, लगाना और चालू करना	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	तेलंगाना	हैदराबाद	24	5.00	5.00	-	नहीं	एमएनजे इंस्टिट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद	सीएसआर 00034393
16	भारत में विभिन्न स्थानों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित 1000 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	मद (ii) - शिक्षा को बढ़ावा	नहीं	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड	विभिन्न जिले	9	2.02	2.02	-	नहीं	पावर सेक्टर स्किल काउंसिल (पीएसएससी)	सीएसआर 00009191
17	नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा में सीटी स्कैन मशीन लगाना	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	नागालैंड	कोहिमा	12	3.56	3.56	-	नहीं	इंवेस्टमेंट एंड डेवलमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड (आईडी एएन)	सीएसआर 00024598
18	कल्गीधर सोसाइटी, बारू साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश (टीकेएस) के लिए 'फ्री कम्युनिटी किचन' हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार और उपकरण प्रदान करना	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	12	1.23	1.23	-	हां	-	-
19	पलनाडु जिला, आंध्र प्रदेश के ग्रामों मे आरओ जल शोधन संयंत्र की आपूर्ति करना और लगाना	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	आंध्र प्रदेश	पलनाडु	12	2.50	2.50	-	नहीं	जिला कलेक्टर, पलनाडु	सीएसआर 00038835
20	मुर्शीदाबाद, कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) के लिए एक (1) कैंसर डिटेक्सन और जागरूकता मोबाइल वेन तथा संगत उपकरण की खरीद करना	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	पश्चिम बंगाल	मुर्शीदाबाद	12	3.47	3.47	-	हां	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ करोड़ में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ करोड़ में)	धारा 136 (6) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अबंटित शेष सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम	कार्यान्वयन का माध्यम - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
21	लेंसडाउन छावनी, उत्तराखंड में छावनी बोर्ड अस्पताल/ डिस्पेंसरी का सुधार/ उन्नयन	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	उत्तराखंड	पौड़ी	12	1.64	1.64	-	नहीं	छावनी बोर्ड, लेंसडाउन	सीएसआर 00031161
22	कंधामाल जिला, ओडिशा में 20 स्कूलों में शैक्षणिक और संबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनरुद्धार और सुधार	मद (ii) - शिक्षा को बढ़ावा	नहीं	ओडिशा	कंधामाल	12	6.00	-	6.00	नहीं	इंटिग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (आईटीडीए), बल्लीगुडा	सीएसआर 00033677
23	केजीएमयू, लखनऊ में भर्ती किए जा रहे गरीब कैंसर मरीजों के लिए जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	12	10.19	-	10.19	नहीं	किंग जोर्ज्स मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ	सीएसआर 00016784
24	राजस्थान राज्य में सीएसआर स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में पीएफसी द्वारा निर्मित शौचालयों का सुधार	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	राजस्थान	विभिन्न जिले	6	4.42	-	4.42	हां	-	-
25	राउरकेला नगर निगम, सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा में सफाई कामगारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की रोकथाम के लिए स्वच्छता और सफाई वस्तुएं प्रदान करना	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	ओडिशा	सुंदरगढ़	6	1.09	-	1.09	हां	-	-
26	थुथुकुड जिलों, तमिलनाडु के विभिन्न गांवों में जन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	तमिलनाडु	थुथुकुड	10	2.31	-	2.31	नहीं	जिला हेल्थ सोसाइटी थुतुकुड	सीएसआर 00040013
27	जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश के 10 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मदर एंड न्यू बोर्न केयर यूनिट (एमएनसयू) के प्रचालन के लिए विभिन्न उपकरण/ वस्तुएं प्रदान करना	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्धनगर	6	0.86	-	0.86	हां	-	-
कुल								**13.14**	**106.34**			

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं पर व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्ययित राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का माध्यम - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	प्रतापगढ़, राजस्थान में जिला अस्पताल में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	राजस्थान	प्रतापगढ़	0.34	नहीं	राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसाइटी, प्रतापगढ़	सीएसआर 00010176
2	पीएम केयर्स फंड में अंशदान	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	अखिल भारत	लागू नहीं	50.00	हां	-	-
3	पीएम केयर्स फंड में अंशदान	मद (i) - स्वास्थ्य देखरेख	नहीं	अखिल भारत	लागू नहीं	1.94	हां	-	-
	कुल					**52.28**			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्ययित राशि

₹6.82 करोड़

(ड.)प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू हो, के लिए व्ययित राशि

शून्य

(च)वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि (8 ख+8 ग+8 घ+8 ड़)

₹72.24 करोड़ (सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित ₹106.34 करोड़)

नोट: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ और हानि के एकल विवरण के लिए प्रभारित की गई कुल सीएसआर राशि ₹225.30 करोड़ है। इसमें से ₹46.72 करोड़ 31.03.2020 तक की अवधि के बजट के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैं, जबकि शेष राशि अर्थात ₹178.58 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैं।

(छ) सेट ऑफ के लिए अधिक्य राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135(5) के अंतर्गत कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	178.58
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि	178.58
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अधिक्य राशि (ii)-(i)	--
(iv)	विगत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि	--
(v)	आगामी वित्तीय वर्ष में सेट ऑफ किए जाने के लिए उपलब्ध राशि (iii)-(iv)	शून्य

9. (क)पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित शेष सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि, यदि कोई हो, में स्थानांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2019-20 तक	99.15*	46.72	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	52.43*
2	वित्तीय वर्ष 2020-21	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
3	वित्तीय वर्ष 2021-22	54.87	13.98	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40.89
	कुल	**154.02**	**60.70**				**93.32**

* स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धारा 135(6) के प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभावी बनाया गया था

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्ययित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/ जारी
1	44	आपदा के दौरान नष्ट हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास क्रियाकलाप	2013-14	90	3.00	0.35	3.00	पूर्ण
2	101	सर सुंदरलाल अस्पताल, सर्जिकल ऑनकोलॉजी विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी, उत्तरप्रेदश के लिए कैंसर डिटेक्शन और जागरूकता मोबाइल वैन एवं संगत उपकरण प्रदान करना	2016-17	6	0.12	0.00	0.03	पूर्ण
3	106	एपीएसएसडीसी के माध्यम से आंध्र प्रदेश में समाज के एससी/ एसटी/ ओबीसी/ दिव्यांग/ महिला/ ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	2016-17	67	5.00	1.88	5.00	पूर्ण
4	127	वाराणसी, उत्तर प्रदेश के 175 सरकारी स्कूलों में सबमर्सिबल पंप, ओवर हेड टैंक लगाना और अनेक हेंडवाश यूनिटों का निर्माण	2017-18	21	2.18	0.03	1.09	जारी
5	131	वाराणसी और चंदौली, उत्तर प्रदेश में 100 एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली (एसएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	2017-18	9	0.24	0.00	0.23	जारी
6	135	बिहार के बेलसंद ब्लॉक, सीतामढ़ी जिले में भंडारी पंचायत के तीन ग्रामों भंडारी, मांची और महेशपुर में आदर्श पंचायत परियोजना और पीटीसी फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से भंडारी में दो सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की परियोजना	2018-19	36	2.56	1.43	2.33	जारी
7	136	बिहार-भोजपुर ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत आरा जिले के 3 ब्लॉकों (पिरो, बिहिया, जगदीशपुर) में विकास कार्य	2018-19	50	22.90	1.96	22.40	जारी
8	137	मेरठ में नेत्रहीनों के लिए बृज मोहन स्कूल भवन का निर्माण	2018-19	27	4.87	0.89	4.73	पूर्ण
9	139	आगरा, उत्तर प्रदेश में विभिन्न गांवों मे 500 एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली (एसएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	2018-19	9.	1.13	0.02	1.08	जारी
10	140	पूर्णिया, बिहार के विभिन्न गांवों में 500 एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली (एसएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	2018-19	6	1.13	0.02	1.08	जारी
11	144	तीसवाड़ी, गोवा में डॉ के.बी. हेडगेवार स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य	2018-19	29	3.40	0.70	3.40	जारी
12	145	तेलंगाना जिले में महबूब नगर और रंगा रेड्डी जिलों के विभिन्न गांवों में एलईडी आधारित 500 सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली (एसएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	2018-19	6	1.40	0.03	1.34	जारी
13	148	बस्ती, उत्तरप्रदेश के विभिन्न गांवों में 100 सौर पीवी हाईमास्ट लाइट प्रणाली (सफेद एलईडी) एसएचएमएलएस की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	2018-19	28	1.15	0.03	1.09	जारी
14	150	भंडारी पंचायत सीतामढ़ी जिला, बिहार के आदर्श पंचायत के निर्माण की अनुपूरक परियोजना और भंडारी में दो सरकारी स्कूलों की मौजूदा परियोजनाओं का कायाकल्प और सीएसआर के तहत अनुपूरक परियोजना के रूप में अतिरिक्त तौर पर समुदाय हॉल का निर्माण	2018-19	37	2.56	0.43	2.33	जारी
15	155	गिरडीह क्षेत्र, झारखंड के विभिन्न स्थानों में 100 सौर पीवी हाई-मास्ट लाइट प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग की परियोजना	2018-19	6	1.06	0.02	1.00	जारी
16	157	बीकानेर क्षेत्र (फेज-II), राजस्थान के विभिन्न गांवों में 500 एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली (एसएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए परियोजना	2018-19	6	1.40	0.03	1.34	जारी

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (माह)	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्ययित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/ जारी
17	158	सिद्धार्थनगर जिला, उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में 100 सौर पीवी हाईमास्ट लाइट प्रणाली (सफेद एलईडी) (एसएचएमएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	2018-19	8	1.15	0.15	0.15	जारी
18	159	फिरोजपुर जिला, पंजाब के विभिन्न सरकारी/सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में आरओ यूनिटों की स्थापना	2018-19	24	6.76	0.84	5.55	जारी
19	165	मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में पेय जल के प्रयोजन के लिए 100 इंडिया मार्क-II हैंड पंप की आपूर्ति और स्थापना	2018-19	18	0.97	0.10	0.98	जारी
20	192	बागपत क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 20 ग्राम पंचायत के लिए पोर्टेबल सोलर माइक्रो पंप प्रणाली प्रदान करने की परियोजना	2018-19	35	0.69	0.38	0.63	जारी
21	222	अधिशासी अभियंता, स्थानीय क्षेत्र इंजीनियरिंग संगठन (एलईओ), निर्माण प्रभाग-1 सीवान के माध्यम से वी.एम.एच.ई. हाईस्कूल, सीवान के परिसर में एससी/एसटी छात्रों के लिए नए छात्रावास भवन का निर्माण	2018-19	36	3.84	2.82	2.82	जारी
22	162	जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश ने अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के प्रावधान के साथ-साथ 100 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) का निर्माण	2019-20	35	4.18	0.95	2.07	जारी
23	170	भुपालपाली, तेलंगाना आकांक्षी जिले में थेलासीमिया बीमारी डे केयर और पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) सहित जनजातीय स्वास्थ्य देखरेख केंद्र, एकीकृत बीमारी डायग्नोस्टिक सुविधाओं का कायाकल्प	2019-20	30	8.74	3.08	3.96	जारी
24	172	फिरोजपुर जिला, पंजाब में अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के प्रावधान के साथ-साथ 200 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	2019-20	38	19.06	4.71	15.39	जारी
25	174	तेलंगाना के भुपालपाली और मुलुग जिलों में जानजातीय स्कूलों में डिजीटल क्लासरूम और छात्रावास तथा जनजातीय आवसीय स्कूलों में शिक्षण और स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए ऊर्जाक्षम हस्तक्षेप	2019-20	35	10.51	4.20	9.46	जारी
26	179	कौशल विकास प्रशिक्षण (3630 व्यक्ति) के आयोजन के लिए परियोजना	2019-20	39	10.00	2.48	7.68	जारी
27	186	श्री रामकृष्ण आरोग्य संस्थान के लिए त्रिम्बकेश्वर नाशिक में 100 बेड के मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण	2019-20	30	7.82	4.04	5.86	जारी
28	194	कैराना, उत्तरप्रदेश के विभिन्न गांवों में 500 सौर फोटोवोल्टेक एलईडी स्ट्रीट लाइट प्रणाली (एसएलएस) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	2019-20	24	1.12	0.20	1.00	जारी
29	195	जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में जिला अस्पताल में 2 मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर का निर्माण	2019-20	19	0.93	0.07	0.88	पूर्ण
30	196	केदारनाथ कस्बें और उसके आसपास के क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और बहाली कार्य	2019-20	24	25.97	9.59	11.92	जारी
31	197	ममित, मिजोरम में 'भर्ती मरीज विभाग (आईपीडी) के लिए 100 बेड' के जिला अस्पताल भवन का निर्माण	2019-20	36	12.55	2.37	8.30	जारी
32	198	भद्राद्री कोठागुदेम में चुनिंदा सरकारी स्कूलों में हेल्थ प्रोवाइडरों के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र 'आंगनवाड़ी केंद्र' मोबिलिटी प्रावधान का विकास और डिजीटल क्लासरूम का विकास	2019-20	31	6.29	2.70	5.39	जारी
33	202	भद्राद्री कोठागुदेम, तेलंगाना में दिव्यांगों के लिए मोटर वाली तिपहिया साइकलों के रूप में उपकरण और सहायता का प्रावधान	2019-20	23	0.73	0.22	0.47	जारी
	कुल					**46.72**		

10. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से सृजित अथवा अधिग्रहित परिसंपत्तियों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार ब्यौरा)।

(क)	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	: शून्य
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्ययित सीएसआर की राशि	: शून्य
(ग)	एंटिटी या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	: लागू नहीं
(घ)	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें।	: लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है तो उसके कारण बताएं।

₹106.34 करोड़ की अव्ययित सीएसआर जारी परियोजनाओं (बहु-वर्ष) में राशि से संबंधित है जहां परियोजनाओं के पूरा होने तक वास्तविक उपलब्धियों पर किश्तों में भुगतान किया जाता है। तदनुसार, उक्त राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) की अपेक्षाओं के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में जमा कर दिया गया है।

ह/-	ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)	**(प्रसन्ना तंत्री)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन: 08530587	डीआईएन: 06471864

फॉर्म सं. एओसी-2

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-छ

(कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं, जिनमें उनके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत एक निश्चित राशि वाले लेन-देन शामिल हैं, के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रारूप

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	**ऐसी संविदाओं अथवा लेन-देनों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण जो निकट संबंधित पक्षकारों के साथ नहीं किए गए हैं**			
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) के लागू प्रावधानों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं था।		
(ख)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों का स्वरूप			
(ग)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि			
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की प्रमुख शर्तें			
(ङ.)	ऐसी संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों को करने का औचित्य			
(च)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)			
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो			
(ज)	धारा 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत यथावश्यक आम बैठक में जारी किए गए विशेष संकल्प की तारीख			
2.	**संबंधित पक्षकारों के साथ की गई प्रमुख संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के विवरण**			
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) (पूर्ववर्ती कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (सीकेपीएल)), पीएफसी की सहायक कंपनी	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) (पूर्ववर्ती कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (सीकेपीएल)), पीएफसी की सहायक कंपनी	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) (पूर्ववर्ती कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (सीकेपीएल)), पीएफसी की सहायक कंपनी
(ख)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों का स्वरूप	पीएफसी की एक 100% सहायक कंपनी पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) की पीएफसी और आरईसी द्वारा समान भागीदारी (50:50) के साथ विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्त/ एनपीए परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए पहचान की गई है।	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के प्रावधानों के तहत एलएपीएल के लिए आरईसी और डीवीसी, एसजेवीएनएनटीपीसी जैसे तकनीकी भागीदार के साथ मिलकर पीपीएल द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजना के लिए बोली मूल्य का अनुमोदन	लैनको अमरकंटक पावर लिमिटेड के लिए पीपीए-आरईसी की कंसोर्शियम योजना के लिए एलएपीएल के सीआईआरपी के तहत सौदे की अपेक्षा के भाग के रूप में आरईसी के साथ हिस्सेदारी आधार पर संशोधित टेकआउट फंडिंग के लिए स्वीकृति
(ग)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	--	--	--

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की प्रमुख शर्तें	लेनदेन की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं: • पीएएमसी की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी ₹100 करोड़ होगी, जिसमें पीएफसी और आरईसी के बीच समान वोटिंग शेयर होने के कारण बराबर हिस्सेदारी की जाएगी। • प्रस्तावित पीएएमसी में अधिकतम ₹50,00,00,000 (पचास करोड़ रुपए) के नए इक्विटी आबंटन के माध्यम से और दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति से निबंधन एवं शर्तों पर 50% शेयरधारिता का योगदान	लेनदेन की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं: • आरईसी के साथ 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण की संस्वीकृति • सीओसी ऋणदाताओं (पीएफसी और आरईसी के अलावा) के लिए लैनको अमरकंटक पावर लिमिटेड के लिए टेक आउट सुविधा की स्वीकृति	लेनदेन की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं: • पीएफसी/ आरईसी सहित संशोधित टेकआउट फंडिंग की स्वीकृति • भारत में एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रतिभूति/ गारंटी वाली पीएफसी/ आरईसी/ अन्य भागीदार कंपनी के माध्यम से व्यवस्था के लिए, निर्दिष्ट ऋणदाता के पक्ष में निष्पादन बैंक गारंटी की (पीबीजी) के रूप में ₹100 करोड़ (सौ करोड़ रुपए)
(ड.)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	12.08.2022	22.11.2022	13.01.2023
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	--	--	--

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08530587

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 अगस्त, 2023

31 मार्च, 2023 तक विभिन्न बॉण्ड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ज

1	**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड** एशियन बिल्डिंग, भूतल 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001	8.60% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला-57 सी 8.50% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला-61 8.80% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला-62बी 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला-63 8.95% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला-64
2	**पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसिज लिमिटेड** 10, राकेशदीप भवन, युसुफ सराय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर इनक्लेव, नई दिल्ली - 110 049	8.7% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला-65 8.75% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड-66 बी श्रृंखला 8.85% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड-66 सी श्रृंखला 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड-71-श्रृंखला 9.46% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला - 76-बी 9.45% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला - 77-बी 7.75% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड - श्रृंखला 79-बी 8.16% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड - श्रृंखला 80-बी 9.26% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड - श्रृंखला 85-डी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) ट्रांच 1-श्रृंखला-III इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) ट्रांच 1-श्रृंखला-IV 8.43% श्रृंखला III प्राइवेट प्लेसमेंट 8.43% श्रृंखला IV प्राइवेट प्लेसमेट
3	**कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड** (पूर्ववर्ती जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड) जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भुसारी कॉलोनी (दाएं), पॉड रोड, पुणे - 411 038	7.38% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94-बी 7.38% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95-बी 9.00% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 101-बी 8.90% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 102-ए (III) 8.94% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 103 9.37% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 117-बी 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 118-बी-II 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 118-बी-III 8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 120-ए 8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 120-बी 8.48% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 124-सी 8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 125 8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 126 8.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 128 8.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 130-सी 8.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 131-सी 7.16% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 136 8.40% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 141-बी 8.03% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 147 7.63% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 150-बी 7.56% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 151-बी 7.55% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 152 7.273 पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 155 7.10% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 156 - भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड 7.10% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 158 - भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड 7.60% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 160 - भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड 7.75% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 164 - भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड 7.44% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 168-बी 7.44% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 169-बी 7.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 170-बी 7.62% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 171 7.74% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 172

		7.85% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 177
		इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) ट्रांच 1-श्रृंखला - III
		इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-1) ट्रांच 1-श्रृंखला - IV
		8.30% वित्तीय वर्ष 2011-12 करमुक्त बॉण्ड का पब्लिक इश्यू
		7.11% करमुक्त बॉण्ड 1ए 2015-16
		7.36% करमुक्त बॉण्ड 1बी 2015-16
		7.27% करमुक्त बॉण्ड 2ए 2015-16
		7.52% करमुक्त बॉण्ड 2बी 2015-16
		7.35% करमुक्त बॉण्ड 3ए 2015-16
		7.60% करमुक्त बॉण्ड 3बी 2015-16
4	**विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड** (पूर्ववर्ती आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	8.19% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड टीयर II - ऋण बॉण्ड श्रृंखला 105
		8.01% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-ए
		8.46% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-बी
		9.65% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड टीयर II - ऋण बॉण्ड श्रृंखला 111
		9.70% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड टीयर II - ऋण बॉण्ड श्रृंखला 114
		7.36% 15 वर्षीय करमुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर श्रृंखला 2
		7.86% 15 वर्षीय करमुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर श्रृंखला 2
		7.04% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर 2
		7.54% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर 2
		8.18% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 1ए
		8.43% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 1बी
		8.54% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 2ए
		8.79% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 2बी
		8.67% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 3ए
		8.92% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 3बी
5	**बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड** 4सी एंड डी, सिद्धिविनायक चैंबर्स, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	8.95 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 178
		8.67 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 179 ए
		8.64 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 179 बी
		8.75% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 180
		9.25% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 184 (ए)
		9.10% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 184 (बी)
		8.98% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 185
		8.7929% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 186
		8.85% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 187-बी
		8.10% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 188
		8.15% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 189
		8.25% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 190
		7.42% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 192
		7.93% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 193
		7.04% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 194
		7.86% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 195
		7.41% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 196 और 196आर
		7.41% टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 197
		6 98 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 198
		6 83 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 199ए
		7 16 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 199बी
		7 40 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 200
		7 68 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 201
		7.75 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 202ए
		7 17 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 202बी
		7.79 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 202सी
		6 72 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 203ए
		7 75 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 203बी
		5 77 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 204ए
		6 88 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 204बी
		7 05 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 205ए

7 20 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 205बी
5 47 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 206
7 04 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 207 और 207आर
6 50 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 208
7 34 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 209
6 35 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 210ए एसटीआरपीपी1
6 35 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 210ए एसटीआरपीपी2
6 35 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 210ए एसटीआरपीपी3
7 11 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 210बी
4 05 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 211 फ्लोटिंग
7 15 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 212बी
6 09 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 212ए
6 95 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 213
6 92 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 214 बीबीईटीएफ
7 13 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 215
7 13 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 216
7 42 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 217ए
7 15 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 217बी एसटीआरपीपी1
7 15 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 217बी एसटीआरपीपी2
7 15 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस217बी एसटीआरपीपी3
7 59 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 218
7 65 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 219
7 58 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 220 बीबीईटीएफ
7 72 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 221ए
7 59 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 221बी
7 58 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 222
7 64 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 223
7 82 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 224
7 77 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 225ए
7 82 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 225बी एसटीआरपीपी I
7 82 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 225बी एसटीआरपीपी II
7 82 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 225बी एसटीआरपीपी III
7 82 टीएक्स यूएससी बॉण्ड एसआरएस 225बी एसटीआरपीपी IV
7 66 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 226ए
7 70 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 226बी
7 70 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 227ए
7 77 टीएक्स यूएनएस बॉण्ड एसआरएस 227बी
4 80 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर I श्रेणी III-IV
5 65 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर II श्रेणी I-II
5 80 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर II श्रेणी III-IV
6 63 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर III श्रेणी I-II
6 82 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर III श्रेणी III-IV
6 80 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर IV श्रेणी I-II
7 00 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर IV श्रेणी III-IV
10 वर्षीय जीएसईसी लिंक एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर V श्रेणी I-II
10 वर्षीय जीएसईसी लिंक एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर V श्रेणी III-IV
6 78 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर VI श्रेणी I-II
6 97 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर I एसईआर VI श्रेणी III-IV
6 95 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर II एसईआर VII श्रेणी I-II
7 15 एसईसी कर एनसीडी पीआई टीआर II एसईआर VII श्रेणी III-IV
5.75% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला II
5.75% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला III
5.00% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला IV
5.00% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला V
5.00% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला VI

वित्तीय विवरण

128	एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट
140	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
141	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
142	एकल (स्टैंडअलोन) तुलन-पत्र
143	लाभ और हानि का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण
146	एकल (स्टैंडअलोन) नकदी प्रवाह विवरण
148	एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

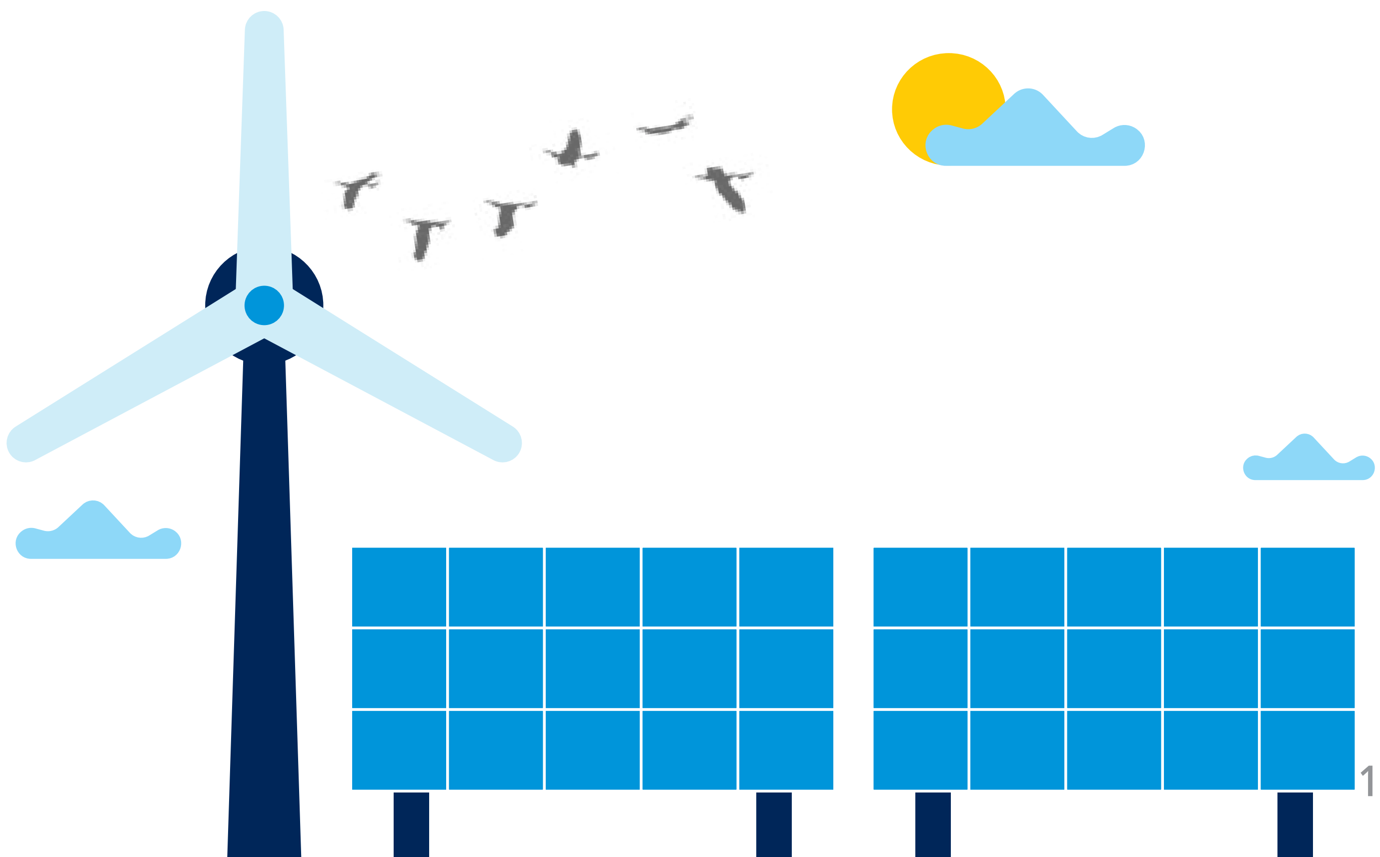

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. राय

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उस तारीख की समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसे यहां बाद में एकल वित्तीय विवरण कहा जाएगा) सहित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के साथ, संशोधित (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों तथा इसके नकदी प्रवाह की सही एवं उचित तस्वीर प्रदान करते हैं।

2. राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में भी किया गया है। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संगत नैतिकता की आवश्यकताओं, के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई') द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसरण में हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता संहिता के अनुसरण में नैतिकता की अपनी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

3. विशेष ध्यान देने वाला मामला

हम ऋण परिसंपत्तियों, असंवितरित लेटर ऑफ कंफर्ट और गारंटी के संबंध में क्षतिग्रस्तता भत्ते के प्रावधान के संबंध में एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40.1.2 (iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर कंपनी ने इंड एएस 109 के तहत ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि, असंवितरित लेटर ऑफ कंफर्ट और गारंटी को मान्यता दी है। चूंकि गणना के मापदंडों के लिए कुछ तकनीकी और पेशेवर विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने क्षतिग्रस्तता भत्ते के निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, क्योंकि यह उक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है और उस पर प्रबंधन का निर्णय है।

इस मामले में हमारी राय संशोधित नहीं है।

4. लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले ("केएएम") ऐसे मामले हैं, जो इन एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्णता में तथा उन पर अपनी राय बनाने में ध्यान दिया गया है और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे उल्लिखित मामलों को हमारी रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण मामलों के रूप में सूचित करने के लिए निर्धारित किया है:

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षा का उत्तर
(i)	**वित्तीय लिखतों की क्रेडिट क्षतिग्रस्तता - ऋण परिसंपत्तियां** कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुपालन करती है, जिसमें हानि के लिए छूट का मूल्यांकन किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है, जिसमें ऋण जोखिम और हानि के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करने के मानदंड/रूपरेखा के संदर्भ में विभिन्न दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को आधार बनाया जाता है। क्षतिग्रस्तता हानि के मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय नमूनों का इस्तेमाल करना होता है, ताकि चूक की संभावनाओं (पीडी), हानि के बारे में निर्दिष्ट चूक (एलजीडी) और चूक का प्रकटीकरण (ईएडी) किया जा सके। ये नमूने क्षतिग्रस्तता हानि को मापने के प्रमुख संचालक हैं। क्षतिग्रस्तता हानि के मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय नमूनों का इस्तेमाल करना होता है, ताकि चूक की संभावनाओं (पीडी), हानि के बारे में निर्दिष्ट चूक (एलजीडी) और चूक का प्रकटीकरण (ईएडी) किया जा सके। ये नमूने क्षतिग्रस्तता हानि को मापने के प्रमुख संचालक हैं।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं:** • कंपनी ने ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य का अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की हैं। हमने कंपनी के आंतरिक दिशा-निर्देशों और क्षतिग्रस्तता के लिए छूट के संबंध में प्रक्रियाओं और स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ साझा किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता के साथ विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा का सत्यापन किया है। • मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए वसूलियां सत्यापित की गई हैं। ऋण की शेष राशि की पुष्टि की है और ऋणकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया है तथा प्रमुख नियंत्रण मानदंडों के साथ जांच की है। • हमने अंतर्निहित परिकल्पनाओं और व्यापक ईसीएल मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा की है और अपने विचार साझा किए हैं। • तृतीय पक्ष द्वारा क्षतिग्रस्तता छूट संबंधी अध्ययन के घटकों और गणनाओं की जांच की गई, प्रबंधन के साथ उन पर विचार विमर्श किया गया और उन पर भरोसा व्यक्त किया गया। इसमें हमारी लेखापरीक्षा की

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षा का उत्तर
	क्षतिग्रस्तता छूट के मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित प्रमुख संकेतकों का प्रबंधन द्वारा सतत आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने अधिक मात्रा में प्रबंधन के निर्णय की पहचान की है, इस प्रकार हैं: क्रेडिट रिस्क में उल्लेखनीय वृद्धि (एसआईसीआर) - कंपनी ने इंड एएस में परिभाषित संकेतक के आधार पर एसआईसीआर को वर्गीकृत किया है, चूक की संभावनाओं (पीडी) और हानि निर्दिष्ट चूक (एलजीडी) का अनुमान लगाया है, तथा चरण-3 के वहन मूल्य का अलग-अलग मूल्यांकन किया है। यदि भावी नकदी प्रवाह और परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर अलग अलग हानियों का समुचित अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो ऋणकर्ताओं के ऋणों और अग्रिमों में महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है। इन मामलों का प्रभाव यह है कि अपने जोखिम मूल्यांकन के भाग के रूप में हमने निर्धारित किया कि ईसीएल के मूल्य में अनुमान संबंधी उच्च स्तर की अनिश्चितता है। एकल वित्तीय विवरणों में कुल परिसंपत्तियों के 94.98% प्रतिशत के रूप में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों की हानि लेखापरीक्षा संबंधी एक प्रमुख मामला है।	प्रक्रिया, ऐसे तृतीय पक्ष द्वारा गोपनीय माने जा रहे कतिपय अध्ययन मापदंडों को साझा न किए जाने को देखते हुए सीमित है। हमने मान्य क्रेडिट क्षतिग्रस्तता प्रभार और मान्य प्रावधान तथा संबंधित प्रकटीकरण को स्वीकार्य और संतोषजनक समझा है।
(ii)	**डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन** कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपनी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में डेरिवेटिव संविदाएं की हैं। इन डेरिवेटिव संविदाओं को या तो एफवीटीपीएल अथवा कुछ डेरिवेटिव संविदाओं को नकदी प्रवाह हेज (हेज लेखांकन) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव्स पर बाजार लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है और हेज लेखांकन को अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी जाती है। महत्वपूर्ण प्रकटीकरण और इस तथ्य को देखते हुए कि इन अपेक्षाओं/ परिकल्पनाओं/ आकलन की संविदा से संबद्ध बैंक द्वारा अनुचित प्रयोग करने से आय के विवरण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, हमने डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन तथा हेज लेखांकन को लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण मामला समझा है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है:** प्रबंधन की धारणा पर विमर्श और समझ तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का अध्ययन। इंड एएस 109 के संदर्भ में डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन। डेरिवेटिव लिखतों के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। कंपनी ने प्रतिपक्षी बैंकों से डेरिवेटिव का उचित मूल्यांकन प्राप्त किया। हमारी प्रक्रिया में 31 मार्च, 2023 तक बकाया विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं के ब्यौरे और उनके उचित मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त, हम डेरिवेटिव अनुबंधों के बाजार आधारित लाभ अथवा हानि की गणना को सत्यापित करते हैं, जो डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में लाभ एवं हानि खाते में और हेज नकदी प्रवाह के अंतर्गत डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में अन्य व्यापक आय के तहत मान्य है। हमें प्रतिपक्षी बैंकों से प्राप्त डेरिवेटिव अनुबंधों के उचित मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं मिली।

5. एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों और तत्संबंधी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी के अंतर्गत संबद्ध अनुबंधों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट और निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन उसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर वर्णित जानकारी इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर निष्कर्ष के रूप में कोई आश्वासन व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर पहचान की गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर हम उसे पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है अथवा अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

अन्य जानकारी पढ़ने के बाद यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी हुई है, तो हमें ऐसे मामले की जानकारी प्रशासनिक रूप से प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी और आवश्यकतानुसार समुचित कार्रवाई करनी होगी।

6. एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन से संबद्ध प्रभारी अधिकारियों का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल भारत में भारतीय लेखा मानक और अन्य सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करने वाले इन एकल (स्टैंडअलोन) कंपनी वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जो एकल इंड एएस वित्तीय विवरण

तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने में लागू किए गए जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल सतत सरोकार के रूप में जारी रखने की कंपनी की सामर्थ्यता का मूल्यांकन करने, सतत सरोकार के संबंध में यथालागू प्रकटीकरण करने तथा लेखांकन के सतत सरोकार आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन नहीं करना चाहता है या प्रचालन बंद नहीं करना चाहता है अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

7. एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर एकल वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं, क्या जालसाजी या त्रुटि के कारण लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई मुद्दा है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसरण में संचालित लेखापरीक्षा में हमेशा किसी महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन का पता लगाया जाएगा, जब यह मौजूद होगा। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है तथा तब महत्वपूर्ण माना जाता है, जब व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में उनसे तर्कसंगत रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद हो सकती है।

एसए के अनुसरण में लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद का पालन करते हैं। साथ ही हम:

- एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन के जोखिमों की पहचान एवं इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण डिजाइन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के लिए जिम्मेदार हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली स्थापित की है और ऐसे नियंत्रणों का कारगर तरीके से प्रचालन किया जा रहा है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन के अनुमानों एवं संबद्ध प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के सतत सरोकार आधार के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जिससे सतत सरोकार के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी के सामर्थ्य पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो एकल वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटीकरण पर हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं होता है, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण कंपनी का लाभकारी प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद हो सकता है।

- प्रकटनों सहित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाओं को ऐसे तरीके से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त होती है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रात्मक अहमियत होती है जो व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में तथा लेखापरीक्षा के अपने कार्यक्षेत्र की आयोजना में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी चिह्नित मिथ्या कथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक अहमियत तथा गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी वहन करने वाले अधिकारियों को अन्य बातों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी, जिसकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में जानकारी देते हैं।

हम अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता और उनके साथ सभी संबंधों एवं अन्य मामलों और जहां लागू है, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संचार करने के संबंध में नैतिकता की संगत आवश्यकताओं का पालन किया है, जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से विचार किया जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता से सरोकार है।

अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते

हैं, जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाए या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से तर्कसंगत रूप से ऐसे संचार के जनहित में लाभों पर भारी पड़ने की आशंका हो।

8. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार और जैसा हमने उपयुक्त समझा, कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) की अपेक्षा के अनुसार, हमने लागू सीमा तक आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक-क" में विवरण प्रदान किया है।

II. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 5 के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुपालन का उल्लेख "अनुलग्नक-ख" में किया गया है।

III. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित एकल तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि के एकल विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन संबंधी एकल विवरण तथा एकल नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं;

(घ) हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट इंड एएस मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह सरकारी कंपनी है;

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की कारगरता के संबंध में "अनुलग्नक-ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;

(छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह सरकारी कंपनी है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 46 देखें,

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, सामग्री के लिए संभावित नुकसानों, यदि कोई हों, के लिए प्रावधान किया है।

iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में कंपनी ने कोई देरी नहीं की है।

iv. (क) प्रबंधन ने अभिवेदन किया है (टिप्पणी 10.3 देखें) कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कोई भी निधि (जो अलग-अलग रूप से या कुल समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या ऋण के तौर पर नहीं दिया गया अथवा निवेश नहीं किया गया है (या तो ऋण ली गई निधि या शेयर से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) में, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित, इस समझ के साथ चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से (वास्तविक लाभार्थी) किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करेगा या वास्तविक लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने अभिवेदन किया है, कि (टिप्पणी 18.16 देखें), अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (निधिकृत पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई निधि (जो अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकृत पक्ष (वास्तविक लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से चुने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करेगी या या वास्तविक लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी।

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो गया है कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभिवेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण नहीं है।

v. जैसा कि एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के नोट 24.2(iii) में कहा गया है:

(क) पिछले वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है। कंपनी द्वारा प्रस्तावित अंतिम लाभांश, कंपनी वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और अंतिम लाभांश भुगतान किया गया, जैसा लागू हो।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

vi. कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक के अनुसार, जो कंपनी द्वारा लेखा बहियों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के संबंध में है, जिनमें ऐडिट लॉग जैसी कतिपय विशेषताएं हैं, जैसा कि उपर्युक्त परंतुक में दिया गया है, कंपनी के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। अतः 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000112N

ह/-

सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.: 082069
यूडीआईएन: 23082069BGZGVN9763

दिनांक: 27.05.2023
स्थान: नई दिल्ली

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000425N

ह/-

सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं.: 520318
यूडीआईएन: 23520318BGWIZQ6574

अनुलग्नक - क

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों हेतु हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 के संदर्भ में)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा बहियों और अभिलेखों की सामान्य लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

(क) क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति और राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति के संगत विवरण शामिल हैं।

ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी प्रबंधन वर्ष में एक बार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन करता है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है। जैसा कि हमें बताया गया है, इस तरह के भौतिक सत्यापन पर प्रबंधन द्वारा कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, स्वामित्व विलेख, जिसमें भूमि और भवनों की सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो फ्री होल्ड हैं, तुलन-पत्र की तारीख में कंपनी के नाम पर रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त, पट्टे पर ली गई भूमि और भवन की अचल परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टा करार कंपनी के नाम पर हैं।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड.) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) और बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए तुलन-पत्र की तारीख तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और तद्नुसार यह किसी मालसूची (इन्वेंट्री) की धारक नहीं है। इस प्रकार कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड 3(ii)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी को वर्ष के दौरान, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा संस्वीकृत की गई है, जो अप्रतिभूत रूप में है, जिनके लिए कंपनी द्वारा बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पार्टियों में निवेश किया है और गारंटी प्रदान की है और ऋण की प्रकृति में प्रतिभूति/ अप्रतिभूत ऋण/अग्रिम प्रदान किया है। इस संबंध में, हम यह रिपोर्ट करते हैं:

(क) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक पंजीकृत एनबीएफसी है जिसका प्रमुख व्यवसाय ऋण देने का है इसलिए आदेश का खंड 3(iii)(क) लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, यदि कोई हो और ऋण की प्रकृति में सभी ऋणों और अग्रिमों के अनुदान की निबंधन एवं शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) एक पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, कंपनी मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर अपने ऋण देती है। ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों को छोड़कर ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज की प्राप्तियां आमतौर पर नियमानुसार नियमित होती हैं।

(घ) ऋणों और ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों के संबंध में, नब्बे दिनों से अधिक के लिए बकाया कुल राशि निम्नानुसार है। कंपनी अपनी परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कदम उठाती है, जो हमारी राय में उचित है।

ऋणकर्ताओं की संख्या	अतिदेय मूलधन राशि (₹ करोड़ में)	अतिदेय ब्याज* (₹ करोड़ में)	कुल अतिदेय (₹ करोड़ में)
22	9,977.63	12,548.55	22,526.18

*इसे कंपनी की प्रथाओं के अनुसार विवेक के मामले में आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(ङ.) आदेश के खंड 3(iii)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी का मुख्य व्यवसाय ऋण देना है।

(च) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम नहीं दिया है जो या तो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है। इसलिए खंड 3(iii)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के उल्लंघन में कंपनी पर लागू सीमा तक ऐसा कोई ऋण, या कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, हमारी राय में और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, अत: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 और ऋणों व गारंटियों के संबंध में कंपनी को संबंधित नियमों से छूट प्राप्त है। निवेशों के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य संगत प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा 1 के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2020 का खंड 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) सांविधिक देय राशियों के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) कंपनी वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर तथा इस पर यथा लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशि सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रही है तथा कंपनी के लेखों के अनुसार 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार देय होने की तारीख से 6 माह से अधिक अवधि के लिए उपर्युक्त देय राशियों के संबंध में कोई अविवादित राशि बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष मामले लंबित होने के कारण ₹108.66 करोड़ की सांविधिक बकाया राशि विवाद के कारण जमा नहीं कराई गई है/विरोध के साथ जमा कराई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सांविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	कुल विवादित राशि (₹ करोड़ में)	विरोध के अधीन भुगतान की गई/आईटी प्राधिकारियों द्वारा समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	लंबित राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	71.91	71.91	-	निर्धारण वर्ष 2016-17	सीआईटी (अपील), दिल्ली
		20.30	20.30	-	निर्धारण वर्ष 2018-19	
		16.45	16.45	-	निर्धारण वर्ष 2020-21	

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व की अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी ऋणदाता को ऋण या अन्य ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का कंपनी द्वारा दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त अस्थायी उपयोग के अतिरिक्त दीर्घावधि स्रोतों से प्राप्तियां लंबित हैं।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से निधि नहीं जुटाई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (क) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट की गई है।

(ख) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः कंपनी पर निधि नियमावली, 2014 लागू नहीं होती है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं। जहां भी लागू हो, लेखांकन मानक की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय विवरणों में ब्यौरों का प्रकटीकरण किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और अब तक कंपनी को जारी किए गए लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान हमारी राय में कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(xvi) (क) कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया है। कंपनी को जारी की गई पंजीकरण संख्या बी-14.00004 दिनांक 28.07.2010 है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या गृह ऋण गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए धारा 3(xvi) (सी) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं है।

(घ) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकदी हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्याग-पत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को ऐसी कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन-पत्र की तारीख में विद्यमान अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जो तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएं, कंपनी द्वारा देय होने पर और जब वे देय होंगी, तो उनका निर्वहन किया जाएगा।

(xx) (क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि के अंतरण की आवश्यकता वाली चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 135 (6) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर, तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अव्ययित निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) राशि को एक विशेष खाते में अंतरित कर दिया है।

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000112N

ह/-

सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.: 082069
यूडीआईएन: 23082069BGZGVN9763

दिनांक: 27.05.2023
स्थान: नई दिल्ली

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000425N

ह/-

सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं.: 520318
यूडीआईएन: 23520318BGWIZQ6574

अनुलग्नक - ख

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) कंपनी वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा II के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

निर्देश	उत्तर
क्या कंपनी ने ऐसी प्रणाली लागू की है, जिसके द्वारा सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जा सके? यदि हां, तो कृपया बताएं कि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन कार्रवाई करने के लेखाओं की सत्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।	हां, कंपनी ने सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई करने की योजना बनाई है। अपनी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला, जिसका लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका हो।
क्या ऋण को चुकता करने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए किसी मौजूदा ऋण या ऋणों/ ब्याज आदि के छूट/ बट्टे खाते के मामलों का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताएं। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा शामिल किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है)	ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया और कंपनी ने अपने ऋणों और ऋण राशियों का भुगतान नियमित रूप से किया है।
क्या केंद्र सरकार/ राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/ प्राप्य निधियों को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखांकित/ प्रयुक्त किए गए? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	विभिन्न योजनाओं के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा कंपनी को जारी भारत सरकार की निधियों का उचित हिसाब रखा गया है और संबंधित लाभार्थी को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट योजना दिशानिर्देशों और संस्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000112N

ह/-

सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.: 082069
यूडीआईएन: 23082069BGZGVN9763

दिनांक: 27.05.2023
स्थान: नई दिल्ली

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000425N

ह/-

सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं.: 520318
यूडीआईएन: 23520318BGWIZQ6574

अनुलग्नक - ग

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा III(एफ) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के साथ इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियत्रंणों की लेखापरीक्षा की है।

1. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी की गई मार्गदर्शन टिप्पणियों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड पर आधारित थे। इन दायित्वों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल है, जो इसके व्यवसाय का सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से लागू किए गए। इनमें कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन के रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

2. लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, की धारा 143 की उप-धारा 10 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझी गई ममार्गदर्शन टिप्पणीफऔर लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षा करें, जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में वित्तीय विवरण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

3. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से सबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों, कि

उनके लेनदेन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनाधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान किया जा सके, जिनका एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

4. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

प्रबंधन की मिलीभगत अथवा उसके द्वारा नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन की आशंका सहित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है जिसका पता न लग पाए। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

5. हमारी राय

हमारी राय में कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी किए गए मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000112N

ह/-

सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.: 082069
यूडीआईएन: 23082069BGZGVN9763

दिनांक: 27.05.2023
स्थान: नई दिल्ली

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000425N

ह/-

सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं.: 520318
यूडीआईएन: 23520318BGWIZQ6574

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

निदेशक मंडल
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ऊर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110 001

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसे यहां बाद में एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण) सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त निदेशों के अध्याय खख में निर्दिष्ट मामलों पर और लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के व्यवसाय में लगी है, जिसके पास दिनांक 10.02.1998 के पिछले प्रमाण-पत्र सं. 14.00004 के बदले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संख्या बी-14.00004 के माध्यम से जारी किए गए दिनांक 28-07-2010 के प्रमाण-पत्र के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र है। इसके अतिरिक्त, कंपनी 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय के पैटर्न के अनुसार ऐसे पंजीकरण का धारण जारी रखने के लिए हकदार है।

2. कंपनी मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित तरीके से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 में निहित निर्देशों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी पर लागू निवल स्वामित्व निधियों की आवश्यकता को पूरा कर रही है।

3. कंपनी गैर-जमा स्वीकार करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में आरबीआई के पास पंजीकृत है। निदेशक मंडल ने 21.03.2023 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना भविष्य में जनता से कोई जमा राशि स्वीकार न करने के लिए संकल्प पारित किया है।

4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

5. वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ पठित इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए संबद्ध नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। तदनुरूप कंपनी ऋण परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण में क्षतिग्रस्तता हानियों की गणना और तत्संबंधी प्रावधान की अनुमति के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुपालन कर रही है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के विनियामक अनुपालन को देखते हुए कंपनी को इंड एएस 109 के अनुसार हानियों के लिए प्रावधान करना होता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों आदि से संबंधित प्रूडेंशियल मानदंडों के लिए प्रावधान (आईआरएसीपी मानदंड) के संदर्भ में दिशानिर्देश-2016 का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, इस बारे में आरबीआई अधिसूचना संख्या डीओआर(एनबीएफसी).सीसी. पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च, 2020 के अनुपालन में कंपनी ने आईआरएसीपी मानदंड (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान सहित) के अंतर्गत प्रावधान की गणना की है और कंपनी को क्षतिग्रस्तता रिजर्व के अंतर्गत कोई राशि समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

6. हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, पूंजी निधि, जोखिम परिसंपत्ति/एक्सपोजर तथा जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का विवरण (डीएनबीएस 03 विवरणी) कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी तिमाहियों के लिए संबंधित तिमाहियों के वित्तीय परिणामों के आधार पर दाखिल किया गया है जिसे आरबीआई के मानदंडों के अनुपालन में सीआरएआर सहित निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल करने की तारीख को तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित सीआरएआर ठीक से तैयार किया गया है तथा यह आरबीआई द्वारा न्यूनतम निर्धारित सीआरएआर के अनुपालन में है।

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000112N

ह/-

सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.: 082069
यूडीआईएन: 23082069BGZGVN9763

दिनांक: 27.05.2023
स्थान: नई दिल्ली

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000425N

ह/-

सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं.: 520318
यूडीआईएन: 23520318BGWIZQ6574

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी 27 मई, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा कर लिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक, लेखापरीक्षक के कार्यकारी कागजातों तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की वर्णनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण सामने नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ जोड़ा जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-

(संजय के. झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 जुलाई, 2023

एकल (स्टैंडअलोन) तुलन-पत्र

31 मार्च, 2023 तक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
परिसंपत्तियां				
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	7	22.14	720.91
(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से इतर अन्य कुल बैंक शेष	8	1,595.96	3,240.31
(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	9	4,803.40	3,080.56
(घ)	ऋण	10	4,10,829.15	3,60,929.74
(ङ)	निवेश	11	17,304.14	16,084.27
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	5,389.03	5,382.67
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**4,39,943.82**	**3,89,438.46**
2	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	210.28	273.65
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	37	4,033.31	4,151.82
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	14	44.00	44.72
(घ)	अमूर्त परिसंपत्तियां	14	0.04	0.13
(ङ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	14	11.20	-
(च)	राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	15	34.40	34.85
(छ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	16	556.01	466.38
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**4,889.24**	**4,971.55**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)		**4,44,833.06**	**3,94,410.01**
देयताएं और इक्विटी				
देयताएं				
1	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	9	24.32	103.25
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	17	2,59,827.05	2,30,156.95
(ग)	ऋण राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)	18	1,01,228.89	87,965.42
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	19	9,311.84	9,311.27
(ङ)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	5,537.68	6,803.99
	कुल वित्तीय देयताएं (1)		**3,75,929.78**	**3,34,340.88**
2	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	13	105.02	194.92
(ख)	प्रावधान	21	323.65	247.00
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	22	272.38	276.93
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)		**701.05**	**718.85**
	कुल देयताएं (1+2)		**3,76,630.83**	**3,35,059.73**
3	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	23	2,640.08	2,640.08
(ख)	अन्य इक्विटी	24	65,562.15	56,710.20
	कुल इक्विटी (3)		**68,202.23**	**59,350.28**
	कुल देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		**4,44,833.06**	**3,94,410.01**

संलग्न टिप्पणियां 1 से 61 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

लाभ और हानि का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
प्रचालनों से राजस्व				
(i)	ब्याज आय	25	37,645.31	36,701.22
(ii)	लाभांश आय	26	1,744.81	1,347.42
(iii)	शुल्क और कमीशन आय	27	261.63	496.76
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व**		**39,651.75**	**38,545.40**
II.	अन्य आय	28	13.88	45.77
III.	**कुल आय** (I+II)		**39,665.63**	**38,591.17**
व्यय				
(i)	वित्त लागत	29	23,282.57	22,671.30
(ii)	निवल परिवर्तन/अंतरण विनिमय हानि/(अभिलाभ)	30	1,975.23	905.58
(iii)	शुल्क और कमीशन व्यय	31	12.06	10.18
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)	32	(70.56)	(9.42)
(v)	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	33	(296.21)	2,222.14
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	34	219.01	213.11
(vii)	मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षतिग्रस्तता	14/15	19.06	13.20
(viii)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	35	225.30	214.72
(ix)	अन्य व्यय	36	128.55	122.71
IV.	**कुल व्यय**		**25,495.01**	**26,363.52**
V.	**आपवादिक मदें और कर-पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**14,170.62**	**12,227.65**
VI.	**आपवादिक मदें**		-	-
VII.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**14,170.62**	**12,227.65**
	कर व्यय:	37		
	(1) वर्तमान कर:			
	- वर्तमान वर्ष		2,381.18	2,418.91
	- पूर्ववर्ती वर्ष		(50.94)	(36.05)
	(2) आस्थगित कर व्यय/(आय)		234.91	(177.11)
VIII.	**कुल कर व्यय**		**2,565.15**	**2,205.75**
IX.	**सतत प्रचालनों से लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**11,605.47**	**10,021.90**
X.	**बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)**		**-**	**-**
XI.	**लाभ/(हानि) (सतत और बंद प्रचालनों से) (IX+X)**		**11,605.47**	**10,021.90**
XII.	**अन्य व्यापक आय**			
(क)	(i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन:मापन		(3.62)	(5.07)
	- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)		145.74	151.94
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन:मापन		0.94	1.37
	- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)		10.16	(9.58)
	उप योग (क)		**153.22**	**138.66**
(ख)	(i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	- नकदी प्रवाह हेज में अभिलाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		390.02	419.18
	- हेजिंग रिजर्व की लागत		(808.14)	(362.82)
	(ii) - ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	- नकदी प्रवाह हेज में अभिलाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		(98.16)	(105.50)
	- हेजिंग रिजर्व की लागत		203.39	91.31
	उप योग (ख)		**(312.89)**	**42.17**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**(159.67)**	**180.83**
XIII.	**कुल व्यापक आय (XI+XII)**		**11,445.80**	**10,202.73**
XIV.	**प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक) पर मूल और मिश्रित अर्जन**	38		
	(1) - सतत प्रचालनों के लिए (₹ में)		43.96	37.96
	(2) - बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		-	-
	(3) - सतत और बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		43.96	37.96

संलग्न टिप्पणियां 1 से 61 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

इक्विटी में परिवर्तनों का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरंभिक शेष	अवधि के दौरान परिवर्तन	अंतिम शेष
जारी, अभिदत्त, पूर्णतः प्रदत्त			
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	2,640.08	-	2,640.08
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	2,640.08	-	2,640.08

विवरण के लिए टिप्पणी 23 देखें

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष									अन्य व्यापक आय			कुल
	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii)(सी) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष रिजर्व निधि	वित्तीय वर्ष 1997-98 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा	ब्याज विभेद रिजर्व निधि-केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य रिजर्व निधि	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	अभिलाभ/(हानि) नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी अंश	हेजिंग रिजर्व की लागत	
31.03.2022 तक शेष	**6,238.14**	**576.44**	**599.85**	**24,139.00**	**2,776.54**	**(513.80)**	**64.07**	**14,115.11**	**8,863.49**	**(54.23)**	**200.34**	**(294.75)**	**56,710.20**
लेखांकन नीति/पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	11,605.47	-	-	-	11,605.47
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन:मापन (कर का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.68)	-	-	-	(2.68)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.90	291.86	(604.75)	(156.99)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,602.79**	**155.90**	**291.86**	**(604.75)**	**11,445.80**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,640.08)	-	-	-	(2,640.08)
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरण	2,321.09	590.10	-	2,363.47	-	-	-	-	(5,274.66)	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण के निमित्त रिजर्व निधि का उपयोग	-	(576.44)	-	-	-	-	-	576.44	-	-	-	-	-
एफवीटीओसीआई इक्विटी लिखतों की बिक्री/समाप्ति पर लाभ/(हानि) का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	46.13	(46.13)	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन/विलोपन (निवल)	-	(60.71)	-	8.84	-	46.23	0.90	-	50.97	-	-	-	46.23
31.03.2023 तक शेष	**8,559.23**	**529.39**	**599.85**	**26,511.31**	**2,776.54**	**(467.57)**	**64.97**	**14,691.55**	**12,648.64**	**55.54**	**492.20**	**(899.50)**	**65,562.15**

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष									अन्य व्यापक आय			कुल
	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए)(सी) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष रिजर्व निधि	वित्तीय वर्ष 1997-98 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा	ब्याज विभेद रिजर्व निधि- केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य रिजर्व निधि	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	अभिलाभ/ (हानि) नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी अंश	हेजिंग रिजर्व की लागत	
31.03.2021 तक शेष	**4,233.76**	**287.25**	**599.85**	**21,715.55**	**2,776.54**	**(634.33)**	**62.65**	**13,827.86**	**7,203.86**	**(183.37)**	**(113.34)**	**(23.24)**	**49,753.04**
लेखांकन नीति/पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,021.90	-	-	-	10,021.90
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन:मापन (कर का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.70)	-	-	-	(3.70)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.36	313.68	(271.51)	184.53
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,018.20**	**142.36**	**313.68**	**(271.51)**	**10,202.73**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,366.10)	-	-	-	(3,366.10)
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरण	2,004.38	576.44	-	2,423.45	-	-	-	-	(5,004.27)	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण के निमित्त रिजर्व निधि का उपयोग	-	(287.25)	-	-	-	-	-	287.25	-	-	-	-	-
एफवीटीओसीआई इक्विटी लिखतों की बिक्री/समाप्ति पर अभिलाभ/(हानि) का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	13.22	(13.22)	-	-	-
अवधि के दौरान परिवर्धन/ विलोपन (निवल)	-	-	-	-	-	120.53	1.42	-	(1.42)	-	-	-	120.53
31.03.2022 तक शेष	**6,238.14**	**576.44**	**599.85**	**24,139.00**	**2,776.54**	**(513.80)**	**64.07**	**14,115.11**	**8,863.49**	**(54.23)**	**200.34**	**(294.75)**	**56,710.20**

संलग्न टिप्पणियां 1 से 61 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

एकल (स्टैंडअलोन) नकदी प्रवाह विवरण

31, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालनरत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	कर पूर्व लाभ	**14,170.62**		**12,227.65**	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की विमान्यता पर हानि/(अभिलाभ)	2.88		2.91	
	संयुक्त उद्यम से संयुक्त नियंत्रण की समाप्ति पर हानि/(अभिलाभ)	-		(32.66)	
	उचित मूल्य परिवर्तन पर हानि/अभिलाभ(निवल)	(70.56)		(9.42)	
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा परिवर्तन हानि/(अभिलाभ)	4,099.52		1,343.15	
	मूल्यह्रास और परिशोधन	19.06		13.20	
	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	(296.21)		2,222.14	
	ऋण परिसंपत्तियों और ऋण राशियों/ऋण के संबंध में प्रभावी ब्याज दर	(22.40)		8.23	
	जीरो कूपन बॉण्ड और कमर्शियल पेपर पर ब्याज व्यय				
	अन्य ब्याज व्यय	42.06		92.79	
	निवेशों पर अर्जित ब्याज	0.87		3.04	
	अवधि के दौरान सृजित प्रावधान	(0.42)		(22.00)	
	आधिक्य देयता का राइट बैक	162.74		167.36	
		-		(2.38)	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनरत लाभ:	**18,108.16**		**16,014.01**	
	वृद्धि/कमी:				
	ऋण (निवल)	(50,181.78)		(2,936.88)	
	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	1,666.92		(2,221.27)	
	डेरीवेटिव	(2,096.53)		(2,123.78)	
	अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय देयताएं और प्रावधान	(823.39)		433.65	
	आपवादिक मदों से पूर्व नकदी प्रवाह	**(33,326.62)**		**9,165.73**	
	आपवादिक मदें	-		-	
	कर पूर्व प्रचालन से नकदी प्रवाह	**(33,326.62)**		**9,165.73**	
	प्रदत्त आयकर	(2,472.02)		(2,246.45)	
	आयकर रिफंड	57.89		-	
	प्रचालनरत गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)		**(35,740.75)**		**6,919.28**
II.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	0.21		0.24	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजी अग्रिम सहित) की खरीद	(83.80)		(204.16)	
	अन्य निवेश में वृद्धि/(कमी)	(630.38)		(7.47)	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)		**(713.97)**		**(211.39)**
III.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	बॉण्ड जुटाव (प्रीमियम सहित) (मोचन का निवल)	26,390.86		(12,600.78)	
	दीर्घावधि ऋण जुटाव (पुनर्भुगतान का निवल)	4,055.42		4,663.50	
	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाव (पुनर्भुगतान का निवल)	4,212.82		5,229.95	
	वाणिज्यिक पेपर जुटाव (पुनर्भुगतान का निवल)	-		(3,120.00)	
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ ओडी/सीसी/ लाइन ऑफ क्रेडिट जुटाव (पुनर्भुगतान का निवल)	3,755.24		(454.45)	
	अदावी बॉण्ड (निवल)	(18.47)		(58.28)	
	अदावी लाभांश (निवल)	0.17		1.56	
	लाभांश का भुगतान	(2,640.08)		(3,366.10)	
	पट्टा देयता का भुगतान	(0.01)		0.00	
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)		**35,755.95**		**(9,704.60)**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी		**(698.77)**		**(2,996.71)**
	जोड़ें: वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		720.91		3,717.62

एकल (स्टैंडअलोन) नकदी प्रवाह विवरण

31, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**22.14**		**720.91**
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य का विवरण:				
i)	बैंकों में शेष राशि (नकदी और नकदी समतुल्य की प्रकृति की)				
	चालू खातों में	22.14		17.64	
	सावधि जमा खातों में (3 माह तक की मूल परिपक्वता)	-	22.14	703.27	720.91
ii)	डाक और इम्प्रेस्ट सहित चेक, ड्राफ्ट		0.00		0.00
	वर्ष की समाप्ति पर कुल नकदी और नकदी समतुल्य		**22.14**		**720.91**

नकदी प्रवाह का उपर्युक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है जैसा कि इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' में निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने निगमित सामाजिक दायित्व के लिए ₹118.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹120.46 करोड़) की नकदी का बहिर्वाह किया गया है। (टिप्पणी 35 देखें)

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं (बकाया मूलधन) का समाधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बॉण्ड/डिबेंचर *	सावधि ऋण **	विदेशी मुद्रा ऋण	वाणिज्यिक पेपर	डब्ल्यूसीडीएल/ सावधि जमा के निमित्त ऋण	अधीनस्थ ऋण	कुल
	01.04.2021 को आरंभिक शेष	**2,01,184.95**	**61,098.98**	**49,835.80**	**3,080.23**	**683.04**	**9,211.50**	**3,25,094.50**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	(12,600.78)	4,663.50	5,229.95	(3,120.00)	(454.45)	0.00	(6,281.78)
	निम्नलिखित के कारण गैर-नकदी परिवर्तन:							
	जीरो कूपन बॉण्ड पर छूट/ ब्याज/ वाणिज्यिक पेपर पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	53.02	-	-	39.77	-	-	92.79
	विनिमय दरों में भिन्नता	-	-	1,222.62	-	-	-	1,222.62
	31.03.2022 तक अंतिम शेष	**1,88,637.19**	**65,762.48**	**56,288.37**	**0.00**	**228.59**	**9,211.50**	**3,20,128.13**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	26,390.86	4,055.42	4,212.82	-	3,755.24	(0.00)	38,414.34
	निम्नलिखित के कारण गैर-नकदी परिवर्तन:							
	जीरो कूपन बॉण्ड पर छूट और वाणिज्यिक पेपर पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	42.06	-	-	-	-	-	42.06
	विनिमय दरों में भिन्नता	-	-	4,053.30	-	-	-	4,053.30
	31.03.2022 तक अंतिम शेष	**2,15,070.11**	**69,817.90**	**64,554.49**	**0.00**	**3,983.83**	**9,211.50**	**3,62,637.83**

*विदेशी मुद्रा टिप्पणी नकदी प्रवाह के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण का भाग है।

**विदेशी मुद्रा ऋण और सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण नकदी प्रवाह के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण का भाग हैं।

संलग्न टिप्पणियां 1 से 61 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

1. कंपनी की जानकारी

भारत में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी या कंपनी) की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। कंपनी भारत में स्थित है और शेयरों द्वारा लिमिटेड है। इसका पंजीकृत कार्यालय है - ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 और इसे भारत सरकार द्वारा 'महारत्न' का दर्जा प्रदान किया गया है।

कंपनी एक सरकारी कंपनी है तथा विद्युत, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से पंजीकृत एक महत्वपूर्ण प्रणालीबद्ध गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी होने के कारण कंपनी को आरबीआई द्वारा गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए जारी स्तर आधारित विनियम ढांचे के तहत मध्य स्तर पर रखा गया है।

कंपनी के इक्विटी शेयर नैशनल स्टॉक लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं। कंपनी की ऋण प्रतिभूतियां भी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध है।

2. अनुपालन विवरण

कंपनी की एकल वित्तीय विवरणियां कंपनी (भारतीय लेखा मानक) विनियम, 2015 (संशोधित), कंपनी अधिनियम, 2013 के व्यवहार्य प्रावधानों और अन्य व्यवहार्य नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित इंड एएस का अनुपालन करती हैं। एकल तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन विवरणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुभाग III की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार और प्रस्तुत की जाती हैं। नकदी प्रवाह की एकल विवरणी इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरणी' की आवश्यकतानुसार तैयार और प्रस्तुत की गई है।

3. ये एकल वित्तीय विवरणियां जारी किए जाने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 27.05.2023 को अनुमोदित की गई हैं।

4. जारी किए गए किंतु अभी तक प्रभावी नहीं हो सके मानक/संशोधन

कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 31.03.2023 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन विनियम, 2023 अधिसूचित किया है, जिसके द्वारा विभिन्न भारतीय लेखा मानकों में संशोधन 01.04.2023 से लागू किए गए हैं।

कंपनी ने दिनांक 31.03.2023 की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधनों का मूल्यांकन किया है। इनका लागू होने के बाद वित्तीय विवरणों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

5. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखा नीतियां निम्नलिखित हैं-

5.1 तैयारी और मापन का आधार

ये एकल वित्तीय विवरणी लेखांकन की प्रोद्भत प्रणाली का अनुसरण करते हुए जारी संदर्भ के आधार पर तैयार की गई हैं। परिसंपत्तियों और देयताओं को पिछली लागत पर या परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा गया है जैसा कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू होता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त होगा या मापन तिथि बाजार प्रतिभागियों के बीच क्रमिक लेनदेन में किसी देयता के हस्तांतरण पर चुकाया जाएगा, चाहे वह मूल्य सीधे स्पष्ट हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक से अनुमानित हो।

उचित मूल्य माप को इंड एएस आवश्यकता के अनुसार स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

- स्तर 1 इनपुट को समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) किया जाता है जो एंटिटी माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है;
- स्तर 2 इनपुट इनपुट हैं, स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अतिरिक्त, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं; और
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए गैर-अवलोकन योग्य इनपुट हैं।

5.2 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी का अर्थ तत्काल उपलब्ध नकदी और डिमांड डिपॉजिट से है। कंपनी नकद समतुल्यों को सभी अल्पावधि शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की वास्तविक परिपक्वता के साथ), उच्च लिक्विडिटी निवेश मानती है जो तुरंत नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हो और मूल्य में बदलाव के महत्वहीन जोखिम के अध्यधीन हो।

5.3 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

i. कंपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न डेरिवेटिव वित्तीय उपायों का इस्तेमाल करती है।

ii. हेज लेखांकन के तहत कंपनी डेरिवेटिव संविदा कर सकती है या तो नकदी प्रवाह बचाव के रूप में या उचित मूल्य सुरक्षा के रूप में। कंपनी नकदी प्रवाह सुरक्षा के रूप में निश्चित डेरिवेटिव संविदा निर्दिष्ट कर सकती है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

iii. हेज लेखांकन के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करना आवश्यक है:-

- सुरक्षित किए जाने वाले मद और सुरक्षा उपायों के बीच आर्थिक संबंध हो।
- ऋण जोखिम का असर आर्थिक संबंध के कारण होने वाले मूल्य बदलावों को प्रभावित न करता हो।
- हेजिंग संबंधों का हेज अनुपात कंपनी द्वारा वास्तव में सुरक्षित किए गए मद की मात्रा और कंपनी द्वारा उस मद की मात्रा को सुरक्षित करने के लिए वास्तव में उपयोग किए गए उपाय की मात्रा के परिणामों के समतुल्य होता है।

iv. नकदी प्रवाह हेज

हेज लेखांकन की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले हेजिंग लिखतों को नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। डेरिवेटिव के उचित मूल्य में बदलावों के प्रभावी हिस्से को, जो नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट होता है, अन्य व्यापक आय के रूप में मान्य किया जाता है। हेजिंग उपकरणों के आंतरिक मूल्य में बदलाव 'नकदी प्रवाह हेज के प्रभावी भाग' के रूप में मान्य होता है। सुरक्षित किए गए मद के लाभ या हानि को प्रभावित करने पर इस प्रकार के रिजर्व में मान्य राशियां लाभ और हानि विवरणियों में पुन:वर्गीकृत की जाती हैं। हेजिंग उपकरणों के समय मूल्य के उचित मूल्य में बदलाव महेजिंग रिजर्व की लागतफमें मान्य होता है। ऐसे रिजर्व में मान्य राशियां एक प्रणालीबद्ध आधार पर लाभ और हानि विवरणी में परिशोधित की जाती हैं। अप्रभावी भाग से संबंधित लाभ या हानि तत्काल लाभ और हानि विवरणी में मान्य कर दी जाती है।

v. हेजिंग उपकरण की अवधि समाप्त हो जाने पर, या निलंबित हो जाने पर, या उपयोग हो चुकने पर या हेज लेखांकन की अपेक्षानुसार नहीं रहने पर हेज लेखांकन रोक दी जाती है।

vi. हेज संबंध के तहत निर्दिष्ट डेरिवेटिव के अतिरिक्त अन्य डेरिवेटिव आरंभ में उचित मूल्य पर मान्य होते हैं, डेरिवेटिव संविदा शुरू होने की तिथि से और इसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इनके उचित मूल्य का पुनर्मापन किया जाता है। परिणाम में आए लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

5.4 वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं तब मान्य होती हैं जब कंपनी वित्तीय लिखतों के संविदागत प्रावधानों का एक पक्षकार बन जाती है।

आरंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं उचित मूल्य पर अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियां या देयता जारी किए जाने की लागत को घटाकर/जोड़कर मान्य होती है। लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के संदर्भ में, इसकी लागत लाभ-हानि विवरणी में मान्य होती है।

5.4.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की नियमित तरीके से सभी खरीद या बिक्री निपटान तिथि के आधार पर मान्य या अमान्य की जाती है। नियमित तरीके से खरीद या बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों की वह खरीद या बिक्री है जिसमें बाजार के नियमों या चलन द्वारा स्थापित निश्चित समयसीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी आवश्यक होती है।

आरंभिक मान्यीकरण के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर या तो उनकी परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर होता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन (इक्विटी लिखतों के अतिरिक्त)

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि (इआईआर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर होता है:-

- परिसंपत्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल के तहत हो जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों की धारिता हो; और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह में, जो बकाया मूलधन राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हैं, वृद्धि करती हों।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत की गणना करने और परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल तक ब्याज आय आवंटित करने की एक विधि है। कंपनी ईआईआर विधि अपनाते समय आम तौर पर किसी शुल्क, लेनदेन लागत, अन्य प्रीमियम या डिसकाउंट, जो एक वित्तीय साधन के प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न भाग है, परिशोधित करती है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियों के लिए आय को लाभ और हानि विवरणी में प्रभावी ब्याज दर आधार पर मान्य किया जाता है।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। प्रत्येक बार फिर से निर्धारित किए जाने पर प्रभावी ब्याज दर, संबंधित संविदा की शर्तों के अनुरूप अद्यतन की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित शर्तें फिर से तय होने पर, बाजार से संचालित ब्याज दर उतार चढ़ाव के अलावा, पहले की ईआईआर का उपयोग करते हुए, संशोधन से पूर्व संगणित और मापित कोई भी

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ/हानि उस अवधि के दौरान जिसमें शर्तें फिर से तय की गईं, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एक वित्तीय परिसंपत्ति का मापन एफवीटीओसीआई पर तब किया जाता है जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती होः-

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर दोनों तरह से प्राप्त किया जाता हो; और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह में, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हैं, वृद्धि करती हों।

सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और रिजर्व में जमा किया जाता है।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एक वित्तीय परिसंपत्ति का मापन एफवीटीपीएल पर तब तक नहीं किया जाता जब तक उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को लाभ-हानि विवरणी में मान्य किए जाने के साथ वह परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापित न हो।

व्यवसाय मॉडल

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल का आकलन वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण पर निर्भर है। कंपनी किसी व्यवसाय मॉडल का निर्धारण उस स्तर पर करती है जो दर्शाता है कि नकदी प्रवाह सृजित करने के विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्य हासिल करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को किस तरह एक साथ प्रबंधित किया जाता है। कंपनी का व्यवसाय मॉडल आकलन लिखत-दर-लिखत आधार के बदले समूहन के उच्च स्तर पर किया जाता है।

कंपनी विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के व्यवसाय में है और ऐसे ऋणों का प्रबंधन ऋण की अवधि के दौरान संविदागत नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा संविदागत नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए कंपनी के पास अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी हो सकती हैं।

(ii) इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण, मापन और अमान्यीकरण

सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और सहयोगी कंपनियों के अलावा अन्य में सभी इक्विटी निवेशों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। व्यापार के लिए रखे गए इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण एफवीटीपीएल पर किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी साधनों के लिए कंपनी आरंभिक मान्यता पर इसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कराती है। कंपनी यह चुनाव लिखत-दर-लिखत आधार पर कराती है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश आरंभ में उचित मूल्य जोड़ लेनदेन लागत पर मापा जाता है। इसके बाद इसे उचित मूल्य पर मापा जाता है और सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और रिजर्व में जमा किया जाता है। ओसीआई से राशियों का पुनचक्रण लाभ-हानि विवरणी में नहीं किया जाता, निवेश के विक्रय पर भी नहीं। लेकिन कंपनी संचित लाभ-हानि का अंतरण इक्विटी के भीतर करती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों का मापन, सभी बदलावों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य करते हुए, उचित मूल्य पर किया जाता है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

आरंभिक मान्यता के बाद कंपनी इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के तहत अपेक्षित परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) को मान्य करती है। कंपनी ईसीएल प्रभार या उलटाव (जहां निवल राशि एक विशिष्ट अवधि के लिए नकारात्मक शेष में हो) को लाभ एवं हानि विवरण में 'वित्तीय लिखतों में क्षतिग्रस्तता' के रूप में प्रस्तुत करती है और तुलन-पत्र में सकल वर्तमान राशि में से संचित घटाव के रूप में, जहां व्यवहार्य हो, प्रस्तुत करती है।

ईसीएल की मान्यता और मापन के लिए क्षति संबंधी अपेक्षाएं एफवीटीओसीआई पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर भी समान रूप से लागू होती हैं सिवाय इसके कि ईसीएल अन्य व्यापक आय में मान्य होता है और तुलन-पत्र में वहनीय राशि से घटाया नहीं जाता।

क) ऋण परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता और लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के तहत प्रतिबद्धताएं

कंपनी ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल को जीवन पर्यंत ईसीएल के बराबर राशि पर मापती है, यदि आरंभिक मान्यता के बाद कोई ऋण क्षतिग्रस्त हो या ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (सीआईसीआर) हुई हो। यदि आरंभिक मान्यता की तुलना में सीआईसीआर नहीं हो तो कंपनी ईसीएल का मापन 12 महीने की ईसीएल के समतुल्य राशि पर करती है। आरंभिक मान्यता के बाद सीआईसीआर रही है या नहीं, इसका आकलन करते समय कंपनी ऐसी ठोस और सार्थक सूचनाओं पर विचार करती है जो बिना किसी अनावश्यक लागत या प्रयास के उपलब्ध हो। यदि कंपनी ने पहले की अवधि में हानि अंश का आकलन पूरे समय की ईसीएल के रूप में किया, लेकिन बाद के समय में निर्धारित किया कि आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण गुणवत्ता में सुधार के कारण कोई एसआईसीआर नहीं रही है, तो कंपनी ने फिर 12 महीने की ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते का मापन किया।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्रेडिट क्षतिग्रस्तता वाली ऋण परिसंपत्तियों के लिए ईसीएल का मापन व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है, और अन्य ऋण परिसंपत्तियों के लिए यह समान समूहों का उपयोग करते हुए सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

कंपनी एलओसी के तहत प्रतिबद्धताओं पर क्षतिग्रस्तता का मापन उसी आधार पर करती है जैसा ऋण परिसंपत्तियों के मामले में किया जाता है।

ख) ऋण परिसंपत्तियों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता:

ऋण परिसंपत्तियों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन पूरे समय के लिए अनुमानित हानियों के बराबर राशि पर किया जाता है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का गैर-मान्यीकरण

कंपनी नकदी प्रवाह के लिए संविदागत अधिकार समाप्त हो जाने के बाद किसी वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य करती है, या तब जब यह समस्त जोखिमों और स्वामित्व अंतरण के साथ किसी अन्य पक्षकार को वित्तीय परिसंपत्ति का हस्तांतरण करती है। वित्तीय परिसंपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह पर पुनर्विचार या संशोधन भी किसी मौजूदा वित्तीय परिसंपत्ति के अमान्यीकरण की वजह बन सकता है।

अपनी समग्रता में किसी वित्तीय परिसंपत्ति के अमान्यीकरण पर परिसंपत्ति की वहनीय राशि तथा प्राप्त और प्राप्य के जोड़ का अंतर, अन्य व्यापक आय में मान्य और इक्विटी में संचित लाभ या हानि, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति के निस्तारण पर इस प्रकार के लाभ या हानि को अन्य प्रकार से लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया गया हो।

5.4.2 वित्तीय देयताएं

(i) डेरिवेटिव और वित्तीय गारंटी संविदाओं के अतिरिक्त सभी वित्तीय देयताओं का मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर होता है।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय देयता के आरंभिक मान्यीकरण पर होता है। बाद में इसे संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार फ्लोटिंग ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए, पुनःनिर्धारण तिथि से अद्यतन किया जाता है।

(ii) वित्तीय गारंटी

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी का मापन आरंभ में उचित मूल्य पर किया जाता है, यदि यह एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं है, बाद में निम्नलिखित से अधिक पर इसका मापन होता है:

- गारंटी के परिणामस्वरूप उपजने वाले किसी वित्तीय दायित्व के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय का सर्वोत्तम आकलन, और
- लाभ-हानि विवरणी में मान्य आय की समग्र राशि की तुलना में आरंभ में कम मान्य की गई राशि।

(iii) वित्तीय देयताओं का अमान्यीकरण

कंपनी वित्तीय देयताओं को तब अमान्य करती है जब, और केवल जब कंपनी के दायित्व पूरे हो चुके होते हैं, रद्द हो चुके होते हैं या समाप्त हो चुके होते हैं। अमान्य की गई वित्तीय देयता की वहनीय राशि तथा भुगतान की गई और की जाने वाली राशि के बीच का अंतर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

5.5 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश का लेखांकन, कोई क्षतिग्रस्तता, यदि हो तो, उसे घटाकर लागत पर किया जाता है।

5.6 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यह्रास

(i) पीपीई मदों को आरंभ में लागत पर मान्य किया जाता है। बाद में संचित ह्रास और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापन किया जाता है, केवल फ्रीहोल्ड जमीन को छोड़कर, जिसका ह्रास नहीं होता। सक्रिय उपयोग से हटा दिए गए और निस्तारण के लिए रखे गए पीपीई मद को अपने अंकित मूल्य से नीचे और वास्तव में मिल सकने योग्य निवल मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

(ii) उपयोग में ली गई परिसंपत्तियों के मामले में पूंजीकरण अनुमोदित बिलों के आधार पर या जहां अंतिम बिल अभी प्राप्त/अनुमोदित होना है, अंतिम निपटान वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन रखते हुए, संविदा के अनुसार किए गए काम के अनुमानित मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(iii) पीपीई के किसी मद के हिस्से को बदलने की लागत उस मद की वहनीय राशि में मान्य की जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस हिस्से से भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और उसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी। हटाए गए हिस्से की वहनीय राशि अमान्य कर दी जाती है। पीपीई का रखरखाव या सर्विसिंग लागत लाभ एवं हानि विवरण में प्रोद्भत के रूप में मान्य की जाती है।

(iv) निर्माणाधीन पीपीई किसी मान्य क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर रखी जाती है। इस प्रकार के पीपीई मदों को पूरा हो जाने और लक्षित उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिसंपत्तियों के लक्षित उपयोग के लिए तैयार हो जाने के बाद, अन्य परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर उनका भी मूल्यह्रास शुरू हो जाता है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) लिखित मूल्य विधि के अनुसार अवशिष्ट मूल्य घटाकर परिसंपत्तियों की लागत निरस्त कर, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ख़ख में निर्धारण के समान, अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास मान्य की जाती है, ऐसा केवल सेल फोन को छोड़कर है जहां कंपनी द्वारा उपयोगी जीवन का अनुमान केवल 2 वर्ष का रखा गया है। अवशेष मूल्य का अनुमान पीपीई की वास्तविक लागत के 5% के बराबर है।

(vi) वर्ष के दौरान पीपीई में कोई योग/ कोई कमी उस परिसंपत्ति के उपयोग/ निस्तारण के लिए उपलब्ध होने/ उपलब्ध रहने तक की तिथि से प्रोराटा अर्थात यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है।

(vii) पीपीई के किसी मद को तभी अमान्य किया जाता है जब उसका निस्तारण कर दिया जाए या भविष्य में उसका उपयोग जारी रहने से किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो। पीपीई के किसी मद को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण निवल निस्तारण प्रक्रियाएं और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के अंतर के रूप में किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(viii) ₹5,000/- तक की पीपीई वस्तुएं अपनी खरीद के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्य-ह्रासित कर दी जाती हैं।

5.7 अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

(i) पृथक रूप से अधिगृहीत की गई असीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति को लक्षित उपयोग के लिए तैयार करने में सीधे लगने वाले आवश्यक व्यय भी शामिल होते हैं। लागत में से संचित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मापन किया जाता है। परिशोधन को परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन काल पर सीधी-रेखा आधार से मान्य किया जाता है।

(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों पर पूंजीकृत किए जाने योग्य व्यय तब तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में रखा जाता है जब तक परिसंपत्ति लक्षित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

(iii) सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित जीवन काल कंपनी द्वारा 5 वर्ष का रखा गया है।

(iv) एक अमूर्त परिसंपत्ति निस्तारण के बाद या भविष्य में उपयोग से या निस्तारण से कोई आर्थिक लाभ की आशा नहीं रहने पर अमान्य कर दी जाती है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण प्रक्रियाएं और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के अंतर के रूप में किया जाता है और परिसंपत्ति को अमान्य किए जाने के बाद लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

5.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) प्रावधान तब मान्य किए जाते हैं जब कंपनी के जिम्मे कोई वर्तमान कानूनी और रचनात्मक दायित्व हो, और यह संभावना हो कि कंपनी को वह दायित्व समायोजित करना होगा और दायित्व की मात्रा को लेकर विश्वसनीय आकलन करना होगा।

(ii) प्रावधान के रूप में मान्य राशि दायित्व से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के समाधान के लिए आवश्यक उपाय का सर्वोत्तम आकलन है।

(iii) जब किसी प्रावधान को पूरा करने के लिए आवश्यक कुछ या समस्त आर्थिक लाभों के तीसरे पक्ष से वसूल लिए जाने की आशा हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है, यदि अनुमानतः यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्य राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।

(iv) जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभों को निकालने की जरूरत होगी या राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकेगा तो लेखा टिप्पणियों में दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाएगा, जबतक कि आर्थिक लाभों के बहिर्गमन की संभावना नगण्य न हो।

(v) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं किया जाता है। लेकिन आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होने पर आकस्मिक परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में दर्शायी जाती हैं।

5.9 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट करना

यदि मान्य राशियों को ऑफसेट कर देने का वर्तमान में कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार हो और निवल आधार पर समाधान या परिसंपत्तियों को मान्य करने और देयताओं को समाधित करने का उद्देश्य हो तो वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट हो जाती हैं तथा निवल राशि तुलन-पत्र में प्रस्तुत कर दी जाती है।

5.10 आय और व्यय का मान्यीकरण

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज दर का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है और इसे प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए मान्य किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो आरंभिक मान्यता पर परिसंपत्ति की निवल वहनीय राशि से उस राशि के अनुमानित जीवन से आकलित भावी नकद प्राप्तियों को घटा देता है।

(ii) बाद में वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज का मापन लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर किया जाता है और इसे संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है और अलग से 'ब्याज आय' शीर्षक के तहत दर्शाया जाता है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(iii) ऋणकर्ताओं द्वारा बकाया के समय से भुगतान पर दी जाने वाली छूट समय से पूरा बकाया प्राप्त हो जाने पर, संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार मान्य की जाती है और संबंधित ब्याज आय के मद में रखी जाती है।

(iv) उपलब्ध करायी गई सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय रिपोर्टिंग तिथि पर संविदा पूरा होने के चरण के संदर्भ के साथ समझौतों/प्रबंधों की शर्तों के आधार पर मान्य की जाती है।

(v) एफवीटीपीएल पर मापे गए निवेश सहित निवेश से लाभांश आय, कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाने के बाद लाभ एवं हानि विवरण में 'ब्याज आय' शीर्षक के तहत मान्य की जाती है और लाभांश राशि विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

(vi) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर ब्याज व्यय प्रभावी ब्याज दर (इआईआर विधि) का उपयोग करते हुए मापा जाता है।

(vii) अन्य आय और व्यय को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार प्रोद्भत आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(viii) ₹1,00,000/- तक के पूर्व-भुगतान व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में आरंभिक मान्यता के ऊपर व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

5.11 शेयरों के जारी होने पर व्यय

शेयर जारी होने पर होने वाले व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

5.12 कार्मिक हितलाभ

(i) परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि और पेंशन के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई/भुगतान योग्य राशि लाभ एवं हानि विवरण में तब प्रभारित की जाती है जब कार्मिक उन्हें अंशदान का पात्र बनाने योग्य सेवा दे चुके होते हैं।

(ii) परिभाषित हितलाभ योजना

कार्मिकों के लिए उपदान तथा चिकित्सा हितलाभ, आर्थिक पुनर्वास हितलाभ और सेवानिवृत्ति के बाद स्थापन भत्ता जैसे सेवानिवृत्ति हितलाभों के प्रति कंपनी के दायित्व का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रोद्भत मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि से होता है। उपदान के पुनर्मापन पर प्रोद्भत लाभ/हानि और सेवानिवृत्ति-पश्चात अन्य परिसभाषित हितलाभ योजनाएं अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य की जाती हैं। किसी योजना संशोधन की अवधि में पूर्व सेवा लागत लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

(iii) अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

छुट्टी नकदीकरण, सर्विस अवार्ड योजना के लिए कंपनी के दायित्व का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रोद्भत मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि से किया जाता है। ये दायित्व लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किए जाते हैं।

iv) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ

वेतन और पारिश्रमिक जैसे अल्पावधि कार्मिक हितलाभों का मान्यीकरण उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में किया जाता है, उस अवधि में जिसमें संबंधित सेवा, उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले अनुमानित हितलाभों की गैर रियायती राशि पर प्रदान की जाती है।

(v) कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

कार्मिकों को रियायती दर पर दिए गए ऋण को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और बाद में इसे परिशोधित राशि पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के आरंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच का अंतर ऋण जारी होने के आस्थगित लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की अनुमानित शेष अवधि पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की अनुमानित शेष अवधि में बदलाव होने की स्थिति में, बदलाव की तिथि पर परिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत को प्रत्याशित आधार पर ऋण की शेष अद्यतन अनुमानित अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

5.13 आयकर

आयकर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब यह उस मद से जुड़ती है जो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य है, उस स्थिति में कर भी ओसीआई या सीधे इक्विटी में मान्य होता है।

(i) चालू कर

चालू कर, वर्ष के लिए कर-योग्य आय पर, लागू या मूल रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य कर दरों तथा पूर्व वर्षों के संदर्भ में भुगतानयोग्य कर में किसी समायोजन का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य अनुमानित कर है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और देयताएं ऑफसेट हो जाती हैं जब मान्य राशि को पृथक किए जाने का कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार हो तथा निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयताओं के निपटान करने का उद्देश्य हो।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहनीय राशियों तथा करयोग्य आय की संगणना में प्रयुक्त संबंधित कर आधारों के बीच के अस्थायी अंतर पर मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर का मापन, परिसंपत्तियों/देयताओं की वहनीय राशि के समायोजन के अनुमानित ढंग के आधार पर, उन विधानों पर आधारित कर दरों पर होता है जो लागू हैं या रिपोर्टिंग तिथि तक मूल रूप से अधिनियमित हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं ऑफसेट हो जाती हैं जब देयताओं के प्रति वर्तमान कर परिसंपत्तियों को छोड़ देने का कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार होता है और ये समान कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय कर से संबद्ध होती हैं।

आस्थगित कर देयता सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्य होती है, जहां यह संभावना होती है कि भविष्य के करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके प्रति घटाने योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग हो सकेगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक घटाया जाता है कि यह संभावना नहीं रह जाए कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

5.14 पट्टा (लीज)

पट्टा संविदाओं की मान्यता, मापन और प्रस्तुति के लिए कंपनी इंड एएस 116 'पट्टा' के सिद्धांत अपनाती है।

(i) कंपनी पट्टाधारक के रूप में

कंपनी संविदा की शुरूआत में यह आकलन कर लेती है कि संविदा पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। कोई भी संविदा पट्टा या पट्टा सहित तब होता है जब यह किसी प्रतिफल के बदले चिन्हित परिसंपत्ति के एक निश्चित समयावधि तक उपयोग या नियंत्रण का अधिकार देता हो। एक चिन्हित परिसंपत्ति के एक निश्चित समयावधि तक उपयोग या नियंत्रण का अधिकार देने वाले संविदा के संदर्भ में कंपनी यह आकलन कर लेती है कि क्या (क) कंपनी को पट्टा अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ हैं, और (ख) क्या कंपनी के पास चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी एक पट्टा संविदा के समय उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्य करती है, केवल 12 महीने से कम अवधि (अल्पावधि) के पट्टा और अल्प मूल्य परिसंपत्तियों को छोड़कर, जो पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर संचालन व्यय के रूप में मान्य होती है।

कुछ पट्टा प्रबंधों में पट्टा अवधि समाप्त होने से पहले पट्टा को बढ़ाने या समाप्त कर देने का विकल्प शामिल होता है। आरओयू परिसंपत्तियां और पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल होते हैं जब तर्कसंगत रूप से निश्चित होता है कि इनका उपयोग किया जाएगा।

आरओयू परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर पट्टा तिथि पर या इससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि जोड़ आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें शामिल होती है। बाद में इनका मापन किसी संचित मूल्यह्रास और संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार परिसंपत्ति को सीधी रेखा विधि का उपयोग करते हुए शुरूआत की तिथि से अपेक्षाकृत छोटी पट्टा अवधि या आरओयू परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

पट्टा देयता आरंभ में भावी पट्टा भुगतानों के मौजूदा मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापी जाती है। पट्टा भुगतानों को पट्टा में शामिल ब्याज दर का उपयोग करते हुए,या, अगर तुरंत निर्धारण योग्य न हो तो देश में कंपनी की वृद्धिशील ऋण दरों का उपयोग करते हुए बट्टाकृत किया जाता है।

पट्टा देयता का पुनर्मापन यदि कंपनी अपना आकलन बदलती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति का विकल्प चुनेगी, संबंधित आरओयू परिसंपत्ति में समायोजन के साथ किया जाता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलन-पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। पट्टा देयता पर ब्याज व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागत के घटक के रूप में परिसंपत्ति उपयोग अधिकार पर मूल्यह्रास से अलग प्रस्तुत किया जाता है। मूल भाग के लिए पट्टा भुगतान वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा ब्याज अंश के लिए पट्टा भुगतान संचालन गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत होता है।

(ii) कंपनी पट्टाकर्ता के रूप में

उन पट्टों को जिनमें कंपनी एक पट्टाकर्ता है, वित्तीय या संचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वे संविदा जिनमें पट्टा के सभी जोखिम या अवार्ड बाद में पट्टाधारक को हस्तांतरित हो जाते हैं, वित्तीय पट्टा के रूप में वर्गीकृत होते हैं, अन्य सभी पट्टों को संचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संचालन पट्टों के लिए किराए से मिलने वाली आय संबंधित पट्टा की अवधि पर सीधी रेखा विधि से मान्य की जाती है।

वित्तीय पट्टा के तहत पट्टाधारक से बकाया राशि पट्टा में कंपनी के निवल निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में मान्य होती है। पट्टा पर मिलने वाली वित्तीय आय लेखांकन अवधि तक आवंटित की जाती है ताकि रिपोर्टिंग तिथि पर पट्टा के संदर्भ में कंपनी के बकाया निवल निवेश पर रिटर्न की निश्चित सावधिक दर दर्शायी जा सके।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

5.15 विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण

देश की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में व्यक्त मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिन लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए अंतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों के विनिमय अंतर, जिस अवधि में वे उत्पन्न हुए हैं, उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। लेकिन वित्तीय विवरणी में 1 अप्रैल, 2018 से पहले मान्य दीर्घावधि के मौद्रिक मदों के लिए विनिमय अंतर 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते' में जमा किए जाते हैं और ऐसे दीर्घावधि मौद्रिक मद की शेष अवधि पर परिशोधित किए जाते हैं।

5.16 साझा नियंत्रण के अधीन व्यवसाय संयोजन

कंपनियों और व्यवसायों को साझा नियंत्रण में लाने वाला व्यवसाय संयोजन एक ऐसा संयोजन है जिसके तहत आने वाली सभी कंपनियां या व्यवसाय, संयोजन से पहले या बाद में भी, समान पक्षकर या पक्षकारों के नियंत्रण में रहते हैं और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता।

साझा नियंत्रण के तहत आने वाली कंपनियों या व्यवसायों का लेखांकन ब्याज पूलिंग विधि का उपयोग करते हुए इस प्रकार किया जाता है:

- संयोजन में आने वाली कंपनियों की परिसंपत्तियां और देयताएं उनकी वहनीय राशि पर दर्शायी जाएं।
- उचित मूल्य को दर्शाने या नई परिसंपत्तियों या देयताओं को मान्य करने में कोई समायोजन नहीं किया जाए। समायोजन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में तालमेल के लिए होना चाहिए।
- वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधियों से संबंधित वित्तीय जानकारी इस प्रकार फिर से दर्ज की जाए जैसे व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरण में पूर्व अवधि की शुरूआत से ही रहा हो, चाहे उसकी शुरूआत की वास्तविक तिथि कुछ भी क्यों न हो।

अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया प्रतिधारित आय शेष अंतरण प्राप्त करने वाले के वित्तीय विवरणों में स्पष्ट प्रतिधारित आय शेष के साथ जोड़ा जाता है। रिजर्व की पहचान सुरक्षित रखी जाती है और अंतरणकर्ता का रिजर्व अंतरिती का रिजर्व बन जाता है।

नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त प्राप्ति को जोड़ते हुए जारी शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशियों के बीच कोई अंतर, यदि हो तो, और अंतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि पूंजी रिजर्व में अंतरित कर दी जाती है और अन्य पूंजी रिजर्व से अलग प्रस्तुत की जाती है।

5.17 पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां

पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां, त्रुटि होने की पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक राशियां पुनः बहाल कर पूर्व प्रभाव से संशोधित कर दी जाती हैं। यदि त्रुटि विवरणी में प्रस्तुत सबसे पहले की अवधि से भी पूर्व हुई हो, तो प्रस्तुति में सबसे पहले की अवधि के लिए परिसंपत्तियों का आरंभिक शेष, देयताएं और इक्विटी फिर से दर्ज की जाती है।

5.18 लाभांश

अंतिम लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है और अंतरिम लाभांश कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषित किए जाने की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज होता है।

5.19 प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर प्राथमिक अर्जन की संगणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले निवल लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के लिए उस अवधि में शेयर धारकों को होने वाले निवल लाभ या हानि और अवधि के दौरान आवंटित शेयरों की औसत संख्या को, सभी तनुकृत इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए, समायोजित किया जाता है।

6. अनुमानों और प्रबंधकीय निर्णयों का उपयोग

एकल वित्तीय विवरणों को तियायार करने में प्रबंधन को आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, अनुमान और आकलन करने होते हैं जिनका असर परिसंपत्तियों, देयताओं पर तथा आय और व्यय की प्रतिवेदित राशि पर पड़ता है। आकलन और अनुमान पिछले अनुभवों और अन्य संबंधित कारकों पर आधारित होते हैं और जारी आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में बदलाव, यदि हो, तो उस अवधि में बाद के प्रभाव से मान्य किया जाता है, जिसमें अनुमान संशोधित किया गया है यदि संशोधन केवल उसी अवधि को प्रभावित करता हो, या संशोधन की अवधि में और भावी अवधियों में यदि यह वर्तमान और भावी अवधि दोनों पर असर डालता हो।

6.1 महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय

एकल वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में उन महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्रों के बारे में जानकारी, आकलन में शामिल (टिप्पणी 6.2) को छोड़कर, जिनका एकल वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है:-

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता

कंपनी ने बोर्ड का एक प्रस्ताव पारित किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत सृजित और संचालित विशेष रिजर्व से कोई राशि निकालने का उसका कोई विचार नहीं है। इसके अनुसार विशेष रिजर्व से राशि नहीं निकाली जा रही। इस प्रकार कंपनी उक्त रिजर्व पर आस्थगित कर देयता सृजित नहीं करती।

(ii) क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों पर आय की गैर-मान्यता:

विवेक सम्मत ढंग से क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों पर आय, प्राप्त हो जाने पर या प्रोद्भत आधार पर मान्य की जाती है, जब अनुमानित आय बकाया ऋण राशि से अधिक हो।

(iii) क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों पर लेनदेन लागत का परिशोधन:

गैर-परिशोधित लेनदेन लागत की बकाया राशि ऋण परिसंपत्ति के क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत हो जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में डाल दी जाती है।

(iv) निवेश का वर्गीकरण

किसी कंपनी में निवेश को सहायक कंपनियों या संयुक्त उपक्रम (जेवी) या सहयोगी कंपनी में निवेश के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर नियंत्रण स्तर के आकलन के लिए निर्णय आवश्यक है।

क) कंपनी अपनी सहायक कंपनी आरईसीएल के साथ मिलकर एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में 33.33% की शेयर धारिता रखती है। लेकिन इंड एएस 28 'सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश' की अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित गतिविधियों को निर्देशित करने की किसी व्यावहारिक योग्यता के अभाव में कंपनी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, और इस प्रकार ईईएसएल एक सहयोगी कंपनी नहीं मानी जाती।

ख) अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) का प्रबंधन भारत सरकार से प्राप्त अधिदेश के अनुसार होता है और कंपनी के पास इन यूएमपीपी की संबंधित गतिविधियों को एकतरफा निर्देशित करने की व्यावहारिक योग्यता नहीं है। इसलिए कंपनी संबंधित यूएमपीपी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव वाली सहयोगी कंपनियों मे निवेश मानती है, बावजूद इसके कि कंपनी की उनकी भुगतान हो चुकी इक्विटी शेयर पूंजी में 100% की धारिता है।

ग) ऋणकर्ता कंपनियों के बोर्ड पदधारी या इक्विटी शेयरों के कारण इन कंपनियों पर पीएफसी का अधिकार संरक्षात्मक प्रकृति का है। इसलिए ऋणकर्ता कंपनियां वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के लिए सहयोगी कंपनियों के रूप में नहीं मानी जाती।

(v) कम मूल्य पट्टा

यदि पट्टाधारक पट्टे के लिए, जहां निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, इंड एएस 116 'पट्टा' की मान्यता और मापन अपेक्षाएं लागू करना नहीं चुनता है तो आकलन जरूरी हो जाता है। कम मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य के लिए कंपनी ने इंड एएस 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' में वर्णित परिसंपत्ति की प्रकृति और भौतिक महत्व तथा इंड एएस की वस्तुगत रूपरेखा पर विचार किया है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय निहित हैं।

(vi) विविध देयताएं - ब्याज पूंजीकरण

वित्तपोषित ब्याज आवधिक ऋण (एफआईटीएल) द्वारा व्यक्त क्षतिग्रस्त ऋण पर अप्राप्त आय/ऋण/ प्रस्ताव के तहत प्राप्त इक्विटी साधनों को 'विविध देयताएं खाता (ब्याज पूंजीकरण)' शीर्षक से एक पृथक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इसे एफआईटीएल या बिक्री/ ऋण मोचन/ इक्विटी लिखत के पुनर्भुगतान पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(vii) वित्तीय परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते के लिए संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्तता हानि की संगणना के उद्देश्य से संकेतकों की व्यावहार्यता के मूल्यांकन के लिए अनेक बाह्य और आंतरिक कारकों का आकलन जरूरी है जिससे परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि में बदलाव आ सकता है। कंपनी उपलब्ध जानकारी के आधार पर त्रुटि और चूक तथा जमा जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) को पहचानने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

6.2 अनुमान और आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की मान्यता और मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले आकलनों और अनुमानों के बारे में जानकारी नीचे उपलब्ध करायी गई है:

(i) परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ)

डीबीओ के बारे में कंपनी का आकलन अनेक निहित अनुमानों पर आधारित है जैसे मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि अनुमान। इन अनुमानों में अंतर का डीबीओ राशि पर और वार्षिक निर्दिष्ट लाभ व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसका ब्योरा टिप्पणी 44.2 में दिया गया है।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों का क्षतिग्रस्तता परीक्षण (अनुमानित क्रेडिट हानि)

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षतिग्रस्तता हानि भेतते के मापन हेतु, जिसमें परिशोधित लागत पर मापित ऋण, लेटर ऑफ कंफर्ट और गारंटी शामिल है, सांख्यिकी मॉडल, भविष्य की अनुमानित आर्थिक स्थितियां, अनुमानित नकदी प्रवाह और जमा पैटर्न (जैसे जमा जोखिम स्कोरिंग के लिए प्रयुक्त इनपुट और भार, ऋणकर्ताओं की चूक में समानता, और नतीजतन नुकसान) की आवश्यकता होती है। क्षतिग्रस्त ऋणों से वसूला जाने वाला अनुमानित

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

नकदी प्रवाह के आकलन में ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति, परियोजना की वर्तमान स्थिति, प्रतिभूतियों/कोलेटरल इत्यादि का निवल प्राप्ति योग्य मूल्य इत्यादि का आकलन किया जाता है।

चूंकि ये आकलन विभिन्न अनुमानों पर आधारित होते हैं, वास्तविक परिणामों में अंतर हो सकता है और विवरण के लिए टिप्पणी 40.1 देखें।

(iii) उचित मूल्य मापन

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का आकलन जरूरी है। कंपनी उचित मूल्य मापन के लिए समुचित मूल्यांकन तकनीक और इनपुट अपनाती है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य आकलन के लिए कंपनी उद्धृत मूल्यों और बाजार पर्यवेक्षण डेटा का उस सीमा तक उपयोग करती है जहां तक ये उपलब्ध हों। इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में अलक्ष्य इनपुट का उपयोग परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य की गणना के लिए किया जाता है। विभिन्न परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक, इनपुट के बारे में जानकारी और अन्य विवरण टिप्पणी 42 में उपलब्ध है।

(iv) आयकर

आयकर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनिश्चित कर स्थितियों के लिए और संभावित भावी लाभप्रदता के संदर्भ में भी भुगतान की गई/वसूली गई अनुमानित राशि सहित विभिन्न आकलन शामिल होते हैं। विवरण के लिए टिप्पणी 37 देखें।

(v) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन

कंपनी परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के बारे में अपने अनुमानों की समीक्षा करती है। इन आकलनों में अनिश्चितता तकनीकी और आर्थिक मूल्यह्रास की वजह से हो सकती है जिससे परिसंपत्ति की उपयोगिता परिवर्तित हो सकती है। पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य और उपयोगी जीवन पर विवरण के लिए टिप्पणी 14 देखें।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

7. नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	**बैंको में शेष (नकदी और नकदी समतुल्य की प्रकृति के)**		
	- चालू खाते में	22.14	17.64
	- सावधि जमा खाते में (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने तक)	-	703.27
(ii)	**डाक व्यय और इम्प्रेस्ट सहित उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट**	0.00	0.00
	कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**22.14**	**720.91**

8. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	**बैंकों में निम्नलिखित के लिए निर्दिष्ट अधिशेष**		
	- सावधि जमा खाते- एलएडी (टिप्पणी 8.1 देखें)	-	245.84
	- सावधि जमा खाते- एचक्यूएलए (टिप्पणी 8.2 देखें)	1,473.26	2,398.99
	- आदत्त लाभांश	5.63	5.46
	- आदत्त - बॉण्ड/बॉण्ड पर ब्याज आदि	72.70	91.19
	- भारत सरकार योजनाओं के तहत प्राप्त राशि	1.78	498.83
	- बैंकों में चालू खाता - सीएसआर प्रयोजनों के लिए अव्ययित राशि (टिप्पणी 35.4 देखें)	42.59	-
	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न कुल बैंक शेष	**1,595.96**	**3,240.31**

8.1 कंपनी ने इन सावधि जमाओं (एलएडी) पर ऋण लिया है और इसे टिप्पणी 18.5 में प्रस्तुत किया गया है।

8.2 उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के संबंध में प्रकटीकरण के लिए नोट 55.6 देखें

9. डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी हेजिंग मुद्रा और ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए डेरिवेटिव संविदा करती है। ये डेरिवेटिव लेनदेन हेजिंग के लिए किए जाते हैं, व्यापार या सट्टेबाजी उद्देश्यों के लिए नहीं।

भाग-1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
		अनुमानित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	अनुमानित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**मुद्रा डेरिवेटिव**						
	- स्पॉट एवं फॉरवर्ड	1,014.18	20.40	21.06	-	-	-
	- करेंसी स्वैप	4,521.93	460.12	-	12,129.14	1,111.15	-
	- विकल्प	48,020.93	3,891.63	3.26	18,762.25	1,523.81	21.55
	कुल मुद्रा डेरिवेटिव	**53,557.04**	**4,372.15**	**24.32**	**30,891.39**	**2,634.96**	**21.55**
(ii)	**ब्याज दर डेरिवेटिव**						
	- फॉरवर्ड दर करार और ब्याज दर स्वैप	10,549.12	431.25	-	17,931.98	445.60	81.70
	कुल ब्याज दर डेरिवेटिव	**10,549.12**	**431.25**	**-**	**17,931.98**	**445.60**	**81.70**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	**64,106.16**	**4,803.40**	**24.32**	**48,823.37**	**3,080.56**	**103.25**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

भाग-II: उपर्युक्त (भाग I) में हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए रखे गए डेरिवेटिव निम्नानुसार शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
		अनुमानित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	अनुमानित राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट)**						
	– मुद्रा डेरिवेटिव	47,904.29	3,986.16	3.26	24,826.83	1,801.42	21.55
	– ब्याज दर डेरिवेटिव	7,399.52	364.11	-	8,717.82	198.86	39.15
	कुल नकदी प्रवाह हेजिंग (नामित)	**55,303.81**	**4,350.27**	**3.26**	**33,544.65**	**2,000.28**	**60.70**
(ii)	**अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव**	8,802.35	453.13	21.06	15,278.72	1,080.28	42.55
	कुल अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	**8,802.35**	**453.13**	**21.06**	**15,278.72**	**1,080.28**	**42.55**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	**64,106.16**	**4,803.40**	**24.32**	**48,823.37**	**3,080.56**	**103.25**

9.1 फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	स्वैप करारों का अनुमानित मूलधन	10,549.12	17,931.98
(ii)	संविदा के अंतर्गत प्रतिपक्षों के अपने दायित्व पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में हानियां	431.25	445.60
(iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	नीचे टिप्पणी संख्या[क] देखें	
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य (प्रतिपक्षी बैंकों से प्राप्त)	431.25	363.90

[क] कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार श्रेणी-I अधिकृत डीलर बैंकों (पीएसयू बैंक, निजी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक) के साथ स्वैप करार करती है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम प्रबंधन नीति' में परिभाषित सीमाओं के भीतर हैं।

9.2 फॉरवर्ड दर करारों/ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तों का विवरण:

बेंचमार्क	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	शर्तें
	अनुमानित मूलधन (₹ करोड़ में)		
आईएनबीएमके	3,149.60	3,149.60	निर्धारित प्राप्य राशि बनाम फ्लोटिंग देय राशि
यूएसडी एलआईबीओआर	7,399.52	14,782.38	निर्धारित देय राशि बनाम फ्लोटिंग प्राप्य राशि
कुल	**10,549.12**	**17,931.98**	

9.3 कंपनी के पास 31.03.2023 तक (31.03.2022 तक शून्य) कोई विनिमय व्यापार डेरिवेटिव नहीं है।

9.4 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण मुद्रा डेरिवेटिव	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (अनुमानित मूलधन राशि)				
	हेजिंग[ख] और[ग] के लिए	53,557.03	10,549.12[क]	30,891.39	17,931.98[क]
(ii)	बाजार की स्थिति के अनुसार निर्दिष्ट (एमटीएम)				
	क) परिसंपत्ति (+एमटीएम)	4,372.15	431.25	2,634.96	445.60
	ख) देयता (-एमटीएम)	24.32	-	21.55	81.70
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	8,310.48	526.47	5,087.22	585.16
(iv)	अनहेज विदेशी मुद्रा एक्सपोजर [ख]	23,779.03	8,758.90	25,396.98	2,319.39

[क] ब्याज दर डेरिवेटिव में 31.03.2023 तक ₹3,149.60 करोड़ की देयताओं पर डेरिवेटिव शामिल हैं (31.03.2022 तक ₹3,149.60 करोड़)।

[ख] 31.03.2023 तक ₹5,653.18 करोड़ के लिए एक लेग (यूएसडी/जेपीवाई) के लिए हेज की गई जेपीवाई ऋण देयता शामिल है (31.03.2022 तक-शून्य)।

[ग] 31.03.2023 तक ₹7,128.40 करोड़ के लिए यूएसडी/जेपीवाई या यूरो/यूएसडी लेग और यूएसडी/आईएनआर लेग के लिए अलग से हेज की गई जेपीवाई और यूरो ऋण देयता शामिल है (31.03.2022 तक - शून्य)।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

9.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए क्रमशः टिप्पणी 40.3 और टिप्पणी 40.4 और हेज लेखांकन से संबंधित प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 41 देखें।

10. ऋण

कंपनी ने सभी ऋणों को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधन लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क)	**ऋणकर्ताओं को ऋण***		
(i)	रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	3,98,559.81	3,69,272.18
(ii)	बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट	2,086.95	2,495.83
(iii)	कार्यशील पूंजी ऋण	21,073.36	597.73
(iv)	अन्य	777.61	768.87
(v)	**बकाया मूलधन (i से iv)**	**4,22,497.73**	**3,73,134.61**
(vi)	ऋण पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	4,077.36	4,509.31
(vii)	ऋण पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	418.14	646.93
(viii)	ऋण पर अपरिवर्तित शुल्क	(139.41)	(89.81)
	सकल अग्रेणित राशि (v से viii)	**4,26,853.82**	**3,78,201.04**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(16,024.67)	(17,271.30)
	निवल अग्रेणित राशि	**4,10,829.15**	**3,60,929.74**
(ख)	**प्रतिभूति-वार वर्गीकरण**		
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	1,95,573.46	1,90,400.05
(ii)	अमूर्त परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत	-	-
(iii)	बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा आवृत्त	1,68,744.12	1,42,783.25
(iv)	अप्रतिभूत	62,536.24	45,017.74
	सकल प्रतिभूति-वार वर्गीकरण	**4,26,853.82**	**3,78,201.04**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(16,024.67)	(17,271.30)
	निवल प्रतिभूति-वार वर्गीकरण	**4,10,829.15**	**3,60,929.74**
(ग) i	**भारत में ऋण**		
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	3,53,941.30	3,18,825.66
(ii)	निजी क्षेत्र	72,912.52	59,375.38
	भारत में ऋण की सकल अग्रेणित राशि	**4,26,853.82**	**3,78,201.04**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(16,024.67)	(17,271.30)
	भारत में ऋण की निवल अग्रेणित राशि	**4,10,829.15**	**3,60,929.74**
(ग) ii	**भारत के बाहर ऋण**		
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	-	-
	भारत के बाहर ऋण की निवल अग्रेणित राशि	**-**	**-**
	भारत और भारत के बाहर ऋण की निवल अग्रेणित राशि	**4,10,829.15**	**3,60,929.74**

* प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋणों के विवरण के लिए टिप्पणी 17.6, 17.7, 17.11 और 18.4 देखें।

10.1 वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऋणकर्ताओं को पत्र भेजकर 31.03.2023 तक शेष राशि की पुष्टि की मांग की है, सिवाय इसके कि ऋण वापस ले लिया गया है या न्यायालय/एनसीएलटी के समक्ष लंबित है।

उक्त शेष राशि के 99.76% की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है। शेष ऋणों में से ₹967.94 करोड़ की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 0.94% ऋण सरकारी गारंटी के माध्यम से प्रतिभूत हैं और 99.06% अप्रतिभूत ऋण हैं।

10.2 वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजनाओं का विवरण:

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋणकर्ता का नाम	समाधान योजना का ब्यौरा	समाधान की तारीख से पहले बकाया मूलधन	समाधान की तारीख तक प्रदान किया गया क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	बट्टे खाते डाली गई राशि, निवेश पर क्षतिग्रस्तता सहित	अभ्युक्ति
वित्तीय वर्ष 2022-23						
1	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	एकबारगी निपटान	239.04	1.07	56.66	संपूर्ण ऋण मूलधन वसूल किया गया। ऋण का निपटान 31.03.2023 तक किया गया। इसके अलावा, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडीज) और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर (सीसीपीएस) को क्रमशः ऋणकर्ता कंपनी और ऋणकर्ता समूह कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया।
2	साउथ-ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ समाधान	2,262.91	1,131.47	-	पूर्ण ऋण मूलधन की वसूली के अलावा, ₹298.77 करोड़ ब्याज/विलंबित ब्याज आय के रूप में प्राप्त हुए। ऋण का निपटान 31.03.2023 तक किया गया।
3	झाबुआ पावर लिमिटेड	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ समाधान	764.33	469.22	-	ऋणकर्ता कंपनी की समाधान आय/गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी शेयर प्राप्त हुए जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण ऋण मूलधन और ब्याज/विलंबित ब्याज आय के रूप में ₹4.13 करोड़ की वसूली हुई। ऋण का निपटान 31.03.2023 तक किया गया।
4	इंड बाराथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड (आईबीयूईएल)	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ समाधान	1,367.91	1,098.57	901.25	समाधान के तहत ऋणकर्ता कंपनी की समाधान आय और इक्विटी शेयर प्राप्त/आवंटित किए गए। ऋण का निपटान 31.03.2023 तक किया गया।
	कुल		**4,634.19**	**2,700.33**	**957.91**	
वित्तीय वर्ष 2021-22						
1	कृष्णा गोदावरी पावर युटिलिटीज लिमिटेड	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ ऋण पुनः संरचना	76.63	76.63	64.23	ऋण का निपटान 31.03.2022 तक किया गया।
2	जीवीके रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	एकबारगी निपटान	1,116.65	851.93	462.65	विवाचन निर्णय के अनुसार ₹304.00 करोड़ की ऋण राशि 100% क्षतिग्रस्तता प्रावधान के साथ 31.03.2022 तक बहियों में प्रदर्शित की जा रही है।
3	एस्सार पावर एमपी	लिमिटेड एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ ऋण पुनः संरचना	1,344.55	731.27	730.77	संधारणीय ऋण राशि के रूप में ₹466.48 करोड़ 31.03.2022 तक बहियों में जारी।
4	एस्टनफील्ड सोलर (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ ऋण पुनः संरचना	25.85	23.47	15.78	संधारणीय ऋण राशि के रूप में ₹4.11 करोड़ 31.03.2022 तक बहियों में जारी।
5	आरएस इंडिया विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एकबारगी निपटान	223.77	134.48	122.70	ऋण का निपटान 31.03.2022 तक किया गया।
	कुल		**2,787.45**	**1,817.78**	**1,396.13**	

10.3. कंपनी ने किसी भी ऐसी निधि में अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो ऋणराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया है जो स्वयं कंपनी के लिए या समग्र रूप से किसी अन्य व्यक्ति(यों) या विदेशी संस्था(ओं) (मध्यस्थों) सहित अन्य संस्था(ओं) के लिए महत्वपूर्ण हो, इस आशंका को देखते हुए, जो लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी तरीके से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही अन्य कवायद करेगा।

10.4. कंपनी द्वारा क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर और प्रबंधन के विवरण के लिए, टिप्पणी 40.1 देखें।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

11. निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक					
		परिशोधित लागत (1)	एफवीटीओसीआई में नामित (2)	एफवीटीपीएल (3)	उप-जोड़ (4)=(2)+(3)	अन्य* (5)	कुल (1)+(4)+(5)
(क)	**निवेश**						
(i)	ऋण प्रतिभूतियां	300.08	-	-	-	-	300.08
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	526.25	-	-	-	-	526.25
(iii)	इक्विटी लिखत						
	- सहायक कंपनियां	-	-	-	-	14,500.70	14,500.70
	- सहयोगी कंपनियां	-	-	-	-	0.55	0.55
	- अन्य	-	1,722.21	69.36	1,791.57	-	1,791.57
(iv)	अधिमानी शेयर	85.78	-	-	-	-	85.78
(v)	डिबेंचर	122.16	-	50.00	50.00	-	172.16
	कुल निवेश	**1,034.27**	**1,722.21**	**119.36**	**1,841.57**	**14,501.25**	**17,377.09**
(ख)	**भूगोल-वार निवेश**						
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	1,034.27	1,722.21	119.36	1,841.57	14,501.25	17,377.09
	सकल भूगोल-वार निवेश	**1,034.27**	**1,722.21**	**119.36**	**1,841.57**	**14,501.25**	**17,377.09**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(72.95)	-	-	-	-	(72.95)
	निवल भूगोल-वार निवेश	**961.32**	**1,722.21**	**119.36**	**1,841.57**	**14,501.25**	**17,304.14**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 तक					
		परिशोधित लागत (1)	एफवीटीओसीआई में नामित (2)	एफवीटीपीएल (3)	उप-जोड़ (4)=(2)+(3)	अन्य* (5)	कुल (1)+(4)+(5)
(क)	**निवेश**						
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	98.69	-	-	-	-	98.69
(ii)	इक्विटी लिखत						
	- सहायक कंपनियां	-	-	-	-	14,500.65	14,500.65
	- सहयोगी कंपनियां	-	-	-	-	0.75	0.75
	- अन्य	-	1,191.35	125.79	1,317.14	-	1,317.14
(iii)	अधिमानी शेयर	84.47	-	-	-	-	84.47
(iv)	डिबेंचर	-	-	155.72	155.72	-	155.72
	कुल निवेश	**183.16**	**1,191.35**	**281.51**	**1,472.86**	**14,501.40**	**16,157.42**
(ख)	**भूगोल-वार निवेश**						
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	183.16	1,191.35	281.51	1,472.86	14,501.40	16,157.42
	सकल भूगोल-वार निवेश	**183.16**	**1,191.35**	**281.51**	**1,472.86**	**14,501.40**	**16,157.42**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(72.95)	-	-	-	(0.20)	(73.15)
	निवल भूगोल-वार वार निवेश	**110.21**	**1,191.35**	**281.51**	**1,472.86**	**14,501.20**	**16,084.27**

* अन्य में सहायक कंपनियां और सहयोगी कंपनियों में निवेश शामिल है जो इंड एएस 27 'अलग वित्तीय विवरण' के प्रावधानों के अनुसार लागत पर किया गया है।

एफवीटीओसीआई - अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य, एफवीटीपीएल - लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

11.1 निवेशों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पर मापित	31.03.2023 तक संख्या	31.03.2023 तक अंकित मूल्य (₹)	31.03.2023 तक राशि	31.03.2022 तक संख्या	31.03.2022 तक अंकित मूल्य (₹)	31.03.2022 तक राशि
(i)	**सरकारी प्रतिभूतियां$**	परिशोधित लागत	5,00,00,000	100	526.25	1,00,00,000	100	98.69
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियां**							
	- स्टेट पावर कॉर्पोरेशन से बॉण्ड-उद्धृत परिशोधित लागत$	परिशोधित लागत	3,000	10,00,000	300.08	-	-	-
(iii)	**इक्विटी लिखत**							
	सहायक कंपनियां							
	- आरईसी लिमिटेड - उद्धृत**	लागत	1,38,59,93,662	10	14,500.50	1,03,94,95,247	10	14,500.50
	- पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड- अनुद्धृत*	लागत	52,246	10	0.15	52,246	10	0.15
	- पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड - अनुद्धृत*	लागत	50,000	10	0.05	-	-	-
	सहयोगी कंपनियां							
	- अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए कंपनियां 11 कंपनियों (पिछले वर्ष 15 कंपनियां) में से प्रत्येक के लिए संख्या और अंकित मूल्य - अनुद्धृत (टिप्पणी 11.3 देखें)*	लागत	50,000	10	0.55	50,000	10	0.75
	अन्य							
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड - उद्धृत	नामित - एफवीटीओसीआई	1,20,00,000	10	102.06	1,20,00,000	10	98.70
	- कोल इंडिया लिमिटेड - उद्धृत$	नामित - एफवीटीओसीआई	1,39,64,530	10	298.35	1,39,64,530	10	255.62
	- एनएचपीसी लिमिटेड - उद्धृत (टिप्पणी 11.5 देखें)	नामित - एफवीटीओसीआई	15,53,24,170	10	624.40	18,62,86,983	10	517.88
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड - अनुद्धृत*	नामित - एफवीटीओसीआई	32,20,000	10	3.59	32,20,000	10	-
	- सुजलोन एनर्जी लिमिटेड-उद्धृत	नामित - एफवीटीओसीआई	13,31,04,997	2	105.15	8,46,15,798	2	77.42
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड - अनुद्धृत*	नामित - एफवीटीओसीआई	24,55,00,000	10	158.08	24,55,00,000	10	241.73
	- झाबुआ पावर लिमिटेड - अनुद्धृत#	नामित - एफवीटीओसीआई	6,90,45,455	10	429.40	-	-	-
	- इंड बरथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड - अनुद्धृत***	नामित - एफवीटीओसीआई	239	10	1.18	-	-	-
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड - उद्धृत	एफवीटीपीएल	23,51,27,715	10	69.36	23,51,27,715	10	125.79
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - अनुद्धृत	एफवीटीपीएल	40,39,15,920	10	0.00	40,39,15,920	10	0.00
(iv)	**अधिमानी शेयर - अनुद्धृत**							
	- रायपुर एनर्जेन लिमिटेड - आरपीएस	परिशोधित लागत	59,82,371	100	12.83	59,82,371	100	11.52
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड - आरपीएस	परिशोधित लागत	7,29,49,786	10	72.95	7,29,49,786	10	72.95
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड-ओसीसीआरपीएस	एफवीटीपीएल	10,99,93,397	10	-	10,99,93,397	10	-
	- सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड - सीसीपीएस	एफवीटीपीएल	-	-	-	38,161	1,00,000	-
(v)	**डिबेंचर- अनुद्धृत**							
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड- श्रृंखला ए3 - ओसीडी	एफवीटीपीएल	6,77,98,654	10	35.64	9,00,92,774	10	37.80
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला बी3 - ओसीडी	एफवीटीपीएल	2,73,08,331	10	14.36	3,62,88,085	10	15.23
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला सी - ओसीडी	एफवीटीपीएल	68,79,504	10	0.00	68,79,504	10	0.00
	- सुजलोन एनर्जी लिमि - ओसीडी	एफवीटीपीएल	-	-	-	34,791	1,00,000	102.69

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पर मापित	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
			संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला ए - ओसीडी	एफवीटीपीएल	41,93,96,250	100	0.00	41,93,96,250	100	0.00
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला बी - ओसीडी	एफवीटीपीएल	1,34,71,484	100	0.00	1,34,71,484	100	0.00
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला एआई - ओसीडी	एफवीटीपीएल	2,32,72,410	100	0.00	2,32,72,410	100	0.00
	- झाबुआ पावर लिमिटेड - एनसीडी	परिशोधित लागत	1,24,81,294	100	122.16	-	-	-
	कुल निवेश				**17,377.09**			**16,157.42**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता				**(72.95)**			**(73.15)**
	निवल निवेश				**17,304.14**			**16,084.27**

आरपीएस - मोचनीय अधिमानी शेयर, ओसीसीआरपीएस - वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर, सीसीपीएस - अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर, ओसीडी - वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, एनसीडी - गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर

*भौतिक रूप में रखा गया निवेश

** वर्ष के दौरान प्रत्येक 3 इक्विटी शेयरों के लिए 1 इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर प्राप्त हुए।

*** शेयर 06.04.2023 को कंपनी के डीमैट खाते में जमा किए गए

कंपनी की ओर से ऋणदाता के ट्रस्टी द्वारा धारित इक्विटी शेयर

$ एचक्यूएलए के लिए निर्दिष्ट। उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के संबंध में प्रकटीकरण के लिए नोट 55.6 देखें।

11.2 निवेशों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का संचलन

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
प्रारंभिक शेष	73.15	0.20
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	-	72.95*
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का प्रत्यावर्तन	(0.20)	-
अंतिम शेष	**72.95**	**73.15**

* रतन इंडिया पावर लिमिटेड के मोचनीय वरीयता शेयरों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता।

11.3 सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों में निवेश का विवरण:

क्र. सं.	निवेश कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थान/निगमन राष्ट्र	स्वामित्व अधिकार का अनुपात	
			31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
क.	**सहायक कंपनियां:**			
(i)	आरईसी लिमिटेड	भारत	52.63%	52.63%
(ii)	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	भारत	100%	100%
(iii)	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड - (पहले कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) (टिप्पणी 11.4 देखें)	भारत	100%	-
ख.	**सहयोगी कंपनियां*:**			
(i)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड#	भारत	-	100%
(ii)	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(iii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (टिप्पणी 11.4 देखें)	भारत	-	100%
(iv)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(v)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड#	भारत	-	100%
(vi)	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	निवेश कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थान/निगमन राष्ट्र	स्वामित्व अधिकार का अनुपात	
			31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(vii)	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%
(viii)	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड#	भारत	-	100%
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(x)	चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xi)	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xii)	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xiii)	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xv)	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%

*31.03.2023 और 31.03.2022 तक प्रत्येक सहयोगी कंपनी में निवेश ₹0.05 करोड़ है। ये सहयोगी कंपनियां अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के लिए भारत सरकार के आदेश के तहत एसपीवी के रूप में निगमित कंपनियां हैं, जिनका उद्देश्य बोली प्रक्रिया पूरी होने पर सफल बोलीदाताओं को सौंपना है।

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष के दौरान सहयोगी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया।

11.4 कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (सीकेपीएल), पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी, भारत सरकार के आदेश के अनुसार यूएमपीपी के प्रबंधन के लिए स्थापित की गई थी और इसे सहयोगी कंपनी के रूप में माना गया था, जिस पर पीएफसी का महत्वपूर्ण प्रभाव था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीकेपीएल के एमओए को पीएफसी द्वारा बोली लगाने वाले ऋणदाताओं की समर्थित समाधान योजना के लिए उपयोग करने हेतु संशोधित किया गया है और इसका नाम बदलकर पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) कर दिया गया है। तदनुसार, उक्त कंपनी की गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता अब पीएफसी लिमिटेड में निहित है और इसे अब एक सहायक कंपनी के रूप में माना जाता है।

11.5 प्रारंभिक मान्यता में, कंपनी ने अन्य व्यापक आय में कुछ इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया। कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के एकल विवरण को बचाने के लिए, प्रबंधन का मानना है कि एफवीटीओसीआई वर्गीकरण उन्हें एफवीटीपीएल में वर्गीकृत करने के बजाय अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अमान्य किए गए एफवीटीओसीआई लिखतों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

निवेश का विवरण	विमान्य किए गए शेयरों/इकाइयों की संख्या	विमान्यता की तिथि को उचित मूल्य	विमान्यता पर संचयी अभिलाभ/(हानि)
वित्तीय वर्ष 2022-23			
एनएचपीसी लिमिटेड (क)	3,09,62,813	113.57	46.13
कुल			
वित्तीय वर्ष 2021-22			
एनएचपीसी लिमिटेड (क)	2,81,86,257	79.82	18.42
'स्माल इज ब्युटिफल' निधि(ख)	61,52,200	0.95	(5.20)
कुल			**13.22**

(क) इन इक्विटी शेयरों को बाजार परिदृश्य को देखते हुए वर्ष के दौरान किस्तों में बेचा गया था। उचित मूल्य और लाभ की गणना मान्यता रद्द करने की संबंधित तिथि के अनुसार कीमत के आधार पर की गई है और इसे समग्र आधार पर ऊपर प्रस्तुत किया गया है।

(ख) 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड की परिसमापन कार्यवाही के पूरा होने के अनुसरण में; कंपनी द्वारा रखी गए 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड की 61,52,200 इकाइयां विमान्य कर दी गई हैं।

ऐसे निवेशों को विमान्य करने के बाद, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसे शेयरों पर संचयी लाभ/हानि को इक्विटी के भीतर (ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरणों के लिए रिजर्व से प्रतिधारित आय तक) स्थानांतरित कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए इक्विटी में बदलाव का एकल विवरण देखें।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:

कंपनी ने अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	भारत सरकार के चुकता बॉण्डों के कारण वसूलीयोग्य	5,038.21	5,038.21
(ii)	सहायक कंपनियों और सहायक कंपनियों को अग्रिम	200.45	185.73
(iii)	कार्मिकों को अग्रिम	1.03	0.97
(iv)	कार्मिकों को ऋण	121.86	110.65
(v)	अन्य	45.86	71.90
(vi)	घटाएं: अन्य पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(18.38)	(24.79)
	कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**5,389.03**	**5,382.67**

12.1 केएमपी को ऋण और अग्रिम का विवरण (ऊपर टिप्पणी 12 (iii) और (iv) में शामिल):

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	केएमपी को ऋण एवं अग्रिम (अर्जित ब्याज सहित)	0.31	0.48

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्ता का संचलन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	प्रारंभिक शेष	24.79	22.46
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजन	6.27	4.01
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(12.68)	(1.68)
	अंतिम शेष	**18.38**	**24.79**

13. वर्तमान कर परिसंपत्तियां/देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	अग्रिम आयकर और टीडीएस निवल का प्रावधान	133.83	197.20
(ii)	विवाद के अधीन आयकर मांग पर जमा किया गया कर	76.45	76.45
	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	**210.28**	**273.65**
(i)	अग्रिम कर को घटाकर आयकर निवल के लिए प्रावधान	105.02	194.92
	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	**105.02**	**194.92**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

14. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त परिसंपत्ति और विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण							अमूर्त परिसंपत्तियां	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	भवन	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	कुल	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल वहनीय राशि									
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**3.38**	**24.92**	**22.48**	**25.98**	**17.15**	**0.12**	**94.03**	**10.38**	**-**
परिवर्धन/समायोजन	-	-	7.95	10.28	4.97	0.10	23.30	-	-
कटौतियां/समायोजन	-	-	(2.40)	(7.33)	(3.51)	(0.09)	(13.33)	-	-
31.03.2022 तक अंतिम शेष	**3.38**	**24.92**	**28.03**	**28.93**	**18.61**	**0.13**	**104.00**	**10.38**	**-**
परिवर्धन/समायोजन	-	-	7.48	9.86	3.55	-	20.89	-	11.20
कटौतियां/समायोजन	-	-	(3.58)	(5.63)	(2.93)	-	(12.14)	-	-
31.03.2023 तक अंतिम शेष	**3.38**	**24.92**	**31.93**	**33.16**	**19.23**	**0.13**	**112.75**	**10.38**	**11.20**
संचित मूल्यहास/परिशोधन									
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	**-**	**13.04**	**14.61**	**18.38**	**10.69**	**0.10**	**56.82**	**10.14**	**-**
अवधि के लिए	-	0.53	5.47	4.86	1.74	0.04	12.64	0.11	-
बेची गई/ बहियों से बट्टे खाती डाली गई परिसंपत्तियों पर	-	-	(1.91)	(6.14)	(2.04)	(0.09)	(10.18)	-	-
31.03.2022 तक अंतिम शेष	**-**	**13.57**	**18.17**	**17.10**	**10.39**	**0.05**	**59.28**	**10.25**	**-**
अवधि के लिए	-	0.60	7.53	8.03	2.33	0.03	18.52	0.09	-
बहियों से बेची/बट्टे खाती डाली गई परिसंपत्तियों पर	-	-	(2.84)	(4.65)	(1.56)	-	(9.05)	-	-
31.03.2023 तक अंतिम शेष	**-**	**14.17**	**22.86**	**20.48**	**11.16**	**0.08**	**68.75**	**10.34**	**-**
निवल वहनीय राशि									
31.03.2022 तक	**3.38**	**11.35**	**9.86**	**11.83**	**8.22**	**0.08**	**44.72**	**0.13**	**-**
31.03.2023 तक	**3.38**	**10.75**	**9.07**	**12.68**	**8.07**	**0.05**	**44.00**	**0.04**	**11.20**

14.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर अनुमानित उपयोगी कार्यकाल और मूल्यह्रास टिप्पणी 5.6 (v) में निहित लेखांकन नीति के अनुरूप है।

14.2 कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल, अवशिष्ट मूल्यों और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा करती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तव्यापी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है। संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	भवन	ईडीपी उपकरण		कार्यालय उपकरण	सेल फोन	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	अमूर्त परिसंपत्तियां
		सर्वर और नेटवर्क	अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण अर्थात डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि					
उपयोगी कार्यकाल (वर्षों में)	60	6	3	5	2	10	8	5
मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-

14.3 प्रबंधन की राय में, इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता' के संदर्भ में कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों में कोई क्षतिग्रस्तता नहीं है। तदनुसार, क्षतिग्रस्तता हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

14.4 कंपनी की कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के प्रतिभूत ऋणों के निमित्त प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सकल वहनीय मूल्य	4.12	4.12
निवल वहनीय मूल्य	3.40	3.43

उन ऋणों के विवरण के लिए, जिनके प्रति उपर्युक्त परिसंपत्तियां प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई हैं, टिप्पणी संख्या 17.6 और 17.7 देखें।

14.5 अचल संपत्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि) के स्वामित्व लिखत कंपनी के नाम रखे गए हैं।

14.6 वर्ष के दौरान पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है।

14.7 विकासावस्था के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां:

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	निम्नांकित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.02.2023 तक					
प्रगति पर परियोजनाएं	11.20	-	-	-	11.20
अस्थायी आधार पर स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**11.20**	**-**	**-**	**-**	**11.20**
31.02.2023 तक					
प्रगति पर परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी आधार पर स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

15. राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	**लीजहोल्ड भूमि का प्रारंभिक शेष**	34.85	35.30
(ii)	परिवर्धन	-	-
(iii)	घटाएं: मूल्यह्रास*	(0.45)	(0.45)
	लीजहोल्ड भूमि का अंतिम शेष	**34.40**	**34.85**

* इंड एएस 116 'लीज' की अपेक्षानुसार, राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास व्यय को एकल विवरण में लाभ एवं हानि खाते में मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षतिग्रस्तता मद के तहत शामिल किया गया है।

16. अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	पूर्व-प्रदत्त व्यय	4.51	4.21
(ii)	आस्थगित कार्मिक लागत	48.68	47.52
(iii)	पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अग्रिम	382.70	330.99
(iv)	अन्य	120.12	83.66
	कुल अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	**556.01**	**466.38**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

17. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षाओं के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	**प्रतिभूत बॉण्ड/डिबेंचर**		
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (टिप्पणी 17.5 देखें)	38.51	38.51
	- कर मुक्त बॉण्ड (टिप्पणी 17.8 देखें)	8,259.12	8,983.03
	- 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड (टिप्पणी 17.9 देखें)	6,599.69	3,998.82
	- कर योग्य बॉण्ड (टिप्पणी 17.10 देखें)	4,428.99	4,428.99
	उप जोड़ (i)	**19,326.31**	**17,449.35**
(ii)	**अप्रतिभूत बॉण्ड/डिबेंचर**		
	- कर-योग्य बॉण्ड (टिप्पणी 17.12 देखें)	1,95,743.80	1,71,187.84
	- विदेशी मुद्रा नोट (टिप्पणी 17.13 देखें)	37,219.33	34,378.78
	उप जोड़ (ii)	**2,32,963.13**	**2,05,566.62**
(iii)	**ऋण प्रतिभूतियों का कुल बकाया मूलधन (i+ii)**	**2,52,289.44**	**2,23,015.97**
(iv)	उपर्युक्त (iii) पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	7,685.44	7,290.90
(v)	उपर्युक्त (iii) पर अपरिवर्तित लेनदेन लागत	(147.83)	(149.92)
	कुल ऋण प्रतिभूतियां (iii से v)	**2,59,827.05**	**2,30,156.95**
	भूगोल-वार ऋण प्रतिभूतियां		
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	2,22,368.63	1,95,581.80
(ii)	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	37,458.42	34,575.15
	कुल भूगोल-वार ऋण प्रतिभूतियां	**2,59,827.05**	**2,30,156.95**

17.1 कंपनी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड निर्गमों सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से निधियां जुटाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी ऋण प्रतिभूतियों के भुगतान में चूक नहीं की है।

17.2 वर्ष के दौरान प्राप्त राशि का उपयोग अस्थायी आधार पर लंबित रहने के सिवाय, प्रस्ताव दस्तावेज/ सूचना ज्ञापन/ सुविधा करार में बताई गई मदों के लिए किया गया है।

17.3 कंपनी की सभी प्रतिभूत सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां निर्दिष्ट अचल संपत्तियों पर रहन और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिभूत हैं। कंपनी ने जारी किए गए प्रतिभूत सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए हर समय मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन की शर्तों के अनुसार 1.05 गुना प्रतिभूति कवर बनाए रखा है। इसके अलावा, सभी प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखा गया प्रतिभूति कवर 1.03 गुना है।

17.4 जहां भी आवश्यक हुआ, कंपनी ने सांविधिक समय-सीमा के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ प्रभार पंजीकृत किए हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

17.5 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022			
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला III	8.50%	5.27	5.27	31.03.2026	17.6	आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद आने वाली तारीख पर सममूल्य पर मोचन योग्य
2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला IV	8.50%	19.33	19.33	31.03.2026		आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद आने वाली तारीख पर वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ मोचन योग्य
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला III	8.75%	2.86	2.86	21.11.2026	17.7	आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद आने वाली तारीख पर सममूल्य पर मोचन योग्य
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला IV	8.75%	7.77	7.77	21.11.2026		आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद आने वाली तारीख पर वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ मोचन योग्य
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 सी श्रृंखला	8.72%	0.87	0.87	30.03.2027	17.7	आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद आने वाली तारीख पर सममूल्य पर मोचन योग्य
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 डी श्रृंखला	8.72%	2.40	2.40	30.03.2027		आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद आने वाली तारीख पर वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ मोचन योग्य
	कुल		**38.51**	**38.51**			

17.6 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) श्रृंखला III और IV को कंपनी के 31.03.2023 तक ₹254.91 करोड़ (31.03.2022 तक ₹438.71 करोड़) के विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार के साथ-साथ जंगपुरा, नई दिल्ली स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

17.7 इन बॉण्ड श्रृंखलाओं को गिंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जो विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों के लिए प्रभारित की जाती हैं, जिसका प्रतिभूति विवरण टिप्पणी 17.6 में शामिल है) पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

17.8 बकाया कर मुक्त बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022			
1	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94ए	7.21%	-	255.00	-	17.11	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95ए	7.22%	-	30.00			
3	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच I श्रृंखला 1	7.69%	-	140.23			
4	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच I श्रृंखला 1	7.19%	-	202.52			
5	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.38%	-	41.43			
6	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	6.88%	-	54.72			
7	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107ए	8.01%	113.00	113.00	30.08.2023		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
8	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला Iबी	8.43%	335.47	335.47	16.11.2023		
9	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 1ए	8.18%	325.07	325.07	16.11.2023		
10	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 136	7.16%	300.00	300.00	17.07.2025		
11	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 1बी	7.36%	79.35	79.35	17.10.2025		
12	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 1ए	7.11%	75.09	75.09	17.10.2025		
13	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-बी	7.75%	217.99	217.99	15.10.2026		
14	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-बी	8.16%	209.34	209.34	25.11.2026		
15	कर मुक्त बॉण्ड (2011-12) पब्लिक इश्यू	8.30%	1,280.58	1,280.58	01.02.2027		
16	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94बी	7.38%	25.00	25.00	22.11.2027		
17	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95बी	7.38%	100.00	100.00	29.11.2027		
18	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-I श्रृंखला 2	7.86%	180.78	185.78	04.01.2028		
19	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-I श्रृंखला 2	7.36%	176.21	171.22	04.01.2028		
20	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.54%	55.85	56.97	28.03.2028		
21	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.04%	13.35	12.24	28.03.2028		
22	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-बी	8.46%	1,011.10	1,011.10	30.08.2028		
23	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 2-बी	8.79%	353.32	353.32	16.11.2028		
24	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 2-ए	8.54%	932.70	932.70	16.11.2028		
25	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 2-बी	7.52%	45.18	45.18	17.10.2030		
26	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 2-ए	7.27%	131.33	131.33	17.10.2030		
27	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 3-बी	8.92%	861.96	861.96	16.11.2033		
28	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 3-ए	8.67%	1,067.38	1,067.38	16.11.2033		
29	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 3-बी	7.60%	155.48	155.48	17.10.2035		
30	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 3-ए	7.35%	213.58	213.58	17.10.2035		
	कुल		**8,259.12**	**8,983.03**			

17.9 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड के बकाया का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022		
1	श्रृंखला II (वित्तीय वर्ष 2018-19)	5.75%	491.95	491.95	17.11	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सममूल्य पर मोचन योग्य
2	श्रृंखला III (वित्तीय वर्ष 2019-20)	5.75%	1,134.44	1,134.44		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सममूल्य पर मोचन योग्य
3	श्रृंखला IV (वित्तीय वर्ष 2020-21)	5.75%	252.38	252.38		वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सममूल्य पर मोचन योग्य
4	श्रृंखला IV (वित्तीय वर्ष 2020-21)	5.00%	685.41	685.41		वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सममूल्य पर मोचन योग्य
5	श्रृंखला V (वित्तीय वर्ष 2021-22)	5.00%	1,434.64	1,434.64		वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान सममूल्य पर मोचन योग्य
6	श्रृंखला VI (वित्तीय वर्ष 2022-23)	5.00%	2,600.87	-		वित्तीय वर्ष 2027-28 के दौरान सममूल्य पर मोचन योग्य
	कुल		**6,599.69**	**3,998.82**		

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

17.10 बकाया प्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022			
1	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I -श्रृंखला I श्रेणी III-IV	4.80%	1.95	1.95	22.01.2024	17.11	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी I-II	5.65%	27.05	27.05	22.01.2026		
3	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी III-IV	5.80%	3.50	3.50	22.01.2026		
4	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला V श्रेणी III-IV	6.83% (10 वर्षीय जीसेक लिंक)	1,250.73	1,250.73	22.01.2031		
5	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला V श्रेणी I-II	6.58% (10 वर्षीय जीसेक लिंक)	10.35	10.35	22.01.2031		
6	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी III-IV	7.00%	1,635.53	1,635.53	22.01.2031		
7	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी I-II	6.80%	33.67	33.67	22.01.2031		
8	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी III-IV	6.82%	28.74	28.74	22.01.2031		
9	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी I-II	6.63%	0.50	0.50	22.01.2031		
10	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी III-IV	7.15%	1,330.05	1,330.05	22.01.2036		
11	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी I-II	6.95%	50.05	50.05	22.01.2036		
12	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी III-IV	6.97%	53.36	53.36	22.01.2036		
13	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी I-II	6.78%	3.51	3.51	22.01.2036		
	कुल		**4,428.99**	**4,428.99**			

17.11 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड, कर योग्य प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच-ख सभी श्रृंखलाओं और सभी श्रेणी, और अन्य सभी कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखलाओं को कंपनी की कुल प्राप्य राशियों/बही ऋणों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों के लिए विशेष रूप से प्रभारित किए जाते हैं, जिसका प्रतिभूति विवरण टिप्पणी 17.6 में निहित है) पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है, जो ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय और अन्य सभी धनराशि सहित बांडों के भुगतान/ पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है और लेनदेन दस्तावेजों के तहत/ के अनुसरण में बॉण्डधारकों और/ या अन्य को देय/ चुकौती योग्य हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

17.12 बकाया अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
1	श्रृंखला 88 सी	9.48%	-	184.70	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	श्रृंखला 187 ए	8.20%	-	1,605.00		
3	श्रृंखला 168-ए	7.28%	-	1,950.00		
4	श्रृंखला 169-ए	7.10%	-	3,395.00		
5	श्रृंखला 181	8.45%	-	2,155.00		
6	श्रृंखला 191	7.35%	-	3,735.00		
7	श्रृंखला 170-ए	7.35%	-	800.00		
8	श्रृंखला 176-बी	7.99%	-	1,295.00		
9	जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 2022- XIX श्रृंखला	-	-	707.97		
10	श्रृंखला 100 बी	8.84%	-	1,310.00		
11	श्रृंखला 102 ए (II)	8.90%	-	403.00		
12	श्रृंखला 194	7.04%	1,400.00	1,400.00	14.04.2023	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
13	श्रृंखला 85 डी	9.26%	736.00	736.00	15.04.2023	
14	श्रृंखला 198	6.98%	3,160.00	3,160.00	20.04.2023	
15	श्रृंखला 199ए	6.83%	1,970.00	1,970.00	24.04.2023	
16	श्रृंखला 202ए	6.75%	2,145.00	2,145.00	22.05.2023	
17	श्रृंखला 203ए	6.72%	2,206.00	2,206.00	09.06.2023	
18	श्रृंखला 206	5.47%	3,000.00	3,000.00	19.08.2023	
19	श्रृंखला 188	8.10%	691.10	691.10	04.06.2024	
20	श्रृंखला 211 (3एम टीबी लिंक)	4.38%	1,985.00	1,985.00	02.08.2024	
21	श्रृंखला 57-बी	8.60%	866.50	866.50	07.08.2024	
22	श्रृंखला 117 विकल्प बी	9.37%	855.00	855.00	19.08.2024	
23	श्रृंखला 118 विकल्प बी II	9.39%	460.00	460.00	27.08.2024	
24	श्रृंखला विकल्प 120 बी	8.98%	950.00	950.00	08.10.2024	
25	श्रृंखला 120 विकल्प ए	8.98%	961.00	961.00	08.10.2024	
26	श्रृंखला 192	7.42%	3,000.00	3,000.00	19.11.2024	
27	श्रृंखला 124 सी	8.48%	1,000.00	1,000.00	09.12.2024	
28	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	15.12.2024	
29	श्रृंखला 125	8.65%	2,826.00	2,826.00	28.12.2024	
30	श्रृंखला 126	8.65%	5,000.00	5,000.00	04.01.2025	
31	श्रृंखला 62-बी	8.80%	1,172.60	1,172.60	15.01.2025	
32	श्रृंखला 128	8.20%	1,600.00	1,600.00	10.03.2025	
33	श्रृंखला 63-III	8.90%	184.00	184.00	15.03.2025	
34	श्रृंखला 131-सी	8.41%	5,000.00	5,000.00	27.03.2025	
35	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	30.03.2025	
36	श्रृंखला 204ए	5.77%	900.00	900.00	11.04.2025	
37	श्रृंखला 130-सी	8.39%	925.00	925.00	19.04.2025	

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022		
38	श्रृंखला 199बी	7.16%	1,320.00	1,320.00	24.04.2025	
39	श्रृंखला 65 III	8.70%	1,337.50	1,337.50	14.05.2025	
40	श्रृंखला 202बी	7.17%	810.00	810.00	22.05.2025	
41	श्रृंखला 66-बी	8.75%	1,532.00	1,532.00	15.06.2025	
42	श्रृंखला 210ए - एसटीआरपीपी 1	6.35%	405.60	405.60	30.06.2025	
43	श्रृंखला 215	7.13%	2,420.00	-	08.08.2025	
44	श्रृंखला 217बी एसटीआरपीपी I	7.15%	276.40	-	08.09.2025	
45	श्रृंखला 208	6.50%	2,806.00	2,806.00	17.09.2025	
46	श्रृंखला 141-बी	8.40%	1,000.00	1,000.00	18.09.2025	
47	श्रृंखला 218	7.59%	1,450.00	-	03.11.2025	
48	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2025	
49	श्रृंखला 222	7.58%	2,540.00	-	15.01.2026	
50	श्रृंखला 147	8.03%	1,000.00	1,000.00	02.05.2026	
51	श्रृंखला 210ए - एसटीआरपीपी2	6.35%	540.80	540.80	30.06.2026	
52	श्रृंखला 216	7.13%	3,000.00	-	15.07.2026	
53	श्रृंखला 225ए	7.77%	3,262.70	-	15.07.2026	
54	श्रृंखला - 76-बी	9.46%	1,105.00	1,105.00	01.08.2026	
55	श्रृंखला 150-बी	7.63%	1,675.00	1,675.00	14.08.2026	
56	श्रृंखला 212ए	6.09%	2,450.00	2,450.00	27.08.2026	
57	श्रृंखला - 77-बी	9.45%	2,568.00	2,568.00	01.09.2026	
58	श्रृंखला 217बी एसटीआरपीपी2	7.15%	276.40	-	08.09.2026	
59	श्रृंखला 227ए	7.70%	1,200.00	-	15.09.2026	
60	श्रृंखला 151-बी	7.56%	210.00	210.00	16.09.2026	
61	श्रृंखला 152	7.55%	4,000.00	4,000.00	25.09.2026	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
62	श्रृंखला 155	7.23%	2,635.00	2,635.00	05.01.2027	
63	श्रृंखला 168-बी	7.44%	1,540.00	1,540.00	12.06.2027	
64	श्रृंखला 210ए - एसटीआरपीपी3	6.35%	405.60	405.60	30.06.2027	
65	श्रृंखला 169-बी	7.30%	1,500.00	1,500.00	07.08.2027	
66	श्रृंखला 217बी एसटीआरपीपी III	7.15%	276.40	-	08.09.2027	
67	श्रृंखला 170-बी	7.65%	2,001.00	2,001.00	22.11.2027	
68	श्रृंखला 171	7.62%	5,000.00	5,000.00	15.12.2027	
69	श्रृंखला 221बी	7.59%	3,500.00	-	17.01.2028	
70	श्रृंखला 172	7.74%	850.00	850.00	29.01.2028	
71	श्रृंखला 101 बी	9.00%	1,370.00	1,370.00	11.03.2028	
72	श्रृंखला 102 ए (III)	8.90%	403.00	403.00	18.03.2028	
73	श्रृंखला 103	8.94%	2,807.00	2,807.00	25.03.2028	
74	श्रृंखला 177	7.85%	3,855.00	3,855.00	03.04.2028	
75	श्रृंखला 227बी	7.77%	1,390.00	-	15.04.2028	
76	श्रृंखला 178	8.95%	3,000.00	3,000.00	10.10.2028	
77	श्रृंखला 179-ए	8.67%	1,007.40	1,007.40	19.11.2028	
78	श्रृंखला 187 बी	8.85%	1,982.10	1,982.10	27.05.2029	
79	श्रृंखला 118 विकल्प बी III	9.39%	460.00	460.00	27.08.2029	
80	श्रृंखला 193	7.93%	4,710.50	4,710.50	31.12.2029	
81	श्रृंखला 196आर1	7.41%	1,500.00	1,500.00	25.02.2030	
82	श्रृंखला 196	7.41%	2,500.00	2,500.00	25.02.2030	
83	श्रृंखला 225बी एसटीआरपीपी I	7.82%	625.00	-	13.03.2030	
84	श्रृंखला 195	7.86%	1,100.00	1,100.00	12.04.2030	
85	श्रृंखला 200	7.40%	2,920.00	2,920.00	08.05.2030	
86	श्रृंखला 197	7.41%	5,000.00	5,000.00	15.05.2030	

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
87	श्रृंखला 203बी	7.75%	3,318.00	3,318.00	11.06.2030	
88	श्रृंखला 66-सी	8.85%	633.00	633.00	15.06.2030	
89	श्रृंखला 201	7.68%	3,101.30	3,101.30	15.07.2030	
90	श्रृंखला 202सी	7.79%	1,936.00	1,936.00	22.07.2030	
91	श्रृंखला 205ए	7.05%	1,610.10	1,610.10	09.08.2030	
92	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2030	
93	श्रृंखला 207आर1	7.04%	2,549.10	2,549.10	16.12.2030	
94	श्रृंखला 207	7.04%	1,097.40	1,097.40	16.12.2030	
95	श्रृंखला 225बी एसटीआरपीपी II	7.82%	625.00	-	13.03.2031	
96	श्रृंखला 204बी	6.88%	1,300.00	1,300.00	11.04.2031	
97	श्रृंखला 213	6.95%	1,988.00	1,988.00	01.10.2031	
98	श्रृंखला 225बी एसटीआरपीपी III	7.82%	625.00	-	12.03.2032	
99	श्रृंखला 214 (बीबीईटीएफ)	6.92%	1,180.00	1,180.00	14.04.2032	
100	श्रृंखला 217ए	7.42%	4,000.00	-	08.09.2032	
101	श्रृंखला 223	7.64%	3,500.00	-	22.02.2033	
102	श्रृंखला 225बी एसटीआरपीपी IV	7.82%	625.00	-	11.03.2033	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
103	श्रृंखला 220	7.58%	470.00	-	15.04.2033	
104	श्रृंखला 226ए	7.66%	1,200.00	-	15.04.2033	
105	श्रृंखला 226बी	7.70%	583.50	-	15.04.2033	
106	श्रृंखला 179-बी	8.64%	528.40	528.40	19.11.2033	
107	श्रृंखला 180	8.75%	2,654.00	2,654.00	22.02.2034	
108	श्रृंखला 186	8.79%	2,578.90	2,578.90	30.04.2034	
109	श्रृंखला 189	8.15%	4,035.00	4,035.00	08.08.2034	
110	श्रृंखला 190	8.25%	4,016.00	4,016.00	06.09.2034	
111	श्रृंखला 205बी	7.20%	1,605.70	1,605.70	10.08.2035	
112	श्रृंखला 209	7.34%	1,711.00	1,711.00	29.09.2035	
113	श्रृंखला 210बी	7.11%	1,933.50	1,933.50	30.06.2036	
114	श्रृंखला 212बी	7.15%	2,343.68	2,343.68	27.08.2036	
115	श्रृंखला 219	7.65%	4,000.00	-	13.11.2037	
116	श्रृंखला 221ए	7.72%	2,782.70	-	19.12.2037	
117	श्रृंखला 224	7.82%	3,468.50	-	06.03.2038	
	कुल		**1,95,743.80**	**1,71,187.84**		

17.13 बकाया विदेशी मुद्रा नोटों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
1	3.75% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.75%	3,288.68	3,032.28	18.06.2024	
2	3.25% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.25%	2,466.51	2,274.21	16.09.2024	
3	3.75% यूएसडी ग्रीन बॉण्ड 2027	3.75%	3,288.68	3,032.28	06.12.2027	
4	5.25% यूएसडी बॉण्ड 2028	5.25%	2,466.51	2,274.21	10.08.2028	
5	1.841% यूरो बॉण्ड 2028	1.84%	2,688.23	2,539.80	21.09.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
6	6.15% यूएसडी बॉण्ड 2028	6.15%	4,110.85	3,790.36	06.12.2028	
7	4.50% यूएसडी बॉण्ड 2029	4.50%	4,933.01	4,548.43	18.06.2029	
8	3.90% यूएसडी बॉण्ड 2029	3.90%	3,699.76	3,411.32	16.09.2029	
9	3.95% यूएसडी बॉण्ड 2030	3.95%	6,166.27	5,685.53	23.04.2030	
10	3.35% यूएसडी बॉण्ड 2031	3.35%	4,110.84	3,790.36	16.05.2031	
	कुल		**37,219.33**	**34,378.78**		

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

18. ऋण राशि (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

कंपनी ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधन लागत पर ऋण राशि (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क)	**प्रतिभूत ऋण राशि**		
(i)	बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण		
	- रुपया सावधि ऋण (नोट 18.3 देखें)	13,476.25	17,887.50
(ii)	बैंकों से अन्य ऋण		
	सावधि जमा पर ऋण (नोट 18.5 देखें)	-	228.59
	उप जोड़ (क)	**13,476.25**	**18,116.09**
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण राशि**		
(i)	बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण		
	- विदेशी मुद्रा ऋण (नोट 18.6 देखें)	6,615.95	128.07
	- सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण (नोट 18.7 देखें)	20,719.21	21,781.52
	- रुपया सावधि ऋण (नोट 18.9 देखें)	48,841.65	40,374.98
(ii)	अन्य पक्षकारों से सावधि ऋण		
	- रुपया सावधि ऋण - एनएसएसएफ (नोट 18.11 देखें)	7,500.00	7,500.00
(iii)	बैंकों से अन्य ऋण		
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ ओवरड्राफ्ट/ कैश क्रेडिट/ लाइन ऑफ क्रेडिट (नोट 18.12 देखें)	3,983.83	-
	उप जोड़ (ख)	**87,660.64**	**69,784.57**
(ग)	**ऋण राशियों का कुल बकाया मूलधन (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) - (क+ख)**	**1,01,136.89**	**87,900.66**
(घ)	उपर्युक्त (ग) पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	392.31	294.39
(ङ)	उपर्युक्त (ग) पर अपरिवर्तित लेनदेन लागत	(300.31)	(229.63)
	कुल ऋण राशि (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) (ग से ङ)	**1,01,228.89**	**87,965.42**
	भूगोल-वार ऋण		
(i)	भारत में ऋण	74,000.92	66,194.94
(ii)	भारत के बाहर ऋण	27,227.97	21,770.48
	भूगोल-वार कुल ऋण	**1,01,228.89**	**87,965.42**

18.1 जहां कहीं अपेक्षित हो, कंपनी ने सांविधिक समय-सीमा के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ प्रभार पंजीकृत किए हैं।

18.2 कंपनी ने मौजूदा परिसंपत्तियों की विशिष्ट प्रतिभूति पर कोई निधियां ऋण स्वरूप नहीं ली है, जहां तिमाही विवरणी या विवरण दाखिल करने की कोई आवश्यकता है।

18.3 बकाया प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण का विवरण निम्नानुसार है (टिप्पणी 18.4 देखें):

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	1,225.00	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	कर्नाटक बैंक	-	200.00		
3	भारतीय स्टेट बैंक	3,570.00	5,000.00	10.07.2023	ऋण को 7 अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जिसमें 6 किस्तें ₹715 करोड़ प्रत्येक की और उसके बाद 10 जुलाई 2022 से 10 जुलाई 2025 तक अंतिम किस्त ₹710 करोड़ प्रत्येक की होंगी।
4	इंडियन बैंक	937.50	1,312.50	28.09.2023	ऋण 28-मार्च-22 से शुरू होकर 28-सितंबर-2025 तक 08 छमाही किश्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त ₹187.50 करोड़ की होगी।
5	इंडियन बैंक	1,800.00	1,800.00	29.09.2023	ऋण को ₹150 करोड़ प्रत्येक की 12 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, जो 29-सितंबर-2023 से शुरू होकर 29-जून-2026 को समाप्त होगी।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
6	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	200.00	300.00	30.09.2023	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 30-सितंबर-2020 से शुरू होकर 30-सितंबर-2024 को समाप्त होगी।
7	पंजाब नेशनल बैंक	168.75	225.00	30.09.2023	ऋण को ₹56.25 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 30-सितंबर-2022 से शुरू होकर 30-सितंबर-2025 को समाप्त होगी।
8	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,350.00	1,800.00	30.09.2023	ऋण को ₹450 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 30-सितंबर-2022 से शुरू होकर 30-सितंबर-2025 को समाप्त होगी।
9	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	20.02.2024	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
10	पंजाब नेशनल बैंक	750.00	1,125.00	25.02.2024	ऋण को ₹375 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 25-फरवरी-2022 से शुरू होकर 25-फरवरी 2025 को समाप्त होगी।
11	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	02.03.2024	ऋण को ₹500 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 02-मार्च-2024 से शुरू होकर 02-मार्च -2025 को समाप्त होगी।
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	200.00	400.00	15.03.2024	ऋण को ₹200 करोड़ प्रत्येक की 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 15-मार्च-2020 से शुरू होकर 15-मार्च -2024 को समाप्त होगी।
13	इंडियन बैंक	500.00	500.00	02.04.2024	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
14	केनरा बैंक टी-1	500.00	500.00	21.06.2024	
15	केनरा बैंक टी-2	500.00	500.00	24.06.2024	
16	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	29.06.2024	
	कुल प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण	**13,476.25**	**17,887.50**		

18.4 प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण कंपनी की प्राप्तियों पर ऋणदाता बैंकों के पक्ष में प्रथम सममूल्य प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है, जिसमें वे सभी राशियां शामिल होती हैं, जो प्रतिभूति दस्तावेज के तहत/ के अनुपालन में ऋणदाता बैंक और/ या अन्य को कंपनी द्वारा ऋण के भुगतान/ पुनर्भुगतान के रूप में अदा की जानी हैं, जैसे ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय तथा अन्य सभी निधि। परंतु, इसमें कंपनी की वे प्राप्तियों शामिल नहीं की जाती, जो पहले से ही कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (जिसे औपचारिक रूप से जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के पक्ष में प्रभारित हैं। प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों के निमित्त प्रतिभूति के रूप में रेहन रखी गई प्राप्य राशि के मूल्यों की जानकारी के लिए टिप्पणी 10 देखें।

18.5 बकाया सावधि जमा पर ऋण का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
1	इंडियन बैंक	-	142.50	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	केनरा बैंक	-	41.09		
3	केनरा बैंक	-	45.00		
	सावधि जमा पर कुल ऋण	**-**	**228.59**		

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

18.6 बकाया अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
1	एडीबी (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	51.35	58.20	15.04.2023	15.10.2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें
2	क्रेडिट नेशनल (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	18.86	27.05	30.06.2023	30.06.2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें
3	केएफडब्ल्यू ख (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	41.95	42.82	30.06.2023	30.12.2035 तक अर्धवार्षिक किश्तें
4	केएफडब्ल्यू यूरो 200 मिलियन 030123	526.42	-	15.11.2023	15.11.2025 तक अर्धवार्षिक किश्तें
5	1 एफसीएनआर एसबीआई यूएसडी 110 मिलियन 151222	904.39	-	15.12.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
6	2 एफसीएनआर आईसीआईसीआई यूएसडी से यूरो 291222	844.48	-	29.12.2023	
7	3 एफसीएनआर एसबीआई यूएसडी से यूरो 270323	833.03	-	27.03.2024	
8	4 एफसीएनआर डीबीएस यूएसडी से यूरो 290323	499.53	-	29.12.2023	
9	5 एफसीएनआर एसबीआई यूएसडी से यूरो 280323	828.79	-	28.03.2024	
10	6 एफसीएनआर आईसीआईसीआई यूएसडी से यूरो 290323	831.47	-	29.03.2024	
11	7 एफसीएनआर एसबीआई यूएसडी से यूरो 310323	1,235.68	-	31.03.2024	
	कुल विदेशी मुद्रा ऋण	**6,615.95**	**128.07**		

18.7 बकाया अप्रतिभूत सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
1	एसएलएन 28 यूएसडी	-	1,895.18	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	एसएलएन 28 जेपीवाई	-	334.13		
3	एसएलएन 18	-	905.82		
4	एसएलएन 21	-	2,274.21		
5	एसएलएन 22	-	1,895.18		
6	एसएलएन 23	-	1,895.18		
7	एसएलएन 26	2,055.42	1,895.18	26.09.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
8	एसएलएन 27	1,014.18	1,021.24	01.02.2024	
9	एसएलएन 29	2,055.42	1,895.18	20.12.2024	
10	एसएलएन 30	822.17	758.07	13.10.2025	
11	एसएलएन 30	2,466.51	2,274.21	05.11.2025	
12	31 ए एफसीटीएल यूएसडी 525 मिलियन 301121	4,316.40	3,979.87	30.11.2026	
13	31 बी एफसीटीएल यूएसडी 100 मिलियन 301121	822.17	758.07	30.11.2026	
14	32 ए एफसीटीएल जेपीवाई 89208 मिलियन 281222	5,513.05	-	28.12.2026	तीन किश्तों में मोचन योग्य: दिनांक 28.12.2026 को 33.33% ऋण राशि, दिनांक 28.12.2027 को 33.33% ऋण राशि एवं दिनांक 28.12.2028 को शेष ऋण राशि।
15	32 बी एफसीटीएल जेपीवाई 26762 मिलियन 050123	1,653.89	-	05.01.2030	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
	कुल सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण	**20,719.21**	**21,781.52**		

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

18.8 उपर्युक्त टिप्पणी सं. 18.6 और 18.7 में फ्लोटिंग रेट विदेशी मुद्रा ऋण 6 महीने के यूएसडी लिबोर/एआरआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तावित दर/वैकल्पिक संदर्भ दर) में 5 बीपीएस से 150 बीपीएस तक की ब्याज दर लागू होती है। परंतु, क्रेडिट नेशनल, केएफडब्ल्यू-I और एफसीटीएफ 31ए और बी इसका अपवाद हैं, जिन पर निश्चित ब्याज दर पर लागू होती है।

18.9 बकाया अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	1,800.00	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	-	2,000.00		
3	यूको बैंक	-	500.00		
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	800.00	800.00	15.04.2023	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 8 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, जो 15-अप्रैल-2023 से शुरू होकर 15-जनवरी-2025 को समाप्त होंगी।
5	यूको बैंक	200.00	200.00	26.05.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
6	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	-	10.06.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	650.00	-	13.06.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
8	केनरा बैंक	875.00	1,750.00	20.06.2023	ऋण को ₹218.75 करोड़ प्रत्येक की 8 त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 20-जून-2022 से शुरू होकर 20-मार्च-2024 को समाप्त होंगी।
9	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	20.00	-	20.06.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
10	केनरा बैंक	1,400.00	1,800.00	22.06.2023	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 20 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, जो 22-दिसंबर-2021 से शुरू होकर 22-सितंबर-2026 को समाप्त होंगी।
11	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	7.00	-	22.06.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
12	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	55.00	-	23.06.2023	
13	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	33.00	-	24.06.2023	
14	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	235.00	-	27.06.2023	
15	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3,000.00	3,000.00	29.06.2023	
16	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	-	30.06.2023	
17	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	11.09.2023	ऋण को ₹250 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 11-सितंबर-2023 से शुरू होकर 11-सितंबर-2026 को समाप्त होगी।
18	केनरा बैंक	300.00	400.00	23.09.2023	ऋण को ₹50 करोड़ प्रत्येक की 10 अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 23-सितंबर-2021 से शुरू होकर 23-मार्च-2026 को समाप्त होंगी।
19	भारतीय स्टेट बैंक	2,999.98	2,999.98	27.09.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
20	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	1,000.00	30.09.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
21	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	750.00	750.00	05.10.2023	
22	पंजाब नेशनल बैंक	995.00	995.00	24.12.2023	
23	केनरा बैंक	500.00	500.00	28.12.2023	
24	केनरा बैंक	500.00	500.00	15.01.2024	
25	बैंक ऑफ इंडिया	2,000.00	2,000.00	21.01.2024	
26	पंजाब नेशनल बैंक	666.67	1,000.00	20.03.2024	ऋण को ₹333.33 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 20-मार्च-2023 से शुरू होकर 20-मार्च-2025 को समाप्त होंगी।
27	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,250.00	1,875.00	23.03.2024	ऋण को ₹625 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 23-मार्च-2022 से शुरू होकर 23-मार्च-2025 को समाप्त होंगी।
28	केईबी हाना बैंक	100.00	-	31.05.2024	ऋण को ₹25 करोड़ प्रत्येक की 4 अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 31-मई-2024 से शुरू होकर 30-नवंबर-2025 को समाप्त होंगी।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
29	बैंक ऑफ इंडिया	500.00	500.00	18.09.2024	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 18-सितंबर-2024 से शुरू होकर 18-सितंबर-2028 को समाप्त होंगी।
30	भारतीय स्टेट बैंक	3,000.00	3,000.00	19.12.2024	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
31	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3,000.00	3,000.00	30.09.2025	
32	बैंक ऑफ इंडिया	5,000.00	2,500.00	17.05.2026	ऋण को ₹625 करोड़ प्रत्येक की 8 अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 17-मई-2026 से शुरू होकर 17-नवंबर-2029 को समाप्त होंगी।
33	यूको बैंक	1,000.00	1,000.00	24.09.2026	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
34	पंजाब नेशनल बैंक	500.00	500.00	27.09.2026	
35	पंजाब नेशनल बैंक	5.00	5.00	29.09.2026	
36	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,000.00	1,000.00	30.09.2026	
37	सेंट्रल बैंक	1,000.00	1,000.00	31.03.2027	
38	यूनियन बैंक	3,000.00	3,000.00	31.03.2027	ऋण को ₹1500 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 31.03.2027 से शुरू होकर 31.03.2028 को समाप्त होंगी।
39	केनरा बैंक	2,250.00	-	28.06.2027	ऋण को ₹1125 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 28-जून-2027 से शुरू होकर 28-जून-2028 को समाप्त होंगी।
40	केनरा बैंक	250.00	-	30.06.2027	ऋण को ₹125 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 30-जून-2027 से शुरू होकर 30-जून-2028 को समाप्त होंगी।
41	इंडियन ओवरसीज बैंक	1,000.00	-	30.09.2027	ऋण को ₹500 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 30-सितंबर-2027 से शुरू होकर 30-सितंबर-2028 को समाप्त होंगी।
42	इंडियन ओवरसीज बैंक	500.00	-	30.09.2027	ऋण को ₹250 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 30-मार्च-2028 से शुरू होकर 30-मार्च-2029 को समाप्त होंगी।
43	यूको बैंक	1,000.00	-	30.03.2028	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
44	पंजाब एंड सिंध बैंक	1,000.00	-	30.03.2028	ऋण को ₹500 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 30-मार्च-2028 से शुरू होकर 30-मार्च-2029 को समाप्त होंगी।
45	नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट	3,500.00	-	31.03.2029	ऋण को ₹350 करोड़ प्रत्येक की 10 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो 31-मार्च-2029 से शुरू होकर 31-मार्च-2038 को समाप्त होंगी।
	कुल अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण	**48,841.65**	**40,374.98**		

18.10 उपर्युक्त टिप्पणी सं. 18.3 और 18.9 में 31.03.2023 तक ऋण संबद्ध बैंक की बेंचमार्क दर और बीपीएस का विस्तार 100 से 200 बीपीएस तक होने को देखते हुए बढ़ाए गए थे।

18.11 बकाया अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण - एनएसएसएफ का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
1	राष्ट्रीय लघु बचत निधि योजना (एनएसएसएफ) (कूपन दर - 8.11% प्रतिवर्ष)	7,500.00	7,500.00	27.12.2028	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
	कुल	**7,500.00**	**7,500.00**		

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

18.12 बकाया अप्रतिभूत डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
1	भारतीय स्टेट बैंक (डब्ल्यूसीएल)	1,555.28	-	10.04.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	भारतीय स्टेट बैंक (डब्ल्यूसीएल)	500.00	-	15.04.2023	
3	पंजाब नेशनल बैंक (डब्ल्यूसीडीएल)	300.00	-	15.04.2023	
4	एचडीएफसी बैंक (डब्ल्यूसीडीएल)	1,628.55	-	30.06.2023	
	कुल डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट	**3,983.83**	**-**		

18.13 निदेशकों द्वारा किसी भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

18.14 ऊपर प्रस्तुत अवधि के दौरान ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

18.15 वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/ सूचना ज्ञापन/ सुविधा करार में बताई गई वस्तुओं के लिए किया गया है।

18.16 कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (निधियन पक्षकारों) सहित किसी भी व्यक्ति या एंटिटी(यों) से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से कोई महत्वपूर्ण निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी तरीके से निधियन पक्षकारों (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उनकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही अन्य कवायद करेगी।

19. अधीनस्थ (सबोंर्डिनेटिड) देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधित लागत पर अधीनस्थ देयताओं को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क)	**अधीनस्थ देयताएं (अप्रतिभूत)**		
(i)	अधीनस्थ बॉण्ड (बकाया मूलधन) (टिप्पणी 19.1 देखें)	9,211.50	9,211.50
(ii)	उपर्युक्त पर अर्जित लेकिन अदेय ब्याज	102.30	102.33
(iii)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	(1.96)	(2.56)
	कुल अधीनस्थ देयताएं	**9,311.84**	**9,311.27**
(ख)	**भूगोल-वार अधीनस्थ देयताएं**		
(i)	भारत में अधीनस्थ बॉण्ड	9,311.84	9,311.27
(ii)	भारत के बाहर अधीनस्थ बॉण्ड	-	-
	कुल भूगोल-वार अधीनस्थ देयताएं	**9,311.84**	**9,311.27**

19.1 अधीनस्थ बॉण्ड (अप्रतिभूत) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अधीनस्थ बॉण्ड श्रृंखला	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	8.19% बॉण्ड श्रृंखला 105 -14.06.2023 को सममूल्य पर मोचनीय	800.00	800.00
(ii)	9.65% बॉण्ड श्रृंखला 111 - 13.01.2024 को सममूल्य पर मोचनीय	1,000.00	1,000.00
(iii)	9.70% बॉण्ड श्रृंखला 114 - 21.02.2024 को सममूल्य पर मोचनीय	2,000.00	2,000.00
(iv)	9.25% बॉण्ड श्रृंखला 184ए -25.09.2024 को सममूल्य पर मोचनीय	2,000.00	2,000.00
(v)	9.10% बॉण्ड श्रृंखला 184 बी - 25.03.2029 को सममूल्य पर मोचनीय	2,411.50	2,411.50
(vi)	8.98% बॉण्ड श्रृंखला 185 - 28.03.2029 को सममूल्य पर मोचनीय	1,000.00	1,000.00
	कुल अधीनस्थ बॉण्ड श्रृंखला	**9,211.50**	**9,211.50**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

20. अन्य वित्तीय देयताएं

कंपनी ने नीचे प्रस्तुत पट्टा देयता को छोड़कर अन्य वित्तीय देयताओं को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षा के अनुसार परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है, जिसे इंड एएस 116 'पट्टे' के अनुसार मापा गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(ii)	अप्रतिभूत भारत सरकार चुकता बॉण्ड के कारण देय (टिप्पणी 20.1 देखें)	5,038.21	5,038.21
(iii)	सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम	177.16	177.13
(iv)	अदावी लाभांश (टिप्पणी 20.2 देखें)	5.63	5.46
	अदत्त - बॉण्ड और उस पर अर्जित ब्याज (टिप्पणी 20.2 देखें)		
	- अदावी बॉण्ड	0.92	2.02
	- बॉण्ड पर अदावी ब्याज	71.78	89.15
(v)	अन्य		
	- बॉण्डों पर प्रतिदेय आवेदन राशि और उस पर अर्जित ब्याज	0.71	0.90
	- संवितरण के लिए भारत सरकार की निधियां (टिप्पणी 51 देखें)	-	498.83
	- पट्टा देयता (टिप्पणी 45.1 देखें)	8.81	8.81
	अन्य देयताएं	234.46	983.48
	कुल अन्य वित्तीय देयताएं	**5,537.68**	**6,803.99**

20.1 भारत सरकार के चुकता बॉण्डों (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों) का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	7.10% बॉण्ड श्रृंखला 156 - 11.01.2027 को सममूल्य पर मोचनीय	200.00	200.00
(ii)	7.18% बॉण्ड श्रृंखला 158 - 20.01.2027 को सममूल्य पर मोचनीय	1,335.00	1,335.00
(iii)	7.60% बॉण्ड श्रृंखला 160 - 20.02.2027 को सममूल्य पर मोचनीय	1,465.00	1,465.00
(iv)	7.75% बॉण्ड श्रृंखला 164 - 22.03.2027 को सममूल्य पर मोचनीय	2,000.00	2,000.00
(v)	उपर्युक्त पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	38.21	38.21
	भारत सरकार द्वारा कुल चुकता बॉण्ड	**5,038.21**	**5,038.21**

20.2 अदावी लाभांश, अदावी बॉण्ड और उन पर ब्याज में ऐसी राशियां शामिल हैं, जिनका निवेशकों/लिखतों के धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या जो विधिक औपचारिकताओं, आदि के कारण लंबित रहने तक रोकी गई हैं। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने योग्य धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर अंतरित कर दी गई है।

21. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	कार्मिक हितलाभ के लिए (टिप्पणी 44 देखें)		
	ग्रेच्युटी	1.02	0.03
	अवकाश नकदीकरण	50.14	47.73
	कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	7.82	6.76
	बोनस/प्रोत्साहन राशि का प्रावधान	43.26	42.11
	कार्मिक कल्याण व्यय के लिए प्रावधान	21.55	18.29
(ii)	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता - चुकौती आश्वासन पत्र और गारंटी पत्र (टिप्पणी 21.1 देखें)	50.93	77.21
(iii)	अव्ययित सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान (टिप्पणी 35 देखें)	148.93	54.87
	कुल प्रावधान	**323.65**	**247.00**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

21.1 चुकौती आश्वासन पत्र और गारंटी पर क्षतिग्रस्तता भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	प्रारंभिक शेष	77.21	57.03
(ii)	वर्ष के दौरान सृजन	0.12	59.05
(iii)	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(26.40)	(38.87)
	अंतिम शेष	**50.93**	**77.21**

22. अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	अपिशोधित शुल्क - असेवितरित ऋण संपत्तियां	189.15	158.94
(ii)	देय सांविधिक राशि	28.63	35.81
(iii)	फुटकर देयता लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	26.27	28.35
(iv)	अन्य	28.33	53.83
	कुल अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	**272.38**	**276.93**

23. इक्विटी शेयर पूंजी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	**अधिकृत पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर सममूल्य ₹10)	11,00,00,00,000	11,000.00	11,00,00,00,000	11,000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी (प्रति शेयर सममूल्य ₹10)	20,00,00,000	200.00	20,00,00,000	200.00
(ख)	**निर्गत, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर सममूल्य ₹10)	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
(ग)	**इक्विटी शेयर पूंजी का मिलान**				
	प्रारंभिक इक्विटी शेयर पूंजी	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
	अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
	अंतिम इक्विटी शेयर पूंजी	**2,64,00,81,408**	**2,640.08**	**2,64,00,81,408**	**2,640.08**

23.1 इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी ने ₹10 प्रति शेयर के सममूल्य इक्विटी शेयर जारी किए थे। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपने शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के पात्र हैं।

23.2 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %	शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %
(i)	भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर)	1,47,82,91,778	55.99%	1,47,82,91,778	55.99%
(ii)	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	16,38,70,959	6.21%	22,85,47,160	8.66%
(iii)	भारतीय जीवन बीमा निगम	12,37,62,976	4.69%	13,21,17,474	5.00%

23.3 शर्तों और राशि सहित शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा/प्रतिबद्धता के तहत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर: शून्य।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

23.4 इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय किसी भी प्रतिभूति की अवधि, सबसे बाद की तारीख से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में रूपांतरण की प्रारंभिक तिथि सहित है: शून्य

23.5 अदत्त मांग राशि (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त मांग का कुल मूल्य दर्शाते हुए): शून्य

23.6 जब्त शेयर (मूल प्रदत्त राशि): शून्य

23.7 पूंजी प्रबंधन के लिए टिप्पणी 39 देखें

24. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	प्रतिभूति प्रीमियम (टिप्पणी 24.1 (i) देखें)	2,776.54	2,776.54
(ii)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता (टिप्पणी 24.1 (ii) देखें)	(467.57)	(513.80)
(iii)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (iii) देखें)	8,559.23	6,238.14
(iv)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(सी) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (iv) देखें)	529.39	576.44
(v)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष रिजर्व	599.85	599.85
(vi)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (v) देखें)	26,511.31	24,139.00
(vii)	ब्याज विभेदक रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण (टिप्पणी 24.1 (vi) देखें)	64.97	64.07
(viii)	सामान्य रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (vii) देखें)	14,691.55	14,115.11
(ix)	प्रतिधारित अर्जन (टिप्पणी 24.1 (viii) देखें)	12,648.64	8,863.49
(x)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए आरक्षित (टिप्पणी 24.1 (ix) देखें)	55.54	(54.23)
(xi)	नकदी प्रवाह हेजे के प्रभावी हिस्से के लिए रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (x) देखें)	492.20	200.34
(xii)	हेजिंग रिजर्व की लागत (टिप्पणी 24.1 (xi) देखें)	(899.50)	(294.75)
	कुल अन्य आय	**65,562.15**	**56,710.20**

24.1 रिजर्व की प्रकृति, प्रयोजन और मूवमेंट:

(i) प्रतिभूति प्रीमियम:

यह इक्विटी शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो इक्विटी शेयरों के निर्गम पर किए गए व्यय को घटाकर निवल इक्विटी शेयर पूंजी है। इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,776.54	2,776.54
जोड़ें: प्रतिधारित आय से अंतरित	-	-
घटाएं: सामान्य रिजर्व में अंतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,776.54**	**2,776.54**

(ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा:

यह दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण (31.03.2018 तक जुटाए गए) पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा अभिलाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है और इसे संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(513.80)**	**(634.33)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधि मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण अभिलाभ/हानि (-)	(721.29)	(270.87)
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	767.52	391.40
वर्ष के अंत में शेष राशि	**(467.57)**	**(513.80)**

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व:

यह लाभ और हानि लेखा में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ के 20% की दर से प्रतिधारित अर्जन और किसी भी लाभांश की घोषणा से पूर्व अंतरण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई भी विनियोजन करने की अनुमति नहीं है, ऐसे किसी भी विनियोजन की सूचना ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जानी अपेक्षित है।

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**6,238.14**	**4,233.76**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से अंतरित	2,321.09	2,004.38
घटाएं: सामान्य रिजर्व में अंतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**8,559.23**	**6,238.14**

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii ए) (सी) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व:

यह कंपनी को आयकर कटौती का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए सृजित गया है। इस प्रकार अनुरक्षित रिजर्व का उपयोग मुख्य रूप से वास्तविक अशोध्य ऋणों या उसके हिस्से के समायोजन के लिए उपयोग किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(सी) के अनुसार, कंपनी अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी भी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र है, जो आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है।

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**576.44**	**287.25**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से अंतरित	590.10	576.44
घटाएं: सामान्य रिजर्व में अंतरित	(576.44)	(287.25)
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	(60.71)	-
वर्ष के अंत में शेष	**529.39**	**576.44**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व:

इसका अनुरक्षण कंपनी को कर हितलाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय गतिविधि से प्राप्त लाभ के 20% से अधिक की कटौती के लिए पात्र नहीं है, बशर्ते ऐसी राशि विशेष आरक्षित खाते में स्थानांतरित और अनुरक्षित की जाए।

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**24,139.00**	**21,715.55**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,363.47	2,423.45
घटाएं : सामान्य रिजर्व में अंतरित	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान समायोजन	8.84	-
वर्ष के अंत में शेष	**26,511.31**	**24,139.00**

(vi) ब्याज विभेदक रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण:

यह ऋण करार के अनुसार केएफडब्ल्यू ऋण पर देय ब्याज और भुगतान किए गए ब्याज के बीच अंतर को दर्शाता है। केएफडब्ल्यू से विदेशी मुद्रा ऋण की शर्तों के अनुसरण में ऋण अधिशेष के पुन: कथन पर विनिमय अभिलाभ/हानि को इस रिजर्व से समायोजित किया जाता है। कंपनी को केएफडब्ल्यू ऋण की पूरी चुकौती के बाद रिजर्व में असमायोजित शेष राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं है। केएफडब्ल्यू ऋण की पूरी चुकौती के बाद रिजर्व में किसी भी असमायोजित शेष राशि का उपयोग केएफडब्ल्यू के साथ परामर्श के बाद कंपनी द्वारा आगे ऋण देने के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**64.07**	**62.65**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	2.17	2.34
घटाएं : वर्ष के दौरान अपमार्जन	(1.27)	(0.92)
वर्ष के अंत में शेष	**64.97**	**64.07**

(vii) सामान्य रिजर्व:

सामान्य रिजर्व में लाभांश की घोषणा से पहले कंपनी के लाभ से विनियोजित राशियां शामिल हैं (जैसा कि पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अपेक्षित था)। इसमें ऐसे रिजर्व के उपयोग/उत्क्रमण पर सांविधिक रिजर्व से हस्तांतरित राशि भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षी की पूर्ण पात्र कटौती का लाभ उठाने के लिए लाभ को सामान्य आरक्षी में विनियोजित करती है।

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**14,115.11**	**13,827.86**
जोड़ें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अंतरित	576.44	287.25
वर्ष के अंत में शेष	**14,691.55**	**14,115.11**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(viii) प्रतिधारित अर्जन:

यह लाभ और अन्य व्यापक आय के निर्दिष्ट मदों का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अन्य रिजर्व और लाभांश वितरण से अंतरण के बाद कंपनी द्वारा अर्जित आय में सीधे मान्य किया जाता है।

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**8,863.49**	**7,203.86**
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	11,605.47	10,021.90
जोड़ें: परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन (करों को घटाकर)	(2.68)	(3.70)
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी लिखत की बिक्री/समाप्ति पर अभिलाभ/(हानि) का पुनर्वर्गीकरण	46.13	13.22
जोड़ें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) (सी) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अंतरित	60.71	-
घटाएं: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व में अंतरित	(8.84)	-
घटाएं: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में अंतरित	(2,363.47)	(2,423.45)
घटाएं: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अंतरित	(590.10)	(576.44)
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत रिजर्व निधि में अंतरित	(2,321.09)	(2,004.38)
घटाएं: ब्याज विभेदक रिजर्व में अंतरित - केएफडब्ल्यू ऋण	(0.90)	(1.42)
घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	(2,640.08)	(3,366.10)
वर्ष के अंत में शेष	**12,648.64**	**8,863.49**

(ix) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए आरक्षित:

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्य करने का चयन किया है। यह अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न संचयी लाभ और हानि का प्रतिनिधित्व करता है। जब परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है, तो आरक्षित राशि को बाद में प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया जाता है, न कि लाभ और हानि के एकल विवरण में। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ और हानि के एकल विवरण में मान्य किया जाता है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(54.23)**	**(183.37)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय) के माध्यम से मान्य (करों को घटाकर)	155.90	142.36
घटाएं: एफवीओसीआई इक्विटी लिखत की बिक्री/ समाप्ति पर (लाभ)/ हानि का पुनर्वर्गीकरण (करों को घटाकर)	(46.13)	(13.22)
वर्ष के अंत में शेष	**55.54**	**(54.23)**

(x) नकदी प्रवाह हेज के प्रभावी हिस्से के लिए रिजर्व

हेजिंग लिखतों का आंतरिक मूल्य जो हेज लेखांकन के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित और पात्र है, उसे इस रिजर्व में मान्य किया जाता है। इय रिजर्व निधि में मान्य राशियों को ऐसी स्थिति में लाभ या हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए मद लाभ या हानि को प्रभावित करते है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**200.34**	**(113.34)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय) के माध्यम से मान्य (करों का घटाकर)	291.86	313.68
वर्ष के अंत में शेष	**492.20**	**200.34**

(xi) हेजिंग रिजर्व की लागत:

हेज लेखांकन के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले और नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित और पात्र हेजिंग लिखतों के टाइम मूल्य का उचित मूल्य, इस रिजर्व में मान्य किया जाता है। इस तरह के रिजर्व में मान्य की गई राशि को व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है।

वर्ष के दौरान मूवमेंट का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(294.75)**	**(23.24)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय) के माध्यम से मान्य (करों को घटाकर)	(604.75)	(271.51)
वर्ष के अंत में शेष	**(899.50)**	**(294.75)**

24.2 ₹10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए कंपनी द्वारा घोषित/प्रस्तावित लाभांश

(i) विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	87.50%	8.75	2,310.07	107.50%	10.75	2,838.09
अंतिम लाभांश	45.00%	4.50	1,188.04	12.50%	1.25	330.01
कुल लाभांश	**132.50%**	**13.25**	**3,498.11**	**120%**	**12.00**	**3,168.10**

31.03.2023 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, भारत सरकार को लाभांश के रूप में ₹1,478.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,884.82 करोड़) की राशि का भुगतान किया गया है (वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए अंतिम लाभांश में आनुपातिक हिस्सा और वित्तीय वर्ष 22- 23 के लिए अंतरिम लाभांश)।

ii) तुलन-पत्र की तारीख के बाद घटित घटनाएं:

निदेशक मंडल ने 27.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 45% की दर से अंतिम लाभांश, अर्थात ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर ₹4.50 की प्रति शेयर की अनुशंसा की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

iii) प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन में है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

25. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(क)	**परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	ऋण पर ब्याज	37,659.34	36,780.13
	घटाएं: ऋणकर्ताओं को समय पर भुगतान के लिए रिबेट	(282.32)	(386.71)
(ii)	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	171.27	246.50
(iii)	निवेश पर ब्याज	52.44	8.52
(iv)	अन्य ब्याज आय	29.36	26.73
	उप-जोड़ (क)	**37,630.09**	**36,675.17**
(ख)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	निवेश पर ब्याज	9.07	20.67
(ii)	अन्य आय	6.15	5.38
	उप-जोड़ (ख)	**15.22**	**26.05**
	कुल ब्याज आय ((क)+(ख))	**37,645.31**	**36,701.22**

26. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	एफवीटीओसीआई में निर्दिष्ट इक्विटी निवेश पर लाभांश		
	- वर्ष के अंत में धारित निवेश	90.19	64.36
	- वर्ष के दौरान विमान्य किए गए निवेश	0.90	0.29
	उप-जोड़ (क)	**91.09**	**64.65**
(ii)	लागत पर इक्विटी निवेश पर लाभांश (सहायक कंपनियां)	1,653.70	1,282.77
(iii)	अधिमानी शेयरों पर लाभांश	0.02	0.00
	कुल लाभांश आय (i+ii+iii)	**1,744.81**	**1,347.42**

27. शुल्क और कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋण पर पूर्व भुगतान प्रीमियम	67.03	351.60
(ii)	ऋण पर शुल्क आधारित आय	123.02	136.56
(iii)	भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शुल्क (टिप्पणी 51 देखें)	71.58	8.60
	कुल शुल्क और कमीशन आय	**261.63**	**496.76**

28. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	-	2.38
(ii)	संयुक्त उद्यम में संयुक्त नियंत्रण की समाप्ति पर अभिलाभ	-	32.66
(iii)	विविध आय	13.88	10.73
	कुल अन्य आय	**13.88**	**45.77**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

29. वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर		
(i)	**ऋणों पर ब्याज**		
	- सावधि ऋण और अन्य	5,225.78	4,264.34
	- पट्टा देयता पर ब्याज (टिप्पणी 45.1 देखें)	0.77	0.77
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	- बॉण्ड /डिबेंचर	16,371.05	16,706.94
	- कमर्शियल पेपर्स	-	39.97
(iii)	**अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**	850.84	850.80
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	- ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज	-	1.13
	- आवेदन शुल्क पर ब्याज - बॉण्ड	0.01	0.29
	- सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम पर ब्याज	4.66	2.87
	- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ब्याज	0.88	1.91
(v)	**स्वैप प्रीमियम (निवल)**	828.58	802.28
	कुल वित्तीय लागत	**23,282.57**	**22,671.30**

30. निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि/ (अभिलाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	निम्नलिखित के लिए निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि/ (अभिलाभ)		
(i)	01.04.2018 को या उसके बाद मान्य किए गए दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (एलटीएफसीएमआई) का परिवर्तन	1,359.59	514.18
(ii)	31.03.2018 तक मान्य किए गए दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (एलटीएफसीएमआई) (एफसीएमआईटीडीए के परिशोधन सहित) का परिवर्तन	615.64	391.40
	कुल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(अभिलाभ)	**1,975.23**	**905.58**

30.1 वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:

विनिमय दर	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अमरीकी डॉलर/रुपया	82.2169	75.8071
यूरो/ रुपया	89.6076	84.6599
जापानी येन/रुपया	0.6180	0.6223

31. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	एजेंसी शुल्क	1.45	1.63
(ii)	गारंटी, सूचीकरण और ट्रस्टीशिप शुल्क	2.40	2.41
(iii)	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	7.18	5.72
(iv)	अन्य वित्त प्रभार	1.03	0.42
	कुल शुल्क एवं कमीशन व्यय	**12.06**	**10.18**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

32. उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर:		
(i)	- डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन	(123.36)	(39.77)
(ii)	- निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	52.80	30.35
	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल निवल हानि/(अभिलाभ)	**(70.56)**	**(9.42)**
	उचित मूल्य परिवर्तन:		
(i)	- प्राप्त	97.47	213.16
(ii)	- अप्राप्त	(168.03)	(222.58)
	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल निवल हानि/(अभिलाभ)	**(70.56)**	**(9.42)**

32.1 इस टिप्पणी में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनो से भिन्न है।

33. वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्ता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क	**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर:**		
(i)	ऋण*	(319.98)	2,126.68
(ii)	निवेश	-	72.95
(iii)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(6.41)	2.33
(iv)	चुकौती आश्वासन-पत्र एवं गारंटी	(26.28)	20.18
ख	**लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	निवेश	(0.20)	-
ग	**लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	बट्टे खाते डाले गए - निवेश*	56.66	-
	कुल वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	**(296.21)**	**2,222.14**

* ₹957.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,396.13 करोड़) के ऋण निपटान के अंतर्गत अर्जित ऋणों और निवेश को बट्टे खाते में डालना और क्षतिग्रस्तता तथा ₹2,700.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,817.78 करोड़) के क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का तदनुरूपी रिवर्सल शामिल है।

33.1 वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि के विवरण के लिए टिप्पणी 40.1 देखें।

34. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	वेतन एवं वेज	151.16	150.68
(ii)	भविष्य निधि और अन्य निधियों/योजनाओं में अंशदान	18.99	17.75
(iii)	कार्मिक कल्याण व्यय	40.24	38.22
(iv)	कार्मिकों के आवासीय मकान के लिए किराया	8.62	6.46
	कुल कार्मिक हितलाभ व्यय	**219.01**	**213.11**

34.1 विभिन्न कार्मिक हितलाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में इंड एएस 19 'कार्मिक हितलाभ' के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी 44 में प्रदान किए गए हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

35. निगमित सामाजिक दायित्व

दिनांक 22.01.2021 से अधिसूचित कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार, किसी भी चालू परियोजना के तहत व्यय न की गई कोई भी राशि वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्यतित सीएसआर खाते में अंतरित कर दी जाएगी, जिसका उपयोग ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा। किसी चालू परियोजना के अलावा किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर अनुसूची तखख में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कंपनी, विधि के तहत अपेक्षित से अधिक राशि व्यय करती है, तो अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यय की जाने वाली राशि अगले तीन वित्तीय वर्षों में इस मद में समायोजित की जा सकती है।

चूंकि अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रभावी हो गई थी, अत: कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन किया। तदनुसार, 31.03.2020 तक अव्ययित सीएसआर राशि को पूर्व-संशोधन ढांचे के अनुसार निपटाया जाना जारी रहेगा।

35.1 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
		वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए	31.03.2020 तक की अवधि के लिए	कुल	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए	31.03.2020 तक की अवधि के लिए	कुल
(i)	प्रारंभिक अव्ययित/(अधिशेष) राशि	54.87	99.15*	154.02	(39.39)	143.43*	104.04
(ii)	अव्ययित राशि में से अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में हस्तांतरित राशि	54.87	-	54.87			
(iii)	अव्ययित प्रारंभिक शेष/(अधिशेष) राशि (i-ii)	-	99.15	99.15			
(iv)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	178.58	-	178.58	170.43	-	170.43
(v)	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली उपर्युक्त में से बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	178.58	-	178.58	170.43	-	170.43
(vi)	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	-	-	-	0.01	-	0.01
(vii)	**उप-योग (v + vi)**	**178.58**	**-**	**178.58**	**170.44**	**-**	**170.44**
(viii)	पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि (iii+vii)	178.58	99.15	277.73	131.05	143.43	274.48
(ix)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	72.24$	46.72	118.96	76.18$	44.28	120.46
(x)	**अंतिम अव्ययित/(अधिशेष) राशि (viii - ix)**	**106.34@**	**52.43**	**158.77**	**54.87@**	**99.15**	**154.02**

* विभिन्न परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत, जहां सहमत शर्तों के अनुसार संवितरण किया जा रहा है।

$ इसमें संवितरित किए गए ₹6.52 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹15.49 करोड़) शामिल हैं, जहां उपयोग किया जाना है।

@ चूंकि राशि चालू परियोजनाओं से संबंधित है, इसलिए इसे 28.04.2023 (पिछले वर्ष 29.04.2022) को अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

35.2 ₹106.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹54.87 करोड़) की अव्ययित सीएसआर राशि बहु-वर्षीय (चालू) परियोजनाओं से संबंधित है जहां भुगतान निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर किस्तों में किया जाता है। तदनुसार, उक्त राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) की अपेक्षाओं के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के अव्ययित सीएसआर खाते में जमा की गई है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

35.3 सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का गतिविधि-वार विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
		भुगतान या निपटान की गई	भुगतान किया जाना है	कुल	भुगतान या निपटान की गई	भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपर्युक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
(iiक)	स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	2.27		2.27	4.93	-	4.93
(iiख)	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	16.81		16.81	21.72	-	21.72
(iiग)	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर एप्लिकेशन/वनरोपण/ऊर्जा सक्षम एलईडी प्रकाश व्यवस्था)	0.50		0.50	7.36	-	7.36
(iiघ)	खेल				0.95	-	0.95
(iiङ)	अन्य#	92.55		92.55	81.10	-	81.10
(iiच)	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक उपरिव्यय सीएसआर पर व्यय की जाने वाली कुल राशि के 5% तक सीमित है।	6.83		6.83	4.40	-	4.40
(iii)	**वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (i +ii)**	**118.96**	**-**	**118.96***	**120.46**	**-**	**120.46**
(iv)	जोड़ें: अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि			106.34			54.87
(v)	जोड़ें/घटाएं: समायोजित/(व्यतित) अधिशेष राशि			-			39.39
(vi)	**लाभ और हानि के एकल विवरण के लिए प्रभारित सीएसआर व्यय (iii + iv + v)**			**225.30**			**214.72**

#इसमें पीएम केयर्स फंड में ₹51.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹50 करोड़) का अंशदान शामिल है।

*31.03.2020 तक की अवधि के लिए ₹46.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹44.28 करोड़) शामिल हैं।

35.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) की अपेक्षाओं के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	सीएसआर अव्ययित खाते में बकाया राशि पर अर्जित ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतिम शेष		वित्तीय वर्ष से संबंधित जारी परियोजनाओं के लिए	जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते में			कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते में		
-	-	178.58	लागू नहीं	72.24	-	106.34*	-	वित्तीय वर्ष 2022-23	अनुसंधान, प्रशिक्षण, सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता।
-	54.87	लागू नहीं	1.65	-	13.93	-	42.59	वित्तीय वर्ष 2021-22	

* 28.04.2023 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया गया।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	सीएसआर अव्ययित खाते में बकाया राशि पर अर्जित ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		अंतिम शेष		वित्तीय वर्ष से संबंधित जारी परियोजनाओं के लिए	जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते में			कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते में		
-	-	131.05	लागू नहीं	76.18	-	54.87*	-	वित्तीय वर्ष 2021-22	अनुसंधान, प्रशिक्षण, सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता।

* 29.04.2022 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया गया।

36. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत	5.45	3.95
(ii)	मरम्मत और रखरखाव	5.65	9.93
(iii)	संचार लागत	2.53	2.40
(iv)	मुद्रण और लेखन सामग्री	1.55	1.11
(v)	विज्ञापन और प्रचार	13.79	11.29
(vi)	निदेशकों की फीस, भत्ता और व्यय	0.41	0.28
(vii)	लेखापरीक्षक की फीस और व्यय (टिप्पणी 36.1 देखें)	1.29	1.45
(viii)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	18.67	9.83
(ix)	बीमा	0.35	0.23
(x)	यात्रा और वाहन	20.45	13.01
(xi)	पीपीई की बिक्री/मान्यता रद्द करने पर निवल हानि/(अभिलाभ)	2.88	2.91
(xii)	सरकारी योजना मॉनीटरिंग व्यय	7.63	-
(xiii)	सम्मेलन और बैठक व्यय	7.27	1.74
(xiv)	सुरक्षा व्यय	3.63	3.69
(xv)	अन्य व्यय	37.00	60.89
	कुल अन्य व्यय	**128.55**	**122.71**

36.1 लेखा-परीक्षक का शुल्क और व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया गया शुल्क:		
(i)	लेखा परीक्षक के रूप में	0.58	0.58
(ii)	कराधान मामलों के लिए	0.15	0.15
(iii)	कंपनी कानून मामलों के लिए (इसमें सीमित समीक्षा शुल्क शामिल है)	0.35	0.32
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए	0.11	0.29
	उप-जोड़	**1.19**	**1.34**
(v)	लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य जीएसटी क्रेडिट	0.10	0.11
	कुल लेखापरीक्षक का शुल्क और व्यय	**1.29**	**1.45**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

37. 'आयकर' से संबंधित प्रकटीकरण

37.1 लाभ और हानि के एकल विवरण में मान्य किया गया आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
वर्तमान कर व्यय:		
वर्तमान वर्ष	2,381.18	2,418.91
पूर्ववर्ती वर्ष	(50.94)	(36.05)
(क) कुल वर्तमान कर व्यय	**2,330.24**	**2,382.86**
आस्थगित कर व्यय/(आय)		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और निराकरण	234.91	(177.11)
(ख) कुल आस्थगित कर व्यय/(आय)	**234.91**	**(177.11)**
कुल आयकर व्यय (क+ख)	**2,565.15**	**2,205.75**

37.2 अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया आयकर व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
वर्तमान कर व्यय/(आय)		
मदें, जिन्हें लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	0.06	0.35
(क) कुल वर्तमान कर व्यय/(आय)	**0.06**	**0.35**
आस्थगित कर व्यय/(आय)		
(ख) मदें, जिन्हें लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	(1.00)	(1.72)
इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर शुद्ध लाभ/(हानि)।	(10.16)	9.58
(ग) मदें, जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		
नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का प्रभावी अंश	98.16	105.50
हेजिंग रिजर्व की लागत	(203.39)	(91.31)
(घ) कुल आस्थगित कर व्यय/(आय) (ख+ग)	**(116.39)**	**22.05**
ओसीआई में मान्य किया गया कुल कर व्यय/(आय) (क+घ)	**(116.33)**	**22.40**

37.3 कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलान

कर व्यय और कर पूर्व लाभ के गुणनफल तथा कॉर्पोरेट कर दर का मिलान :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कर पूर्व लाभ	14,170.62	12,227.65
कंपनी पर लागू कर की दर	25.168%	25.168%
कॉर्पोरेट कर दर का प्रयोग करते हुए कर व्यय	**3,566.46**	**3,077.45**
निम्नलिखित के कारण वृद्धि/(कमी) :		
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	50.56	97.41
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80एम के तहत कटौती	(439.13)	(339.12)
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती	(594.84)	(609.93)
अन्य	33.04	15.99
पिछले वर्षों से संबंधित कर व्यय	(50.94)	(36.05)
लाभ और हानि के एकल विवरण में कुल कर व्यय	**2,565.15**	**2,205.75**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

37.4 कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/अग्रेनीत अप्रयुक्त कर क्रेडिट

विवरण	31.03.2023 तक (₹ करोड़ में)	समाप्ति की तारीख	31.03.2023 तक (₹ करोड़ में)	समाप्ति की तारीख
कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए एकल तुलन-पत्रक में कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य नहीं की गई है।	-	-	1.25	31.03.2024
	-	-	2.54	31.03.2025
	-	-	0.03	31.03.2028
	-	-	0.07	31.03.2029

37.5 आस्थगित कर शेष में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2022-23

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	31.03.2023 तक अंतिम शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति				
(i) आयकर अधिनियम के तहत भुगतान के आधार पर कटौती योग्य व्यय के लिए प्रावधान	28.94	0.57	1.00	30.52
(ii) ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	62.61	20.09	-	82.70
(iii) आरबीडीडी से अधिक वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	4,227.43	(310.14)	-	3,917.29
(iv) मूल्यह्रास और परिशोधन	2.95	2.05	-	5.00
(v) डेरिवेटिव का उचित मूल्य (शुद्ध)	16.56	47.85	105.23	169.64
(vi) अन्य	26.39	13.04	10.16	49.59
(ख) (आस्थगित कर देयताएं)				
(i) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(129.87)	11.61	-	(118.26)
(ii) ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(83.16)	(19.98)	-	(103.14)
(iii) अन्य	(0.03)	-	-	(0.03)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**4,151.82**	**(234.91)**	**116.39**	**4,033.31**

वित्तीय वर्ष 2021-22

विवरण	01.04.2021 तक प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	31.03.2022 तक अंतिम शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति				
(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान आधार पर कटौतीयोग्य व्यय प्रावधान	24.26	2.96	1.72	28.94
(ii) ऋणकर्ताओं को ऋण पर गैर-परिशोधित आय	58.71	3.90	-	62.61
(iii) आरबीडीडी के आधिक्य में वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	4,110.68	116.75	-	4,227.43
(iv) मूल्यह्रास और परिशोधन	2.35	0.60	-	2.95
(v) डेरिवेटिव्स का उचित मूल्य (निवल)	18.67	12.08	(14.19)	16.56
(vi) अन्य	24.38	11.59	(9.58)	26.39
(बी) (आस्थगित कर देयताएं)				
(i) गैर-परिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(160.46)	30.59	-	(129.87)
(ii) ऋण देयताओं पर गैर-परिशोधित व्यय	(81.80)	(1.36)	-	(83.16)
(iii) अन्य	(0.03)	-	-	(0.03)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**3,996.76**	**177.11**	**(22.05)**	**4,151.82**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

38. इंड एएस 33 'प्रति शेयर अर्जन' के अनुसार स्पष्टीकरण

क्र.स.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
(क)	न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त अवधि के लिए लाभ (मूल एवं तनुकृत) (₹ करोड़ में)		
(i)	सतत परिचालनों से	11,605.47	10,021.90
(ii)	बंद परिचालनों से	-	-
(iii)	सतत और बंद परिचालनों से	11,605.47	10,021.90
(बी)	डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या(मूल एवं तनुकृत)	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
(सी)	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन(मूल एवं तनुकृत), अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक (₹ में)		
(i)	सतत परिचालनों के लिए	43.96	37.96
(ii)	बंद परिचालनों के लिए	-	-
(iii)	सतत और बंद परिचालनों के लिए	43.96	37.96

39. पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक पूंजी आधार बनाए रखती है जो कंपनी के जोखिम प्रोफाइल, विनियामक और व्यवसाय संबंधी जरूरतों को सहयोग देने के लिए पर्याप्त होता है। कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से निधि उपलब्ध करती है, और अन्य विषयों के साथ-साथ विविध निवेशक आधार और पूंजी का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करती है। ब्योरे के लिए निधि स्रोतों के संदर्भ के साथ टिप्पणी 17, 18 और 19 देखें तथा इक्विटी के संदर्भ के साथ विवरण के लिए इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण देखें।

जैसा कि आरबीआई के मास्टर निर्देश में निहित है - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा कंपनी और जमा कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016, समय-समय पर संशोधन के अनुसार (बाद में आरबीआई मास्टर निर्देश के रूप में संदर्भित), कंपनी को एक ऐसा पूंजी अनुपात बनाए रखने की जरूरत है जिसमें स्तर I और II की पूंजी निहित हो जो तुलन-पत्र में इसके समग्र जोखिम भारित परिसंपत्तियों और तुलन-पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15% से कम न हो। इनमें से स्तर I की पूंजी 10% से कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में निर्धारित पूंजी स्तर बनाए रखने पर नियमित रूप से नजर रखती है। इसके अलावा, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अन्य विषयों के अलावा वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) से जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन के दिशा-निर्देशों से भी बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयर की वापस खरीद इत्यादि मुद्दों पर मार्गदर्शन लेती है।

39.1 कंपनी के प्रमुख वित्तीय मानदंड इस प्रकार है:-

अनुपात	न्यूमरेटर*	डिनोमिनेटर*	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	% अंतर
जोखिम भारित परिसंपत्ति - कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	टीयर I + II पूंजी	जोखिम भारित परिसंपत्तियां	24.37%	23.48%	3.79 %
सीआरएआर - टीयर I पूंजी	टीयर I पूंजी	जोखिम भारित परिसंपत्तियां	21.61%	20.00%	
सीआरएआर - टीयर II पूंजी	टीयर II पूंजी	जोखिम भारित परिसंपत्तियां	2.76%	3.48%	
लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) (टिप्पणी 55.6 देखें)	कुल उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियां	कुल निवल नकदी बहिर्वाह	70.00%	60.00%	लागू नहीं

*लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार संगणित

39.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार, कंपनी ने टीयर II पूंजी के रूप में कोई अधीनस्थ ऋण और बेमियादी ऋण नहीं लिया है (वित्तीय वर्ष 2021-22 से पूर्व - शून्य)।

39.3 लाभांश वितरण नीति

कंपनी के पास सुस्पष्ट लाभांश वितरण नीति है। यह नीति भारत सरकार के दिशानिर्देशों, आरबीआई परिपत्र/दिशानिर्देश, भावी पूंजी व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से पूंजी उगाहने की लागत, नकदी प्रवाह स्थिति, तथा दिशानिर्देशों के अधीन और समय-समय पर लागू व्यवहार्य कर यदि हो, तक ही सीमित नहीं है बल्कि शामिल विभिन्न कारकों पर विचार करती है।

भारत सरकार के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) से जारी वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी को वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत स्वीकृत अधिकतम लाभांश के अधीन, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के रूप में कर बाद लाभ का 30% या कुल मूल्य के 5%, जो भी ज्यादा हो, का भुगतान करना जरूरी है। हांलाकि कंपनी इन दिशा निर्देशों के अनुरूप लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, लेकिन यह विभिन्न वित्तीय मानदंडों, जैसे निवल मूल्य, पूंजी व्यय/ व्यापार विस्तार आवश्यकताएं, कंपनी की सहायक कंपनियों/ सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश, अन्य नियामक अपेक्षाएं इत्यादि के विश्लेषण के बाद, कमतर लाभांश, एमओपी प्रस्तावित कर सकती है। वर्ष के दौरान दिए गए/अनुशंसित किये गए लाभांश के विवरण के लिए टिप्पणी 24.2 देखें।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

40. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी अपने परिचालन परिवेश में स्वाभाविक विभिन्न जोखिमों की आशंका के अधीन है। कंपनी का व्यवसाय विद्युत, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। कंपनी के व्यवसाय मॉडल में और वित्तीय साधनों के इसके उपयोग में आने वाले मुख्य जोखिमों में ऋण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम) शामिल है।

निम्न तालिका कंपनी के लिए आशंकित जोखिम स्रोतों तथा इनसे निपटने के प्रबंधों और वित्तीय विवरणियों में इनके प्रभावों को स्पष्ट करती हैः-

नोट	जोखिम	आशंका स्रोत	मापन	जोखिम प्रबंधन
40.1	ऋण जोखिम	ऋण, निवेश, नकदी और नकदी समतुल्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण	विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, सरकारी गारंटी सहित क्रेडिट कंसंट्रेशन सीमा और कोलेटरल
40.2	लिक्विडिटी जोखिम	ऋण प्रतिभूतियां, ऋण, अधीनस्थ देयताएं और अन्य वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह अनुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन और ऋण राशि सुविधा
40.3	बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम	मान्य वित्तीय देयता, भारतीय रुपए (आईएनआर) में निर्दिष्ट नहीं	संवेदनशीलता विश्लेषण	करेंसी जोखिम से बचने के लिए डेरिवेटिव अनुबंध
40.4	बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	विविध ब्याज दरों पर ऋण प्रतिभूतियां, ऋण राशियां, अधीनस्थ देयताएं और ऋण	ब्याज दर अंतराल विश्लेषण	विभिन्न ब्याज दर, डेरिवेटिव अनुबंध के साथ ब्याज दर स्वैप इत्यादि जैसे ऋण व्यवस्था समायोजन
40.5	बाजार जोखिम - कीमत जोखिम	उद्धृत इक्विटी लिखतों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	कार्यनीतिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए पोर्टफोलियो का विविधिकरण

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि जोखिमों पर सतर्कतापूर्वक नजर रखी जाए और कुशलता से इनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन उपाय मजबूत करने के लिए आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार कंपनी के पास एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) है जिसका दायित्व जोखिमों की पहचान, मापन और इन्हें कम करने के उपाय करना है। कंपनी के पास एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी है, जिसका मुख्य कार्य कंपनी की जोखिम प्रबंधन योजना की मॉनीटरिंग और समीक्षा करना तथा निदेशक मंडल से जोखिम प्रबंधन उपाय करने के लिए सिफारिशें करना है। सीआरओ जोखिम प्रबंधन समिति की सभी बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित अधिकारी होता है। उपर्युक्त सभी जोखिमों में से प्रत्येक की पहचान, मापन और प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन उपाय अर्थात कंपनी के उद्देश्य, नीतियां, और प्रक्रियाएं बाद के पैराग्राफ में दी गई हैं।

40.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम इस बात का जोखिम है वित्तीय उपकरण में शामिल द्वितीय पक्षकार अपना दायित्त्व पूरा करने में विफल रहकर कंपनी को वित्तीय हानि पंहुचाएगा। उन वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण जिनसे कंपनी को ऋण जोखिम की आशंका रहती हैः-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
कम ऋण जोखिम		
नकदी और नकदी समतुल्य[(क)]	22.14	720.91
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल बैंक शेष के अलावा अन्य बैंक शेष[(क)]	1,595.96	3,240.31
ऋण (मूलधन बकाया)[(ग)]	3,89,559.35	3,25,704.99
निवेश (इक्विटी निवेश को छोड़कर)[(क)]	1,011.32	265.93
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां[(ख)]	5,389.03	5,382.67
साधारण क्रेडिट जोखिम		
ऋण (मूलधन बकाया)[(ग)]	16,436.73	26,514.34
उच्च क्रेडिट जोखिम		
निवेश (इक्विटी निवेश को छोड़कर)[(क)]	72.95	72.95
ऋण (मूलधन बकाया)[(ग)]	16,501.65	20,915.28
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां[(ख)]	18.38	24.79

[(क)] नकदी और नकदी समतुल्य और अन्य बैंक शेष पर ऋण जोखिम सीमित है क्योंकि ये अनुसूचीबद्ध वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, ऊंची विश्वसनीयता के निजी क्षेत्र बैंकों और म्युचुअल फंड के साथ होते हैं, जो कंपनी की नीति में निर्धारित सूचीबद्धता अपेक्षाएं पूरी करते हैं। कंपनी ने संबंधित बैंक/म्युचुअल फंड के विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों में निधि लगाने की सीमा भी तय की है। अपने निवेशों के लिए कंपनी ऋण जोखिमों की आशंका का प्रबंधन इन निवेशों पर मॉनीटरिंग रखकर और वहनीय मूल्य तक पंहुचने के लिए समुचित मूल्यांकन तकनीक अपनाकर करती है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकरों की ऋण पात्रता की कंपनी की जानकारी पर आधारित होता है और इन राशियों की प्रतिलब्धता की मॉनीटरिंग द्वारा प्रबंधित होता है। कंपनी ने 31.03.2023 तक अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ₹18.38 करोड़ (31.03.2022 तक ₹24.79 करोड़) का क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता वहन किया।

(ग) कंपनी को प्राथमिक रूप से अपने ऋण संचालन से ऋण जोखिम की आशंका है। इसे नीचे के पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

40.1.1 ऋण प्रचालनों के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतियां और प्रक्रियाएं बनाई हैं, जिनमें क्रेडिट नीतियां तैयार करना, क्रेडिट जोखिम प्रकटीकरण के लिए कंपनी की आवश्यकता का मार्गदर्शन करना, क्रेडिट जोखिम की समीक्षा और उद्देश्य मूल्यांकन करना तथा पोर्टफोलियो के कार्य-निष्पादन और प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना शामिल है। कंपनी की सभी प्रक्रियाएं और विधियां आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन में दो प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात परियोजना आकलन और परियोजना मॉनीटरिंग। कंपनी इसकी अनुमोदित क्रेडिट नीति के अनुसार ऋणकर्ताओं का चयन करती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ ऋणकर्ता/परियोजना की रेटिंग के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को परिभाषित करती है। कंपनी की ग्राहक चयन प्रक्रिया अपनी प्रमोटर एंटिटी के साथ परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करती है। ब्याज दर और अधिकतम स्वीकार्य एक्सपोजर, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी द्वारा प्रदान की गई आंतरिक रेटिंग पर आधारित है।

(i) परियोजना आकलन

कंपनी किसी भी परियोजना के वित्तपोषण से पहले ऋण जोखिम के आकलन के लिए एक प्रणालीबद्ध, संस्थागत परियोजना आकलन प्रक्रिया अपनाती है।

(क) निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का आकलन

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दो स्तर की आकलन प्रक्रिया अपनायी जाती है। शुरू में एक आरंभिक आकलन किया जाता है, उस परियोजना की शुरूआती तैयारियों के बारे में निर्णय के लिए, जिसका विस्तृत आकलन किया जाना है। आरंभिक आकलन के आधार पर चुनी गई परियोजनाओं का ही विस्तृत आकलन किया जाता है।

परियोजना की व्यावहारिकता के आकलन के साथ कंपनी अपने प्रमोटरों की इक्विटी अंशदान और परियोजना पूरी करने की पात्रता का भी आकलन करती है। कंपनी एकीकृत रेटिंग विधि अपनाती है जिसमें परियोजना ग्रेडिंग और प्रमोटर ग्रेडिंग के औसत अंकों के आधार पर एकीकृत रेटिंग (आईआर) की संगणना की जाती है। परियोजना की आईआर के आधार पर निबंधन एवं शर्तें (सुरक्षा पैकेज, ब्याज दर और ऋण-इक्विटी अनुपात सहित) निर्धारित की जाती हैं।

(ख) राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं का आकलन

राज्य क्षेत्र की परियोजनाओ का विस्तृत आकलन किया जाता है, यह निर्धारित करने के लिए क्या वे प्रौद्योगिकी और वित्त सक्षम तथा राज्य की एकीकृत विद्युत विकास और विस्तार योजनाओं के अनुकूल हैं।

कंपनी राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनियों को, उनके संचालनगत और वित्तीय कार्य-निष्पादन सहित विशिष्ट मानदंडो पर कार्य-निष्पादन के आधार पर विभिन्न जोखिम रेटिंग ग्रेड में वर्गीकृत करती है। पारेषण कंपनियों के संदर्भ में कंपनी अपनी नीति के अनुरूप सहायक कंपनी आरईसीएल का श्रेणीकरण अपनाती है। एकीकृत कंपनियों सहित राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के संदर्भ में कंपनी की श्रेणीकरण नीति विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान इस प्रकार की रेटिंग/ग्रेडिंग को कंपनी की रेटिंग संरचना से जोड़कर करती है।

इस प्रकार की श्रेणियों/रेटिंग का उपयोग ऋण जोखिम सीमा, सुरक्षा आवश्यकताएं और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है। कंपनी के पास एकल ऋणकर्ता को जोखिमों की मॉनीटरिंग के लिए प्रभावी तंत्र भी है।

विस्तृत परियोजना आकलन में परियोजना इनपुट, सांविधिक और असांविधिक मंजूरी, अनुबंध, परियोजना संपर्क, वित्तीय रूपरेखा/अनुमान, रिटर्न की गणना, जोखिम विश्लेषण सहित तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन शामिल है।

उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण के बाद परियोजना और कंपनी की समग्र व्यावहार्यता का आकलन किया जाता है तथा पूर्व-प्रतिबद्धता, पूर्व-संवितरण और अन्य स्थितियों का निर्धारण किया जाता है ताकि निधियों (ऋण और इक्विटी दोनों) को संबंद्ध करना, सभी भौतिक इनपुट, सभी अनुबंधों के औचित्य, परियोजना से संबंधित समझौतों/ अनुबंधों/ सांविधिक और असांविधिक मंजूरियों में पूर्व निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। सामान्य रूप से परियोजना की विश्वसनीयता तथा ऋणदाता के रूप में कंपनी का हित सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी में ऋण आकार के अनुरूप ऋण सुविधाओं की मंजूरी के लिए प्राधिकृत/प्रतिनिधिक तंत्र है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) प्रतिभूति और प्रसंविदाएं

कंपनी परियोजना के विनिर्माण के दौरान और वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) स्तर के बाद जोखिमों में कमी के लिए सुरक्षा उपायों/संविदाओं का पैकेज निर्धारित करती है। परियोजना की जोखिम सीमा और आकलन के आधार पर कंपनी निम्नलिखित उपाय अपनाती है:-

(क) प्राथमिक प्रतिभूति - परियोजना परिसंपत्तियों या राज्य सरकार की गारंटियों पर प्रभार

(ख) कोलेटरल प्रतिभूतियां - कॉर्पोरेट गारंटी, प्रमोटर्स की व्यक्तिगत गारंटी, परिसंपत्तियों पर प्रभार/ ग्रुप/ अन्य कंपनियों का राजस्व

(ग) भुगतान सुरक्षा तंत्र -एस्क्रौ खाता/क्रेडिट लेटर, ट्रस्ट और रिटेंशन खाता (टीआरए)

(घ) अन्य प्रसंविदाएं - समस्त परियोजना अनुबंधों, दस्तावेजों, कंपनी के पक्ष में बीमा पॉलिसियों, अपफ्रंट इक्विटी आवश्यकता, ऋण सर्विस रिजर्व अकाउंट (डीएसआरए), ऋण इक्विटी अनुपात, शेयरधारक करार, वित्तीय समापन इत्यादि का कार्य

(iii) परियोजना मॉनीटरिंग

कंपनी के पास व्यापक परियोजना/ऋण मॉनीटरिंग दिशा-निर्देश है जो मॉनीटरिंग, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन पर नजर रखने, जोखिमों की पहचान करने जहां समय/ लागत आधिक्य/ संवितरण में आने वाली त्रुटियों को कम करने के लिए हस्तक्षेप जरूरी हो और लागू परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित पक्षकारों को कवर करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की मॉनीटरिंग ऋणकर्ताओं से, प्रगति मॉनीटरिंग रिपोर्ट, स्थल दौरा, ऋणकर्ताओं से विचार-विमर्श, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीइए) की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना/ रिपोर्ट के माध्यम से नियमित रूप से प्राप्त परियोजना के प्रगति विवरण के आधार पर की जाती है।

निजी क्षेत्र के लिए, जहां कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान है, वह ऋणदाताओं के अभियंताओं (एलई) और वित्तीय सलाहकारों (एलएफए) की सेवाएं लेती है, जो विभिन्न ऋणदाताओं/सहायता संघ के सदस्यों की ओर से काम करने वाली स्वतंत्र एजेंसियां हैं। एलई समय-समय पर स्थल दौरा करते हैं, संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं, ऋणकर्ताओं से विचार विमर्श करते हैं और परियोजना की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। एलएफए निधि प्रवाह और परियोजना में निधि के उपयोग का विवरण सौंपते हैं। कंपनी के अग्रणी वित्तीय संस्थान नहीं होने की स्थिति में, एलई और एलएफए की सेवाओं से संबंधित कार्य संबंधित प्रमुख ऋणदाता के साथ समन्वित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से कंपनी ने निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को, एकल कंपनी के रूप में, सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है और इस प्रकार परियोजना मॉनीटरिंग गतिविधियों में बेहतर समन्वय स्थापित किया है।

कुछ परियोजनाओं की समेकित आवधिक प्रगति रिपोर्ट महत्त्वपूर्ण पर्यवेक्षण/मुद्दों को शामिल कर तैयार की जाती है, जैसे सरोकार क्षेत्र, विलंब की वजह, परियोजना के निर्माण/कार्यान्वयन पर असर डालने वाले मुद्दे इत्यादि और कंपनी द्वारा नियमित आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है।

कंपनी विलंब और/या ऋणकर्ताओं की चूक और उनकी वसूली देयता पर लगातार नजर रखती है। ऋणकर्ताओं के खाते में चूक या बकाया होने पर कंपनी आवश्यक कदम उठाती है, लेकिन केवल इनतक ही सीमित नहीं रहती, इन कदमों में आरबीआई को विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े ऋणों पर केंद्रीय सूचना संग्रह (सीआरआईएलसी) इत्यादि को रिपोर्टिंग, सभी बकायों की वसूली से खाते का नियमन, बकाया वसूली के लिए गारंटी/प्रतिभूति रद्द करना, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में बदलना, ऋण खाते का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तय करना, स्वामित्व में परिवर्तन, आईबीसी-2016 के अनुसार कॉर्पोरेट ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी), अन्य कंपनियों/निवेशकों को ऋण जोखिम की बिक्री, अन्य वसूली तंत्र अपनाना जैसे मामले को ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), एसएआरएफएईएसआई इत्यादि को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपना तथा विनियामक/कानूनी फ्रेमवर्क के तहत निर्दिष्ट अन्य कार्रवाई।

40.1.2 ऋण जोखिम मापन - ऋण प्रचालनों के लिए क्षतिग्रस्तता मूल्यांकन

i. ऋण को चरणबद्ध करना

इंड एएस 109 ऋण जोखिम में बदलाव के आधार पर क्षतिग्रस्तता मापन के लिए तीन चरणों का मॉडल तय करती है। विभिन्न चरणों में अपने ऋणकर्ताओं के वर्गीकरण के लिए कंपनी निम्नलिखित आधार अपनाती है:

- वित्तीय परिसंपत्ति जो आरंभिक मान्यता पर ऋण क्षतिग्रस्त नहीं है 'चरण 1' में वर्गीकृत की जाती है।
- यदि ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) होती है तो वित्तीय परिसंपत्ति को 'चरण 2' में रख दिया जाता है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय परिसंपत्तियों के शेष जीवन पर बकाया चूक के जोखिम में बदलाव पर विचार करते हुए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन किया जाता है कि क्या ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इंड एएस 109 'वित्तीय उपकरण' के अनुसार कंपनी ने खंडन योग्य अनुमान अपनाया है जो ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के निर्धारण के लिए 30 दिन से अधिक के बकाया को मापदंड मानता है।

- यदि वित्तीय परिसंपत्ति ऋण क्षतिग्रस्त है तो इसे 'चरण 3' श्रेणी में रख दिया जाता है।

'चरण 3' वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में समाधान योजना लागू किए जाने के बाद (स्वामित्व में परिवर्तन और/या एनसीएलटी द्वारा समाधान को छोड़कर), वित्तीय परिसंपत्ति अपग्रेड की जाती है और समाधान योजना लागू होने की तिथि से दो तिमाहियों के लिए 'चरण 2' के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ii. डिफॉल्ट

इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को डिफॉल्ट में रखने के लिए खंडन योग्य अनुमान पर विचार करती है, अर्थात जब ऋण खाते में अनुबंधगत भुगतान में 90 दिन से अधिक का बकाया हो जाता है। ऋण क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियां डिफॉल्ट की परिभाषा में आती हैं।

iii. अनुमानित क्रेडिट हानि (इसीएल)का मापन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते को बोर्ड से अनुमोदित अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) नीति के अनुसार मान्य करती है। ईसीएल का मापन या तो 12 महीने या जीवन काल के आधार पर किया जाता है, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है या नहीं। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) और डिफॉल्ट पर एक्सपोजर(ईएडी) का प्रतिफल है। कंपनी ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार ईसीएल के आकलन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र एजेंसी, क्रिसिल लिमिटेड को नियुक्त किया है। ईसीएल की संगणना की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है:-

(क) डिफॉल्ट की संभावना (पीडी)

पीडी एक दिए गए समय विस्तार में डिफॉल्ट की संभावना का अनुमान है। इसका अनुमान एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है। 12 महीने के पीडी के आकलन के लिए, अगले 12 महीने में ऋण नहीं चुका पाने की संभावना का निर्धारण किया जाता है और इसी प्रकार जीवन पर्यंत के पीडी के आकलन के लिए, शेष जीवन काल में ऋण नहीं चुका पाने की संभावना निर्धारित की जाती है।

चरण 1 के खातों के लिए, 12 महीनों का पीडी प्रयुक्त होता है।

चरण 2 (ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि) के खातों के लिए जीवन काल पर पीडी का प्रयोग होता है।

चरण 3 (ऋण क्षतिग्रस्त खाते) के लिए 100% पीडी लिया जाता है।

12 महीनों का पीडी: सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, पीडी की गणना के लिए, कंपनियों के जोखिम रेटिंग ग्रेड पर विचार किया जाता है। विद्युत उत्पादन कंपनियां/ पारेषण कंपनियां/ अन्य के लिए पीएफसी ने एमओपी रेटिंग अपनायी है। उपर्युक्त के अनुसार रेटिंग का मापन मानक बाह्य रेटिंग बेंचमार्क के साथ किया गया है। पीडी गणना के लिए विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी पीडी बदलाव मैट्रिक्स में दिए गए मापित बाह्य रेटिंग के साथ जुड़े पीडी फैक्टर का उपयोग किया गया है।

निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, पीडी गणना के लिए विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियो द्वारा जारी पीडी बदलाव मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए रेटिंग एजेंसियों से जारी नवीनतम बाह्य रेटिंग निर्दिष्ट की गई है। यदि बाह्य रेटिंग उपलब्ध नहीं है तो पीडी की गणना 10 बिंदु के पैमाने पर प्रॉक्सी रिस्क स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से की गई है, जिसमे बिंदु 1 न्यूनतम जोखिम और बिंदु 10 अधिकतम जोखिम का संकेत देता है। यह मॉडल अंतिम जोखिम स्कोर तक पंहुचने के लिए मात्रात्मक वित्तीय अनुपात का उपयोग करता है जैसे ऋण/इक्विटी लाभ, निवेशित पूंजी पर रिटर्न, ब्याज कवरेज अनुपात और गुणात्मक कारक जैसे पीएलएफ, एसीएस/ एआरआर अनुपात या एलएएफ। प्राप्त वित्तीय जोखिम स्कोर को बाह्य रेटिंग बेंचमार्क पर मापा गया है। रेटिंग के साथ जुड़े पीडी की गणना के लिए विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी पीडी बदलाव मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए मापित रेटिंग निर्दिष्ट की गई है।

आजीवन पीडी के लिए: रेटिंग ग्रेड के आजीवन पीडी की गणना के लिए मार्कोव चेन मॉडल का उपयोग किया गया है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी)

एलजीडी वह हानि फैक्टर है जिसका सामना कंपनी को बकाया भुगतान में चूक पर करना पड़ सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी विभिन्न मापदंडों पर राज्यों की ऋण पात्रता पर विचार कर सकती है जैसे राज्य सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति, वित्तीय घाटा/जीडीपी अनुपात और ऊर्जा क्षेत्र पर राजस्व व्यय भाग इत्यादि का उपयोग महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में किया जा सकता है। राज्य की कंपनियों को श्रेणी के आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणी में बांटा जा सकता है। निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, एलजीडी का आकलन, संयंत्र के मान्य मूल्य तक पंहुचने के लिए परियोजना से जुड़े कारकों पर विचार करके किया गया है जैसे उत्पादन क्षमता, प्रति मेगावाट परियोजना लागत, संयंत्र का कार्य संपादन प्रतिशत और परिसंपत्तियों का दर्ज मूल्य इत्यादि। मान्य मूल्य के निर्धारण के लिए हेयर कट के रूप में दबाव कारक भी लागू किया गया।

चरण 3 के ऋणकर्ताओं के लिए, एलजीडी का आकलन बोली मूल्य/ समाधान योजना राशि, ओटीएस राशि/ कोई अन्य मूल्य/ रियायती नकदी प्रवाह इत्यादि, जो भी लागू हो, के आधार पर परियोजना-वार किया गया है।

(ग) डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी)

बकाया भुगतान में चूक के प्रति संवेदनशीलता ईसीएल की संगणना के लिए एक प्रमुख आधार है। ईएडी में ऋण के संदर्भ में बकाया मूल और प्रोद्भूत ब्याज (विलंबित प्रभार सहित) शामिल होता है। टिप्पणी 6.1 (ii) के अनुसार क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति पर आय प्राप्त होने पर मान्य की जाती है या प्रोद्भूत आधार पर, जब अनुमानित प्राप्ति बकाया ऋण राशि से अधिक हो, इसलिए इसका उपयोग डिफॉल्ट पर एक्सपोजर की संगणना के लिए नहीं किया जाता।

(घ) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान

- कंपनी आरंभिक मान्यता की तिथि को आधार तिथि मानती है जिससे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।
- चूंकि कंपनी के पास अपने किसी भी ऋणकर्ता के लिए किसी स्वीकृत किंतु गैर-आहरित सीमा को रद्द करने का अधिकार है, इसलिए ईएडी रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया शेष और ऋण के ब्याज पर माना जाता है।

(ङ) जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का आकलन और ईसीएल की गणना दोनों आगे की जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा ईसीएल के आकलन में कंपनी को सहयोग करने के लिए नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी भी, परियोजना के विभिन्न संचालनगत मापदंडों, वित्तीय अनुपातों, परियोजना पूरी होने का विस्तार तथा दबावग्रस्त और अनुकूल आर्थिक स्थितियों की संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऋणकर्ता पर डाले जाने वाले क्षतिग्रस्तता भत्ते के लिए, भविष्य के बारे में सूचनाओं पर विचार करती है। इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसी ने ईसीएल संगणना के लिए किसी भारित शॉक फैक्टर तक पंहुचने के लिए आधारभूत पीडी संरचना में विद्युत की मांग, जीडीपी वृद्धि, बेची जाने वाली विद्युत का मासिक औसत मूल्य और चालू खाता जैसे कुछ अतिरिक्त व्यापक आर्थिक मापदंड भी जोड़े हैं ताकि कंपनियों का सही जोखिम आकलन दर्शाया जा सके।

40.1.3 ऋण प्रचालनों के लिए क्रेडिट जोखिम विश्लेषण

(i) क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

तुलन-पत्र में मान्य ऋणों के लिए, ऋण जोखिम के प्रति सकल एक्सपोजर उनकी वहनीय राशि को बराबर कर देती है। ऋणों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के प्रति कंपनी की एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 10-'ऋण' देखें।

जारी वित्तीय गारंटी के लिए, क्रेडिट जोखिम के प्रति अधिकतम एक्सपोजर, वह अधिकतम राशि है जिसका भुगतान गारंटी मांगी जाने पर कंपनी को करना होगा। बदली न जाने योग्य ऋण प्रतिबद्धताओं के लिए, क्रेडिट जोखिम के प्रति सर्वाधिक एक्सपोजर प्रतिबद्धता की पूरी राशि है। गारंटी और बकाया संवितरण प्रतिबद्धताओं के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 46 देखें।

ऋण की गुणवत्ता और बकाया दिनों और वर्ष तथा ऋणों के चरण वर्गीकरण के आधार पर क्रेडिट जोखिम के प्रति अधिकतम एक्सपोजर (मूलधन बकाया) नीचे तालिका में स्पष्ट की गई हैः

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

बकाया दिन	31.03.2023 तक				31.03.2022 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
बकाया नहीं	3,89,559.28	674.51#	-	3,90,233.79	3,20,384.30	594.09 *	-	3,20,978.39
1-30 दिन	0.07		-	0.07	5,320.69	-	-	5,320.69
31-60 दिन	-	-	-	-	-	2,190.12	-	2,190.12
61-60 दिन	-	15,111.71	-	15,111.70	-	21,477.77	-	21,477.77
90 से अधिक	-	650.51@	16,501.65	17,152.16	-	2,252.36@	20,915.28	23,167.64
कुल	**3,89,559.35**	**16,436.73**	**16,501.65**	**4,22,497.73**	**3,25,704.99**	**26,514.34**	**20,915.28**	**3,73,134.61**

स्वामित्व का लंबित हस्तांतरण, खाता चरण 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

*चूंकि ऋणकर्ता अन्य ऋणों में चरण 2 में है, इसलिए ये ऋण भी (जो अन्यथा श्रेणी 1 में रखे जाते) चरण 2 में श्रेणीकृत किए गए हैं।

@टिप्पणी 40.1.6 देखें।

(ii) क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण

ऋण संकेंद्रण जोखिम का तात्पर्य एकल कंपनी या कंपनी समूह से, उसके स्वामित्व, सेक्टर, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर जुड़े बड़े पैमाने पर ऋण/निवेश एक्सपोजर से है, जो अनुबंधगत दायित्व पूरे करने की उनकी क्षमता पर आर्थिक या अन्य स्थितियों में बदलावों के कारण असर डाल सकते हैं, साथ ही ऋणदाता के मूल परिचालन को भी प्रतिकूलता से प्रभावित कर सकते हैं।

निम्नलिखित तालिका समान जोखिम कारणों के आधार पर समग्र ऋण पोर्टफोलियो की जोखिम सघनता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य क्षेत्र को ऋण (राज्य और/केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियां)	3,49,765.78	2,551.42	3,14,004.35	1,525.46
निजी क्षेत्र को ऋण	72,731.95	13,524.18	59,130.26	15,823.06
कुल	**4,22,497.73**	**16,075.60**	**3,73,134.61**	**17,348.52**

*चुकौती आश्वासन-पत्र और ₹50.93 करोड़ (31.03.2022 तक ₹77.21 करोड़) की गारंटी पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते सहित

राज्य क्षेत्र को ऋण का अच्छी तरह विविधीकरण होता है क्योंकि यह विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के नियंत्रण में विभिन्न कंपनियों को दिए जाते हैं। राज्य क्षेत्र में कम एक्सपोजर/हानि के अनुभवों तथा कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी मिलने के आधार पर कंपनी मानती है कि इन ऋणों में क्रेडिट जोखिम, निजी क्षेत्र को दी गई ऋण की तुलना में बहुत ही कम है। इन परियोजनाओं में सरकारी ब्याज भी कम होने के कारण बकाया की वसूली नहीं हो पाने का जोखिम कम हो जाता है।

कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो में उत्पादन, नवीकरणीय, पारेषण, वितरण, विद्युत परियोजनाओं और विविध भौगोलिक क्षेत्रों में अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है।

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*
योजनाओं द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,74,660.92	11,219.39	1,75,434.21	12,318.35
नवीकरणीय	48,197.75	3,120.12	36,777.49	2,833.98
पारेषण	30,841.01	152.35	30,499.70	1,298.11
वितरण	1,55,871.68	1,484.10	1,28,006.79	892.46
अन्य	12,926.37	99.64	2,416.42	5.62
कुल	**4,22,497.73**	**16,075.60**	**3,73,134.61**	**17,348.52**

* ₹50.93 करोड़ (31.03.2022 तक ₹77.21 करोड़) के चुकौती आश्वासन पत्र और गारंटी पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते सहित।

लागू क्रेडिट संकेंद्रण मानदंडों के अनुरूप विभिन्न परियोजनाओं और ऋणकर्ताओं के प्रति कंपनी के जोखिम की लगातार मॉनीटरिंग की जाती है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(iii) ऋणों और एक्सपोजर के संकेंद्रण संबंधी विवरण

(क) अग्रिमों का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बीस बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण (मूलधन बकाया) (₹ करोड़ में)	2,57,648.80	2,39,932.52
कंपनी के कुल ऋणों में बीस बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋण का प्रतिशत	60.98%	64.30%

(ख) क्रेडिट क्षतिग्रस्त खातों का संकेंद्रण (चरण 3 खाते)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
चरण 3 खाते के शीर्ष चार खातों में मूलधन बकाया	10,296.14	10,939.56

(IV) चरणवार मूलधन बकाया और क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता कवरेज (%)	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता कवरेज (%)
चरण 1	3,89,559.35	2,893.68	0.74	3,25,704.99	2,058.82	0.63
चरण 2	16,436.73	1,182.54	7.19	26,514.34	945.32	3.57
चरण 3	16,501.65	11,999.38	72.72	20,915.28	14,344.38	68.58
कुल	**4,22,497.73**	**16,075.60**	**3.80**	**3,73,134.61**	**17,348.52**	**4.65**

* ₹50.93 करोड़ (31.03.2022 तक ₹77.21 करोड़) के चुकौती आश्वासन पत्र और गारंटी पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते सहित।

(v) निम्नलिखित तालिकाएं रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत के बीच ऋण और संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते (चुकौती आश्वासन पत्र और गारंटी पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते सहित) में परिवर्तन की व्याख्या करती हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2022-23	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
विवरण	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता
प्रारंभिक शेष	3,25,704.99	2,058.82	26,514.34	945.32	20,915.28	14,344.38	3,73,134.61	17,348.52
चरण 1 में स्थानांतरण	9,221.57	348.13	(9,221.56)	(348.13)	-	-	-	-
चरण 2 में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
चरण 3 में स्थानांतरण	(24.64)	(2.52)	(13.67)	(3.36)	38.31	5.88	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/इसीएल में निवल परिवर्तन	(8,952.62)	368.70	(708.96)	588.78	(55.53)	345.34	(9,717.11)	1,302.82
नई सृजित वित्तीय परिसंपत्तियां	67,807.42	400.68	-	-	-	-	67,807.42	400.68
अमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (ऋण पुनःभुगतान/पूर्व-भुगतान)	(4,197.36)	(280.12)	(133.42)	(0.08)	(2,916.51)	(1,512.61)	(7,247.30)	(1,792.81)
अमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (बट्टे खाते में)	-	-	-	-	(901.25)	(901.25)	(901.25)	(901.25)
वर्ष के दौरान अमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्त निवेश)	-	-	-	-	(578.64)	(282.36)	(578.64)	(282.36)
अंतिम शेष	**3,89,559.35**	**2,893.68**	**16,436.73**	**1,182.54**	**16,501.65**	**11,999.38**	**4,22,497.73**	**16,075.60**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2021-22	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
विवरण	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	मूलधन बकाया	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता
प्रारंभिक शेष	3,02,100.27	1,236.19	47,520.56	1,945.24	21,150.16	13,416.36	3,70,770.99	16,597.79
चरण 1 में स्थानांतरण	19,077.60	1,115.88	(17,707.20)	(374.52)	(1,370.40)	(741.36)	-	-
चरण 2 में स्थानांतरण	(812.08)	(3.96)	828.71	8.05	(16.63)	(4.09)	-	-
चरण 3 में स्थानांतरण	(1,140.42)	(114.62)	(1,120.58)	(852.23)	2,261.00	966.86	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/इसीएल में निवल परिवर्तन	13,582.41	445.65	(1,394.27)	222.87	5.91	1,242.94	12,194.04	1,911.47
नई सृजित वित्तीय परिसंपत्तियां	13,967.24	120.77	80.00	0.07	-	-	14,047.24	120.84
अमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (ऋण पुन:भुगतान/पूर्व-भुगतान)	(21,070.03)	(741.09)	(1,230.23)	543.77	(181.28)	334.89	(22,481.54)	137.57
अमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (बट्टे खाते में)	-	-	(462.65)	(547.93)	(933.48)	(871.22)	(1,396.13)	(1,419.15)
अंतिम शेष	**3,25,704.99**	**2,058.82**	**26,514.34**	**945.32**	**20,915.28**	**14,344.38**	**3,73,134.61**	**17,348.52**

(vi) क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों (चरण 3 खाते) का संचालन:

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	कुल ऋणों की तुलना में निवल ऋण क्षतिग्रस्त खाते (%)	1.07	1.76
(ii)	निवल ऋणों की तुलना में निवल ऋण क्षतिग्रस्त खाते (%)	1.10	1.83
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
(iii)	कुल ऋण क्षतिग्रस्त खातों का संचलन		
	(क) प्रारंभिक शेष	20,915.28	21,150.16
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	45.78	1,486.68
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	(4,459.42)	(1,721.56)
	(घ) अंतिम शेष	16,501.65	20,915.28
(iv)	निवल ऋण क्षतिग्रस्त खातों का संचलन		
	(क) प्रारंभिक शेष	6,570.90	7,733.80
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	28.13	809.71
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	(2096.76)	(1,972.61)
	(घ) अंतिम शेष	4,502.27	6,570.90
(v)	ऋण क्षतिग्रस्त खातों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का संचलन		
	(क) प्रारंभिक शेष	14,344.38	13,416.36
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	425.99	1,913.99
	(ग) आधिक्य प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/राइट बैक करना	(2770.99)	(985.97)
	(घ) अंतिम शेष	11,999.38	14,344.38

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(vii) सकल ऋण की तुलना में सकल क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों (चरण 3) का प्रतिशत - क्षेत्र-वार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
विद्युत, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तपोषण	3.91%	5.61%

40.1.4 ऋण परिसंपत्तियों को बट्टे खाते डालना

कंपनी अपनी राइट ऑफ नीति के तहत ऋण परिसंपत्तियों को समग्रता में या आंशिक रूप से तब बट्टे खाते में डालती है, जब उनसे वापसी की कोई तर्कसंगत आशा नहीं रह जाती। वसूली की कोई आशा नहीं रह जाने के संकेतकों में शामिल हैं - कार्यान्वयन गतिविधि बंद हो जाना, या जहां कंपनी की वसूली विधि कोलेटरल पर बंद होती हो और कोलेटरल का मूल्य ऐसा हो जिससे पूर्ण वसूली की कोई ठोस उम्मीद न हो। ऋण माफी/ बट्टेखाते डाला जाना पुनर्गठन/ समायोजन/ समाधान प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किया जाता है।

40.1.5 परिशोधित लागत व्यवसाय मॉडल पोर्टफोलियो के लिए विक्रय नीति

कंपनी सामान्य व्यवसाय क्रम में वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर निर्भर नहीं रहती। लेकिन कंपनी की एक अनुमोदित नीति है कि यह दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान या तो पुनर्गठन, या स्वामित्व में परिवर्तन या समायोजन या किसी अन्य ढंग से करती है। इसके बाद अमान्यीकरण के लिए परिसंपत्तियों का आकलन इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार किया जाता है।

40.1.6 उन खातों को बंद करने के संदर्भ में जिनमें 90 दिन से अधिक का बकाया है लेकिन जिन्हें ऋण क्षतिग्रस्त नहीं माना गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
ऋणकर्ताओं की संख्या	1	4
बकाया ऋण राशि (₹ करोड़ में)	650.51	2,252.36
अतिदेय राशि* (₹ करोड़ में)	160.91	188.18
क्षतिग्रस्त हानि भत्ता राशि (₹ करोड़ में)	422.68	815.87

* 31.03.2023 तक बकाया ब्याज छोड़कर ₹ 186.06 करोड़ (31.03.2022 तक ₹ 242.87 करोड़)

माननीय उच्च न्यायालय(ओं) के अंतरिम आदेश के अनुसार इन ऋणकर्ताओं के खाते ऋण क्षतिग्रस्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। कंपनी के पास इन ऋण खातों के संदर्भ में पर्याप्त क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता है और इन्हें चरण 2 में रखा गया है। इन ऋण खातों पर ब्याज आय भी प्रोद्भूत आधार पर मान्य नहीं की गई है क्योंकि ये ऋण 90 दिन से अधिक समय से देय हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

40.1.7 भारतीय रिज़र्व बैंक के आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अनुसार अपेक्षित प्रावधान का विवरण और इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार हानि भत्ते का विवरण

31.03.2023 तक

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानकों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहनीय राशि	इंड एएस 109 के तहत अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वहनीय राशि	आईआरएसीपी मानकों के तहत अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानकों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्तियां						
मानक	चरण 1	3,89,880.43	2,542.86	3,87,337.57	2,062.73	480.13
	चरण 2	16,956.30	1,182.54	15,773.76	390.50	792.04
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-कुल		**4,06,836.73**	**3,725.40**	**4,03,111.33**	**2,453.23**	**1,272.16**
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 1	453.88	1.82	452.06	45.30	(43.48)
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	37.04	16.38	20.66	3.70	12.68
अवमानक के लिए उप-कुल		**490.92**	**18.20**	**472.72**	**49.01**	**(30.80)**
संदिग्ध – एक वर्ष तक	चरण 1	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 1	79.76	0.04	79.72	23.43	(23.39)
3 वर्ष से अधिक	चरण 1	2,981.80	298.03	2,683.77	1,462.20	(1,164.17)
संदिग्ध – एक वर्ष तक	चरण 3	1,142.64	572.64	570.00	256.41	316.23
1 से 3 वर्ष	चरण 3	170.10	133.51	36.59	89.70	43.80
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,066.17	8,191.15	3,875.02	8,329.22	(138.07)
संदिग्ध के लिए उप-कुल		**16,440.46**	**9,195.37**	**7,245.10**	**10,160.96**	**(965.59)**
हानि	चरण 3	3,085.70	3,085.70	-	3,085.70	-
एनपीए के लिए उप-कुल		**20,017.09**	**12,299.27**	**7,717.82**	**13,295.66**	**(996.40)**
अन्य मदें (जिनके एक्सपोजर आकस्मिक देयता अंश निर्मित करती है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं इत्यादि, जो इंड एएस के कार्यक्षेत्र में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानकों के तहत नहीं हैं)	चरण 1	-	50.93	(50.93)	-	50.93
	चरण 2					
	चरण 3					
उप-कुल			**50.93**	**(50.93)**	**-**	**50.93**
कुल	**चरण 1**	**3,93,395.86**	**2,893.68**	**3,90,502.18**	**3,593.67**	**(699.98)**
	चरण 2	**16,956.30**	**1,182.54**	**15,773.76**	**390.50**	**792.04**
	चरण 3	**16,501.65**	**11,999.38**	**4,502.27**	**11,764.73**	**234.65**
	कुल	**4,26,853.81**	**16,075.60**	**4,10,778.22**	**15,748.90**	**326.70**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2022 तक

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानकों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहनीय राशि	इंड एएस 109 के तहत अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वहनीय राशि	आईआरएसीपी मानकों के तहत अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानकों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्तियां						
मानक	चरण 1	3,26,133.66	1,676.69	3,24,456.96	1,331.16	345.54
	चरण 2	27,458.63	944.20	26,514.44	637.72	306.48
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-कुल		**3,53,592.29**	**2,620.89**	**3,50,971.40**	**1,968.88**	**652.01**
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 1	296.48	1.33	295.15	29.62	(28.29)
	चरण 2	151.37	1.12	150.25	14.83	(13.70)
	चरण 3	1,142.64	332.93	809.71	114.26	218.66
अवमानक उप-कुल		**1,590.49**	**335.38**	**1,255.11**	**158.71**	**176.68**
संदिग्ध - एक वर्ष तक	चरण 1	32.80	0.01	32.78	6.44	(6.42)
1 से 3 वर्ष	चरण 1	107.00	0.10	106.91	31.40	(31.30)
3 वर्ष से अधिक	चरण 1	3,105.80	310.93	2,794.87	1,522.95	(1,212.02)
संदिग्ध - एक वर्ष तक	चरण 3	170.10	133.43	36.67	78.22	55.21
1 से 3 वर्ष	चरण 3	3,743.76	1,770.31	1,973.45	1,189.36	580.95
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,779.39	9,181.94	3,597.46	9,120.21	61.73
संदिग्ध के लिए उप-कुल		**19,938.85**	**11,396.72**	**8,542.14**	**11,948.57**	**(551.85)**
हानि	चरण 3	3,079.39	2,918.31	161.08	3,079.39	(161.08)
एनपीए के लिए उप-कुल		**24,608.74**	**14,650.41**	**9,958.33**	**15,186.66**	**(536.25)**
अन्य मदें (जिनके एक्सपोजर आकस्मिक देयता अंश निर्मित करती है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं इत्यादि, जो इंड एएस के कार्यक्षेत्र में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानकों के तहत नहीं हैं)	चरण 1	-	69.75	(69.75)	-	69.75
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	7.47	(7.47)	-	7.47
उप-कुल		**-**	**77.21**	**(77.21)**	**-**	**77.21**
कुल	**चरण 1**	**3,29,675.75**	**2,058.82**	**3,27,616.93**	**2,921.55**	**(862.74)**
	चरण 2	**27,610.01**	**945.32**	**26,664.69**	**652.55**	**292.77**
	चरण 3	**20,915.28**	**14,344.38**	**6,570.90**	**13,581.44**	**762.95**
	कुल	**3,78,201.04**	**17,348.52**	**3,60,852.51**	**17,155.54**	**192.98**

40.1.8 आरबीआई के मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार एनपीए अनुपात, उन ऋणों पर विधिवत विचार करते हुए, जिन्हें अन्यथा आरबीआई मानदंड अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना जरूरी होता:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सकल एनपीए से सकल ऋण	4.72%	6.58%
निवल एनपीए से निवल ऋण	1.87%	2.76%

40.2 लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी के पास, बकाया चुकाने की जरूरत के समय अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। यह जोखिम नकदी प्रवाहों के समय में अंतर और असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है जो समस्त वित्तीय परिचालनों में निहित हैं और जिन पर कंपनी विषयक और बाजार की व्यापक गतिविधियों का प्रभाव पड़ सकता है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

लिक्विडिटी जोखिम के प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए कंपनी पर्याप्त नकदी प्रवाह बनाए रखने का प्रयास करती है ताकि बिना कोई हानि उठाए या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पंहुचाने का जोखिम लिए बिना परिपक्वता संबंधी देयताएं पूरी की जा सकें। इसके अतिरिक्त कंपनी विभिन्न वित्तीय स्रोतों के माध्यम से संसाधन जुटाकर विविध निधि बनाए रखने का भी प्रयास करती है। कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति की पर्याप्तता का निर्धारण मौजूदा लिक्विडिटी स्थिति, भविष्य की संभावित वित्तीय जरूरतें, वर्तमान और भावी अर्जन क्षमता और उपलब्ध वित्तीय स्रोतों के आधार पर किया जाता है।

कंपनी अपनी दिन प्रतिदिन की लिक्वडिटी बनाए रखने का प्रबंध करती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरत पड़ते ही वित्तीय दायित्व पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्वडिटी उपलब्ध रहे। दीर्घावधि की लिक्विडिटी का प्रबंधन दीर्घावधि की वित्तीय स्थिति और बाजार के कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार होता है, और यदि इसमें कोई उल्लंघन होता है तो स्वीकृत प्रारूप के अनुसार इसकी रिपोर्ट की जानी होती है। कंपनी से अपने ऋणों की चुकौती में कभी भी चूक नहीं हुई है।

इसके अलावा, समग्र लिक्विडिटी मॉनीटरिंग और निरीक्षण के लिए कंपनी ने निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में परिसंपत्ति देयता समिति का गठन किया है। यह समिति अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता या नकदी प्रवाह असंतुलनों का विश्लेषण कर लिक्विडिटी जोखिम पर नजर रखती है। अंतर और असंतुलनों का विश्लेषण आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट लिक्विडिटी विवरणों से किया जाता है जिसमें निधि के संचित आधिक्य या हानि का निर्धारण परिपक्वता क्रम के अनुसार बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रति नकदी प्रवाह के वितरण के माध्यम से होता है।

(i) निम्नलिखित तालिका गैर छूट आधार पर अनुबंधगत मूलधन और ब्याज की शेष परिपक्वता द्वारा वित्तीय देयताओं (ऋण प्रतिभूतियां, ऋण और अधीनस्थ देयताओं) के परिपक्वता स्वरूप का विश्लेषण करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण*	1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक				
घरेलू ऋण				
मूलधन	46,280.00	1,35,581.86	1,16,221.48	**2,98,083.34**
ब्याज	21,838.37	59,803.45	37,412.88	**1,19,054.71**
विदेशी मुद्रा ऋण				
मूलधन	9,101.96	19,834.55	35,617.98	**64,554.49**
ब्याज	2,361.78	6,508.92	2,026.65	**10,897.35**
कुल	**79,582.11**	**2,21,728.78**	**1,91,278.99**	**4,92,589.88**
31.03.2022 तक				
घरेलू ऋण				
मूलधन	28,934.60	1,28,392.62	1,06,554.59	**2,63,881.81**
ब्याज	18,797.58	52,004.68	33,379.09	**1,04,181.35**
विदेशी मुद्रा ऋण				
मूलधन	9,222.97	17,958.25	29,107.15	**56,288.37**
ब्याज	1,745.64	5,804.15	2,999.03	**10,548.82**
कुल	**58,700.79**	**2,04,159.70**	**1,72,039.86**	**4,34,900.36**

* उपर्युक्त तालिका में, पुट और कॉल विकल्प वाले बॉण्ड को यथा शीघ्र प्रचालन की तारीख पर विचार करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा, कमर्शियल पेपर और जीरो-कूपन बॉण्ड परिपक्वता मूल्य पर दिखाए गए हैं।

(ii) निम्नलिखित तालिका डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के परिपक्वता पैटर्न का विश्लेषण करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक				
फॉरवर्ड	21.06	-	-	21.06
ऑप्शन/स्वैप	3.26			3.26
कुल	**24.32**	**-**	**-**	**24.32**
31.03.2022 तक				
फॉरवर्ड	-	-	-	-
ऑप्शन/स्वैप	56.75	46.50	-	103.25
कुल	**56.75**	**46.50**	**-**	**103.25**

* निम्नलिखित तालिका काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त एमटीएम पर आधारित इसकी डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के लिक्विडिटी विश्लेषण का ब्यौरा प्रदान करती है। परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत की शेष अवधि के अनुसार हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(iii) वित्तीय देयताएं पूरी करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह ऋण परिसंपत्तियों से अर्जित नकदी प्रवाह (मूलधन और ब्याज पुनर्भुगतान) से पोषित होना चाहिए। निम्नलिखित तालिका गैर-छूट आधार पर अनुबंधगत मूलधन और ब्याज की शेष परिपक्वता द्वारा ऋणों के परिपक्वता स्वरूप का विश्लेषण करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण*	1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक				
ऋण परिसंपत्तियां				
मूलधन	52,942.67	1,41,277.13	2,16,278.54	4,10,498.35
ब्याज	37,705.85	1,11,246.88	97,226.08	2,46,178.81
कुल	**90,648.52**	**2,52,524.01**	**3,13,504.62**	**6,56,677.16**
31.03.2022 तक				
ऋण परिसंपत्तियां				
मूलधन	28,263.46	1,28,615.86	2,01,918.38	3,58,797.70
ब्याज	34,703.91	1,06,907.01	1,00,935.58	2,42,546.50
कुल	**62,967.37**	**2,35,522.87**	**3,02,853.96**	**6,01,344.20**

* चरण 3 परिसंपत्तियों से संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते के मूलधन नकदी प्रवाह पर परिपक्वता तिथि का ध्यान रखे बिना 5 वर्ष से अधिक की अवधि में विचार किया गया है।

(iv) अप्रत्याशित लिक्विडिटी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कंपनी के पास नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट, ऋण सुविधाएं, बैंकों से कार्यशील पूंजी मांग ऋणों तक पंहुच है। कंपनी को एएए की सर्वोच्च घरेलू ऋण रेटिंग प्राप्त है, जो इसे घरेलू बाजार से बहुत ही कम समय में ऋण उगाहने में सक्षम बनाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सीसी/ ओडी/ एलओसी/ डबल्यूसीडीएल सीमा	8,116.17	5,398.00

(v) कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निर्दिष्ट उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में पर्याप्त लिक्विडिटी भंडार भी बनाए रखती है। इस संबंध में प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 55.6 देखें।

40.3 बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है जहां विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण व्यावहारिक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में वर्णित वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में, उतार-चढ़ाव होगा।

(i) कंपनी को विदेशी मुद्रा जोखिम की आशंका मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों पर रहती है। विदेशी मुद्रा में वर्णित कंपनी के ऋणों की वहनीय राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में
अमरीकी डॉलर ऋण	**584.12**	**48,024.91**	**678.27**	**51,417.51**
- हेज्ड	403.50	33,174.52	407.50	30,891.39
- अनहेज्ड	180.62	14,850.39	270.77	20,526.12
यूरो ऋण	**93.17**	**8,348.44**	**30.83**	**2,609.67**
- हेज्ड	56.61	5,072.98	-	-
- अनहेज्ड #	36.56	3,275.46	30.83	2,609.67
जेपीवाई ऋण	**13,238.08**	**8,181.14**	**3,633.60**	**2,261.19**
- हेज्ड	4,090.53	2,527.96	-	-
- अनहेज्ड	9,147.55	5,653.18	3,633.60	2,261.19
कुल		**64,554.49**		**56,288.37**
- हेज्ड		**40,775.46**		**30,891.39**
- अनहेज्ड		**23,779.03**		**25,396.98**

इसमें एक लेग के लिए 31.03.2023 तक हेज की गई (31.03.2022 तक - शून्य) ₹5,653.18 करोड़ की जेपीवाई (यूएसडी/जेपीवाई) ऋण देयता शामिल है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग और प्रबंधन

कंपनी ने अपने विदेशी मुद्रा ऋणों से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन और इससे बचाव के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जो संबंधित जोखिमों के प्रबंधन की रूपरेखा और व्यवस्था निर्दिष्ट करती है।

कंपनी विनिमय दर जोखिमों से बचाव के लिए विभिन्न डेरिवेटिव लेनदेन जैसे केवल मूलधन स्वैप, विकल्प और अनुबंध अग्रसरण करती है। मौजूदा नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग की प्रणाली स्थापित है जिसमें विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति कार्यरत है। इस समिति में शामिल कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर नजर रखते हैं। ये डेरिवेटिव लेनदेन किसी व्यापार या बड़े लाभ की प्रत्याशा में काल्पनिक अनुमानों के लिए नहीं, बल्कि जोखिम से बचाव के उद्देश्य से किए जाते हैं। यह नीति और करेंसी जोखिम की पहचान, उपायों और मॉनीटरिंग के लिए समुचित प्रणालियां और नियंत्रण स्थापित करती है।

(iii) विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों के अरक्षित पोर्टफोलियो पर भारतीय रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5% के परिवर्तन का कुल इक्विटी (लाभ/हानि) पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रस्तुत करती है।

(₹ करोड़ में)

विदेशी मुद्रा देयताएं	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि
	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण			
अमरीकी डॉलर	742.52	(742.52)	1,026.31	(1,026.31)
यूरो	163.77	(163.77)	130.48	(130.48)
जेपीवाई	282.66	(282.66)	113.06	(113.06)
कुल	**1,188.95**	**(1,188.95)**	**1,269.85**	**(1,269.85)**

40.4 बाजार जोखिम- ब्याज दर जोखिम

40.4.1 ब्याज दर जोखिम किसी वित्तीय स्रोत के भावी नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण आने वाले उतार-चढ़ाव का जोखिम है। इसका प्रभाव ब्याज दरों में परिवर्तन की दिशा और परिसंपत्तियों या देयताओं तेजी से पुनःमूल्य निर्धारण के आधार पर लाभप्रद या प्रतिकूल हो सकता है।

(i) ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन बाजार जोखिम एक्सपोजर के नियंत्रण और प्रतिफल को अधिकतम करने के उद्देश्य से किया जाता है।

परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) अंतराल विश्लेषण के माध्यम से अर्थात दर संवेदी परिसंपत्तियों और दर संवेदी देयताओं के बीच के अंतर के विश्लेषण से ब्याज दर जोखिम का पता लगाती है। अंतराल विश्लेषण के लिए आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट बाजार दर संवेदनशीलता विवरणी का उपयोग किया जाता है, जिसमें परिपक्वता तिथि या पुनःमूल्यन तिथि, जो भी पहले हो, के आधार पर वितरित दर संवेदी परिसंपत्तियों और दर संवेदी देयताओं के बीच का अंतराल मापा जाता है।

इसके अतिरिक्त, ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कंपनी बाजार की मौजूदा स्थितियों, ऋण लागत, प्राप्ति, फैलाव, प्रतिस्पर्द्धी दरों इत्यादि के आधार पर समय-समय पर अपने ब्याज दरों की समीक्षा करती है। कंपनी द्वारा परिसंपत्ति तालमेल का प्रबंधन अपनी ब्याज दरों और ऋण नीतियों के माध्यम से किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ फिर शुरू होने की अवधियों, पुनर्भुगतान अवधियों, पूर्व भुगतान प्रीमियम इत्यादि को भी कवर करती है। देयताओं का प्रबंधन लागत, बाजार की स्थिति, समय, बाजार में गुंजाईश, एएलएम अंतराल स्थिति इत्यादि कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कंपनी अपने ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए ब्याज दर स्वैप, परस्पर लेन देन की मुद्रा का ब्याज दर स्वैप जैसे विभिन्न डेरिवेटिव उपाय भी करती है।

(ii) बाजार दर संवेदनशीलता विश्लेषण

रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज दर प्रबंधन के लिए जोखिम पर उपार्जन (ईएआर) एक महत्वपूर्ण फोकस बिंदु है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए अंतराल विवरणों से ब्याज दरों में परिवर्तन का जोखिम उपार्जन पर असर मापा गया है। इस असर का मापन एक वर्ष की अवधि के दौरान एक स्थिर तुलन-पत्र में ब्याज दरों पर 25 आधार अंक आरोही/अवरोही झटकों पर विचार करते हुए किया गया है। विश्लेषण दर्शाता है कि यदि दरों में 25 आधार अंकों की कमी/वृद्धि होती है तो जोखिम पर उपार्जन पर असर (+/-) ₹194.52 करोड़ होगा। (31.03.2022 तक (+/-) ₹118.77 करोड़)।

इस विश्लेषण में माना गया है कि दर संवेदी परिसंपत्तियां और दर संवेदी देयताओं का समान समय पर पुनःमूल्य निर्धारण किया जा रहा है। इसके अलावा, विश्लेषण दर-संवेदी परिसंपत्तियां और दर-संवेदी देयताओं की सबसे पहली/पहले की मूल्य निर्धारण तिथि पर विचार करता है।

टिप्पणी: 25 आधार अंक की वृद्धि या कमी ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन को व्यक्त करती है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

40.4.2 ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के संदर्भ में प्रकटीकरण

कंपनी के पास परिवर्ती ब्याज दर ऋण हैं, जिनकी ब्याज दरें बेंचमार्क पर आधारित हैं। इन ऋणों पर नकदी प्रवाह की परिवर्तनीयता से बचाव के लिए कंपनी प्रमुख विषयों (मूल राशि, भुगतान तिथियां, पुनःमूल्य निर्धारण तिथियां, करेंसी) के साथ विविध ब्याज दर स्वैप करती है, जो उन ऋणों के अनुकूल होता है जिन पर कंपनी नियत दर का भुगतान करती है और परिवर्ती दर प्राप्त करती है। कंपनी के ऋणों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण ब्याज दर बेंचमार्क 6 यूएसडी लिबोर (लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट) है।

(i) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से सीधे प्रभावित एक्सपोजर

जून 2023 के बाद से ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित एक्सपोजर की कुल राशि 31.03.2023 तक 656.24 मिलियन अमरीकी डॉलर (भारतीय रुपए में ₹5,395.44 करोड़) है। इसमें से इस प्रकार की देयताओं के साथ जुड़ी और हेज लेखांकन के तहत डेरिवेटिव एक्सपोजर की राशि 650 मिलियन अमरीकी डॉलर (भारतीय रुपए में ₹5,344.10 करोड़) है।

विदेशी मुद्रा ऋणों का विवरण इस प्रकार है जो जून 2023 के बाद 6 माह यूएसडी लिबोर से लिबोर परिवर्तन के आधार पर प्रभावित होगा:

बेंचमार्क	31.03.2023 तक				31.03.2022 तक			
	संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन)	राशि (₹ करोड़ में)	जिसका अभी भी वैकल्पिक बेंचमार्क दर में परिवर्तन किया जाना है		संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन)	राशि (₹ करोड़ में)	जिसका अभी भी वैकल्पिक बेंचमार्क दर में परिवर्तन किया जाना है	
			संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन)	राशि (₹ करोड़ में)			संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन)	राशि (₹ करोड़ में)
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं								
6 माह अमरीकी डॉलर लिबोर	656.24	5.395.44	650.00	5,344.10	657.67	4,985.66	650.00	4,927.46
डेरिवेटिव								
6 माह अमरीकी डॉलर लिबोर	650.00	5,344.10	650.00	5,344.10	650.00	4,927.46	650.00	4,927.46

(ii) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

कंपनी लिबोर परिवर्तन के लिए 'लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (लिबोर) से वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में परिवर्तन की रूपरेखा' नाम से बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करती है। यह रूपरेखा अन्य बातों के साथ-साथ लिबोर से जुड़े एक्सपोजर आकलन, लिबोर परिवर्तन से संभावित जोखिम की पहचान, अनुबंध उपचार, संचालनगत तत्परता, शासी संरचना, नियमन अनुपालन और रिपोर्टिंग जैसे पक्षों को भी कवर करती है। कंपनी सभी परिवर्तन गतिविधियों को नीति में विस्तृत रूप से उल्लिखित प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित करेगी। 6 माह यूएसडी लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है और यह उपलब्ध समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाएगी।

(iii) इंड एएस 109, ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से सीधे प्रभावित सभी बचाव और सुरक्षा संबंधों के लिए अस्थायी अपवाद का प्रावधान करता है। लिबोर से जुड़े ऋणों और उनके डेरिवेटिव के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर/बेंचमार्क पर अभी ऋणदाताओं और डेरिवेटिव बैंकर्स के साथ सहमति होनी है। हालांकि यह मान लिया गया है कि ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप हेज की गई मदों, हेज की गई लिखतों और इसकी संबंधित हेज प्रभावकारिता के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

40.5 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम

(i) कंपनी सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश से उत्पन्न कीमत जोखिम के प्रति एक्सपोज है। इस जोखिम की आशंका के संदर्भ में टिप्पणी 11 'निवेश' देखें।

(ii) संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे की तालिका समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों के संबंधित मूल्यों में 5% वृद्धि या कमी के लिए लाभ एवं हानि विवरण में पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	वृद्धि	(ह्रास)	वृद्धि	(ह्रास)
लाभ एवं हानि पर प्रभाव	3.47	(3.47)	6.29	(6.29)
ओसीआई पर प्रभाव	56.50	(56.50)	47.48	(47.48)

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

41. हेज लेखांकन

हेज लेखांकन की अपेक्षाएं पूरी करने वाले हेजिंग लिखत को नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। नकदी प्रवाह के रूप में निर्दिष्ट और मान्य डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। हेजिंग लिखतों के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन 'नकदी प्रवाह बचावों के प्रभावी अंश' में मान्य किया जाता है। इस प्रकार के रिजर्व में मान्य राशियां 'लाभ हानि विवरणी' में मान्य की जाती हैं, जब हेजिंग लिखत के तहत रखे गए मद लाभ एवं हानि पर असर डालते हैं। इसके अलावा, किसी हेजिंग लिखत के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन 'हेजिंग रिजर्व लागत' में मान्य होता है। ऐसे रिजर्व में मान्य राशियां व्यवस्थित आधार पर लाभ एवं हानि विवरणी के लिए परिशोधित की जाती हैं।

(i) हेज की प्रभावकारिता

हेज उपायों की प्रभावकारिता, ये उपाय लागू करने पर और समय-समय पर प्रभावकारिता आकलन के माध्यम से ही निर्धारित की जाती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज के तहत रखे गए मद और हेजिंग उपकरणों के बीच आर्थिक संबंध है। कंपनी प्रभावकारिता जांच के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाती है:

क) विकल्पों के अलावा डेरिवेटिव्स के लिए जो हेज किए गए मद के नियमों पर बिल्कुल सटीक उतरते हों, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावकारिता, महत्वपूर्ण नियम मेल विधि (जिसमें हेजिंग उपकरण के मूल नियम और हेज किया गया मद बिल्कुल समान हो) का उपयोग करते हुए, गुणात्मक कारकों पर आधारित होती है।

ख) विकल्प संरचनाओं के लिए, कंपनी सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के समूह पर आधारित विश्लेषण पर आधारित डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करते हुए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन और हेज किए गए मद के संबंधों को विश्लेषित करती है।

(ii) एकल तुलन-पत्र पर नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट हेजिंग लिखतों के प्रभाव:

क्र.सं.	विवरण		अंकित मूल्य राशि (₹ करोड़ में)	वहनीय राशि [1]			
				परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	देयताएं (₹ करोड़ में)	परिपक्वता तिथि	भारित औसत दर/ स्ट्राइक कीमत
31.03.2023 तक							
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	फॉरवर्ड	507.09	20.40	-	फरवरी 2024	0.6303
		केवल मूलधन स्वैप	4,521.93	460.12	-	सितंबर 2023 - सितंबर 2024	71.91
		कॉल स्प्रेड विकल्प	13,705.76	679.45	-	अक्तूबर 2023 - दिसंबर 2024	76.99
		सीगल विकल्प	29,169.51	2,826.19	3.26	दिसंबर 2023 - दिसंबर 2027	डॉलर/आईएनआर 76.5202 यूरो/यूएसडी - 1.0775 यूएसडी/जेपीवाई -130.83
	उप-योग		**47,904.29**	**3,986.16**	**3.26**		
2.	ब्याज दर डेरिवेटिव	ब्याज दर स्वैप	7,399.52	364.11	-	सितंबर 2023 - जून 2024	1.27%
	उप-योग		**7,399.52**	**364.11**	**-**		
3.	**कुल (1+2)**		**55,303.81**	**4,350.27**	**3.26**		
31.03.2022 तक							
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	फॉरवर्ड	-	-	-	-	-
		केवल मूलधन स्वैप	6,064.57	277.61	-	जून 2022 - सितंबर 2024	71.09
		कॉल स्प्रेड विकल्प	7,959.75	70.55	21.55	अक्तूबर 2023 - दिसंबर 2024	73.90
		सीगल विकल्प	10,802.51	1,453.26	-	मई 2026 - नवंबर 2026	73.96
	उप-योग		**24,826.83**	**1,801.42**	**21.55**		
2.	ब्याज दर डेरिवेटिव	ब्याज दर स्वैप	8,717.82	198.86	39.15	सितंबर 2023 - जून 2024	1.38%
	उप-योग		**8,717.82**	**198.86**	**39.15**		
3.	**कुल (1+2)**		**33,544.65**	**2,000.28**	**60.70**		

[1] एकल तुलन-पत्र में लाइन मद 'डेरिवेटिव वित्तीय लिखत' का भाग है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(iii) नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्धारित हेजिंग लिखत के अंकित मूल्य राशि का समय प्रोफाइल *

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
मुद्रा डेरिवेटिव		
1 वर्ष तक	16,901.55	1,895.18
1 - 5 वर्ष	31,002.74	22,931.65
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-जोड़ (क)	**47,904.29**	**24,826.83**
ब्याज दर डेरिवेटिव		
1 वर्ष तक	2,055.42	1,895.18
1 - 5 वर्ष	5,344.10	6,822.64
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-जोड़ (ख)	**7,399.52**	**8,717.82**
कुल (क+ख)	**55,303.81**	**33,544.65**

* उपर्युक्त तालिका में परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव उपकरण के शेष क्रम के अनुरूप है।

(iv) नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्धारित हेजिंग उपकरणों का एकल लाभ एवं हानि विवरणी पर प्रभाव:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	अन्य व्यापक आय में मान्य हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य हेज प्रभावकारिता	अन्य व्यापक आय से लाभ एवं हानि में पुनःवर्गीकृत राशि	ओसीआई से लाभ एवं हानि में वर्गीकरण का लाभ एवं हानि मद पर प्रभाव
31.03.2023 तक					
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	504.02	-	945.75	वित्तीय लागत
				(1,972.41)	निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि/ (अभिलाभ)
2.	ब्याज दर डेरिवेटिव	221.69	-	(117.17)	वित्तीय लागत
31.03.2022 तक					
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	(451.84)	-	702.18	वित्तीय लागत
				(532.79)	निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि/ (अभिलाभ)
2.	ब्याज दर डेरिवेटिव	238.72	-	100.10	वित्तीय लागत

(v) नकदी प्रवाह हेज के प्रभावी अंश और हेजिंग रिजर्व लागत का मिलान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
	नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी भाग		
(क)	**रिजर्व का प्रारंभिक शेष (कर का निवल)**	**200.34**	**(113.34)**
(ख)	विकल्प अनुबंधों के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन	2,026.95	428.72
(ग)	पीओएस/ फॉरवर्ड/ आईआरएस अनुबंधों के उचित मूल्य में परिवर्तन	452.66	423.15
(घ)	ओसीआई से लाभ एवं हानि में पुनःवर्गीकृत राशि	(2,089.59)	(432.69)
(ड.)	**वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य निवल राशि (ख+ग+घ)**	**390.02**	**419.18**
(च)	उपर्युक्त (ड.) पर आस्थगित कर	(98.16)	(105.50)
(छ)	**वर्ष के दौरान ओसीआई में विमान्य निवल राशि (कर का निवल) (ड.+च)**	**291.86**	**313.68**
(ज)	**रिजर्व का अंतिम शेष (कर का निवल) (क+छ)**	**492.20**	**200.34**
	हेजिंग रिजर्व लागत		
(क)	**रिजर्व का प्रारंभिक शेष (कर का निवल)**	**(294.75)**	**(23.24)**
(ख)	विकल्पों/ पीओएस/ फॉरवर्ड अनुबंधों के आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(1,753.90)	(1,065.00)
(ग)	समय मूल्य का परिशोधन	945.76	702.18
(घ)	**वर्ष के दौरान ओसीआई में विमान्य निवल राशि (ख+ग)**	**(808.14)**	**(362.82)**
(ड.)	उपर्युक्त (घ) पर आस्थगित कर	203.39	91.31
(च)	**वर्ष के दौरान ओसीआई में विमान्य निवल राशि (कर का निवल) (घ+ड.)**	**(604.75)**	**(271.51)**
(छ)	**रिजर्व का अंतिम शेष (कर का निवल) (क+च)**	**(899.50)**	**(294.75)**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

42. उचित मूल्य मापन

(i) कंपनी की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया जाता है। निम्नलिखित तालिका जानकारी देती है कि इन वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का निर्धारण (विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकों और इनपुट का) कैसे किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता- आवर्ती उचित मूल्य	उचित मूल्य 31.03.2023	उचित मूल्य 31.03.2022	उचित मूल्य पदक्रम (टिप्पणी 5.1 देखें)	मूल्यांकन तकनीक और प्रमुख इनपुट
1)	**उद्धृत इक्विटी निवेश**				
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	102.06	98.70	चरण 1	उद्धृत बाजार कीमत
	- कोल इंडिया लिमिटेड	298.35	255.62		
	- एनएचपीसी लिमिटेड	624.40	517.88		
	- सुजलोन एनर्जी लिमिटेड	105.15	77.42		
	- रत्तन इंडिया पावर लिमिटेड	69.36	125.79		
2)	**गैर-उद्धृत इक्विटी निवेश**				
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	3.59	0.00	चरण 3	उचित मूल्य का निर्धारण निवेशक कंपनी की इंड एएस वित्तीय जानकारी का उपयोग करते हुए किया गया है।
	- आरकेएम पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00		पुनर्गठन के अनुसार आवंटित, विवेकसम्मत आधार पर ऋ1 पर मूल्यांकित
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)	158.08	241.73		उचित मूल्य का निर्धारण निवेशक कंपनी की इंड एएस वित्तीय जानकारी का उपयोग करते हुए किया गया है।
	झाबुआ पावर लिमिटेड	429.40	-		
	इंड बराथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड	1.18	-		
3)	**अधिमानी शेयरों में निवेश**				
	- रत्तन इंडिया पावर लिमिटेड - ओसीसीआरपीएस	0.00	0.00	चरण 3	रत्तन इंडिया पावर लिमिटेड के आरपीएस के मोचन में डिफॉल्ट को देखते हुए पीएफसी का आकलन है कि निवेश से कोई महत्वपूर्ण राशि प्राप्त नहीं हो सकेगी।
	- सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड- सीसीपीपीएस	-	0.00		समाधान के अनुसार इक्विटी शेयर में परिवर्तित
4)	**डिबेंचर में निवेश**				
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला ए3 - ओसीडी	35.64	37.80	चरण 3	करार की शर्तों के अनुसार भविष्य के डिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का उपयोग करते हुए उचित मूल्य पर मूल्यांकित
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला बी3 - ओसीडी	14.36	15.23		
	- सुजलोन एनर्जी लिमिटेड - ओसीडी	-	102.69		वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का ओसीडी, कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया था।
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला सी - ओसीडी	0.00	0.00		पुनर्भुगतान का व्यवस्थित शिड्यूल उपलब्ध नहीं होने के कारण ऋ1 के उचित मूल्य पर मूल्यांकित। डिबेंचर सतत प्रकृति के नहीं हैं और भविष्य का नकदी प्रवाह अनिश्चित है।
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड- श्रृंखला ए - ओसीडी	0.00	0.00		
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला बी - ओसीडी	0.00	0.00		
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला एआई - ओसीडी	0.00	0.00		
5)	**डेरिवेटिव वित्तीय लिखत**				
	- परिसंपत्तियां	4,803.40	3,080.56	चरण 2	इन अनुबंधों का उचित मूल्य प्रतिपक्षी बैंको से प्राप्त किया जाता है, जो मूल्यांकन मॉडल्स का प्रयोग कर इसका निर्धारण करते हैं, जिसमें अनुबंध के लिए पर्यवेक्षणीय इस्तेमाल होता है, जैसे ब्याज दर प्राप्ति वक्र (कर्व), निहित अस्थिरता इत्यादि।
	- देयताएं	24.32	103.25		

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) वर्ष के दौरान चरण 1 और चरण 2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ था।

(iii) चरण 3 इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय लिखतों का मिलान

निम्नलिखित तालिकाएं चरण 3 इनपुट का उपयोग करते हुए उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रारंभिक और समापन राशि का मिलान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एफवीटीओसीआई		एफवीटीपीएल	
	केएसके की एसबीआई निधि की यूनिटों में निवेश	गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश	अधिमानी शेयरों में निवेश	डिबेंचर में निवेश
वित्तीय वर्ष 2022-23				
प्रारंभिक शेष	**-**	**241.73**	**-**	**155.72**
वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-	451.17	-	-
समायोजन	-	-	-	
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	
ब्याज आय[1]	-	-	-	9.07
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)	-	(100.65)[2]	-	(114.79)
अंतिम शेष	**-**	**592.25**	**-**	**50.00**
वर्ष के अंत में धारित परिसंपत्तियों पर अमान्य अभिलाभ/(हानि)		(100.65)	-	4.24
वित्तीय वर्ष 2021-22				
प्रारंभिक शेष	**0.00**	**0.00**	**96.19**	**151.63**
वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-	-	-	-
समायोजन	(0.95)	-	-	(16.58)
चरण 3 में अंतरण	-	278.16	-	-
चरण 3 से अंतरण	-	-		-
ब्याज आय[1]	-	-	-	20.67
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)	0.95[2]	(36.43)[2]	(96.19)[3]	
अंतिम शेष	**-**	**241.73**	**-**	**155.72**
वर्ष के अंत में धारित परिसंपत्तियों पर अमान्य लाभ/(हानि)	-	(36.43)	(96.19)	16.92

[1] एकल लाभ एवं हानि विवरण में लाइन मद 'ब्याज आय' का भाग है।

[2] एफवीटीओसीआई पर निवेश पर उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि), एकल लाभ एवं हानि विवरणी के अन्य व्यापक आय खंड में लाइन मद 'इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/हानि' का भाग हैं।

[3] एफवीटीपीएल पर निवेश पर उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि) एकल लाभ एवं हानि विवरण में लाइन आइटम उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ) का भाग हैं।

(iv) परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का उचित मूल्य:

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य निर्धारण छूटप्राप्त नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्य स्वीकृत मूल्यांकन मॉडल्स के अनुसार किया गया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रियायती दर इनपुट के साथ, जो प्रतिपक्षों के क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां कोट किया गया बाजार मूल्य उपलब्ध है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण के लिए की गई है।

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति/देयताएं	उचित मूल्य अनुक्रम	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
ऋण	चरण 3	4,10,829.15	4,19,054.16	3,60,929.74	3,67,609.10
निवेश [क]	चरण 1/3	961.32	967.04	110.21	110.60
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	चरण 2	5,389.03	5,398.09	5,382.67	5,391.78
ऋण प्रतिभूतियां [क]	चरण 1/2	2,59,827.05	2,55,207.19	2,30,156.95	2,36,861.56
ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त ऋण राशियां [ख]	चरण 2	1,01,228.89	96,575.09	87,965.42	84,205.44
अधीनस्थ देयताएं	चरण 2	9,311.84	9,625.45	9,311.27	9,960.39

[क] स्तर 1 उचित मूल्य पदक्रम के साथ सूचीबद्ध लिखतों में शामिल

जी-सेक में निवेश का उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर बाजार कीमत का उपयोग करते हुए किया जा रहा है।

रॉयटर के अनुसार अंतिम कीमत के अनुरूप उचित मूल्य पर मापे जा रहे विदेशी मुद्रा नोट्स (जीएमटीएन निर्गम)।

[ख] लिबोर/वैकल्पिक संदर्भ दर से जुड़े विदेशी मुद्रा ऋण और समतुल्य पर मापे जा रहे बहुपक्षीय एजेंसियों के ऋण।

उपर्युक्त तालिका में दर्शाई गयी प्रविष्टियों से अलग वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि अपने उचित मूल्यों से तर्कसंगत रूप से निकट मानी जाती हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

43. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

43.1 संबंधित पक्षकार

सहायक कंपनियां:			
1	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	2	आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) (पूर्ववर्ती रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड)
3	आरईसी पावर डेवलपमेंड एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)(पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	4	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड) (01.07.2022 से)
सहयोगी कंपनियां:			
1	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	2	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
3	ओडिसा एंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	4	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
5	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	6	ओडिसा इंफ्रापावर लिमिटेड
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	8	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
9	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	10	चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड
11	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	12	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से 27.09.2022 को हटाया गया)
13	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से 11.01.2023 को हटाया गया)	14	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार रिकॉर्ड से 27.09.2022 को हटाया गया)
15	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (30.06.2022 तक)		
	पीएफसीसीएल के माध्यम से		
16	मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड (30.05.2022 को हस्तांतरित)	17	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
18	शाँगटोंग कर्चम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार रिकॉर्ड से 13.01.2023 को हटाया गया)	19	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार रिकॉर्ड से हटाए जाने की प्रक्रिया में)
20	भादला सिकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (28.03.2023 को हस्तांतरित)	21	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार रिकॉर्ड से 13.01.2023 को हटाया गया)
22	फतेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लि. (05.05.2022 को निगमित)	23	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
24	सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.04.2022 को निगमित)	25	खेतड़ी-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (11.05.2022 को हस्तांतरित)
26	भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.05.2022 को निगमित)	27	किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.12.2022 को हस्तांतरित)
28	धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को निगमित और 28.03.2023 को हस्तांतरित)	29	ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.05.2022 को निगमित)
30	खांडुखल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.05.2022 को निगमित और 07.10.2022 को हस्तांतरित)	31	फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.05.2022 को निगमित)
32	रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को निगमित और 28.03.2023 को हस्तांतरित)	33	फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2022 को निगमित)
	आरईसीएल के माध्यम से		
34	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	35	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
36	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	37	बिदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
38	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	39	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.04.2022 को निगमित)
40	रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड (20.04.2022 को निगमित)	41	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (28.10.2022 को निगमित)
42	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.05.2022 को निगमित)	43	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड(10.01.2023 को निगमित)
44	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (14.12.2022 को निगमित)	45	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (30.05.2022 को हस्तांतरित)
46	खावदा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड (25.04.2022 को निगमित और कंपनी रजिस्ट्रार रिकॉर्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया में)	47	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (10.10.2022 को हस्तांतरित)
48	नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड (12.04.2022 को निगमित और 24.08.2022 को हस्तांतरित)	49	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड (21.01.2023 को हस्तांतरित)
50	डबल्यूआरएसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (22.09.2022 को निगमित और 17.01.2023 को हस्तांतरित)	51	खावदा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड (22.04.2022 को निगमित और 21.03.2023 को हस्तांतरित)
52	खावदा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड (21.04.2022 को निगमित और 21.03.2023 को हस्तांतरित)	53	खावदा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड (02.05.2022 को निगमित और 21.03.2023 को हस्तांतरित)

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

54	केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (29.04.2022 को निगमित और 21.03.2023 को हस्तांतरित)	55	ईआरडबल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.09.2022 को निगमित और 31.03.2023 तक हस्तांतरित)
56	केपीएसपी2 ट्रांसमिशन लिमिटेड (04.05.2022 को निगमित और 31.03.2023 तक हस्तांतरित)	57	केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.05.2022 को निगमित और 20.04.2023 को हस्तांतरित)
58	खावदा II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड (19.04.2022 को निगमित और 28.03.2023 को हस्तांतरित)	59	जीएडीएजी II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को हस्तांतरित)
कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) एवं उनके संबंधी		**पद**	
1	श्री रविंद्र सिंह ढिल्लों	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
2	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त)	
3	श्री राजीव रंजन झा	निदेशक (परियोजना)	
4	श्री मनोज शर्मा (29.08.2022 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	
5	श्री अजय तिवारी (09.06.2022 से)	सरकारी नामिती निदेशक	
6	श्री विशाल कपूर (08.06.2022 तक)	सरकारी नामिती निदेशक	
7	श्री राम चंद्र मिश्रा (11.07.2022 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
8	एडवोकेट भास्कर भट्टाचार्य	अंशकालिक गैरसरकारी स्वतंत्र निदेशक	
9	श्री प्रसन्ना तंत्री	अंशकालिक गैरसरकारी स्वतंत्र निदेशक	
10	श्रीमती ऊषा सजीव नायर	अंशकालिक गैरसरकारी स्वतंत्र निदेशक	
11	श्री मनोहर बलवानी (30.04.2023 तक)	मुख्य महाप्रबंधक और कंपनी सचिव	
कंपनी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/फंड			
1	पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि	2	पीएफसी कर्मचारी उपदान निधि
3	पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007	4	पीएफसी अधिवर्षिता चिकित्सा निधि
कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निर्देशक हैं:			
1	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	2	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) (29.09.2022 से)
3	एसजेवीएन लिमिटेड (01.12.2022 से)		

43.2 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान
सहायक कंपनियां:		
आरईसी लिमिटेड		
ऋणों का पुनर्भुगतान	-	3,000.00
लाभांश आय	1,642.40	1,269.22
ऋण पर ब्याज आय	-	14.47
निदेशकों का प्राप्त बैठक शुल्क	-	0.09
सरकारी कार्यक्रमों पर हुए व्यय की साझेदारी	0.46	-
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड		
दिए गए ऋण	-	9.52
ऋण पर ब्याज आय	1.27	0.00
दिए गए अग्रिम (ब्याज सहित)	-	0.29
सहायक कंपनियों द्वारा अग्रिम का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)	2.91	-
पीपीई की खरीद	0.06	0.10
पीपीई की बिक्री	0.14	0.04
लाभांश आय	11.30	13.55
कार्मिक हितलाभों का आवंटन	5.72	1.11
पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड		
सहायक कंपनियों से वसूलीयोग्य राशि	1.42	-
संयुक्त उद्यम		
वाहनों पर लीज किराया	-	0.09

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान
सहयोगी कंपनियां		
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम का पुनर्भुगतान	2.27	1.12
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम पर ब्याज आय	17.97	16.43
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम पर ब्याज व्यय	4.66	2.87
कंपनी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/फंड		
वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	17.39	7.38
बॉण्ड का मोचन	-	2.60
प्रदत्त बॉण्ड पर वित्त लागत	0.10	0.34
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
(i) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ	3.68	3.17
(ii) रोजगार पश्चात हितलाभ	0.50	0.42
(iii) अन्य दीर्घावधि हितलाभ	0.14	0.41
उप-जोड़ (i+ii+iii)	**4.32**	**4.00**
ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान/वसूली	0.51	0.33
बॉण्ड का पंजीकरण	-	0.17
प्रदत्त निदेशक बैठक शुल्क	0.42	0.28
प्रदत्त बॉण्ड पर वित्त लागत	0.01	0.01
कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं		
लाभांश आय - पीटीसी इंडिया लिमिटेड	6.96	9.00
निदेशकों का प्रदत्त बैठक शुल्क - पीटीसी इंडिया लिमिटेड	0.08	0.05
वाहनों पर लीज किराया	0.17	-

43.3 संबंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
निम्नलिखित से ऋण और अग्रिम (ब्याज सहित) और अन्य के लिए वसूलीयोग्य राशि:		
सहायक कंपनियां		
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	12.72	13.83
पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1.42	-
सहयोगी कंपनियां	197.43	181.42
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.31	0.48
निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम (ब्याज सहित) और अन्य के लिए भुगतान योग्य राशि:		
सहयोगी कंपनियां	177.10	177.13
सहायक कंपनियां		
आरईसी लिमिटेड	0.46	-
पीएफ कंसल्टिंग लिमिटेड	0.06	-
निम्नलिखित द्वारा धारित कंपनी की ऋण प्रतिभूतियां:		
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.13	0.21
कंपनी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट और निधि	1.10	1.10
कंपनी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट और निधि के लिए किए गए प्रावधान	15.27	13.33
निम्नलिखित में किए गए निवेश:		
सहायक कंपनियां	14500.70	14500.65
सहयोगी कंपनियां	0.55	0.75
कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं (पीटीसी इंडिया लिमिटेड और ईईएसएल)	260.14	98.70

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

43.4 बकाया ऋण/निवेशों की अधिकतम राशि निम्नानुसार है:

विवरण	ऋण		निवेश	
	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान
आरईसी	-	3,000.00	14,500.50	14,500.50
पीएफसीसीएल	9.52	9.52	0.15	0.15
पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड *	-	-	0.05	-
सहयोगी कंपनियां	-	-	0.75	0.75
कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं - ईईएसएल	-	-	241.73	278.16

* 01.07.2022 से सहायक कंपनी

43.5 समान सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण (सरकार से संबंधित संस्थाएं)

कंपनी केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने समान सरकार सहित किंतु इस तक सीमित नहीं, के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण में संबंधित कंपनियों के साथ लेनदेन किया।

भारतीय रेल विद्युत कंपनी लिमिटेड	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नेवेली यूपी पावर लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	कोल इंडिया लिमिटेड
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनएचपीसी लिमिटेड
एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबॉरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	नेवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड

समान सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

लेनदेन की प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान
लाभांश आय	62.89	55.65
ऋण संवितरण	5,362.77	772.59
प्राप्त ब्याज आय	2,435.11	2,976.13
प्राप्त मूलधन पुनर्भुगतान	2,213.85	5,875.14
प्रदत्त सदस्यता शुल्क	5.40	-

केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन के संदर्भ में टिप्पणी संख्या 12, 18, 20.1, 24.2 और 51 देखें।

सरकार से संबंधित कंपनियों के साथ उपर्युक्त लेनदेन में महत्वपूर्ण रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक सौदे आते हैं। कंपनी अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेनदेन भी करती है, जैसे टेलीफोन व्यय और जमा इत्यादि। ये व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं, इसलिए इन्हें नहीं दर्शाया गया है। सभी लेनदेन बाजार शर्तों पर की गई हैं।

43.6 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की प्रमुख शर्तें और स्थितियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन उन समतुल्य शर्तों पर की जाती है जो बिना किसी दबाव के स्वतंत्र लेनदेन में मौजूद होती हैं।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक कंपनी की एचआर नीतियों के अनुरूप होता है।

(iii) निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को दिया गया ऋण और अग्रिम की विशिष्ट शर्तें भुगतान अवधि होती है और यह कंपनी की एचआर नीति के अनुरूप होती है।

(iv) कंपनी अपनी सहयोगी कंपनियों को अग्रिम भी उपलब्ध कराती है जो प्रारंभिक व्यय पूरी करने के लिए एसपीवी अर्थात विशेष उद्देश्य उपाय के रूप में शामिल होती है। ऐसे अग्रिम पर कंपनी की नीति के अनुसार सावधि ऋणों पर लागू दर से ब्याज दर लगता है।

(v) ट्रस्ट और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया ब्याज और/ या लाभांश कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों और/ या इक्विटी शेयर में उनके निवेश के आधार पर होता है तथा इन प्रतिभूतियों पर भुगतान किया गया ब्याज और/ या लाभांश सभी शेयरधारकों के लिए समान रूप से व्यवहार्य होता है।

(vi) वर्ष के अंत में ग्रुप की कंपनियों का बकाया शेष अप्रतिभूत होता है, पीएफसीएल को दिए गए ₹9.52 लाख के ऋण को छोड़कर।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

44. कार्मिक हितलाभ

44.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं:

(क) पेंशन

कंपनी कार्मिकों के प्रति अपने पेंशन दायित्व के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में पूर्व निर्धारित दरों पर, कार्मिकों के श्रेणी 1 एनपीएस खाता (पेंशन खाते) में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है।

(ख) भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि के मद में एक अलग ट्रस्ट को निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान करती है, जो इस निधि को स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश कर देता है। ट्रस्ट को अपने सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रिटर्न की न्यूनतम दर सुनिश्चित करनी होती है। हालांकि सदस्यों को निर्दिष्ट दर के अनुरूप ब्याज भुगतान में कोई कमी होने पर कंपनी को उसकी भरपाई करनी होती है। कंपनी का अनुमान है निकट भविष्य में इस संदर्भ में कोई देयता सृजित नहीं होगी, इसलिए कोई अतिरिक्त प्रावधान जरूरी नहीं है।

इस वर्ष निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान के रूप में एकल लाभ हानि विवरणी में व्यय के तौर पर ₹17.10 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹14.87 करोड़) मान्य की गई है।

44.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(क) ग्रैच्युटी

कंपनी की निर्दिष्ट ग्रैच्युटी योजना है जिसका प्रबंधन अलग ट्रस्ट के पास है। प्रत्येक कार्मिक जो लगातार पांच वर्ष या अधिक सेवा दे चुका है, अपने सेवाकाल का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 15 दिन के वेतन के बराबर ग्रैच्युटी का पात्र होगा, लेकिन यह राशि, ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम,1972 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्त किए जाने, दिव्यांगता या मृत्यु पर ₹0.20 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	29.54	27.53
(ख) योजना परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	28.42	27.50
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति/देयता) (क-ख)	1.12	0.03

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति/देयता)	
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
I. प्रारंभिक शेष	27.53	28.67	27.50	26.88	0.03	1.79
लाभ और हानि में शामिल						
चालू सेवा लागत	1.48	1.65	-	-	1.48	1.65
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत/आय	2.04	2.03	2.05	1.90	(0.01)	0.13
II. लाभ और हानि में मान्य कुल राशि	**3.52**	**3.68**	**2.05**	**1.90**	**1.47**	**1.78**
ओसीआई में शामिल						
हानि/(लाभ) पुनर्मापन						
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से वास्तविक हानि (लाभ)	0.30	(0.89)	-	-	0.30	(0.89)
अनुभव समायोजन से वास्तविक हानि (लाभ)	(0.21)	(1.40)	-	-	(0.21)	(1.40)
जनसांख्यिकी धारणाओं में परिवर्तन से वास्तविक हानि (लाभ)	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय निकालकर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	0.44	(0.54)	(0.44)	0.54
III. ओसीआई में मान्य कुल राशि	**0.09**	**(2.29)**	**0.44**	**(0.54)**	**(0.35)**	**(1.75)**
IV. प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
V. नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	0.03	1.79	(0.03)	(1.79)
VI. प्रदत्त हितलाभ	(1.60)	(2.53)	(1.60)	(2.53)	-	-
VII. अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)	**29.54**	**27.53**	**28.42**	**27.50**	**1.12**	**0.03**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

कंपनी अपने सेवानिवृत्त कार्मिकों, सेवानिवृत्त और दिवंगत कार्मिकों के परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) संचालित करती है। पीआरएमएस के प्रति देयता जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

इस योजना का प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट करता है। इस ट्रस्ट को पात्र कार्मिकों के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करनी होती है। इसमे किसी कमी की भरपाई कंपनी को करनी होती है। कंपनी का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संदर्भ में कोई देयता सृजित नहीं होगी और इसलिए कोई अतिरिक्त प्रावधान जरूरी नहीं है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	64.31	56.39
(ख) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	58.80	50.12
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता (क-ख)	5.51	6.27

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य समाप्त वर्ष के लिए		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य समाप्त वर्ष के लिए		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति/देयता) समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
I.	**प्रारंभिक शेष**	56.39	48.37	50.12	43.40	6.27	4.97
	लाभ और हानि में शामिल						
	चालू सेवा लागत	3.10	2.59	-	-	3.10	2.59
	पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	ब्याज लागत/आय	4.24	3.46	3.75	3.07	0.50	0.39
II.	**लाभ और हानि में मान्य कुल राशि**	**7.34**	**6.05**	**3.75**	**3.07**	**3.60**	**2.98**
	ओसीआई में शामिल						
	हानि/(लाभ) पुनर्मापन						
	वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से वास्तविक हानि (लाभ)	1.29	(1.26)	-	-	1.29	(1.26)
	अनुभव समायोजन से वास्तविक हानि (लाभ)	1.64	0.34	-	-	1.64	0.34
	जनसांख्यिकी धारणाओं में परिवर्तन से वास्तविक हानि (लाभ)	-	5.55	-	-	-	5.55
	ब्याज आय निकालकर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	0.10	0.33	(0.10)	(0.33)
III.	**ओसीआई में मान्य कुल राशि**	**2.93**	**4.63**	**0.10**	**0.33**	**2.83**	**4.30**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	0.33	-	0.04	0.04	0.29	(0.04)
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	7.53	5.59	(7.53)	(5.59)
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(2.68)	(2.66)	(2.74)	(2.31)	0.06	(0.35)
VII.	**अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)**	**64.31**	**56.39**	**58.80**	**50.12**	**5.51**	**6.27**

(ग) आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

किसी कार्मिक की स्थायी दिव्यांगता/मृत्यु की स्थिति में उसे आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए कंपनी आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) संचालित करती है। यह योजना वित्तपोषित नहीं है और देयता का निर्धारण प्रोद्भूत मूल्यांकन आधार पर होता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7.82	6.76

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

परिभाषित हितलाभ दायित्वों में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण		समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	
		31.03.2023	31.03.2022
I.	**प्रारंभिक शेष**	**6.76**	**4.53**
	लाभ और हानि में शामिल		
	चालू सेवा लागत	0.42	0.37
	पिछली सेवा लागत	-	-
	ब्याज लागत/आय	0.49	0.32
II.	**लाभ और हानि में मान्य कुल राशि**	**0.91**	**0.69**
	ओसीआई में शामिल		
	वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से वास्तविक हानि (लाभ)	0.20	(0.24)
	अनुभव समायोजन से वास्तविक हानि (लाभ)	0.96	2.75
	जनसांख्यिकी धारणाओं में परिवर्तन से वास्तविक हानि (लाभ)	-	-
	ब्याज आय निकालकर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-
III.	**ओसीआई में मान्य कुल राशि**	**1.16**	**2.51**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(1.01)	(0.97)
VII.	**अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)**	**7.82**	**6.76**

(घ) जोखिम एक्सपोजर

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के कारण कंपनी अनेक जोखिमों के प्रति एक्सपोज है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिमों का ब्योरा निम्नलिखित है:

i. निवेश जोखिम

योजना परिसंपत्ति निवेशों का अधिकांश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च रेटिंग ग्रेड के साथ निश्चित आय प्रतिभूतियों और म्युच्युल फंड में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों में बदलाव तथा अन्य बाजार और व्यापक आर्थिक कारकों के कारण उतार चढ़ाव के अधीन है। परिसंपत्ति देयता मिलान का भी जोखिम है जैसे योजना परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह का योजना देयताओं के नकदी प्रवाह से मेल नहीं खाना।

ii. छूट दर में बदलाव

परिभाषित हितलाभ योजना देयताओं के मौजूदा मूल्य की गणना एक डिस्काउंट रेट पर की जाती है, जिसका निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बॉण्ड के प्रतिफलों के संदर्भ से किया जाता है। डिस्काउंट रेट में कोई कमी (बढ़ोतरी) योजना देयताओं के मौजूदा मूल्य में बढ़ोतरी (कमी) करेगी, हालांकि यह योजना निवेशों के मूल्य मे वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगा।

iii. मृत्यु दर जोखिम

परिभाषित हितलाभ योजना देयता के मौजूदा मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की, रोजगार के दौरान और बाद, मृत्युदर संबंधी सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन काल प्रत्याशा मे कोई वृद्धि, योजना की देयता में भी वृद्धि करेगी।

iv. वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित हितलाभ देयता के मौजूदा मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। निम्नानुसार योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि योजना की देयता बढ़ा देगी।

v. कार्मिक का टर्नओवर दर/निकासी दर

यदि भविष्य में वास्तविक कार्मिक निकासी दर अनुमान से अधिक या कम रहता है तो इससे देयता में वृद्धि/कमी हो सकती है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ड.) योजना परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए योजना परिसंपत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	उपदान	पीआरएमएस	उपदान	पीआरएमएस
नकदी और नकदी समतुल्य	0.21	0.96	0.02	0.09
राज्य/केंद्र सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	15.43	35.60	14.15	30.10
कॉर्पोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	11.34	22.24	12.08	19.93
अन्य	1.44	-	1.25	-
कुल	**28.42**	**58.80**	**27.50**	**50.12**

31.03.2023 तक - शून्य (31.03.2022 तक - शून्य), कंपनी के अपने वित्तीय लिखतों (कॉर्पोरेट बॉण्ड) के संदर्भ में योजना परिसंपत्तियों के मूल्य में शामिल है।

योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न ₹6.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.77 करोड़) है।

(च) महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान

योजना परिसंपत्तियों का अद्यतन बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31.03.2023 तक ट्रांसवैल्यू कंसल्टेंट (पुनर्मूल्यांकन परामर्शदाता) द्वारा निर्धारित किया गया। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित चालू सेवा लागत का मापन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि से किया गया। वास्तविक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल धारणाएं निम्नानुसार है:

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
योजना परिसंपत्तियों पर डिस्काउंट दर और अनुमानित रिटर्न, यदि वित्तपोषित हैं	7.33%	7.45%	7.33%	7.45%	7. 33%	7.45%
वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएलएम (2012-14) अंतिम के अनुसार	आईएलएम (2012-14) अंतिम के अनुसार	आईएलएम (2012-14) अंतिम के अनुसार	आईएलएम (2012-14) अंतिम के अनुसार	आईएलएम (2012-14) अंतिम के अनुसार	आईएलएम (2012-14) अंतिम के अनुसार
निकासी दर	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

(छ) संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर संबद्ध प्रारंभिक धारणाओं में से किसी एक में तर्कसंगत संभावित परिवर्तन का प्रभाव, अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए, परिभाषित हितलाभ दायित्व पर नीचे दर्शायी गई राशि से पड़ा होगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
डिस्काउंट दर (0.50% संचलन)				
- उपदान	(1.21)	1.30	(1.12)	1.21
- पीआरएमएस	(4.62)	5.33	(4.28)	4.82
- ईआरएस	(0.28)	0.31	(0.24)	0.27
वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
- उपदान	0.19	(0.14)	0.14	(0.19)
- पीआरएमएस	2.72	(2.51)	4.60	(4.23)
- ईआरएस	0.29	(0.25)	0.25	(0.22)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
- पीआरएमएस	5.79	(5.09)	6.17	(5.15)

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी पूरी सक्रियता से निगरानी रखती है कि निवेश की अवधि और अनुमानित लाभ किस तरह कार्मिक हितलाभ दायित्वों के कारण होने वाले अनुमानित नकदी बहिर्गमन से तालमेल रखत रहे हैं। निवेश को सुनियोजित ढंग से विविधीकृत किया जाता है, निम्नानुसार कि किसी एक निवेश की विफलता परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर असर न डाले। पूर्व अवधियों से जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(ज) भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
1 वर्ष तक	1.85	1.72	2.26	2.01	0.99	0.82
1 से 5 वर्ष	10.77	10.64	15.25	13.56	3.17	3.30
5 वर्ष से अधिक	52.82	49.54	72.45	64.37	8.72	7.70
कुल	**65.44**	**61.90**	**89.96**	**79.94**	**12.88**	**11.82**

उपर्युक्त तालिका अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है।

(झ) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाओं के लिए अनुमानित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अनुमानित अंशदान	2.49	1.51	8.61	9.36

(ञ) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 13.14 वर्ष है (31.03.2022 तक 13.98 वर्ष)।

44.3 अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

(क) अवकाश

कंपनी अपने कार्मिकों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्द्ध वेतन अवकाश लाभ उपलब्ध कराती है, जो अर्द्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन के हिसाब से प्रोद्भूत होता जाता है। सेवाकाल के दौरान अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश एकत्र किया जा सकता है। अर्द्धवेतन अवकाश संचित करने के लिए कोई सीमा नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद नौकरी से अलग होने या सेवानिवृत्ति पर, साथ लिए गए अर्जित अवकाश जोड़ अर्द्धवेतन अवकाश का, अधिकतम 300 दिन की सीमा तक, नकदीकरण किया जा सकता है। हालांकि सेवा से अलग होने की स्थिति में अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए सेवा वर्षों की संख्या की कोई पाबंदी नहीं है। इस मद में वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ₹6.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.62 करोड़) का प्रावधान किया गया है और इसे एकल लाभ हानि विवरणी में घटाया गया है।

(ख) अन्य कार्मिक हितलाभ

इस वर्ष समायोजन भत्ता और दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ₹4.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.14 करोड़) का प्रावधान किया गया और इसे एकल लाभ हानि विवरणी में घटा दिया गया।

44.4 पूरी तरह कंपनी के स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट आधार पर काम कर रहे कंपनी के कार्मिकों के लिए कार्मिक लाभ (ग्रैच्युटी, पीआरएमएस, सेवांत लाभ, अवकाश नकदीकरण और अन्य लाभ सहित) कार्मिक हितलाभ कार्मिक लागत के एक नियत प्रतिशत पर आवंटित किए जा रहे हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

45. लीज

कंपनी ने कार्यालय परिसर के तौर पर उपयोग में लिए जा रहे लीजहोल्ड भूमि के संबंध में राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति और लीज देयता को मान्य किया है।

45.1 निम्नलिखित तालिका वर्ष के दौरान लीज देयताओं की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
प्रारंभिक शेष	8.81	8.81
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	0.77	0.77
लीज देयताओं का भुगतान	(0.77)	(0.77)
अंतिम शेष	8.81	8.81

45.2 नीचे की तालिका गैर-छूट आधार पर लीज देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी विवरण उपलब्ध कराती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1 वर्ष तक	0.77	0.77
1 से 5 वर्ष	3.09	3.09
5 वर्ष से अधिक	54.74	55.51

45.3 वर्ष 2022-23 के दौरान लघु अवधि/कम मूल्य के लीज से संबंधित ₹9.81 करोड़ का व्यय (पिछले वर्ष ₹7.20 करोड़) एकल लाभ एवं हानि विवरणी में प्रभारित किया गया है। उपर्युक्त राशि में कार्मिकों के आवासीय प्रबंध, कार्यालय स्थान के लिए लीज, ईडीपी उपकरणों और अन्य कार्यालय उपकरणों की हायरिंग इत्यादि शामिल है। ये लीज आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीनीकरण योग्य और रद्द किए जाने योग्य है।

45.4 सभी लीज के लिए कुल नकदी बहिर्गमन, उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों सहित, ₹10.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.10 करोड़) है।

46. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
आकस्मिक देयताएं			
(i)	गारंटी [क] और [ख]	-	8.29
(ii)	कंपनी के प्रति दावे, ऋण के रूप में मान्य नहीं	-	-
(iii)	आयकर विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों के संदर्भ में की गई अतिरिक्त मांगें जिनके लिए दावा किया जा रहा है।	91.78	91.78
(iv)	सेवाकर विभाग द्वारा पिछलो वर्षों के संदर्भ में सेवाकर मांग या कारण बताओ नोटिस, जिन्हें अमान्य करने का दावा किया जा रहा है।	25.98	24.53
	सेवाकर विभाग ने सीईएसटीएटी में आयुक्त (सीई एंड एसटी) के सेवाकर मांग छोड़े जाने के आदेश के खिलाफ अपील की थी, इसका भी विरोध किया जा रहा है।	50.90	53.40
(v)[ख]	स्वीकृत ऋण के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट द्वारा ऋणकर्ताओं से की गई बकाया संवितरण प्रतिबद्धताएं	2,427.96	7,032.45
प्रतिबद्धताएं			
(i)	पूंजी खाते में निष्पादित की जाने वाली, प्रावधान नहीं की गई, अनुमानित अनुबंध राशि (जीएसटी छोड़कर)।	139.52	174.53
(ii)	अन्य प्रतिबद्धताएं - 31.03.2020 तक की अवधि की सीएसआर पर खर्च नहीं की गई राशि	52.43	99.15
कुल		**2,788.57**	**7,484.13**

[क] किसी ऋणकर्ता कंपनी के पक्ष में कंपनी द्वारा दी गई डिफॉल्ट भुगतान गारंटी। इस गारंटी के प्रति भुगतान की गई/भुगतान योग्य गारंटी मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

[ख] आवश्यक क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता कर दिया गया है। टिप्पणी 21 देखें।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

47. कंपनी का किसी भी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति 31.03.2023 तक 45 दिनों से अधिक का कोई बकाया नहीं है (31.03.2022 तक शून्य)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत यह जानकारी दी जानी है ताकि कंपनी को उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षकारों की स्थिति जानी जा सके।

48. इंड एएस 108 'परिचालन खंड' द्वारा अपेक्षित रिपोर्टिंग व्यवसाय/भौगोलिक खंड के संदर्भ में कंपनी के परिचालनों में केवल एक व्यवसाय खंड आता है - विद्युत, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों को ऋण देना। कंपनी की सारी मुख्य गतिविधियां इसी मुख्य व्यवसाय के इर्दगिर्द होती हैं। निम्नानुसार इंड एएस 108 के अनुसार रिपोर्ट योग्य कोई और खंड नहीं है।

49. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संशोधन:

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई संशोधन नहीं किया गया।

50. देयताओं के तहत प्रत्येक मद के लिए 12 महीनों के भीतर और उसके बाद वसूली जाने वाली/समायोजित अनुमानित राशि:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
		12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल	12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल
	परिसंपत्तियां						
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**						
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	22.14	-	22.14	720.91	-	720.91
(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	1,595.96	-	1,595.96	3,240.31	-	3,240.31
(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	605.51	4,197.89	4,803.40	980.64	2,099.92	3,080.56
(घ)	ऋण	68,452.06	3,42,377.09	4,10,829.15	48,146.53	3,12,783.21	3,60,929.74
(ड.)	निवेश	1,219.11	16,085.03	17,304.14	1,084.80	14,999.47	16,084.27
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	84.93	5,304.10	5,389.03	102.08	5,280.59	5,382.67
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**71,979.71**	**3,67,964.11**	**4,39,943.82**	**54,275.27**	**3,35,163.19**	**3,89,438.46**
2	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**						
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	210.28	210.28	-	273.65	273.65
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	4,033.31	4,033.31	-	4,151.82	4,151.82
(ग)	परिसंपत्ति, संयत्र और लिखत	-	44.00	44.00	-	44.72	44.72
(घ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.04	0.04	-	0.13	0.13
(ड.)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	11.20	11.20			
(च)	राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	-	34.40	34.40	-	34.85	34.85
(छ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	129.87	426.14	556.01	92.16	374.22	466.38
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**129.87**	**4,759.37**	**4,889.24**	**92.16**	**4,879.39**	**4,971.55**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)	**72,109.58**	**3,72,723.48**	**4,44,833.06**	**54,367.43**	**3,40,042.58**	**3,94,410.01**
	देयताएं						
1	**वित्तीय देयताएं**						
(क)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	24.32	-	24.32	56.76	46.49	103.25
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	23,522.04	2,36,305.01	2,59,827.05	25,518.09	2,04,638.86	2,30,156.95
(ग)	ऋण राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	32,211.00	69,017.89	1,01,228.89	23,265.32	64,700.10	87,965.42
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	3,902.30	5,409.54	9,311.84	102.33	9,208.94	9,311.27
(ड.)	अन्य वित्तीय देयताएं	432.60	5,105.08	5,537.68	1,618.05	5,185.94	6,803.99
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	**60,092.26**	**3,15,837.52**	**3,75,929.78**	**50,560.55**	**2,83,780.33**	**3,34,340.88**
2	**गैर-वित्तीय देयताएं**						
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	-	105.02	105.02	-	194.92	194.92
(ख)	प्रावधान	272.72	50.93	323.65	106.57	140.43	247.00
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	248.19	24.19	272.38	250.67	26.26	276.93
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**520.91**	**180.14**	**701.05**	**357.24**	**361.61**	**718.85**
	कुल देयताएं (1+2)	**60,613.17**	**3,16,017.66**	**3,76,630.83**	**50,917.79**	**2,84,141.94**	**3,35,059.73**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

51. कंपनी द्वारा लागू की जा रही भारत सरकार की योजनाएं

कंपनी आरडीएसएस योजना और आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी भी इसमें शामिल) के संचालन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनायी गई है। नोडल एजेंसी की भूमिका में अन्य बातों के अलावा पात्र कंपनियों के लिए भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ऋण/अनुदानों की व्यवस्था करना शामिल है। भारत सरकार की योजनाओं के तहत राशि का जारी किया जाना, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से 9 मार्च 2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आरबीआई के साथ ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के ज़रिये सुनिश्चित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन योजनाओं की राशि भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से लाभार्थियों को सही समय से जारी कर दी जाएगी।

51.1 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने यह योजना जुलाई 2021 में लागू की थी। इसका उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इनकी परिचालनगत क्षमता और वित्तीय वहनीयता में सुधार लाना है। योजना की कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) की है। 31.03.2026 को यह योजना समाप्त हो जाएगी। योजना के प्रमुख उद्देश्य हैः

I. वित्तीय और परिचालनगत सक्षम वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और सुलभ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाना।

II. 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी और सी) हानि में 12 से 15% की कमी लाना।

III. 2024-25 तक एसीएस - एआरआर अंतराल को कम कर शून्य कर देना।

इस योजना का परिव्यय ₹3,03,758 करोड़ है जिसमें भारत सरकार से सकल अनुमानित बजटीय सहयोग ₹97,631 करोड़ का है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त और पात्र कंपनियों को दी गई अनुदान राशि ₹1319.86 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष ₹359 करोड़) और 31.03.2023 तक संचयी अनुदान ₹1678.86 करोड़ है (31.03.2022 तक ₹359 करोड़)।

31.03.2023 और 31.03.2022 तक कोई भी अनुदान राशि असंवितरित नहीं थी।

कंपनी निगरानी समिति से अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के सकल बजटीय घटकों के कुल योग के 0.50% की दर से नोडल एजेंसी शुल्क के लिए पात्र है। इस योजना से नोडल एजेंसी शुल्क आय की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹71.59 करोड़ रुपये रही (पिछले वर्ष शून्य)।

51.2 एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (पुनर्गठित द्रुत विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी सहित)

आईपीडीएस योजना की शुरूआत दिसंबर 2014 में की गई थी। डिस्कॉम्स/विद्युत विभागों के संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण नेटवर्क तथा मीटरिंग अंतराल को पाटने में किए जाने वाले पूंजी व्यय में वित्तीय सहयोग के लिए। यह योजना 31.03.2022 तक समाप्त होनी थी और जारी अनुमोदित परियोजनाओं को नई आरडीएसएस योजना के तहत एक पृथक घटक के रूप में शामिल कर लिया गया है।

योजना का अनुमानित परिव्यय ₹32,612 करोड़ था, जिसमें भारत सरकार से ₹25,354 करोड़ का बजटीय सहयोग शामिल है। ₹22,727 करोड़ के बजटीय सहयोग सहित ₹44,011 करोड़ की लागत की आर-एपीडीआरपी योजना भी आईपीडीएस स्कीम के लिए चलायी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त और पात्र कंपनियों को दी गई राशि ₹474.46 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹2125.01 करोड़) और 31.03.2023 तक संचयी अनुदान ₹18,381.91 करोड़ है (31.03.2022 तक ₹17,907.45 करोड़)।

आर-एपीडीआरपी (आईपीडीएस में शामिल) के तहत प्राप्त और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पात्र कंपनियों को दी गई निधि राशि ₹65.00 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹326.64 करोड़) और 31.03.2023 तक संचयी अनुदान ₹13,562.07 करोड़ है (31.03.2022 तक ₹13,497.07 करोड़)।

31.03.2023 और 31.03.2022 तक कोई भी अनुदान राशि असंवितरित नहीं थी।

इस योजना से नोडल एजेंसी शुल्क आय की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शून्य थी (पिछले वर्ष ₹8.60 करोड़)। इसके अतिरिक्त इस योजना को वित्त मंत्रालय से व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में मिली राशि भी शून्य थी (पिछले वर्ष ₹28.20 करोड़)।

52. (क) जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रलेखीकरण की स्थिति

जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशो - जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर दिए जाने के बाद पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य मे मौजूद कंपनियों को दिनांक 23.10.19 के आदेश द्वारा नया रूप दिया गया है। नये पुनर्गठित विभागों के साथ हुए समझौतों में जोड़ को अभी कार्यान्वित किया जाना है। इन प्रलेखों के लंबित कार्यान्वयन के कारण वर्तमान ऋणों की निगरानी/पुनर्भुगतान मौजूदा ऋण समझौते के अनुरूप किया जा रहा है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) आंध्रप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्व आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना राज्य का गठन 02.06.2014 को हुआ। लेकिन, टीएसएसपीडीसीएल के सहयोगियों और सहयोगियों का एक निजी वेबसाइट पर ₹8.95 करोड़ का आरआर-एपीडी अपर ऋण स्थानांतरित किया गया है।

सरकार द्वारा गजट अधिसूचना के माध्यम से विद्युत् निगमों में सहयोगियों और सहायकों के आवश्यक अंतर को स्पष्ट करने के बाद, सभी ऋणों (उपर्युक्त आर-एपीडी सहकारी ऋणों को ठीक करना) के संबंध में नए/परिवर्तित नाम निगमों के साथ प्रलेखन दायित्व को अंतिम रूप देने की कार्रवाई की जाएगी। तबतक ब्याज/ मूलधन राशि भुगतान की कंपनी द्वारा अलग किया जा रहा है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित कंपनी से संबंधित कंपनी का भुगतान किया जा रहा है।

53. आरबीआई के मास्टर निर्देश के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार कंपनी और जमा स्वीकार कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016, समय समय पर संशोधित, आरबीआई द्वारा दिनांक 22.10.2021 और 19.04.2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार लेखा टिप्पणियों में स्केल आधारित विनियमों और स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जाए।

सरकार के स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण कंपनी एनबीएफसी-एमएल (मध्य स्तर) के लिए व्यवहार्य स्केल आधारित विनियमों के तहत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन है।

53.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों और देयता मदों का परिपक्वता पैटर्न

नीचे की तालिका में चरण 3 परिसंपत्तियों से संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता से निवल, 5 वर्ष के दौरान के मूल नकदी प्रवाह पर, उनकी परिपक्वता तिथि पर ध्यान दिए बिना, विचार किया गया है। इसके अलावा सबसे शीघ्र की तिथि पर विचार करते हुए पुट एंड कॉल विकल्प वाले बॉण्ड दर्शाए गए हैं। व्यावसायिक पत्र और जीरो कूपन बॉण्ड भी परिपक्वता मूल्य पर दर्शाए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

31.03.2023 तक बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण राशियां	विदेशी मुद्रा मद	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
1 से 7 दिन	-	588.78	-	-	-
8 से 14 दिन	-	2,500.44	2,955.28	-	-
15 दिन से 30/31 दिन	1,471.96	3,324.89	6,472.54	-	5.89
1 माह से अधिक और 2 माह तक	1,199.36	2,248.07	2,652.04	-	-
2 माह से अधिक 3 माह तक	5.09	2,982.71	10,963.41	-	6.57
3 माह से अधिक और 6 माह तक	5.00	15,115.04	9,325.88	-	2,055.42
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	9.71	26,182.74	13,910.84	--	7,034.08
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	100.24	72,751.80	70,458.74	-	11,261.13
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	105.43	68,525.33	65,123.12	-	8,573.42
5 वर्ष से अधिक	15,879.32	2,16,278.55	1,16,221.48	-	35,617.98
कुल	**18,776.11**	**4,10,498.35**	**2,98,083.33**	**-**	**64,554.49**

(₹ करोड़ में)

31.03.2022 तक बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण राशियां	विदेशी मुद्रा मद	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
1 से 7 दिन	374.80	-	86.09	-	0.00
8 से 14 दिन	460.83	1,933.65	184.70	-	0.00
15 दिन से 30/31 दिन	2,510.53	3,565.02	1,067.50	-	5.43
1 माह से अधिक और 2 माह तक	1,075.65	655.95	3,605.00	-	0.00
2 माह से अधिक 3 माह तक	2.03	970.23	2,268.75	-	2,235.52
3 माह से अधिक और 6 माह तक	2.39	6,607.24	7,733.04	-	0.00
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	4.49	14,531.37	13,989.53	-	6,982.03
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	14.74	65,323.48	83,967.36	-	10,160.98
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	9.50	63,292.38	44,425.26	-	7,797.27
5 वर्ष से अधिक	14,975.23	2,01,918.38	1,06,554.59	-	29,107.15
कुल	**19,430.19**	**3,58,797.70**	**2,63,881.81**	**-**	**56,288.37**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

53.2 एक्सपोजर

53.2.1 कंपनी की रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रति कोई एक्सपोजर नहीं है:

53.2.2 पूंजी बाजार के प्रति एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक राशि	31.03.2022 तक राशि
(i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युच्युल फंड की यूनिट्स जिनका विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता (पूरी तरह परिवर्तनीय प्राथमिक शेयर में निवेश शामिल)	16,342.82	15,974.26
(ii)	शेयर/ बॉण्ड/ डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों या पारदर्शी आधार पर शेयरों (आईपीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बॉण्ड,परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युच्युल फंड की इकाईयों में निवेश पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युच्युल फंड की इकाईयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया हो;	-	-
(iv)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युच्युल फंड की इकाईयों की कोलेटरल प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित होने की सीमा तक अर्थात जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुक म्युच्युल फंड की इकाईयों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह कवर नहीं करती।	-	-
(v)	शेयर दलालों के लिए सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम तथा उनकी ओर से और बाजार की ताकतों की ओर से जारी गारंटी;	-	-
(vi)	शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युच्युल फंड की इकाईयों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों या संसाधन जुटाने की आशा पर नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रमोटर का अंशदान जुटाने के लिए पारदर्शी आधार कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण;	2,898.97	2,699.02
(vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गमन पर कंपनियों को अंतरिम ऋण;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों) के प्रति सभी एक्सपोजर	-	-
(ix)	शेयरों के प्राथमिक निर्गमन या शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुल फंड की इकाईयों के संदर्भ में एनबीएफसी द्वारा ली गई लिखित प्रतिबद्धताएं	-	-
(x)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण	-	-
(xi)	वैकल्पिक निवेश निधियों के प्रति एक्सपोजर: (i) श्रेणी I (ii) श्रेणी II (iii) श्रेणी III	-	-
पूंजी बाजार के प्रति कुल एक्सपोजर		**19,241.79**	**18,673.28**

53.2.3 मूल कंपनी उत्पादों के वित्तपोषण का ब्योरा:

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

53.2.4 कंपनी द्वारा विस्तारित एकल ऋणकर्ता सीमा (एसजीएल)/ग्रुप ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्योरा:

निजी क्षेत्र की कंपनियों के संबंध में कंपनी आरबीआई के ऋण सघनता नियमों का अनुपालन कर रही है। केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संदर्भ में आरबीआई ने कंपनी को ये नियम लागू करने से 31.03.2022 तक छूट दी है। आरबीआई ने दिनांक 24.08.2022 के अपने पत्र द्वारा कंपनी की केंद्र/राज्य सरकारी कंपनियों को, वर्तमान एक्सपोजर के साथ, बिना कोई नियामक उल्लंघन किए पत्र की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक परिचालन करने की अनुमति दी है।

रिजर्व बैंक की स्केल आधारित विनियमों के अनुसार, स्वामित्व निधि की तुलना में ऋण सघनता सीमा की संगणना 01.10.2022 से श्रेणी 1 पूंजी के आधार पर किए जाने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने दिनांक 20.03.2023 के अपने पत्र द्वारा अन्य बातों के अलावा कंपनी को एक्सपोजर की संगणना करते समय 31 मार्च को (वार्षिक परिणामों के आधार पर) श्रेणी 1 पूंजी की गणना करने का निर्देश दिया है। हालांकि वर्ष के दौरान ऋण सघनता सीमाओं के उद्देश्य से कंपनी ने 21.03.2023 तक तिमाही वित्तीय परिणामों पर आधारित स्वामित्व निधि/श्रेणी 1 पूंजी का निर्धारण किया है।

31.03.2023 तक निजी/सरकारी क्षेत्र कंपनियों के प्रति कंपनी की एक्सपोजर आरबीआई द्वारा निर्धारित ऋण सघनता सीमा के भीतर थी।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

53.3 विनियामकों के साथ पंजीकरण का विवरण

क्र. सं.	विनियामक	विवरण	पंजीकरण ब्योरा
1.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	कंपनी पहचान संख्या	L65910DL1986GOI024862
2.	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	B- 14.00004
3.	लीगल एंटिटी आईडेंटीफायर इंडिया लिमिटेड	एलईई संख्या	3358003Q6D9LIJJZ1614
4.	भारतीय केंद्रीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित रजिस्ट्री	पंजीकरण संख्या	F0084

53.4 वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य विनियामकों द्वारा लगाया गया जुर्माना:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने निदेशक मंडल की संरचना का अनुपालन नहीं करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया था।

कंपनी ने एनएसई और बीएसई को अपने उत्तर में बताया केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के नाते और कंपनी एसोसिएशन के अनुच्छेद 86 के नियमानुसार कंपनी बोर्ड निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है और इस आधार पर दोनों शेयर बाजारों से उपर्युक्त जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया गया था। इस मामले में जुर्माना आदेश वापसी की अभी प्रतीक्षा है।

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की संतुलित संख्या की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने का मामला भी विद्युत मंत्रालय के साथ उठाया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनएसई और बीएसई ने निदेशक मंडल, लेखा समिति तथा निदेशक मंडल की मनोनयन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संदर्भ में गैर अनुपालन के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया था। कंपनी ने 15.11.2021 को तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में समिति संरचना निर्देशों का अनुपालन किया है। इसके अनुसार कंपनी ने दोनों एक्सचेंजो से उपर्युक्त जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। इस मामले में आदेश वापसी की अभी प्रतीक्षा है।

53.5 क्रेडिट रेटिंग

53.5.1 घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा 31.03.2023 तक दी गई रेटिंग

क्र.सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एए	आईसीआरए ए1+
3.	केयर	केयर एए	केयर ए1+

53.5.2 अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा 31.03.2023 तक दी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी-
2.	मूडीज	बीएए3

53.5.3 उपर्युक्त संदर्भ में वर्ष के दौरान रेटिंग का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

53.6 एकल लाभ एवं हानि विवरणी मे प्रावधान, आकस्मिक व्यय और क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
1	ऋण समायोजन, लेटर ऑफ कंफर्ट और गारंटी के तहत अधिग्रहीत ऋणों और निवेशों के प्रति क्षतिग्रस्तता हानि अलाउंएंसेज *	(289.60)	2,146.86
2	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानि अलाउएंसेज	(6.41)	2.33
3	निवेश पर क्षतिग्रस्तता हानि अलाउएंसेज	(0.20)	72.95
4	जारी परियोजनाओं पर अप्रयुक्त सीएसआर के लिए प्रावधान	106.34	54.87
5	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,330.24	2,382.86

* ₹957.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,396.13 करोड़) के ऋण समायोजन के तहत ऋण राइट-ऑफ और निवेश तथा ₹2,700.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,817.78 करोड़) के संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते की वापसी सहित।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

53.7 रिजर्व से आहरण

टिप्पणी 24 देखें

53.8 अन्य

(क) कंपनी इंड एएस-110 'समेकित वित्तीय विवरणी' के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।

(ख) कंपनी की संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी शाखा के रूप में कोई विदेशी परिसंपत्तियां नहीं है।

(ग) कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी नहीं है जिसे लेखांकन नियमों के तहत समेकित किया जाना जरूरी हो।

53.9 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राहक शिकायतें

31.03.2023 तक समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी को अपने ऋणकर्ताओं से कोई शिकायत नहीं मिली। (पिछले वर्ष शून्य)

53.10 एक्सपोजर की सघनता

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	2,60,886.64	2,43,423.52
ऋणकर्ता/ ग्राहकों पर कंपनी की कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों के प्रति डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	61.10%	63.17%

* ऋण भुगतान में चूक की एक्सपोजर मूलधन बकाया और इसपर प्रोद्भूत ब्याज है।

53.11 बड़े औद्योगिक क्षेत्र एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र	31.03.2023 तक				
	मूलधन बकाया (एलओसी सहित) (क)	प्रोद्भूत ब्याज (ख)	डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोजर (ईएडी) ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर सहित एलओसी (ग)=(क+ख)	सकल क्रेडिट क्षतिग्रस्त खाते (चरण 3) (घ)	ईएडी की तुलना में सकल क्रेडिट क्षतिग्रस्त खाते (चरण 3) का प्रतिशत ड.= (घ/ग)
विद्युत	4,23,910.11	4,492.68	4,28,402.79	16,501.65	3.85%
बंदरगाह	1,015.58	2.81	1,018.39	-	0.00%
कुल	**4,24,925.69**	**4,495.50**	**4,29,421.18**	**16,501.65**	**3.84%**

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र	31.03.2022 तक				
	मूलधन बकाया (एलओसी सहित) (क)	प्रोद्भूत ब्याज (ख)	डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोजर (ईएडी) ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर सहित एलओसी (ग)=(क+ख)	सकल क्रेडिट क्षतिग्रस्त खाते (चरण 3) (घ)	ईएडी की तुलना में सकल क्रेडिट क्षतिग्रस्त खाते (चरण 3) का प्रतिशत ड.= (घ/ग)
विद्युत	3,80,175.35	5,156.24	3,85,331.59	20,915.28	5.43%

53.12 अंतर-समूह एक्सपोजर

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
डिफॉल्ट पर अंतर समूह एक्सपोजर (ईएडी) की कुल राशि (₹ करोड़ में)	9.70	9.52
डिफॉल्ट पर शीर्ष 20 अंतर समूह एक्सपोजर (ईएडी) की कुल राशि (₹ करोड़ में)	9.70	9.52
ऋणकर्ता/ग्राहकों पर कंपनी की कुल ईएडी तुलना में अंतरसमूह ईएडी का प्रतिशत	0.00%	0.00%

* ऋण भुगतान में चूक की एक्सपोजर मूलधन बकाया और इसपर प्रोद्भूत ब्याज है।

53.13 नियामक अनुपात, सीमाएं और प्रकटीकरण इंड एएस के कार्यान्वयन से संबंधित आरबीआई के दिनांक 13 मार्च 2020 की विज्ञप्ति के अनुसार इंड एएस आंकड़ों पर आधारित हैं।

53.14 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ऋण या जारी ऋण प्रतिभूतियों की संविदाएं तोड़ने की कोई घटना नहीं हुई। (पिछले वर्ष शून्य)।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

53.15 31.03.2022 तक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई द्वारा संचालित पिछले वार्षिक निरीक्षण के दौरान कंपनी की रिपोर्ट की तुलना में आरबीआई द्वारा परिसंपत्ति वर्गीकरण और आकलित प्रावधान में कोई विचलन नहीं रहा।

54. दिनांक 01.09.2016 के आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुलग्नक IV में दी गई और समय-समय पर अद्यतन की गई जानकारी/विवरण कंपनी पर लागू है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक राशि		31.03.2022 को राशि	
देयता पक्ष	बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
(1) प्रोद्भूत ब्याज, लेकिन भुगतान नहीं, कंपनी को उपलब्ध ऋण और अग्रिम:				
(क) बॉण्ड : प्रतिभूत	19,920.79	-	17,980.13	-
: अप्रतिभूत	2,49,218.10	-	2,21,335.61	-
(ख) आस्थगित ऋण		-	-	-
(ग) सावधि ऋण		-	-	-
(i) रुपया सावधि ऋण	69,716.78	-	65,507.07	-
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	27,528.28	-	22,000.10	-
(घ) अंतर कॉर्पोरेट ऋण और ऋण राशियां		-	-	-
(ड.) वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-
(च) सार्वजनिक जमा		-	-	-
(छ) अन्य				
(i) बैंकों से अन्य ऋण	3,983.83	-	228.62	-

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति पक्ष	31.03.2023 तक राशि	31.03.2022 तक राशि
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों के अलग-अलग आंकड़े:		
(क) प्रतिभूत	1,93,369.31	1,87,185.54
(ख) अप्रतिभूत	2,29,128.42	1,85,949.07
(ग) घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(16,024.67)	(17,271.30)
ऋण और अग्रिम (निवल प्रावधान)	4,06,473.06	3,55,863.31
(3) निवेश के पृथक आंकड़े (निवल प्रावधान)		
लागत/परिशोधित लागत पर निवेश		
1. **उद्धृत**		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	14,500.50	14,500.50
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	526.25	98.69
(iii) डिबेंचर और बॉण्ड	300.08	-
2. **गैर-उद्धृत**		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	0.75	0.90
(ख) प्राथमिकता	85.78	84.47
(ग) घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(72.95)	(73.15)
गैर-उद्धृत शेयर (निवल प्रावधान)	13.58	12.22
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	122.16	-
उचित मूल्य पर निवेश		
1. **उद्धृत**		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	1,199.32	1,075.41
2. **गैर-उद्धृत**		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	592.25	241.73
(ख) प्राथमिकता	-	-
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	50.00	155.72

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(4) उपर्युक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण

श्रेणी	प्रावधान की निवल राशि (31.03.2023 तक)			प्रावधान की निवल राशि (31.03.2022 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्षकार						
(क) सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनी	9.52	-	9.52	9.52	-	9.52
(ख) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-	-	-	-
2. संबंधित पक्षकारों के अतिरिक्त	1,93,359.79	2,29,128.42	4,22,488.21	1,87,176.02	1,85,949.07	3,73,125.09
कुल	**1,93,369.31**	**2,29,128.42**	**4,22,497.73**	**1,87,185.54**	**1,85,949.07**	**3,73,134.61**

(5) शेयरों और प्रतिभूतियों (कोटेड और अनकोटेड दोनों) में सभी निवेशों का निवेशक समूह वार वर्गीकरण (लागत/परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर)

श्रेणी	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	ब्रेक अप मूल्य	बही मूल्य (निवल प्रावधान)	ब्रेक अप मूल्य	बही मूल्य (निवल प्रावधान)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) सहायक कंपनी	30,459.95	14,500.70	26,824.33	14,500.65
(ख) समान समूह की कंपनियां	0.51	0.55	0.50	0.55
2. संबंधित पक्षकारों के अतिरिक्त	2,802.89	2,802.89	1,583.07	1,583.07
कुल	**33,263.35**	**17,304.14**	**28,407.90**	**16,084.27**

(6) अन्य सूचना

विवरण	31.03.2023 तक राशि	31.03.2022 तक राशि
(i) सकल चरण 3 परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकारों के अतिरिक्त	16,501.65	20,915.28
(ii) निवल चरण 3 परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकारों के अतिरिक्त	4,502.27	6,570.91
(iii) ऋण के लिए अधिग्रहित परिसंपत्तियां	790.08	370.45

#नकारात्मक ब्रेक अप मूल्य के मामले में, शून्य मूल्य पर विचार किया गया है।

55. समय-समय पर यथासंशोधित आरबीआई के मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा राशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और लिक्विडिटी कवरेज अनुपात पर दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण

55.1 महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (ऋण राशि) के आधार पर वित्तीयन सघनता

विवरण	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की सख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयता का %
31.03.2023 तक	7	61,507.08	16.33%
31.03.2022 तक	7	59,447.08	17.74%

* कुल देयताओं के 1 प्रतिशत से अधिक के लिए समग्रता में महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/ महत्वपूर्ण उपकरण/ उत्पाद, एकल प्रतिपक्ष या संबंधित अथवा संबद्ध प्रतिपक्ष समूह लेखांकन के रूप में निर्दिष्ट है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

55.2 शीर्ष 10 ऋण (राशि ₹ करोड़ में और कुल ऋण के प्रतिशत में)

क्र.सं.	विवरण*	31.03.2023 तक	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %
1	एचडीएफसी बैंक से आरटीएल	10,750.00	2.96%
2	भारतीय स्टेट बैंक से आरटीएल	9,569.98	2.64%
3	केनरा बैंक से आरटीएल	9,075.00	2.50%
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आरटीएल	6,800.00	1.88%
5	राष्ट्रीय लघु बचत योजना (एनएसएसएफ) से आरटीएल	7,500.00	2.07%
6	3.95 अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2030	6,166.27	1.70%
7	सिंडिकेटेड जेपीवाई विदेशी मुद्रा सावधि ऋण 32ए	5,513.05	1.52%
8	सिंडिकेटेड अमरीकी डॉलर विदेशी मुद्रा सावधि ऋण 31	5,138.56	1.42%
9	8.65 टीएक्स यूएससी बॉण्ड श्रृंखला 126	5,000.00	1.38%
10	8.41 टीएक्स यूएससी बॉण्ड श्रृंखला 131 सी	5,000.00	1.38%

* बॉण्ड जारी किए जाने/बैंकों से सावधि ऋण के आकार पर आधारित

क्र.सं.	विवरण*	31.03.2022 तक	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %
1	भारतीय स्टेट बैंक से आरटीएल	10,999.98	3.44%
2	एचडीएफसी बैंक से आरटीएल	9,750.00	3.05%
3	राष्ट्रीय लघु बचत योजना (एनएसएसएफ) से आरटीएल	7,500.00	2.34%
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आरटीएल	6,675.00	2.09%
5	केनरा बैंक से आरटीएल	6,200.00	1.94%
6	3.95% अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2030	5,685.53	1.78%
7	बैंक ऑफ बड़ोदा से आरटीएल	5,344.00	1.67%
8	8.65% कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 126	5,000.00	1.56%
9	8.41% कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 131 सी	5,000.00	1.56%
10	7.62% कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 171	5,000.00	1.56%

* बॉण्ड जारी किए जाने/बैंकों से सावधि ऋण के आकार पर आधारित

55.3 महत्वपूर्ण लिखतों/उत्पादों पर आधारित निधियन सघनता

क्र.सं.	महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयता का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयता का %
1	ऋण प्रतिभूतियां				
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	38.51	0.01%	38.51	0.01%
	- कर मुक्त बॉण्ड	8,259.12	2.19%	8,983.03	2.68%
	- 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	6,599.69	1.75%	3,998.82	1.19%
	- करयोग्य बॉण्ड	2,00,172.79	53.15%	1,75,616.83	52.41%
	- विदेशी मुद्रा नोट	37,219.33	9.88%	34,378.78	10.26%
	- वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-
	उप जोड़ (i)	**2,52,289.44**	**66.99%**	**2,23,015.97**	**66.56%**
2	ऋण राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)				
	- विदेशी मुद्रा ऋण	6,615.94	1.76%	128.07	0.04%
	- सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण	20,719.21	5.50%	21,781.52	6.50%
	- रुपया सावधि ऋण	62,317.90	16.55%	58,262.48	17.39%
	- रुपया सावधि ऋण - भारत सरकार	7,500.00	1.99%	7,500.00	2.24%
	- सावधि जमा पर ऋण			228.59	0.07%
	- कार्य शील पूंजी मांग ऋण/ ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण / आवश्यकतानुसार ऋण सहायता (एलओसी)	3,983.83	1.06%	-	-
	उप जोड़ (ii)	**1,01,136.88**	**26.85%**	**87,900.66**	**26.23%**
3	अधीनस्थ देयताएं	9,211.50	2.45%	9,211.50	2.75%
	उप जोड़ (iii)	**9,211.50**	**2.45%**	**9,211.50**	**2.75%**
	कुल (i+ii+iii)	**3,62,637.83**	**96.28%**	**3,20,128.13**	**95.54%**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

55.4 स्टॉक अनुपात

क्र.सं.	विवरण	कुल सार्वजनिक निधि का %	कुल देयता का % कुल परिसंपत्ति का %	कुल परिसंपत्ति का %
31.03.2023 तक				
1	अपरिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता 1 वर्ष से कम)	-	-	-
2	वाणिज्यिक पत्र	-	-	-
3	अन्य अल्पावधि देयताएं	3.57%	3.44%	2.91%
31.03.2022 तक				
1	अपरिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता 1 वर्ष से कम)	-	-	-
2	वाणिज्यिक पत्र	-	-	-
3	अन्य अल्पावधि देयताएं	0.07%	0.07%	0.06%

55.5 कंपनी में लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था के लिए टिप्पणी 40.2 देखें।

55.6 लिक्विडिटी कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2023 तक समाप्त तिमाही		31.12.2022 को समाप्त तिमाही				30.09.2022 को समाप्त तिमाही	
				01.10.2022 से 30.11.2022 तक		01.12.2022 से 31.12.2022 तक			
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)(क)	1,318.83	1,318.83	1,168.02	1,168.02	1,883.65	1,883.65	1,086.53	1,086.53
नकदी बहिर्वाह									
2	डेरिवेटिव एक्सपोजर तथा अन्य कोलेटरल जरूरत बहिर्वाह								
3	अन्य अनुबंधगत वित्तपोषण दायित्व	5,752.95	6,615.89	5,593.60	6,432.64	7,813.96	8,986.05	5,173.18	5,949.16
4	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	800.25	920.28	1,177.53	1,354.16	1,545.79	1,777.66	1,125.53	1,294.36
5	**कुल नकदी बहिर्वाह**	**6,553.20**	**7,536.17**	**6,771.13**	**7,786.80**	**9,359.75**	**10,763.71**	**6,298.71**	**7,243.52**
नकदी अंतर्वाह									
6	लाइन ऑफ क्रेडिट - ऋण या नकदीकरण या अन्य आकस्मिक वित्तपोषण सुविधाएं	5,031.32	3,773.49	4,945.10	3,708.82	3,444.29	2,583.22	5,650.07	4,237.55
7	पूरी तरह कार्यशील एक्सपोजर से अंतर्वाह	8,429.01	6,321.76	6,065.21	4,548.91	9,338.81	7,004.11	5,707.29	4,280.46
8	अन्य नकदी अंतर्वाह	2,502.22	1,876.67	1,400.00	1,050.00	4,843.25	3,632.44		
9	**कुल नकदी अंतर्वाह**	**15,962.55**	**11,971.91**	**12,410.31**	**9,307.73**	**17,626.34**	**13,219.76**	**11,357.36**	**8,518.02**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2023 तक समाप्त तिमाही		31.12.2022 को समाप्त तिमाही				30.09.2022 को समाप्त तिमाही	
				01.10.2022 से 30.11.2022 तक		01.12.2022 से 31.12.2022 तक			
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
9	**कुल एचक्यूएलए**		**1,318.83**		**1,168.02**		**1,883.65**		**1,086.53**
10	कुल निवल नकदी बहिर्वाह (कुल भारित नकदी बहिर्वाह) -(कुल भारित नकदी बहिर्वाह या कुल भारित नकदी अंतर्वाह के 75%) का न्यूनतम		1,884.04		1,946.70		2,690.93		1,810.88
11	**लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (%)**		**70.00%**		**60.00%**		**70.00%**		**60.00%**

(क) कंपनी के पास पर्याप्त एचक्यूएलए है। लेकिन उपर्युक्त प्रकटीकरण के लिए, 70 प्रतिशत (01.12.2022 से, और 60 प्रतिशत (30.11.2022 तक) के अपेक्षित एलसीआर स्तर के लिए जरूरी एचक्यूएलए राशि पर विचार किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		30.06.2022 को समाप्त तिमाही		31.03.2022 को समाप्त तिमाही	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)		
उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)(ख)	1,591.88	1,591.88	3,460.28	3,460.28
नकदी बहिर्वाह					
2	डेरिवेटिव एक्सपोजर तथा कोलेटरल संबंधी बहिर्वाह	-	-	-	-
3	अन्य अनुबंधगत वित्तपोषण दायित्व	5,420.80	6,233.92	5,827.99	6,702.19
4	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	3,807.51	4,378.64	6,920.18	7,958.20
5	**कुल नकदी बहिर्वाह**	**9,228.31**	**10,612.55**	**12,748.17**	**14,660.39**
नकदी अंतर्वाह					
6	लाइन ऑफ क्रेडिट- ऋण या लिक्विडिटी सुविधा या अन्य आकस्मिक वित्तपोषण सुविधायें	6,106.79	4,580.10	6,122.75	4,592.06
7	पूरी तरह कार्यशील एक्सपोजर से अंतर्वाह	5,376.39	4,032.30	5,617.12	4,212.84
8	अन्य नकदी अंतर्वाह			117.81	88.36
9	**कुल नकदी अंतर्वाह**	**11,483.19**	**8,612.39**	**11,857.68**	**8,893.26**
	कुल एचक्यूएलए		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
10	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह**		**1,591.88**		**3,460.28**
11	(कुल भारित नकदी बहिर्वाह) -(कुल भारित नकदी बहिर्वाह या कुल भारित नकदी अंतर्वाह के 75%) का न्यूनतम		2,653.14		5,767.13
12	**लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (%)**		**60.00%**		**60.00%**

(ख) कंपनी के पास पर्याप्त एचक्यूएलए है। हालांकि उपर्युक्त प्रकटीकरण के लिए, 60 प्रतिशत के एलसीआर स्तर के लिए आवश्यक राशि पर विचार किया गया है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

55.6.1 आरबीआई ने अपने मास्टर निर्देश- 'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैरजमा स्वीकार कंपनी, 2016' द्वारा एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन को कवर करते हुए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें आरबीआई ने, 5000 रुपये से अधिक के आकार वाली परिसंपत्ति के साथ सभी गैर जमा स्वीकार एनबीएफसी पर लागू लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रस्तुत किया। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के रूप में लिक्विडिटी स्टॉक बनाए रखना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इनमें अगले 30 दिन से अधिक समय तक के किसी गंभीर लिक्विडिटी तनाव में टिके रहने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) हो। दिशानिर्देश के अनुसार एलसीआर,अगले 30 दिनों के एचक्यूएलए स्टॉक को कुल निवल नकदी बहिर्वाह (दबावग्रस्त बहिर्वाह में से दबावग्रस्त अंतःप्रवाह को घटाकर) से भाग देकर निकाला जाता है। एचक्यूएलए को आरबीआई द्वारा लिक्विड परिसंपत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसे तुरंत बेचा जा सकता है या तुरंत मामूली/बिना किसी नुकसान के नकदी में बदला जा सकता है या दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए कोलेटरल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

कंपनी ने, न्यूनतम 50 प्रतिशत एलसीआर की निर्धारित आवश्यकता को 01.12.2020 से क्रमशः बढ़ाते हुए 1 दिसंबर 2024 तक 100 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर पर लाना तय किया है। कंपनी द्वारा एचक्यूएलए का प्रबंधन चालू खाते में बैंक शेष और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा और पात्र प्रतिभूतियों के रूप में किया जा रहा है। कंपनी केवल भारतीय रुपये के रूप में एलसीआर रख रही है, इसलिए करेंसी तालमेल न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

55.6.2 एचक्यूएलए धारिता की स्थिति निम्नानुसार है:

एचक्यूएलए मद	सकल एचक्यूएलए का %	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
कटौती मूल्य के बिना परिसंपत्तियां		
नकदी और नकदी समतुल्य	37.78%	93.75%
सावधि/मांग जमा		
जी-सेक	39.26%	2.86%
15% कटौती मूल्य के साथ परिसंपत्तियां	-	-
50% कटौती मूल्य के साथ परिसंपत्तियां		
कोल इंडिया लिमिटेड शेयर	11.58%	3.39%
यूपीपीसीएल बॉण्ड	11.38%	
कुल	**100.00%**	**100.00%**

56. मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर हस्तांतरण) दिशानिर्देश, 2021, दिनांक 24 सितंबर 2021 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) ऋण हस्तांतरण/अधिग्रहण का कोई रिपोर्ट योग्य मामला नहीं है।

57. आरबीआई मास्टर निर्देश- गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार कंपनी और जमा स्वीकार कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016, समय समय पर संशोधित, लेखा टिप्पणियों में स्केल आधारित विनियमों और लेखा टिप्पणियों में स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जाए, के संदर्भ में आरबीआई द्वारा दिनांक 22.10.2021 और 19.04.2022 को जारी विज्ञप्ति के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण, टिप्पणी 5, 9.1 से 9.4, 11.2, 39.1,39.2, 40.1.3 (iii), 40.1.3 (vi), 40.1.3 (vii), 40.1.5, 40.1.6, 40.1.7, 40.1.8, 40,3, 40.4, 49, 53, 54, 55 और 56 में किया गया है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

58. 'बड़ी कंपनियों द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी कर निधि अर्जन' के संदर्भ में सेबी की दिनांक 10.08.2021 की संचालनगत विज्ञप्ति के अध्याय XII की शर्तों के अनुसार कंपनी एक 'बड़ी कॉर्पोरेट' कंपनी है। इस विज्ञप्ति के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
सीआईएन	L65910DL1986GOI024862	
वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को कंपनी की बकाया ऋण राशियां (₹ करोड़ में) (दिनांक 10 अगस्त 2021 को सेबी की संचालनगत विज्ञप्ति के चैप्टर XII के अनुसार)	2,91,099.50	2,63,611.19
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ	क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा एएए	
स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिसमें जुर्माने का भुगतान किया जाएगा, निर्धारित रूपरेखा के तहत ऋण में कोई कमी रहने पर	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)	
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रकटीकरण		
3 वर्ष की ब्लॉक अवधि (वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें)	वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25	
वित्तीय वर्ष (2022-23) में की गई वृद्धि क्रम ऋण (क)	59,297.47	
वित्तीय वर्ष (2022-23) में ऋण प्रतिभूतियों के जरिये की जाने वाली अनिवार्य ऋण (ख) = (क का **25%**)	14,824.37	
वित्तीय वर्ष (2022-23) में ऋण प्रतिभूतियों के जरिये की गई वास्तविक ऋण (ग)	44,697.47	
वित्तीय वर्ष (2022-23) में अग्रसरित, वित्तीय वर्ष (2021-22) की ऋण प्रतिभूतियों से ऋण में कमी, यदि हो, **(घ) = (ख) - (ग)**	शून्य	
(ग) से पूरी की गई (घ) की राशि (ड.)	लागू नहीं	
वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए ऋण प्रतिभूतियों में अनिवार्य ऋण में कोई कमी, यदि रही हो, (वित्तीय वर्ष (2021-22) की कमी समायोजित करने के बाद जिसे वित्तीय वर्ष (2022-23) में अग्रसरित किया गया **(च) = (ख) - (ग) - (ड.)**	शून्य	
पिछले ब्लॉक के संदर्भ में अदा किए जाने वाले जुर्माने का विवरण, यदि कोई हो,		
3 वर्ष की ब्लॉक अवधि (वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें)	वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24	
ब्लॉक के लिए भुगतान की जाने वाली जुर्माने की राशि, यदि व्यवहार्य हो, जुर्माना = (घ)- (ड.) का **0.2%**	लागू नहीं	
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रकटीकरण		
2 वर्ष की ब्लॉक अवधि	वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23	
वार्षिक ऋण का विवरण:		
वित्तीय वर्ष (2021-22) में की गई वार्षिक ऋण **(क)**	28,671.83	
वित्त वर्ष (2021-22) में ऋण प्रतिभूतियां जारी कर की जाने वाली अनिवार्य ऋण **(ख)** = (क का 25%)	7,167.96	
वित्तीय वर्ष (2021-22) में ऋण प्रतिभूतियों से की गई वास्तविक ऋण **(ग)**	14,666.83	
वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऋण प्रतिभूतियों में ऋण से कमी, यदि हो, वित्त वर्ष 2021-22 में अग्रसरित **(घ) = (ख) - (ग)**	शून्य	
(ग) से पूरी की गई (घ) की राशि (ड.)	लागू नहीं	
वित्तीय वर्ष (2020-21) के लिए ऋण प्रतिभूतियों में अनिवार्य ऋण में कोई कमी, यदि रही हो, (वित्तीय वर्ष (2020-21) की कमी समायोजित करने के बाद जिसे वित्तीय वर्ष (2021-22) में अग्रसरित किया गया **(च) = (ख) - (ग) - (ड.)**	शून्य	

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

59. सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, नियम 52 (4) की अनुपालन अपेक्षाएं निम्नानुसार है:-

विवरण	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष पर	31.03.2022 तक/को समाप्त वर्ष पर
इक्विटी अनुपात पर ऋण(समय)	5.32	5.38
बकाया विमोचन योग्य प्राथमिकता शेयर	-	-
पूंजी शोधन रिजर्व/डिबेंचर शोधन रिजर्व	-	-
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	68,202.23	59,350.28
कुल परिसंपत्ति पर कुल ऋण (समय)	0.82	0.81
संचालन मार्जिन (%)	35.70%	31.60%
निवल लाभ मार्जिन (%)	29.26%	25.97%

टिप्पणियां:

1. ऋण = (ऋण प्रतिभूतियां+ऋण राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)+ अधीनस्थ देयताओं) का कुल बकाया घटाव नकदी और नकदी समतुल्य।
2. निवल मूल्य = इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी
3. कुल परिसंपत्तियों के लिए कुल ऋण = (ऋण प्रतिभूतियां +ऋण राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) +अधीनस्थ देयताओं) का कुल बकाया/ कुल परिसंपत्तियां
4. संचालन मार्जिन = (कर पूर्व लाभ - अन्य आय) / परिचालनों से कुल राजस्व
5. निवल लाभ मार्जिन = कर बाद निवल लाभ / कुल आय
6. ऋण सेवा कवरेज अनुपात, ब्याज सेवा कवरेज अनुपात, वर्तमान अनुपात, चालू देयता अनुपात, कार्यशील पूंजी पर दीर्घावधि ऋण, खाता प्राप्य अनुपात पर अशोधित ऋण, कर्जदार का टर्नओवर, स्टॉक का टर्नओवर अनुपात कंपनी पर लागू नहीं है।
7. विनियम 52(4) के तहत अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 38, 39.1 में दिए गए हैं।

60. पूर्व वर्ष के आंकड़े,आवश्यकतानुसार, पुन:समूहबद्ध/ व्यवस्थित किए गए हैं, ताकि तुलनात्मक बनाए जा सकें।

61. आंकड़ों को दशमलव के बाद के दो अंकों तक निकटतम करोड़ रुपए में रखा गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

समेकित वित्तीय विवरण

242	समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट
250	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
252	समेकित तुलन-पत्र
254	समेकित लाभ एवं हानि विवरण
258	समेकित नकदी प्रवाह विवरण
	संदर्भ सूचना

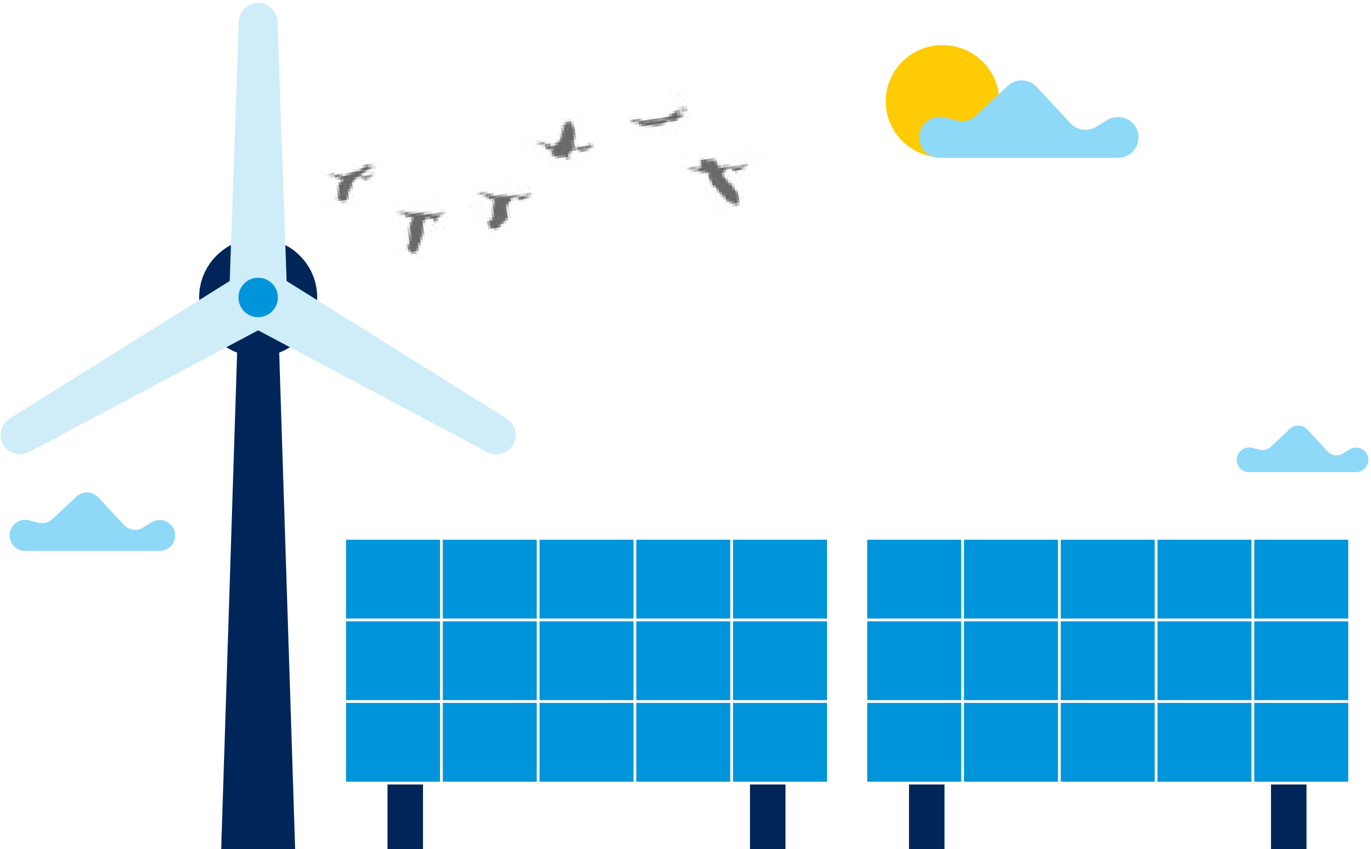

स्वतंत्र निदेशक रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. मत

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यहां होल्डिंग कंपनी के रूप में उल्लिखित) और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक, एकसाथ समूह के रूप में उल्लिखित) और सहयोगी कंपनियों की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जो 31 मार्च, 2023 के समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी बदलाव विवरणी और समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश (यहां समेकित वित्तीय विवरणी के रूप में उल्लिखित) सहित समेकित वित्तीय विवरण टिप्पणियों में शामिल है।

हमारे मत में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए प्रकटीकरण तथा सहायक और सहयोगी कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ये विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाए, (इंड एएस) और भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत, ग्रुप और इसके सहयोगियों के 31 मार्च, 2023 तक के मामलों - समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित बदलाव और समेकित नकदी प्रवाह की, समेकित स्थिति की, निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, सत्य और निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

2. मत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्व का उल्लेख हमारी रिपोर्ट में आगे समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षकों का दायित्व खंड में किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से जारी आचार संहिता तथा अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार ग्रुप से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और संस्थान की आचार संहिता के अनुरूप इन दायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए समुचित और पर्याप्त हैं।

3. विषय का महत्व

हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 46.1.2 की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं जो ऋण परिसंपत्तियों, असंवितरित लेटर ऑफ कंफर्ट और गारंटी से संबंधित क्षति अलाउएंस के प्रावधान के बारे में है। कंपनी और इसकी एक सहायक ने, उनके द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर, इंड एएस 109 के तहत अपेक्षित ऋण परिसंपत्तियों, असंवितरित लेटर ऑफ कंफर्ट और गारंटी के संदर्भ में अनुमानित ऋण हानि मान्य की है। चूंक संगणना मापदंडों के लिए निश्चित तकनीकी और पेशेवर विशेषज्ञता की जरूरत होती है, इसलिए हमने क्षति अलाउएंस के निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहां तक कि यह उक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा विचार किए गए तकनीकी पक्षकारों/मापदंडों और इस बारे में प्रबंधन के निर्णयों से संबंधित है।

उपर्युक्त विषय में हमारा मत संशोधित नहीं है।

4. प्रमुख लेखांकन विषय

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेगत निर्णय में वर्तमान अवधि की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और इनपर अपना मत तय करने में इन विषयों पर पूरी समग्रता से ध्यान दिया गया, और हमने इन विषयों पर अलग से कोई मत उपलब्ध नहीं कराया। हमने निम्नलिखित विषयों को रिपोर्ट में दिए जाने योग्य प्रमुख लेखापरीक्षा विषय निर्धारित किया।

क्र. स.	प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	लेखा परीक्षक प्रतिक्रिया
(i)	**वित्तीय उपकरणों - ऋण परिसंपत्तियों की ऋण क्षति** होल्डिंग कंपनी बोर्ड अनुमोदित तरीका अपनाती है जिसमें क्षति के लिए अलाउएंस आकलन परिसंपत्तियों को ऋण जोखिम और क्षति प्रमाण स्तर पर विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किए जाने की कसौटी/रूपरेखा के संदर्भ में निश्चित दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं के आधार पर, एक बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति हानि मापन के लिए सांख्यिकी मॉडल के उपयोग की जरूरत होती है जिससे डिफॉल्ट (पीडी), हानि प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) और डिफॉल्ट के प्रति एक्सपोजर (ईएडी) की संभावनाओं का आकलन किया जाए। ये मॉडल क्षति हानि मापन के प्रमुख माध्यम हैं।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल थीः-** • होल्डिंग कंपनी ने ऋण परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य के आकलन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सेवाएं ली हैं। हमने क्षति अलाउएंस तथा स्वतंत्र विशेषज्ञों से साझा किए गए डेटा की परिपूर्णता और सटीकता के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देश के अलावा विभिन्न नियामक अपडेट के साथ कसौटी/रूपरेखा का सत्यापन किया है। • वसूलियों का सत्यापन मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपना कर किया गया। प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के माध्यम से ऋण शेष की पुष्टि और ऋणकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

क्र. स.	प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	लेखा परीक्षक प्रतिक्रिया
	क्षति अलाउंएंस के आकलन के लिए प्रमुख संकेतक की जानकारी प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर दी जाती है। प्रबंधन के निर्णय के व्यापक स्तरों की पहचान करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैः- ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) - कंपनी ने एसआईसीआर का वर्गीकरण इंड एएस में निर्दिष्ट संकेतक, डिफॉल्ट की संभावनायें, हानि प्रदत्त डिफॉल्ट और व्यक्तिगत रूप से आकलित चरण 3 वहनीय मूल्य के आधार पर किया है। ऋणकर्ताओं को ऋण और अग्रिमों के वहनीय मूल्य में बड़ी गलतबअर्थात हो सकती है, यदि निश्चित आकलनों, भावी नकदी प्रवाह और परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर क्षति का समुचित आकलन न किया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम आकलन के तहत हमने निर्धारित किया कि ईसीएल के मूल्य में अनुमान और अनिश्चितता का आधिक्य है। समेकित वित्तीय विवरणों में कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को हमारे लेखा परीक्षण में प्रमुख विषय माना गया है।	• हमने निहित मान्यताओं और ईसीएल आकलन के व्यापक तरीकों की समीक्षा की और अपने इनपुट साझा किए। • तीसरे पक्ष द्वारा किए गए क्षति आकलन अध्ययन में प्रयुक्त घटकों और संगणनाओं पर प्रबंधन के साथ विचार विमर्श और परीक्षण हो चुका है जिसपर हमने भरोसा किया है। इस मामले में, तीसरी पार्टी द्वारा गोपनीय मानकर कुछ मापदंड साझा नहीं किए जाने से हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रिया सीमित रही है। हमारा मानना है कि ऋण क्षति प्रभार और मान्य प्रावधान तथा संबंधित प्रकटीकरण स्वीकार्य और संतोषजनक है।
(ii)	**डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्यांकन** होल्डिंग कंपनी, अपने कंपनी बोर्ड के अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपनी करेंसी और ब्याज दर जोखिम कम करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप डेरिवेटिव अनुबंध करती है। डेरिवेटिव अनुबंध या तो लाभ हानि (एफवीटीपीएल) या नकदी प्रवाह हेज (हेज लेखांकन) के तहत उचित मूल्य पर श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। एफवीटीपीएल में श्रेणीबद्ध डेरिवेटिव पर बाजार लाभ/हानि पीएंडएल में और हेज लेखांकन पर रखे गए डेरिवेटिव पर बाजार लाभ हानि अन्य व्यापक आय में मान्य की जाती है। हम बड़ी एक्सपोजर के कारण और इस तथ्य के कारण कि बैंक द्वारा इन अपेक्षाओं/ मान्यताओं/ अनुमानों का अनुचित इस्तेमाल आय विवरणी पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है, डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण के मूल्यांकन और हेज लेखांकन को एक प्रमुख लेखा परीक्षण विषय मानते हैं।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल थीः-** जोखिम प्रबंधन को लेकर कंपनी प्रबंधन की धारणा को समझना और उसपर विचार विमर्श करना तथा उसकी जोखिम प्रबंधन नीति का अध्ययन करना। इंड एएस 109 के आधार पर डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन। डेरिवेटिव लिखतों के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। होल्डिंग कंपनी प्रतिपक्ष बैंकों से डेरिवेटिव का उचित मूल्य प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में 31.03.2023 तक बकाया विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों के विवरणों और उचित मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त हमने डेरिवेटिव अनुबंधों के बाजार आधार पर लाभ या हानि लेखांकन का सत्यापन लाभ हानि खाते में और डेरिवेटिव अनुबंधों के नकदी प्रवाह हेज के तहत होने की स्थिति में अन्य व्यापक आय में किया है। हमने प्रतिपक्ष बैंकों से प्राप्त उचित मूल्य पर डेरिवेटिव अनुबंध मापन में कोई बड़ी गलतबअर्थात नहीं पायी।

कंपनी की सहायक आरईसी लिमिटेड की वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षण मत के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख लेखा विषयों की रिपोर्टिंग संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा दिनांक 17 मई, 2023 की रिपोर्ट में की गई थी, हमने इसे यहां पुनः प्रस्तुत किया हैः

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	लेखा परीक्षक प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्ति का क्षति अलाउंएंस -** (एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 47.1.3 देखें, लेखांकन नीति संख्या 3.11 के साथ पढ़ा जाए)। कंपनी क्षति भत्ते के लिए कंपनी बोर्ड से अनुमोदित तरीका अपनाती है जिसमें अलाउंएंस का आकलन परिसंपत्तियों को ऋण जोखिम और क्षति प्रमाण स्तर पर विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किए जाने की कसौटी/रूपरेखा के संदर्भ में निश्चित दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं के आधार पर, एक बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता का मापन डिफॉल्ट की संभावना, हानि प्रदत्त डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के प्रति एक्सपोजर के प्रमुक मापदंडों पर किया जाता है। क्षति भत्ते के आकलन के लिए प्रमुख संकेतक की जानकारी प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर दी जाती है।	**इस संबंध में हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनायी हैः** क) इंड एएस 109 वित्तीय उपकरण के प्रावधानों के अनुसार, हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति अलाउंएंस के संदर्भ में विभिन्न नियामक अपडेटों तथा कंपनी के आंतरिक दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं के साथ मापदंड/रूपरेखा का सत्यापन किया है। ख) परीक्षण जांच आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन, कुल ऋणों के बड़े भाग को कवर करते हुए, वसूली/प्रदर्शन पक्ष की निगरानी और इसपर प्रबंधन की धारणा को ध्यान में रखते हुए ऋण क्षति का आकलन। ग) वसूलियों का सत्यापन मानक लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपना कर किया जाता है। ऋण शेष की पुष्टि की गई तथा ऋण कर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण प्रमुख नियमन मापदंडो के आधार पर किया गया। घ) ऋण परिसंपत्तियों के प्रदर्शन के आधार पर क्षति का आकलन हमें उपलब्ध कराये गए रिकॉर्ड में संबंधित प्रमाण के आधार पर किया गया। ङ) जहां भी कोई कमी नजर आयी हमने उसपर प्रबंधन से विचार विमर्श किया और ऐसे मामलों में विस्तार से प्रबंधन आकलन किया गया।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	लेखा परीक्षक प्रतिक्रिया
	इसके अलावा प्रबंधन ने उपर्युक्त मॉडल के अलावा एक अन्य तरीका अपनाया है जिसमे अलग अलग स्थितियों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और जहां क्षति के असर को बदलने की जरूरत होती है, उसपर वित्तीय विवरणों में विचार किया जाता है। एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में ऋण राशि के महत्व को देखते हुए, जैसे कुल परिसंपत्तियों का 90.79 प्रतिशत होना, ऋण परिसंपत्ति क्षति की लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमारे लेखा परीक्षण में प्रमुख लेखापरीक्षा विषय मानी गई है।	च) क्षति भत्ते के लिए विभिन्न घटकों का अध्ययन और संगणना बाहरी एजेंसी द्वारा की गई, हमने इसपर भरोसा किया और इसके लिए परीक्षण जांच भी की गई। इन घटकों में ऋणकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग (विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रेटिंग सहित), डिफॉल्ट/ऋण प्रदत्त डिफॉल्ट की आशंका की संगणना इत्यादि आते हैं। बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट पर निर्भरता को देखते हुए इस संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया सीमित है। छ) इसके अतिरिक्त प्रबंधन, बोर्ड से अनुमोदित तरीके को अपनाते हुए बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट में क्षति अलाउएंस की समीक्षा करता है और प्रबंधन आकलन के अनुसार अलग अलग मामलों के आधार पर क्षति आकलन में वृद्धि/कमी करता है। इन बदलावों के बारे में हमें प्रबंधन से विस्तृत विश्लेषण प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के कारण सीमित रही है और हम उस जानकारी पर निर्भर रहे हैं।

5. समेकित वित्तीय विवरणियां और इनपर लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

होल्डिंग कंपनी का बोर्ड निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशक रिपोर्ट अनुलग्नक, प्रबंधकीय विचार विमर्श और विश्लेषण, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट सहित निदेशक रिपोर्ट में शामिल सूचनाएं आती हैं लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणी और इसपर लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपर उल्लिखित सूचना इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराये जाने की आशा है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य जानकारी को कवर नहीं करता और हम इसपर किसी प्रकार का कोई आश्वासन निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करते।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व, उपलब्ध हो जाने पर उपर्युक्त अन्य सूचना को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या यह गंभीर रूप से गलत प्रतीत होती है।

अन्य सूचनाएं पढ़ते समय यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें गंभीर गलतबअर्थात है तो हमें यह मामला शासन प्रभारियों तक पंहुचाना होता है और आवश्यकता पड़ने पर समुचित कदम उठाना होता है।

6. समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन और प्रशासन प्रभारियों का दायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के संदर्भ मे इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए होल्डिंग कंपनी का निर्देशक मंडल उत्तरदायी है जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय), इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण और इंड एएस और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सहयोगी कंपनियों सहित समूह का समेकित नकदी प्रवाह की सच्ची और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराता है। समूह में शामिल कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों के संबंधित बोर्ड के निर्देशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड प्रबंधन, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और प्रयोग, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करने तथा समेकित वित्तीय विवरणो की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजायन, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं ताकि होल्डिंग कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त लेखा रिकॉर्ड धोखाधड़ी या त्रुटिवश प्रस्तुत किसी भी बड़ी गलतबअर्थात से मुक्त सही और निष्पक्ष जानकारी दे सकें।

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में समूह में शामिल कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों के संबंधित बोर्ड निर्देशक मंडल चालू कंपनियों के रूप में जारी रहने, चालू कंपनी से संबंधित मुद्दों के व्यवहार्यता अनुरूप प्रकटीकरण, लेखांकन के लिए चालू कंपनी आधार अपनाने में समूह और इसके सहयोगियों की सामर्थ्य के आकलन के लिए उत्तरदायी हैं, जबतक कि प्रबंधन ग्रुप को लिक्विडेट न कर दे या परिचालन बंद न कर दे या इसके सिवाय उसके पास वस्तुस्थिति परक कोई अन्य विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों के संबंधित बोर्ड निर्देशक मंडल समूह और इसके सहयोगियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

7. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बात का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्रता में या तो धोखाधड़ी के कारण या त्रुटि के कारण हुई किसी बड़ी गलतबअर्थात से मुक्त हों, और ऐसा लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी गंभीर गलतबअर्थात, उसके मौजूद होने पर, पता लगा ही लेगा। गलतबअर्थात किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है, और तब गंभीर मानी जाती है, जब इनसे, समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाने वाले उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत या सामूहिक आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की आशंका हो।

लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण में हम पेशेवर निर्णयों का इस्तेमाल करते हैं और पूरे परीक्षण के दौरान पेशेवर संशयात्मकता बनाये रखते हैं। हम यह भी करते हैः-

- समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानियों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे ये किसी धोखाधड़ी की वजह से हुई हों या त्रुटिवश, उन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रिया डिजायन और संपादित करते हैं और लेखा प्रमाण जुटाते हैं जो हमारे मत के लिए आधार उपलब्ध कराने में समुचित और पर्याप्त हो। त्रुटि के कारण हुई गलतबअर्थात की अपेक्षा धोखाधड़ी से की गई गलतबअर्थात का पता नहीं चल पाने का जोखिम अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में साठगांठ, जालसाज़ी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूक, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण के उल्लंघन की आशंका रहती है।
- लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि ऐसी लेखा प्रक्रियाओं का डिजाईन तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के लिए समुचित हो। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(ळ) के तहत हम अपना मत देने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या ग्रुप और इसके सहयोगियों के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इनके प्रभावी संचालन की व्यवस्था है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित स्पष्टीकरणों का मूल्यांकन करना।
- प्राप्त लेखा प्रमाणों के आधार पर होल्डिंग कंपनी प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू आधार के उपयोग की उपयुक्तता बारे में निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं और स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी बड़ी अनिश्चितता है जो कंपनी के रूप में जारी रहने की ग्रुप और इसके सहयोगियों की क्षमता पर संदेह खड़ा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में दिए गए स्पष्टीकरणों पर अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान दिलाना होता है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा प्रमाणों पर आधारित होता है। हालांकि भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ग्रुप और इसकी सहयोगियों को कंपनी के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु तथा इस तथ्य का भी मूल्यांकन करना कि क्या विवरणों में सभी लेन देन और घटनाक्रमों को समुचित ढंग से प्रस्तुत किया गया है या नहीं।
- कंपनियों की वित्तीय जानकारी या ग्रुप और इसके सहयोगियों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में पर्याप्त और समुचित लेखा प्रमाण जुटाना, ताकि समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त किया जा सके। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दिशा, निरीक्षण और प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य कंपनियों के लिए जिनका लेखा परीक्षण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, उनकी लेखापरीक्षा की दिशा, निरीक्षण और प्रस्तुति के लिए वे अन्य लेखा परीक्षक जिम्मेदार हैं। हम केवल अपने परीक्षण मत के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

हमने होल्डिंग कंपनी के प्रशासन प्रभारियों को अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा लेखा परीक्षण के दौरान हमारी पकड़ में आयी बड़ी आतंरिक नियंत्रण त्रुटियों सहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में जानकारी दे दी है।

हमने प्रशासन प्रभारियों को वक्तव्य भी उपलब्ध कराया है कि हमने तटस्थता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा हमारी तटस्थता, और जहां व्यवहार्य हो, सुरक्षा उपायों पर असर डालने की आशंका वाले मुद्दों से उन्हें अवगत करा दिया है।

प्रशासन प्रभारियों को बताये गए विषयों में से हमने उन विषयों का निर्धारण किया, जो चालू अवधि की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मे सर्वाधिक महत्व के थे और निम्नानुसार प्रमुख लेखा परीक्षण विषय थे। हम ऐसे विषयों को अपनी परीक्षण रिपोर्ट में शामिल करते हैं जब तक कि कानून या विनियम उन्हें सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए जाने से रोकते न हों या जब, बहुत ही विरल स्थितियों में हम स्वयं यह निर्णय करते हों कि ऐसे विषय रिपोर्ट में नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि इनका जन हित लाभों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

8. अन्य विषय

(क) हमने दो सहायक कंपनियों की वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी का लेखापरीक्षण नहीं किया है जिनकी वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी में 31 मार्च, 2023 तक, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, कुल परिसंपत्तियां 4,65,779.72 करोड़ रुपये की, कुल राजस्व 39,614.51 करोड़ का और निवल नकदी प्रवाह 175.47 करोड़ रुपये का दर्शाया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण अन्य लेखापरीक्षकों ने किया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध करायी गई थी और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक ये इन सहायक कंपनियों के संदर्भ में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ मे, उपर्युक्त सहायक कंपनियों के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट से से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखाकारों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ख) हमने एक सहायक कंपनियों की वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी का लेखापरीक्षण नहीं किया है जिनकी गैर परीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी में 31 मार्च, 2023 तक, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, कुल परिसंपत्तियां 1.31 करोड़ रुपये की, कुल राजस्व शून्य और निवल नकदी प्रवाह शून्य दर्शाया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 11 सहयोगी कंपनियों के संदर्भ में वित्तीय विवरण/अन्य वित्तीय जानकारी है, जिनकी वित्तीय विवरणी समेकित वित्तीय विवरणी में विचारित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 0.01 करोड़ रुपये के निवल लाभ का ग्रुप शेयर दर्शाती है।

ये वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी गैरपरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गई हैं, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ मे हमारी रिपोर्ट, जहां तक ये उपर्युक्त सहयोगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनी से संबंधित है पूरी तरह इन गैरपरीक्षित वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी पर आधारित हैं। हमारे विचार से और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध करायी गई जानकारी और प्रकटीकरण के अनुसार ये इंड एएस वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत तथा अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर उपर्युक्त विषयों के संबंध में हमारी रिपोर्ट विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किए गए कार्य, अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

9. अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट

I. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हमारे लेखा परीक्षण और पृथक वित्तीय विवरणों और सहयोगी, सहायक कंपनियोंपर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हम व्यवहार्य सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी जानकारियां और प्रकटीकरण प्राप्त किए जो हमारी सर्वो त्तम जानकारी में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे मत में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा पुस्तिकाएं रखी गई हैं, जहां तक इन पुस्तिकाओं और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में विचारित समेकित तुलन पत्रक, समेकित लाभ हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी बदलाव और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी, समेकित वित्तीय विवरणो की तैयारी के लिए रखी गई संबंधित लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं।

(घ) हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणी भारतीय मानक मानदंड (इंड एएस, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट, संबंद्ध विनियमों के साथ पढ़ा जाए) के अनुपालन में है।

(ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 164, उपधारा (2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी तथा इसकी सहायक और सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते।

(च) ग्रुप की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता के संदर्भ में, **अनुलग्नक क** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते। इसलिए अधिनियम की धारा 197 (6) के प्रावधानों की अपेक्षानुसार रिपोर्टिंग होल्डिंग कंपनी तथा इसकी सहायक और सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) विनियम 2014 (संशोधित) के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संदर्भ में, हमारे मत, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें उपलब्ध कराये गए प्रकटीकरण के अनुसार:-

i. समेकित वित्तीय विवरणियां ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित कानूनी मामलों का असर स्पष्ट करती हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 52 देखें-

ii. ग्रुप ने व्यवहार्य कानून और लेखांकन मानकों के तहत डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घावधि अनुबंधों पर पूर्वअनुमान योग्य बड़ी हानियों, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किए हैं-

iii. होल्डिंग कंपनी तथा भारत में स्थापित इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशि के हस्तांतरण में देर नहीं की गई है।

iv. (क) ग्रुप प्रबंधन का कहना है कि (टिप्पणी 12.3 देखें) उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ग्रुप द्वारा कोई भी राशि (जो अलग से या या समग्रता में महत्वपूर्ण रही हो), विदेशी कंपनियों (मध्यवर्ती संस्थाओं) सहित किसी अन्य व्यक्ति या कंपनियों को, लिखित में दर्ज या अन्य तरीके से, सहमति के साथ, अग्रिम या ऋण या निवेश के रूप में नहीं दी गई है (न तो ऋण निधि से, न ही शेयर, प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से), कि मध्यवर्ती कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, ग्रुप (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या ग्रुप की ओर से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या कंपनियों को ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान आधार उपलब्ध करायेगी।

(ख) ग्रुप प्रबंधन का कहना है कि (टिप्पणी 23.13 देखें) उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ग्रुप द्वारा कोई भी राशि (जो अलग से या या समग्रता में महत्वपूर्ण रही हो), विदेशी कंपनियों (वित्त उपलब्ध कराने वाली पार्टी) सहित किसी अन्य व्यक्ति या कंपनियों से, लिखित में दर्ज या अन्य तरीके से सहमति के साथ, अग्रिम या ऋण या निवेश के रूप में प्राप्त नहीं की गई है, कि ग्रुप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, निधि उपलब्ध कराने वाली पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उनकी ओर से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या कंपनियों को ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान आधार उपलब्ध करायेगा।

(ग) लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, जो हमारी कार्य परिस्थितियों के अनुसार तर्कसंगत और समुचित रही है, ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया जो विश्वास दिलाने का कारण बनता कि विनियम 11(ई) के उपखंड (i) और (iii) के तहत प्रकटीकरण में, जैसा उपर्युक्त (क) और (ख) में उपलब्ध कराया गया, कोई भी बड़ी गलतबअर्थात हुई है।

v. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29.2 (iii) में उल्लिखित है:-

(क) पिछले वर्ष प्रस्तावित और कंपनी द्वारा घोषित वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान कर दिया गया अंतिम लाभांश, कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक घोषित और भुगतान कर दिया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

(ग) कंपनी के निर्देशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जिसपर आगामी वार्षिक बैठक में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना है। प्रस्तावित लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi. लेखा पुस्तिका प्रबंधन के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर उपयोग के संबंध मे, जिसमें एडिट लॉग इत्यादि जैसी विशेषताएं हैं, कंपनी (लेखा) विनियम 2014 का नियम 3(1), कंपनी के लिए अप्रैल 1, 2023 से व्यवहार्य है। इसलिए कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) विनियम, 2014, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

II. केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के संदर्भ में, जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) विनियम 2020 (विनियम) के पैराग्राफ 3(ळ) और 4 में निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहायक कंपनियों की सीएआरओ रिपोर्ट के परीक्षण आधार पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000112N

ह/-

सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.: 082069
यूडीआईएन: 23082069BGZGVO8999

दिनांक: 27.05.2023
स्थान: नई दिल्ली

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000425N

ह/-

सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं.: 520318
यूडीआईएन: 23520318BGWIZR8004

अनुलग्नक - क

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के लिए

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी संदिनांकित रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैरा I (एफ) का संदर्भ लें)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यहां बाद में होल्डिंग कंपनी के रूप में संदर्भ) की 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों, जो इस तिथि तक भारत में निगमित हैं, की समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

1. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों के संबंधित निर्देशक मंडल होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग कसौटी पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने और बनाये रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशा निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया जाता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों का डिजाईन, कार्यान्वयन और प्रबंधन शामिल है, जो व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा रहा है। साथ ही संबंधित कंपनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों रोकना और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षानुसार समय से विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल है।

2. लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने लेखा परीक्षण के आधार पर होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी (मार्गदर्शन टिप्पणी) तथा आईसीएआई द्वारा जारी और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 10 के तहत आंतरिक नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के लिए व्यवहार्य सीमा तक मान्य लेखा परीक्षण मानक के अनुसार किया है। इन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा से यह आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किए गए और सभी महत्वपूर्ण संदर्भों मे प्रभावी ढंग से लागू रहे या नहीं।

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी संचालन प्रभावकारिता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली संबंधी लेखा प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में इन नियंत्रणों के बारे में पूरी समझ प्राप्त करना, किसी बड़ी त्रुटि के जोखिम का आकलन करना, तथा इस आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालनगत प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों में, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हुई बड़ी गलतबयानियों के जोखिम के आकलन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है।

हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा प्रमाण और अन्य लेखापरीक्षकों को उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखा प्रमाण, नीचे अन्य विषय पैराग्राफ में उल्लिखित, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ मे कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखा परीक्षण का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

3. समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ मे कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे मे तर्कसम्मत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड प्रबंधन से जुड़े तर्कसम्मत ब्योरे में, सटीकता और निष्पक्षता के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों की लेन देन और व्यवस्था दर्शाती हैं, (2) तर्कसम्मत आश्वासन उपलब्ध कराती हैं कि सभी लेन देन स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी की अपेक्षानुसार रिकॉर्ड किए गए हैं, तथा कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन की प्राधिकृति में किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रखरखाव, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों पर असर पड़ सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने संबंधी ठोस आश्वासन उपलब्ध कराती हों।

4. समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाओं के कारण, सांठगांठ की संभावना या नियमन उल्लंघन से कुप्रबंधन, त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से बड़ी गलतबयानियां हो सकती

हैं और पकड़ में आने से चूक सकती हैं। इसके अलावा भविष्य की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के मूल्यांकन के लिए भी जोखिम हो सकता है कि ये आंतरिक नियंत्रण, स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त रह जायें या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन स्तर में गिरावट आ जाए।

5. मत

हमारे मत में होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों में जो भारत में परिचालित हैं, सभी प्रमुख और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू हैं, और ये आंतरिक नियंत्रण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी लेखापरीक्षण की मार्ग दर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

6. अन्य मामले

अबतक भारत में परिचालित तीन सहायक और 11 सहयोगी कंपनियों के लिए व्यवहार्य समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर, अधिनियम की धारा 143, उपधारा 3 (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, इन कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है, हमने इन कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट के अभाव में होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रकटीकरण पर भरोसा किया है। हमारे मत में इसे ग्रुप और इसके सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000112N

ह/-

सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं.: 082069
यूडीआईएन: 23082069BGZGVO8999

दिनांक: 27.05.2023
स्थान: नई दिल्ली

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000425N

ह/-

सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं.: 520318
यूडीआईएन: 23520318BGWIZR8004

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणों पर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(बी) के तहत, धारा 129 (4) के साथ पढ़ा जाए।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूप रेखा के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143, धारा 129 (4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण के आधार पर, धारा 143, धारा 129 (4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 27 मई, 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6)(ए), धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत 31 मई, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पीएफसी परामर्शी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है लेकिन उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसकी सहायक, सहयोगी कंपनियों और अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध उपक्रमों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। पूरक लेखा परीक्षण वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेज़ों तक पंहुचे बिना किया गया है और यह मूलतः वैधानिक लेखाकारों और कंपनी कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्ड के परीक्षण तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षण के आधार पर ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण मेरी पकड़ में नहीं आया जो अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कुछ जोड़ सके या टिप्पणी कर सके।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.05.2023

ह/-
(संजय के. झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

अनुलग्नक I

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों जिनकी वित्तीय विवरणियां भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित नहीं है।

क्र.सं.	कंपनी का नाम
सहायक कंपनी	
1	आरईसी लिमिटेड
2	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम:	
1	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
2	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
3	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
4	ओडिसा इंफ्रापावर लिमिटेड
5	ओडिसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
6	बिहार इंफ्रापावर निमिटेड
7	बिहार मेगा पावर लिमिटेड
8	देवघर इंफ्रा लिमिटेड
9	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
10	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
11	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
12	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
13	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
14	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड

समेकित तुलन-पत्र

31 मार्च, 2023 के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
परिसंपत्तियां				
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	8	127.59	914.24
(ख)	बैंक शेष, नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल के अतिरिक्त	9	3,973.43	5,770.26
(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	10	13,785.01	8,590.73
(घ)	व्यापार प्राप्य	11	171.17	125.63
(ङ.)	ऋण	12	8,32,903.36	7,32,850.76
(च)	निवेश (इक्विटी विधि के उपयोग के लिए उल्लिखित के अतिरिक्त)	13A	5,972.89	3,773.51
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	14	29,832.08	29,820.35
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**8,86,765.53**	**7,81,845.48**
2	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	543.08	495.25
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	16	7,340.03	7,315.37
(ग)	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	17	737.66	668.94
(घ)	जारी पूंजीगत कार्य	17	10.66	53.36
(ङ.)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	17	11.20	-
(च)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	17	1.67	4.41
(छ)	राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	18	42.97	45.83
(ज)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	19	641.14	551.68
(झ)	इक्विटी विधि के उपयोग में किया गया निवेश	13B	0.51	0.50
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**9,328.92**	**9,135.34**
3	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	20	17.41	19.45
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**8,96,111.86**	**7,91,000.27**
देयताएं और इक्विटी				
देयताएं				
1	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण	10	1,001.27	656.39
(ख)	व्यापार प्राप्य	21		
	(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया		0.67	1.11
	(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अतिरिक्त ऋणदाताओं का कुल बकाया		50.19	48.64
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	22	4,96,729.38	4,49,731.56
(घ)	ऋण राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	23	2,38,343.00	1,94,616.98
(ङ.)	अधीनस्थ देयताएं	24	16,085.14	16,127.74
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	25	30,964.67	32,598.98
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**7,83,174.32**	**6,93,781.40**

समेकित तुलन-पत्र

31 मार्च, 2023 के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
2	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	15	133.34	219.15
(ख)	प्रावधान	26	438.11	356.55
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	27	384.79	368.01
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)		**956.24**	**943.71**
3	**बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी देयताएं**	20	0.02	0.01
	कुल देयताएं (1+2+3)		**7,84,130.58**	**6,94,725.12**
4	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	28	2,640.08	2,640.08
(ख)	अन्य इक्विटी	29	81,518.41	69,036.16
	कंपनी के स्वामियों से संबंधित इक्विटी (क+ख)		**84,158.49**	**71,676.24**
(ग)	गैर-नियंत्रित ब्याज	30	27,822.79	24,598.91
	कुल इक्विटी (4)		**1,11,981.28**	**96,275.15**
	कुल देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)		**8,96,111.86**	**7,91,000.27**

1 से 61 तक की संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणियों का एकीकृत भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

समेकित लाभ एवं हानि विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	परिचालन से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	31	76,495.93	74,887.12
(ii)	लाभांश आय	32	103.00	68.86
(iii)	शुल्क और स्थापना आय	33	548.79	1,069.58
(iv)	अन्य परिचालन आय	34	420.58	236.10
I.	**परिचालन से कुल राजस्व**		**77,568.30**	**76,261.66**
II.	अन्य आय	35	56.89	83.26
III.	**कुल आय (I+II)**		**77,625.19**	**76,344.92**
	व्यय			
(i)	वित्त लागत	36	47,016.78	44,708.78
(ii)	निवल अंतरण/ लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ)	37	3,089.27	1,704.63
(iii)	शुल्क और स्थापना व्यय	38	28.35	26.91
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	39	(115.87)	(356.00)
(v)	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	40	(153.55)	5,695.07
(vi)	प्रदत्त सेवा लागत		73.69	76.83
(vii)	कार्मिक हितलाभ व्यय	41	438.88	407.32
(viii)	मूल्यहास, परिशोधन और क्षतिग्रस्तता	17/18	51.80	34.77
(ix)	निगमित समाजिक दायित्व व्यय		430.34	388.76
(x)	अन्य व्यय	42	269.44	253.23
IV.	**कुल व्यय**		**51,129.13**	**52,940.30**
V.	संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में लाभ एवं हानि में हिस्सा		0.01	(22.40)
VI.	विशेष मद और कर पूर्व लाभ हानि (III-IV+V)		26,496.07	23,382.22
VII.	विशेष मद		-	-
VIII.	**कर पूर्व लाभ/हानि (V-VI)**		**26,496.07**	**23,382.22**
	कर व्यय	43		
(1)	चालू कर			
	- चालू वर्ष		5,119.10	5,501.89
	- पूर्व वर्ष		(198.44)	(40.01)
(2)	आस्थगित कर व्यय/(आय)		396.82	(847.87)
IX.	**कुल कर व्यय**		**5,317.48**	**4,614.01**
X.	**जारी प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/हानि) (VIII-IX)**		**21,178.59**	**18,768.21**
XI.	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)		-	-
XII.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (जारी और बंद प्रचालनों से) (X+XI)**		**21,178.59**	**18,768.21**
XIII.	**अन्य व्यापक आय**			
(क)	(i) वे मद जो लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन		(9.61)	(13.40)
	- इक्विटी उपकरणों के उचित मल्य पर निवल लाभ/(हानि)		87.58	174.13
	- इक्विटी विधि के उपयोग पर संयुक्त उद्यम के अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा		-	(0.02)
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर, जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन		2.45	3.47
	- इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य पर निवल लाभ/हानि		9.84	(7.03)
	उप-जोड़ (क)		**90.26**	**157.15**

समेकित लाभ एवं हानि विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(ख) (i)	मद जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे			
	- नकदी प्रवाह हेज में लाभ और(हानि) का प्रभावी अंश		932.35	900.02
	- हेजिंग रिजर्व लागत		(2,563.96)	(947.33)
	- इक्विटी विधि के उपयोग पर संयुक्त उद्यम के अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा		-	(0.17)
(ii)	उन मदों से संबंधित आय कर, जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे			
	- नकदी प्रवाह हेज में लाभ और (हानि) का प्रभावी अंश		(234.65)	(226.52)
	- हेजिंग रिजर्व लागत		645.29	238.42
	उप-जोड़ (I)		**(1,220.97)**	**(35.58)**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**(1,130.71)**	**121.57**
XIV.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XII+XIII)**		**20,047.88**	**18,889.78**
	वर्ष के लिए आरोप्य लाभ:			
	- कंपनी के स्वामी		15,889.33	14,014.79
	- गैर-नियंत्रित ब्याज		5,289.26	4,753.42
			21,178.59	**18,768.21**
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय			
	- कंपनी के स्वामी		(670.78)	148.99
	- गैर-नियंत्रित ब्याज		(459.93)	(27.42)
			(1,130.71)	**121.57**
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			
	- कंपनी के स्वामी		15,218.55	14,163.78
	- गैर-नियंत्रित ब्याज		4,829.33	4,726.00
			20,047.88	**18,889.78**
XV.	**प्रति इक्विटी शेयर मूल और तनुकृत आय (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक):**	44		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए (₹ में)		60.19	53.08
(2)	बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		-	-
(3)	जारी और बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		60.19	53.08

1 से 61 तक की संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणियों का एकीकृत भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

इक्विटी में परिवर्तनों का एकल (समेकित) विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	अंतिम शेष
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त:			
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	2,640.08	-	2,640.08
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	2,640.08	-	2,640.08

ब्योरे के लिए टिप्पणी 28 देखें

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष											अन्य व्यापक आय					गैर नियंत्रित ब्याज		कुल
	पूंजी रिजर्व -सामान्य नियंत्रण	पूंजी रिजर्व - संयुक्त उद्यम में शेयरधारिता में परिवर्तन	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) (सी) के तहत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	ब्याज विभेद रिजर्व -केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हेज में लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	हेजिंग रिजर्व की लागत	इक्विटी विधि से लेखांकित संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के अन्य व्यापक आय का शेयर	मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य	इक्विटी शेयरधारकों के निमित्त	पूर्णतः इक्विटी की प्रकृति में लिखतों के निमित्त	
31.03.2022 तक शेष	(13,461.00)	-	9,298.33	680.04	599.85	35,878.11	3,953.74	(806.07)	64.07	20,346.81	12,757.10	(74.23)	302.56	(503.16)	-	69,036.16	24,040.51	558.40	93,635.07
लेखांकन नीति/पूर्वावधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.82)	-	-	-	-	(0.82)	-	-	(0.82)
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,889.33	-	-	-	-	15,889.33	5,289.26	-	21,178.59
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.04)	-	-	-	-	(5.04)	(2.12)	-	(7.16)
एफवीओसीआई इक्विटी लिखत की बिक्री/निरसन पर लाभ/(हानि) का पुन:वर्गीकरण																		-	
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.00)	125.12	505.47	(1,296.33)	-	(665.74)	(457.81)	-	(1,123.55)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,883.47**	**125.12**	**505.47**	**(1,296.33)**	**-**	**15,217.73**	**4,829.33**	**-**	**20,047.06**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,640.08)	-	-	-	-	(2,640.08)	(1,477.97)	-	(4,118.05)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरित	-	-	3,484.93	590.10	-	3,771.43	-	-	-	-	(7,846.46)			-	-	(0.00)	-	-	(0.00)
सामान्य रिजर्व निधि में/से अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के निमित्त रिजर्व निधि का उपयोग	-		-	(680.04)	-	-	-	-	-	680.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन/अपमार्जन (निवल)	-	-	-	(60.71)	-	8.84	-	(77.54)	0.90	-	50.97	-	-	-	-	(77.54)	(111.38)	-	(188.92)
ईईएसएल में हिस्सेदारी वृद्धि पर लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मापे गए इक्विटी लिखत की बिक्री पर लाभ/हानि का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.77	(48.77)	-	-	-	-	-	-	-
आरईसी के बोनस निर्गम से संबंधित समायोजन	346.50	-	-	-	-	-	(346.87)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.37)	(0.34)		(0.71)

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष										अन्य व्यापक आय					गैर नियंत्रित ब्याज		कुल
	पूंजी रिजर्व -सामान्य नियंत्रण	पूंजी रिजर्व - संयुक्त उद्यम में शेयरधारिता में परिवर्तन	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए) (सी) के तहत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता	ब्याज विभेद रिजर्व -केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हेज में लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	हेजिंग रिजर्व की लागत	इक्विटी विधि से लेखांकित संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के अन्य व्यापक आय का शेयर	मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य	इक्विटी शेयरधारकों के निमित्त	पूर्णतः इक्विटी की प्रकृति में लिखतों के निमित्त	
स्थाई ऋण लिखतों का निर्गम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थाई ऋण लिखतों पर कूपन भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.53)	-	-	-	-	(17.53)	(15.77)	-	(33.30)
अन्य समायोजन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05
31.03.2023 तक शेष	**(13,114.50)**	**-**	**12,783.26**	**529.39**	**599.85**	**39,658.38**	**3,606.87**	**(883.61)**	**64.97**	**21,026.85**	**18,236.28**	**2.12**	**808.03**	**(1,799.49)**	**-**	**81,518.41**	**27,264.39**	**558.40**	**1,09,341.20**
31.03.2021 तक शेष	**(13,461.00)**	**2.47**	**6,235.99**	**1,407.54**	**599.85**	**31,833.14**	**3,953.74**	**(936.01)**	**62.65**	**19,040.40**	**9,760.52**	**(170.71)**	**(200.50)**	**(1.42)**	**0.73**	**58,127.40**	**20,464.36**	**558.40**	**79,150.16**
लेखांकन नीति/पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,014.79	-	-	-	-	14,014.79	4,753.42	-	18,768.21
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.98)	-	-	-	-	(6.98)	(2.95)	-	(9.93)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	155.38	503.06	(501.74)	(0.73)	155.97	(24.47)	-	131.50
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,007.81**	**155.38**	**503.06**	**(501.74)**	**(0.73)**	**14,163.78**	**4,726.00**	**-**	**18,889.78**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,366.10)	-	-	-	-	(3,366.10)	(1,142.15)	-	(4,508.25)
प्रतिधारित अर्जन में/से अंतरित	-	-	3,062.34	576.44	-	4,044.97	-	-	-	-	(7,683.75)			-	-	(0.00)	-	-	(0.00)
सामान्य रिजर्व निधि में/से अंतरित	-	(2.47)	-	-	-	-	-	-	-	2.47	-			-		-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के निमित्त रिजर्व निधि का उपयोग	-		-	(1,303.94)	-	-	-	-	-	1,303.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन/अपमार्जन (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	129.94	1.42	-	(1.42)	-	-	-	-	129.94	8.46	-	138.40
ओसीआई में मापे गए इक्विटी लिखत की बिक्री पर लाभ/हानि का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.90	(58.90)	-	-	-	-	-	-	-
स्थाई ऋण लिखतों का निर्गम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थाई ऋण लिखतों के निर्गम पर व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.96)	-	-	-	-	(17.96)	(16.16)	-	(34.12)
अन्य समायोजन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.90)	-	-	-	-	(0.90)	-	-	(0.90)
31.03.2022 को शेष	**(13,461.00)**	**-**	**9,298.33**	**680.04**	**599.85**	**35,878.11**	**3,953.74**	**(806.07)**	**64.07**	**20,346.81**	**12,757.10**	**(74.23)**	**302.56**	**(503.16)**	**-**	**69,036.16**	**24,040.51**	**558.40**	**93,635.07**

1 से 61 तक की संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणियों का एकीकृत भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	कर पूर्व लाभ	26,496.07		23,382.22	
	निम्न के लिए समायोजित:				
	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अमान्यीकरण पर हानि/(लाभ) (निवल)	9.67		3.91	
	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के अमान्यीकरण पर हानि/(लाभ) (निवल)	(4.08)		(30.25)	
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर हानि/(लाभ) निवल	(114.32)		(348.00)	
	अमान्य विदेशी मुद्रा अंतरण हानि/(लाभ)	5,063.45		2,286.31	
	मूल्यह्रास और परिशोधन	51.78		34.78	
	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	(153.84)		5,695.07	
	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता भत्ता	0.03		9.71	
	ऋण परिसंपत्तियों और ऋण राशियों/ऋण प्रतिभूतियों के संदर्भ में प्रभावी ब्याज दर	(37.98)		(80.03)	
	जीरो कूपन बॉण्ड और वाणिज्यिक पत्रों पर ब्याज व्यय	42.06		107.55	
	अन्य ब्याज व्यय	2.44		3.04	
	निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	(45.47)		(73.88)	
	अवधि के दौरान सृजित प्रावधान	163.02		167.36	
	बट्टे खाते डाली गई अधिशेष देयता	(0.15)		(2.40)	
	इक्विटी विधि के उपयोग पर संयुक्त उद्यम की लाभ/हानि का हिस्सा	(0.01)		22.40	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ:	**31,472.67**		**31,177.79**	
	वृद्धि / कमी :				
	ऋण (निवल)	(1,00,606.60)		(12,804.48)	
	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	1,773.21		(2,620.84)	
	डेरिवेटिव	(1,306.20)		(4,634.69)	
	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देयताएं और प्रावधान	(933.06)		(872.00)	
	विशिष्ट मदों से पहले नकदी प्रवाह	**(69,599.98)**		**10,245.78**	
	विशिष्ट मद	-		-	
	प्रचालन से कर पूर्व नकदी प्रवाह	(69,599.98)		10,245.78	
	प्रदत्त आयकर	(5,256.63)		(5,364.56)	
	आयकर रिफंड	157.68		23.26	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)		**(74,698.93)**		**4,904.48**
II.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण निस्तारण से लाभ	0.32		0.48	
	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों (सीडबल्यूआईपी और पूंजी अग्रिम सहित) की खरीद	(122.77)		(301.01)	
	वित्तीय लागत पूंजीकृत	(0.03)		(5.10)	
	अन्य निवेशों में वृद्धि/(कमी)	(1,575.70)		(273.00)	
	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का विक्रय	4.60		31.24	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)		**(1,693.58)**		**(547.39)**
III.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	बॉण्ड जुटाव (प्रीमियम सहित) (निवल मोचन)	41,226.83		(33,428.48)	
	दीर्घावधि ऋण/ डबल्यूसीडीएल/ ओडी/ सीसी/ ऋण सुविधा (पुनर्भुगतान निवल) जुटाव	22,619.60		15,603.25	
	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाव (पुनर्भुगतान निवल)	15,856.34		26,432.96	
	वाणिज्यिक पत्र जुटाव (पुनर्भुगतान निवल)	-		(3,134.76)	
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ ओडी/ सीसी/ ऋण सुविधा जुटाव (पुनर्भुगतान निवल)	-		(9,230.04)	
	पूरी तरह इक्विटी प्रकृति के सतत ऋण लिखतों पर कूपन व्यय	(44.50)		(45.60)	
	अदावी बॉण्ड (निवल)	(18.47)		(58.28)	
	अदावी लाभांश (निवल)	0.17		1.56	
	लीज देयता भुगतान	(2.94)		(2.95)	
	सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड द्वारा इक्विटी शेयर के बोनस निर्गम पर निर्गम व्यय	(0.71)		-	
	लाभांश का भुगतान	(4,118.05)		(4,508.25)	

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)		**75,518.27**		**(8,370.59)**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी		**(874.24)**		**(4,013.50)**
	जोड़ें: वित्तीय वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**914.24**		**4,927.74**
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**40.00**		**914.24**
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य का ब्योरा:				
i)	बैंको में शेष (नकदी और नकदी समतुल्य प्रकृति का)				
	चालू खाते में	63.17		148.22	
	सावधि जमा खाते में (3 माह तक की वास्तविक परिपक्वता)	64.42	127.59	766.00	914.22
ii)	पोस्टेज और इम्प्रेस्ट सहित चेक, तत्काल ड्राफ्ट		0.00		0.02
iii)	म्युच्युअल फंड में निवेश (3 माह तक की वास्तविक परिपक्वता)		-		-
iv)	बैंक ओवरड्राफ्ट		(87.59)		-
	वर्ष के अंत में कुल नकदी और नकदी समतुल्य		**40.00**		**914.24**

उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार की गई है।
वर्ष के दौरान समूह ने निगमित सामाजिक दायित्व के प्रति 331.53 करोड़ (पिछले वर्ष 291.27 करोड़) की राशि व्यय की।

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं (मूलधन बकाया) का मिलान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बॉण्ड/ डिबेंचर*	डबल्यूसीडीएल/ रुपया सावधि ऋण**	विदेशी मुद्रा ऋण	वाणिज्यिक पत्र	अधीनस्थ ऋण	कुल
	01.04.2021 तक प्रारंभिक शेष	**4,05,247.18**	**1,17,707.12**	**1,02,651.33**	**3,080.23**	**15,862.20**	**6,44,548.08**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(33,444.88)	6,373.21	29,540.53	(3,134.76)	-	(665.92)
	गैर-नकदी परिवर्तन इन कारणों से:						
	समायोजन	69.42	2,999.99	(42.45)	54.53	-	3,081.49
	विनिमय दर में अंतर			(48.67)			(48.67)
	31.03.2022 तक अंतिम शेष	**3,71,871.72**	**1,27,080.32**	**1,32,100.74**	**(0.00)**	**15,862.20**	**6,46,914.98**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	41,226.83	22,619.60	15,856.34	-	-	79,702.77
	गैर-नकदी परिवर्तन इन कारणों से:						
	समायोजन	41.78	87.59	191.64	-	-	321.01
	विनिमय दर में अंतर			10,270.04			10,270.04
	31.03.2023 तक अंतिम शेष	**4,13,140.33**	**1,49,787.51**	**1,58,418.76**	**(0.00)**	**15,862.20**	**7,37,208.80**

*नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा नोट विदेशी मुद्रा ऋण का भाग हैं।

**नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण और सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण में शामिल होते हैं।

1 से 61 तक की संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणियों का एकीकृत भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

1. समूह संबंधी जानकारी

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी या कंपनी) की स्थापना भारत में वर्ष 1986 में हुई थी। पीएफसी भारत में स्थित है और शेयरों से संचालित है। इसका पंजीकृत कार्यालय है 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 में स्थित है और इसे भारत सरकार से 'महारत्न' का दर्जा प्राप्त है।

पीएफसी एक सरकारी कंपनी है जो विद्युत, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप मे भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत महत्वपूर्ण प्रणालीबद्ध गैर-जमा स्वीकारकर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी होने के नाते इसे रिजर्व बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित नियमन रूपरेखा के तहत मध्य चरण में रखा गया है।

पीएफसी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, पीएफसी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में पीएफसी और इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से समूह के रूप में उल्लिखित) और इसकी सहयोगी कंपनियों की वित्तीय विवरणियां शामिल हैं, जैसा कि टिप्पणी 5 में सूचीबद्ध है। यह समूह मुख्य रूप से विद्युत, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

इसके अन्य व्यवसायों में भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार विद्युत क्षेत्र के लिए परामर्श सेवाएं देना तथा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) और स्वतंत्र पारेषण परियोजाएं (आईटीपी) के विकास में सहयोग देना है।

2. अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरणियां कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम, 2015 (संशोधित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान और अन्य लागू विनियामक नियम/दिशानिर्देश के तहत अधिसूचित इंड एएस का अनुपालन करती हैं। समेकित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और इक्विटी परिवर्तन विवरण, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग III की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत की गई हैं। समेकित नकदी प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' की अपेक्षानुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

3. ये समेकित वित्तीय विवरणियां पीएफसी के निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा जारी किए जाने के लिए 28.05.2023 को अनुमोदित की गई हैं।

4. मानक/संशोधन जारी, लेकिन अबतक प्रभावी नहीं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 31.03.2023 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधित विनियम, 2023 अधिसूचित किया है जबकि विभिन्न भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन 01.04.2023 से प्रभावी बनाए गए हैं।

समूह ने दिनांक 31.03.2023 की उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधनों का मूल्यांकन किया है और इनको लागू किए जाने के बाद समेकित वित्तीय विवरणों पर इनका कोई असर नहीं होगा।

5. समेकित वित्तीय विवरणियां कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनियों के खातों का समेकन प्रस्तुत करती हैं, जैसा विस्तार से नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	स्थापना/व्यवसाय के मूल स्थान का देश	निम्नलिखित तिथि तक स्वामित्व हित अनुपात		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा स्थिति
			31.03.2023	31.03.2022	
सहायक कंपनियां:					
1	आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) ✻	भारत	52.63%	52.63%	लेखापरीक्षित
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)✻	भारत	100%	100%	लेखापरीक्षित
3	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड - (पहले कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड के रूप में ज्ञात) (टिप्पणी 5.1 देखें)	भारत	100%	-	गैर-लेखापरीक्षित
सहयोगी कंपनियां:					
1	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	भारत	-	100%	गैर-लेखापरीक्षित
2	ओडिसा इंटिग्रेटेड पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित
3	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (टिप्पणी 5.1 देखें)	भारत	-	100%	गैर-लेखापरीक्षित
4	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित
5	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	भारत	-	100%	गैर-लेखापरीक्षित
6	सखीगोपाल इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित
7	घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	कंपनी का नाम	स्थापना/व्यवसाय के मूल स्थान का देश	निम्नलिखित तिथि तक स्वामित्व हित अनुपात		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा स्थिति
			31.03.2023	31.03.2022	
8	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	भारत	-	100%	गैर-लेखापरीक्षित
9	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित
10	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित
11	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेढ	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित
12	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित
13	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित
14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित
15	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर-लेखापरीक्षित

*इन सहायक कंपनियों (जिसमें सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं) की समेकित वित्तीय विवरणियां पीएफसी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त की गई हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया।

5.1 कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (सीकेपीएल), पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार यूएमपीपी के प्रबंधन के लिए की गई थी और इसे पीएफसी के महत्वपूर्ण प्रभाव वाली सहयोगी कंपनी माना गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएफसी द्वारा ऋणदाताओं के समर्थन वाली समाधान योजना की बोली में प्रयुक्त किए जाने के लिए सीकेपीएल के करार-ज्ञापन में संशोधन किया गया, और इसे पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का नया नाम दिया गया। इसके अनुसार उक्त कंपनी की गतिविधियों को निर्देशित करने का दायित्व अब पीएफसी लिमिटेड के पास आ गया है और इसे अब एक सहायक कंपनी माना जाता है।

5.2 जहां कहीं सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त होती हैं, वहां इन कंपनियों की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां बाद में प्राप्त की जाती हैं और बाद के वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया जाता है और इसे इक्विटी में परिवर्तन विवरण में 'अन्य समायोजन' मद के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

6. समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू होने वाली समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई है:-

6.1. तैयारी और मापन का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरणियां लेखांकन की प्रोद्भूत प्रणाली अपनाते हुए चालू कंपनी आधार पर तैयार की गई हैं। परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन पारंपरिक लागत या परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर, जो भी लागू हो, के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त होता है या देयता को हस्तांतरित करने पर भुगतान किया जाता है, चाहे वह मूल्य प्रत्यक्ष हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक से आकलित किया गया हो।

उचित मूल्य मापन इंड एएस की अपेक्षानुसार चरण 1, 2 या 3 में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है:-

- चरण 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत किया गया मूल्य है जो मापन तिथि पर कंपनी को मिल सकता है।
- चरण 2 के इनपुट, चरण 1 शामिल उद्धृत मूल्य से अलग वे इनपुट हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट हैं।
- चरण 3 के इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रत्यक्ष इनपुट हैं।

6.2 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से समूह के रूप में उल्लिखित) की वित्तीय विवरणियां शामिल होती हैं। समूह का निवेश संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में है जिसका लेखांकन समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि से किया जाता है (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब निवेश को बिक्री के लिए रक्षित रूप में श्रेणीबद्ध किया गया हो)।

समेकन के उद्देश्य से सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों का वित्तीय विवरण भी उसी रिपोर्टिंग तिथि तक का निकाला जाता है, जैसा कि कंपनी का।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) सहायक कंपनियां

सहायक कंपनी वह कंपनी है जिसपर कंपनी का नियंत्रण होता है। कंपनी किसी सहायक कंपनी को तब नियंत्रित करती है जब उसे अपने शामिल होने से विविध रिटर्न का अनुमान या अधिकार होता है, साथ ही उसके पास सहायक कंपनी की विविध गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता से उन रिटर्न को प्रभावित करने की सामर्थ्य होती है। सहायक कंपनी उसी तिथि से पूरी तरह समेकित होती है जिसपर कंपनी उसका नियंत्रण (साझा नियंत्रण के तहत व्यवसाय संयोजनों को छोड़कर) प्राप्त करती है।

कंपनी अपनी सहायक कंपनियों की वित्तीय विवरणों को रैखिक आधार पर संयुक्त करती है, परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय के समान मदों को साथ रखते हुए। प्रत्येक सहायक कंपनी में कंपनी के निवेश की वहनीय राशि और कंपनी का इक्विटी हिस्सा हटा दिया जाता है। अंतर-कंपनी लेनदेन, शेष, कंपनी और सहायक कंपनियों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभों भी हटा दिया जाता है। अप्राप्त हानियां भी हटा दी जाती हैं जबतक कि सौदा स्थानांतरित परिसंपत्ति की क्षतिग्रस्तता का सबूत उपलब्ध न कराए।

गैर-नियंत्रित ब्याज (एनसीआई) सहायक कंपनियों मे आय, अन्य व्यापक आय और निवल परिसंपत्तियों के उस भाग का प्रतिनिधित्व करता है जो कंपनी के शेयरधारकों के प्रति आरोप्य नहीं होता। गैर-नियंत्रित ब्याज का प्रारंभिक मापन अधिगृही की पहचान योग्य निवल परिसंपत्तियों की मान्य राशि के समानुपातिक अंश पर किया जाता है। अधिग्रहण के बाद गैर-नियंत्रित ब्याज की वहनीय राशि, प्रारंभिक मान्यता पर ब्याज राशि और इक्विटी में बाद के परिवर्तन के गैर-नियंत्रित ब्याज अंश का योग है।

समेकित वित्तीय विवरणियां एक समान सौदों और समान परिस्थिति की अन्य घटनाओं के लिए, समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार की जाती हैं और कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों की तरह समान ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं, जबतक कि कोई अन्यथा उल्लेख न हो। आवश्यकता होने पर वित्तीय विवरणों में समायोजन किए जाते हैं ताकि उनकी लेखांकन नीतियों में समूह की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुरूप एकरूपता लाई जा सके।

यदि कंपनी किसी सहायक कंपनी के उपर नियंत्रण खो देती है तो वह उस सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं तथा संबंधित एनसीआई और इक्विटी के अन्य घटकों को अमान्य कर देती है। पूर्व सहायक कंपनी में बना कोई ब्याज नियंत्रण खोने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली कोई हानि या लाभ समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(ii) संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां

संयुक्त उद्यम एक ऐसी संयुक्त व्यवस्था है जिसमें शामिल पक्षों का व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। किसी व्यवस्था में अनुबंधगत सहमत नियंत्रण साझेदारी ही संयुक्त नियंत्रण है, जो तभी हो सकता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णयों पर नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति हो।

सहयोगी कंपनी वह कंपनी है जिसपर कंपनी (पीएफसी) का महत्वपूर्ण प्रभाव हो। महत्वपूर्ण प्रभाव से तात्पर्य निवेश की जाने वाली कंपनी के वित्तीय और संचालनगत नीति निर्णयों में भागीदारी अधिकार से है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण से नहीं।

संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों की परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित परिणाम लेखांकन की इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए हैं, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब निवेश या इसका एक भाग, बिक्री के लिए रक्षित के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, जिस स्थिति में इसका मापन वहनीय राशि से कम और उचित मूल्य से बिक्री लागत को घटाकर किया जाता है। इक्विटी विधि के अंतर्गत संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी में निवेश आरंभ में लागत पर समेकित तुलन-पत्र में मान्य होता है और बाद मे संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी की लाभ एवं हानि और अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा मान्य करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी से प्राप्त वितरण निवेश की वहनीय राशि को कम करते हैं।

संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण या सहयोगी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रह जाने की स्थिति में कंपनी किसी भी बहाल निवेश को उसके उचित मूल्य पर मापती है या मान्य करती है। (क) संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण या सहयोगी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रह जाने की स्थिति में वहनीय राशि और (ख) बहाल निवेश और निस्तारण प्राप्ति के उचित मूल्य के बीच कोई अंतर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

6.3 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में तत्काल उपलब्ध नकदी और डिमांड डिपोजिट शामिल है। समूह नकदी समतुल्यों को अल्पावधि शेष (अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता के साथ) के रूप में मानता है, अत्यधिक लिक्विड निवेश जिसे तुरंत नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के तहत होते हैं।

6.4 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

(i) समूह ब्याज दर और विदेशी मुद्रा दर जोखिमों से एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए विभिन्न डेरिवेटिव वित्तीय लिखत करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) हेज लेखांकन के तहत एक कंपनी या तो नकद प्रवाह हेज या उचित मूल्य हेज के रूप में डेरिवेटिव अनुबंध निर्दिष्ट कर सकती है।

(iii) हेज लेखांकन की पात्रता के लिए हेजिंग संबंधों को निम्नलिखित सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी:-

- हेज किए गए मद और हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध होना चाहिए
- इस आर्थिक संबंध के कारण होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर ऋण जोखिम का असर हावी नहीं होना चाहिए।
- हेजिंग संबंधों का हेज अनुपात कंपनी द्वारा वास्तविक रूप से रक्षित किए गए मद की मात्रा और इस उद्देश्य से प्रयुक्त हेजिंग लिखत की मात्रा के बराबर हो।

(iv) नकदी प्रवाह हेज

हेजिंग लेखांकन कसौटी की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले हेज उपकरण नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट किए जाते है। डेरिवेटिव के उचित मूल्य मे परिवर्तनों का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। हेजिंग लिखत के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन 'नकदी प्रवाह हेज के प्रभावी अंश' में मान्य होता है। हेज किए गए मदों के लाभ या हानि को प्रभावित करने पर इन रिजर्व में मान्य राशि समेकित लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत की जाती हैं। इसके अलावा हेजिंग लिखतों के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन 'हेजिंग रिजर्व लागत' में मान्य किया जाता है। इस प्रकार के रिजर्व में मान्य राशियां समेकित लाभ या हानि विवरण में प्रणालीबद्ध आधार पर परिशोधित की जाती हैं। अप्रभावी अंश से जुड़ा लाभ या हानि तुरंत समेकित लाभ और हानि विवरण में मान्य की जाती है।

(v) उचित मूल्य हेज

समेकित लाभ एवं हानि विवरण में हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज किए गए मद के उचित मूल्य में परिवर्तन समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य जोखिम रक्षितता के प्रति उत्तरदायी है। हेज किए गए मद की वहनीय राशि में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं और हेजिंग लिखत के लागू नहीं रहने पर प्रभावी ब्याज दर में समायोजित कर दिए जाते हैं। यदि हेज किया गया मद अमान्य कर दिया जाता है तो अपरिशोधित उचित मूल्य तुरंत समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य कर दिया जाता है।

(vi) हेजिंग उपाय की अवधि समाप्त हो जाने या इसे बंद कर दिए जाने या इसके हेज लेखांकन योग्य नहीं रह जाने पर हेज लेखांकन रोक दिया जाता है।

(vii) हेज संबंधों के तहत निर्दिष्ट डेरिवेटिव से अलग अन्य डेरिवेटिव आरंभ में उचित मूल्य पर मान्य किए जाते हैं, उस तिथि पर जब डेरिवेटिव अनुबंध किया जाता है, और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उन्हें उनके उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

6.5 वित्तीय लिखत

समूह के वित्तीय लिखतों के अनुबंधगत प्रावधानों के तहत एक पक्ष बन जाने पर वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं मान्य की जाती हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं उचित मूल्य जोड़/घटाव लेनदेन लागत पर मान्य की जाती हैं, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या जारी किए जाने से संबंधित होता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य किए जाने से इनकी लेनदेन लागत समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

6.5.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

नियमित तरीके से सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री समायोजन तिथि आधार पर मान्य और अमान्य की जाती हैं। नियमित तरीके से खरीद और बिक्री से तात्पर्य वित्तीय परिसंपत्तियों की उस खरीद बिक्री से है जिसमें परिसंपत्तियों की डिलिवरी बाजार के विनियम या संधि द्वारा तय समय सीमा के भीतर होना आवश्यक है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन उनकी समग्रता में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के अनुसार या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर किया जाता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन (इक्विटी लिखतों के अतिरिक्त)

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है:

- परिसंपत्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल में धारित हो जिसका उद्देश्य अनुबंधगत नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति को रखना हो, और
- परिसंपत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथि पर नकदी प्रवाह में वृद्धि करती हों जो बकाया मूलधन राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत की संगणना और परिसंपत्ति के अनुमानित जीवन पर ब्याज आय आवंटन की विधि है। ईआईआर विधि अपनाते समय समूह सामान्य तौर पर किसी भी शुल्क, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट, जो एक वित्तीय उपकरण के प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न भाग हैं, को परिशोधित कर लेता है।

आय को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत परिसंपत्तियों को छोड़कर, अन्य परिसंपत्तियों के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावी ब्याज दर आधार पर मान्य किया जाता है।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर होता है। बाद में प्रत्येक पुनःनियोजन (रिसेट) पर इसे संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार अद्यतन किया जाता है।

बाजार प्रेरित ब्याज दर के अतिरिक्त कारणों से वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तें पुनःविचारित किए जाने पर, संशोधन से पहले संगणित पूर्व ईआईआर का उपयोग करते हुए मापित कोई भी लाभ/हानि, इस प्रकार के पुनःविचार की अवधि के दौरान की समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

निम्नलिखित दोनों स्थितियों में किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन एफवीटीओसीआई पर किया जाता है:-

- व्यवसाय मॉडल का लक्ष्य अनुबंधगत नकदी प्रवाह संकलन और वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों स्थितियों से पूरा हो गया हो; और
- परिसंपत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथि पर नकदी प्रवाह में वृद्धि करती हों जो बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया गया है और रिजर्व में संचित किया गया है।

ग) लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां -

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन एफवीटीपीएल पर तभी किया जाता है जब यह समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापित हो।

व्यवसाय मॉडल

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल का आकलन किसी वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण के लिए मूल आधार है। समूह व्यवसाय मॉडल का निर्धारण एक ऐसे चरण पर करता है जो दर्शाता है कि नकदी प्रवाह सृजित करने का विशिष्ट व्यवसाय लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों का एक साथ प्रबंधन कैसे किया जाता है। समूह के व्यवसाय मॉडल का आकलन उपकरण दर उपकरण आधार पर करने के बजाय उच्च चरण के समुच्चय पर किया जाता है।

समूह का व्यवसाय मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में ऋण उपलब्ध कराना है और ऐसे ऋणों का प्रबंधन ऋण अवधि के दौरान अनुबंधगत नकदी प्रवाह सुपरिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त समूह द्वारा अनुबंधगत नकदी प्रवाह संकलन के लिए अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

(ii) इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण, मापन और अमान्यीकरण

सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश के अलावा अन्य सभी इक्विटी निवेशों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। व्यापार के लिए धारित इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी लिखतों के लिए समूह प्रारंभिक मान्यता पर एक अपरिवर्तनीय चुनाव कराता है, इसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल में वर्गीकृत करने के लिए उपकरण के चयन के लिए ऐसे चुनाव उपकरण आधार पर किए जाते हैं।

एफवीटीओसीआई कि रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश आरंभ में उचित मूल्य जोड़ लेनदेन लागत पर मापा जाता है। इसके बाद इसका मापन उचित मूल्य पर होता है और उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को समेकित अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और समेकित रिजर्व में संचित किया जाता है। समेकित ओसीआई से समेकित लाभ एवं हानि विवरण में राशियों का कोई पुनःचक्रण नहीं होता, यहां तक कि निवेश की बिक्री पर भी। हालांकि समूह समेकित इक्विटी के भीतर संचित लाभ /हानि का स्थानांतरण कर सकता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों का मापन, सभी परिवर्तनों को समेकित लाभ/हानि विवरण में मान्य किए जाने के साथ, उचित मूल्य पर होता है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

प्रारंभिक मान्यता के बाद समूह इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षानुसार परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) को मान्य करता है। समूह ईसीएल

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रभार या रिवर्सल (जहां निवल राशि किसी अवधि विशेष के लिए नकारात्मक शेष होती है) को समेकित लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लिखतों में क्षतिग्रस्तता के रूप में और समेकित तुलन-पत्र में सकल वहनीय राशि से संचित घटाव के रूप में, जो भी लागू हो, प्रस्तुत करता है।

ईसीएल के मान्यीकरण और मापन के लिए क्षतिग्रस्तता संबंधी अपेक्षाएं समान रूप से एफवीटीओसीआई पर मापित वित्तीय परिसंपत्ति पर भी लागू होती है, सिवाय इसके कि ईसीएल अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और समेकित तुलन-पत्र में वहनीय राशि से घटाया नहीं जाता।

क) ऋण परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता और लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) के तहत प्रतिबद्धताएं :

प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण क्षतिग्रस्तता होने पर या ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि (एसआईसीआर) होने पर समूह ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन जीवनकाल के लिए ईसीएल के बराबर राशि पर करता है। यदि प्रारंभिक मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं है तो समूह ईसीएल का मापन 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर करता है। यह आकलन करते समय कि प्रारंभिक मान्यीकरण के बाद से एसआईसीआर हुई है या नहीं, समूह बिना किसी अनावश्यक लागत या प्रयास से उपलब्ध तर्कसंगत और सहायक सूचना पर विचार करता है। यदि समूह ने पूर्व अवधि में हानि भत्ता का मापन जीवन काल के ईसीएल पर किया है, लेकिन बाद में निर्धारित किया कि प्रारंभिक मान्यीकरण के बाद से ऋण गुणवत्ता में सुधार के कारण कोई एसआईसीआर नहीं रहा है तो फिर से 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि के आधार पर हानि भत्ता का मापन किया जाता है।

ऋण क्षतिग्रस्तता वाली ऋण परिसंपत्तियों के लिए ईसीएल व्यक्तिगत आधार पर मापा जाता है, और अन्य ऋण परिसंपत्तियों के लिए यह सामान्य तौर पर समान समूहों के सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

समूह एलओसी के तहत प्रतिबद्धता क्षतिग्रस्तता का आकलन ऋण परिसंपत्तियों की ही तरह समान आधार पर करता है।

ख) ऋण परिसंपत्तियों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता:

ऋण परिसंपत्तियों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन जीवन काल की अनुमानित हानियों के बराबर राशि पर किया जाता है।

ग) आरईसीएल द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक या समग्र रूप से केवल तभी बट्टे खाते में डाला जाता है जब इनसे रिकवरी बंद हो जाती है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यीकरण

समूह किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तभी अमान्य करता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह का अनुबंधगत अधिकार समाप्त हो जाता है, या जब यह परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और लाभों के साथ वित्तीय परिसंपत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य पक्ष को कर देता है। किसी वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंधगत नकदी प्रवाह पर पुनःविचार या संशोधन से भी मौजूदा वित्तीय परिसंपत्ति का अमान्यीकरण हो सकता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति के समग्र रूप से अमान्यीकरण पर परिसंपत्ति की मौजूदा राशि तथा इससे प्राप्त और प्राप्य के योग का अंतर और संचित लाभ या हानि, जो समेकित अन्य व्यापक आय में मान्य की गई थी तथा समेकित इक्विटी में संचित थी, समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है, अन्यथा ऐसी लाभ एवं हानि उस वित्तीय परिसंपत्ति के निस्तारण पर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की गई होती।

6.5.2 वित्तीय देयताएं

(i) डेरिवेटिव और वित्तीय गारंटी अनुबंधों के अतिरिक्त सभी वित्तीय देयताएं बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है। बाद में इसे अनुबंध की शर्तों के अनुसार संबंधित रिसेट तिथि पर फ्लोटिंग ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए अद्यतन किया जाता है।

(ii) वित्तीय गारंटी

समूह द्वारा जारी वित्तीय गारंटी आरंभ में उचित मूल्य पर मापी जाती है, और यदि एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं है तो बाद में निम्नलिखित के उच्चतर पर मापी जाती है:-

- गारंटी के परिणामस्वरूप किसी वित्तीय दायित्व के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम आकलन, और
- आरंभ में कम मान्य राशि, उपयुक्तता पर, समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य संचित आय राशि।

(iii) वित्तीय देयताओं का अमान्यीकरण

समूह वित्तीय देयताओं को तब और केवल तब अमान्य करता है जब समूह के दायित्व पूरे हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं या उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। अमान्य वित्तीय देयता की वहनीय राशि तथा भुगतान किए गए और भुगतान किए जाने योग्य राशि का अंतर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

6.5.3 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि तुलन-पत्र में रिपोर्ट की जाती है जब उस समय मान्य राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी बाध्यकारी अधिकार होता है और परिसंपत्तियों को मान्य करने और देयताओं को समायोजित करने का निवल आधार पर उद्देश्य होता है।

6.5.4 अंतर्निहित डेरिवेटिव

अंतर्निहित डेरिवेटिव हाईब्रिड लिखत का घटक होता है जिसमें एक गैर-डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल होता है इस प्रभाव के साथ कि संयुक्त उपकरण का कुछ नकदी प्रवाह में एकल डेरिवेटिव के समान अंतर आयेगा। एक अंतर्निहित डेरिवेटिव के कारण कुछ या सभी नकदी प्रवाहों को एक विशिष्ट ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर या अन्य परिवर्ती पर अनुबंध की आवश्यतानुसार संशोधित किया जाना होता, यदि गैर-वित्तीय चर की स्थिति में यह अनुबंध के एक पक्ष के लिए विशिष्ट नहीं होता।

सभी समूह अनुबंधों में अंतर्निहित डेरिवेटिव एक पृथक डेरिवेटिव माने जाते हैं और उचित मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं और जोखिम, समूह अनुबंधों से निकटता से जुड़े नहीं होते या यदि अंतर्निहित डेरिवेटिव एक्सपोजर का लाभ उठाते और समूह अनुबंध व्यापार के उद्देश्य से नहीं होते या लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट किए जाते। इन अंतर्निहित डेरिवेटिव का मापन उचित मूल्य पर होता है, और उचित मूल्य में परिवर्तन लाभ हामि में मान्य किए जाते हैं जबतक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग लिखतों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता।

6.6 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

(i) पीपीई मदों को आरंभ में लागत पर मान्य किया जाता है। इसके बाद इनका मापन संचित मूल्यह्रास और संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को, यदि कोई हो, घटा कर लागत पर किया जाता है, केवल फ्रीहोल्ड जमीन को छोड़कर, जिसे ह्रासित नहीं किया जाता। सक्रिय उपयोग से हटा दिए गए और निस्तारण के लिए धारित पीपीई मद अपने अंकित मूल्य और निवल प्राप्य मूल्य से नीचे दर्ज किए जाते हैं।

(ii) लीजहोल्ड परिसर के सुधार पर किया गया व्यय लागत पर मान्य किया जाता है और पीपीई के तहत 'लीजहोल्ड सुधारों' के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) उपयोग में ली जा रही परिसंपत्तियों के मामले में पूंजीकरण अनुमोदित बिलों के आधार पर या अनुबंध के अनुसार किए गए काम के अनुमानित मूल्य के आधार पर किया जाता है, जहां अंतिम बिल अभी भी प्राप्त/अनुमोदित किए जाने हैं अंतिम समायोजन वर्ष में आवश्यक समाधान के तहत।

(iv) पीपीई के किसी मद के एक हिस्से को स्थानापन्न किए जाने की लागत उस मद के वहनीय मूल्य में मान्य की जाती है, यदि संभावना हो कि उस हिस्से में निहित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को मिलेंगे और इसकी लागत विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकेगी। हटाए गए हिस्से का वहनीय मूल्य अमान्य कर दिया जाता है। पीपीई की रखरखाव और सर्विसिंग लागत व्यय के अनुसार समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

(v) निर्माणाधीन पीपीई, किसी मान्य क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर, लागत पर दर्ज होता है। ऐसे पीपीई मद निर्मित हो जाने और निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की समुचित श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं। परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, अन्य परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने लक्षित उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(vi) मूल्यह्रास मान्य किए जाने पर, अवशिष्ट मूल्य को घटाकर परिसंपत्तियों की लागत बट्टे खाते में डाली जाती है, अनुमानित उपयोगी जीवन पर लिखित मूल्य विधि* के अनुसार, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारण के अनुरूप है, केवल निम्नलिखित को छोड़कर है:-

पीपीई की प्रकृति	पीपीई का जीवन काल
सेल फोन	2 वर्ष (पीएफसी और पीएफसीसीएल के मामले में)
लीज होल्ड सुधार(1)	लीज अवधि या उनका उपयोगी जीवनकाल जो भी कम हो (पीएफसीएल के मामले में)

अवशिष्ट मूल्य का आकलन पीपीई की वास्तविक लागत के 5% के रूप में किया जाता है।

*आरईसीएल द्वारा सीधरेख विधि का उपयोग कर मूल्यह्रास आकलित की जाती है।

(1)लीज होल्ड सुधार सीधरेख आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।

(vii) वर्ष के दौरान पीपीई मे जोड़/घटाव पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है, उस तिथि से/तक जिसपर परिसंपत्ति उपयोग/निस्तारण के लिए उपलब्ध कराई गई।

(viii) पीपीई का कोई मद निस्तारण पर या भविष्य में उसके उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रह जाने पर अमान्य किया जाता है। पीपीई के किसी मद को अमान्य किए जाने पर होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण निवल निस्तारण प्राप्तियों और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(ix) स्मार्ट मीटरिंग परियोजना में सीधे होने वाला पूंजी व्यय आरंभ में जारी पूंजीगत कार्यों (ग्राहक से प्राप्त अंशदान के निवल) में दर्शाया जाता है और इसे उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर पीपीई के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। स्मार्ट मीटरिंग परियोजना में पीपीई मदों में मूल्यहास यथानुपात आधार पर सीधरेख विधि से मान्य किया जाता है, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर, जो 99 माह के परियोजना कार्यान्वयन अवधि से अधिक न हो।

(x) प्रत्येक ₹5000 तक के पीपीई मद, खरीद वर्ष में पूरी तरह ह्रासित कर दिए जाते हैं।

(xi) रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत जारी पूंजीगत कार्य के रूप में स्पष्ट की जाती है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण की जरूरत पूरी करने में लगी ऋण लागत और परिसंपत्ति को लक्षित उपयोग के लिए कार्य करने योग्य स्थिति तक लाने की लागत शामिल होती है। किसी भी डिस्काउंट या छूट को खरीद मूल्य से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किया जाने वाला अग्रिम, जो तुलन-पत्र तिथि तक बकाया हो, पूंजी अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

6.7 अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

i. अलग से अर्जित की गई असीम उपयोगी जीवनकाल की अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में वह प्रत्यक्ष आकस्मिक व्यय भी शामिल है, जो परिसंपत्ति को उसके लक्षित उपयोग के लिए तैयार करने में आवश्यक है। बाद में इसका मापन संचित परिशोधन और संचित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि हो, को घटाकर लागत पर किया जाता है। परिशोधन को परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन काल पर सीधरेखीय आधार पर मान्य किया जाता है।

ii. अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण योग्य व्यय को विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में रखा जाता है, जबतक कि वे लक्षित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं। अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/विकास के लिए भुगतान किया गया अग्रिम, जो तुलन-पत्र तिथि तक बकाया हैं, 'पूंजी अग्रिम' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

iii. समूह द्वारा अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के साथ असीम उपयोगी जीवन का आकलन 5 वर्ष का किया गया है। पीएफसीसीएल के मामले में जीवन काल का अनुमान 36 महीनों का है।

iv. अमूर्त परिसंपत्ति को निस्तारण पर, या जब उसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी लाभ की आशा न रह जाए, अमान्य कर दिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति के अमान्यीकरण से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण प्राप्तियों और परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य के बीच के अंतर पर किया जाता है और अमान्य कर दिए जाने के बाद समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य कर दिया जाता है।

6.8 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति/निस्तारण समूह

गैर चालू परिसंपत्तियां बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत की जाती हैं यदि उनकी वहनीय राशि जारी उपयोग के बदले मूल रूप से बिक्री सौदे से वसूली जाने योग्य हो। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब समूह द्वारा ऐसी परिसंपत्तियों को बेचे जाने का निर्णय कर लिया जाए, जब वे अपनी मौजूदा स्थिति में तुरंत बिक्री के लिए उपलब्ध हों, जब सहमति से बिक्री के लिए एक निर्धारित मूल्य पर सक्रियता से उनका विपणन किया जा रहा हो, और विक्रय वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूरा हो जाने की आशा हो। ऐसी गैर चालू परिसंपत्तियों का मापन वहनीय राशि से नीचे या बिक्री लागत को घटाकर उचित मूल्य पर किया जाता है।

जब समूह किसी कंपनी की नियंत्रण हानि को लेकर उसकी बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध हो, तो वह उस कंपनी (कंपनी की सभी परिसंपत्तियां और देयताए) में निवेश को बिक्री के लिए रखा रूप में वर्गीकृत करता है।

6.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) प्रावधान तब मान्य किए जाते हैं जब समूह के पास, किसी पिछली घटना के आधार पर वर्तमान कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, यदि यह संभावित हो कि समूह को इस दायित्व का समाधान करना होगा और दायित्व समाधान में लगने वाली राशि के संबंध में कोई विश्वसनीय अनुमान किया जा सकेगा।

(ii) प्रावधान के रूप मे मान्य राशि, दायित्व से जुड़े तमाम जोखिमों और अपरिभाषितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के समाधान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान होता है।

(iii) जब किसी प्रावधान के समाधान के लिए आवश्यक कुछ या समस्त आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूले जाने की आशा हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि यह परिभाषित प्रतीत होता हो कि प्रतिपूर्ति मिल जाएगी और प्राप्य राशि का विश्वसनीय ढंग से मापन हो सकेगा।

(iv) जब यह संभावना नहीं हो कि आर्थिक लाभों के बहिर्गमन की जरूरत पड़ेगी या राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान नहीं हो सकेगा तो दायित्व को खाता टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में दर्ज किया जाता है जबतक आर्थिक लाभों के बहिर्गमन की संभावना असंबद्ध न हो।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) आकस्मिक परिसंपत्तियां समेकित वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की जाती हैं। लेकिन आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना होने पर इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में स्पष्ट किया जाता है।

6.10 आय और व्यय का मान्यीकरण

i. वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय का मापन बाद में परिशोधित लागत पर किया जाता है और इसे प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमानित जीवन से भविष्य की अनुमानित नकदी प्राप्तियों को, प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल वहनीय राशि से घटा देती है।

ii. जबतक कि अन्य प्रकार से निर्दिष्ट न किया जाए, आरईसीएल के ऋणकर्ताओं से वसूलियां (I) आरईसीएल की लागत और व्यय (II) ब्याज कर सहित विलंबित और दंड स्वरूप ब्याज, यदि कोई हो (III) ब्याज कर सहित बकाया ब्याज, यदि हो और (iv) मूल राशि का पुनर्भुगतान, सबसे पुराने को पहले समायोजित करते हुए, क्षतिग्रस्त ऋण और प्रत्याहारित ऋण, जहां मूल धन अन्य लागत, व्यय, विलंबित और दंड रूप ब्याज और ब्याज कर सहित बकाया ब्याज, यदि हो, की पूरी तरह वसूली के बाद विनियोजित किया जाता है। एक बार समाधान (ओटीएस)/ऋण मोचन अक्षमता और दिवालिया संहिता (आईबीसी) प्रक्रियाएं पहले मूलधन बकाया और शेष वसूली के लिए विनियोजित की जाती हैं और बाद में ब्याज और अन्य प्रभारों के लिए, यदि हो तो।

iii. वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज का मापन बाद में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। और इसे प्रोद्भूत आधार पर, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार मान्य किया जाता है और अलग से 'ब्याज आय' शीर्षक के तहत दर्शाया जाता है।

iv. ऋणकर्ताओं द्वारा बकाया के समय से भुगतान पर दी जाने वाली छूट, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय से पूरा बकाया प्राप्त हो जाने पर मान्य की जाती है और ब्याज आय के तहत रखी जाती है।

v. समूह यह निर्धारित करने के लिए कि कितना राजस्व प्राप्त हुआ और कब मान्य हुआ, इसकी प्रकृति, राशि, समय और अपरिभाषितता के बारे में इंड एएस 115 द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों का उपयोग करता है। इसी के अनुसार पांच चरणों की प्रक्रिया से राजस्व मान्य किया जाता है:-

क) ग्राहक के साथ अनुबंध (अनुबंधो) की पहचान,

ख) अनुबंध में पृथक कार्य-निष्पादन दायित्वों की पहचान करना,

ग) सौदे के मूल्य का निर्धारण,

घ) कार्य-निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य का आवंटन, और

ङ) कार्य-निष्पादन दायित्व पूरा हो जाने पर राजस्व का मान्यीकरण।

राजस्व का मापन, प्राप्त और प्राप्य लाभ, निवल छूट और अन्य अप्रत्यक्ष करों के उचित मूल्य पर किया जाता है।

लागत प्लस अनुबंधों में - राजस्व का मान्यीकरण पात्र अनुबंधगत व्यय मदों सहित अनुबंध अनुसार आनुपातिक मार्जिन के योग द्वारा किया जाता है।

नियत मूल्य अनुबंधों में - राजस्व, अनुबंध पूरा होने के चरण के आधार पर मान्य होता है। समूह का आकलन है कि अनुबंध पूरा होने के चरण का निर्धारण, दायित्व पूरा होने के कुल अनुमानित समय और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लैप्स हो चुके समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो इंड एएस 115 के तहत इन दायित्वों की पूरी संतुष्टि के प्रति प्रगति को मापने का एक समुचित उपाय है।

परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर राजस्व, लागत या पूर्णता के प्रति प्रगति की सीमा का आकलन संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई बढ़ोतरी या कमी उस अवधि में लाभ एवं हानि में दर्शाई जाती है जिस अवधि में संशोधन को अनिवार्य बनाने वाली परिस्थितियां प्रबंधन की जानकारी में आईं।

vi. भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के निर्देश के अनुसार शुरू की गई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी) और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी) के विकास से संबंधित परामर्शी सेवाओं से राजस्व, पूर्ण अनुबंध विधि आधार पर मान्य किया जाता है, अर्थात आईटीपी/यूएमपीपी को शेयर खरीद करार द्वारा सफल बोलीकर्ता को अंतरित कर दिया जाता है। इन परियोजनाओं के विकास पर हुआ व्यय जो प्रत्यक्ष लागत के रूप में वसूला नहीं जा सकता है, वह प्रबंधन द्वारा निर्णीत सहमत प्रभार दरों पर मानव शक्ति शुल्क बिलिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

vii. पीएफसीसीएल की स्मार्ट मीटरिंग सेवाओं से प्राप्त आय तब मान्य की जाती हैं जब मीटर किराए के बिल ग्राहकों के लिए प्रेषित किए जाते हैं और इस प्रकार की आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान परियोजना विकास प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) शुल्क से प्राप्त आय अनुबंध अवधि पर मान्य की जाती हैं।

viii. स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों से बिक्री लाभ प्राप्त होने पर लेखांकित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ix. पावर एंड कोल फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम की लघु/मध्यम अवधि से प्राप्त आय सफल बोलीकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी होने पर मान्य किया जाता है।

x. निवेशों से लाभांश आय, एफवीटीपीएल पर मापित सहित, लाभ एवं हानि विवरण में 'लाभांश आय' शीर्ष के तहत मान्य की जाती है, जब लाभांश प्राप्त करने का समूह का अधिकार स्थापित हो जाता है और लाभांश राशि का विश्वसनीय ढंग से मापन हो सकता है।

xi. वित्तीय देयताओं पर ब्याज व्यय, बाद में परिशोधित लागत पर मापित, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए मान्य की जाती है।

xii. अन्य आय और व्यय का लेखांकन, संबंधित अनुबंध के नियमों के अनुसार, प्रोद्भूत आधार पर होता है।

xiii. ₹1,00,000/- तक का पूर्व-भुगतान कर दिया गया व्यय, समेकित लाभ एवं हानि विवरण में प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

6.11 शेयर जारी किए जाने पर होने वाला व्यय

शेयरों के जारी होने पर व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

6.12 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज और वे अन्य लागत आती हैं जो समूह को निधि ऋण लेने के सिलसिले में खर्च करना पड़ता है। ऋण लागत को, जो किसी अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण और/या निर्माण में उस समय तक सीधे लगने वाला व्यय है, जबतक परिसंपत्ति अपने उपयोग के लिए तैयार न हो जाए, पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जो अपने लक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी ऋण लागत समेकित लाभ एवं हानि विवरण में, प्रभावी ब्याज दर विधि से प्रोद्भूत आधार पर, प्रभारित किए जाते हैं।

6.13 कार्मिक हितलाभ

i. परिभाषित अंशदान योजना
समूह द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भविष्य निधि और पेंशन मद में भुगतान किया गया/ भुगतान किए जाने योग्य अंशदान समेकित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, जब कार्मिक उन्हें अंशदान का पात्र बनाने योग्य सेवा दे चुके होते हैं।

ii. परिभाषित हितलाभ योजना
कार्मिकों की उपदान के प्रति समूह का दायित्व और अवकाश प्राप्ति बाद के लाभ जैसे चिकित्सा लाभ, आर्थिक पुनर्वास लाभ और सेवानिवृत्ति बाद समायोजन भत्ता का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए, वास्तविक मूल्यांकन से प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है। उपदान और अन्य रोजगार बाद परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर वास्तविक लाभ/हानि अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य की जाती है। योजना संशोधन की अवधि में पूर्व सेवा लागत समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य होती है।

iii. अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ
अवकाश नकदीकरण, सेवा पुरस्कार योजना के प्रति समूह के दायित्व का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे वास्तविक मूल्यांकनों के साथ होता है। इन दायित्वों को समेकित लाभ एवं हानि विवरणों में मान्य किया जाता है।

iv. अल्पावधि कार्मिक हितलाभ
वेतन और पारिश्रमिक जैसे अल्पावधि कार्मिक हितलाभों को समेकित लाभ एवं हानि विवरण में तब मान्य किया जाता है, उस अवधि में जब संबंधित सेवा, बदले में मिलने वाले अनुमानित हितलाभों की गैर-कटौती राशि पर प्रदान की जाती है।

v. कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण
कार्मिकों को रियायती दर पर दिए गए ऋण आरंभ में उचित मूल्य पर मान्य किए जाते हैं, और बाद में इसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस प्रकार के ऋणों और लेनदेन मूल्य के प्रारंभिक उचित मूल्य के बीच का अंतर ऋण जारी होने पर आस्थगित कार्मिक लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की अनुमानित शेष अवधि पर सीध रेखीय आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की अनुमानित शेष अवधि में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में, परिवर्तन तिथि पर अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत, प्रत्याशित आधार पर, ऋण की अद्यतन अनुमानित शेष अवधि पर परिशोधित की जाती है।

6.14 आयकर

आयकर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब यह किसी ऐसे मद से जुड़ता है जब यह समेकित अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है, ऐसी स्थिति में कर भी ओसीआई या सीधे इक्विटी में मान्य होता है।

(i) चालू कर
चालू कर अधिनियमित या पूर्ण रूप से लागू और रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर दरों का उपयोग करते हुए, और पिछले वर्षों के भुगतान योग्य कर में किसी समायोजन के अनुसार, वर्ष के लिए करयोग्य आय पर भुगतान योग्य अनुमानित कर है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

चालू कर परिसंपत्तियां और देयताएं ऑफसेट कर दी जाती हैं, जब मान्य राशियों को पृथक करने का कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों और देयताओं को निवल आधार समायोजित करने की मंशा होती है।

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहनीय राशि तथा करयोग्य आय की संगणना में प्रयुक्त संबंधित कर आधारों के बीच के अस्थायी अंतरों पर मान्य किया जाता है। आस्थगित कर का मापन, परिसंपत्तियों/देयताओं की वहनीय राशि के अनुमानित मान्यीकरण या समाधान के आधार पर, रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित और पूरी तरह लागू कानून आधारित कर दरों पर किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं ऑफसेट कर दी जाती हैं, जब चालू कर परिसंपत्तियों को देयताओं से पृथक करने का कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार होता है तथा वे समान कर प्राधिकरण से लगाए गए आय करों से जुड़ती है।

आस्थगित कर देयता सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य की जाती हैं। आस्थगित कर परिसंपत्ति उस सीमा तक घटाए जाने योग्य सभी अस्थायी अंतरों के लिए मान्य की जाती है, कि भविष्य में करयोग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना रहे, जिसके प्रति घटाए जाने योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग हो सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है, और उन्हे इस सीमा तक कम किया जाता है कि संबंधित कर लाभ मान्य किए जाने की संभावना न रह जाए।

6.15 लीज

समूह लीज अनुबंधों के मान्यीकरण, मापन और प्रस्तुति के लिए इंड एएस '116 लीज' के सिद्धांत लागू करता है।

(i) समूह एक पट्टाकर्ता के रूप में

समूह अनुबंध करते समय यह आकलन कर लेता है कि क्या अनुबंध एक लीज है या इसमें लीज शामिल है। अनुबंध एक पट्टा होता है या इसमें पट्टा शामिल माना जाता है, यदि यह परिभाषित हितलाभ के बदले एक समयावधि तक चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार देता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई अनुबंध एक चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, समूह यह आकलन करता है कि (क) क्या उसे लीज अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ पूरी तरह उपलब्ध हैं या नहीं, और (ख) क्या समूह के पास चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है।

समूह, लीज अनुबंध करते समय लागत पर परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार (आरओयू) और इससे जुड़ी लीज देयता को मान्य करता है, केवल 12 माह से कम अवधि (अल्पावधि) के पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों को छोड़कर, जो लीज अवधि पर सीध रेखीय आधार पर संचालन व्यय के रूप में मान्य किए जाते हैं।

कुछ लीज प्रबंधों में पट्टे की अवधि बढ़ाने या निर्धारित अवधि से पहले ही समाप्त कर देने का विकल्प शामिल होता है। आरओयू परिसंपत्तियों और लीज देयताओं में ये विकल्प शामिल होते हैं जब तर्कसम्मत ढंग से यह परिभाषित हो कि इन विकल्पों का उपयोग किया जाएगा।

आरओयू परिसंपत्तियां आरंभ में लागत पर मान्य होती हैं, जिसमें लीज तिथि पर या इससे पहले किए गए लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि और प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों के योग से किसी प्राप्त लीज प्रोत्साहन को घटाया जाना शामिल होता है। बाद में इनका मापन किसी संचित ह्रास और संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर किया जाता है। आरओयू परिसंपत्तियों को सीध रेखीय विधि से शुरूआत की तिथि से लीज अवधि या आरओयू परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, पर ह्रासित किया जाता है।

लीज देयता आरंभ में भविष्य के लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापी जाती है। लीज भुगतानों को लीज में शामिल ब्याज दर का उपयोग करते हुए या, यदि यह तुरंत निर्धारण योग्य न हो तो लीज परिचालित किए जाने के देश में समूह की क्रमिक वृद्धि वाली ऋण दरों का उपयोग करते हुए डिस्काउंट किया जाता है।

यदि समूह अपना आकलन बदल देता है कि वह विस्तार का विकल्प चुनेगा या समाप्त किए जाने का तो लीज देयताओं का पुनःमापन, संबंधित आरओयू परिसंपत्ति में समायोजन के साथ किया जाता है।

लीज देयता और आरओयू परिसंपत्ति तुलन-पत्र में अलग अलग प्रस्तुत की जाती है। लीज देयता पर ब्याज व्यय, समेकित लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागत के घटक के रूप में, आरओयू परिसंपत्ति में ह्रास से अलग प्रस्तुत की जाती है। मूल अंश के लिए लीज भुगतान वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और ब्याज अंश के लिए लीज भुगतान प्रचालन गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) समूह पट्टादाता के रूप में

उन लीजों को जिनके लिए समूह पट्टादाता है, एक वित्त या प्रचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे अनुबंध जिनमें लीज से संबंधित जोखिम और पुरस्कार पूरी तरह पट्टाधारी को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, वित्त लीज के रूप में वर्गीकृत होते हैं। अन्य सभी लीज,

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्गीकरण के तहत प्रचालन लीज में आते हैं। प्रचालन लीजों के लिए किराए से मिलने वाली आय संबंधित लीज की अवधि पर सीध रेखीय विधि से मान्य की जाती है।

प्रचालन लीज के तहत पट्टाधारी से बकाया राशि, लीज में समूह के निवल निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में मान्य की जाती है। लीज पर वित्त आय लेखांकन अवधि के लिए आवंटित किया जाता है ताकि रिपोर्टिंग तिथि पर लीज के संदर्भ मे बकाया समूह के निवल निवेश पर नियत आवधिक रिटर्न दर दर्शाई जा सके।

6.16 विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण

समूह की कार्यशील मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा लेनदेन, विनिमय दरों का उपयोग करते हुए लेनदेन की तिथि पर कार्यशील मुद्रा में अंतरित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में व्यक्त मौद्रिक मदें रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तिथि पर मौजूद विनिमय दरों का उपयोग करते हुए अंतरित की जाती हैं। मौद्रिक मदों के विनिमय अंतरों को संबंधित अवधि की समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। हालांकि 1 अप्रैल, 2018 से पहले वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लिए इस प्रकार के 'विनिमय अंतर विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते' में संचित किए जाते है और इन दीर्घावधि मौद्रिक मदों की शेष अवधि पर परिशोधित कर दिए जाते हैं।

6.17 सामान्य नियंत्रण के तहत व्यवसाय संयोजन

कंपनियों और व्यवसायों का सामान्य नियंत्रण के तहत आना ही व्यवसाय संयोजन है जिसमें जुड़ने वाली सभी कंपनियां और व्यवसाय, संयोजन से पहले और बाद में, समान पक्ष और पक्षों द्वारा नियंत्रित होती हैं और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता।

कंपनियों और व्यवसायों को समान नियंत्रण में शामिल करने वाले व्यवसाय संयोजन निम्नानुसार रुचि संमुच्चयन विधि (पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड) का उपयोग करते है:-

- संयोजी कंपनियों की परिसंपत्तियां और देयताएं उनकी वहनीय राशि पर दर्शाई जाती हैं।
- उचित मूल्य दर्शाने या नई परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता।
- समेकित वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधियों के बारे में वित्तीय सूचनाएं इस तरह फिर से उल्लिखित की जाती हैं कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधि के आरंभ से ही हो चुका हो, भले ही वास्तविक तिथि कुछ भी रही हो।

अंतरणकर्ता के समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया प्रतिधारित अर्जन शेष अंतरिती के वित्तीय विवरणों में दिए गए संबंधित शेष के साथ जोड़ दिया जाता है। रिजर्व की पहचान संरक्षित रखी जाती है और अंतरणकर्ता का रिजर्व अंतरिती का रिजर्व बन जाता है।

जारी शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि और नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त लाभ का जोड़ तथा अंतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के बीच का कोई अंतर, यदि हो, पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिजर्व से पृथक प्रस्तुत किया जाता है।

6.18 पूर्व अवधि की बड़ी त्रुटियां

पूर्व अवधि में रह गई बड़ी त्रुटियों का संशोधन बाद में पूर्व अवधियों के लिए, जिनमें भूल हुई थी, तुलनात्मक राशि बहाल कर किया जाता है। यदि यह त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे पहले की अवधि से भी पहले की हो, तो प्रारंभिक अवधि की परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी का प्रारंभिक शेष फिर से दिया जाता है।

6.19 इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों के लिए लाभांश और अन्य भुगतान

अंतिम लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है और अंतरिम लाभांश समूह में संबंधित कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज होता है।

इक्विटी के रूप में वर्गीकृत उपकरणों के धारकों के लिए भुगतान की देयता उस अवधि में मान्य की जाती है जब ये भुगतान समूह की संबंधित कंपनी द्वारा अधिकृत किए जाते हैं।

6.20 प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर प्राथमिक आमदनी की गणना समूह के इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिए उस अवधि में इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले लाभ या हानि और बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को तनुकृत संभावना वाले सभी इक्विटी शेयरों के असर के लिए समायोजित किया जाता है।

7. अनुमानों और प्रबंधकीय निर्णयों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और आकलन करने होते हैं जो परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और व्यय की प्रतिवेदित राशि और संबंधित स्पष्टीकरणों को प्रभावित करता है। अनुमान और निहित धारणायें पहले के अनुभवों और अन्य संबद्ध कारकों पर आधारित होती हैं और जारी आधार पर समीक्षित होती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन आकलनों में परिवर्तन, यदि हो, तो उन्हें उस अवधि में मान्य किया जाता है जिनमें वे संशोधित होते हैं, यदि संशोधन केवल उस अवधि को

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रभावित करता है, या फिर संशोधन अवधि में या भविष्य मे मान्य किया जाता है यदि यह मौजूदा और भावी दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

7.1 महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में समझ बढ़ाने के लिए, आकलन में शामिल क्षेत्रों के अतिरिक्त (टिप्पणी संख्या 7.2), महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी, जिनका लेखांकन नीतियां लागू करने में समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, इस प्रकार हैः-

(i) विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता

कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल ने अपने निदेशक मंडल से यह अनुमोदन प्राप्त कर लिया है कि आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित और प्रबंधित विशेष रिजर्व से आहरण का कोई विचार नहीं है और यह आहरण किए जाने योग्य नहीं है। इसके अनुसार उक्त रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं हुई है।

(ii) ऋण क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों पर आय का अमान्यीकरण

विवेक के अनुसार ऋण क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों पर आय का अमान्यीकरण, प्राप्त होने पर या प्रोद्भूत आधार पर या तो दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों पर या अनुमानित मान्यीकरण के बकाया ऋण राशि से अधिक होने पर किया जाता है।

(iii) ऋण क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों पर लेनदेन लागत का परिशोधन

गैर-परिशोधित लेनदेन लागत की बकाया राशि ऋण परिसंपत्ति के क्षतिग्रस्त वर्गीकृत किए जाने पर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में जमा करा दी जाती है।

(iv) निवेशों का वर्गीकरण

कंपनी में किसी निवेश को सहायक कंपनी में, संयुक्त उद्यम में या सहयोगी कंपनी में निवेश मानने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्भर नियंत्रण चरण के आकलन की जरूरत होती है।

क) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को वर्ष 2009 में एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), आरईसीएल, और पीएफसी के एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में शामिल किया गया था। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 01.09.2021 के पूरक समझौते के द्वारा जेवी संधि में संशोधन किए गए, और सभी संयुक्त उद्यम साझेदारों को कुछ आरक्षित विषयों पर मतदान अधिकार के माध्यम से प्रदत्त स्वतंत्र भागीदारी अधिकार और विशेषाधिकार, वापस ले लिए गए। इसलिए किसी संयुक्त नियंत्रण के अभाव में ईईसीएल समेकित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं रहा।

कंपनी की अपनी सहायक कंपनी आरईसीएल के साथ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में 33.33 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। हालांकि इंड एएस 28 'सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों में निवेश' की अपेक्षानुसार संबंधित गतिविधियों को निर्देशित करने की व्यावहारिक पात्रता के अभाव के कारण कंपनी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होने के कारण ईईसीएल समेकित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के लिए एक सहायक कंपनी नहीं मानी जाती।

ख) अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी), आरईसीएल की पारेषण परियोजनाएं (एसपीवी) और पीएफसीसीएल की आईटीपी का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार होता है और समूह के पास इनकी गतिविधियों को एकतरफा निर्देशित करने की व्यावहारिक पात्रता नहीं है। इसलिए समूह संबंधित यूएमपीपी, आईटीपी और एसपीवी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव रखे जाने वाले सहयोगी कंपनियों में निवेश मानता है, बावजूद इसके कि संबंधित कंपनियों की अपनी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में 100 % की धारिता है।

ग) बोर्ड में अपनी स्थिति या ऋणकर्ता कंपनियों में इक्विटी शेयरों के कारण इन कंपनियों में पीएफसी जिन अधिकारों का उपयोग करता है, वे प्रकृति में संरक्षणात्मक है। इसलिए ऋणकर्ता कंपनियां सहायक कंपनियां नहीं मानी जातीं।

(v) कम मूल्य के लीज

यदि पट्टाधारी इंड एएस 116 'लीज' की मान्यता और मापन अपेक्षाएं उन लीज पर लागू नहीं करना चाहता, जिनमें निहित परिसंपत्तियां कम मूल्य की हैं, तो आकलन आवश्यक हो जाता है। कम मूल्य के निर्धारण के लिए समूह ने इंड एएस 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' और इंड एएस की अवधारणा रूपरेखा, जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, में स्पष्ट परिसंपत्तियों की प्रकृति और भौतिक स्थिति पर विचार किया है।

(vi) विविध देयताएं - ब्याज पूंजीकरण

क्षतिग्रस्त ऋणों पर अमान्यीकृत आय, जो वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) /ऋण/प्रावधान के तहत अधिग्रहीत इक्विटी लिखतों द्वारा व्यक्त की गई है, 'विविध देयता खाता (ब्याज पूंजीकरण)' शीर्षक के एक अलग खाते में अंतरित कर दी जाती है और एफआईटीएल के पुनर्भुगतान या बिक्री/ ऋण/ इक्विटी लिखतों के मोचन पर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

(vii) वित्तीय परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता की संगणना के लिए संकेतकों की व्यावहार्यता के मूल्यांकन के लिये अनेक बाह्य और आंतरिक कारकों का आकलन जरूरी है, जिनका असर परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में कमी पर पड़ सकता है। समूह डिफॉल्ट यानि

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

चूक और ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि (एसआईसीआर) की पहचान तथा उपलब्ध जानकारी के आधार पर समान वित्तीय परिसंपत्तियों की समूहबद्धता के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।

(viii) सहायक कंपनियों, शाखाओं के असंवितरित लाभ/हानियों तथा सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के संदर्भमें आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति

सहायक कंपनियों, शाखाओं के असंवितरित लाभ/हानियों के संदर्भ में तथा सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के संदर्भ में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति के लेखांकन के लिए निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। सहायक कंपनियों, शाखाओं के असंवितरित लाभ/हानियों तथा सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के संदर्भ में, कंपनी अस्थायी अंतरों में पलटाव के समय को नियंत्रित कर सकती है लेकिन अस्थायी अंतर निकट भविष्य में पलटे नहीं जाएंगे। इसलिए समूह सहायक कंपनियों में निवेश और संयुक्त उद्यमों में ब्याज से जुड़े सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयता को मान्य नहीं करती।

7.2 अनुमानित अनुमान और आकलनों के प्रमुख स्रोत

परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय के मान्यीकरण और मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले आकलन और अनुमानों के बारे में जानकारी नीचे दी गई हैः-

(i) परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ)

डीबीओ के बारे में समूह का अनुमान अनेक निहित आकलनों पर आधारित है जैसे मानक मुद्रा स्फीति दर, मृत्यु दर, छूट की दर और भविष्य का वेतन वृद्धि अनुमान। इन आकलनों में किसी अंतर का प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से डीबीओ की राशि और वार्षिक निर्दिष्ट लाभ व्यय पर पड़ सकता है, जैसा कि टिप्पणी - 50 में विस्तार से दिया गया है।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों का क्षतिग्रस्तता परीक्षण (अनुमानित क्रेडिट हानि)

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षतिग्रस्तता हानि, जिसमें ऋण एलओसी और परिशोधित लागत पर मापित गारंटी शामिल है, भत्ता के मापन के लिए सांख्यिकी मॉडल, भविष्य की अनुमानित आर्थिक स्थितियां, अनुमानित नकदी प्रवाह और ऋण रिकॉर्ड (जैसे ऋण जोखिम स्कोरिंग के लिए प्रयुक्त इनपुट और भारांक, ऋणकर्ता की चूक की संभावना और परिणाम स्वरूप हानियां) के उपयोग की आवश्यकता होती है। क्षतिग्रस्त ऋणों से वसूली योग्य संभावित नकदी प्रवाह के आकलन में, ऋण कर्ता की वित्तीय स्थिति, परियोजना की मौजूदा स्थिति, प्रतिभूतियों / कोलेटरल इत्यादि के निवल प्राप्य मूल्य इत्यादि का आकलन किया जाता है।

चूंकि ये अनुमान विभिन्न धारणाओं पर आधारित होते हैं, वास्तविक परिणामों में अंतर आ सकता है। ब्योरे के लिए टिप्पणी 46.1 देखेः-

(iii) उचित मूल्य मापन

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों के लिए वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का आकलन जरूरी होता है। समूह उचित मूल्य मापन के लिए समुचित मूल्यांकन तकनीक और इनपुट का उपयोग करता है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के आकलन के लिए समूह उद्धृत मूल्यों और बाजार पर्यवेक्षण डेटा का उपलब्ध सीमा तक उपयोग करता है। इनके उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में परिसंपत्तियों/ देयताओं के उचित मूल्य की संगणना के लिए अप्रयुक्त इनपुट का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन तकनीकों, विभिन्न परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त इनपुट के बारे में जानकारी और अन्य विवरण टिप्पणी 48 में उपलब्ध हैं।

(iv) आयकर

आयकर के लिए प्रावधानों के निर्धारण में अपरिभाषित कर स्थितियों में भुगतान की गई/वसूल की गई अनुमानित राशि तथा आस्थगित कर परिसंपत्ति के आकलन के लिए भी भविष्य की अनुमानित लाभप्रदता सहित अनुमानित राशि का आकलन शामिल हैं। विवरण के लिए टिप्पणी 43 और 16 देखें।

(v) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

समूह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगिता के आधार पर ह्रासयोग्य/परिशोधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अपरिभाषितताएं तकनीकी और आर्थिक अप्रयुक्तता के कारण होती हैं, जो परिसंपत्ति की उपयोगिता में परिवर्तन ला सकती हैं। पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल और वहनीय मूल्यों के बारे में विवरण के लिए टिप्पणी 17 देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

8. नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	बैंको में शेष (नकदी और नकदी समतुल्य प्रकृति का)		
	- चालू खातो में	63.17	148.22
	- सावधि जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह तक की)	64.42	766.00
(ii)	पोस्टेज और इंप्रेस्ट सहित चेक, तत्काल ड्राफ्ट	0.00	0.02
	कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**127.59**	**914.24**

9. बैंक शेष, नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल के अतिरिक्त

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	बैंको में शेष और सावधि जमा, इस हेतु निर्दिष्ट:		
	- सावधि जमा खाते - एलएडी (टिप्पणी 9.1 देखें)	-	245.84
	- सावधि जमा खाते - एचक्यूएलए (टिप्पणी 9.2 देखें)	1,473.26	2,398.99
	- अप्रदत्त लाभांश	12.42	11.85
	- अप्रदत्त - बॉण्ड/बॉण्ड पर ब्याज इत्यादि	72.70	91.19
	- भारत सरकार की योजनाओं के तहत प्राप्त राशि	172.41	1,379.42
	- बैंको में सावधि जमा - डिबेंचर मोचन के लिए	196.35	225.33
	- मार्जिन राशि के रूप में/प्रतिभूति जमा पर धारित	-	0.27
(ii)	अदालती अनुपालन में जमा	0.62	0.59
(iii)	बैंक शेष, लंबित प्रतिभूतियों के आवंटन उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं	1,720.36	1,291.54
(iv)	बैंकों में सावधि जमा - तीन माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम	30.56	10.99
(v)	सावधि जमा के अतिरिक्त	252.16	114.25
(vi)	बैंको में चालू खाते - अव्ययित सीएसआर राशि के लिए	42.59	-
	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल के अतिरिक्त कुल बैंक शेष	**3,973.43**	**5,770.26**

9.1 समूह ने इन सावधि जमा पर ऋण (एलएडी) लिया है और इसे टिप्पणी 23.2 में प्रस्तुत किया है।

9.2. आरबीआई के अनुसार उच्च गुणवत्ता की लिक्विड परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के प्रबंधन के लिए सावधि जमा।

10. डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल लिमिटेड मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव उपाय करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्य के लिए धारित डेरिवेटिव में हेज लेखांकन अपेक्षाओं के तहत प्रभावी हेज के रूप में निर्दिष्ट बचाव उपाय या आर्थिक हेज शामिल हैं। निम्नांकित तालिका अनुमानित राशियों के साथ परिसंपत्ति या देयताओं के रूप में दर्ज डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य दर्शाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

भाग - I

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
		अनुमानित राशियां	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	अनुमानित राशियां	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**मुद्रा डेरिवेटिव:**						
	- स्पॉट और फॉरवर्ड	1,014.18	20.40	21.06	-	-	-
	- करेंसी स्वैप	7,605.06	507.62	58.13	14,979.27	1,112.54	48.37
	- विकल्प	1,30,438.82	12,107.19	91.15	75,384.97	6,468.82	21.55
	कुल मुद्रा डेरिवेटिव	**1,39,058.06**	**12,635.21**	**170.34**	**90,364.24**	**7,581.36**	**69.92**
(ii)	**ब्याज दर डेरिवेटिव**						
	- फॉरवर्ड दर करार और ब्याज दर स्वैप	56,827.39	1,149.80	300.82	51,171.39	1,009.37	255.22
	कुल ब्याज दर डेरिवेटिव	**56,827.39**	**1,149.80**	**300.82**	**51,171.39**	**1,009.37**	**255.22**
(iii)	**अन्य डेरिवेटिव**						
	- रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप	4,947.00	-	530.11	4,747.00	-	331.25
	कुल अन्य डेरिवेटिव	**4,947.00**	**-**	**530.11**	**4,747.00**	**-**	**331.25**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i) + (ii) + (iii)	**2,00,832.45**	**13,785.01**	**1,001.27**	**1,46,282.63**	**8,590.73**	**656.39**

भाग - II: उपर्युक्त भाग - I शामिल डेरिवेटिव हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए इस प्रकार धारित:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
		अनुमानित राशियां	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	अनुमानित राशियां	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**उचित मूल्य हेजिंग (निर्दिष्ट)**						
	- ब्याज दर डेरिवेटिव	-	-	-	-	-	-
	- फॉरवर्ड दर करार और ब्याज दर स्वैप	15,950.70	10.32	289.34	11,850.70	19.76	112.00
	कुल उचित मूल्य हेजिंग (निर्दिष्ट)	**15,950.70**	**10.32**	**289.34**	**11,850.70**	**19.76**	**112.00**
(ii)	**नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट):**						
	- मुद्रा डेरिवेटिव	1,33,405.31	12,212.17	89.02	84,292.31	6,746.43	69.92
	- ब्याज दर डेरिवेटिव	31,027.09	701.80	11.48	22,031.03	313.96	84.42
	कुल नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट)	**1,64,432.40**	**12,913.97**	**100.50**	**1,06,323.34**	**7,060.39**	**154.34**
(iii)	**अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव**	20,449.35	860.72	611.43	28,108.59	1,510.58	390.05
	कुल अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	**20,449.35**	**860.72**	**611.43**	**28,108.59**	**1,510.58**	**390.05**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i) + (ii) + (iii)	**2,00,832.45**	**13,785.01**	**1,001.27**	**1,46,282.63**	**8,590.73**	**656.39**

10.1. फॉरवर्ड दर करार/ ब्याज दर स्वैप का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	स्वैप करार का अनुमानित सिद्धांत	56,827.39	51,171.39
(ii)	प्रतिपक्षकारों द्वारा सहमति के तहत निर्दिष्ट दायित्व पूरा नहीं कर पाने पर होने वाला नुकसान	1,149.80	1,009.37
(iii)	स्वैप में जाने के लिए एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	-	-
(iv)	स्वैप से होने वाली क्रेडिट जोखिम सघनता टिप्पणी (क) देखें	टिप्पणी [क] देखें	
(v)	स्वैप खाते का उचित मूल्य (प्रतिपक्ष बैंकों से प्राप्त)	848.98	754.15

[क]समूह ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल श्रेणी-1 अधिकृत डीलर बैंको के साथ स्वैप करार किया है।

10.2 समूह के पास 31.03.2023 को कोई विनिमय कारोबार डेरिवेटिव नहीं है (31.03.2022 को शून्य)।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

10.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	अन्य डेरिवेटिव (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)(क)	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	अन्य डेरिवेटिव (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)(क)
(i)	डेरिवेटिव (अनुमानित मूलधन राशि)						
	हेजिंग के लिए	139,058.06	56,827.39(ख)	4,947.00	90,364.24	51,171.39(ख)	4,747.00
(ii)	बाजार से बाजार की स्थितियां (एमटीएम)						
	क) परिसंपत्ति (+एमटीएम)	12,635.21	1,149.80	-	7,581.36	1,009.37	-
	ख) देयता (-एमटीएम)	170.34	300.82	530.11	69.92	255.22	331.25
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	14,561.03	1,134.87	692.05	10,218.30	1,075.98	662.05
(iv)	हेज रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	32,142.27	8,758.90	-	41,736.51	2,319.39	-

(क) लागत कमी की कार्यनीति के रूप में।

(ख) ब्याज दर डेरिवेटिव में रुपया देयता में डेरिवेटिव और लागत कमी के उपाय के रूप में रखे गए डेरिवेटिव शामिल हैं।

10.4 विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए क्रमशः टिप्पणी 46.3 और 46.4 देखें तथा हेज लेखांकन से संबंधित प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 47 देखें।

11. व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	व्यापार प्राप्य		
(i)	- अच्छा माना गया - प्रतिभूत (सकल)	-	31.08
(ii)	- अच्छा माना गया - अप्रतिभूत (सकल)	185.69	91.94
(iii)	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(25.67)	(12.48)
(iv)	- ऋण जोखिम में जिनकी महत्वपूर्ण वृद्धि रही (सकल)	37.62	30.97
(v)	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(28.07)	(15.88)
(vi)	- ऋण क्षतिग्रस्त (सकल)	66.81	63.32
(vii)	घटाएं: क्षतिग्रस्त ऋण पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(65.21)	(63.32)
	कुल व्यापार प्राप्य	**171.17**	**125.63**

11.1 व्यापार प्राप्य पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते के ब्योरे के लिए टिप्पणी 46.1.13 देखें।

11.2 व्यापार प्राप्य परिपक्वता अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक					
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) - अविवादित व्यापार प्राप्य						
- अच्छा माना गया	135.28	36.93	0.45	3.09	9.93	185.68
- क्रेडिट जोखिम में जिनकी महत्वपूर्ण वृद्धि रही	-	-	21.32	16.31	-	37.63
- क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	2.42	0.57	63.81	66.81
उप-जोड़ (i)	**135.28**	**36.93**	**24.19**	**19.98**	**73.74**	**290.12**
(ii) - विवादित व्यापार प्राप्य						
- अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
- क्रेडिट जोखिम में जिनकी महत्वपूर्ण वृद्धि रही	-	-	-	-	-	-
- क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (ii)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (i+ii)	**135.28**	**36.93**	**24.19**	**19.98**	**73.74**	**290.12**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022 तक					
		6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	**- अविवादित व्यापार प्राप्य**						
	- अच्छा माना गया	78.37	27.46	4.19	3.19	6.81	120.02
	- क्रेडिट जोखिम में जिनकी महत्वपूर्ण वृद्धि रही	-	-	19.35	14.56	-	33.91
	- क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	1.10	1.27	61.01	63.38
	उप-जोड़ (i)	**78.37**	**27.46**	**24.64**	**19.02**	**67.82**	**217.31**
(ii)	**- विवादित व्यापार प्राप्य**						
	- अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
	- क्रेडिट जोखिम में जिनकी महत्वपूर्ण वृद्धि रही	-	-	-	-	-	-
	- क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
	उप-जोड़ (ii)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (i+ii)	**78.37**	**27.46**	**24.64**	**19.02**	**67.82**	**217.31**

12. ऋण

कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी ने सभी ऋणों को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षानुसार परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(ए)	**ऋणकर्ताओं को ऋण***		
(i)	रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	8,07,013.69	7,52,573.06
(ii)	क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट	2,086.95	2,495.83
(iii)	कार्यशील पूंजी ऋण	47,621.75	2,658.59
(iv)	अन्य	777.61	768.87
(v)	**बकाया मूलधन (i से iv)**	**8,57,500.00**	**7,58,496.35**
(vi)	अर्जित लेकिन ऋणों पर अदेय ब्याज	5,513.99	5,467.27
(vii)	अर्जित ब्याज और ऋणों पर देय	478.37	1,070.52
(viii)	ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	(300.58)	(207.42)
	सकल वहनीय राशि (v से viii)	**8,63,191.78**	**7,64,826.72**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(30,288.42)	(31,975.96)
	निवल वहनीय राशि	**8,32,903.36**	**7,32,850.76**
(ख)	**प्रतिभूति-वार वर्गीकरण**		
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	4,38,196.92	4,14,821.03
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(iii)	बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर	3,41,748.33	2,74,293.60
(iv)	अप्रतिभूत	83,246.53	75,712.09
	सकल प्रतिभूति-वार वर्गीकरण	**8,63,191.78**	**7,64,826.72**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(30,288.42)	(31,975.96)
	निवल प्रतिभूति-वार वर्गीकरण	**8,32,903.36**	**7,32,850.76**
(ग)I	**भारत में ऋण**		
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	7,48,503.38	6,70,548.18
(ii)	निजी क्षेत्र	1,14,688.40	94,278.54
	भारत में ऋण की सकल वहनीय राशि	**8,63,191.78**	**7,64,826.72**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(30,288.42)	(31,975.96)
	भारत में ऋण की निवल वहनीय राशि	**8,32,903.36**	**7,32,850.76**
(ग)II	**भारत से बाहर ऋण**		
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	-	-
	भारत से बाहर ऋण की निवल वहनीय राशि	**-**	**-**
	भारत में और भारत से बाहर ऋण की निवल वहनीय राशि	**8,32,903.36**	**7,32,850.76**

*प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण के विवरण के लिए टिप्पणी 22.10 से 22.20 और 23.12 देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

12.1 ऋणकर्ताओं से शेष की पुष्टि

वर्ष के दौरान पीएफसी ने ऋणकर्ताओं को पत्र भेज कर 31.03.2023 तक बकाया ऋणों की पुष्टि करने को कहा, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां ऋण वापस ले लिया गया या अदालत/एनसीएलटी के समक्ष लंबित है। उक्त शेषों के 99.76% की पुष्टि प्राप्त हो गई है। ₹967.94 करोड़ के शेष ऋणों में से जिनकी पुष्टि नहीं प्राप्त हुई, 0.94% सरकारी गारंटी/सरकार को दिए गए ऋण होने से प्रतिभूत हैं और बाकी 99.06% अप्रतिभूत ऋण हैं।

आरईसीएल के संदर्भ में, 31.03.2023 तक कुल ऋण परिसंपत्तियों के 93% के लिए ऋणकर्ताओं से ऋण शेष पुष्टि प्राप्त हो गई है। ₹28,832.15 करोड़ मूल्य की शेष 7% ऋण परिसंपत्तियों में से जिनकी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई, 54% ऋण परिसंपत्तियों के हाइपोथीकेशन से, 25% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण से प्रतिभूत हैं और 21% अप्रतिभूत ऋण है।

12.2 पीएफसी और आरईसीएल द्वारा वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजनाओं का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋणकर्ता का नाम	समाधान योजना का विवरण	समाधान तिथि से पहले बकाया मूलधन	समाधान तिथि तक प्रदान किया गया क्षतिग्रस्तता भत्ता	बट्टे खाते डाली गई राशि (निवेश पर क्षतिग्रस्तता सहित)	समाधान योजना के तहत समूह द्वारा प्राप्त लिखत*
वित्तीय वर्ष 2022-23						
1	सुजलोन एनर्जी लिमिटेड	एकबारगी समाधान	239.04	1.07	56.66	पूरी ऋण राशि प्राप्त हो गई। 31.03.2023 तक ऋण का समाधान हो गया। वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएसडी) और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर (सीसीपीएस) क्रमशः ऋणकर्ता कंपनी और समूह कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदल दिए गए।
2	साउथ-ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ समाधान	3,185.00	1,592.47	-	पूरी मूलधन ऋण राशि प्राप्त हो जाने के अतिरिक्त ब्याज/विलंबित ब्याज आय के ₹431.68 करोड़ प्राप्त हो गए हैं। ऋण का समाधान 31.03.2023 तक हो गया है।
3	झाबुआ पावर लिमिटेड	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ समाधान	1,085.37	666.22	10.41	ऋणकर्ता कंपनी के समाधान लाभ/ अपरिवर्तनीय डिबेंचर/ इक्विटी शेयर प्राप्त हो जाने से पूरी ऋण राशि तथा ₹4.13 करोड़ की ब्याज/ विलंबित ब्याज आय प्राप्त हो गई है। ऋण का समाधान 31.03.2023 तक हो गया है।
4	इंड बराथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड (आईबीयूईएल)	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ समाधान	2,144.91	1,722.57	1,437.41	समाधान के तहत ऋणकर्ता कंपनी की समाधान आय और इक्विटी शेयर प्राप्त/आवंटित हो गए हैं। ऋण का समाधान 31.03.2023 तक हो गया है।
5	एटीएन इंटरनेशनल लिमिटेड	एकबारगी समाधान	9.45	3.45	3.45	₹6.00 करोड़ की कुल वसूली विनियोजित की गई जिसमें से ₹4.15 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त होंगे।
6	सिलिकॉन वैली इंफोटेक लिमिटेड	एकबारगी समाधान	2.91	1.06	1.06	₹1.85 करोड़ की कुल वसूली विनियोजित की गई जिसमें से ₹1.35 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त होंगे।
	कुल		**6,666.68**	**3,986.84**	**1,508.99**	
वित्तीय वर्ष 2021-22						
1	कृष्णा गोदावरी पावर यूटिलिटीज लिमिटेड	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन के साथ पुनर्गठन	76.63	76.63	64.23	ऋण का समाधान 31.03.2022 तक हो गया
2	जीवीके रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	एकबारगी समाधान	1,116.65	851.93	462.65	100% क्षतिग्रस्तता प्रावधान के साथ ₹304.00 करोड़ का मध्यस्थता ऋण राशि 31.03.2022 तक लेखे में दिया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋणकर्ता का नाम	समाधान योजना का विवरण	समाधान तिथि से पहले बकाया मूलधन	समाधान तिथि तक प्रदान किया गया क्षतिग्रस्तता भत्ता	बट्टे खाते डाली गई राशि (निवेश पर क्षतिग्रस्तता सहित)	समाधान योजना के तहत समूह द्वारा प्राप्त लिखत*
3	एस्सार पावर एमपी लिमिटेड	एनएएनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व परिवर्तन के साथ पुनर्गठन	2,689.55	1,462.78	1,455.17	₹938.14 करोड़ का चला आ रहा ऋण 31.03.2022 तक लेखा बहियों में बना हुआ है।
4	ऐस्टनफील्ड सोलर (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड	एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व परिवर्तन के साथ पुनर्गठन	25.85	23.47	15.78	₹4.11 करोड़ का चला आ रहा ऋण 31.03.2022 तक लेखा बहियों में बना हुआ है।
5	आरएस इंडिया विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एकबारगी समाधान	223.77	134.48	122.70	ऋण का समाधान 31.03.2022 तक हो गया
6	वीएस लिग्नाईट पावर प्राइवेट लिमिटेड	आईबीसी प्रक्रिया के तहत अनुमोदित समाधान योजना	54.24	40.69	39.45	₹12.54 करोड़ का ऋण 31.03.2022 तक लेखा बहियों में है।
7	लैंको बाबंध पावर लिमिटेड	आईबीसी प्रक्रिया के तहत पारित लिक्विडेशन आदेश	1,200.55	1,146.53	1,160.16	ऋण का समाधान 31.03.2022 तक हो गया
8	अमृत जल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	आईबीसी प्रक्रिया के तहत अनुमोदित समाधान योजना	4.35	2.10		ऋण का समाधान 31.03.2022 तक हो गया
	कुल		**5,391.59**	**3,738.61**	**3,320.14**	

*समाधान योजना के तहत प्राप्त लिखतों की विस्तृत जानकारी के लिए टिप्पणी 13क देखें

12.3 समूह की कंपनियों ने न तो कोई अग्रिम या ऋण दिया है और न ही कोई राशि निवेश की है (या तो ऋण निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत से या किसी प्रकार की निधि से) जो व्यक्तिगत रूप से या समूह में या किसी अन्य व्यक्ति/ व्यक्तियों या विदेशी कंपनियों (मध्यवर्ती संस्थाओं) सहित, कंपनी/ कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण हो, लिखित में दर्ज या अन्य प्रकार से आश्वस्ति के साथ कि मध्यवर्ती संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिन्हित व्यक्तियों या कंपनियों को किसी भी प्रकार से कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) की ओर से ऋण देगी या निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस प्रकार का कोई अन्य आश्वासन देगी।

12.4 क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर और समूह द्वारा प्रबंधन के ब्योरे के लिए टिप्पणी 46.1 देखें।

13क निवेश (इक्विटी विधि के उपयोग के लिए लेखांकित के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक					
		परिशोधित लागत (1)	एफवीटी ओसीआई पर निर्दिष्ट (2)	एफवीटीपीएल (3)	उप-जोड़ (4)=(2)+(3)	अन्य (5)	कुल (1)+(4)+(5)
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	1,957.99	-	-	-	-	1,957.99
(ii)	ऋण प्रतिभूतियां	1,189.14	-	612.34	612.34	-	1,801.48
(iii)	इक्विटी लिखत	-	2,103.92	96.67	2,200.59	-	2,200.59
(iv)	अधिमानी शेयर	114.50	-	-	-	-	114.50
(v)	अन्य	-	-	-	-	-	-
	कुल निवेश (इक्विटी विधि के उपयोग के लिए लेखांकित के अतिरिक्त)	**3,261.63**	**2,103.92**	**709.01**	**2,812.93**	**-**	**6,074.56**
	भूगोल-वार निवेश						
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	3,261.63	2,103.92	709.01	2,812.93	-	6,074.56
	सकल भूगोल-वार निवेश	**3,261.63**	**2,103.92**	**709.01**	**2,812.93**	**-**	**6,074.56**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(101.67)	-	-	-	-	(101.67)
	निवल भूगोल-वार निवेश	**3,159.96**	**2,103.92**	**709.01**	**2,812.93**	**-**	**5,972.89**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 तक परिशोधित लागत (1)	एफवीटीओसीआई पर निर्दिश्ट (2)	एफवीटीपीएल (3)	उप-जोड़ (4)=(2)+(3)	अन्य (5)	कुल (1)+(4)+(5)
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	1,473.20	-	-	-	-	1,473.20
(ii)	ऋण प्रतिभूतियां	365.60	-	288.27	288.27	-	653.87
(iii)	इक्विटी लिखत	-	1,459.61	175.31	1,634.92	-	1,634.92
(iv)	अधिमानी शेयर	113.19	-	-	-	-	113.19
(v)	अन्य	-	-	-	-	-	-
	कुल	**1,951.99**	**1,459.61**	**463.58**	**1,923.19**	**-**	**3,875.18**
	भूगोल-वार निवेश						
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	1,951.99	1,459.61	463.58	1,923.19	-	3,875.18
	सकल भूगोल-वार निवेश	**1,951.99**	**1,459.61**	**463.58**	**1,923.19**	**-**	**3,875.18**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(101.67)	-	-	-	(101.67)	3,875.18
	निवल भूगोल-वार निवेश	**1,850.32**	**1,459.61**	**463.58**	**1,923.19**	**-**	**3,773.51**

एफवीटीओसीआई- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य, एफवीटीपीएल - लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य

निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण*	मापित	31.03.2023 तक संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि	31.03.2022 तक संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि
(i)	**सरकारी प्रतिभूतियां**	परिशोधित लागत	18,79,32,800	100	1,957.99	14,39,32,800	100	1,473.20
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलए)**	परिशोधित लागत	3,21,940	1,000 से 10,00,000	961.24	3,14,940	1,000 से 10,00,000	259.39
	ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलए के अतिरिक्त)							
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला ए3 - ओसीडी से	एफवीटीपीएल	23,32,01,910	10	122.49	26,86,36,304	10	129.83
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला बी3 - ओसीडी	एफवीटीपीएल	10,01,29,332	10	52.59	11,48,94,246	10	55.75
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला सी - ओसीडी	एफवीटीपीएल	2,55,14,666	10	0.00	2,55,14,666	10	0.00
	- सुजलोन एनर्जी लिमिटेड - ओसीडी	एफवीटीपीएल	-	-	-	34,791	1,00,000	102.69
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - ओसीडी श्रृंखला ए	एफवीटीपीएल	63,31,99,420	100	0.00	63,31,99,420	100	0.00
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - ओसीडी श्रृंखला बी	एफवीटीपीएल	1,97,74,516	100	0.00	1,97,74,516	100	0.00
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - ओसीडी श्रृंखला एख	एफवीटीपीएल	3,37,46,560	100	0.00	3,37,46,560	100	0.00
	- फेरो एलॉयज कॉर्पोरेशन लिमिटेड - एनसीडी	परिशोधित लागत	2,55,19,173	1,00,000	56.40	2,54,95,144	1,00,000	106.21
	- झाबुआ पावर लिमिटेड - एनसीडी	परिशोधित लागत	1,74,14,830	100	171.50	-	-	-
	- 7.99% सतत बॉण्ड - केनरा बैंक	एफवीटीपीएल	200	1,00,00,000	208.47	-	-	-
	- 9.50% सतत बॉण्ड - यूको बैंक	एफवीटीपीएल	228	1,00,00,000	228.79	-	-	-
	कुल ऋण प्रतिभूतियां				**1,801.48**			**653.87**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण*	मापित	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
			संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि
(iii)	**इक्विटी लिखत**							
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	निर्दिष्ट - एफवीटीओसीआई	1,20,00,000	10	102.06	1,20,00,000	10	98.70
	- कोल इंडिया लिमिटेड	निर्दिष्ट - एफवीटीओसीआई	1,39,64,530	10	298.35	1,39,64,530	10	255.62
	- एनएचपीसी लिमिटेड (टिप्पणी 13.4)	निर्दिष्ट - एफवीटीओसीआई	17,16,75,750	10	690.13	20,51,30,167	10	570.26
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	निर्दिष्ट - एफवीटीओसीआई	32,20,000	10	3.59	32,20,000	10	-
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	निर्दिष्ट- एफवीटीओसीआई	46,36,00,000	10	298.51	46,36,00,000	10	456.47
	- सुजलोन एनर्जी लिमिटेड	निर्दिष्ट -एफवीटीओसीआई	13,31,04,997	2	105.15	8,46,15,798	2	77.42
	- हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निर्दिष्ट एफवीटीओसीआई	3,47,429	10	1.50	3,47,429	10	1.14
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	निर्दिष्ट - एफवीटीओसीआई	1,60,00,000	10	-	1,60,00,000	10	-
	- झाबुआ पावर लिमिटेड#	निर्दिष्ट- एफवीटीओसीआई	9,69,30,666	10	602.82	-	-	-
	- इंड बराथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड - गैर-उद्धृत	निर्दिष्ट- एफवीटीओसीआई	366	10	1.81	-	-	-
	- रतन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एफवीटीपीएल	32,76,95,820	10	96.67	32,76,95,820	10	175.31
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	एफवीटीपीएल	58,57,06,587	10	-	58,57,06,587	10	-
	कुल इक्विटी लिखत				**2,200.59**			**1,634.92**
(iv)	**अधिमानी शेयर**	परिशोधित लागत						
	- रायपुर एनर्जेन लिमिटेड - आरपीएस	परिशोधित लागत	59,82,371	100	12.83	59,82,371	100	11.52
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड - आरपीएस	एफवीटीपीएल	10,16,70,764	10	101.67	10,16,70,764	10	101.67
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड - ओसीसीआरपीएस	एफवीटीपीएल	15,32,97,013	10	-	15,32,97,013	10	-
	- सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड - सीसीपीएस		-	-	-	38,161	1,00,000	-
	कुल अधिमानी शेयर				**114.50**			**113.19**
	कुल निवेश (इक्विटी विधि उपयोग के लिए लेखांकित के अतिरिक्त)				**6,074.56**			**3,875.18**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता				**(101.67)**			**(101.67)**
	निवल निवेश (इक्विटी विधि उपयोग के लिए लेखांकित के अतिरिक्त)				**5,972.89**			**3,773.51**

आरपीएस - मोचनीय अधिमानी शेयर, ओसीसीआरपीएस - वैकल्पिक परिवर्तनीय संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर, सीसीपीएस - अनिवार्य परिवर्तनीय अधिमानी शेयर, ओसीडी - वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर, एनसीडी - गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर

#समूह में कंपनियों की ओर से ऋणदाता ट्रस्टी द्वारा धारित इक्विटी शेयर

* एफवीटीपीएल या एफवीटीओसीआई पर मापित लिखतों के उचित मूल्य के लिए टिप्पणी 48 देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

13ख इक्विटी विधि के उपयोग के लिए लेखांकित निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	**सहयोगी कंपनियां (टिप्पणी 13.2 देखें)**		
	- अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं/स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं	0.51	0.50
	[प्रत्येक ₹10 के 5,60,000 इक्विटी शेयर; पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10 के 8,10,000 इक्विटी शेयर]		

13.1 निवेशों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
आरंभिक शेष	101.67	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	-	101.67*
घटाएं: वर्ष के दौरान आधिक्य क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का प्रत्यावर्तन	-	-
अंतिम शेष	**101.67**	**101.67**

* रत्तन इंडिया पावर लिमिटेड के मोचनीय अधिमानी शेयरों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता

13.2 इक्विटी विधि उपयोग के लिए लेखांकित सहयोगी कंपनियों में निवेश का वहनीय मूल्य:

ये सहयोगी कंपनियां अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) (नीचे क्र.सं.(i)-(xv)) के विकास के लिए भारत सरकार के अधिदेश के तहत विशेष प्रयोजनीय वाहन के रूप में शामिल की गई, इस उद्देश्य के साथ कि पारेषण योजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक होने के नाते पीएफसीसीएल द्वारा शुरू की गई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (नीचे क्र.सं. (xvi)-(xviii))के संदर्भ में बोली प्रक्रिया और विशेष प्रयोजनीय वाहन प्रक्रिया पूरी होने पर इन्हें सफल बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निवेशक कंपनी का नाम	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड(1)	-	-
(ii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (टिप्पणी 13.3 देखें)	-	-
(iii)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड(1)	-	-
(iv)	ओडिसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	-	-
(v)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.08	0.08
(vi)	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.05	0.05
(vii)	घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.05	0.05
(viii)	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड(1)	-	-
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0.04
(x)	चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0.05
(xi)	ओडिसा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.04	0.04
(xii)	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0.05
(xiii)	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0.05	0.05
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0.05
(xv)	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.04	0.04
(xvi)	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड(1)	-	-
(xvii)	शॉंगटोंग कर्चम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड(1)	-	-
(xviii)	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड(2)	-	-
	कुल वहनीय मूल्य	**0.51**	**0.50**

(1)कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष के दौरान स्ट्राइक ऑफ की गई सहयोगी कंपनियां

(2)स्ट्राइक ऑफ किए जाने के प्रकियाधीन

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

13.3 पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (सीकेपीएल) का गठन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार यूएमपीपी के प्रबंधन के लिए किया गया था, और इसे सहयोगी कंपनी माना गया जिसपर पीएफसी लिमिटेड का महत्वपूर्ण प्रभाव था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीकेपीएल के करार-ज्ञापन में पीएफसी द्वारा बोलीकर्ता ऋणदाता समर्थित समाधान योजना के उपयोग के लिए संशोधन किया गया है और इसका नाम बदलकर पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) कर दिया गया है और अब इसे एक सहायक कंपनी माना जाता है।

13.4 समूह की कंपनियों ने आरंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय में कुछ इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तमनीय चुनाव किया। ग्रुप का मुख्य परिचालन विद्युत, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस प्रकार समेकित लाभ एवं हानि विवरणों को इन लिखतों के मूल्य में किसी उतार चढ़ाव से अप्रभावित रखने के लिए संबंधित कंपनियों के प्रबंधन का मानना है कि एफवीटीपीएल वर्गीकरण की तुलना में एफवीटीओआई वर्गीकरण अधिक सार्थक प्रस्तुति देता है।

वर्ष के दौरान विमान्य एफवीटीओसीआई लिखतों का ब्योरा:

(₹ करोड़ में)

निवेश का ब्योरा	विमान्य शेयरों/ यूनिटों की सख्या	विमान्यीकरण तिथि पर उचित मूल्य	विमान्यीकरण पर संचित अभिलाभ/(हानि)
वित्तीय वर्ष 2022-23			
एनएचपीसी लिमिटेड[1]	3,34,54,417	123.70	50.83
कुल			**50.83**
वित्तीय वर्ष 2021-22			
एनएचपीसी लिमिटेड[1]	18,46,45,279	510.44	108.28
'स्मॉल इज ब्यूटिफुल' निधि [2]	1,23,04,400	1.50	(10.80)
कुल			**97.48**

(1)बाजार की स्थितियों पर विचार करते हुए ये इक्विटी शेयर वर्ष के दौरान ट्रांच में बेचे गए थे। उचित मूल्य और अभिलाभ की संगणना विमान्यीकरण की संबंधित तिथि पर मूल्य के आधार पर की गई और सकल आधार पर उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत की गई।

(2)'स्मॉल इज ब्यूटिफुल' निधि की लिक्विडिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएफसी और आरईसीएल द्वारा रखी गई इस निधि की 1,23,04,400 यूनिट लेखा बहियों से विमान्य कर दी गई।

ऐसे निवेशों को विमान्य किए जाने के बाद समूह ने वर्ष के दौरान ऐसे शेयरों पर संचयी अभिलाभ/(हानि) (ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व से प्रतिधारित आय में) स्थानांतरित कर दी है। अधिक जानकारी के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण देखें।

13.5 निवेशों के उचित मूल्यन के विवरण के लिए टिप्पणी 48 देखें।

14. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

समूह ने अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षानुसार परिशोधित लागत पर श्रेणीबद्ध किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	भारत सरकार के चुकता बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य	29,356.50	29,356.50
(ii)	सहयोगी कंपनियों को अग्रिम	197.46	181.81
(iii)	कार्मिकों को अग्रिम	1.52	1.24
(iv)	कार्मिकों को ऋण	166.42	152.59
(v)	अन्य	223.77	244.18
	घटाएं: अन्य को क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	(113.59)	(115.97)
	कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**29,832.08**	**29,820.35**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

14.1 केएमपी को ऋणों और अग्रिमों का विवरण (उपर्युक्त टिप्पणी 14 (iii) और (iv) में शामिल):

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	केएमपी को ऋण और अग्रिम (अर्जित ब्याज सहित)	0.53	0.66

14.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता का संचलन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
(i)	आरंभिक शेष	115.97	111.37
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजन	16.04	14.24
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(18.42)	(9.64)
	अंतिम शेष	**113.59**	**115.97**

15. वर्तमान कर परिसंपत्तियां/देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	अग्रिम आयकर और प्रावधान का निवल टीडीएस	461.37	413.54
(ii)	दावे के तहत आयकर मांग पर जमा कर	81.71	81.71
	कुल चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**543.08**	**495.25**
(i)	अग्रिम कर के निवल आयकर के लिए प्रावधान	133.09	218.90
(ii)	दावे के तहत मांग के लिए आयकर प्रावधान	0.25	0.25
	कुल वर्तमान कर देयताएं (निवल)	**133.34**	**219.15**

16. आस्थगित कर शेषों में संचलन

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2022-23		01.04.2022 तक निवल शेष	समायोजन (पीएफसीसीएल)	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	31.03.2023 तक निवल शेष
(क)	**आस्थगित कर परिसंपत्ति**					
(i)	आयकर अधिनियम के तहत भुगतान आधार पर कटौतीयोग्य व्यय के लिए प्रावधान	52.94	-	5.89	0.68	59.51
(ii)	ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋण पर अपरिशोधित आय	(1.42)	-	20.09	-	18.67
(iii)	आरबीडीडी के आधिक्य में वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	7,708.73	-	(414.85)	-	7,293.88
(iv)	मूल्यहास और परिशोधन	(8.93)	-	(16.32)	-	(25.24)
(v)	डेरिवेटिव का उचित सूल्य (निवल)	81.61	-	123.83	410.64	616.08
(vi)	अन्य	26.39	-	13.04	10.16	49.59
(ख)	**(आस्थगित कर देयताएं)**					
(i)	अपरिशोधित एक्सचेंज हानि (निवल)	(280.92)	-	(55.64)	-	(336.56)
(ii)	ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(235.36)	-	(35.85)	-	(271.21)
(iii)	ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यन	(28.17)	-	(37.01)	-	(65.19)
(iv)	अन्य	0.50	-	-	-	0.50
नवल आस्थगित कर (देयताएं)/परिसंपत्तियां		**7,315.37**	**-**	**(396.82)**	**421.48**	**7,340.03**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2021-22		01.04.2021 तक निवल शेष	समायोजन (पीएफसीसीएल)	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	31.03.2022 तक निवल शेष
(क)	**आस्थगित कर परिसंपत्ति**					
(i)	आयकर अधिनियम के तहत भुगतान आधार पर कटौतीयोग्य व्यय के लिए प्रावधान	40.52	(0.07)	8.22	4.27	52.94
(ii)	ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	(5.32)	-	3.90	-	(1.42)
(iii)	आरबीडीडी के आधिक्य में वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता	6,875.84	-	832.89	-	7,708.73
(iv)	मूल्यहास और परिशोधन	1.46	(0.05)	(10.34)	-	(8.93)
(v)	डेरिवेटिव का उचित सूल्य (निवल)	46.47	-	23.24	11.90	81.61
(vi)	अन्य	24.38	-	11.59	(9.58)	26.39
(ख)	**(आस्थगित कर देयताएं)**					
(i)	अपरिशोधित एक्सचेंज हानि (निवल)	(313.72)	-	32.80	-	(280.92)
(ii)	ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(209.10)	-	(26.26)	-	(235.36)
(iii)	ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यन	-	-	(28.17)	-	(28.17)
(iv)	अन्य	0.50	-	-	-	0.50
निवल आस्थगित कर (देयताएं)/परिसंपत्तियां		**6,461.03**	**(0.12)**	**847.87**	**6.59**	**7,315.37**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

17. परिसंपत्ति, संयंत्र और लिखत, जारी पूंजीगत कार्य (सीडबल्यूआईपी), विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिसंपत्ति, संयत्र और उपकरण									जारी पूंजीगत कार्य	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	इडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर एवं उपकरण	वाहन	लीजहोल्ड सुधार	कुल	अचल परिसंपत्ति	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल वहनीय राशि												
01.04.2021 तक आरंभिक शेष	**113.77**	**155.32**	**-**	**48.17**	**44.90**	**39.29**	**0.52**	**1.66**	**403.63**	**335.67**	**0.77**	**24.49**
जोड़/समायोजन	-	303.73	19.90	11.62	18.14	52.90	0.10	-	406.39	79.64	-	1.02
पूंजीकृत ऋण लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.10	-	-
घटाएं: कटौती/समायोजन	-	(3.30)	-	(3.63)	(8.63)	(4.47)	(0.09)	-	(20.12)	(367.05)	(0.77)	(0.33)
31.03.2022 तक अंतिम शेष	**113.77**	**455.75**	**19.90**	**56.16**	**54.41**	**87.72**	**0.53**	**1.66**	**789.90**	**53.36**	**-**	**25.18**
जोड़/समायोजन	-	26.07	59.44	13.47	18.22	7.49	0.15	-	124.84	42.76	11.20	0.01
पूंजीकृत ऋण लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-
घटाएं: कटौती/समायोजन	-	-	(0.04)	(9.38)	(12.41)	(6.80)	-	0.00	(28.63)	(85.49)	-	(0.10)
31.03.2023 तक अंतिम शेष	**113.77**	**481.82**	**79.30**	**60.25**	**60.22**	**88.41**	**0.68**	**1.66**	**886.11**	**10.66**	**11.20**	**25.09**
संचित मूल्यहास/परिशोधन												
01.04.2021 तक आरंभिक शेष	**-**	**22.86**	**-**	**32.55**	**29.37**	**19.13**	**0.44**	**1.53**	**105.88**	**-**	**-**	**18.10**
अवधि के लिए	-	5.49	0.95	8.88	7.76	5.63	0.07	0.12	28.90	-	-	3.00
घटाएं: विक्रय परिसंपत्तियों पर प्रत्यावर्तन/बहियों से बट्टे खाते डाली गई	-	(1.27)	-	(2.89)	(6.92)	(2.65)	(0.09)	-	(13.82)	-	-	(0.33)
31.03.2022 तक अंतिम शेष	**-**	**27.08**	**0.95**	**38.54**	**30.21**	**22.11**	**0.42**	**1.65**	**120.96**	**-**	**-**	**20.77**
अवधि के लिए	-	7.70	6.44	11.48	11.95	8.57	0.05	-	46.19	-	-	2.75
घटाएं: विक्रय परिसंपत्तियों पर प्रत्यावर्तन/बहियों से बट्टे खाते डाली गई	-	-	-	(7.11)	(8.66)	(2.93)	(0.01)	0.01	(18.70)	-	-	(0.10)
31.03.2023 तक अंतिम शेष	**-**	**34.78**	**7.39**	**42.91**	**33.50**	**27.75**	**0.46**	**1.66**	**148.45**	**-**	**-**	**23.42**
निवल वहनीय राशि												
31.03.2022 तक	**113.77**	**428.67**	**18.95**	**17.62**	**24.20**	**65.61**	**0.11**	**0.01**	**668.94**	**53.36**	**-**	**4.41**
31.03.2023 तक	**113.77**	**447.04**	**71.91**	**17.34**	**26.72**	**60.66**	**0.22**	**-**	**737.66**	**10.66**	**11.20**	**1.67**

17.1 परिसंपति, संयत्र और उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी जीवन और मूल्यहास टिप्पणी 6.6 (vi) में निहित लेखांकन नीति के अनुरूप है।

17.2 समूह में शामिल कंपनियों के प्रबंधन के मत में, इंड एएस 36 के संदर्भ में कंपनी की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों में कोई मूल्यहास नहीं हुआ है। तदनुसार, इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता' की अपेक्षानुसार क्षतिग्रस्तता हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

17.3 पीएफसी लिमिटेड के मामले में प्रतिभूति के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सकल वहनीय मूल्य	4.12	4.12
निवल वहनीय मूल्य	3.40	3.43

ऋण राशियों जिन पर उपर्युक्त परिसंपत्तियां प्रतिभूति के रूप में रखी गई हैं, के ब्योरे के लिए टिप्पणी 22.10 और 22.11 देखें।

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में प्रतिभूति रूप में रखी गई परिसंपत्तियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सकल वहनीय मूल्य	3.48	3.48
निवल वहनीय मूल्य	2.36	2.41

17.4 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में 31.03.2023 तक आरईसीएल द्वारा अधिग्रहीत कुछ अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में हस्तांतरण विलेख पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है। विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल वहनीय मूल्य	-	4.59	-	4.59
निवल वहनीय मूल्य	-	1.95	-	2.01

17.5 जहां, पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने किसी विशिष्ट निर्माण के लिए अलग से कोई ऋण नहीं लिया है, वहां आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 23 'ऋण लागत' शर्तों के अनुसार,7% की औसत ऋण दर पर (पिछले वर्ष 7.94%), सामान्य ऋण के रूप में ₹0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.10 करोड़) पूंजीकृत किया है।

17.6 वर्ष के दौरान पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है।

17.7 डेवलपमेंट एजिंग शिड्यूल के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां:

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक					
प्रगति पर परियोजनाएं	11.20	-	-	-	11.20
अस्थायी रूप से रुकी परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**11.20**	**-**	**-**	**-**	**11.20**
31.03.2022 तक					
जारी परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से रुकी परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

17.8 सीडबल्यूआईपी एजिंग शिड्यूल

प्रगति पर पूंजीगत कार्य	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक					
जारी परियोजनाएं	9.18	0.08	-	1.40	10.66
अस्थायी रूप से रुकी परियोजनाएं	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक					
जारी परियोजनाएं	51.96	-	1.40	-	53.36
अस्थायी रूप से रुकी परियोजनाएं	-	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

17.9 कंपनी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के संदर्भ में, सीडबल्यूआईपी पूरा होने की अनुसूची

प्रगति पर पूंजीगत कार्य	निम्नलिखित अवधि में पूरा होना है				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2023 तक					
जारी परियोजनाएं	-	-	2.72	-	2.72
अस्थायी रूप से रुकी परियोजनाएं	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक					
जारी परियोजनाएं	4.59	-	-	1.48	6.07
अस्थायी रूप से रुकी परियोजनाएं	-	-	-	-	-

18. राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	**लीजहोल्ड भूमि का आरंभिक शेष**	45.83	37.17
(ii)	जोड़	-	11.95
(iii)	घटाएं: निस्तारण/समायोजन	-	(0.42)
(iv)	घटाएं : मूल्यह्रास*	(2.86)	(2.87)
	लीजहोल्ड भूमि का अंतिम शेष	**42.97**	**45.83**

*इंड एएस 116 'लीज' की अपेक्षानुसार राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास व्यय को समेकित लाभ एवं हानि विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के तहत शामिल किया है।

19. अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	पूर्व-भुगतान व्यय	19.10	7.33
(ii)	आस्थगित कार्मिक लागत	59.52	58.63
(iii)	पूंजीगत अग्रिम	389.96	339.18
(iv)	आधिक्य व्यय - सीएसआर व्यय	7.70	0.48
(v)	अन्य परिसंपत्तियां	164.86	146.06
	कुल अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	**641.14**	**551.68**

20. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां*

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**		
(i)	सहयोगी कंपनियों में निवेश (टिप्पणी 20.1 देखें)	0.73	0.46
(ii)	सहयोगी कंपनियों को ऋण (टिप्पणी 20.2 देखें)	26.07	27.84
(iii)	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हेतु प्रावधान (टिप्पणी 20.4 देखें)	(9.73)	(9.71)
	उप कुल (i+ii+iii)	**17.07**	**18.59**
(ख)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां - भवन**	0.34	0.86
	कुल (क+ख)	17.41	19.45
(ग)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं**		
(i)	घटाएं: सहयोगी कंपनीयों को भुगतानयोग्य (टिप्पणी 20.3 देखें)	(0.02)	(0.01)
	कुल (ग)	**(0.02)**	**(0.01)**
	निस्तारण समूह - निवल परिसंपत्तियां (क+ख+ग)	**17.39**	**19.44**

*पीएफसी की सहायक कंपनियों - आरईसी लिमिटेड और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से संबंधित

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

20.1 सहयोगी कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	सहयोगी कंपनियों के इक्विटी लिखतों में निवेश (प्रत्येक ₹10/- मूल्य के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में		
(i)	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(ii)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(iii)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(iv)	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(v)	बिदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(vi)	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज ख लिमिटेड	-	0.05
(vii)	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
(viii)	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
(ix)	बियावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(x)	खावदा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(xi)	केपीएस 1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(xii)	रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(xiii)	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(xiv)	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(xv)	मेरठ शामली पावर टीएल	0.05	-
	पीएफसी की सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के मामले में		
(i)	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	
(ii)	खेतड़ी-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
(iii)	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.01
(iv)	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
(v)	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.01
(vi)	मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
(vii)	किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
(viii)	बियावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(ix)	भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(x)	फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(xi)	फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(xii)	फतेहगढ़-III बियावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(xiii)	सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
	कुल	**0.73**	**0.46**

20.2 सहयोगी कंपनियों को ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में		
(i)	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.54	2.54
(ii)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.48	2.48
(iii)	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.23	2.22
(iv)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.28	2.28
(v)	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज लिमिटेड	-	1.99
(vi)	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.28
(vii)	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.28
(viii)	एसपीवी से प्राप्य - अभी निगमित होना है	-	0.76

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(ix)	बिदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.10	-
(x)	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.67	-
(xi)	केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.58	-
(xii)	रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.70	-
(xiii)	बियावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.71	-
(xiv)	लुहरी स्टेज-I एचईपी	0.48	-
(xv)	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.43	-
(xvi)	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.19	-
	पीएफसी की सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के मामले में		
(xvii)	खेतड़ी-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	4.42
(xviiii)	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.32	0.82
(xix)	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	4.36
(xx)	किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1.15
(xxi)	मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	2.95
(xxii)	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.31	0.28
(xxiii)	सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.98	-
(xxiv)	फतेहगढ़-III बियावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.47	-
(xxv)	बियावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.16	-
(xxvi)	भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.45	-
(xxvii)	फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.20	-
(xxviii)	फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.27	-
	निगमन के तहत आईटीपी से प्राप्य राशि	-	-
(xxix)	आईटीपी47 - चरण-III भाग ए1के अंतर्गत राजस्थान (20 गीगावाट) आरईजेड से विद्युत निकासी हेतु पारेषण प्रणाली	-	0.09
(xxx)	आईटीपी48 - चरण-III भाग ए3 के अंतर्गत राजस्थान (20 गीगावाट) आरईजेड से विद्युत निकासी हेतु पारेषण प्रणाली	-	0.09
(xxxi)	आईटीपी49 - चरण-III भाग बी1 के अंतर्गत राजस्थान (20 गीगावाट) आरईजेड से विद्युत निकासी हेतु पारेषण प्रणाली	-	0.14
(xxxii)	आईटीपी50- चरण-III भाग जी के अंतर्गत राजस्थान (20 गीगावाट) आरईजेड से विद्युत निकासी हेतु पारेषण प्रणाली	-	0.26
(xxxiii)	आईटीपी51-चरण-III भाग एच के अंतर्गत राजस्थान (20 गीगावाट) आरईजेड से विद्युत निकासी हेतु पारेषण प्रणाली	-	0.17
(xxxiv)	आईटीपी52 - सियोट, जम्मू-कश्मीर में 400/220 केवी, 2x315 एमवीए एसएस का निर्माण	-	0.25
(xxxv)	आईटीपी 53- 400 केवी खांडूखल (श्रीनगर) / रामपुरा (काशीपुर) डी/सी लाईन	-	0.02
(xxxvi)	आईटीपी 56 - शामली-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.17	-
(xxxvii)	आईटीपी 57 - जोडा/बार्बिल ट्रांसमिशन लाईन	0.01	-
(xxxviii)	आईटीपी 58 - राजस्थान आरईजेड चरण-IV (भाग-1ए)	0.09	-
(xxxix)	आईटीपी 59 - राजस्थान आरईजेड चरण-IV (भाग-1बी)	0.09	-
(xl)	आईटीपी 60 - राजस्थान आरईजेड चरण-IV (भाग-1सी)	0.08	-
(xli)	आईटीपी 61 - राजस्थान आरईजेड चरण-IV (भाग-1डी)	0.08	-
	कुल	**26.07**	**27.84**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

20.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	बिदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
(ii)	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	-
	कुल	**0.02**	**0.01**

20.4 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हेतु प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.59	2.59
(ii)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.53	2.53
(iii)	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.28	2.27
(iv)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.33	2.33
	कुल	**9.73**	**9.71**

20.5 पीएफसी की सहायक कंपनियों, आरईसी लिमिटेड और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के संदर्भ में, उनके प्रबंधन ने इन कंपनियों को विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार बिक्री के उद्देश्य से निगमित किया था। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन को इन कंपनियों से कोई लाभ मिलेगा, सिवाय इन्हें बेचने के, इसलिए इन सभी निवेशों को (संबंधित परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ) 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

20.6 झारखंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) ने झारखंड में पारेषण परियोजनाओं का आरएफक्यू और आरएफपी रद्द कर दिया है। ये परियोजनाएं 01.10.2020 से स्थगन में रखी गई हैं। आरईसीपीडीसीएल ने दिनांक 14.10.2020, 06.11.2020 और 28.07.2021 को जेयूएसएनएल को इन एसपीवी पर हुए व्यय की वसूली के बारे में पत्र लिखा है। लेकिन जेयूएसएनएल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। इन एसपीवी की नीलामी प्रक्रिया रद्द हो जाने और पहले हो चुके व्यय की वसूली की संभावना नहीं रहने के कारण, लेखांकन विवेक के रूप में ₹0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.71 करोड़) की क्षतिग्रस्तता हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

20.7 कंपनी की सहायक कंपनी आरईसीएल ने अपनी निष्क्रिय परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण के लिए, इंड एएस 105 की अपेक्षानुसार 'बिक्री के लिए धारित' परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत ₹0.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.18 करोड़) की वहनीय राशि के साथ, कुछ आवासीय भवन इकाईयों का निस्तारण ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया है। इस प्रकार की बिक्री से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹4.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹30.19 करोड़) मिले।

इसके अलावा 'बिक्री के लिए धारित' परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत ₹0.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.86 करोड़) की आवासीय भवन इकाईयां 31 मार्च, 2023 को निस्तारण के लिए लंबित हैं। ई-नीलामी के माध्यम से इनके निस्तारण की प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के दौरान पूरी हो जाने की संभावना है।

21. व्यापार की देय राशियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	व्यापार की देय राशियां		
(i)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का कुल बकाया	0.67	1.11
(ii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अतिरिक्त ऋणदाताओं का कुल बकाया	50.19	48.64
	कुल व्यापार की देय राशियां	**50.86**	**49.75**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

21.1 व्यापार की देय राशियों का एजिंग शिड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2023 तक				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	**एमएसएमई**					
	- विवादित	-	-	-	-	-
	- अन्य	0.67	-	-	-	0.67
	उप-जोड़ (i)	**0.67**	**-**	**-**	**-**	**0.67**
(ii)	**एमएसएमई के अतिरिक्त**					
	- विवादित	-	-	-	-	-
	- अन्य	23.31	14.02	0.34	12.52	50.19
	उप-जोड़ (ii)	**23.31**	**14.02**	**0.34**	**12.52**	**50.19**
	कुल (i+ii)	**23.97**	**14.02**	**0.34**	**12.52**	**50.86**

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2022 तक				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	**एमएसएमई**					
	- विवादित	-	-	-	-	-
	- अन्य	1.11	-	-	-	1.11
	उप-जोड़ (i)	**1.11**	**-**	**-**	**-**	**1.11**
(ii)	**एमएसएमई के अतिरिक्त**					
	- विवादित	-	-	-	-	-
	- अन्य	27.11	8.40	11.35	1.78	48.64
	उप-जोड़ (ii)	**27.11**	**8.40**	**11.35**	**1.78**	**48.64**
	कुल (i+ii)	**28.22**	**8.40**	**11.35**	**1.78**	**49.75**

22. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने ऋण प्रतिभूतियों को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षानुसार परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	**प्रतिभूत बॉण्ड / डिबेंचर**		
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (टिप्पणी 22.1 देखें)	38.51	38.51
	- करमुक्त बॉण्ड (टिप्पणी 22.2 देखें)	18,520.76	20,746.33
	- 54ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड (टिप्पणी 22.3 देखें)	42,466.24	28,144.95
	- करयोग्य बॉण्ड (टिप्पणी 22.4 देखें)	6,383.99	6,383.99
	- बॉण्ड आवेदन राशि (टिप्पणी 22.5 देखें)	1,720.36	1,291.54
	उप-जोड़ (i)	**69,129.86**	**56,605.32**
(ii)	**अप्रतिभूत बॉण्ड / डिबेंचर**		
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (टिप्पणी 22.6 देखें)	3.96	3.96
	- करयोग्य बॉण्ड (टिप्पणी 22.7 देखें)	344,006.50	315,262.44
	- विदेशी मुद्रा नोट्स (टिप्पणी 22.8 और 22.9 देखें)	70,106.11	64,701.63
	उप-जोड़ (ii)	**414,116.57**	**379,968.03**
(iii)	**ऋण प्रतिभूतियों का कुल मूल बकाया (i+ii)**	483,246.43	436,573.35
(iv)	ब्याज प्रतिभूत लेकिन उपर्युक्त पर बकाया नहीं	14,414.63	14,027.33
(v)	उपर्युक्त पर गैर परिशोधित लेनदेन लागत	(931.68)	(869.12)
	कुल ऋण प्रतिभूतियां (iii से v)	**496,729.38**	**449,731.56**
	भूगोल-वार ऋण प्रतिभूतियां		
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	426,580.42	385,129.26
(ii)	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	70,148.96	64,602.30
	कुल भूगोल-वार ऋण प्रतिभूतियां	**496,729.38**	**449,731.56**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

22.1 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	प्रतिभूति के लिए टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022			
पीएफसी के मामले में							
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11)-श्रृंखला III	8.50%	5.27	5.27	31.03.2026	22.10	आवंटन की तिथि से 15 वर्ष बाद की तिथि पर मोचनीय
2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11)-श्रृंखला IV	8.50%	19.33	19.33	31.03.2026		आवंटन तिथि से 15 वर्ष पर वार्षिक संचित चक्रवृद्धि ब्याज के सममूल्य पर मोचनीय
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12)-श्रृंखला III	8.75%	2.86	2.86	21.11.2026	22.11	आवंटन की तिथि से 15 वर्ष बाद की तिथि पर मोचनीय
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12)-श्रृंखला IV	8.75%	7.77	7.77	21.11.2026		आवंटन की तिथि से 15 वर्ष बाद की तिथि पर वार्षिक रूप से संचित चक्रवृद्धि ब्याज के सममूल्य पर मोचनीय
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 सी श्रृंखला	8.72%	0.87	0.87	30.03.2027		आवंटन की तिथि से 15 वर्ष बाद की तिथि पर मोचनीय
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 डी श्रृंखला	8.72%	2.40	2.40	30.03.2027		आवंटन तिथि से 15 वर्ष बाद वार्षिक संचित चक्रवृद्धि ब्याज के सममूल्य पर मोचनीय
	कुल		**38.51**	**38.51**			

22.2 बकाया करमुक्त बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	प्रतिभूति के लिए टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022			
पीएफसी के मामले में							
1	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94ए	7.21%	-	255.00	-		वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान किया गया
2	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95ए	7.22%	-	30.00			
3	करमुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच I श्रृंखला 1	7.69%	-	140.23			
4	करमुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच I श्रृंखला 1	7.19%	-	202.52			
5	करमुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.38%	-	41.43			
6	करमुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	6.88%	-	54.72			
7	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107ए	8.01%	113.00	113.00	30.08.2023	22.12	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
8	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला आईबी	8.43%	335.47	335.47	16.11.2023		
9	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला I ए	8.18%	325.07	325.07	16.11.2023		
10	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 136	7.16%	300.00	300.00	17.07.2025		
11	करमुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 1 बी	7.36%	79.35	79.35	17.10.2025		
12	करमुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 1 ए	7.11%	75.09	75.09	17.10.2025		
13	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-बी	7.75%	217.99	217.99	15.10.2026		
14	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-बी	8.16%	209.34	209.34	25.11.2026		
15	करमुक्त बॉण्ड (2011-12) पब्लिक इश्यू	8.30%	1,280.58	1,280.58	01.02.2027		
16	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94बी	7.38%	25.00	25.00	22.11.2027		
17	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95बी	7.38%	100.00	100.00	29.11.2027		
18	करमुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-I श्रृंखला 2	7.86%	180.78	185.78	04.01.2028		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	प्रतिभूति के लिए टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022			
19	करमुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-I श्रृंखला 2	7.36%	176.21	171.22	04.01.2028	22.12	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
20	करमुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.54%	55.85	56.97	28.03.2028		
21	करमुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.04%	13.35	12.24	28.03.2028		
22	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-बी	8.46%	1,011.10	1,011.10	30.08.2028		
23	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 2-बी	8.79%	353.32	353.32	16.11.2028		
24	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 2-ए	8.54%	932.70	932.70	16.11.2028		
25	करमुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 2-बी	7.52%	45.18	45.18	17.10.2030		
26	करमुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 2-ए	7.27%	131.33	131.33	17.10.2030		
27	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 3-बी	8.92%	861.96	861.96	16.11.2033		
28	करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 3-ए	8.67%	1,067.38	1,067.38	16.11.2033		
29	करमुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 3-बी	7.60%	155.48	155.48	17.10.2035	22.12	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
30	करमुक्त बॉण्ड (2015-16) श्रृंखला 3-ए	7.35%	213.58	213.58	17.10.2035		
	उप-जोड़ (क)		**8,259.12**	**8,983.03**			
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							
1	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए और 3बी	8.01% to 8.46%	1,350.00	1,350.00	29.08.2023		सममूल्य पर मोचनीय। ₹209.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2023 को और ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को मोचनीय।
2	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच 1	8.01% to 8.71%	3,410.60	3,410.60	25.09.2023		सममूल्य पर मोचनीय। ₹575.06 करोड़ के बॉण्ड 25.09.2023 को, ₹2,810.26 करोड़ के बॉण्ड 25.09.2028 को और ₹55.28 करोड़ के बॉण्ड 26.09.2033 को मोचनीय।
3	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए और 4बी	8.18% to 8.54%	150.00	150.00	11.10.2023		सममूल्य पर मोचनीय। ₹105.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2023 को और ₹45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को मोचनीय।
4	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच 2	8.19% to 8.88%	1,057.40	1,057.40	24.03.2024		सममूल्य पर मोचनीय। ₹419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को, ₹530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को और ₹109.66 करोड के बॉण्ड 24.03.2034 को मोचनीय।
5	श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5ए	7.17%	300.00	300.00	23.07.2025		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
6	श्रृंखला 2015-16 ट्रांच 1	6.89% to 7.43%	696.56	696.56	05.11.2025		सममूल्य पर मोचनीय। ₹105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को और ₹421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को मोचनीय।
7	श्रृंखला 2011-12	8.12% to 8.32%	2,160.33	2,160.33	27.03.2027		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
8	श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए और 2बी	7.38%	245.00	500.00	22.11.2027		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
9	श्रृंखला 2012-13 ट्रांच 1	7.38% to 7.88%	842.04	2,007.35	20.12.2027		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
10	श्रृंखला 2012-13 ट्रांच 2	7.04 to 7.54%	49.71	131.06	27.03.2028		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
	उप-जोड़ (ख)		**10,261.64**	**11,763.30**			
	कुल (क+ख)		**18,520.76**	**20,746.33**			

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

22.3 बकाया 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	प्रतिभूति के लिए टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
पीएफसी के मामले में						
1	श्रृंखला II (विव 2018-19)	5.75%	491.95	491.95	22.12	विव 2023-24 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
2	श्रृंखला III (विव 2019-20)	5.75%	1,134.44	1,134.44		विव 2024-25 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
3	श्रृंखला IV (विव 2020-21)	5.75%	252.38	252.38		विव 2025-26 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
4	श्रृंखला IV (विव 2020-21)	5.00%	685.41	685.41		विव 2025-26 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
5	श्रृंखला IV (विव 2021-22)	5.00%	1,434.64	1,434.64		विव 2026-27 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
6	श्रृंखला VI (विव 2022-23)	5.00%	2,600.87	-		विव 2027-28 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
	उप-जोड़ (क)		**6,599.69**	**3,998.82**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	श्रृंखला XII (2018-19)	5.75%	6,651.31	6,651.77	विव 2023-24 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
2	श्रृंखला XIII (2019-20)	5.75%	6,157.82	6,157.72	विव 2024-25 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
3	श्रृंखला XIV (2020-21)	5.75% and 5%	5,312.07	5,312.07	विव 2025-26 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
4	श्रृंखला XV (2021-22)	5.00%	7,312.80	6,024.57	विव 2026-27 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
5	श्रृंखला XVI (2022-23)	5.00%	10,432.55	-	विव 2027-28 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
	उप-जोड़ (ख)		**35,866.55**	**24,146.13**		
	कुल (क+ख)		**42,466.24**	**28,144.95**		

22.4 बकाया करयोग्य बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तिथि	प्रतिभूति के लिए टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
पीएफसी के मामले में							
1	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला I श्रेणी III-IV	4.80%	1.95	1.95	22.01.2024		
2	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी I-II	5.65%	27.05	27.05	22.01.2026		
3	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी III-IV	5.80%	3.50	3.50	22.01.2026	22.12	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
4	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला V श्रेणी III-IV	6.83% (10 वर्षीय जीसैक लिंक)	1,250.73	1,250.73	22.01.2031		
5	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला V श्रेणी I-II	6.58% (10 वर्षीय जीसैक लिंक)	10.35	10.35	22.01.2031		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	प्रतिभूति के लिए टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022			
6	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी III-IV	7.00%	1,635.53	1,635.53	22.01.2031		
7	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी I-II	6.80%	33.67	33.67	22.01.2031		
8	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी III-IV	6.82%	28.74	28.74	22.01.2031		
9	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी I-II	6.63%	0.50	0.50	22.01.2031		
10	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी III-IV	7.15%	1,330.06	1,330.06	22.01.2036		
11	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी I-II	6.95%	50.05	50.05	22.01.2036		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
12	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी III-IV	6.97%	53.36	53.36	22.01.2036		
13	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी I-II	6.78%	3.50	3.50	22.01.2036		
	उप-जोड़ (क)		**4,428.99**	**4,428.99**			
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							
1	123-IIIबी श्रृंखला	9.34%	1,955.00	1,955.00	23.08.2024		
	उप-जोड़ (ख)		**1,955.00**	**1,955.00**			
	कुल (क+ख)		**6,383.99**	**6,383.99**			

22.5 बकाया बॉण्ड आवेदन राशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022	
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1	54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड	5.00%	1,720.36	1,291.54	आवंटन की मानित तिथि से 5 वर्ष बाद सममूल्य पर मोचनीय
	कुल		**1,720.36**	**1,291.54**	

22.6 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022			
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							
	श्रृंखला-II (2011-12) संचयी	9.15%	2.83	2.83	15.02.2027		आवंटन तिथि के 15 वर्ष बाद शोधन योग्य
	श्रृंखला-II (2011-12) वार्षिक	9.15%	1.13	1.13	15.02.2027		
	कुल		**3.96**	**3.96**			

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

22.7 बकाया अप्रतिभूत करयोग्य बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
पीएफसी के मामले में						
1	श्रृंखला 88 सी	9.48%	-	184.70	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	श्रृंखला 187 ए	8.20%	-	1,605.00		
3	श्रृंखला 168-ए	7.28%	-	1,950.00		
4	श्रृंखला 169-ए	7.10%	-	3,395.00		
5	श्रृंखला 181	8.45%	-	2,155.00		
6	श्रृंखला 191	7.35%	-	3,735.00		
7	श्रृंखला 170-ए	7.35%	-	800.00		
8	श्रृंखला 176-बी	7.99%	-	1,295.00		
9	जीरो कूपन अप्रतिभूत करयोग्य 2022-XIX श्रृंखला	-	-	707.97		
10	श्रृंखला 100 बी	8.84%	-	1,310.00		
11	श्रृंखला 102 ए (II)	8.90%	-	403.00		
12	श्रृंखला 194	7.04%	1,400.00	1,400.00	14.04.2023	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
13	श्रृंखला 85 डी	9.26%	736.00	736.00	15.04.2023	
14	श्रृंखला 198	6.98%	3,160.00	3,160.00	20.04.2023	
15	श्रृंखला 199ए	6.83%	1,970.00	1,970.00	24.04.2023	
16	श्रृंखला 202ए	6.75%	2,145.00	2,145.00	22.05.2023	
17	श्रृंखला 203ए	6.72%	2,206.00	2,206.00	09.06.2023	
18	श्रृंखला 206	5.47%	3,000.00	3,000.00	19.08.2023	
19	श्रृंखला 188	8.10%	691.10	691.10	04.06.2024	
20	श्रृंखला 211 (3एम टीबी लिंक)	4.38%	1,985.00	1,985.00	02.08.2024	
21	श्रृंखला 57-बी	8.60%	866.50	866.50	07.08.2024	
22	श्रृंखला 117 विकल्प बी	9.37%	855.00	855.00	19.08.2024	
23	श्रृंखला 118 विकल्प बी II	9.39%	460.00	460.00	27.08.2024	
24	श्रृंखला विकल्प 120 बी	8.98%	950.00	950.00	08.10.2024	
25	श्रृंखला 120 विकल्प ए	8.98%	961.00	961.00	08.10.2024	
26	श्रृंखला 192	7.42%	3,000.00	3,000.00	19.11.2024	
27	श्रृंखला 124 सी	8.48%	1,000.00	1,000.00	09.12.2024	
28	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	15.12.2024	
29	श्रृंखला 125	8.65%	2,826.00	2,826.00	28.12.2024	
30	श्रृंखला 126	8.65%	5,000.00	5,000.00	04.01.2025	
31	श्रृंखला 62-बी	8.80%	1,172.60	1,172.60	15.01.2025	
32	श्रृंखला 128	8.20%	1,600.00	1,600.00	10.03.2025	
33	श्रृंखला 63-III	8.90%	184.00	184.00	15.03.2025	
34	श्रृंखला 131-सी	8.41%	5,000.00	5,000.00	27.03.2025	
35	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	30.03.2025	
36	श्रृंखला 204ए	5.77%	900.00	900.00	11.04.2025	
37	श्रृंखला 130-सी	8.39%	925.00	925.00	19.04.2025	
38	श्रृंखला 199बी	7.16%	1,320.00	1,320.00	24.04.2025	
39	श्रृंखला 65 III	8.70%	1,337.50	1,337.50	14.05.2025	
40	श्रृंखला 202बी	7.17%	810.00	810.00	22.05.2025	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
41	श्रृंखला 66-बी	8.75%	1,532.00	1,532.00	15.06.2025	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
42	श्रृंखला 210ए - एसटीआरपीपी1	6.35%	405.60	405.60	30.06.2025	
43	श्रृंखला 215	7.13%	2,420.00	-	08.08.2025	
44	श्रृंखला 217बी एसटीआरपीपी I	7.15%	276.40	-	08.09.2025	
45	श्रृंखला 208	6.50%	2,806.00	2,806.00	17.09.2025	
46	श्रृंखला 141-बी	8.40%	1,000.00	1,000.00	18.09.2025	
47	श्रृंखला 218	7.59%	1,450.00	-	03.11.2025	
48	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2025	
49	श्रृंखला 222	7.58%	2,540.00	-	15.01.2026	
50	श्रृंखला 147	8.03%	1,000.00	1,000.00	02.05.2026	
51	श्रृंखला 210ए - एसटीआरपीपी2	6.35%	540.80	540.80	30.06.2026	
52	श्रृंखला 216	7.13%	3,000.00	-	15.07.2026	
53	श्रृंखला 225ए	7.77%	3,262.70	-	15.07.2026	
54	श्रृंखला - 76-बी	9.46%	1,105.00	1,105.00	01.08.2026	
55	श्रृंखला 150-बी	7.63%	1,675.00	1,675.00	14.08.2026	
56	श्रृंखला 212ए	6.09%	2,450.00	2,450.00	27.08.2026	
57	श्रृंखला - 77-बी	9.45%	2,568.00	2,568.00	01.09.2026	
58	श्रृंखला 217बी एसटीआरपीपी II	7.15%	276.40	-	08.09.2026	
59	श्रृंखला 227ए	7.70%	1,200.00	-	15.09.2026	
60	श्रृंखला 151-बी	7.56%	210.00	210.00	16.09.2026	
61	श्रृंखला 152	7.55%	4,000.00	4,000.00	25.09.2026	
62	श्रृंखला 155	7.23%	2,635.00	2,635.00	05.01.2027	
63	श्रृंखला 168-बी	7.44%	1,540.00	1,540.00	12.06.2027	
64	श्रृंखला 210ए- एसटीआरपीपी 3	6.35%	405.60	405.60	30.06.2027	
65	श्रृंखला 169-बी	7.30%	1,500.00	1,500.00	07.08.2027	
66	श्रृंखला 217बी एसटीआरपीपी III	7.15%	276.40	-	08.09.2027	
67	श्रृंखला 170-बी	7.65%	2,001.00	2,001.00	22.11.2027	
68	श्रृंखला 171	7.62%	5,000.00	5,000.00	15.12.2027	
69	श्रृंखला 221बी	7.59%	3,500.00	-	17.01.2028	
70	श्रृंखला 172	7.74%	850.00	850.00	29.01.2028	
71	श्रृंखला 101 बी	9.00%	1,370.00	1,370.00	11.03.2028	
72	श्रृंखला 102 ए (III)	8.90%	403.00	403.00	18.03.2028	
73	श्रृंखला 103	8.94%	2,807.00	2,807.00	25.03.2028	
74	श्रृंखला 177	7.85%	3,855.00	3,855.00	03.04.2028	
75	श्रृंखला 227बी	7.77%	1,390.00	-	15.04.2028	
76	श्रृंखला 178	8.95%	3,000.00	3,000.00	10.10.2028	
77	श्रृंखला 179-ए	8.67%	1,007.40	1,007.40	19.11.2028	
78	श्रृंखला 187 बी	8.85%	1,982.10	1,982.10	27.05.2029	
79	श्रृंखला 118 विकल्प बी III	9.39%	460.00	460.00	27.08.2029	
80	श्रृंखला 193	7.93%	4,710.50	4,710.50	31.12.2029	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
81	श्रृंखला 196आर1	7.41%	1,500.00	1,500.00	25.02.2030	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
82	श्रृंखला 196	7.41%	2,500.00	2,500.00	25.02.2030	
83	श्रृंखला 225बी एसटीआरपीपी I	7.82%	625.00	-	13.03.2030	
84	श्रृंखला 195	7.86%	1,100.00	1,100.00	12.04.2030	
85	श्रृंखला 200	7.40%	2,920.00	2,920.00	08.05.2030	
86	श्रृंखला 197	7.41%	5,000.00	5,000.00	15.05.2030	
87	श्रृंखला 203बी	7.75%	3,318.00	3,318.00	11.06.2030	
88	श्रृंखला 66-सी	8.85%	633.00	633.00	15.06.2030	
89	श्रृंखला 201	7.68%	3,101.30	3,101.30	15.07.2030	
90	श्रृंखला 202सी	7.79%	1,936.00	1,936.00	22.07.2030	
91	श्रृंखला 205ए	7.05%	1,610.10	1,610.10	09.08.2030	
92	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2030	
93	श्रृंखला 207आर1	7.04%	2,549.10	2,549.10	16.12.2030	
94	श्रृंखला 207	7.04%	1,097.40	1,097.40	16.12.2030	
95	श्रृंखला 225बी एसटीआरपीपी II	7.82%	625.00	-	13.03.2031	
96	श्रृंखला 204बी	6.88%	1,300.00	1,300.00	11.04.2031	
97	श्रृंखला 213	6.95%	1,988.00	1,988.00	01.10.2031	
98	श्रृंखला 225बी एसटीआरपीपी III	7.82%	625.00	-	12.03.2032	
99	श्रृंखला 214 (बीबीईटीएफ)	6.92%	1,180.00	1,180.00	14.04.2032	
100	श्रृंखला 217ए	7.42%	4,000.00	-	08.09.2032	
101	श्रृंखला 223	7.64%	3,500.00	-	22.02.2033	
102	श्रृंखला 225बी एसटीआरपीपी IV	7.82%	625.00	-	11.03.2033	
103	श्रृंखला 220	7.58%	470.00	-	15.04.2033	
104	श्रृंखला 226ए	7.66%	1,200.00	-	15.04.2033	
105	श्रृंखला 226बी	7.70%	583.50	-	15.04.2033	
106	श्रृंखला 179-बी	8.64%	528.40	528.40	19.11.2033	
107	श्रृंखला 180	8.75%	2,654.00	2,654.00	22.02.2034	
108	श्रृंखला 186	8.79%	2,578.90	2,578.90	30.04.2034	
109	श्रृंखला 189	8.15%	4,035.00	4,035.00	08.08.2034	
110	श्रृंखला 190	8.25%	4,016.00	4,016.00	06.09.2034	
111	श्रृंखला 205बी	7.20%	1,605.70	1,605.70	10.08.2035	
112	श्रृंखला 209	7.34%	1,711.00	1,711.00	29.09.2035	
113	श्रृंखला 210बी	7.11%	1,933.50	1,933.50	30.06.2036	
114	श्रृंखला 212बी	7.15%	2,343.68	2,343.68	27.08.2036	
115	श्रृंखला 219	7.65%	4,000.00	-	13.11.2037	
116	श्रृंखला 221ए	7.72%	2,782.70	-	19.12.2037	
117	श्रृंखला 224	7.82%	3,468.50	-	06.03.2038	
	उप-जोड़ (क)		**1,95,743.80**	**1,71,187.84**		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	179वीं श्रृंखला	8.15%	-	1,000.00		
2	107वीं श्रृंखला	9.35%	-	2,378.20		
3	186ए श्रृंखला	6.90%	-	2,500.00		
4	150वीं श्रृंखला	7.03%	-	2,670.00		
5	184बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-सी**	7.55%	-	300.00		
6	152वीं श्रृंखला	7.09%	-	1,225.00		वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
7	111-II श्रृंखला	9.02%	-	2,211.20		
8	155वीं श्रृंखला	7.45%	-	1,912.00		
9	185वीं श्रृंखला	7.09%	-	2,759.00		
10	187वीं श्रृंखला	7.24%	-	2,090.00		
11	159वीं श्रृंखला	7.99%	-	950.00		
12	188ए श्रृंखला	7.12%	-	1,400.00		
13	114वीं श्रृंखला	8.82%	4,300.00	4,300.00	12.04.2023	
14	195वीं श्रृंखला	6.92%	2,985.00	2,985.00	22.04.2023	
15	197वीं श्रृंखला	6.90%	3,740.00	3,740.00	11.05.2023	
16	191ए श्रृंखला	6.80%	1,100.00	1,100.00	30.06.2023	
17	200वीं श्रृंखला पीपी-एमएलडी *	5.36%	500.00	500.00	30.06.2023	
18	184बी श्रृंखला एसटीआरपीपी-डी**	7.55%	300.00	298.00	26.09.2023	
19	202बी श्रृंखला	5.69%	2,474.00	2,474.00	30.09.2023	
20	205ए श्रृंखला	4.99%	2,135.00	2,135.00	31.01.2024	
21	209वीं श्रृंखला	5.79%	1,550.00	1,550.00	20.03.2024	
22	210वीं श्रृंखला	5.74%	4,000.00	4,000.00	20.06.2024	
23	180ए श्रृंखला	8.10%	1,018.00	1,018.00	25.06.2024	
24	191बी श्रृंखला	6.99%	1,100.00	1,100.00	30.09.2024	
25	212वींश्रृंखला - फ्लोटिंग (टी-बिल से संबद्ध)		2,500.00	2,500.00	31.10.2024	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
26	186बी श्रृंखला	7.40%	1,500.00	1,500.00	26.11.2024	
27	128वीं श्रृंखला	8.57%	2,250.00	2,250.00	21.12.2024	
28	129वीं श्रृंखला	8.23%	1,925.00	1,925.00	23.01.2025	
29	130वीं श्रृंखला	8.27%	2,325.00	2,325.00	06.02.2025	
30	131वीं श्रृंखला	8.35%	2,285.00	2,285.00	21.02.2025	
31	190ए श्रृंखला	6.88%	2,500.00	2,500.00	20.03.2025	
32	201ए श्रृंखला	5.90%	900.00	900.00	31.03.2025	
33	133वीं श्रृंखला	8.30%	2,396.00	2,396.00	10.04.2025	
34	94वीं श्रृंखला	8.75%	1,250.00	1,250.00	09.06.2025	
35	95-II श्रृंखला	8.75%	1,800.00	1,800.00	14.07.2025	
36	136वीं श्रृंखला	8.11%	2,585.00	2,585.00	07.10.2025	
37	203बी श्रृंखला	5.85%	2,777.00	2,777.00	20.12.2025	
38	204बी श्रृंखला	5.81%	2,082.00	2,082.00	31.12.2025	
39	205बी श्रृंखला	5.94%	2,000.00	2,000.00	31.01.2026	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
40	214ए श्रृंखला	7.32%	500.00	-	28.02.2026	
41	219 श्रृंखला	7.60%	3,148.70	-	28.02.2026	
42	220बी श्रृंखला	7.69%	1,600.10	-	31.03.2026	31.03.2026 को उपयोग हेतु पुट विकल्प के साथ 31.03.2023 को सममूल्य पर मोचनीय

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
			31.03.2023	31.03.2022		
43	218ए श्रृंखला	7.56%	3,000.00	-	30.06.2026	
44	140वीं श्रृंखला	7.52%	2,100.00	2,100.00	07.11.2026	
45	142वीं श्रृंखला	7.54%	3,000.00	3,000.00	30.12.2026	
46	147वीं श्रृंखला	7.95%	2,745.00	2,745.00	12.03.2027	
47	156वीं श्रृंखला	7.70%	3,533.00	3,533.00	10.12.2027	
48	216ए श्रृंखला	7.55%	1,701.50	-	31.03.2028	
49	220ए श्रृंखला	7.77%	2,000.00	-	31.03.2028	
50	162वीं श्रृंखला	8.55%	2,500.00	2,500.00	09.08.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
51	163वीं श्रृंखला	8.63%	2,500.00	2,500.00	25.08.2028	
52	168वीं श्रृंखला	8.56%	2,552.40	2,552.40	29.11.2028	
53	169वीं श्रृंखला	8.37%	2,554.00	2,554.00	07.12.2028	
54	176वीं श्रृंखला	8.85%	1,600.70	1,600.70	16.04.2029	
55	178वीं श्रृंखला	8.80%	1,097.00	1,097.00	14.05.2029	
56	180बी श्रृंखला	8.30%	2,070.90	2,070.90	25.06.2029	
57	184ए श्रृंखला	8.25%	1,160.80	870.60	26.09.2029	
58	192वीं श्रृंखला	7.50%	2,382.00	2,382.00	28.02.2030	
59	188बी श्रृंखला	7.89%	1,100.00	1,100.00	31.03.2030	
60	189वीं श्रृंखला	7.92%	3,054.90	3,054.90	31.03.2030	
61	198बी श्रृंखला	7.79%	1,569.00	1,569.00	21.05.2030	
62	202ए श्रृंखला	7.25%	3,500.00	3,500.00	30.09.2030	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
63	203ए श्रृंखला	6.80%	5,000.00	5,000.00	20.12.2030	
64	204ए श्रृंखला	6.90%	2,500.00	2,500.00	31.01.2031	
65	201बी श्रृंखला	6.90%	1,300.00	1,300.00	31.03.2031	
66	211वीं श्रृंखला	6.23%	1,200.00	1,200.00	31.10.2031	31.10.2026 को उपयोग हेतु पुट/कॉल विकल्प के साथ 31.10.2031 को सममूल्य पर मोचनीय
67	213वीं श्रृंखला	6.92%	1,380.00	1,380.00	20.03.2032	
68	218बी श्रृंखला	7.69%	2,004.40	-	31.01.2033	
69	214बी श्रृंखला	7.50%	1,947.60	-	28.02.2033	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
70	214बी (पुनः इश्यू)	7.50%	3,000.00	-	28.02.2033	
71	217वीं श्रृंखला	7.53%	500.00	-	31.03.2033	
72	215वीं श्रृंखला	7.65%	3,889.00	-	30.11.2033	30.11.2033, 30.11.2034, 30.11.2035, 30.11.2 036 और 30.11.2037 को पांच समान ट्रांच में मोचनीय
73	182वीं श्रृंखला	8.18%	5,063.00	5,063.00	22.08.2034	
74	183वीं श्रृंखला	8.29%	3,028.00	3,028.00	16.09.2034	
75	207वीं श्रृंखला	7.02%	4,589.90	4,589.90	31.01.2036	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
76	208वीं श्रृंखला	7.40%	3,613.80	3,613.80	15.03.2036	
77	216बी श्रृंखला	7.67%	2,000.00	-	30.11.2037	
			1,48,262.70	**1,44,074.60**		
			3,44,006.50	**3,15,262.44**		

*पीपी-एमएलडी - बाजार से संबद्ध मूलधन संरक्षित डिबेंचर

** एसटीआरपीपी - पृथक अंतरणयोग्य मोचनीय मूलधन भाग

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

22.8 बकाया विदेशी मुद्रा नोट्स का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रति वर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
पीएफसी के मामले में						
1	3.75% अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2024	3.75%	3,288.68	3,032.28	18.06.2024	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	3.25% अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2024	3.25%	2,466.51	2,274.21	16.09.2024	
3	3.75% अमरीकी डॉलर ग्रीन बॉण्ड 2027	3.75%	3,288.68	3,032.28	06.12.2027	
4	5.25% अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2028	5.25%	2,466.51	2,274.21	10.08.2028	
5	1.841% यूरो बॉण्ड 2028	1.84%	2,688.23	2,539.80	21.09.2028	
6	6.15% अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2028	6.15%	4,110.85	3,790.36	06.12.2028	
7	4.50% अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2029	4.50%	4,933.01	4,548.43	18.06.2029	
8	3.90% अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2029	3.90%	3,699.76	3,411.32	16.09.2029	
9	3.95% अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2030	3.95%	6,166.27	5,685.53	23.04.2030	
10	3.35% अमरीकी डॉलर बॉण्ड 2031	3.35%	4,110.85	3,790.36	16.05.2031	
	उप-जोड़ (क)		**37,219.33**	**34,378.78**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	अमरीकी डॉलर 500	4.75%	4,110.85	3,790.36	19.05.2023	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	अमरीकी डॉलर 700	5.25%	5,755.18	5,306.50	13.11.2023	
3	अमरीकी डॉलर 650	3.38%	5,344.10	4,927.46	25.07.2024	
4	अमरीकी डॉलर 500	3.50%	4,110.85	3,790.36	12.12.2024	
5	अमरीकी डॉलर 500	2.25%	4,110.85	3,790.36	01.09.2026	
6	अमरीकी डॉलर 400	2.75%	3,288.68	3,032.28	13.01.2027	
7	अमरीकी डॉलर 450	3.88%	3,699.76	3,411.32	07.07.2027	
8	अमरीकी डॉलर 300	4.63%	2,466.51	2,274.21	22.03.2028	
	उप-जोड़ (ख)		**32,886.78**	**30,322.85**		
	कुल (क+ख)		**70,106.11**	**64,701.63**		

22.9 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) कार्यक्रम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का जीएमटीएन कार्यक्रम है जो इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) के एसजीएक्स-एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज - सिक्योरिटीज ट्रेडिंग), एलएसई-आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज - इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) में सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत अर्जित निधियां निम्नानुसार है:-

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान अर्जित निधियां	शून्य*	अमरीकी डॉलर 0.4 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत अर्जित संचयी राशि	अमरीकी डॉलर 4.4 बिलियन	अमरीकी डॉलर 4.4 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत अर्जित निधि से बकाया राशि	अमरीकी डॉलर 4.0 बिलियन	अमरीकी डॉलर 4.0 बिलियन

* तुलन-पत्र तिथि के बाद कंपनी ने अपने जीएमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत 750 मिलियन अमरीकी डॉलर ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटाव किया है। इसके बाद तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि पर जीएमटीएन के अंतर्गत संचित राशि 5.15 बिलियन अमरीकी डॉलर है और इस अर्जित निधि से बकाया राशि 4.75 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

पीएफसी के मामले में प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

22.10 ये बॉण्ड श्रृंखला पहले वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों (उन प्राप्तियों को छोड़कर जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड के लिए विशेष रूप से प्रभारित हैं, जिनका प्रतिभूति विवरण टिप्पणी 22.11 में है) पर समान प्रभार से और साथ में गिंडी, चेन्नई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर समान प्रभार से प्रतिभूत हैं।

22.11 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) श्रृंखला III और IV, 31.03.2023तक कंपनी के ₹254.91 करोड़ (31.03.2022 तक ₹438.71 करोड़) के विशेष ऋण पर प्रभार और जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल परसंपति पर प्रथम प्रभार से प्रतिभूत हैं।

22.12 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड, करयोग्य प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच-1 सभी श्रृंखलाएं और सभी श्रेणी, तथा अन्य सभी करमुक्त बॉण्ड श्रृंखलाएं कंपनी की कुल प्राप्तियों/लेखा ऋणों पर (उन प्राप्तियों को छोड़कर जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड के लिए विशेष रूप से प्रभारित हैं, जिनका प्रतिभूति विवरण टिप्पणी 22.11 में है) ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय तथा कंपनी द्वारा सौदे के दस्तावेज के अनुसार बॉण्डधारकों और/या अन्य को भुगतान योग्य/पुनर्भुगतान योग्य राशि सहित भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

कंपनी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में प्रतिभूति का विवरण निम्नानुसार है (आरईसी लिमिटेड की बकाया प्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के ब्योरे के लिए टिप्पणी सं. 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 देखें)

22.13 कंपनी द्वारा जारी और तुलन-पत्र तिथि तक बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्ड के लिए, 100% सुरक्षा कवर कंपनी की अचल परिसंपत्तियों को मोर्टगेज रखकर और/या प्राप्तियों पर प्रभार के माध्यम से बनाए रखा गया है।

22.14 संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 123-IIIबी, निर्दिष्ट अचल परिसंपत्ति पर और निर्गमकर्ता की ऋण परिसंपत्तियों पर पहले समान प्रभार से प्रतिभूत की जाती है जो निर्गमकर्ता और ट्रस्टी के बीच, बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों पर सहमति के अनुसार अन्य ऋणदाता/ट्रस्टी से आईडीबीआई सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में बकाया बॉण्ड राशि के कुल अंकित मूल्य और उस पर बकाया ब्याज राशि के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ प्रभारित होता है।

22.15 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी करमुक्त बॉण्ड दुकान सं. 12, भूतल, ब्लॉक सं. 35, चर्च रोड, मायलापोर, चेन्नई स्थित परिसर पर प्रथम समान प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) (पहले आईएल एंड ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में ज्ञात) के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹4,998.66 करोड़ की ऋण परिसंपत्तियों की हाइपोथीकेशन द्वारा प्रतिभूत है।

22.16 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी करमुक्त बॉण्ड एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी की ऋण परिसंपत्तियों पर (उन परिसंपत्तियों को छोड़कर जो विशेष रूप से ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टियों को प्रभारित/निर्दिष्ट हैं) प्रथम समान प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

22.17 वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड श्रृंखला XII और XIII तथा कर मुक्त बॉण्ड (क) ग्राम सुभानपुरा, जिला वडोदरा में स्थित उप प्लॉट सं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी के परिसर को मोर्टगेज रखे जाने और (ख) एसबीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (उन परिसंपत्तियों को छोड़कर जो विशेष रूप से ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टियों को प्रभारित/निर्दिष्ट हैं) की हाइपोथीकेशन द्वारा प्रथम समान प्रभार से प्रतिभूत है।

22.18 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड श्रृंखला के बॉण्ड XIV, XV और XVI एसबीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (उन परिसंपत्तियों को छोड़कर जो विशेष रूप से ऋणदाताओं/ अन्य ट्रस्टियों को प्रभारित/ निर्दिष्ट हैं) की हाइपोथीकेशन द्वारा पहले समान प्रभार से प्रतिभूत है।

22.19 प्राप्तियों तथा प्रतिभूति के रूप में रखी गई परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के वहनीय मूल्य के लिए टिप्पणी 12 और 17 देखें।

22.20 संबंधित सांविधिक तिथि से परे कोई भी प्रभार या समाधान कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत नहीं किया जाना है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

23. ऋण राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)

कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षानुसार ऋण राशियों (ऋण प्रतिभूतियों से अतिरिक्त) को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क)	**प्रतिभूत ऋण राशियां**		
(i)	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण		
	- रुपया सावधि ऋण (टिप्पणी 23.1 देखें)	13,476.25	17,887.50
(ii)	बैंको से अन्य ऋण		
	सावधि जमा पर ऋण (टिप्पणी 23.2)	-	228.59
	उप-जोड़ (क)	**13,476.25**	**18,116.09**
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण राशियां**		
(i)	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण		
	- विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी 23.3 देखें)	23,760.24	11,866.70
	- सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी 23.4 देखें)	64,552.40	55,532.41
	रुपया सावधि ऋण (टिप्पणी 23.6)	1,11,139.85	90,053.30
(ii)	अन्य पक्षकारों से सावधि ऋण		
	- रुपया सावधि ऋण - एनएसएसएफ (टिप्पणी 23.7 देखें)	17,500.00	17,500.00
(iii)	बैंको से अन्य ऋण		
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ ओवरड्राफ्ट/ नकदी क्रेडिट/ लाइन ऑफ क्रेडिट (टिप्पणी 23.8 देखें)	7,671.42	1,410.93
	उप-जोड़ (ख)	**2,24,623.91**	**1,76,363.34**
(ग)	**ऋण राशियों का कुल बकाया मूलधन (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) (क+ख)**	**2,38,100.16**	**1,94,479.43**
(घ)	उपर्युक्त पर अर्जित लेकिन अदेय ब्याज	1,063.18	725.08
(ड.)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	(820.34)	(587.53)
	कुल ऋण राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) (ग से ड.)	**2,38,343.00**	**1,94,616.98**
	भूगोल-वार ऋण राशियां		
(i)	भारत में ऋण राशियां	1,65,851.51	1,37,516.63
(ii)	भारत से बाहर ऋण राशियां	72,491.49	57,100.35
	भूगोल-वार कुल ऋण राशियां	**2,38,343.00**	**1,94,616.98**

23.1 बकाया प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
1	बैंक ऑफ बड़ोदा	-	1,225.00	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान कर दिया गया
2	कर्नाटक बैंक	-	200.00		
3	भारतीय स्टेट बैंक	3,570.00	5,000.00	10.07.2023	ऋण10 जुलाई 2022 से शुरू होकर 10 जुलाई 2025 तक सात छमाही किस्तों में चुकायाजाना है जिसमें ₹715 करोड़ प्रति किस्त की दर से 6 किस्ते, और अंतिम किस्त ₹ 710 करोड़ की होगी।
4	इंडियन बैंक	937.50	1,312.50	28.09.2023	ऋण 28 मार्च, 2022 से शुरू होकर 28 सितंबर 2025 तक प्रत्येक ₹187.50 करोड़ की आठ छमाही किस्तों में चुकाया जाना है।
5	इंडियन बैंक	1,800.00	1,800.00	29.09.2023	ऋण 29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 29 जून 2026 तक प्रत्येक ₹150 करोड़ की 12 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।
6	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	200.00	300.00	30.09.2023	ऋण 30 सितंबर 2020 से शुरू होकर 30 सितंबर 2024 तक प्रत्येक ₹100 करोड़ की 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।
7	पंजाब नैशनल बैंक	168.75	225.00	30.09.2023	ऋण 30 सितंबर 2022 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक प्रत्येक ₹56.25 करोड़ की 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
8	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,350.00	1,800.00	30.09.2023	ऋण 30 सितंबर 2022 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक प्रत्येक ₹450 करोड़ की 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।
9	पंजाब नेशनल बैंक	750.00	1,125.00	25.02.2024	ऋण 25 फरवरी 2022 से शुरू होकर 25 फरवरी 2025 तक प्रत्येक ₹375 करोड़ की 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।
10	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	200.00	400.00	15.03.2024	ऋण 15 मार्च, 2020 से शुरू होकर 15 मार्च, 2024 तक प्रत्येक ₹200 करोड़ की 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।
11	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	20.02.2024	अवधि के अंत में एकमुश्त (बुलेट) पुनर्भुगतान
12	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	02.03.2024	ऋण 02 मार्च, 2024 से शुरू होकर 02 मार्च, 2025 तक प्रत्येक ₹500 करोड़ की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है।
13	इंडियन बैंक	500.00	500.00	02.04.2024	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
14	केनरा बैंक टी-1	500.00	500.00	21.06.2024	
15	केनरा बैंक टी-2	500.00	500.00	24.06.2024	
16	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	29.06.2024	
	कुल प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण	**13,476.25**	**17,887.50**		

23.2 बकाया सावधि जमा पर ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
	पीएफसी के मामले में				
1	इंडियन बैंक	-	142.50	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	कैनरा बैंक	-	41.09	-	
3	कैनरा बैंक	-	45.00	-	
	सावधि जमा पर कुल ऋण	**-**	**228.59**		

23.3 बकाया अप्रतिभूत सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
पीएफसी के मामले में					
1	एडीबी (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	51.35	58.20	15.04.2023	15.10.2028 तक अर्द्धवार्षिक किस्त
2	क्रेडिट नेशनल (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	18.86	27.05	30.06.2023	30.06.2028 तक अर्द्धवार्षिक किस्त
3	केएफडबल्यू। (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	41.95	42.82	30.06.2023	30.12.2035 तक अर्द्धवार्षिक किस्त
4	केएफडबल्यू यूरो 200एम 030123	526.42	-	15.11.2023	15.11.2025 तक अर्द्धवार्षिक किस्त
5	1 एफसीएनआर एसबीआई यूएसडी 110एम 151222	904.39	-	15.12.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
6	2 एफसीएनआर आईसीआईसीआई यूएसडी से यूरो 291222	844.48	-	29.12.2023	
7	4 एफसीएनआर डीबीएस यूएसडी से यूरो 290323	499.53	-	29.12.2023	
8	3 एफसीएनआर एसबीआई यूएसडी से यूरो 270323	833.03	-	27.03.2024	
9	5 एफसीएनआर एसबीआई यूएसडी से यूरो 280323	828.79	-	28.03.2024	
10	6 एफसीएनआर आईसीआईसीआई यूएसडी से यूरो 290323	831.47	-	29.03.2024	
11	7 एफसीएनआर एसबीआई यूएसडी से यूरो 310323	1,235.68	-	31.03.2024	
	उप-जोड़ (क)	**6,615.95**	**128.07**		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	बॉण्ड श्रृंखला	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31.03.2023	31.03.2022	मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1	यूएस $200 मिलियन	-	1,516.14	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	यूएस $150 मिलियन	-	1,137.11		
3	यूएस $200 मिलियन	-	1,516.14		
4	यूएस $25 मिलियन	-	189.52		
5	यूएस $150 मिलियन	-	1,137.11		
6	यूएस $200 मिलियन	-	1,516.14		
7	यूएस $75 मिलियन	-	568.55		
8	यूएस $200 मिलियन	-	1,516.14		
9	यूएस $100 मिलियन	-	758.07		
10	जेआईसीए ऋण	-	23.47		
11	केएफडबल्यू-IV ऋण	1,578.56	1,637.43	15.05.2023	12.11.2030 तक €12.00 मिलियन के समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य, अगली किस्त 15.05.2023 को देय
12	यूएस $200 मिलियन	1,644.34	-	24.05.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
13	यूएस $150 मिलियन	1,233.25	-	26.05.2023	
14	यूएस $200 मिलियन	1,644.34	-	03.06.2023	
15	यूएस $75 मिलियन	616.63	-	07.06.2023	
16	यूएस $150 मिलियन	1,233.25	-	21.06.2023	
17	केएफडबल्यू -III ऋण	141.51	222.81	30.06.2023	30.03.2024 तक €5.26 मिलियन के समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य, अगली किस्त 30.06.2023 को देय
18	यूएस $200 मिलियन	1,644.34	-	08.12.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
19	यूएस $300 मिलियन	2,466.51	-	13.12.2023	
20	यूएस $75 मिलियन	616.63	-	14.12.2023	
21	यूएस $100 मिलियन	822.17	-	15.12.2023	
22	यूएस $200 मिलियन	1,644.34	-	29.12.2023	
23	€ 69.77 मिलियन	625.17	-	16.01.2024	
24	यूएस $150 मिलियन	1,233.25	-	15.02.2024	
	उप-जोड़ (ख)	**17,144.29**	**11,738.63**		
	कुल (क+ख)	**23,760.24**	**11,866.70**		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

23.4 बकाया अप्रतिभूत सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तक बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2023	31.03.2022		
1	एसएलएन 28 यूएसडी	-	1,895.18	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	एसएलएन 28 जेपीवाई	-	334.13		
3	एसएलएन 18	-	905.82		
4	एसएलएन 21	-	2,274.21		
5	एसएलएन 22	-	1,895.18		
6	एसएलएन 23	-	1,895.18		
7	एसएलएन 26	2,055.42	1,895.18	26.09.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
8	एसएलएन 27	1,014.18	1,021.24	01.02.2024	
9	एसएलएन 29	2,055.42	1,895.18	20.12.2024	
10	एसएलएन 30	822.17	758.07	13.10.2025	
11	एसएलएन 30	2,466.51	2,274.21	05.11.2025	
12	31 ए एफसीटीएल यूएसडी 525एम 301121	4,316.39	3,979.87	30.11.2026	
13	31 बी एफसीटीएल यूएसडी 100एम 301121	822.17	758.07	30.11.2026	
14	32 ए एफसीटीएल जेपीवाई 89208एम 281222	5,513.05	-	28.12.2026	तीन किश्तों में मोचनीय है: 28.12.2026 को 33.33% ऋण राशि, 28.12.2027 को ऋण राशि का 33.33% और 28.12.2028 को बकाया शेष।
15	32 बी एफसीटीएल जेपीवाई 26762एम 050123	1,653.89	-	05.01.2030	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
	उप-योग (क)	**20,719.21**	**21,781.52**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1	यूएस $200	-	1,516.14	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	यूएस $150	-	1,137.11	-	
3	¥ 10,327	638.22	642.66	08.08.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
4	यूएस $250	2,055.42	1,895.18	29.08.2023	
5	यूएस $250	2,055.42	1,895.18	27.03.2024	
6	यूएस $150	1,233.25	1,137.11	29.03.2024	
7	यूएस $100	822.17	758.07	01.07.2024	
8	एसजी $72.0	445.48	403.21	30.03.2025	
9	यूएस $75एम	616.63	568.55	30.03.2025	
10	¥ 10,519	650.07	654.60	25.09.2025	
11	यूएस $170	1,397.69	1,288.72	26.03.2025	$100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय होंगे और $70 मिलियन 06.10.2025 को प्रतिदेय

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तक बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2023	31.03.2022		
12	यूएस $425	3,494.22	3,221.80	16.03.2026	
13	यूएस $600	4,933.01	4,548.43	25.08.2026	
14	यूएस $75 एम	616.63	568.55	07.10.2026	
15	यूएस $1175	9,660.49	8,907.33	29.12.2026	
16	¥ 37,506	2,317.91	2,334.04	03.03.2027	
17	यूएस $100	822.17	-	13.06.2027	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
18	यूएस $200	1,644.34	-	28.07.2027	
19	यूएस $150	1,233.25	-	13.09.2027	
20	एसजीडी 213.	1,317.80	-	27.10.2027	
21	€ 254.19	2,277.77	-	31.10.2027	
22	€ 349.83	3,134.74	-	27.03.2028	
23	यूएस $300	2,466.51	2,274.21	02.06.2030	
	उप-योग (ख)	**43,833.19**	**33,750.89**		
	कुल (क+ख)	**64,552.40**	**55,532.41**		

23.5 पीएफसी लिमिटेड के मामले में, उपर्युक्त टिप्पणी सं. 23.3 और 23.4 में फ्लोटिंग दर विदेशी मुद्रा ऋणों को 6 माह में यूएसडी लिबोर/एआरआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तावित दर/वैकल्पिक संदर्भ दर) पर 5 बीपीएस से 150 बीपीएस तक की ब्याज दर शामिल है। क्रेडिट नेशनल, केएफडब्ल्यू-1 और एफसीटीएल 31ए और बी से विदेशी मुद्रा ऋण को छोड़कर, जो निश्चित ब्याज दर पर हैं।

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, टिप्पणी सं. 23.3 और 23.4 में विदेशी मुद्रा ऋण को 0.65% से 1.86% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दरों पर जुटाया गया है तथा 3/6 महीने की अमरीकी डॉलर लिबोर (लंदन इंटर बैंक प्रस्ताव दर), 3/6 महीने की यूरोआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक प्रस्ताव दर), ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), 3/6 महीने की अवधि एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) और क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड (सीएएस) जो ऋण के नई बेंचमार्क दरों में परिवर्तन पर लागू होता है, सहित बाहरी बेंचमार्क पर 13 बीपीएस से 210 आधार अंकों के स्प्रेड तक की परिवर्तनी ब्याज दरों पर जुटाया गया है।

23.6 बकाया अप्रतिभूत सावधि ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तक बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	1,800.00	-	
2	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	-	2,000.00		वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
3	यूको बैंक	-	500.00		
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	800.00	800.00	15.04.2023	ऋण का भुगतान 15-अप्रैल 2023 से शुरू होकर 15 जनवरी, 2025 को समाप्त होनी वाली ₹100 करोड़ प्रत्येक की 8 तिमाही किस्तों में किया जाना है।
5	यूको बैंक	200.00	200.00	26.05.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
6	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	-	10.06.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	650.00	-	13.06.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
8	केनरा बैंक	875.00	1,750.00	20.06.2023	ऋण का भुगतान 20-जून 2022 से शुरू होकर 20 मार्च, 2024 को समाप्त होनी वाली ₹218.75 करोड़ प्रत्येक की 8 तिमाही किस्तों में किया जाना है।
9	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	20.00	-	20.06.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
10	केनरा बैंक	1,400.00	1,800.00	22.06.2023	ऋण का भुगतान 22 दिसंबर, 2021 से शुरू होकर 22 सितंबर, 2026 को समाप्त होनी वाली ₹100 करोड़ प्रत्येक की 20 तिमाही किस्तों में किया जाना है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तक बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
11	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	7.00	-	22.06.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
12	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	55.00	-	23.06.2023	
13	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	33.00	-	24.06.2023	
14	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	235.00	-	27.06.2023	
15	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3,000.00	3,000.00	29.06.2023	
16	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	-	30.06.2023	
17	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	11.09.2023	ऋण का भुगतान 11 सितंबर, 2023 से शुरू होकर 11 सितंबर, 2026 को समाप्त होनी वाली ₹250 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
18	केनरा बैंक	300.00	400.00	23.09.2023	ऋण का भुगतान 23 सितंबर, 2021 से शुरू होकर 23 मार्च, 2026 को समाप्त होनी वाली ₹50 करोड़ प्रत्येक की 10 अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
19	भारतीय स्टेट बैंक	2,999.98	2,999.98	27.09.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
20	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	1,000.00	30.09.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
21	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	750.00	750.00	05.10.2023	
22	पंजाब नेशनल बैंक	995.00	995.00	24.12.2023	
23	केनरा बैंक	500.00	500.00	28.12.2023	
24	केनरा बैंक	500.00	500.00	15.01.2024	
25	बैंक ऑफ इंडिया	2,000.00	2,000.00	21.01.2024	
26	पंजाब नेशनल बैंक	666.67	1,000.00	20.03.2024	ऋण का भुगतान 20 मार्च, 2023 से शुरू होकर 20 मार्च, 2025 को समाप्त होनी वाली ₹333.33 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
27	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,250.00	1,875.00	23.03.2024	ऋण का भुगतान 23 मार्च, 2022 से शुरू होकर 23 मार्च, 2025 को समाप्त होनी वाली ₹625 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
28	केईबी हैना बैंक	100.00	-	31.05.2024	ऋण का भुगतान 31 मई, 2024 से शुरू होकर 30 नवंबर, 2025 को समाप्त होनी वाली ₹25 करोड़ प्रत्येक की 4 अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
29	बैंक ऑफ इंडिया	500.00	500.00	18.09.2024	ऋण का भुगतान 18 सितंबर, 2024 से शुरू होकर 18 सितंबर, 2028 को समाप्त होनी वाली ₹100 करोड़ प्रत्येक की 5 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
30	भारतीय स्टेट बैंक	3,000.00	3,000.00	19.12.2024	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
31	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3,000.00	3,000.00	30.09.2025	
32	बैंक ऑफ बडौदा	5,000.00	2,500.00	17.05.2026	ऋण का भुगतान 17 मई, 2026 से शुरू होकर 17 नवंबर, 2029 को समाप्त होनी वाली ₹625 करोड़ प्रत्येक की 8 अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
33	यूको बैंक	1,000.00	1,000.00	24.09.2026	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
34	पंजाब नेशनल बैंक	500.00	500.00	27.09.2026	
35	पंजाब नेशनल बैंक	5.00	5.00	29.09.2026	
36	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,000.00	1,000.00	30.09.2026	
37	सेंट्रल बैंक	1,000.00	1,000.00	31.03.2027	
38	यूनियन बैंक	3,000.00	3,000.00	31.03.2027	ऋण का भुगतान 31.03.2027 से शुरू होकर 31.03.2028 को समाप्त होनी वाली ₹1,500 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तक बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
39	केनरा बैंक	2,250.00	-	28.06.2027	ऋण का भुगतान 28 जून, 2027 से शुरू होकर 28 जून, 2028 को समाप्त होनी वाली ₹1,125 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
40	केनरा बैंक	250.00	-	30.06.2027	ऋण का भुगतान 30 जून, 2027 से शुरू होकर 30 जून, 2028 को समाप्त होनी वाली ₹125 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
41	इंडियन ओवरसीज बैंक	1,000.00	-	30.09.2027	ऋण का भुगतान 30 सितंबर, 2027 से शुरू होकर 30 सितंबर, 2028 को समाप्त होनी वाली ₹500 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
42	इंडियन ओवरसीज बैंक	500.00	-	30.03.2028	ऋण का भुगतान 30 मार्च, 2028 से शुरू होकर 30 मार्च, 2029 को समाप्त होनी वाली ₹250 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
43	यूको बैंक	1,000.00	-	30.03.2028	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
44	पंजाब एंड सिंध बैंक	1,000.00	-	30.03.2028	ऋण का भुगतान 30 मार्च, 2028 से शुरू होकर 30 मार्च, 2029 को समाप्त होनी वाली ₹500 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
45	नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट	3,500.00	-	31.03.2029	ऋण का भुगतान 31 मार्च, 2029 से शुरू होकर 30 मार्च, 2038 को समाप्त होनी वाली ₹350 करोड़ प्रत्येक की 10 वार्षिक किस्तों में किया जाना है।
	उप-योग (क)	**48,841.65**	**40,374.98**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1	जेपी मोर्गन चेस बैंक	-	1,500.00	-	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्भुगतान
2	मिज़ुहो बैंक	-	300.00		
3	एचडीएफसी बैंक	16,350.00	12,000.00	15.06.2023	15.06.2023 को ₹2,000 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 19.06.2023 को ₹1,500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 29.09.2023 को ₹300 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 30.09.2023 को ₹1,500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 11.10.2023 को ₹350 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 05.11.2023 को ₹350 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 15.01.2024 को ₹500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 17.11.2026 को ₹850 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 31.03.2027 को ₹2,000 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 07.09.2027 को ₹2,000 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 29.12.2027 को ₹2,500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 27.02.2028 को ₹2,500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य।
4	पंजाब नेशनल बैंक	4,995.97	4,996.98	27.08.2023	3 वार्षिक किस्तों में ₹1,996.66 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, जिसमें 27.08.2023 को पहली किश्त देय है, और 11.11.2026 को ₹1,999.66 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, और 10 अर्ध-वार्षिक किस्तों में ₹999.66 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, जो 29.03.2028 को शुरू है और अंतिम किस्त 29.12.2031 को देय होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तक बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
5	भारतीय स्टेट बैंक	10,900.26	12,729.30	15.10.2023	₹699.84 करोड़ 15.10.2023 को पुनर्भुगतान योग्य, 2 वार्षिक किस्तों में ₹919.44 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य जिसमें 05.09.2023 को पहली किश्त और 05.09.2024 को दूसरी किश्त देय, 5 अर्द्धवार्षिक किश्तों में ₹3,569.93 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य जिसमें पहली किश्त 15.07.2023 को और अंतिम किस्त 15.07.2025 को देय, ₹1,711.19 करोड़ 12.12.2027 को पुनर्भुगतान योग्य और ₹3,999.86 करोड़ स्ट्रक्चर्ड किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य जिसमें पहली किश्त 29.10.2023 को और अंतिम किश्त 29.10.2031 को देय
6	डश बैंक	1,000.00	1,000.00	18.12.2023	₹500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य और 15.06.2027 को ₹500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य,
7	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	5,500.00	6,800.00	23.02.2024	23.02.2024 को ₹1,500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 14.03.2024 को ₹500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 25.03.2026 को ₹1,000 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 27.03.2026 को ₹1,000 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य, 09.08.2026 को ₹1,000 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य और 28.07.2027 को ₹500 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य
8	सेंट्रल बैंक	2,399.99	500.00	26.03.2024	26.03.2024 को ₹1,499.99 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य,17.10.2025 को ₹400 करोड़ पुनर्भुगतान-योग्य और 7 वार्षिक किश्तों में ₹500 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य जिसमें पहली किश्त 28.02.2026 को और अंतिम किश्त 29.02.2032 को देय
9	इंडियन बैंक	1,500.00	-	04.08.2024	6 समान वार्षिक किश्तों में ₹1,500 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, पहली किश्त 04.08.2024 को और अंतिम किश्त 04.08.2029 को देय
10	बैंक ऑफ इंडिया	1,499.87	749.87	27.09.2024	5 वार्षिक किश्तों में ₹749.87 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, पहली किश्त 27.09.2024 को और अंतिम किश्त 27.09.2028 को देय और 31.03.2030 को ₹750 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य
11	बैंक ऑफ बड़ौदा	5,000.00	-	30.09.2024	6 वार्षिक किश्तों में ₹5000 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, पहली किश्त 30.09.2024 को और अंतिम किश्त 29.09.2029 को देय
12	कर्नाटक बैंक	499.99	-	15.05.2025	15.05.2025 को ₹499.99 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य
13	एचएसबीसी बैंक	3,402.49	3,402.49	19.05.2025	19.05.2025 को ₹565 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, 18.12.2025 को ₹187.49 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, 25.03.2026 को ₹900 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, 06.07.2026 को ₹500 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, 09.07.2026 को ₹500 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, 25.03.2030 को ₹85 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य और 28.03.2030 को ₹665 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	700.00	-	09.12.2025	09.12.2025 को ₹700 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य
15	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,999.68	1,999.68	04.01.2026	04.01.2026 को ₹1,000 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य और 5 वार्षिक किश्तों में ₹1,999.68 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, पहली किश्त 31.03.2027 को और अंतिम किश्त 31.03.2031 को देय

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तक बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
16	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	299.95	300.00	28.10.2026	28.10.2026 को ₹299.95 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य
17	करूर वैश्य बैंक	250.00	250.00	29.10.2026	29.10.2026 को ₹250 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य
18	साउथ इंडियन बैंक	500.00	300.00	08.11.2026	08.11.2026 को ₹300 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य और 04.08.2027 को ₹200 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य
19	नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)	500.00	-	31.03.2027	7 समान वार्षिक किश्तों में ₹500 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य, पहली किश्त 31.03.2027 को और अंतिम किश्त 31.03.2033 को देय
20	आईसीआईसीआई बैंक	4,000.00	2,850.00	23.01.2030	23.01.2030 को ₹4,000 करोड़ पुनर्भुगतान योग्य
	उप-योग (ख)	**62,298.20**	**49,678.32**		
	कुल(क+ख)	**1,11,139.85**	**90,053.30**		

23.7 बकाया अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण एनएसएसएफ का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तक बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
पीएफसी के मामले में					
1	राष्ट्रीय लघु बचत निधि योजना (एनएसएसएफ) (कूपन दर 8.11% प्रतिवर्ष)	7,500.00	7,500.00	27.12.2028	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
	उप-योग (क)	**7,500.00**	**7,500.00**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी के मामले में					
1	राष्ट्रीय लघु बचत निधि योजना (एनएसएसएफ) (कूपन दर 8.29% प्रतिवर्ष)	5,000.00	5,000.00	13.12.2028	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	राष्ट्रीय लघु बचत निधि योजना (एनएसएसएफ) (कूपन दर 8.16% प्रतिवर्ष)	5,000.00	5,000.00	04.10.2029	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
	उप-योग (ख)	**10,000.00**	**10,000.00**		
	कुल (क+ख)	**17,500.00**	**17,500.00**		

23.8 बकाया अप्रतिभूत डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित तक बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तिथि	मोचन का विवरण
		31.03.2023	31.03.2022		
1	भारतीय स्टेट बैंक (डब्ल्यूसीएल)	1,555.28	-	10.04.2023	अवधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	भारतीय स्टेट बैंक (डब्ल्यूसीएल)	500.00	-	15.04.2023	
3	पंजाब नेशनल बैंक (डब्ल्यूसीएल)	300.00	-	15.04.2023	
4	एचडीएफसी बैंक (डब्ल्यूसीएल)	1,628.55	-	30.06.2023	
	उप-योग (क)	**3,983.83**			
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी के मामले में					
1	अल्पावधि ऋण/बैंकों से मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण	3,687.59	1,410.93	सतत सुविधा	सतत सुविधा
	उप-योग (ख)	**3,687.59**	**1,410.93**		
	कुल (क+ख)	**7,671.42**	**1,410.93**		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

23.9 पीएफसी लिमिटेड के मामले में, उपर्युक्त टिप्पणी 23.6 में वर्णित 31.03.2023 तक जुटाव को ऋण संबद्ध बैंक की बेंचमार्क दर और 100 से 200 बीपीएस तक स्प्रेड पर लिए गए हैं।

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, उपर्यक्त टिप्पणी सं. 23.6 और 23.7 में वर्णित बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ सरकार से लिए गए ऋण 5.38% से 8.29% के बीच ब्याज दरों पर मासिक/ तिमाही/ वार्षिक दर पर जुटाए गए हैं।

23.10 निदेशकों द्वारा किसी भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

23.11 ऊपर वर्णित अवधियों में ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

23.12 पीएफसी में मामले में, प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण कंपनी की प्राप्तियों पर ऋणदाता बैंकों के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है, जो ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय और अन्य सभी निधि सहित सावधि ऋण के भुगतान/पुनर्भुगतान तक सीमित हैं, जिसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय तथा अन्य सभी निधि जो कंपनी द्वारा प्रतिभूत लिखत के अंतर्गत/ या अन्य को देय/ चुकाने योग्य है, उन प्राप्तियों को छोड़कर जो पहले से ही कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्ववर्ती जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड) के पक्ष में प्रभारित किए गए हैं। प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों के निमित प्रतिभूति के रूप में प्राप्त प्लेज के वहन मूल्यों के लिए टिप्पणी 12 देखें।

23.13 समूह की कंपनियों को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई(ओं) से व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से ऐसी समझ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, जिसे कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से निवेश करेगी या कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा प्रदान करेगी।

23.14 समूह की कंपनियों ने वर्तमान परिसंपत्तियों की ऐसी विशिष्ट प्रतिभूति पर कोई ऋण नहीं लिया है, जहां तिमाही विवरणी या विवरण दाखिल करने की कोई आवश्यकता हो।

24. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधित लागत पर अधीनस्थ देयताओं को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	अधीनस्थ देयताएं (अप्रतिभूत)		
(i)	अधीनस्थ बॉण्ड (मूलधन बकाया) (टिप्पणी 24.1 देखें)	15,862.20	15,862.20
(ii)	उपर्युक्त पर अर्जित लेकिन अदेय ब्याज	399.25	399.27
(iii)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन-देन लागत	(176.31)	(133.73)
	कुल अधीनस्थ देयताएं	**16,085.14**	**16,127.74**
	भूगोल-वार अधीनस्थ देयताएं		
(i)	भारत में अधीनस्थ बॉण्ड	16,085.14	16,127.74
(ii)	भारत के बाहर अधीनस्थ बॉण्ड	-	-
	कुल भूगोल-वार अधीनस्थ देयताएं	**16,085.14**	**16,127.74**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

24.1 अधीनस्थ बॉण्ड (अप्रतिभूत) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	8.06% बॉण्ड श्रृंखला 115 - 31.05.2023 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	2,500.00	2,500.00
2	8.19% बॉण्ड श्रृंखला 105 - 14.06.2023 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	800.00	800.00
3	9.65% बॉण्ड श्रृंखला 111 - 13.01.2024 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	1,000.00	1,000.00
4	9.70% बॉण्ड श्रृंखला 114 - 21.02.2024 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	2,000.00	2,000.00
5	9.25% बॉण्ड श्रृंखला 184ए - 25.09.2024 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	2,000.00	2,000.00
6	9.10% बॉण्ड श्रृंखला 184 बी - 25.03.2029 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	2,411.50	2,411.50
7	8.98% बॉण्ड श्रृंखला 185 - 28.03.2029 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	1,000.00	1,000.00
8	8.97% बॉण्ड श्रृंखला 175 - 28.03.2029 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	2,151.20	2,151.20
9	7.96% बॉण्ड श्रृंखला 199 - 15.06.2030 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	1,999.50	1,999.50
	कुल	**15,862.20**	**15,862.20**

25. अन्य वित्तीय देयताएं

समूह ने नीचे प्रस्तुत 'पट्टा देयता' के अतिरिक्त इंड एएस 109 'वित्तीय लिखित' की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया है, जिसे इंड एएस 116 'पट्टा' के अनुसार मापा गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	भारत सरकार के अप्रतिभूत चुकता बॉण्ड के कारण देय (टिप्पणी 25.1 देखें)	29,356.50	29,356.50
(ii)	सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम	177.16	176.19
(iii)	अदावी लाभांश (टिप्पणी 25.2 देखें)	12.42	11.85
(iv)	अदत्त - बॉण्ड और उस पर अर्जित ब्याज (टिप्पणी 25.2 देखें)		
	- अदावी बॉण्ड	26.58	24.03
	- बॉण्ड पर अदावी ब्याज	82.95	95.87
(v)	अन्य		
	- बॉण्ड पर प्रतिदेय आवेदन राशि और उस पर अर्जित ब्याज	0.71	0.90
	- संवितरण के लिए ब्याज सब्सिडी निधि औए अन्य भारत सरकार निधियां	161.35	1,391.23
	- पट्टा देयताएं (टिप्पणी 51.1 देखे)	17.01	19.07
	- अन्य देयताएं	1,129.99	1,523.34
	कुल अन्य वित्तीय देयताएं	**30,964.67**	**32,598.98**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

25.1 भारत सरकार के चुकता बॉण्ड (अप्रतिभूत कर-योग्य बॉण्ड) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	7.10% बॉण्ड श्रृंखला 156 - 11.01.2027 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	200.00	200.00
2	7.18% बॉण्ड श्रृंखला 158 - 20.01.2027 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	1,335.00	1,335.00
3	7.60% बॉण्ड श्रृंखला 160 - 20.02.2027 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	1,465.00	1,465.00
4	7.75% बॉण्ड श्रृंखला 164 - 22.03.2027 को सममूल्य पर मोचनीय - पीएफसी लिमिटेड	2,000.00	2,000.00
5	8.09 % भारत सरकार-I श्रृंखला - 21.03.2028 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	1,837.00	1,837.00
6	8.01% भारत सरकार-II श्रृंखला - 24.03.2028 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	1,410.00	1,410.00
7	8.06% भारत सरकार-III श्रृंखला - 27.03.2028 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	753.00	753.00
8	8.70% - भारत सरकार-IV श्रृंखला - 28.09.2028 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	3,000.00	3,000.00
9	8.54% भारत सरकार-V श्रृंखला - 15.11.2028 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	3,600.00	3,600.00
10	8.80% भारत सरकार-VI श्रृंखला - 22.01.2029 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	2,027.00	2,027.00
11	8.60% भारत सरकार-VII श्रृंखला - 08.03.2029 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	1,200.00	1,200.00
12	8.30% भारत सरकार-VIII श्रृंखला - 25.03.2029 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	4,000.00	4,000.00
13	7.14% भारत सरकार-IX श्रृंखला - 02.03.2030 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	1,500.00	1,500.00
14	8.25% भारत सरकार-X श्रृंखला - 26.03.2030 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	532.30	532.30
15	7.20% भारत सरकार-XI श्रृंखला - 31.03.2030 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	1,750.00	1,750.00
16	6.45% भारत सरकार-XII श्रृंखला - 07.01.2031 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	1,000.00	1,000.00
17	6.63% भारत सरकार-XIII श्रृंखला - 28.01.2031 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	1,000.00	1,000.00
18	6.50% भारत सरकार-XIV श्रृंखला - 26.03.2031 को सममूल्य पर मोचनीय - आरईसी लिमिटेड	500.00	500.00
19	उपर्युक्त पर अर्जित ब्याज	247.20	247.20
	कुल भारत सरकार के चुकता बॉण्ड (अप्रतिभूत कर-योग्य बॉण्ड)	**29,356.50**	**29,356.50**

25.2 अदावी लाभांश, अदावी बॉण्ड और उस पर ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जिनका दावा या तो निवेशकों/लिखतों के धारकों द्वारा नहीं किया गया है या कानूनी औपचारिकताओं के लंबित रहने तक रोक दिया गया है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली पात्र राशि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अंतरित कर दी गई है।

25.3 भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत देय राशि:

(i) पीएफसी को आरडीएसएस योजना और आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी शामिल) के प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेंसी की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार की योजनाओं के तहत पात्र संस्थानों को ऋण/अनुदान देना शामिल है। 09 मार्च, 2022 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, भारत सरकार की योजनाओं के तहत निधियां जारी करना आरबीआई के साथ रखे गए ट्रेजरी सिंगल एकाउंट (टीएसए) के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन योजनाओं के लिए लाभार्थियों को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से निधि 'बिल्कुल समय पर' जारी की जा सके है, टिप्पणी 55 देखें।

(ii) आरईसीएल को भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त निधियों को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए अवितरित निधि (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई योजना के तहत प्राप्त निधि सहित) में अर्जित ब्याज सहित 'अन्य वित्तीय देयताओं' के अंतर्गत 'ब्याज सब्सिडी निधि और संवितरण के लिए अन्य भारत सरकार निधियां' शामिल हैं। भारत सरकार की योजनाओं के अधिक विवरण के लिए, टिप्पणी 55 देखें।

(iii) त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत सब्सिडी

आरईसी एक ब्याज सब्सिडी निधि खाता संचालित करती है और उसे सरकार द्वारा निवल वर्तमान मूल्य पर एजी एंड एसपी सब्सिडी (पात्र ऋणकर्ताओं को संवितरण के लिए) दी गई थी, जिसकी गणना भारत सरकार के पत्र डी.ओ.सं. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003, के अनुसार सांकेतिक दरों और वर्ष के आधार पर की जाती है और इसमें पात्र योजनाओं की वास्तविक पुनर्भुगतान अनुसूची, अधिस्थगन

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्ष और पुनर्भुगतान की अवधि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आहरण के समय सांकेतिक दर और वर्ष पर विचार किए गए वास्तविक मूल्य के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं की समाप्ति के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

31 मार्च, 2023 को निवल राशि ₹0.75 करोड़ (31 मार्च, 2022 को ₹0.73 करोड़) ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) अंतर्गत ऋणकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के रूप में शामिल की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
ब्याज सब्सिडी निधि का प्रारंभिक शेष	0.73	0.71
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.02
घटाएं: ऋणकर्ता को प्रदान की गई ब्याज सब्सिडी	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	0.75	0.73

(iv) आरईसीएल की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज में संचालन को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
प्रारंभिक शेष	20.87	37.84
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित/समायोजित ब्याज	16.65	25.40
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को लौटाई गई/समायोजित की गई राशि	(13.35)	(42.37)
अंतिम शेष	**24.17**	**20.87**

26. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	कार्मिक हितलाभ के लिए (टिप्पणी 50 देखें):		
	- उपदान	3.70	0.37
	- छुट्टी नकदीकरण	98.50	94.79
	- कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	11.99	10.91
	- बोनस/प्रोत्साहन का प्रावधान	79.54	73.71
	- कार्मिक कल्याण व्यय के लिए प्रावधान	28.20	23.04
(ii)	क्षतिग्रस्ता हानि भत्ता - चुकौती आश्वसन-पत्र एवं गारंटी (टिप्पणी 26.1 देखें)	66.80	98.11
(iii)	अव्ययित सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	149.38	55.62
	कुल प्रावधान	**438.11**	**356.55**

26.1 चुकौती आश्वासन-पत्र और गारंटी पर क्षतिग्रस्ता हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
(i)	प्रारंभिक शेष	98.11	66.12
(ii)	वर्ष के दौरान सृजन	5.60	76.23
(iii)	वर्ष के दौरान रिवर्सल	(36.91)	(44.24)
	अंतिम शेष	**66.80**	**98.11**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

27. अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	अपरिशोधित शुल्क - असंवितरित ऋण परिसंपत्तियां	201.60	187.66
(ii)	विविध देयताएं -(ब्याज पूंजीकरण)	29.07	32.45
(iii)	देय सांविधिक राशि	67.45	93.15
(iv)	सरकारी योजनाओं के निमित्त सरकार से प्राप्त अग्रिम	0.10	1.00
(v)	अन्य	86.57	53.75
	कुल अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	**384.79**	**368.01**

28. इक्विटी शेयर पूंजी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	**अधिकृत पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	11,00,00,00,000	11,000.00	11,00,00,00,000	11,000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	20,00,00,000	200.00	20,00,00,000	200.00
(ख)	**जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
(ग)	**इक्विटी शेयर पूंजी का समाधान**				
	प्रारंभिक इक्विटी शेयर पूंजी	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
	अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
	अंतिम इक्विटी शेयर पूंजी	**2,64,00,81,408**	**2,640.08**	**2,64,00,81,408**	**2,640.08**

28.1 इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

कंपनी ने ₹10 प्रति शेयर के सममूल्य पर इक्विटी शेयर जारी किए थे। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के पात्र हैं।

28.2 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %	शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %
(i)	भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर)	1,47,82,91,778	55.99%	1,47,82,91,778	55.99%
(ii)	एफडीईएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	16,38,70,959	6.21%	22,85,47,160	8.66%
(iii)	भारतीय जीवन बीमा निगम	12,37,62,976	4.69%	13,21,17,474	5.00%

28.3 शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा/प्रतिबद्धता के तहत जारी करने के लिए आरक्षित रिजर्व शेयर, जिसमें शर्तें और राशि शामिल हैं: शून्य

28.4 इक्विटी शेयरों की परिवर्तनीय किसी भी प्रतिभूतियों की शर्तें अवरोही क्रम में रूपांतरण की शुरूआती तारीख के साथ जारी की गई हैं, जो सबसे दूर की तारीख से शुरू होती हैं: शून्य।

28.5 अदत्त मांग राशि (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त मांग राशि का कुल मूल्य दर्शाते हुए): शून्य

28.6 जब्त शेयर (मूलत: प्रदत्त राशि): शून्य

28.7 पूंजी प्रबंधन: टिप्पणी 45 देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

29. अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	पूंजी रिजर्व - सामान्य नियंत्रण (टिप्पणी 29.1 (i) देखें)	(13,114.50)	(13,461.00)
(ii)	प्रतिभूति प्रीमियम (टिप्पणी 29.1 (ii) देखें)	3,606.87	3,953.74
(iii)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा (टिप्पणी 29.1 (iii) देखें)	(883.61)	(806.07)
(iv)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व (टिप्पणी 29.1 (iv) देखें)	12,783.26	9,298.33
(v)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(सी) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व (टिप्पणी 29.1 (v) देखें)	529.39	680.04
(vi)	वित्तीय वर्ष 1996-97 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	599.85	599.85
(vii)	वित्तीय वर्ष 1997-98 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व (टिप्पणी 29.1 (vi) देखें)	39,658.38	35,878.11
(viii)	ब्याज विभेदक रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण (टिप्पणी 29.1 (vii) देखें)	64.97	64.07
(ix)	सामान्य रिजर्व (टिप्पणी 29.1 (viii) देखें)	21,026.85	20,346.81
(x)	प्रतिधारित अर्जन (टिप्पणी 29.1 (ix) देखें)	18,236.28	12,757.10
(xi)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखित के लिए रिजर्व (टिप्पणी 29.1 (x) देखें)	2.12	(74.23)
(xii)	नकदी प्रवाह हेज के प्रभावी हिस्से के लिए रिजर्व (टिप्पणी 29.1 (xi) देखें)	808.03	302.56
(xiii)	हेजिंग रिजर्व की लागत (टिप्पणी 29.1 (xii) देखें)	(1,799.49)	(503.16)
	कुल अन्य इक्विटी	**81,518.41**	**69,036.16**

*अवधि के दौरान संचालन के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण देखें।

29.1 रिजर्व की प्रकृति और उद्देश्य:

(i) पूंजी रिजर्व - सामान्य नियंत्रण

28 मार्च, 2019 को पीएफसी के द्वारा आरईसी लिमिटेड के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, आरईसी लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में पीएफसी की हिस्सेदारी ₹1039.50 करोड़ और भुगतान किए गए प्रतिफल (अधिग्रहण की तारीख को ₹0.50 करोड़ के निवेश सहित) ₹14500.50 करोड़ के बीच के अंतर को पूंजी रिजर्व सामान्य नियंत्रण के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) प्रतिभूति प्रीमियम:

यह इक्विटी शेयरों के निर्गम पर किए गए व्यय के इक्विटी शेयर पूंजी निवल जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

(iii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा:

यह दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण (31.03.2018 तक जुटाया गया) पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा अभिलाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है और संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व:

यह लाभ और हानि खाते में प्रकट वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ के 20% की दर से और किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले अनुरक्षित आय से अंतरण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय रिवर्ज बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रयोजन को छोड़कर रिजर्व निधि से किसी भी विनियोजन की अनुमति नहीं है और इसके अतिरिक्त, ऐसे किसी भी विनियोजन की सूचना आहरण की तारीख से 21 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को दी जानी अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(सी) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व:

इसे पीएफसी और उसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड को आयकर कटौती का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार रखी गई रिजर्व निधि का उपयोग मुख्य रूप से वास्तविक अशोध्य ऋणों या उसके हिस्से के समायोजन के लिए किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(सी) के अनुसार कंपनी और उसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी भी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, जो आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत हो सकता है।

(vi) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड को कर लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इसका रखरखाव किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी और उसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड दीर्घावधि वित्त गतिविधि से प्राप्त लाभ के 20% से अधिक कटौती के लिए पात्र नहीं है, बशर्ते ऐसी राशि विशेष रिजर्व खाते में अंतरित और अनुरक्षित रखी जाए।

(vii) ब्याज विभेदक रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण:

यह ऋण करार के अनुसार केएफडब्ल्यू ऋण पर देय ब्याज और भुगतान किए गए ब्याज के बीच अंतर को दर्शाता है। केएफडब्ल्यू से विदेशी मुद्रा ऋण लेने की शर्तों के अनुसार, ऋण शेष के पुन:विवरण पर विनिमय लाभ/हानि को इस रिजर्व निधि के निमित्त समायोजित किया जाता है। कंपनी को केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण पुनर्भुगतान के बाद रिजर्व में असमायोजित शेष राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं है। केएफडब्ल्यू ऋण की पूरी चुकौती के बाद रिजर्व में किसी भी असमायोजित शेष राशि का उपयोग केएफडब्ल्यू के साथ परामर्श के बाद कंपनी द्वारा आगे ऋण देने के लिए किया जाएगा।

(viii) सामान्य रिजर्व:

सामान्य रिजर्व में लाभांश की घोषणा से पहले समूह के लाभ से विनियोजित राशि शामिल होती है (जैसा कि पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आवश्यक था)। इसमें ऐसे रिजर्व के उपयोग/रिवर्सल पर सांविधिक रिजर्व से हस्तांतरित राशि भी शामिल है। इसके अलावा समूह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व की पूर्ण पात्र कटौती का लाभ उठाने के लिए लाभ को सामान्य रिजर्व में विनियोजित करता है।

(ix) प्रतिधारित अर्जन:

यह अन्य व्यापक आय के लाभ और निर्दिष्ट मदों का प्रतिनिधित्व करता है जो अन्य रिजर्व और लाभांश वितरण से हस्तांतरण के बाद समूह द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में सीधे मान्यता प्राप्त है।

(x) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत के लिए रिजर्व:

समूह की कंपनियों ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को पहचानने के लिए चुना। यह अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन पर सृजित संचयी लाभ और हानि का प्रतिनिधित्व करता है। जब परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है, तो रिजर्व राशि को, अनुरक्षित आय में, न कि लाभ और हानि के समेकित विवरण में, अंतरित कर दिया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

(xi) नकदी प्रवाह हेज के प्रभावी हिस्से के लिए रिजर्व

हेजिंग लिखत का आंतरिक मूल्य जो हेज लेखांकन के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करता है और नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित और योग्य है, इस रिजर्व में मान्यता प्राप्त है। जब हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है तो ऐसे रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशि को लाभ या हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

(xii) हेजिंग रिजर्व की लागत

हेज लिखत के समय मूल्य का उचित मूल्य जो हेज लेखांकन के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करता है और नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित और योग्य है, इस रिजर्व में मान्यता प्राप्त है। ऐसे रिजर्व निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

29.2(i) पीएफसी द्वारा ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर घोषित/प्रस्तावित लाभांश का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	87.50%	8.75	2,310.07	107.50%	10.75	2,838.09
अंतिम लाभांश	45.00%	4.50	1,188.04	12.50%	1.25	330.01
कुल लाभांश	**132.50%**	**13.25**	**3,498.11**	**120.00%**	**12.00**	**3,168.10**

(ii) तुलन-पत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाएं:

निदेशक मंडल ने 27.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 45% की दर से अंतिम लाभांश अर्थात ₹10 प्रत्येक के ₹4.50 प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

(iii) प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के यथालागू प्रावधानों के अनुरूप है।

30. गैर-नियंत्रक ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	24,040.51	20,464.36
(i)	अवधि के लिए निवल लाभ का शेयर	5,289.26	4,753.42
(ii)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुर्नमापन	(2.12)	(2.95)
(iii)	अन्य व्यापक आय/(व्यय) का शेयर	(457.81)	(24.47)
	कुल व्यापक आय का शेयर	**4,829.33**	**4,726.00**
(i)	गैर-नियंत्रक ब्याज के लिए घोषित/प्रस्तावित लाभांश	(1,477.97)	(1,142.15)
(ii)	अन्य	(127.49)	(7.70)
	अवधि के अंत में शेष - इक्विटी शेयरधारकों के निमित्त	**27,264.39**	**24,040.51**
	लिखतों के निमित्त प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी (टिप्पणी 30.2 देखें)	558.40	558.40
	कुल गैर-नियंत्रक ब्याज	**27,822.79**	**24,598.91**

30.1 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने प्रत्येक ₹10 लाख के अंकित मूल्य के स्थायी ऋण लिखत जारी किए थे, जिनकी कोई परिपक्वता नहीं थी और 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य थे। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे (क) जारीकर्ता द्वारा जारी इक्विटी शेयरों के धारकों के दावों से बेहतर और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी क्रेडिटरों के दावों के अधीनस्थ होंगे। यदि 10 वर्षों के बाद कॉल नहीं किया जाता है तो लिखतों में एक स्टेप-अप प्रावधान होता है। कूपन का भुगतान आरईसी लिमिटेड के विवेक पर रद्द या निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जारीकर्ता कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, यदि (i) पूंजी जारीकर्ता की पूंजी से जोखिम संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) ऐसे भुगतान के परिणामों के परिणामस्वरूप जारीकर्ता का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से नीचे या शेष रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में सतत है और कूपन के भुगतान पर समूह के पास कोई मोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इसलिए इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त इस तरह की इक्विटी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल अर्थात पीएफसी लिमिटेड के लिए उत्तरदायी नहीं है इसलिए इसे गैर-नियंत्रित ब्याज के अंतर्गत शामिल किया गया है। आवधिक कूपन भुगतान तदनुसार प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

30.2 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, जारी किए गए पूर्णत: इक्विटी प्रकृति के लिखतों (स्थायी ऋण लिखत) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	बॉण्डों की संख्या	आवंटन की तारीख	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
₹10 लाख प्रत्येक पूर्णत इक्विटी की प्रकृति में पूर्ण प्रदत्त स्थायी ऋण लिखत	7.97%	5,584.00	जनवरी 22, 2021	558.40	558.40

30.3 तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार प्रकृति में पूर्णत स्थायी ऋण लिखतों के 5% से अधिक इक्विटी के लिखत धारक:

शेयरधारक का नाम	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एचवीपीएनएल कार्मिक पेंशन निधि ट्रस्ट	665	11.91%	665	11.91%
एचपीजीसीएल कार्मिक पेंशन निधि ट्रस्ट	500	8.95%	500	8.95%

31. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क	**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	ऋण पर ब्याज	76,195.15	74,731.09
	घटाएं: ऋणकर्ताओं को समय पर भुगतान के लिए छूट	(282.32)	(386.75)
(ii)	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	292.69	339.15
(iii)	निवेश पर ब्याज	207.26	118.96
(iv)	अन्य ब्याज आय	36.22	31.47
ख	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	निवेश पर ब्याज	40.76	47.82
(ii)	अन्य आय	6.17	5.38
	कुल ब्याज आय (क+ख)	**76,495.93**	**74,887.12**

32. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(क)	**एफवीटीओसीआई में अभिहीत इक्विटी निवेश पर लाभांश**		
(i)	वर्ष के अंत में धारित कुल निवेश	102.00	67.56
(ii)	वर्ष के दौरान निवेश की विमान्यता	0.98	1.30
	उप-योग (i+ii)	**102.98**	**68.86**
(I)	**अधिमानी शेयरों पर लाभांश**	0.02	0.00
	कुल लाभांश (क+ख)	**103.00**	**68.86**

33. शुल्क और कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋण पर पूर्व प्रदत्त प्रीमियम	114.19	816.97
(ii)	ऋण पर शुल्क आधारित आय	240.81	228.78
(iii)	भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शुल्क (टिप्पणी 55 देखें)	193.79	23.83
	कुल शुल्क और कमीशन आय	**548.79**	**1,069.58**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

34. अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	सेवाओं की बिक्री (टिप्पणी 6.10 देखें)	420.58	233.29
(ii)	अन्य	-	2.81
	कुल अन्य प्रचालन आय	**420.58**	**236.10**

35. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	1.72	12.49
(ii)	विविध आय	55.17	70.77
	कुल अन्य आय	**56.89**	**83.26**

36. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर		
(i)	**ऋण राशियों पर ब्याज**		
	- सावधि ऋण और अन्य	11,864.45	8,438.29
	- पट्टा देयताओं पर ब्याज (टिप्पणी 51.1 देखें)	1.65	1.75
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	- बॉण्ड/डिबेंचर	31,125.65	32,761.10
	- कमर्शियल पेपर	-	54.73
(iii)	**अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**	1,402.49	1,374.10
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	- ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज	-	1.13
	- आवेदन शुल्क पर ब्याज - बॉण्ड	0.01	0.29
	- सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज	4.66	2.87
	- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज	0.88	2.66
	- अन्य	3.62	5.34
	घटाएं: पूंजीकृत वित्त लागत	(0.03)	(5.10)
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय देयताओं पर		
(v)	**स्वैप प्रीमियम (निवल)**	2,613.40	2,071.62
	कुल वित्त लागत	**47,016.78**	**44,708.78**

37. निवल परिवर्तन/ अंतरण विनिमय हानि/ (अभिलाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	निवल परिवर्तन/ अंतरण विनियम हानि/ (अभिलाभ) के कारण		
(i)	01.04.2018 को या उसके बाद मान्यता प्राप्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (एलटीएफसीएमआई) का परिवर्तन	2,221.75	1,078.42
(ii)	31.03.2018 तक मान्यता प्राप्त एलटीएफसीएफआई पर सृजित विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाते का परिशोधन	867.52	626.21
	कुल निवल परिवर्तन/लेन-देन विनिमय हानि/(अभिलाभ)	**3,089.27**	**1,704.63**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

37.1 समूह की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर नियमानुसार परिवर्तन किया जाता है:

विनिमय दर	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया	82.2169	75.8071
यूरो/भारतीय रुपया	89.6076	84.6599
जेपीवाई/भारतीय रुपया	0.6180	0.6223
एसजीडी/भारतीय रुपया	61.8074	55.9438

38. शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	एजेंसी शुल्क	3.21	3.64
(ii)	गारंटी, सूचीकरण और ट्रस्टीशिप शुल्क	5.37	7.54
(iii)	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	10.73	12.41
(iv)	अन्य वित्त प्रभार	9.04	3.32
	कुल शुल्क और कमीशन व्यय	**28.35**	**26.91**

39. उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर		
(i)	- डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन	(192.57)	(391.14)
(ii)	- निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	81.88	43.13
(iii)	- म्यूचुअल फंड में अधिशेष निधि के अल्पावधि निवेश के उचित मूल्यों में परिवर्तन	(5.18)	(7.99)
	कुल उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)	**(115.87)**	**(356.00)**
	उचित मूल्य परिवर्तन:		
(i)	- प्राप्त	(238.88)	(151.88)
(ii)	- अप्राप्त	123.01	(204.12)
	कुल उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ	**(115.87)**	**(356.00)**

39.1 इस टिप्पणी में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न परिवर्तनों से अन्य हैं।

40. वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क	**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर:**		
(i)	ऋण	(219.87)	5,651.97
(ii)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्तियां	30.91	11.11
(iii)	चुकौती आश्वासन-पत्र	(21.25)	31.99
ख	**लाभ और हानि खाते के माध्यम से मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	बट्टे खाते डाले गए - निवेश	56.66	-
	कुल वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	**(153.55)**	**5,695.07**

40.1 वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता के विवरण के लिए टिप्पणी 46.1 देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

41. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	वेतन और मजदूरी	321.84	296.13
(ii)	भविष्य निधि और अन्य निधियों/योजनाओं में अंशदान	28.72	30.95
(iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	74.39	70.01
(iv)	कार्मिकों के आवासीय मकानों के लिए किराया	13.93	10.23
	कुल कार्मिक हितलाभ व्यय	**438.88**	**407.32**

41.1 टिप्पणी 50 में विभिन्न कार्मिक हितलाभों के लिए गए प्रावधान के संबंध में इंड एएस 19 'कार्मिक हितलाभ' के अनुसार प्रकटीकरण किए गए हैं।

42. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत	9.23	11.66
(ii)	मरम्मत और रखरखाव	28.58	38.11
(iii)	संचार लागत	5.08	5.48
(iv)	मुद्रण और लेखन सामग्री	2.90	2.12
(v)	विज्ञापन और प्रचार	24.65	13.67
(vi)	निदेशकों की फीस, भत्ता और व्यय	0.83	0.40
(vii)	लेखापरीक्षक की फीस और व्यय	2.99	3.10
(viii)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	35.30	21.48
(ix)	बीमा	0.50	0.32
(x)	यात्रा और वाहन	39.52	25.37
(xi)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द होने पर निवल हानि/(अभिलाभ)	9.66	3.88
(xii)	सरकारी योजना मॉनीटरिंग व्यय*	19.04	18.49
(xiii)	सम्मेलन और बैठक व्यय	18.12	9.40
(xiv)	सुरक्षा व्यय	3.63	3.69
(xv)	अन्य व्यय	69.41	96.06
	कुल अन्य व्यय	**269.44**	**253.23**

* इसमें एक सहायक कंपनी से 3 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की असमाशोधित शेष राशि शामिल है।

43. आयकर से संबंधित प्रकटीकरण

43.1 लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	5,119.10	5,501.89
पूर्ववर्ती वर्ष	(198.44)	(40.01)
(क) कुल वर्तमान कर व्यय	4,920.66	5,461.88
आस्थगित कर व्यय/(आय)		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और रिवर्सल	396.82	(847.87)
(ख) कुल आस्थगित कर व्यय/(आय)	**396.82**	**(847.87)**
कुल आयकर व्यय (क+ख)	**5,317.48**	**4,614.01**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

43.2 समेकित अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
वर्तमान कर व्यय/(आय)		
मदें जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन:मापन	(1.45)	(1.75)
(क) कुल वर्तमान कर व्यय/(आय)	**(1.45)**	**(1.75)**
आस्थगित कर व्यय/(आय)		
(ख) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन:मापन	(1.00)	(1.72)
इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	(9.84)	7.03
(ग) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
नकदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ और (हानि) का प्रभावी हिस्सा	234.65	226.52
हेजिंग रिजर्व की लागत	(645.29)	(238.42)
(घ) कुल आस्थगित कर व्यय/(आय) (ख+ग)	**(421.48)**	**(6.59)**
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल कर व्यय/(आय) (क+घ)	**(422.93)**	**(8.34)**

43.3 कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान

कर व्यय और कर-पूर्व लाभ एवं कॉर्पोरेट कर दर के उत्पाद का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कर-पूर्व लाभ	26,499.14	23,382.22
लागू कर दर	25.168%	25.168%
कर लागू कर दर का उपयोग करके	**6,669.30**	**5,884.83**
कर का प्रभाव:		
गैर-कटौतीयोग्य कर व्यय	107.46	139.88
कर मुक्त आय	(3.00)	(2.62)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80एम के तहत कटौती	(439.13)	(609.93)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती	(1,268.07)	(1,114.48)
अन्य	32.93	26.31
पिछले वर्षों से संबंधित कर व्यय	(198.44)	(40.00)
कर दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	(3.98)
उन्मूलन का प्रभाव	416.43	334.00
कुल लाभ और हानि के समेकित विवरण में कर व्यय	**5,317.48**	**4,614.01**

43.4 पीएफसी के संबंध में अग्रेणित कटौती योग्य अस्थायी अंतर/ अप्रयुक्त कर हानि/ अप्रयुक्त कर क्रेडिट

विवरण	31.03.2023 तक (₹ करोड़ में)	समापन तारीख	31.03.2022 तक (₹ करोड़ में)	समापन तारीख
कटौती योग्य अस्थायी अंतर/ अप्रयुक्त कर हानि/ अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है	-	-	1.25	31.03.2024
	-	-	2.54	31.03.2025
	-	-	0.03	31.03.2028
	-	-	0.07	31.03.2029

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

44. इंड एएस 33 प्रति शेयर अर्जन के अनुसार प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
(क)	न्यूमरेटर के रूप में उपयोग की जाने वाली अवधि के लिए लाभ (मूल और तनुकृत) (₹ करोड़ में):		
	(i) जारी प्रचालनों से	15,889.33	14,014.79
	(ii) बंद प्रचालनों से	-	-
	(iii) जारी और बंद प्रचालनों से	15,889.33	14,014.79
(ख)	डिनोमिनेटर के रूप में उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल और तनुकृत)	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
(ग)	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (मूल और तनुकृत), अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक (₹):		
	(i) जारी प्रचालनों के लिए	60.19	53.08
	(ii) बंद प्रचालनों के लिए	-	-
	(iii) जारी और बंद प्रचालनों के लिए	60.19	53.08

45. पूंजी प्रबंधन

समूह अपने जोखिम प्रोफाइल, विनियामक और व्यावसायिक जरूरतों के समर्थन में पर्याप्त पूंजी आधार बनाए रखता है। समूह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से निधि जुटाता है तथा साथ ही विविध पूंजी आधार तैयार करता है और पूंजी लागत को बेहतर से बेहतर करता है। निधि स्रोतों के विवरण के लिए टिप्पणी 22, 23 और 24 तथा इक्विटी के लिए समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरणी देखें।

जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर दिशानिर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार कंपनी और जमा स्वीकार कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश 2016, समय समय पर यथा संशोधित, (यहां आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों के रूप में उल्लिखित) में निहित है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को श्रेणी I और श्रेणी II पूंजी के रूप में एक पूंजी अनुपात बनाए रखना चाहिए जो तुलन-पत्र में अपने जोखिम भारित परिसंपत्तियों और तुलन-पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15% से कम न हो। इसमें टीयर I पूंजी 10% से कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल रिजर्व बैंक के साथ गैर-जमा प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। दोनों कंपनियां नियमित रूप से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूंजी का निर्दिष्ट स्तर बनाए रखने पर नजर रखती हैं। पूंजी पुनर्गठन के संदर्भ में कंपनी और सहायक कंपनी आरईसीएल अन्य बातों के अलावा बोनस शेयर जारी करने, लाभांश वितरण और इक्विटी शेयरों की वापस खरीद इत्यादि के संदर्भ में निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पूंजी पुनर्गठन पर जारी दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन लेती है।

पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) निम्नानुसार है:-

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	पीएफसी	आरईसीएल	पीएफसी	आरईसीएल
सीआरएआर - टीयर I पूंजी	21.61%	22.84%	20.00%	19.58%
सीआरएआर - टीयर II पूंजी	2.76%	2.94%	3.48%	4.03%
कुल सीआरएआर	**24.37%**	**25.78%**	**23.48%**	**23.61%**

* आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार संगणित

लाभांश वितरण नीति

समूह की कंपनियां एक सुस्पष्ट लाभांश वितरण नीति अपनाती है। यह नीति भारत सरकार के दिशानिर्देश, आरबीआई के परिपत्र/दिशानिर्देश, भविष्य की पूंजी व्यय योजनाएं, वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधि एकत्र करने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और समय-समय पर व्यवहार्य लागू कर, यदि कोई हो, सहित विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित करती है।

भारत सरकार के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी कंपनी को, वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत अधिकतम लाभांश के अधीन, कर बाद लाभ का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना है।

हालांकि संबंधित कंपनियां इन दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश घोषित करने का प्रयास करती हैं लेकिन वे निवल मूल्य, पूंजी व्यय/ व्यापार विस्तार जरूरतों; संबंधित कंपनी की सहायक कंपनियों/ सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश; अन्य विनियामक अपेक्षाओं जैसे विभिन्न वित्तीय मानदंडों का विश्लेषण करने के बाद अपेक्षाकृत कम लाभांश का प्रस्ताव कर सकती हैं। वर्ष के दौरान दिए गए/ प्रस्तावित लाभांश के विवरण के लिए टिप्पणी 29.2(i) और 29.2.(ii) देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह के लिए अपने परिचालन माहौल से जुड़े जोखिमों की आशंका बनी रहती है। समूह का प्राथमिक कार्य विद्युत, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस व्यवसाय मॉडल और इसकी वित्तीय लिखतों से जुड़े मुख्य जोखिमों में ऋण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और कीमत जोखिम) आते हैं।

निम्नलिखित तालिका समूह के लिए आशंकित जोखिम स्रोतों और प्रबंधन उपायों तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करती है:-

टिप्पणी जोखिम	आशंका स्रोत	मापन	जोखिम प्रबंधन
46.1 ऋण जोखिम	ऋण, वित्तीय परिसंपत्तियां, निवेश, व्यापार प्राप्य, नकदी और नकदी समतुल्य	समय प्रभाव विश्लेषण	विस्तृत आकलन प्रक्रिया, क्रेडिट सघनता सीमा, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण और सरकारी गारंटी सहित कोलेटरल
46.2 लिक्विडिटी जोखिम	ऋण प्रतिभूतियां, ऋण राशियां, अधीनस्थ देयताएं और अन्य वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह अनुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट सहायता और ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
46.3 बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम	मान्य वित्तीय देयताएं, भारतीय रुपए (आईएनआर) में अंकित नहीं	संवेदनशीलता विश्लेषण, नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	मुद्रा जोखिम हेजिंग के लिए डेरिवेटिव अनुबंध
46.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	ऋण प्रतिभूतियां, ऋण राशियां, अधीनस्थ देयताएं और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर ऋण	ब्याज दर अंतर विश्लेषण, संवेदनशीलता विश्लेषण	विविध ब्याज दर शर्तों, ब्याज दर स्वैप जैसे डेरिवेटिव अनुबंध के साथ ऋण प्रबंधों का तालमेल
46.5 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम	उद्धृत इक्विटी लिखतों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	महत्वपूर्ण निवेशों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए पोर्टफोलियो बदलना

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए समूह की कंपनियों ने एकीकृत व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन तंत्र बनाया है ताकि जोखिमों की सतर्क मॉनीटरिंग और कुशल प्रबंधन हो सके। आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन और दुरूस्त करने के लिए पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल में मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी (सीआरओ) हैं जो जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, नीतियां तथा पहचान, मापन और प्रबंधन की प्रक्रियाएं बाद के पैराग्राफों में दी गई हैं।

46.1 क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम किसी वित्तीय लिखत के प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा न कर पाने की विफलता से समूह को वित्तीय हानि पंहुचाने की आशंका से जुड़ा जोखिम है। उन वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्योरा जिनसे समूह को क्रेडिट जोखिम (सकाल वहनीय राशि) की आशंका है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कम क्रेडिट जोखिम		
नकदी और नकदी समतुल्य[(क)]	127.59	914.24
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल के अतिरिक्त बैंक शेष[(क)]	3,973.43	5,770.26
ऋण (मूलधन बकाया)[(ग)]	7,98,755.96	6,57,482.61
व्यापार प्राप्य[(ख)]	185.69	123.02
निवेश (इक्विटी लिखतों को छोड़कर)[(क)]	3,772.30	2,138.59
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां[(ख)]	29,835.07	29,820.35
साधारण ऋण जोखिम		
ऋण (मूलधन बकाया)[(ग)]	27,350.31	62,938.57

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
व्यापार प्राप्य[ख]	37.62	30.97
उच्च ऋण जोखिम		
निवेश (इक्विटी निवेश को छोड़कर)[क]	101.67	101.67
ऋण (मूलधन बकाया)[ग]	31,393.73	38,075.17
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां[ख]	113.59	115.97
व्यापार प्राप्य[ख]	66.81	63.32

[क] नकदी और नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि ये विविध जमा आधार के साथ देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, उच्च रेटेड निजी क्षेत्र बैंकों म्यूचुअल फंड हाउस के साथ होते हैं। ग्रुप की कंपनियां संबंधित बैंकों/म्यूचुअल फंड हाउस के साथ विभिन्न प्रकार की लिखतों में निधि लगाकर जमा आधार व्यापक करती है।

निवेश पर क्रेडिट जोखिम प्रबंधन निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण, निवेशों पर मॉनीटरिंग और वहनीय मूल्य तय करने के लिए उचित मूल्यांकन तकनीक अपनाकर किया जाता है।

[ख] व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम को ऋणकर्ता की ऋणपात्रता का आकलन कर कम किया जाता है और इसका प्रबंधन इन राशियों की वसूली स्थिति पर मॉनीटरिंग रखकर किया जाता है। ग्रुप ऐसे व्यापार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता रखता है।

[ग] ग्रुप को मुख्य रूप से ऋण जोखिम की आशंका अपने ऋण प्रचालन के कारण होती है। नीचे के पैराग्राफ (टिप्पणी 46.1.1 - टिप्पणी 46.1.13) में इसे स्पष्ट किया गया है।

46.1.1 ऋण प्रचालनों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन उपाय

क. पीएफसी के संदर्भ में

पीएफसी ने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतियां और प्रक्रियाएं अपनायी हैं, जिनमें ऋण नीति तय करना, पीएफसी को क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर की ओर जाने से रोकने के लिए मार्गदर्शन देना, क्रेडिट जोखिम की समीक्षा और वस्तुगत आकलन तथा पोर्टफोलियो के कार्य-निष्पादन और प्रबंधन पर मॉनीटरिंग रखना शामिल है। कंपनी की सभी कार्य-प्रणालियां और प्रक्रियाएं आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित हैं।

क्रेडिट प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में दो प्रमुख क्षेत्र आते हैं - परियोजना मूल्यांकन और परियोजना मॉनीटरिंग। पीएफसी अपनी अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार ऋणकर्ताओं का चयन करता है जो अन्य बातों के अलावा ऋण लेने वालों/परियोजना की रेटिंग के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को स्पष्ट करती है। ग्राहकों को चुनने की पीएफसी की प्रक्रिया, अपनी प्रमोटिंग यूनिट के साथ परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करती है। ब्याज दर और अधिकतम स्वीकार्य एक्सपोजर, अन्य बातों के अतिरिक्त पीएफसी द्वारा प्रदत्त आंतरिक रेटिंग पर आधारित होता है।

(i) परियोजनाओं का मूल्यांकन

पीएफसी किसी भी परियोजना का वित्तपोषण करने से पहले क्रेडिट जोखिम के आकलन के लिए एक प्रणालीबद्ध, संस्थागत परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाता है।

(क) निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दो चरणों की मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सबसे पहले परियोजना की पहली नजर में तैयारियों के निर्णय के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद इस मूल्यांकन के आधार पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा चुनी गई परियोजनाओं के लिए विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है।

पीएफसी परियोजना की व्यावहार्यता के मूल्यांकन के साथ इक्विटी अंशदान और परियोजना पूरा करने की प्रमोटर की सामर्थ्य का भी आकलन करता है। पीएफसी एक एकीकृत रेटिंग विधि अपनाता है, जिसमें एकीकृत रेटिंग (आईआर) की संगणना परियोजना ग्रेडिंग और प्रमोटर ग्रेडिंग के भारित औसत अंकों के आधार पर की जाती है। परियोजना के आईआर के आधार पर निबंधन एवं शर्तें (सुरक्षा पैकेज, ब्याज दर और ऋण इक्विटी अनुपात सहित) तय की जाती हैं।

(ख) राज्य क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन

राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं का विस्तृत मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि ये तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत, तथा राज्य की एकीकृत विद्युत विकास और विस्तार योजनाओं के अनुरूप हैं या नहीं।

पीएफसी राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन और पारेषण संस्थाओं को संचालनगत और वित्तीय कार्य-निष्पादन के विशिष्ट मापदंडों पर संस्थाओं के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न रेटिंग ग्रेडों में वर्गीकृत करता है। पारेषण संस्थाओं के संदर्भ में पीएफसी अपनी नीति के अनुरूप

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

सहायक कंपनी आरईसीएल का वर्गीकरण करता है। एकीकृत संस्थाओं सहित राज्य विद्युत वितरण संस्थाओं के संदर्भ में पीएफसी की वर्गीकरण नीति इस प्रकार की रेटिंग/ग्रेडिंग को पीएफसी की रेटिंग संरचना से मिलाने की विद्युत मंत्रालय की एकीकृत नीति अपनाने का प्रावधान करती है।

इस प्रकार की श्रेणियों/रेटिंग का उपयोग क्रेडिट एक्सपोजर सीमा का पता लगाने, प्रतिभूति जरूरतों और राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋण का मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पीएफसी एकल ऋणकर्ताओं के एक्सपोजर और राज्य क्षेत्र के भीतर के एक्सपोजर पर नजर रखने की व्यवस्था भी लागू करता है।

विस्तृत परियोजना मूल्यांकन में परियोजना इनपुट, सांविधिक और गैर-सांविधिक संस्वीकृतियां, अनुबंध, परियोजना संपर्क, वित्तीय मॉडलिंग/प्रोजेक्शन, रिटर्न की संगणना, संवेदनशीलता विश्लेषण जैसे विभिन्न पक्षों को लेते हुए तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन शामिल हैं।

इस प्रकार के विस्तृत विश्लेषण के बाद परियोजना और एंटिटी की समग्र व्यावहार्यता का आकलन किया जाता है और पूर्व प्रतिबद्धता, पूर्व संवितरण के रूप में विभिन्न शर्तों और अन्य स्थितियों का निर्धारण किया जाता है ताकि परियोजना से संबंधित निधियों (इक्विटी और ऋण दोनों) को साथ करने, सभी भौतिक इनपुट, समग्र अनुबंधों की उपयुक्तता, संधियों/ अनुबंधों/ सांविधिक और गैर-सांविधिक स्वीकृतियों में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, सामान्य रूप से परियोजना की बैंक स्वीकार्यता तथा समय से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक ऋणदाता के रूप में पीएफसी के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। पीएफसी के पास ऋण के आकार के अनुरूप ऋण सुविधाओं के अनुमोदन के लिए प्राधिकृति/प्रतिनिधित्व तंत्र है।

(ii) **प्रतिभूति और प्रसंविदाएं**

पीएफसी परियोजना के निर्माण और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बाद के चरण के दौरान सुरक्षा उपायों/संविदाओं का एक पैकेज निर्धारित करता है। परियोजना की जोखिम आशंका और मूल्यांकन के आधार पर पीएफसी संयुक्त रूप से ये उपाय अपनाता है:

क) प्राथमिक प्रतिभूति - परियोजना परिसंपत्तियों या राज्य सरकार की गारंटियों पर प्रभार

ख) कोलेटरल प्रतिभूतियां - कॉर्पोरेट गारंटी, प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी, शेयर को प्लेज करना, परिसंपत्ति प्रभार/ समूह/ अन्य कंपनियों का राजस्व।

ग) भुगतान सुरक्षा तंत्र - एस्क्रो खाता/लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रस्ट एंड रिटेंशन खाता (टीआरए)

घ) अन्य प्रसंविदाएं - कंपनी के पक्ष में सभी परियोजना अनुबंध, दस्तावेज, बीमा पॉलिसी सुपुर्द करना, अग्रिम इक्विटी आवश्यकता, ऋण चुकौती आरक्षित खाता (डीएसआरए), ऋण इक्विटी अनुपात, शेयरधारक करार, वित्तीय समापन इत्यादि।

(iii) **परियोजना की मॉनीटरिंग**

पीएफसी के पास व्यापक परियोजना/ऋण मॉनीटरिंग दिशानिर्देश हैं जो मॉनिटरिंग, परियोजना निर्माण पर नजर, कार्यान्वयन, जोखिमों की पहचान जहां समय/ लागत आधिक्य/ संवितरण में चूक को कम करने के लिए हस्तक्षेप जरूरी हो और आरंभ परियोजनाओं की प्रगति जैसे पक्षों को कवर करते हैं।

राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, प्रगति रिपोर्ट, स्थल निरीक्षण दौरे, ऋणकर्ताओं से बातचीत और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/रिपोर्ट के माध्यम से ऋणकर्ताओं से नियमित प्राप्त होने वाली परियोजना प्रगति रिपोर्ट के आधार पर की जाती है।

निजी क्षेत्र के लिए, जहां पीएफसी एक अग्रणी वित्तीय संस्थान (एफआई) है, पीएफसी ऋणदाताओं के इंजीनियर (एलई) और वित्तीय सलाहकारों (एलएफए) की सेवाएं लेता है, जो विभिन्न ऋणदाता/संकाय सदस्यों की ओर से काम करने वाली स्वतंत्र एजेंसियां हैं। एलई समय समय पर स्थल दौरा, संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा, ऋणकर्ताओं से विचार विमर्श करते है और परियोजनाओं की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। एलएफए परियोजना में निधि प्रवाह और निधि उपयोग से संबंधित विवरणी दायर करते हैं। उन मामलों में जहां पीएफसी प्रमुख वित्तीय संस्थान नहीं है, वहां एलई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्य संबंधित प्रमुख ऋणदाता के साथ समन्वित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से पीएफसी ने, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, एकल एंटिटी के रूप में परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को सूचीबद्ध करना शुरू किया है जिससे परियोजना मॉनीटरिंग गतिविधियों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा, कुछ परियोजनाओं की समेकित सावधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण/विषय शामिल होते हैं जैसे चिंता उत्पन्न करने वाले क्षेत्र, विलंब के कारण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दे इत्यादि, और पीएफसी नियमित आधार पर इसकी समीक्षा करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

पीएफसी विलंब और/या ऋणकर्ताओं की चूक और वसूली क्षमताओं पर लगातार मॉनीटरिंग रखता है। ऋणकर्ता के खाते में कोई डिफॉल्ट होने पर तुरंत आवश्यक उपाय करता है जिसमें रिजर्व बैंक को विशेष उल्लेख खाता रिपोर्टिंग, बड़े ऋणों पर केंद्रीय सूचना संग्रह (सीआरआईएलसी) को रिपोर्टिंग, सभी बकायों की वसूली से खातों का नियमितिकरण, बकाए की वसूली के लिए गारंटी/प्रतिभूतियों को आंमत्रित करना, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में बदलने, ऋण खाते का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तय करना, स्वामित्व में बदलाव, आईबीसी 2016 के तहत कॉर्पोरेट ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी), अन्य कंपनियों, निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री, मामले को कानूनी कार्रवाई के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), एसएआरएफएईएसआई इत्यादि को सौंपना, तथा विनियामक/ कानूनी रूपरेखा के तहत अन्य कार्रवाई करना शामिल है।

ख. आरईसीएल के संबंध में

क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण बाद मॉनीटरिंग सहित विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। आरईसीएल के पास एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश और व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है। क्रेडिट जोखिम कम करने के उद्देश्य से जोखिम के आकलन के लिए आरईसीएल प्रणालीबद्ध संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाता है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन विधि, जोखिम पहचान तथा समुचित संरचना और ऋण जोखिम कम करने के उपाय शामिल हैं। इसके अलावा सावधिक आधार पर ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और इन्हें ईसीएल विधि के आधार पर उच्च/ सामान्य/ निम्न के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) आरईसीएल एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश अपनाता है जिसके कार्यक्षेत्र में क्रेडिट आकलन, जोखिम ग्रेडिंग, कोलेटरल आवश्यकता, रिपोर्टिंग, निधियों के समग्र उपयोग पर मॉनीटरिंग इत्यादि आते हैं। इसके अलावा, प्रभावी दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने और कानूनी जोखिम रोकने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता विधि परामर्शदाता की सेवाएं ली जाती हैं।

(ii) निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा परियोजनाओं के लिए, जहां आरईसीएल अग्रणी वित्तीय संस्थान है, ऋणदाताओं के स्वतंत्र इंजीनियर (एलआईए), ऋणदाता वित्तीय परामर्शदाता (एलएफए) और ऋणदाता बीमा परामर्शदाता (एलआईए) की सेवाएं ली जाती हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां है तथा विभिन्न ऋणदाताओं और संकाय सदस्यों की ओर से काम करती हैं। एलई समय समय पर स्थल दौरा, संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा, ऋणकर्ताओं से विचार-विमर्श करते है और परियोजनाओं की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। एलएफए परियोजना में निधि प्रवाह और निधि उपयोग से संबंधित विवरणी सौंपते हैं। उन मामलों में जहां पीएफसी प्रमुख वित्तीय संस्थान नहीं है, वहां एलई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्य संबंधित प्रमुख ऋणदाता के साथ समन्वित किए जा रहे हैं।

आरईसीएल वित्तपोषण दी जा रही परियोजनाओं के लिए एक पृथक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करता है जिसमें एजेंसियों के बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के सभी कार्य शामिल होते हैं। पीएमए परियोजना स्थल पर ही रहती है ताकि परियोजना प्रगति, ईपीसी और गैर ईपीसी अनुबंधों और इनवॉयसों की समीक्षा, निधि उपयोग और परियोजना बीमा सहित प्रतिदिन की परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों पर निकटता से मॉनीटरिंग रखी जा सके। पीएमए वास्तविक उपकरण विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता, कार्य संविदाकार के बिलों का सत्यापन भी करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश देता है। पीएमए मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडो की शुचिता को ध्यान में रखते हुए आरंभ से ही पर्याप्त सतर्कता और तत्परता बरतता है।

दबावग्रस्त परियोजनाओं की टीआरए (ट्रस्ट और प्रतिधारण खाते) की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए आरईसी/ ऋणदाताओं द्वारा अलग-अलग मामलों के आधार पर विशेष मॉनीटरिंग/ नकदी प्रवाह मॉनीटरिंग एजेंसियों के लिए लेखापरीक्षकों/ एजेंसियों की नियुक्ति की जा रही है।

(iii) आरईसीएल ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीकरण के लिए एक प्राधिकृत रूपरेखा अपनाता है। प्राधिकार की सीमाएं निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएमडी/ कार्यकारी समिति/ ऋण समिति/ निदेशक मंडल में प्रस्तावित व्यवसाय प्रस्ताव के आकार के अनुरूप तय की जाती हैं।

(iv) आरईसीएल ने समुचित ब्याज दर और प्रतिभूति पैकेज प्रभारित कर, डिफॉल्ट जोखिम की डिग्री के अनुसार अपने एक्सपोजर को श्रेणीकृत करने के लिए जोखिम ग्रेडिंग रूपरेखा विकसित की है।

(v) जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड को, समुचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए ऋण पोर्टफोलियों की ऋण गुणवत्ता पर नियमित रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) व्यवसाय इकाइयों द्वारा अपनाए जा रहे दिशानिर्देश, नीति और मौजूदा प्रचलन की समीक्षा और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से आरईसीएल में सर्वोत्तम अभ्यासों को बढ़ावा देने का विशिष्ट कौशल उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियों की नियुक्ति की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(vii) संबंधित व्यवसाय यूनिट द्वारा ऋणकर्ता को सुविधाओं की प्रतिबद्धता से पहले, निर्धारित सीमा के प्रति व्यक्तिगत और समूह ऋण एक्सपोजर का आकलन किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं का अनुमोदन इसी समीक्षा के अधीन है।

(viii) आरईसीएल ऋण भुगतान में विलंब और/या ऋणकर्ताओं और अन्य प्रतिपक्षों के डिफॉल्ट और उनकी वसूली पात्रता पर लगातार नजर रखता है। ऋणकर्ता के खाते में डिफॉल्ट होने पर आरईसीएल इसे सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई करता है जिसमें बकाए की वसूली के लिए गारंटी/प्रतिभूतियां आमंत्रित करने सहित आरबीआई को विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) रिपोर्ट, बड़े ऋणों के केंद्रीय सूचना संग्रह (सीआरआईएलसी) को ऋण संबंधी जानकारी की, टीआरए खाते की मॉनीटरिंग, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में बदलना, ऋण खाते का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान प्रक्रिया तय करना, स्वामित्व में बदलाव, कॉर्पोरेट ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी), अन्य कंपनियों/निवेशकों को एक्सपोजर का विक्रय और अन्य वसूली तंत्र कार्यान्वित करने जैसी कार्रवाई शामिल है।

46.1.2 क्रेडिट जोखिम मापन - ऋण प्रचालन के लिए क्षतिग्रस्तता आकलन

क्षतिग्रस्तता मापन के लिए, इंड एएस 109 आरंभिक मान्यीकरण के बाद से क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर तीन स्तरों का मॉडल प्रस्तुत करता है:-

- ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति चरण-1 में वर्गीकृत की जाती है जो आरंभिक मान्यीकरण पर ऋण क्षतिग्रस्त नहीं है।
- यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) होती है तो वित्तीय परिसंपत्ति को चरण-2 में रख दिया जाता है।
- यदि वित्तीय परिसंपत्ति ऋण क्षतिग्रस्त हो चुकी है तो उसे चरण-3 में रख दिया जाता है।

क. पीएफसी के संदर्भ में

पीएफसी क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते को उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल उपयोग के अनुसार मान्य करती है जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मान्य नहीं किया गया है।

I. **डिफॉल्ट:** इंड एएस 109 के अनुसार पीएफसी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डिफॉल्ट में रखे जाने के लिए विखंडित पूर्वानुमानों पर विचार करता है, जैसे कि जब किसी ऋण खाते के अनुबंधगत भुगतान में 90 दिन से अधिक का बकाया हो जाये तो ऋण क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियां डिफॉल्ट की परिभाषा में आ जाती हैं।

II. **एसआईसीआर:** आरंभिक मान्यीकरण के बाद से ऋण जोखिम में बढ़ोतरी हुई है या नहीं, इसका आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय लिखत के शेष जीवनकाल पर डिफॉल्ट जोखिम में बदलाव पर विचार करते हुए किया जाता है। पीएफसी ने इंड एएस 109 के अनुसार खंडनयोग्य पूर्वानुमान लागू किया है जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के निर्धारण के लिए मापदंड के रूप में 30 दिन से अधिक के बकाए पर विचार करता है।

    चरण 3 की वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, समाधान योजना (स्वामित्व में परिवर्तन और/या एनसीएलटी के माध्यम से समाधान को छोड़कर) लागू करने के बाद वित्तीय परिसंपत्ति अपग्रेड कर दी जाती है और प्रक्रिया लागू होने की तिथि से दो तिमाही के लिए चरण 2 के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

III. अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

पीएफसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का मान्यीकरण बोर्ड से अनुमोदित अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) नीति के अनुसार करता है। ईसीएल का मापन या तो 12 महीने या जीवनकाल के आधार पर किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आरंभिक मान्यीकरण के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), हानि प्रदत्त डिफॉल्ट (एलजीडी) और डिफॉल्ट एक्सपोजर का प्रतिफल है। पीएफसी ने इंड 109 के अनुरूप ईसीएल के आकलन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र एजेंसी - क्रिसिल लिमिटेड की नियुक्ति की है। ईसीएल की संगणना की संक्षिप्त विधि निम्नानुसार है:

(i) डिफॉल्ट की संभावना (पीडी)

पीडी एक निर्दिष्ट समयावधि में डिफॉल्ट की संभावना का अनुमान है। समय के किसी बिंदु पर इसका अनुमान किया जाता है। 12 महीने के पीडी के आकलन के लिए, अगले 12 महीनों में ऋण डिफॉल्ट की संभावना निश्चित की जाती है और इसी प्रकार जीवनकाल की पीडी के आकलन के लिए शेष जीवनकाल पर ऋण डिफॉल्ट की संभावना का पता लगाया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

चरण 1 के लेखों के लिए 12 महीने की पीडी का उपयोग किया जाता है।

चरण 2 (क्रेडिट जोखिम लेखों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी) के लिए जीवनकाल की पीडी का उपयोग होता है। चरण 3 (क्रेडिट क्षतिग्रस्त लेखे) के लिए 100% पीडी ली जाती है।

12 महीने की पीडी: राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के संदर्भ में, पीडी की संगणना के लिए, कंपनियों की जोखिम रेटिंग ग्रेड पर विचार किया जाता है। उत्पादन कंपनियों/पारेषण कंपनियों और अन्य के लिए पीएफसी की आंतरिक रेटिंग ग्रेड पर विचार किया जाता है। वितरण कंपनियों/विद्युत विभाग के ऋणकर्ताओं के लिए पीएफसी ने विद्युत मंत्रालय की रेटिंग अपनायी है। उपर्युक्त रेटिंग को मानक बाह्य रेटिंग बेंचमार्क के साथ मापा गया है। पीडी संगणना के लिए विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा जारी पीडी बदलाव मैट्रिक्स मे दी गई मापित बाह्य रेटिंग के साथ जुड़ा पीडी फैक्टर इस्तेमाल किया गया है।

निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा जारी पीडी बदलाव मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए पीडी संगणना के लिए नवीनतम बाह्य रेटिंग उल्लिखित की गई है। यदि बाह्य रेटिंग उपलब्ध नहीं है, तो पीडी को 10-प्वायंट स्केल पर प्रॉक्सी रिस्क स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से संगणित किया जाता है, जिसमें स्केल का 1 न्यूनतम जोखिम और 10 अधिकतम जोखिम का संकेत करता है। यह मॉडल कंपनी की गियरिंग अर्थात (ऋण/इक्विटी) अनुपात, लगायी गई पूंजी पर रिटर्न, ब्याज कवरेज अनुपात, ईबीआईटीडी पर ऋण अनुपात जैसे मात्रात्मक कारकों तथा पीएलएफ, एसीएस/एआरआर अनुपात या अंतिम जोखिम स्कोर तक आने के लिए एलएएफ जैसे गुणात्मक कारकों का इस्तेमाल करता है। प्राप्त वित्तीय जोखिम स्कोर बाह्य रेटिंग बेंचमार्क पर मापित किया गया है। इस मापित रेटिंग को रेटिंग से जुड़े पीडी की संगणना के लिए विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा जारी पीडी बदलाव मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उल्लिखित किया गया है।

जीवनकाल पर पीडी के लिए: रेटिंग ग्रेड के जीवनकाल पीडी की संगणना के लिए मार्कोव चेन मॉडल प्रयुक्त किया गया है।

(ii) लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी)

एलजीडी वह हानि कारक है जिसका सामना कंपनी को डिफॉल्ट होने की स्थिति में करना पड़ सकता है।

राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए, पीएफसी, कंपनियों के एलजीडी का अनुमान करते समय विभिन्न मापदंडो पर सरकारों की ऋण पात्रता पर विचार करती है। ऋण पात्रता के अनुमान के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, वित्तीय घाटा/जीडीपी अनुपात और ऊर्जा क्षेत्र पर राजस्व व्यय अनुपात इत्यादि जैसे मापदंड प्रमुख इनपुट के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को राज्य श्रेणी के आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणी में बांटा जाता है।

निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में संयंत्र के मान्य मूल्य तक पंहुचने के लिए एलजीडी का आकलन परियोजना से संबंधित कारकों, जैसे उत्पादन क्षमता, प्रति मेगावाट परियोजना लागत, संयंत्र का पूर्णता प्रतिशत और परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य इत्यादि पर विचार करते हुए किया गया है। मान्य मूल्य तक पंहुचने के लिए बाजार मूल्य से कम मूल्य अर्थात हेयर कट के रूप में दबाव कारक भी लागू किया गया।

चरण 3 के ऋणकर्ताओं के लिए, एलजीडी का आकलन नीलामी मूल्य/ समाधान योजना राशि/ ओटीएस राशि/ कोई अन्य मूल्य/रियायती नकदी प्रवाह इत्यादि, जैसा भी व्यवहार्य हो, के आधार पर परियोजना-वार किया गया है।

(iii) डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी)

डिफॉल्ट पर एक्सपोजर बकाया एक्सपोजर है जिस पर ईसीएल की संगणना की जाती है। ऋण के संदर्भ में ईएडी में बकाया मूलधन और प्रोद्भूत ब्याज (विलंब प्रभार सहित) शामिल है। टिप्पणी संख्या 7.1.(ii) के अनुसार ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों पर आय प्राप्त होने पर या प्रोद्भूत आधार पर मान्य की जाती है जब अनुमानित मान्यीकरण बकाया ऋण राशि से अधिक हो, इसलिए इसे डिफॉल्ट पर एक्सपोजर की संगणना में प्रयुक्त नहीं किया जाता।

(iv) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं

- पीएफसी आरंभिक मान्यीकरण तिथि को आधार तिथि मानता है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

- चूंकि पीएफसी के पास अपने किसी भी ऋणदाता के लिए स्वीकृत लेकिन अनाहरित सीमा निरस्त करने का अधिकार है, इसलिए रिपोर्टिंग तिथि पर ईएडी ऋण का बकाया शेष और ब्याज माना जाता है।

(v) जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का आकलन और ईसीएल की संगणना दोनों में आगे की सूचना निहित है। इसके अतिरिक्त ईसीएल आकलन में कंपनी की मदद के लिए नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी भी ऋणकर्ता को सौंपे जाने वाले हानि भत्ते के निर्धारण आगे की जानकारी पर विचार करती है। इसके लिए संचालनगत विभिन्न मापदंडों, परियोजना वित्तीय अनुपातों, परियोजना पूरी होने की समयावधि में विस्तार तथा दबावग्रस्त और अनुकूल आर्थिक स्थितियों की संभावना पर भी विचार किया जाता है। इनके अलावा कंपनियों का सटीक जोखिम आकलन दर्शाने के लिए ईसीएल संगणना के उद्देश्य से आधार पीडी संरचना के भारित शॉक फैक्टर तक पंहुचने के लिए स्वंतत्र एजेंसी ने कुछ अतिरिक्त व्यापक आर्थिक मापदंड जैसे आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) वर्ष-दर-वर्ष विद्युत वृद्धि दर, वर्ष-दर-वर्ष मुद्रा आपूर्ति वृद्धि दर जोड़ें हैं।

ख. आरईसीएल के संदर्भ में

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार इंड एएस 109 के अनुरूप उपलब्ध कराया जाता है, जो ऋण गुणवत्ता में सुधार/ह्रास के आकलन के लिए प्रमुख वित्तीय और संचालनगत मापदंडों के आधार पर ऋण जोखिम का मापन करता है। मॉडल आउटपुट पर प्रबंधन का कवर, यदि हो, लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत प्रलेखित और अनुमोदित किया जाता है। अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी आसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

I. आरईसीएल के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विद्युत कंपनियों की ग्रेडिंग के लिए आंतरिक प्रणाली है। हालांकि सरकारी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए आरईसीएल विद्युत मंत्रालय की रेटिंग अपनाता है, जब वे अद्यतन की जाती हैं। इन रेटिंग को रेटिंग बदलाव मैट्रिक्स के तहत विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी बाह्य रेटिंग ग्रेड के साथ मापा जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए आरईसीएल विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी बाह्य रेटिंग का उपयोग करता है, या इन रेटिंग के उपलब्ध नहीं होने पर प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का उपयोग किया जाता है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखता है:

मात्रात्मक कारक

- ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भारांक)
- निवेशित पूंजी पर रिटर्न (15% भारांक)
- ब्याज कवरेज (25% भारांक)
- गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% भारांक)

गुणात्मक कारक

- तिमाही-वार प्रचालनगत मापदंड जैसे पीपीए, पीएलएफ, एसीएस-एआरआर अंतर, और एलएएफ
- वास्तविक डिफॉल्ट तिथियां
- परियोजना की स्थिति

II. क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर)

आरईसीएल किसी वित्तीय लिखत के क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि तब मानता है जब इसके अनुबंधगत भुगतान में 30 दिन से अधिक का बकाया हो जाए।

III. डिफॉल्ट की परिभाषा और ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां

आरईसीएल एक वित्तीय लिखत को डिफॉल्ट में तब मानता है जब वह पूरी तरह ऋण क्षतिग्रस्त की परिभाषा में आता हो, जब ऋण खाते के अनुबंधगत भुगतान में या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुरूप आरईसीएल द्वारा दी गई समय अनुमति पर 90 दिन से अधिक का बकाया हो।

IV. ईसीएल का मापन - इनपुट, मान्यताओं और अनुमान तकनीकों का स्पष्टीकरण

अनुमानित ऋण हानियां डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), डिफॉल्ट एक्सपोजर (ईडी) और लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) का प्रतिफल है, जो निमनुसार परिभाषित है:

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

- पीडी ऋणकर्ता अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल के दौरान अपने दायित्वों से चूक की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी मूल बकाया, प्रोद्भूत ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट सहित उन राशियों का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आरईसीएल को डिफॉल्ट के समय बकाया रह जाने की संभावना है।
- एलजीडी प्रदत्त हानि के आरईसीएल के अनुमान को व्यक्त करता है जो डिफॉल्ट के कारण हुई है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त की जाती है और यह डिफॉल्ट की स्थिति में वसूली बाद वास्तविक रूप से होने वाली हानि राशि का अनुपात दर्शाती है।

V. डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) का निर्धारण

आरईसीएल ने वार्षिक बदलाव मैट्रिक्स पर आधारित पीडी तक पंहुचने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा जारी उपलब्ध वार्षिक रेटिंग बदलाव मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। इस वार्षिक बदलाव मैट्रिक्स का बहिर्वेशन ऋण अवधि/परिपक्वता प्रोफाइल जैसे जीवनकाल पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की जीवनकाल डिफॉल्ट संभावना तक पंहुचने के लिए किया गया। हालांकि सरकारी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए आरईसीएल विद्युत मंत्रालय की रेटिंग अपनाता है, जब वे अद्यतन की जाती हैं।

VI. लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) संगणना मॉडल

पूर्व रुझानों, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर आरईसीएल ने एक एलजीडी मॉडल निर्मित किया है। इस मॉडल में समीक्षित कारकों मे प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए स्थिति, एफएसए स्थिति इत्यादि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर आरईसीएल ने इन कारकों को निजी क्षेत्र में तापीय, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के संदर्भ में एलजीडी तक पंहुचने के लिए समाधान प्रक्रिया के परिणाम के मूल्यांकन सहित समुचित मान्यताओं का उपयोग करते हुए परिसंपत्तियों के मान्यीकरण योग्य मूल्य तक पंहुचा गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आरईसीएल ने सरकारी समर्थन पर ध्यान रखा और यह भरोसा किया कि राज्य/केंद्र सरकार पहले की तरह सरकारी कंपनियों के ऋण दायित्व की पूर्ति के लिए उपाय करेंगी।

VII. चरण 3 परिसंपत्तियों के संदर्भ में एलजीडी संगणना

चरण 3 परिसंपत्तियां जिसमें आरईसीएल और पीएफसी (ग्रुप कंपनियां) चरण 3 की ऋण परिसंपत्तियों के लिए कांसोर्शियम में हैं, आरसीईएल इन आधारों पर एलजीडी पर विचार करता है:

क) ऐसे मामलों में जहां आरईसीएल या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता हैं, वहां अग्रणी ऋणदाता द्वारा संगणित एलजीडी प्रतिशत लिया जाता है।

ख) ऐसे मामलों में जहां न तो आरईसीएल और न ही पीएफसी प्रमुख ऋणदाता हैं, वहां आरईसीएल और पीएफसी के एलजीडी प्रतिशत में से उच्चतर को लिया जाता है।

VIII. ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं

क) आरईसीएल आरंभिक मान्यीकरण तिथि को आधार तिथि मानता है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।

ख) ईएडी मूलधन बकाया, प्रोद्भूत ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट जिसका आरईसीएल को डिफॉल्ट के समय बकाया रहने का अनुमान है, सहित राशियों का प्रतिनिधित्व करता है।

IX. कोलेटरल और अन्य क्रेडिट आधिक्य

आरईसीएल क्रेडिट जोखिम में कमी के लिए अनेक नीतियां और उपाय लागू करता है। इनमें सबसे आम उपाय है संवितरित निधि के लिए कोलेटरल स्वीकार करना। आरईसीएल के पास कोलेटरल की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता या क्रेडिट जोखिम में कमी के लिए आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य कोलेटरल प्रकार निम्नानुसार हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति की हाइपोथीकेशन
- परियोजना अनुबंध दस्तावेज का कार्य
- लिखत प्लेज जिसके माध्यम से परियोजना में प्रमोटरों का निवेश हो सके
- प्रमोटर शेयरधारिता प्लेज
- कॉर्पोरेट और प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46.1.3 ऋण प्रचालन एक्सपोजर के लिए क्रेडिट जोखिम विश्लेषण

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

तुलन-पत्र में मान्य ऋणों के लिए, सकल क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर उनकी वहनीय राशि के बराबर है। ऋणों से होने वाले ग्रुप के क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 12 'ऋण' देखें।

जारी की गई वित्तीय गारंटी के लिए, क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर वह अधिकतम राशि है जो गारंटी वापस मांगे जाने पर समूह को भुगतान करना होगा। अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिबद्धताओं के लिए, क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम प्रतिबद्धता सुविधाओं की पूरी राशि है। गारंटी और बकाया संवितरण प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 52 देखें।

क. पीएफसी के मामले में

पिछले देय दिनों और वर्ष के अंतिम चरण में ऋणों के वर्गीकरण के आधार पर क्रेडिट गुणवत्ता और क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम एक्सपोजर (मूलधन बकाया) नीचे सारणीबद्ध है:

(₹ करोड़ में)

देय होने के उपरांत बीते दिन	31.03.2023 तक				31.03.2022 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
कोई बकाया नहीं	3,89,559.28	674.51#	-	3,90,233.79	3,20,384.30	594.09*	-	3,20,978.39
1-30 दिन	0.07		-	0.07	5,320.69	-	-	5,320.69
31-60 दिन	-	-	-	-	-	2,190.12	-	2,190.12
61-90 दिन	-	15,111.70	-	15,111.70	-	21,477.77	-	21,477.77
90 दिन से अधिक	-	650.51@	16,501.65	17,152.16	-	2,252.36@	20,915.28	23,167.64
कुल	**3,89,559.35**	**16,436.72**	**16,501.65**	**4,22,497.73**	**3,25,704.99**	**26,514.34**	**20,915.28**	**3,73,134.61**

#स्वामित्व का हस्तांतरण लंबित रहने के कारण, लेखे को चरण 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है

* चूंकि ऋणकर्ता अन्य ऋणों में चरण 2 में है, इसलिए इन ऋणों (जिन्हें अन्यथा चरण 1 में वर्गीकृत किया गया होता) को भी चरण 2 में वर्गीकृत किया गया है।

@टिप्पणी 46.1.10 देखें

ख. आरईसीएल के संबंध में

विभिन्न क्रेडिट रेटिंग वाले ऋणकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रेडिट जोखिम श्रेणी (आंतरिक/मैप्ड रेटिंग)	31.03.2023 तक				31.03.2022 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
निष्पादक								
बहुत अच्छा (एएए । एए । ए । सरकारी ऋण)	1,92,836.82	276.33	-	1,93,113.15	1,81,968.90	11,661.35	-	1,93,630.25
अच्छा (बीबीबी । बीबी । बी)	1,47,389.05	9,128.03	-	1,56,517.08	96,631.68	24,762.88	-	1,21,394.57
औसत (सी)	70,282.47	1,345.98	-	71,628.45	54,755.07	-	-	54,755.07
उचित (सी)	1,796.13	157.74	-	1,953.87	2,521.34	-	-	2,521.34
गैर-निष्पादक (डी)	-	5.50	14,892.08	14,897.58	-	-	17,159.89	17,159.89
सकल एक्सपोजर	**4,12,304.47**	**10,913.58**	**14,892.08**	**4,38,110.13**	**3,35,876.99**	**36,424.23**	**17,159.89**	**3,89,461.12**
घटाएं: हानि भत्ता	**3,521.81**	**238.30**	**10,519.51**	**14,279.61**	**2,790.22**	**369.61**	**11,565.73**	**14,725.57**
निवल एक्सपोजर	**4,08,782.66**	**10,675.28**	**4,372.57**	**4,23,830.51**	**3,33,086.77**	**36,054.62**	**5,594.16**	**3,74,735.55**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46.1.4 ऋण जोखिम का संकेंद्रण

क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम से तात्पर्य किसी एकल कंपनी या उसके स्वामित्व, सेक्टर, क्षेत्र आदि के आधार पर कंपनियों के समूह के लिए बड़े ऋण/निवेश एक्सपोजर से जुड़े जोखिम से है, जिसके कारण ऋणदाता के मुख्य परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता वाली अन्य स्थितियों के साथ, आर्थिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से उनके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता के समान रूप से प्रभावित होने की आशंका रहती है।

निम्नलिखित तालिका समान जोखिम विशेषताओं के आधार पर पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के समग्र ऋण पोर्टफोलियो के जोखिम संकेंद्रण का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
सरकारी क्षेत्र (अर्थात राज्य और/या केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाओं) को ऋण	7,42,981.50	5,828.25	6,64,451.23	4,210.05
निजी क्षेत्र को ऋण	1,14,518.50	24,526.97	94,045.12	27,864.03
कुल	**8,57,500.00**	**30,355.22**	**7,58,496.35**	**32,074.08**

* जिसमें चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) और गारंटी पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता ₹66.80 करोड़ (31.03.2022 तक ₹98.11 करोड़) शामिल है।

राज्य क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण भलि-भांति विविधता वाले हैं क्योंकि ये विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के नियंत्रण में अनेक संस्थाओं को दिए जाते हैं। कंपनियों का मानना है कि इन ऋणों में निजी क्षेत्र को ऋण देने की तुलना में कम ऋण जोखिम है, जिसका मुख्य कारण राज्य क्षेत्र में कम डिफॉल्ट/हानि इतिहास और कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता है। इन परियोजनाओं में सरकारी रुचि की उपस्थिति से बकाया राशि की वसूली न होने का जोखिम भी कम हो जाता है।

इसके अलावा, कंपनियों के पास एक ऋण पोर्टफोलियो है जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैली उत्पादन, नवीकरणीय, पारेषण और वितरण विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*
योजनावार संकेंद्रण -				
उत्पादन	3,42,425.28	22,913.72	3,28,159.85	24,617.30
नवीकरणीय	77,270.92	3,426.45	48,626.18	3,059.17
पारेषण	79,173.24	404.07	95,379.62	2,072.49
वितरण	3,40,947.29	3,492.22	2,80,113.01	2,304.13
अन्य	17,683.27	118.76	6,217.69	20.98
कुल	**8,57,500.00**	**30,355.22**	**7,58,496.35**	**32,074.08**

* जिसमें चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) और गारंटी पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता ₹66.80 करोड़ (31.03.2022 तक ₹98.11 करोड़) शामिल है।

समूह की कंपनियों पर लागू क्रेडिट संकेंद्रण मानदंडों के अनुरूप विभिन्न परियोजनाओं और ऋणकर्ताओं के एक्सपोजर की लगातार मॉनीटरिंग की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46.1.5 पीएफसी और आरईसीएल के संबंध में चरण-वार मूलधन बकाया और क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	%	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	%
चरण 1	7,98,755.96	6,415.49	0.80	6,57,482.61	4,849.04	0.74
चरण 2	27,350.31	1,420.84	5.19	62,938.57	1,314.93	2.09
चरण 3	31,393.73	22,518.89	71.73	38,075.17	25,910.11	68.05
कुल	**8,57,500.00**	**30,355.22**	**3.54**	**7,58,496.35**	**32,074.08**	**4.23**

* जिसमें चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) और गारंटी पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता ₹66.80 करोड़ (31.03.2022 तक ₹98.11 करोड़) शामिल है।

46.1.6 मूल बकाया और क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते के चरण-वार संचलन का विवरण:

निम्नलिखित तालिकाएं रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत के बीच पीएफसी और आरईसीएल के संबंध में ऋण और संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते (चुकौती आश्वासन पत्र और गारंटी पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता सहित) में परिवर्तन की व्याख्या करती हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2022-23	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
विवरण	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*
प्रारंभिक शेष	**6,57,482.61**	**4,849.04**	**62,938.57**	**1,314.93**	**38,075.17**	**25,910.11**	**7,58,496.35**	**32,074.08**
चरण 1 में अंतरण	43,615.34	(4.88)	(43,615.34)	4.88	-	-	-	-
चरण 2 में अंतरण	(2,798.11)	(11.28)	2,988.10	83.95	(189.99)	(72.67)	-	-
चरण 3 में अंतरण	(24.64)	(2.52)	(13.67)	(3.36)	38.31	5.88	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में निवल परिवर्तन	(8,952.62)	1,084.47	(708.96)	(84.46)	(55.53)	(25.59)	(9,717.11)	974.42
नई वित्तीय परिसंपत्तियों का उद्भव	158,315.69	1,085.17	6,338.03	118.42	-	-	164,653.72	1,203.59
वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता (ऋण का पुनर्भुगतान/पूर्व-भुगतान)	(48,882.31)	(584.51)	(576.43)	(13.52)	(4,443.25)	(1,564.15)	(53,901.99)	(2,162.18)
वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता (बट्टे खाते डालना)	-	-	-	-	(1,452.33)	(1,452.33)	(1,452.33)	(1,452.33)
अवधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता (प्राप्त निवेश)	-	-	-	-	(578.64)	(282.36)	(578.64)	(282.36)
अंतिम शेष	**798,755.96**	**6,415.49**	**27,350.31**	**1,420.84**	**31,393.73**	**22,518.89**	**857,500.00**	**30,355.22**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2021-22	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
विवरण	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता*
प्रारंभिक शेष	**6,55,373.44**	**2,517.58**	**50,408.61**	**2,086.67**	**39,407.09**	**25,207.67**	**7,48,189.14**	**29,812.99**
चरण 1 में अंतरण	21,109.54	1,250.50	(19,103.75)	(514.18)	(2,005.79)	(736.33)	-	-
चरण 2 में अंतरण	(36,173.14)	(44.11)	36,189.77	48.20	(16.63)	(4.09)	-	-
चरण 3 में अंतरण	(2,657.15)	(329.49)	(1,120.58)	(852.23)	3,777.73	1,181.73	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में निवल परिवर्तन	13,582.41	1,681.06	(1,394.26)	516.66	5.91	2,760.71	12,194.05	4,958.53
नई वित्तीय परिसंपत्तियों का उद्भव	74,969.67	690.62	3,957.10	40.29	-	-	78,926.77	730.91
वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता (ऋण का पुनर्भुगतान/पूर्व-भुगतान)	(68,722.16)	(917.12)	(5,535.67)	537.45	(235.65)	295.65	(77,493.48)	(85.19)
वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता (बट्टे खाते डालना)	-	-	(462.65)	(547.93)	(2,857.49)	(2,795.23)	(3,320.14)	(3,343.16)
अवधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता (प्राप्त निवेश)	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	**6,57,482.61**	**4,849.04**	**62,938.57**	**1,314.93**	**38,075.17**	**25,910.11**	**7,58,496.35**	**32,074.08**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46.1.7 क्रेडिट क्षतिग्रस्त खातों का संचालन (चरण 3 खाते):

निम्नलिखित तालिकाएं रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत और अंत के बीच पीएफसी और आरसीएल के संबंध में क्रेडिट क्षतिग्रस्त खातों (चरण 3 खातों) में परिवर्तन और संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते की व्याख्या करती है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	सकल ऋणों के लिए निवल क्रेडिट क्षतिग्रस्त खाते (%)	1.03%	1.60%
(ii)	निवल ऋणों के लिए निवल ऋण क्षतिग्रस्त खाते (%)	1.06%	1.66%
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
(iii)	सकल क्रेडिट क्षतिग्रस्त खातों का संचलन		
	(क) प्रारंभिक शेष	38,075.17	39,407.09
	(ख) वर्ष के दौरान संवर्धन	45.80	3,003.41
	(ग) वर्ष के दौरान कमी/बट्टे खाते डालना	(6,727.24)	(4,335.33)
	(घ) **अंतिम शेष**	**31,393.73**	**38,075.17**
(iv)	निवल क्रेडिट क्षतिग्रस्त खातों का संचलन		
	(क) प्रारंभिक शेष	12,165.06	14,199.42
	(ख) वर्ष के दौरान संवर्धन	399.06	593.80
	(ग) वर्ष के दौरान कमी/बट्टे खाते डालना	(3,689.28)	(2,628.16)
	(घ) **अंतिम शेष**	**8,874.84**	**12,165.06**
(v)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त खातों पर क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का संचलन		
	(क) प्रारंभिक शेष	25,910.11	25,207.67
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	55.06	3,646.63
	(ग) आधिक्य प्रावधानों का राइट-ऑफ/राइट-बैक	(3,446.28)	(2,944.19)
	(घ) **अंतिम शेष**	**22,518.89**	**25,910.11**

46.1.8 ऋण परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना

पीएफसी और आरईसीएल वसूली की कोई उचित आशा नहीं होने पर वित्तीय परिसंपत्तियों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डालते हैं। यह संकेतक है कि वसूली की कोई उचित आशा नहीं है, प्रवर्तन गतिविधि का सीजर शामिल है या जहां कंपनी की वसूली विधि कोलेटरल पर प्रवर्तन है और कोलेटरल का मूल्य ऐसा है कि पूर्ण से वसूली की कोई उचित आशा नहीं है। वेवर/ राइट ऑफ को पुनर्गठन/ निपटान/ समाधान प्रक्रिया के पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में किया जाएगा।

46.1.9 परिशोधित लागत व्यवसाय से बिक्री के लिए नीति

पीएफसी और आरईसीएल सामान्य कारोबार में वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेते हैं। हालांकि, संबंधित कंपनियों ने नीतियों को अनुमोदित कर दिया है कि वे पुनर्गठन, स्वामित्व, निपटान या अन्यथा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद परिसंपत्तियों का आकलन इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार विमान्यता करने के लिए किया जाता है।

46.1.10 उन खातों के संबंध में प्रकटीकरण जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय हैं लेकिन क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं माना जाता है:

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
ऋणकर्ताओं की संख्या	1	4
बकाया ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	650.51	2,252.36
अतिदेय राशि* (₹ करोड़ में)	160.91	188.18
क्षतिग्रस्त हानि भत्ते की राशि (₹ करोड़ में)	422.68	815.87

*31 मार्च, 2023 तक ₹186.06 करोड़ के अतिदेय ब्याज को छोड़कर (31 मार्च, 2022 तक ₹242.87 करोड़)।

माननीय उच्च न्यायलय(ओं) के अंतरिम आदेश के अनुसरण में, इन ऋणकर्ता खातों को क्षतिग्रस्त क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। समूह के पास इन ऋण खातों के संबंध में पर्याप्त क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता है और उन्हें चरण 2 में वर्गीकृत किया गया हैं। इन ऋण खातों पर ब्याज आय को भी प्रोद्भूत आधार पर मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि ये ऋण 90 दिनों से अधिक समय से देय हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46.1.11 आरबीआई के मास्टर निर्देश गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकारकर्ता कंपनी और जमा स्वीकारकर्ता कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार एनपीए अनुपात निम्नानुसार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड के अनुसार उन ऋणों पर विधिवत विचार करते हुए एनपीए अनुपात, जिन्हें अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित होता, निम्नानुसार है:

विवरण	पीएफसी		आरईसीएल	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सकल एनपीए से सकल ऋण	4.72%	6.58%	4.77%	4.45%
निवल एनपीए से निवल ऋण	1.87%	2.76%	2.41%	1.51%

46.1.12 भारतीय रिज़र्व बैंक की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसीपी) के अनुसार अपेक्षित प्रावधान और इंड एस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते का विवरण:

क. पीएएफसी के संबंध में

31.03.2023 तक

(₹ करोड़ में)

आईबीआई मानदंड के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहनीय राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल वहनीय राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानदंड के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	3,89,880.43	2,542.86	3,87,337.57	2,062.73	480.13
	चरण 2	16,956.30	1,182.54	15,773.76	390.50	792.04
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-योग		**4,06,836.73**	**3,725.40**	**4,03,111.33**	**2,453.23**	**1,272.16**
गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए)						
अवमानक	चरण 1	453.88	1.82	452.06	45.30	(43.48)
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	37.04	16.38	20.66	3.70	12.68
अवमानक का कुल योग		**490.92**	**18.20**	**472.72**	**49.00**	**(30.80)**
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 1	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 1	79.76	0.04	79.72	23.43	(23.39)
3 वर्ष से अधिक	चरण 1	2,981.80	298.03	2,683.77	1,462.20	(1,164.17)
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	1,142.64	572.64	570.00	256.41	316.23
1 से 3 वर्ष	चरण 3	170.10	133.51	36.59	89.70	43.80
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,066.17	8,191.15	3,875.02	8,329.22	(138.07)
संदिग्ध का उप-योग		**16,440.47**	**9,195.37**	**7,245.10**	**10,160.96**	**(965.60)**
हानि	चरण 3	3,085.70	3,085.70	-	3,085.70	-
एनपीए का उप-योग		**20,017.09**	**12,299.27**	**7,717.82**	**13,295.67**	**(996.40)**
अन्य मद (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के कार्यक्षेत्र में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं	चरण 1	-	50.93	(50.93)	-	50.93
	चरण 2					
	चरण 3					
उप-योग			**50.93**	**(50.93)**	**-**	**50.93**
कुल	**चरण 1**	**3,93,395.86**	**2,893.68**	**3,90,502.18**	**3,593.67**	**(699.98)**
	चरण 2	**16,956.30**	**1,182.54**	**15,773.76**	**390.50**	**792.04**
	चरण 3	**16,501.65**	**11,999.38**	**4,502.27**	**11,764.73**	**234.65**
	कुल	**4,26,853.81**	**16,075.60**	**4,10,778.22**	**15,748.90**	**326.70**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2022 तक

(₹ करोड़ में)

आईबीआई मानदंड के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहनीय राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल वहनीय राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानदंड के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	3,26,133.66	1,676.69	3,24,456.96	1,331.16	345.54
	चरण 2	27,458.63	944.20	26,514.44	637.72	306.48
	चरण 3	-	-	-	-	-
कुल योग		**3,53,592.29**	**2,620.89**	**3,50,971.40**	**1,968.88**	**652.01**
गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए)						
अवमानक	चरण 1	296.48	1.33	295.15	29.62	(28.29)
	चरण 2	151.37	1.12	150.25	14.83	(13.70)
	चरण 3	1,142.64	332.93	809.71	114.26	218.66
अवमानक का उप-योग		**1,590.49**	**335.38**	**1,255.11**	**158.71**	**176.68**
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 1	32.80	0.01	32.78	6.44	(6.42)
1 से 3 वर्ष	चरण 1	107.00	0.10	106.91	31.40	(31.30)
3 वर्ष से अधिक	चरण 1	3,105.80	310.93	2,794.87	1,522.95	(1,212.02)
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	170.10	133.43	36.67	78.22	55.21
1 से 3 वर्ष	चरण 3	3,743.76	1,770.31	1,973.45	1,189.36	580.95
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,779.39	9,181.94	3,597.46	9,120.21	61.73
संदिग्ध का उप-योग		**19,938.85**	**11,396.72**	**8,542.14**	**11,948.57**	**(551.85)**
हानि	चरण 3	3,079.39	2,918.31	161.08	3,079.39	(161.08)
एनपीए का उप-योग		**24,608.74**	**14,650.41**	**9,958.33**	**15,186.66**	**(536.25)**
अन्य मद (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के कार्यक्षेत्र में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं	चरण 1	-	69.75	(69.75)	-	69.75
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	7.47	(7.47)	-	7.47
उप-योग		**-**	**77.21**	**(77.21)**	**-**	**77.21**
कुल	**चरण 1**	**3,29,675.75**	**2,058.82**	**3,27,616.93**	**2,921.55**	**(862.74)**
	चरण 2	**27,610.01**	**945.32**	**26,664.69**	**652.55**	**292.77**
	चरण 3	**20,915.28**	**14,344.38**	**6,570.90**	**13,581.44**	**762.95**
	कुल	**3,78,201.04**	**17,348.52**	**3,60,852.51**	**17,155.54**	**192.98**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. आरईसीएल के संबंध में

31.03.2023 तक

(₹ करोड़ में)

आईबीआई मानदंड के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहनीय राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल वहनीय राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानदंड के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	4,04,567.80	3,423.13	4,01,144.67	2,089.93	1,333.20
	चरण 2	11,016.14	232.80	10,783.34	43.63	189.17
उप-योग		**4,15,583.94**	**3,655.93**	**4,11,928.01**	**2,133.56**	**1,522.37**
गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए)						
अवमानक	चरण 1	5,866.14	82.81	5,783.33	583.94	(501.13)
संदिग्ध परिसंपत्ति						
संदिग्ध – 1 वर्ष के लिए	चरण 3	1,512.48	754.15	758.33	350.72	403.43
1 से 3 वर्ष	चरण 3	594.27	452.12	142.14	344.21	107.91
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,780.46	9,308.37	3,472.09	9,488.51	(180.14)
संदिग्ध का उप-योग		**14,887.21**	**10,514.64**	**4,372.56**	**10,183.44**	**331.20**
हानि	चरण 2	5.50	5.50	-	5.50	-
	चरण 3	4.87	4.87	-	4.87	-
एनपीए का उप-योग		**20,763.72**	**10,607.82**	**10,155.89**	**10,777.75**	**(169.93)**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**4,36,347.66**	**14,263.75**	**4,22,083.90**	**12,911.31**	**1,352.44**
अन्य मद (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के कार्यक्षेत्र में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं	चरण 1	3,098.35	15.87	3,082.48	-	15.87
उप-योग		**3,098.35**	**15.87**	**3,082.48**	**-**	**15.87**
कुल	**चरण 1**	**4,13,532.29**	**3,521.81**	**4,10,010.48**	**2,673.87**	**847.94**
	चरण 2	**11,021.64**	**238.30**	**10,783.34**	**49.13**	**189.17**
	चरण 3	**14,892.08**	**10,519.51**	**4,372.56**	**10,188.31**	**331.20**
	कुल	**4,39,446.01**	**14,279.62**	**4,25,166.38**	**12,911.31**	**1,368.31**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2022 तक

(₹ करोड़ में)

आईबीआई मानदंड के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहनीय राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल वहनीय राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंडएएस 109 प्रावधान और आईआरएसीपी मानदंड के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	3,32,586.36	2,769.32	3,29,817.04	1,771.72	997.60
	चरण 2	36,888.95	369.61	36,519.34	391.52	(21.91)
उप-योग		**3,69,475.31**	**3,138.93**	**3,66,336.38**	**2,163.24**	**975.69**
गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	1,512.49	437.16	1,075.33	190.83	246.33
संदिग्ध - 1 वर्ष के लिए	चरण 3	33.28	3.33	29.95	7.25	(3.92)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	4,534.01	2,981.99	1,552.01	1,952.89	1029.10
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	11,062.89	8,126.03	2,936.86	8,108.58	17.45
संदिग्ध का उप-योग		**15,630.18**	**11,111.35**	**4,518.82**	**10,068.72**	**1,042.63**
		17.22	17.22	-	17.22	-
हानि	चरण 3	17,159.89	11,565.73	5,594.15	10,276.77	1,288.96
एनपीए का उप-योग		**3,86,635.20**	**14,704.66**	**3,71,930.53**	**12,440.01**	**2,264.65**
अन्य मद (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के कार्यक्षेत्र में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं	चरण 1	4,089.85	20.90	4,068.95	-	20.90
उप-योग		**4,089.85**	**20.90**	**4,068.95**	**-**	**20.90**
कुल	**चरण 1**	**3,36,676.21**	**2,790.22**	**3,33,885.99**	**1,771.72**	**1,018.50**
	चरण 2	**36,888.95**	**369.61**	**36,519.34**	**391.52**	**(21.91)**
	चरण 3	**17,159.89**	**11,565.73**	**5,594.15**	**10,276.77**	**1,288.96**
	कुल	**3,90,725.05**	**14,725.56**	**3,75,999.48**	**12,440.01**	**2,285.55**

46.1.13 व्यापार प्राप्य राशि के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि

क. आरईसीएल के संबंध में

आरईसीएल ईसीएल विधि के अंतर्गत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आरईसीएल की सहायक कंपनियों से एक आरईसीपीडीसीएल की व्यापार प्राप्तियों के संबंध में आजीवन क्रेडिट हानि के लिए प्रदान करता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष - 2 वर्ष	2 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक					
सकल वहनीय मूल्य	127.15	21.32	16.31	56.35	221.13
अनुमानित हानि दर	20.19%	62.85%	89.94%	99.31%	49.61%
अनुमानित क्रेडिट हानि (प्रावधान)	25.67	13.40	14.67	55.96	109.70
वहनीय राशि (क्षतिग्रस्तता का निवल)	101.48	7.92	1.64	0.39	111.43
31.03.2022 तक					
सकल वहनीय मूल्य	88.93	19.35	14.56	54.43	177.27
अनुमानित हानि दर	14.03%	6.82%	99.52%	100.00%	46.66%
अनुमानित क्रेडिट हानि (प्रावधान)	12.48	1.32	14.49	54.43	82.72
वहनीय राशि (क्षतिग्रस्तता का निवल)	76.45	18.03	0.07	-	94.55

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. पीएफसीसीएल के सबंध में

पीएफसीसीएल की व्यापार प्राप्तियों में मुख्य रूप से राज्य सरकार की संस्थाओं से वसूली योग्य राशि शामिल है। आरसीएल का मानना है कि मुख्य रूप से कम डिफॉल्ट/हानि इतिहास के कारण राज्य क्षेत्र के लिए प्रकटीकरण में निम्न क्रेडिट जोखिम है। इसके अतिरिक्त, सरकारी दृष्टिकोण गैर-वसूली के जोखिम को कम करता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, पीएफसीसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को विशेष रूप से संबंधित पक्षों के अंतिरिक्त अन्य व्यापार प्राप्तियों पर मान्यता देता है। ईसीएल को दो वर्ष से अधिक समय से देय व्यापार प्राप्य पर 100% और एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्ष से कम समय के लिए देय प्राप्य व्यापार राशि पर 50% पर मान्यता प्राप्त है।

व्यापार प्राप्य का काल प्रभावन विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	0 से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक सकल वहनीय राशि	43.50	2.87	21.06	67.43
31.03.2022 तक सकल वहनीय राशि	16.88	5.29	17.86	40.04

अनुमानित क्रेडिट हानि भत्ते में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
प्रारंभिक शेष	8.96	7.46
- क्षतिग्रस्तता भत्ता रिवर्सल	-	-
- मान्य क्षतिग्रस्तता हानि	0.29	1.50
अंतिम शेष	**9.25**	**8.96**

46.2 लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है जब समूह के पास, अपनी देयताओं को उस समय पूरा करने के लिए प्राप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं, जब वे देय होती हैं। नकदी प्रभाव के समय में बेमेल से जोखिम उत्पन्न होता है, जो सभी वित्तपोषण प्रचालनों में निहित है और कंपनी विषयक एवं बाजार विषयक घटनाओं की एक श्रृंखला से प्रभावित हो सकते हैं।

46.2.1 निम्नलिखित तालिका वित्तीय देयताओं (ऋण प्रतिभूतियों, ऋणों और अधीनस्य देयताओं) की पदों के परिपक्वता रूवरूप का विश्लेषण संविदात्मक मूलधन की शेष परिपक्वता और बिना छूट के आधार पर ब्याज पर ब्याज द्वारा करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण*	1 वर्ष तक	1 - 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक				
घरेलू ऋण				
मूलधन	90,123.05	259,152.30	229,514.69	578,790.04
ब्याज	41,565.92	114,557.45	67,338.04	223,461.42
विदेशी मुद्रा ऋण				
मूलधन	40,666.15	78,286.85	39,465.75	158,418.75
ब्याज	5,948.78	13,717.92	2,684.65	22,351.35
कुल	**178,303.90**	**465,714.52**	**339,003.13**	**983,021.56**
31.03.2022 तक				
घरेलू ऋण				
मूलधन	61,140.51	2,56,738.15	1,96,977.66	5,14,856.32
ब्याज	35,470.38	98,125.96	59,474.65	1,93,070.99
विदेशी मुद्रा ऋण				
मूलधन	22,025.66	72,280.41	37,794.67	1,32,100.74
ब्याज	3,850.14	10,465.79	3,686.87	18,002.80
कुल	**1,22,486.69**	**4,37,610.31**	**2,97,933.85**	**8,58,030.85**

*उपर्युक्त तालिका में, पुट और कॉल विकल्प वाले बॉण्ड को यथाशीघ्र नियत तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, कमर्शियल पेपर और जीरो कूपन बॉण्डों को परिपक्वता मूल्य पर दर्शाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46.2.2 निम्नलिखित तालिका डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के परिक्वता पैटर्न का विश्लेषण करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण *	1 वर्ष तक	1 - 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	तक
31.03.2023 तक				
फॉरवर्ड	21.06	0.00	0.00	21.06
विकल्प/स्वैप	64.24	310.18	605.79	980.21
कुल	**85.30**	**310.18**	**605.79**	**1,001.27**
31.03.2022 तक				
फॉरवर्ड	-	-	-	-
विकल्प/स्वैप	75.64	125.49	455.25	656.38
कुल	**75.64**	**125.49**	**455.25**	**656.38**

* उपर्युक्त तालिका काउंटरपार्टी से प्राप्त एमटीएम के आधार पर अपनी डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए समूह के लिक्विडिटी विश्लेषण का विवरण देती है। परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत की शेष अवधि के अनुसार होती है।

46.2.3 वित्तीय देयताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह को ऋण परिसंपत्तियों से उत्पन्न नकदी (मूलधन और ब्याज पुनर्भुगतान) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। निम्नलिखित तालिका संविदात्मक मूलधन की शेष परिपक्वता और बिना छूट के आधार पर ब्याज द्वारा ऋणों की परिपक्वता स्वरूप का विश्लेषण करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण *	1 वर्ष तक	1 - 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	तक
31.03.2023 तक				
ऋण परिसंपत्तियां				
मूलधन	1,16,979.37	3,08,341.85	4,09,659.87	8,34,981.09
ब्याज	76,654.89	2,22,171.89	1,73,464.65	4,72,291.43
कुल	**1,93,634.26**	**5,30,513.74**	**5,83,124.52**	**13,07,272.52**
31.03.2022 तक				
ऋण परिसंपत्तियां				
मूलधन	66,026.51	2,77,929.73	3,88,637.47	7,32,593.71
ब्याज	70,190.29	2,11,553.57	1,72,778.27	4,54,522.13
कुल	**1,36,216.80**	**4,89,483.30**	**5,61,415.74**	**11,87,115.84**

* चरण 3 परिसंपत्तियों से संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि भत्ते के मूलधन नकदी प्रभाव पर परिपक्वता तिथि का ध्यान रखे बिना 5 वर्षों से अधिक समय में विचार किया गया है।

46.2.4 लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

लिक्विडिटी जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, समूह अस्वीकार्य हानियों या अपनी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए बिना परिपक्व देयताओं और अनुमानित संवितरणों को कवर करने हेतु पर्याप्त नकदी प्रभाव बनाए रखने का प्रयास करता है और विभिन्न वित्तपोषण साधनों के माध्यम से संसाधन जुटाकर एक विविध निधि आधार बनाए रखने का भी प्रयास करता है। समूह की लिक्विडिटी स्थिति भविष्य के वित्तपोषण की आवश्यकताओं का अनुमान: वर्तमान और भविष्य की आय क्षमता और निधि के उपलब्ध स्रोत की पर्याप्त वर्तमान लिक्विडिटी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।

समूह की कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी दिन-प्रतिदिन की लिक्विडिटी का प्रबंधन करती है कि उनके पास अपने वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी है।

इसके अतिरिक्त, समग्र लिक्विडिटी मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए, पीएफसी और आरईसीएल की अपनी संबंधित परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) है। एएलसीओ अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता या नकदी प्रभाव बेमेल का विश्लेषण करके लिक्विडिटी जोखिम को ट्रैक करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46.2.5 वित्तपोषण की व्यवस्था

क. पीएफसी के संबंध में

पीएफसी के पास अप्रत्याशित लिक्विडिटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकों से नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट और कार्यशील पूंजी मांग ऋण तक पहुंच है। इसके अतिरिक्त,पीएफसी की एएए की सर्वोच्च घरेलू क्रेडिट रेटिंग है, जिससे यह थोड़े समय के भीतर घरेलू बाजार से निधि जुटाने में सक्षम है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमा	8,116.17	5,398.00

ख. आरईसीएल के संबंध में

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आरईसीएल के पास निम्नलिखित आहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
एक वर्ष के भीतर समाप्त (नकदी क्रेडिट और अन्य सुविधाएं)- फ्लोटिंग दर	13,364.88	8,803.05
एक वर्ष से अधिक समय में समाप्त (ऋण/ऋण राशि)- फ्लोटिंग दर	1,393.58	1,245.90

46.2.6 भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए लागू मास्टर निदेशों के अंतर्गत ₹5,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली सभी गैर-जमा स्वीकारकर्ता एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) फ्रेमवर्क निर्धारित किया है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में लिक्विडिटी बफर को बनाएं गुणवत्ता वाली लिक्विड संपत्ति (एचक्यूएलए) है। पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल निर्धारित उच्च गुणवत्ता वाली लिक्विड परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में पर्याप्त लिक्विडिटी बफर बनाएं रखती है।

46.3 बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है कि कार्यात्मक मुद्रा के अतिरिक्त अन्य मुद्रा में अंकित वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रभाव में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण संचलन होगा।

46.3.1 कंपनी और उसकी सहायक कंपनी आरईसीएल मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में अंकित अपने ऋण पर विदेशी मुद्रा जोखिम में एक्सपोजर है। इन कंपनियों की विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की ऋण की वहनीय राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में
यूएसडी ऋण	1,585.32	130,340.51	1,621.87	1,22,949.09
- हेज्ड	1,304.70	107,268.39	1,169.50	88,656.40
- अनहेज्ड	280.62	23,072.12	452.37	34,292.69
यूरो ऋण	162.13	14,527.63	33.46	2,832.49
- हेज्ड	123.99	11,110.66	0.09	7.37
- अनहेज्ड	38.14	3,416.97	33.38	2,825.12
जेपीवाई ऋण	19,073.36	11,787.34	9,506.59	5,915.95
- हेज्ड	9,925.81	6,134.16	2,084.61	1,297.25
- अनहेज्ड	9,147.55	5,653.18	7,421.98	4,618.70
एसजीडी ऋण	28.53	1,763.27	7.21	403.21
- हेज्ड	28.53	1,763.27	7.21	403.21
- अनहेज्ड	-	-	-	-
कुल		**158,418.75**	**1,32,100.74**	**1,32,100.74**
- हेज्ड		126,276.48	90,364.23	90,364.23
- अनहेज्ड		32,142.27	41,736.51	41,736.51

#इसमें एक चरण के लिए 31.03.2023 तक हेज की गई जेपीवाई (यूएसडी/भारतीय रुपया) ऋण देयता ₹5,653.18 करोड़ (31.03.2022 तक - शून्य) शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

46.3.2 विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग और प्रबंधन

पीएफसी और आरईसीएल के पास विदेशी मुद्रा ऋण से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए अपने संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां हैं। ये नीतियां वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों वाली समितियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिमों की पहचान करने, मापने और मॉनीटरिंग करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां और नियंत्रण निर्धारित करती हैं। डेरिवेटिव लेन-देन विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूलधन स्वैप, आईआरएस और वायदा दर करार जैसी विभिन्न लिखितों के माध्यम से विनिमय/ब्याज दर जोखिमों को कवर करने के लिए किए जाते हैं। ये डेरिवेटिव लेन-देन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा उद्देश्य के लिए।

46.3.3 नीचे दी तालिका बकाया विदेशी मुद्रा ऋण के हेजिंग रहित पोर्टफोलियो पर भारतीय रुपए के निमित्त विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5% परिवर्तन के लिए समूह की कुल इक्विटी ((अभिलाभ/(हानि)) पर प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है:

(₹ करोड़ में)

विदेशी मुद्रा देयताएं	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि
यूएसडी	1,050.14	(1,050.14)	1,541.40	(1,541.40)
यूरो	169.06	(169.06)	138.54	(138.54)
जेपीवाई	282.66	(282.66)	201.27	(201.27)
एसजीडी	-	-	-	-
कुल	**1,501.86**	**(1,501.86)**	**1,881.21**	**(1,881.21)**

46.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भविष्य नकदी प्रभाव में संचलन होगा। ब्याज दरें गतिशील हैं और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें आरबीआई नीतिगत परिवर्तन, बाजार में लिक्विडिटी, बाहरी बेंचमार्क जैसे एएए बॉण्ड/ जी-सेक यील्ड/ लिबोर आदि का संचलन शामिल है।

क. पीएफसी के संबंध में

(i) ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन प्रतिफल को अनुकूलित करते हुए बाजार जोखिम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ), दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और दर संवेदनशील देयताओं के बीच अंतर, अर्थात बेमेल के विश्लेषण के जरिए, ब्याज दर जोखिम को ट्रैक करती है। अंतर विश्लेषण के लिए, आईबीआई द्वारा निर्धारित ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें दर संवेदनशील परिस्थितियों और दर संवेदनशील देयताओं के बीच अंतर को मापा जाता है, जो परिपक्वता तिथि या पुनर्मूल्यांकन तिथि, जो भी पहले हो, के आधार पर वितरित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए पीएफसी प्रचलित बाजार स्थितियों, ऋण लागत, उपज, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों आदि के आधार पर समय-समय पर अपनी ब्याज दरों की समीक्षा करता है। परिसंपत्ति मिश्रण का प्रबंधन पीएसी द्वारा अपनी ब्याज दर और क्रेडिट पॉलिसियों के माध्यम से किया जाता है जिसमें अन्य बातों के अलावा रीसेट अवधि, पुनर्भुगतान अवधि, पूर्व-भुगतान प्रीमियम आदि पहलुओं को शामिल किया जाता है। देयताओं का प्रबंधन, बाजार की प्रवृत्ति, समय, बाजार परिदृश्य, एएलएम अंतर स्थिति, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पीएफसी अपने ब्याज दर जोखिम को हेज करने के लिए ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप जैसे विभिन्न डेरिवेटिव लेन-देन में भी प्रवेश करता है।

(ii) ब्याज दर संवेदनशीलता का विश्लेषण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जोखिम पर अर्जन (ईएआर) ब्याज जोखिम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए, अंतर विवरणों से प्राप्त जोखिम पर ब्याज दरों के संचलन के प्रभाव को मापा गया है। तुलन-पत्र को निरंतर मानते हुए एक वर्ष की अवधि में ब्याज दरों में ऊपर/नीचे 25 आधार अंकों के प्ररिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रभाव का आकलन किया जाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि यदि दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि/कमी की जाती है, तो ईएआर पर प्रभाव (+/-) ₹194.52 करोड़ (31.03.2022 तक (+/-) ₹118.77 करोड़)।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विश्लेषण में माना गया है कि दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और दर संवेदनशील देयताओं को पुन:मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और दर संवेदनशील देयताओं की यथाशीघ्र/पहली पुनर्मूल्यांकन तिथि पर विचार करता है।

टिप्पणी: 25 आधार अंक की वृद्धि या कमी ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन प्रस्तुत करती है।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के संबंध में प्रकटीकरण

पीएफसी में परिवर्तनीय ब्याज दर ऋण है जिसकी ब्याज दरें ब्याज दर बेंचमार्क पर आधारित है। इसके अतिरिक्ति, इन ऋणों पर नकदी प्रवाह की परिवर्तनशीलता को हेज करने के लिए, पीएफसी ने प्रमुख शर्तों (मूलधन राशि, भुगतान तिथियां, पुनर्मूल्यांकन तिथियां, मुद्रा) के साथ कई ब्याज दर स्वैप किए हैं, जो उस ऋण के अनुरूप हैं, जिस पर यह एक निश्चित दर का भुगतान करती है और एक परिवर्तनशील दर प्राप्त करती है। पीएफस की ऋण में उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण ब्याज दर बेंचमार्क 6 माह अमरीकी डॉलर जेपीवाई लिबोर लंदन इंटरबैंक प्रस्तवित दर) है।

क) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से सीधे तौर पर प्रभावित प्रकटीकरण

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले प्रकटीकरण की कुल राशि अर्थात जून 2023 के बाद 31.03.2023 तक 656.24 मिलियन अमरीकी डॉलर (रुपए में राशि ₹5,395.44 करोड़) है। इसमें से, ऐसी देयताओं से जुड़े डेरिवेटिव प्रकटीकरण की राशि और हेज लेखांकन के अंतर्गत 650 मिलियन अमरीकी डॉलर (रुपए में राशि ₹5,344.10 करोड़) है।

जून 2023 के बाद योजना के अनुसार 6 माह अमरीकी डॉलर लिबोर से लिबोर परिवर्तन के आधार पर प्रभावित होने वाले विदेशी विदेशी ऋणों का वितरण निम्नानुसार है:

बेंचमार्क	31.03.2023 तक				31.03.2022 तक			
			जिनमें से अभी तक वैकल्पिक बेंचमार्क दर पर परिवर्तन नहीं हुआ है				जिनमें से अभी तक वैकल्पिक बेंचमार्क दर पर परिवर्तन नहीं हुआ है	
	संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन)	राशि (₹ करोड़ में)	संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन)	राशि (₹ करोड़ में)	संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन)	राशि (₹ करोड़ में)	संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन)	राशि (₹ करोड़ में)
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं								
6 माह अमरीकी डॉलर लिबोर	656.24	5.395.44	650.00	5,344.10	657.67	4,985.66	650.00	4,927.46
डेरिवेटिव								
6 माह अमरीकी डॉलर लिबोर	650.00	5,344.10	650.00	5,344.10	650.00	4,927.46	650.00	4,927.46

(ii) वैकल्पिक दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

पीएफसी ने लिबोर परिवर्तन शुरू करने के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति अपनाई है, जिसे लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) से वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में परिवर्तन हेतु फ्रेमवर्क, का नाम दिया गया है। इस फ्रेमवर्क में अन्य बातों के साथ-साथ लिबोर से जुड़े प्रकटीकरण का मूल्यांकन, लिबोर परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम की पहचान, संविदा उपचार, प्रचालनात्मक तत्परता, शासी संचरना, विनियामक अनुपालन और रिर्पोटिंग आदि पहलू शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी नीति में विस्तृत प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार सभी परिवर्तन गतिविधियों को करेगा। 6 माह के यूएसडी लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उपलब्ध समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित प्रकटीकरण के लिए महत्वपूर्ण धारणाएं

इंड एएस 109 ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से सीधे प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के अस्थाई अपवाद प्रदान करता है। लिबोर संबंद्ध ऋणों और उनके डेरिवेटिव के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर/बेंचमार्क पर अभी ऋणदाताओं और डेरिवेटिव बैंकरों के साथ सहमति नहीं हुई है। परंतु, यह माना गया है कि इस तरह के सुधार के परिणामस्वरूप हेज किए गए मदों, हेज की गई लिखतों और इसकी संबंधित हेज प्रभावशीलता के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. आरईसीएल के संबंध में

(i) आरईसीएल के ऋण अमरीकी डॉलर लिबोर (लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), एओआरए (सिंगापुर ओवर नाइट रेट एवरेज), टोनार (टोक्यो ओवर नाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), टी-बिल्स, रेपो रेट आदि से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ ब्याज दर जोखिम में प्रकटीकरण है। आरईसीएल ब्याज दों में संचलन को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदा, वायदा ब्याज दर संविदा जैसे विभिन्न डेरिवेटिव संविदाओं के माध्यम से अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करता है। आरईसीएल विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए लागत में कमी की कार्यनीति के रूप में क्रॉस-मुद्रा ब्याज दर स्वैप का उपयोग करता है।

नीचे दी गई तालिका 31.03.2023 तक फ्लोटिंग ब्याज दरों से जुड़ी देयताओं के लिए आरईसीएल के समग्र प्रकटीकरण को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपए समतुल्य करोड़ ₹ में)

मुद्रा	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
	फ्लोटिंग ब्याज दर एक्सपोजर	डेरिवेटिव के माध्यम से हेज	हेजरहित प्रकटीकरण	फ्लोटिंग ब्याज दर एक्सपोजर	डेरिवेटिव के माध्यम से हेज	हेजरहित प्रकटीकरण
आईएनआर ऋण	**62,798.20**	**-**	**62,798.20**	**50,178.32**	**-**	**50,178.32**
अमरीकी $	506.20	189.20	317.00	463.60	132.50	331.10
आईएनआर समतुल्य	**41,618.19**	**15,555.43**	**26,062.76**	**35,144.17**	**10,044.44**	**25,099.73**
जापानी येन ¥	5,835.28	1,032.72	4,802.56	5,835.27	1,032.72	4,802.56
आईएनआर समतुल्य	**3,606.20**	**638.22**	**2,967.98**	3,631.29	642.66	2,988.63
यूरो €	60.40	-	60.40	-	-	-
आईएनआर समतुल्य	**5,412.51**	**-**	**5,412.51**	**-**	**-**	**-**
एसजीडी $	28.53	7.21	21.32	7.21	7.21	-
आईएनआर समतुल्य	**1,763.27**	**445.47**	**1,317.80**	403.21	403.21	-
कुल आईएनआर समतुल्य	**1,15,198.37**	**16,639.12**	**98,559.25**	**89,356.99**	**11,090.31**	**78,266.68**

आरसीएल ब्याज दर संवेदनशीलता बेमेल को कम करने के लिए ब्याज दर ऋण पर उचित मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करता है। इस तरह के स्वैप के माध्यम से 31 मार्च, 2023 तक ₹15,950.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11,850.70 करोड़) के निश्चित दर ऋणों को एमआईबीओआर-लिंक्ड ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप के उपयोग के माध्यम से फ्लोटिड ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है।

आरसीईएल के ऋण पोर्टफोलियों में ऋणकर्ता के साथ ब्याज की दर अर्ध-निश्चित अर्थात 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ होती है। आरसीईएल बाजार की मौजूदा स्थितियों, ऋण लागत, लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, संस्वीकृतियों और संवितरण आदि के आधार पर समय-समय पर अपनी ऋण दरों की समीक्षा करता है। पूर्व भुगतान जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए आरसीईएल पूर्व भुगतान के मामले में ऋणकर्ताओं से पूर्व-भुगतान प्रीमियम लेता है। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरणों के विश्लेषण तथा निश्चित और फ्लोटिंग ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

आरईसीएल को निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम है जो अर्ध-निश्चित दरों पर हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
रुपया ऋण	4,31,992.47	3,75,805.76

(ii) संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका आरईसीएल की फ्लोटिंग परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए लाभ एवं हानि (अभिलाभ/हानि)) पर प्रभाव और बिना हेजिंग वाले एक्सपोजर पर देयताओं का प्रतिनिधित्व करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	वृद्धि	(ह्रास)	वृद्धि	(ह्रास)
फ्लोटिंग दर ऋण देयताएं	(368.77)	368.77	(292.84)	292.84
ब्याज दर स्वैप	(59.68)	59.68	(44.34)	44.34
फ्लोटिंग/अर्ध निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,616.34	(1,616.34)	1,406.11	(1406.11)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

*अन्य सभी परिवर्तनीय मदों को स्थिर रखना

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग के अवधि में बकाया राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंकों की वृद्धि या कमी ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का आकलन प्रस्तुत करती है।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटीकरण

आरईसीएल के पास विभिन्न बेंचमार्क से जुड़ी ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर ऋण हैं। विदेशी मुद्रा ऋण के लिए इस तरह के ब्याज दर बेंचमार्क में 3/6 माह अमरीकी डॉलर लिबोर (लंदन इंटर-बैंक ऑफर्ड रेट), 3/6 माह ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर-बैंक ऑफर्ड रेट), ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), 3/6 माह टर्म एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्योड ओवरनाइट फाईनेंसिंग रेट) आदि शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 तक ऐसे ऋणों का सारांश निम्नानुसार है:

मानक	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमरीकी डॉलर मिलियन समतुल्य)	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमरीकी डॉलर मिलियन समतुल्य)
3 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर	1,233.26	150.00	7,201.67	950.00
6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर	29,080.13	3,537.00	27,373.94	3,611.00
3 मिलियन टर्म एसओएफआर	6,988.44	850.00	-	-
6 मिलियन टर्म एसओएफआर	822.17	100.00	-	-
ओ/एन एसओएफआर	3,494.22	425.00	568.55	75.00
3 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	3,595.53	437.32	-	-
6 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	3,134.74	381.28	-	-
ओ/एन टीओएनए	3,606.20	438.62	3,631.29	479.02
ओ/एन एसओआरए	445.48	54.18	403.21	53.19
कुल	**52,400.17**	**6,373.40**	**39,178.67**	**5,168.21**

जैसा की यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च 2021 को घोषित किया गया था, 3 माह और 6 माह यूएसडी लिबोर का प्रकाशन 30 जून, 2023 के बाद बंद हो जाएगा।

(क) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित एक्सपोजर

कंपनी के कुछ फ्लोटिंग दर ऋण पहले से ही नए बेंचमार्क के तहत हैं, फिर भी कुछ ऋण संबंधित ब्याज दरों की समाप्ति तिथि से पहले चुका दिए जाएंगे, अर्थात 3 मिलियन यूएसडी लिबोर और 6 मिलियन यूएसडी लिबोर। तदनुसार, ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोजर की कुल राशि 31 मार्च, 2023 तक ₹28,159.29 करोड़ (यूएसडी 3.425 बिलियन) (31 मार्च, 2022 तक ₹25,963.93 करोड़ (यूएसडी 3.425 बिलियन) है। इसमें से, हेज लेखांकन के तहत ऐसी देयताओं से संबद्ध डेरिवेटिव एक्सपोजर की न्यूनतम राशि ₹4,110.85 करोड़ (यूएसडी 0.500 बिलियन) (पिछले वर्ष ₹3,790.36 करोड़ (यूएसडी 0.500 बिलियन)) है।

(ख) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन करना

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अनुसरण में, लिबोर को वैकल्पिक जोखिम-मुक्त दरों (आरएफआर) से बदल दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) अमरीकी डॉलर लिबोर का प्रतिस्थापन होगा, जबकि टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), जेपीवाई लिबोर का स्थान लेगा। वैश्विक डेरिवेटिव सौदों को नियंत्रित करने वाली विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सांविधिक संस्था, आईएसडीए 2020 आईबीईओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (आमतौर पर फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है) के साथ सभी विरासत संविदाओं को नए बैंचमार्क पर ले जाएगा। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत विभिन्न लिबोर बेंचमार्क के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से सभी समकक्षों के साथ मौजूदा डेरिवेटिव ट्रेड पर लागू हो जाएंगे।

सावधि ऋणों के संबंध में, आरईसीएल प्रारंभिक चरण में परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऋणदाताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, 3,275 मिलियन अमेरिकी डॉलर (31 मार्च, 2023 तक ₹26,926.04 करोड़ के बराबर) के 10 अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए ऋणदाताओं ने बेंचमार्क को यूएसडी लिबोर से ओवरनाइट एसओएफआर/टर्म एसओएफआर में बदलने पर सहमति व्यक्त की है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने जेपीवाई 20,846.12 बिलियन (31 मार्च, 2022 तक भारतीय रुपया ₹1,297.25 करोड़ के बराबर) की राशि के दो जेपीवाई ऋणों के लिए परिवर्तन दस्तावेजीकरण पूरा कर लिया है, जिसमें बेंचमार्क जेपीवाई लिबोर से टीओएनए में बदल गया है। इसके अतिरिक्त, एसजीडी 72.08 मिलियन (31 मार्च, 2022 को भारतीय रुपया 403.21 करोड़ के बराबर) की राशि के एक एसजीडी ऋण के लिए एक सक्रिय परिवर्तन भी पिछले वर्ष के दौरान संपन्न हुआ है, जिसमें बेंचमार्क 6 मिलियन एसओआर (सिंगापुर स्वैप ऑफर रेट) से एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट दर औसत) में बदल दिया गया है।

(ग) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण धारणाएं

इंड एएस 109 ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से सीधे प्रभावित होने वाले सभी हेजिंग संबंधों को अस्थायी अपवाद प्रदान करता है। हालांकि अंतर्निहित ऋण के लिए बेंचमार्क पर अभी तक ऋणदाताओं के साथ सहमति नहीं बनी है, लेकिन यह माना गया है कि अंतर्निहित ऋण की वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में कोई बदलाव नहीं होगा और इस तरह के सुधार के परिणामस्वरूप डेरिवेटिव संविदा और हेज प्रभावशीलता में परिवर्तन नहीं किया गया है।

46.5 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम

(क) समूह सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश से उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिमों के संपर्क में है। समूह के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 13ए 'निवेश' देखें।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका समूह के इक्विटी निवेश पर संबंधित कीमतों में 5% वृद्धि या कमी के लिए समूह के बाहर लाभ और हानि के समेकित विवरण पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	वृद्धि	(ह्रास)	वृद्धि	(ह्रास)
लाभ और हानि पर प्रभाव	4.84	(4.84)	8.77	(8.77)
ओसीआई पर प्रभाव	59.86	(59.86)	50.16	(50.16)

47. हेज लेखांकन

हेजिंग लिखत जो हेज लेखांकन के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित किया गया है। डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी अंश जो नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित और पात्र है, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। हेजिंग लिखतों के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन को मनकदी प्रभाव हेज के प्रभावी हिस्सेफमें मान्यता दी गई है। इस तरह के रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के समेकित विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। जब हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है। इसके अतरिक्त, हेजिंग लिखतों के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'हेजिंग रिजर्व की लागत' में मान्यता दी जाती है। इस तरह के रिजर्व निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को व्यवस्थित आधार पर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका पीएफसी और सहायक आरईसीएल के लिए नकदी प्रवाह हेज के प्रभावी हिस्से और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन का विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
	नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी भाग		
(क)	**रिजर्व का प्रारंभिक शेष (कर का निवल)**	**394.55**	**(278.95)**
(ख)	वैकल्पिक अनुबंधों के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन	7,502.40	1,537.09
(ग)	पीओएएस/ फॉरवर्ड/ आईआरएस अनुबंधों के उचित मूल्य में परिवर्तन	674.18	665.14
(घ)	ओसीआई से लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत राशि	(7,244.23)	(1,302.21)
(ङ)	**वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त निवल राशि (ख + ग + घ)**	**932.35**	**900.02**
(च)	उपर्युक्त (ङ) पर आस्थगित कर	(234.65)	(226.52)
(छ)	**वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य प्राप्त निवल राशि (कर का निवल) (ङ + च)**	**697.70**	**673.50**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
(ज)	**रिजर्व का अंतिम शेष (कर का निवल) (क + छ)**	**1,092.25**	**394.55**
	हेजिंग रिवर्ज की लागत		
(क)	**रिजर्व का प्रारंभिक शेष (कर का निवल)**	**(690.70)**	**18.21**
(ख)	वैकल्पिकों/ पीओएस/ आईआरएस अनुबंधों/ फॉरवर्ड के आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(5,453.45)	(2,792.42)
(ग)	समय मूल्य का परिशोधन	2,889.49	1,845.09
(घ)	**वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य निवल राशि (ख + ग)**	**(2,563.96)**	**(947.33)**
(ङ)	उपर्युक्त (घ) पर आस्थगित कर	645.29	238.42
(च)	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य निवल राशि (कर का निवल) (घ + ङ)	**(1,918.67)**	**(708.91)**
(छ)	**रिजर्व का अंतिम शेष (कर का निवल) (क + च)**	**(2,609.37)**	**(690.70)**

क. पीएफसी के संबंध में

(i) हेज प्रभावशीलता

हेज प्रभावशीलता हेज संबंध की स्थापना और आवधिक संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए पर निर्धारित की जाती है कि हेज की गई मदों और हेजिंग लिखित के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण कार्यनीति लागू करती है।

क) हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाने वाले विकल्पों के अतिरिक्त अन्य डेरिवेटिव के लिए, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग करके गुणात्मक कारकों की सामंजस्य विधि (जहां हेजिंग लिखत और हेज की गई मदों की प्रमुख शर्तें समान हैं) पर आधारित होती है।

ख) विकल्प संरचनाओं के लिए, कंपनी प्रतिगमन विश्लेषण आधारित डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज की गई मदों के मूल्य में परिवर्तन के संबंध का विश्लेषण करती है।

(ii) समेकित तुलन-पत्र पर नकदी प्रभाव हेज के रूप में नामित हेजिंग लिखतों के प्रभाव:

क्र. सं.	विवरण		न्यूनतम राशि (₹ करोड़ में)	वहनीय राशि [1] परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	देयताएं (₹ करोड़ में)	परिपक्वता की तारीख	भारित औसत दर/स्ट्राइक कीमत
31.03.2023 तक							
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	फॉरवर्ड	507.09	20.40		फरवरी 2024	0.6303
		केवल स्वैप मूलधन	4,521.93	460.12		सितंबर 2023 - सितंबर 2024	71.91
		कॉल स्प्रेड विकल्प	13,705.76	679.45		अक्तूबर 2023 - दिसंबर 2024	76.99
		सीगल विकल्प	29,169.51	2,826.19	3.26	दिसंबर 2023 - दिसंबर 2027	यूएसडी/आईएनआर 76.5202 यूरो/यूएसडी-1.0775 यूएसडी/जेपीवाई-130.83
	उप-योग		**47,904.29**	**3,986.16**	**3.26**		
2.	**ब्याज दर डेरिवेटिव**	ब्याज दर स्वैप	7,399.52	364.11	-	सितंबर 2023 - जनवरी 2024	1.27%
	उप-योग		**7,399.52**	**364.11**	-		
3.	**कुल (1+2)**		**55,303.81**	**4,350.27**	**3.26**		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2022 तक							
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	फॉरवर्ड	-	-	-	-	
		केवल स्वैप मूलधन	6,064.57	277.61	-	जून 2022 - सितंबर 2024	71.09
		कॉल स्प्रेड विकल्प	7,959.75	70.55	21.55	अक्तूबर-2023 - दिसंबर-2024	73.90
		सीगल विकल्प	10,802.51	1,453.26	-	मई 2026 - नवंबर-2026	73.96
	उप-योग		**24,826.83**	**1,801.42**	**21.55**		
2.	ब्याज दर डेरिवेटिव	ब्याज दर स्वैप	8,717.82	198.86	39.15	जून 2022 - जून 2024	1.38%
	उप-योग		**8,717.82**	**198.86**	**39.15**		
3.	**कुल (1+2)**		**33,544.65**	**2,000.28**	**60.70**		

(1) यह समेकित तुलन-पत्र में समान मद 'डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों' का भाग है।

(iii) नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित हेजिंग लिखतों की न्यूनतम राशि के समय की प्रोफाइल*

(₹ करोड़ में)

विवरण (डेरिवेटिव सहित)	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
मुद्रा डेरिवेटिव		
1 वर्ष तक	16,901.55	1,895.18
1 - 5 वर्ष	31,002.74	22,931.65
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-योग (क)	**47,904.29**	**24,826.83**
ब्याज दर डेरिवेटिव		
1 वर्ष तक	2,055.42	1,895.18
1 - 5 वर्ष	5,344.10	6,822.64
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-योग (ख)	**7,399.52**	**8,717.82**
कुल (क+ख)	**55,303.81**	**33,544.65**

* उपर्युक्त तालिका में परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत की शेष अवधि के अनुसार हैं।

(iv) लाभ और हानि के समेकित विवरण पर नकदी-प्रवाह हेज के रूप में नामित हेजिंग लिखतों के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त हेजिंग लिखितों के मूल्य में परिवर्तन	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त हेज अप्रभाविता	ओसीआई से लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत राशि	ओसीआई से लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकरण पर लाभ और हानि में प्रभावित समान मद
31.03.2023 तक					
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	504.02	-	945.75	वित्त लागत
				(1,972.41)	निवल परिवर्तन/ लेन-देन विनिमय हानि / (अभिलाभ)
2.	ब्याज दर डेरिवेटिव	221.69	-	(117.17)	वित्त लागत
31.03.2022 तक					
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	(451.84)	-	702.18	वित्त लागत
				(532.79)	निवल परिवर्तन/ लेन-देन विनिमय हानि / (अभिलाभ)
2.	ब्याज दर डेरिवेटिव	238.72	-	100.10	वित्त लागत

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. आरईसीएल के संबंध में

हेज प्रभावशीलता हेज संबंध की स्थापना और आवधिक संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जाती है कि हेज की गई मदों और हेजिंग लिखित के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण कार्यनीति लागू करती है:

(i) क्रॉस करेंसी स्वैप के लिए, मूलधन केवल स्वैप और ब्याज दर स्वैप जो हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्तों की मिलान पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से निर्धारण के मामलों में) के लिए, कंपनी एक अनुमानित डेरिवेटिव का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है, डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की तुलना हेजिंग जोखिम के कारण हेज की गई मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ की जाती है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए, आरईसीएल प्रतिगमन विश्लेषण आधारित डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेजिंग के व्यवहार का विश्लेषण करता है।

आरईसीएल ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखतों के अंतर्निहित जोखिम और अनुमानित राशि हेज की गई मदों के समान है।

(i) समेकित तुलन-पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज और जोखिम के प्रकार	अनुमानित राशि (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों की वहनीय राशि		परिपक्वता तिथियां	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक कीमत/दर	हेजिंग लिखितों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता की मान्यता के लिए आधार के रूप में उपयोग किए जाने वाले हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
		परिसंपत्तियां	देयताएं					
31.03.2023 तक								
नकदी प्रवाह हेज								
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम								
सीगल संरचना	यूएसडी 8,387	6,970.98	2.25	मई 2023 - नवंबर 2030	1:1	77.03	1,594.19	(1,594.19)
	यूरो 673.79	403.91	-	दिसंबर 2023 - मार्च 2028	1:1	1.03	210.89	(210.89)
	एसजीडी 285.29	32.00	83.52	मार्च 2025 - अक्तूबर 2027	1:1	0.36	(65.66)	65.66
	जेपीवाई 58,352.74	572.12	-	अगस्त 2023 - मार्च 2027	1:1	0.61	(52.15)	52.15
कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	208.14	-	मार्च 2024	1:1	57.52	58.14	(58.14)
क्रॉस करेंसी स्वैप	यूएसडी 800	85.92	-	मई 2023 - मार्च 2025	1:1	3.52% और 72.79	98.24	(98.24)
	जेपीवाई 10,327.12	-	0.60	अगस्त 2023	1:1	4.31% और 0.62	(0.33)	0.33
केवल मूलधन स्वैप	यूएसडी 375	38.85	-	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(35.15)	35.15
ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 1992	251.77	10.87	मई 2023 - नवंबर 2030	1:1	0.98%	189.27	(189.27)
31.03.2022 तक								
नकदी प्रवाह हेज								
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम								
सीगल संरचना	यूएसडी 7,045	4,744.05	-	मई 2022 - जनवरी 2027	1:1	74.31	(399.81)	399.81
	यूएसडी 20,846.12	102.15	-	अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	(96.08)	96.08

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

हेज और जोखिम के प्रकार	अनुमानित राशि (मिलियन में)	हेजिंग लिखतों की वहनीय राशि		परिपक्वता तिथियां	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक कीमत/दर	हेजिंग लिखितों के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता की मान्यता के लिए आधार के रूप में उपयोग किए जाने वाले हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
		परिसंपत्तियां	देयताएं					
कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	76.73	-	मार्च 2024	1:1	57.523	(74.08)	74.08
क्रॉस करेंसी स्वैप	यूएसडी 1,300	22.69	43.78	मई 2022 - मार्च 2025	1:1	2.99% और 72.94	112.67	(112.67)
	जेपीवाई 10,327.12	-	1.50	अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	0.82	(0.82)
	एसजीडी 72.08	23.86	-	मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
केवल मूलधन स्वैप	यूएसडी 375	-	48.37	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(49.08)	49.08
ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 425	92.42	-	मार्च 2024 - अक्तूबर 2026	1:1	2.23%	130.27	(130.27)

(ii) लाभ और हानि के समेकित विवरण पर नकदी प्रवाह हेज लेखांकन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यताप्राप्त हेजिंग लिखितों के मूल्य में परिवर्तन	हेज अप्रभाविता की मान्यता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन मद
31.03.2023 तक					
1.	मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम	1,997.43	-	(4,995.73)	निवल परिवर्तन/ लेन-देन विनिमय हानि/(अभिलाभ)
				(158.91)	वित्त लागत
31.03.2022 तक					
1.	मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम	(377.06)	-	(995.95)	निवल परिवर्तन/ लेन-देन विनिमय हानि/अभिलाभ)
				126.43	वित्त लागत

(iii) उचित मूल्य हेज

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी के पास ₹15,950.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11,850.70 करोड़) के बकाया ब्याज दर स्वैप करार हैं, जिसमें कंपनी को ब्याज की एक निश्चित दर प्राप्त होती है और अनुमानित राशि पर परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान करना है। इस तरह के करार का उपयोग निश्चित दर ऋण के उचित मूल्य में परिवर्तन के जोखिम को रोकने के लिए किया जा रहा है।

हेज की गई मदों और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है क्योंकि ब्याज दर स्वैप की शर्तें निश्चित दर ऋण (अर्थात अनुमानित राशि, परिपक्वता, भुगतान और रीसेट तिथियां) की शर्तों से मेल खाती हैं। इस प्रकार, हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया गया है क्योंकि ब्याज दर स्वैप का अंतर्निहित जोखिम हेज किए जोखिम घटक के समान है।

तुलन-पत्र पर हेजिंग लिखत का प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	अनुमानित राशि	वहनीय राशि*	तुलन-पत्र में लाइन मद जहां हेजिंग लिखतों का प्रकटीकरण किया जाता है	हेज अप्रभाविता के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
31-03-2023 तक	- ब्याज दर स्वैप	15,950.70	(279.02)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	(167.10)
31-03-2022 तक	- ब्याज दर स्वैप	11,850.70	(111.92)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	(111.92)

*यहां वहनीय राशि में रिपोर्टिंग तिथि का इस तरह के डेरिवेटिव अनुबंध के तहत प्राप्य ब्याज से अनन्य है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

तुलन-पत्र पर हेजिंग लिखत का प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	वहनीय राशि	संचित उचित मूल्य समायोजन	तुलन-पत्र में लाइन मद जिसमें हेज किए गए मद शामिल हैं	हेज अप्रभाविता के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
31-03-2023 तक	-अधिनस्थ देयताएं	4,748.24	(178.16)	अधिनस्थ देयताएं	(49.83)
	संस्थागत बॉण्ड	7,773.47	(100.86)	ऋण प्रतिभूतियां- संस्थागत बॉण्ड	(117.27)
31-03-2022 तक	अधिनस्थ देयताएं	4,148.36	(128.33)	अधिनस्थ देयताएं	(128.33)
	संस्थागत बॉण्ड	7,881.97	16.41	ऋण प्रतिभूतियां- संस्थागत बॉण्ड	16.41

₹167.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹111.92 करोड़) के ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में कमी की ऑफसेट संबंधित अधीनस्थ देयताओं और ऋण प्रतिभूतियों पर समान लाभ के साथ की गई है।

48. उचित मूल्य का मापन

48.1 समूह की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित तालिका इस बारे में जानकारी देती है कि इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से, मूल्यांकन तकनीक(ओं) और उपयोग किए गए इनपुट)।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता -आवर्ती उचित मूल्य	उचित मूल्य 31.03.2023	उचित मूल्य 31.03.2022	उचित मूल्य पदानुक्रम (टिप्पणी 6.1 देखें)	मूल्यांकन तकनीक और प्रमुख इनपुट
1	**उद्धृत इक्विटी निवेश**				
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	102.06	98.70	स्तर 1	उद्धृत इक्विटी निवेश
	- कोल इंडिया लिमिटेड	298.35	255.62		
	- एनएचपीसी लिमिटेड	690.13	570.26		
	- सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	105.15	77.42		
	- हाउसिंग एंड आर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.50	1.14		
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड	96.67	175.31		
2	**गैर-उद्धृत इक्विटी**				
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	3.59	0.00		उचित मूल्य की गणना निवेशकर्ता कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हुए की गई है।
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00		पुनर्गठन के अनुसरण में आवंटित, जिसका मूल्य विवेकपूर्ण आधार पर ₹1 है।
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स)	-	-	स्तर 3	उचित मूल्य की गणना शून्य के रूप में की गई है क्योंकि यूसीएक्स बंद हो गया है और एक चालू संस्था के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)	298.51	456.47		उचित मूल्य की गणना निवेशकर्ता कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हुए की गई है।
	झाबुआ पावर लिमिटेड	602.82	-		
	इंड बाराथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड	1.81	-		
3	**अधिमानी शेयरों में निवेश**				
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड -ओसीसीआरपीएस	-	-	स्तर 3	रतन इंडिया पावर लिमिटेड के आरपीएस के मोचन में डिफॉल्ट के कारण, पीएफसी और आरईसीएल का अनुमान है कि निवेश से कोई महत्वपूर्ण राशि प्राप्त नहीं हो सकती है।
	- सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड -सीसीपीएस	-	0.00		समाधान के अनुसरण में इक्विटी शेयरों में परिवर्तित

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता -आवर्ती उचित मूल्य	उचित मूल्य 31.03.2023	उचित मूल्य 31.03.2022	उचित मूल्य पदानुक्रम (टिप्पणी 6.1 देखें)	मूल्यांकन तकनीक और प्रमुख इनपुट
4	**डिबेंचरों में निवेश**				
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला ए3 - ओसीडी	122.49	129.83	स्तर 3	करार की शर्तों के अनुसार डिस्कांउट पर भावी नकदी प्रवाह का उपयोग करके हुए उचित मूल्य निर्धारण
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला बी3 - ओसीडी	52.59	55.75		
	- सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड - ओसीडी	-	102.69		वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी की ओसीडी को कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया।
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला सी - ओसीडी	0.00	0.00		संरचित पुनर्भुगतान अनुसूची की अनुपलब्धता के कारण उचित मूल्य ₹1 था। डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य में नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं।
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला ए - ओसीडी	0.00	0.00		
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला बी - ओसीडी	0.00	0.00		
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला ए। - ओसीडी	0.00	0.00		
	7.99% सतत बॉण्ड - केनरा बैंक	208.47	-		भविष्य के नकदी प्रवाह पर कूपन दर से छूट देकर उचित मूल्यांकन किया गया।
	9.50% यूको बैंक के सतत बॉण्ड	228.79	-		
5	**डेरिवेटिव वित्तीय लिखत**				
	- परिसंपत्तियां	13,785.01	8,590.73	स्तर 2	इन संविदाओं का उचित मूल्य प्रतिपक्ष बैंकों से प्राप्त किया जाता है, जो इसे मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके निर्धारित करते हैं जो इनपुट का उपयोग करते हैं, जैसे कि ब्याज दरें और यील्ड कर्व, निहित अस्थिरता आदि।
	- देयताएं	1,001.27	656.39		

48.2 वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ।

48.3 स्तर 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन किया गया।

निम्नलिखित तालिका स्तर 3 इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गयी समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष राशि के समाधान को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एफवीटीपीएल			एफवीटीओसीआई	
	सतत बॉण्ड में निवेश	अधिमानी शेयरों में निवेश	डिबेंचरों में निवेश	केएसके के एसआईबी निधि की इकाइयों में निवेश	गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश
वित्तीय वर्ष 2022-23					
प्रारंभिक शेष	-	-	288.27	-	456.47
वर्ष के दौरान किया गया निवेश	428.00	-	-	-	633.53
निपटान	-	-	(26.66)	-	-
स्तर^3 में अंतरण	-	-	-	-	-
स्तर^3 में अंतरण	-	-	-	-	-
ब्याज आय(1)	9.26	3.24	28.26	-	-
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)	-	(3.24)(3)	(114.79)(3)	-	(183.27)(2)
अंतिम शेष	**437.26**	**-**	**175.08**	**-**	**906.73**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	एफवीटीपीएल			एफवीटीओसीआई	
	सतत बॉण्ड में निवेश	अधिमानी शेयरों में निवेश	डिबेंचरों में निवेश	केएसके के एसआईबी निधि की इकाइयों में निवेश	गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश
वर्ष के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ	9.26	-	15.70	-	(199.27)
वित्तीय वर्ष 2021-22					
प्रारंभिक शेष	-	139.18	294.69	-	-
वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	(58.53)	(0.95)	-
स्तर3 में अंतरण	-	-	-	-	496.26
स्तर3 में अंतरण	-	-	-	-	-
ब्याज आय(1)	-	6.02	41.80	-	-
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)	-	(145.20)(3)	10.31(3)	0.95(2)	(39.79)(2)
अंतिम शेष	**-**	**-**	**288.27**	**-**	**456.47**
वर्ष के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ	-	(128.61)	29.41	-	(55.79)

(1) लाभ और हानि के समेकित विवरण में समान मद 'ब्याज आय' का हिस्सा है।

(2) एफवीटीओसीआई में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) के लाभ और हानि के समेकित विवरण के अन्य व्यापक खंड मे 'इक्विटी लिखत के उचित मूल्य निवल अभिलाभ/(हानि)' का हिस्सा है।

(3) एफवीटीपीएल में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ के समेकित विवरण में समान मद 'उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)' का हिस्सा है।

48.4 परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/देयतायों का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति/देयता	उचित मूल्य पदक्रम	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
ऋण	स्तर 3	8,32,903.36	8,40,976.30	7,32,850.76	7,39,774.58
निवेश(क)	स्तर 1/3	3,159.96	3,176.94	1,850.32	1,888.89
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	स्तर 2	29,835.15	29,841.80	29,820.35	29,829.30
ऋण प्रतिभूतियां (क)	स्तर 1/2	4,96,729.38	4,85,766.39	4,49,731.56	4,58,028.81
ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य ऋण (ख)	स्तर 2	2,38,343.00	2,34,437.30	1,94,616.98	1,91,511.59
अधिनस्थ देयताएं	स्तर 2	16,085.14	16,589.24	16,127.74	17,091.64

(क) स्तर 1 उचित मूल्य क्रम के साथ सूचीबद्ध लिखत शामिल हैं

जी-सेक और एसडीएल में निवेश का रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार बाजार मूल्य का उपयोग करके उचित मूल्यांकन किया जाता है।

विदेशी मुद्रा नोट्स (जीएमटीएन निर्गमों) का रॉयटर्स के अनुसार समापन मूल्य पर उचित मूल्य निर्धारण किया जाता है।

(ख) लिबोर/वैकल्पिक संदर्भ दर के विदेशी मुद्रा ऋण और बहुपक्षीय एजेंसियों के ऋण शामिल हैं जो सममूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(i) उपर्युक्त वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य डिस्कांउट से संबद्ध नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर आमतौर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनपुट छूट दर है जो उन मामलों को छोड़कर काउंटरपार्टियों के क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है, जहां उद्धृत बाजार की कीमतें उपलब्ध हैं। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए की गई थी।

(ii) उपर्युक्त तालिका में दर्शाई गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा अन्य की वहनीय राशि को उनके उचित मूल्यों का उचित सन्निकटन माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

49. संबंधित पक्षकार के प्रकटीकरण

49.1 संबंधित पक्षकार:

सहयोगी कंपनियां:			
1	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	2	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
3	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	4	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
5	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	6	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	8	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
9	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
11	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (30.06.2022 तक)	12	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड (27.09.2022 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटा दिया गया)
13	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से 11.01.2023 को नाम हटा दिया गया)	14	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (29.09.2022 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटा दिया गया)
15	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	16	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
17	मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड (30.05.2022 को हस्तांतरित)	18	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
19	शोंगटोंग करछम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.01.2023 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नाम हटा दिया गया)	20	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (13.01.2023 को कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटा दिया गया)
21	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (28.03.2023 को हस्तांतरित)	22	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
23	फतेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (05.05.2022 को निगमित)	24	खेतड़ी-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (11.05.2022 को हस्तांतरित)
25	सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.04.2022 को निगमित)	26	किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.12.2022 को हस्तांतरित)
27	भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.05.2022 को निगमित)	28	ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.05.2022 को निगमित)
29	धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को निगमित और 28.03.2023 को स्थानांतरित)	30	फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.05.2022 को निगमित)
31	खंदूखाल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.05.2022 को निगमित और 07.10.2022 को हस्तांतरित)	32	फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2022 को निगमित)
33	रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को निगमित और 28.03.2023 को हस्तांतरित)	34	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
35	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	36	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
37	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	38	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.04.2022 को निगमित)
39	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	40	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (28.10.2022 को निगमित)
41	रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड (20.04.2022 को निगमित)	42	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (10.01.2023 को निगमित)
43	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.05.2022 को निगमित)	44	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (30.05.2022 को हस्तांतरित)
45	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (14.12.2022 को निगमित)	46	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (10.10.2022 को हस्तांतरित)
47	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड (25.04.2022 को निगमित और कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया के अधीन)	48	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड (21.01 2023 को हस्तांतरित)
49	नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड (12.04.2022 को निगमित और 24.08.2022 को हस्तांतरित)	50	खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड (22.04.2022 को निगमित और 21.03.2023 को हस्तांतरित)
51	डब्ल्यूआरएसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (22.09.2022 को निगमित और 17.01.2023 को हस्तांतरित)	52	खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड (02.05.2022 को निगमित और 21.03.2023 को हस्तांतरित)
53	खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड (21.04.2022 को निगमित और 21.03.2023 को हस्तांतरित)	54	ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (27.09.2022 को निगमित और 21.03.2023 को स्थानांतरित)
55	केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (29.04.2022 को निगमित और 21.03.2023 को हस्तांतरित)	56	केपीएसआई 1 ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.05.2022 को निगमित और 20.04.2023 को हस्तांतरित)
57	केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड (04.05.2022 को निगमित और 21.03.2023 को हस्तांतरित)	58	जीएडीएजी II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड (18.11.2022 को हस्तांतरित)
59	खावड़ा II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड (19.04.2022 को निगमित और 28.03.2023 को हस्तांतरित)		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

सहयोगी कंपनियां:			
कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनके संबंधी:		**पदनाम**	
पीएफसी के संबंध में			
1.	श्री रविंदर सिंह ढिल्लों	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
2.	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त)	
3.	श्री राजीव रंजन झा	निदेशक (परियोजना)	
4.	श्री मनोज शर्मा (29.08.2022 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	
5.	श्री अजय तिवारी (09.06.2022 से)	सरकारी नामिती निदेशक	
6.	श्री विशाल कपूर (08.06.2022 तक)	सरकारी नामिती निदेशक	
7.	श्री राम चंद्र मिश्र (11.07.2022 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
8.	एडवोकेट भास्कर भट्टाचार्य	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
9.	श्री प्रसन्ना तंत्री	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
10.	श्रीमती उषा सजीव नायर	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
11.	श्री मनोहर बलवानी (30.04.2023 तक)	मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	
सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में			
1.	श्री एस.के. जी रहाटे निदेशक (10.05.2022 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
2.	श्री रविंदर सिंह ढिल्लों (10.05.2022 से 16.05.2022 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
3.	श्री विवेक कुमार देवांगन (17.05.2022 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
4.	श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त)	
5.	श्री वी. के. सिंह (15.07.2022 से)	निदेशक (तकनीकी) (15 जुलाई 2022 से)	
6.	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	पीएफसी नामिती निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	
7.	श्री विशाल कपूर (14.09.2022 तक)	सरकारी नामिती निदेशक (14 सितंबर 2022 से सेवाएं समाप्त)	
8.	श्री पीयूष सिंह (14.09.2022 से)	सरकारी नामिती निदेशक (14 सितंबर 2022 से)	
9.	डॉ. गंभीर सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
10.	डॉ. मनोज एम. पांडे	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
11.	डॉ. दुर्गेश नंदिनी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
12.	श्री नारायणन तिरुपति (06.03.2023 से)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (6 मार्च, 2023 से)	
13.	श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव	
सहायक कंपनी पीएफसीसीएल के संबंध में			
1.	श्री रविन्दर सिंह ढिल्लों	अध्यक्ष	
2.	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक	
3.	श्री राजीव रंजन झा	निदेशक	
4.	श्री मनोज कुमार राणा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
5.	श्री मिलिंद एम. दफाडे (03.12.2022 से)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	
6.	श्री मनीष कुमार अग्रवाल (16.02.2023 तक)	कंपनी सचिव	
7.	श्री सचिन अरोड़ा (16.02.2023 से)	कंपनी सचिव	
पीएफसी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/फंड			
1.	पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि	2.	पीएफसी कार्मिक उपदान निधि
3.	पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007	4.	पीएफसी सेवानिवृत्ति मेडिकल निधि
सहायक कंपनी आरईसीएल के ट्रस्ट/ फंड/ सोसाइटी			
1.	आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी मेडिकल ट्रस्ट	2.	आरईसी कार्मिक सेवानिवृत्ति ट्रस्ट
3.	आरईसी ग्रेच्युटी फंड	4.	आरईसी लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
5.	आरईसी कर्मचारी हितैषी निधि	6.	आरईसी फाउंडेशन
वे कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं			
1.	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	2.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) (पीएफसी के लिए 29.09.2022 से और आरईसी के लिए 28.07.2022 से)
3	एसजेवीएन लिमिटेड (01.12.2022 से)	4.	समर्पण हॉस्पीटल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	एनटीपीसी लिमिटेड (14.09.2022 से)	6.	नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (15.07.2022 से)
7.	जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (18.01.2023 से)		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

49.2 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

समूह के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी में सहायक कंपनियों के साथ अंतरा-समूह संबंधित पक्षकार लेनदेन को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए समूह से संबंधित पक्षकार लेनदेन में इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान
संयुक्त उद्यम		
वाहनों पर पट्टा किराया*	-	0.09
सहयोगी कंपनियां		
सहयोगी कंपनियों से अग्रिमों की वसूली (ब्याज सहित)	1.83	5.04
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम पर ब्याज आय	19.23	18.15
सहयोगी कंपनी से लिए गए अग्रिम का पुनर्भुगतान	2.27	1.12
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम पर ब्याज व्यय	4.66	2.87
सहयोगी कंपनी के हस्तांतरण पर आय	58.89	39.93
अन्य	9.77	6.11
समूह के ट्रस्ट/ फंड/ फाउंडेशन		
वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	48.64	25.66
बॉण्ड पर वित्त लागत	3.54	4.00
बॉण्डों का मोचन	5.10	4.80
अन्य	151.95	112.80
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
अल्पावधि कार्मिक हितलाभ (i)	8.36	7.08
रोजगार पश्चात हितलाभ (ii)	0.96	0.60
अन्य दीर्घावधि हितलाभ (iii)	0.14	0.41
उप-योग (i+ii+iii)	**9.46**	**8.09**
ब्याज आय सहित ऋणों और अग्रिमों की चुकौती/वसूली	0.66	0.47
बॉण्ड की सदस्यता	-	0.17
बॉण्डों का मोचन	0.10	-
निदेशकों का प्रदत्त सीटिंग शुल्क	0.80	0.41
बॉण्ड पर प्रदत्त वित्त लागत	0.08	0.04
वे कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं		
प्राप्त लाभांश	6.96	13.13
निदेशकों का प्राप्त सीटिंग शुल्क	0.08	0.05
वित्त लागत	-	0.35
अन्य	15.34	-

* ईईएसएल में संयुक्त नियंत्रण की समाप्ति की तारीख तक के लेनदेन का प्रकटीकरण किया गया है।

49.3 संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष निम्नानुसार है:

समूह के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी में अंतरा-समूह से संबंधित पक्षकार की सहायक कंपनियों के साथ बकाया शेष को समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए संबंधित पक्षकार के साथ समूह के बकाया शेष का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
ऋण, अग्रिम और अन्य के निमित्त वसूलीयोग्य राशि (ब्याज सहित)		
सहयोगी कंपनियां	223.51	209.26
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.53	0.66
समूह के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/निधि	15.11	1.20
वे कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं	5.60	-
ऋण, अग्रिम और अन्य के निमित्त देय राशि (ब्याज सहित)		
सहयोगी कंपनियां	177.12	177.14
ऋण प्रतिभूतियां		
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.35	0.54
कंपनी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/फंड	35.90	41.00
कंपनी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/फंड के संदर्भ में किया गया प्रावधान	17.95	1.05
निम्नलिखित में किया गया निवेश		
सहयोगी कंपनी	0.55	0.75
कंपनियां जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं	400.57	313.44

49.4 समान सरकार (सरकार से संबंधित संस्थाओं) के नियंत्रणाधीन संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

समूह की कंपनियां जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) हैं। सरकार से संबंधित संस्थाओं की सूची जिनके साथ समूह ने लेनदेन किया है, इसमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	दमोदर वैली कॉर्पोरेशन
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड)	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नेवेली यूपी पावर लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	कोल इंडिया लिमिटेड
रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनएचपीसी लिमिटेड
एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड
नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
नेशनल इंफोमेटिक सेंटर सर्विसेज इंक.(एनआईसीएसआई)	एमएसडीटी लिमिटेड
वाप्कोस लिमिटेड	

समान सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेन-देन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान
ऋण का संवितरण	9,220.07	2,832.23
प्राप्त ब्याज	4,144.59	4,805.82
प्रदत्त सदस्यता शुल्क	13.40	5.00

केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन के संबंध में टिप्पणी 14, 23, 25.1, 25.3 और 55 देखें।

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपर्युक्त लेनदेन में वे लेनदेन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। समूह ने अन्य सीपीएसयू के साथ टेलीफोन व्यय और जमा, सरकारी कार्यक्रमों पर खर्च आदि, अन्य लेन-देन भी किए हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेन-देन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

49.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की प्रमुख निबंधन एवं शर्तें

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन उन शर्तों के बराबर शर्तों पर किए जाते हैं जो निष्पक्ष लेन-देन में प्रबल होते हैं।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक संबंधित कंपनियों की मानव संसाधन नीतियों के अनुरूप है।

(iii) निदेशकों/केएमपी को दिए गए ऋणों और अग्रिमों में पुनर्भुगतान की शर्तें/अवधि निर्दिष्ट होती है और ये समूह की संबंधित कंपनियों की मानव संसाधन नीतियों के अनुरूप हैं।

(iv) समूह की कंपनियां प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के लिए एसपीवी के रूप में निगमित अपनी सहयोगी कंपनियों को अग्रिम देती हैं। इस तरह के अग्रिमों में संबंधित कंपनी की नीति के अनुसार सावधि ऋणों पर लागू दर पर ब्याज दरें लागू होती हैं।

(v) ट्रस्टों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया ब्याज और/या लाभांश संबंधित कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों और/या इक्विटी शेयरों में उनके निवेश के कारण होता है और ऐसी प्रतिभूतियों पर भुगतान किया गया ब्याज और/या लाभांश सभी धारकों पर समान रूप से लागू होता है।

(vi) वर्ष के अंत में समूह कंपनियों की बकाया राशि अप्रतिभूत है।

50. कार्मिक हितलाभ

50.1परिभाषित अंशदान योजनाएं:

50.1.1 पेंशन

समूह की कंपनियां कार्मिकों के टीयर-ख एनपीएस खाते (पेंशन खाते) में पूर्व-निर्धारित दरों पर कार्मिकों के प्रति अपने पेंशन दायित्व के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निश्चित अंशदान का भुगतान करती हैं।

50.1.2 भविष्य निधि

समूह की कंपनियां एक अलग ट्रस्ट को निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान करती हैं, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करती है। ट्रस्टों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिफल दर अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान में किसी भी कमी की भरपाई समूह की कंपनियों द्वारा की जानी चाहिए। समूह की कंपनियों का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए, आगे कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा जाता है।

समूह ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹30.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹26.47 करोड़) के व्यय को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी है।

50.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

50.2.1 उपदान

समूह की कंपनियों में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कार्मिक जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, वह यथा संशोधित उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधनों पर विचार करते हुए सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, समाप्ति, दिव्यांगता या मृत्यु पर अधिकतम ₹0.20 करोड़ की शर्त पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का पात्र है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
क) परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	58.77	57.96
ख) योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	54.97	57.59
ग) निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता (ए-बी)	3.80	0.37

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण		परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
I.	**प्रारंभिक शेष**	57.96	61.11	57.59	57.13	0.37	3.98
	लाभ या हानि में शामिल						
	वर्तमान सेवा लागत	2.90	3.44	-	-	2.90	3.44
	पिछली सेवा लागत	2.16	-	-	-	2.16	-
	ब्याज लागत/आय	4.11	4.20	4.27	4.01	(0.16)	0.19
II.	**लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि**	**9.17**	**7.64**	**4.27**	**4.01**	**4.90**	**3.63**
	ओसीआई में शामिल						
	पुन:मापन हानि/(अभिलाभ)	-	-	-	-	-	-
	वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	0.40	(1.54)	-	-	0.40	(1.54)
	अनुभव समायोजन से बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	(1.30)	(1.69)	-	-	(1.30)	(1.69)
	जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	0.15	(0.72)	(0.15)	0.72
III.	**ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि**	**(0.90)**	**(3.23)**	**0.15**	**(0.72)**	**(1.05)**	**(2.51)**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	0.42	4.73	(0.42)	(4.73)
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(7.46)	(7.56)	(7.46)	(7.56)	-	-
VII.	**अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)**	**58.77**	**57.96**	**54.97**	**57.59**	**3.80**	**0.37**

50.2.2 सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

समूह की कंपनियों में सेवानिवृत्त और दिवंगत कार्मिकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) है। पीआरएमएस के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

इस योजना का प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट को पात्र कार्मिकों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करना होगा। तथापि किसी भी कमी को पूरा संबंधित कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए। समूह की कंपनियों का अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए, आगे कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं समझा जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
क)	परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	228.98	221.90
ख)	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	238.58	214.92
ग)	निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता (क-ख)	(9.60)	6.98

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण		परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य समाप्त वर्ष के लिए		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य समाप्त वर्ष के लिए		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
I.	**प्रारंभिक शेष**	**221.90**	**200.06**	**214.92**	**187.46**	**6.98**	**12.60**
	लाभ या हानि में शामिल						
	वर्तमान सेवा लागत	6.74	5.88	-	-	6.74	5.88
	पिछली सेवा लागत	-	2.50	-	-	-	2.50
	ब्याज लागत/आय	16.07	13.77	15.89	13.14	0.18	0.63
II.	**लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि**	**22.81**	**22.15**	**15.89**	**13.14**	**6.92**	**9.01**
	ओसीआई में शामिल						
	पुन:मापन हानि/(अभिलाभ)	-	-	-	-	-	-
	वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	2.74	(5.34)	-	-	2.74	(5.34)
	अनुभव समायोजन से बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	(4.07)	10.92	-	-	(4.07)	10.92
	जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	9.30	-	-	-	9.30
	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	2.14	3.23	(2.14)	(3.23)
III.	**ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि**	**(1.33)**	**14.88**	**2.14**	**3.23**	**(3.46)**	**11.65**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	0.44	0.15	0.14	0.10	0.30	0.05
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	8.23	13.30	(8.23)	(13.30)
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(14.84)	(15.34)	(2.74)	(2.31)	(12.10)	(13.03)
VII.	**अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)**	**228.98**	**221.90**	**238.58**	**214.92**	**(9.60)**	**6.98**

50.2.3 आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

समूह की कंपनियों में किसी कार्मिक की स्थायी दिव्यांगता/मृत्यु के मामले में मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए के एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्त रहित है और देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	11.99	10.92

परिभाषित हितलाभ दायित्व में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण		समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	
		31.03.2023	31.03.2022
I.	**प्रारंभिक शेष**	10.92	8.66
	लाभ या हानि में शामिल		
	वर्तमान सेवा लागत	0.67	0.58
	पिछली सेवा लागत	-	-
	ब्याज लागत/आय	0.77	0.58
II.	**लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि**	**1.44**	**1.16**
	ओसीआई में शामिल		
	वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	0.27	(0.30)
	अनुभव समायोजन से बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	1.28	3.64
	जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	
	31.03.2023	31.03.2022
III. ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1.55**	**3.34**
IV. प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-
V. नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
VI. प्रदत्त हितलाभ	(1.92)	(2.24)
VII. अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)	**11.99**	**10.92**

50.2.4 जोखिम एक्सपोजर

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के माध्यम से, समूह की कंपनियों को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का विवरण नीचे दिया गया है।

(i) निवेश जोखिम/परिसंपत्ति अस्थिरता जोखिम

अधिकांश योजनागत परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च रेटिंग ग्रेड के साथ अन्य निश्चित आय प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड में हैं। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों और अन्य बाजार और मैक्रो-इकोनॉमिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अध्यधीन हैं। परिसंपत्ति देयता के मिलान का भी जोखिम है अर्थात योजनागत परिसंपत्तियों के लिए नकदी-प्रवाह योजना देयताओं के लिए नकदी प्रवाह से मेल नहीं खाती है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित हितलाभ योजना देयताओं के वर्तमान मूल्य की गणना छूट दर का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। छूट दर में कमी (वृद्धि) योजना देयताओं के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि (कमी) करेगी, हालांकि यह आंशिक रूप से योजनाओं के निवेश के मूल्य में वृद्धि से ऑफसेट होगा।

(iii) मृत्यु दर जोखिम/दीर्घायु जोखिम

परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना उनके नियोजन के दौरान और बाद में योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि करेगी।

(iv) वेतन वृद्धि का जोखिम

परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। ऐसे में योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाती है।

(v) कार्मिक टर्न ओवर दर/निकासी दर

यदि भविष्य में वास्तविक कार्मिक निकासी दर अपेक्षा से अधिक या कम हो जाती है तो इसके परिणामस्वरूप देयता में वृद्धि/कमी हो सकती है।

50.2.5 योजनागत परिसंपत्ति

प्रत्येक श्रेणी के लिए योजनागत परिसंपत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	उपदान	पीआरएमएस	उपदान	पीआरएमएस
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.27	1.16	0.40	0.20
राज्य/केंद्र सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	25.71	76.40	14.15	52.68
कॉर्पोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	20.69	161.02	12.08	162.04
अन्य	8.30	-	30.96	-
कुल	**54.97**	**238.58**	**57.59**	**214.92**

- योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹22.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹19.67 करोड़) है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

50.2.6 महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताएं

समूह की कंपनियों के लिए ट्रांसवैल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा योजनागत परिसंपत्तियों का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित हितलाभ देयता का वर्तमान मूल्य निर्धारण 31.03.2023 को किया गया था। परिभाषित हितलाभ देयता का वर्तमान मूल्य, और संबंधित वर्तमान सेवा लागत और पिछली सेवा लागत, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके मापा गया था।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं हैं:-

क. पीएफसी के संबंध में

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
छूट दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय, यदि वित्तपोषित हो	7.33%	7.45%	7.33%	7.45%	7. 33%	7.45%
वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम
निकासी दर	**0.01%**	**0.01%**	**0.01%**	**0.01%**	**0.01%**	**0.01%**

ख. आरईसीएल के संबंध में

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
प्रयुक्त विधि	पीयूसीएम					
छूट दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	7.31%	7.37%	7.31%	7.37%	7.31%	7.37%
भविष्य में वेतन वृद्धि/चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कार्मिकों के अपेक्षित औसत शेष कार्यशल जीवन (वर्ष)	17.72	17.35	17.72	17.35	17.72	17.35

50.2.7 संवेदनशीलता का विश्लेषण

प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं में से एक के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर यथोचित संभावित परिवर्तन, अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए नीचे दी गई राशियों द्वारा पीएफसी और आरईसीएल के परिभाषित हितलाभ दायित्व को प्रभावित करेंगे।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास
छूट दर (0.50% संचलन)				
- उपदान	(2.05)	2.21	(1.92)	2.06
- पीआरएमएस	(16.72)	17.93	(16.44)	17.48
- ईआरएस	(0.43)	0.48	(0.39)	0.44
वेतन वृद्धि/चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
- उपदान	0.40	(0.32)	0.33	(0.40)
- पीआरएमएस	14.34	(13.03)	16.28	(14.80)
- ईआरएस	0.44	(0.39)	0.40	(0.36)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
- पीआरएमएस	22.68	(21.28)	23.15	(21.43)

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे से अलगाव में होगा क्योंकि कुछ मान्यताओं को सहसंबद्ध हो सकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

समूह सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करता है कि निवेश की अवधि और उस पर अपेक्षित लाभ उपज कार्मिक हितलाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित नकदी बहिर्वाह से कैसे मेल खा रही है। निवेश में भलीभांति विविधता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी एक निवेश की विफलता का संपत्ति के समग्र स्तर पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। समूह द्वारा अपने जोखिमों के प्रबंधन के लिए पिछले वर्षों से उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

50.2.8 भविष्य के वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1 वर्ष तक	8.28	6.43	16.24	16.03	2.11	1.93
1 से 5 वर्ष	26.89	28.25	93.89	97.02	5.50	6.90
5 वर्ष से अधिक	88.11	82.46	379.01	392.00	11.83	12.44
कुल	**123.28**	**117.14**	**489.14**	**505.05**	**19.44**	**21.27**

उपर्युक्त तालिका अपेक्षित नकदी प्रभाव के आधार पर तैयार की गई है।

50.2.9 रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाओं में अनुमानित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अपेक्षित अंशदान	**6.26**	**3.27**	**8.61**	**13.71**

50.2.10 रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि पीएफसी के लिए 13.14 वर्ष (31.0302022 तक 13.98 वर्ष) और सहायक कंपनी आरईसीएल के लिए 11.18 वर्ष (31.03.2022 तक 12.20 वर्ष) है।

50.3 अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

50.3.1 अवकाश

समूह की कंपनियां कार्मिकों को अर्जित छुट्टी हितलाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी हितलाभ प्रदान करती हैं, जो क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों के लिए अर्ध-वार्षिक आधार पर अर्जित होती हैं। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जा सकता है। अर्ध-वेतन छुट्टी जमा करने की कोई सीमा नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद या सेवानिवृत्ति पर, अर्जित छुट्टी और अर्ध-वेतन छुट्टी का एक साथ अधिकतम 300 दिनों तक नकदीकरण किया जा सकता है। तथापि, सेवा से पृथक्करण पर अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए सेवा के वर्षों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्ष के अंत में वर्ष के लिए ₹11.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹20.99 करोड़) का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

50.3.2 अन्य कार्मिक हितलाभ

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए ₹5.04 करोड़ का प्रावधान (पिछले वर्ष ₹1.14 करोड़) निपटान भत्ते और दीर्घावधि सेवा पुरस्कारों के लिए किया गया है और लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

50.3.3 आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कार्मिकों को निष्ठा प्रोत्साहन, मृत्यु के कारण अलगाव के मामले को छोड़कर, केवल तीन वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद देय है। वर्तमान कार्मिक को बकाया का भुगतान पृथक्करण के समय जारी किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में शून्य राशि (पिछले वर्ष शून्य) के व्यय डेबिट किए गए हैं।

50.4 पीएफसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएफसीसीएल में प्रतिनियुक्ति/द्वितीयक आधार पर कार्यरत पीएफसी के कार्मिकों के संबंध में कार्मिक हितलाभ (जैसे ग्रेच्युटी, पीआरएमएस, टर्मिनल लाभ, अवकाश नकदीकरण और अन्य कार्मिक हितलाभ) कार्मिक लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर आवंटित किए जा रहे हैं।

51. पट्टा

समूह ने पट्टे की भूमि के संबंध में संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देयता को मान्यता दी है:

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

51.1 नीचे दी गई तालिका वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं के संचलन को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
प्रारंभिक शेष	**19.07**	**9.43**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	11.95
अवधि के दौरान अर्जित वित्त लागत	1.65	1.75
पट्टा देयताओं का भुगतान	(3.71)	(3.72)
पट्टा देयताओं का पुनर्मूल्यांकन	-	(0.34)
अंतिम शेष	**17.01**	**19.07**

51.2 नीचे दी गई तालिका बिना छूट के आधार पर पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1 वर्ष तक	3.72	3.72
1 से 5 वर्ष	9.65	12.60
5 वर्ष से अधिक	54.74	55.51

51.3 वर्ष 2022-23 के दौरान, अल्पावधि/कम मूल्य के पट्टों से संबंधित व्यय ₹16.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.50 करोड़) की राशि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में शामिल किया गया है। उपर्युक्त राशि में कार्मिकों के आवासीय आवास से संबंधित पट्टे, आधिकारिक उपयोग के लिए स्थान, ईडीपी उपकरण और कार्यालय उपकरण आदि किराए पर लेना शामिल हैं। ये पट्टे आम तौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होते हैं और रद्द किए जा सकते हैं।

51.4 राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकदी प्रवाह ₹20.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹17.35 करोड़) है।

52. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
आकस्मिक देयताएं			
(i)	गारंटी [(क)] और [(ख)]	7.50	8.29
(ii)	समूह के निमित्त दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	27.67	30.39
(iii)	स्वीकृत ऋणों के निमित्त चुकौती आश्वासन पत्र के माध्यम से ऋणकर्ताओं को बकाया संवितरण प्रतिबद्धताएं[(ख)]	5,510.43	11,101.40
(iv)	आयकर विभाग द्वारा की गई पिछले वर्षों की अतिरिक्त मांग, जिन्हें चुनौती दी जा रही है।	307.15	262.13
	आयकर विभाग ने समूह में कंपनियों को अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा दी गई राहत के खिलाफ अपील दायर की है उसी को चुनौती भी दी जा रही है।	0.90	0.90
(v)	सेवा कर/जीएसटी मांग या सेवा कर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के संबंध में उठाए गए कारण बताओ नोटिस का विरोध किया जा रहा है।	43.87	42.42
	सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीई एंड एसटी) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की है, जिन्होंने सेवा कर की मांग को छोड़ दिया था। उसे चुनौती भी दी जा रही है।	50.90	53.40
(vi)	बैंक गारंटी	32.63	33.37
(vii)	अन्य	315.30	-
प्रतिबद्धताएं			
(i)	संविदाओं की अनुमानित राशि (जीएसटी को छोड़कर) पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी है जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	264.85	328.85
(ii)	अन्य प्रतिबद्धताएं - अव्ययित सीएसआर	306.53	499.68
कुल		**6,867.73**	**12,360.84**

[(क)] पीएफसी द्वारा ऋणकर्ता कंपनी के पक्ष में दी गई डिफॉल्ट भुगतान गारंटी। इस गारंटी के निमित्त भुगतान/देय राशि की प्रतिपूर्ति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है।

[(ख)] आवश्यक क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता बनाया गया है। टिप्पणी 26 देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

53. समूह की गैर-पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का विवरण जिनके पास भौतिक गैर-नियंत्रण हित (एनसीआई) है:

सहायक कंपनी का नाम	एनसीआई द्वारा धारित स्वमित्व हितों का अनुपात		गैर-नियंत्रित हितों को आवंटित टीसीआई		संचित गैर-नियंत्रित हित (₹ करोड़ में)	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
आरईसीएल	47.37%	47.37%	4,829.33	4,726.00	27,822.74	24,598.91

* पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसीएल द्वारा जारी किए गए ₹558.40 करोड़ की इक्विटी प्रकृति के लिखत शामिल हैं।

54. समूह की सहायक कंपनियों के लिए सारांशित वित्तीय जानकारी जिनके पास महत्वपूर्ण गैर-नियंत्रित हित है (अंतर-समूह निस्तारण से पूर्व)

(₹ करोड़ में)

विवरण (आरईसीएल)	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वित्तीय परिसंपत्तियां	4,61,166.67	4,06,800.96
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	4,331.43	4,054.75
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	4.65	4.38
वित्तीय देयताएं	4,07,153.50	3,59,341.02
गैर-वित्तीय देयताएं	228.72	204.96
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां से सीधे जुड़ी देयताएं	0.02	0.01
कंपनी के स्वामियों से संबंद्ध इक्विटी	30,297.72	26,715.19
पूर्ण लिखत प्रकार की इक्विटी के निमित गैर-नियंत्रित हित	558.40	558.40
इक्विटी शेयरधारकों के निमित्त गैर-नियंत्रित हित	27,264.39	24,040.51
कुल गैर-नियंत्रित हित	**27,822.79**	**24,598.91**

(₹ करोड़ में)

विवरण (आरईसीएल)	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
कुल राजस्व	39,520.16	39,339.20
कुल व्यय	25,622.49	26,896.86
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**11,166.98**	**10,035.70**
कंपनी के स्वामियों को आयोप्य लाभ/(हानि)	5,877.72	5,282.28
गैर-नियंत्रित हित के कारण आरोप्य लाभ/(हानि)	5,289.26	4,753.42
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	**(971.04)**	**(57.90)**
कंपनी के स्वामियों के कारण अन्य व्यापक आय	(511.11)	(30.48)
गैर-नियंत्रित हितों के कारण अन्य व्यापक आय	(459.93)	(27.42)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**10,195.94**	**9,977.80**
कंपनी के स्वामियों के लिए आरोप्य कुल व्यापक आय	5,366.61	5,251.80
गैर-नियंत्रित हित के कारण आरोप्य कुल व्यापक आय	4,829.33	4,726.00
गैर-नियंत्रित हित के लिए भुगतान किया गया लाभांश	1,477.97	1,142.15
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बहिर्वाह)	(37,359.77)	(818.53)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बहिर्वाह)	(942.95)	(287.44)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बहिर्वाह)	38,122.84	67.72
निवल नकदी प्रवाह (बहिर्वाह)	(179.88)	(1,038.25)

55. समूह में कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार (जीओआई) की योजनाएं

क. पीएफसी के संबंध में

पीएफसी को आरडीएसएस योजना और आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी को इसमें सम्मिलित) के संचालन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेंसी की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार की योजनाओं के तहत पात्र संस्थाओं को ऋण/अनुदान देना भी शामिल है। 09 मार्च, 2022 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, भारत सरकार की योजनाओं के तहत निधियां जारी किया जाना आरबीआई के साथ रखे गए ट्रेजरी सिंगल एकाउंट (टीएसए) के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन योजनाओं के लिए लाभार्थियों को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से निधि 'समय पर' जारी की जाए।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

55.1 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

यह योजना भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2021 में डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करके, डिस्कॉम की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी। यह एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी वितरण क्षेत्र योजना है। आरईसी के साथ पीएफसी योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। योजना की 5 वर्ष की कार्यान्वयन अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) 31.03.2026 को समाप्त होगी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:

i) वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना।

ii) 2024-25 तक एटी एंड सी घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना।

iii) 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना।

इस योजना का परिव्यय ₹3,03,758 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार से ₹97,631 करोड़ का अनुमानित सकल बजटीय समर्थन शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पात्र संस्थाओं को प्राप्त और प्रशासित अनुदान की राशि ₹1319.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹359 करोड़) है और 31.03.2023 तक प्रशासित संचयी अनुदान ₹1,678.86 करोड़ है (31.03.2022 तक ₹359 करोड़ है)।

इसके अलावा, 31.03.2023 और 31.03.2022 तक अनुदान की कोई भी राशि संवितरित नहीं की गई।

पीएफसी मॉनीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं के सकल बजटीय घटक के कुल योग के 0.50% की दर से नोडल एजेंसी शुल्क के लिए पात्र है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना से नोडल एजेंसी शुल्क आय की कुल राशि ₹71.58 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) है।

55.2 एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) में समाहित)

आईपीडीएस योजना दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी, ताकि डिस्कॉम/विद्युत विभागों के संसाधनों के पूरक के लिए शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण नेटवर्क और मीटरिंग में अंतराल को दूर करने के लिए पूंजीगत व्यय के निमित वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना की समाप्ति तिथि 31.03.2022 है और जारी अनुमोदित परियोजनाओं को नई आरडीएसएस योजना के अंतर्गत एक अलग घटक के रूप में समाहित कर दिया गया है।

योजना का अनुमानित परिव्यय ₹32,612 करोड़ था जिसमें भारत सरकार से ₹25,354 करोड़ की बजटीय सहायता भी शामिल थी। ₹22,727 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹44,011 करोड़ की आर-एपीडीआरपी योजना लागत को भी आईपीडीएस योजना में आगे बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पात्र संस्थाओं को प्राप्त और प्रशासित निधि की राशि ₹474.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2125.01 करोड़) है और 31.03.2023 तक प्रशासित संचयी अनुदान ₹18,381.91 करोड़ (31.03.2022 तक ₹17,907.45 करोड़) है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आर-एपीडीआरपी (आईपीडीएस के साथ सम्मिलित) के तहत प्राप्त और पात्र संस्थाओं को प्रशासित निधि की राशि ₹65.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹326.64 करोड़) है और 31.03.2023 तक प्रशासित संचयी अनुदान ₹13,562.07 करोड़ (31.03.2022 तक ₹13,497.07 करोड़) है।

इसके अलावा, 31.03.2023 और 31.03.2022 तक कोई भी निधि संवितरित नहीं की गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना से नोडल एजेंसी शुल्क आय की कुल राशि शून्य (पिछले वर्ष ₹8.60 करोड़) है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी को उक्त योजना के तहत विद्युत मंत्रालय से व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में शून्य (पिछले वर्ष ₹28.20 करोड़) भी प्राप्त हुए।

ख. आरईसीएल के संबंध में

55.3 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने अक्तूबर 2017 के दौरान देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए एक योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य योजना शुरू की। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सौभाग्य योजना का पूंजी परिव्यय ₹16,320 करोड़ था, जिसमें सकल बजटीय सहायता ₹12,320 करोड़ शामिल थी। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य योजना के संचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह योजना सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है और अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात 31.03.2022 में बंद हो गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

55.4 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली भारत सरकार की प्रमुख योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) नवंबर 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) तक अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 247 विद्युत' आपूर्ति सुविधा प्रदान करता है:

(i) कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना, जिससे कृषि को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर विद्युत आपूर्ति की सुविधा मिल सके;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-ट्रांसफार्मर और वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और विस्तारित करना;

(iii) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) आरजीजीवीवाई 12वीं और 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक, डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया गया।

इस योजना में संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹63,027 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹75,893 करोड़ के परिव्यय का अनुमान लगाया गया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत ₹5,302 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹7,069 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अतिरिक्त अवसंरचना राशि स्वीकृत की गई थी। यह योजना सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है और अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात 31.03.2022 को बंद हो गई है।

55.5 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, वित्तीय वर्ष 2012-13 से जारी है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना वितरण क्षेत्र में विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी वितरण विद्युत संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों पर सुधार उपायों से जुड़ी ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। एनईएफ 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के निमित्त ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों में कुल ₹8,466 करोड़ (ऋणकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभाग, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को भुगतान और अन्य आकस्मिक व्यय सहित) प्रदान करेगा। आरईसीएल को देश भर में एनईएफ योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

55.6 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने डिस्कॉम को परिणाम-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को मंजूरी दी है ताकि पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। इस योजना का 5 वर्षों में अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय है, जिसमें अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) ₹97,631 करोड़ शामिल है।

(i) 2024-25 तक एटी एंड सी घाटे को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर पर लाना।

(ii) 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना।

(iii) इस योजना के घटकों में वित्तीय रूप से टिकाऊ और प्रचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और कार्यक्षमता में सुधार लाना शामिल है।

योजना के घटक हैं:

भाग क - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता और वितरण ढांचे का उन्नयन।

भाग ख - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी और सहायक गतिविधियां

55.7 जम्मू-कश्मीर प्रधानमंत्री विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू-कश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग ने जम्मू-कश्मीर राज्य और लद्दाख में पीएमडीपी के अंतर्गत पारेषण परियोजनाओं के निष्पादन के लिए शुरू की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आरईसीपीडीसीएल को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खोजी जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार, नामांकन के आधार पर एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्त किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

55.8 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग

विद्युत मंत्रालय ने 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग योजना को लागू करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है। यह योजना 66, 33/11 केवी सब स्टेशनों से सभी आउटगोइंग 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न आवश्यक मापदंडों के डेटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली विकसित करना है और विद्युत आपूर्ति मॉनीटरिंग के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पोर्टल सहित विभिन्न हितधारकों के लिए अलर्ट, मीटर डेटा विश्लेषण, सूचना प्रसार और ऊर्जा लेखापरीक्षा जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।

ग. सहायक कंपनी (पीएफसीसीएल) के सबंध में

55.9 पीएफसी की सहायक कंपनी पीएफसीसीएल को 30.03.2016 के एमओपी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अल्पकालिक विद्युत आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक बोलीदाता को पीएफसीसीएल के पास ₹500 प्रति मेगावाट का अपेक्षित शुल्क और बोली लगाने की अपनी अधिकतम क्षमता के लिए प्रयोज्य कर जमा करना आवश्यक है। केवल सफल बोलीदाता को गतिविधि पूरी होने के बाद प्रति बोलीदाता को आवंटित मात्रा के लिए पीएफसीसीएल को शुल्क का भुगतान करना होगा और शेष राशि बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी।

55.10 भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में, संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत विभागों/संस्थाताओं का निगमीकरण/निजीकरण किया जाना है। पीएफसी के माध्यम से एमओपी ने संघ राज्य क्षेत्रों को हैंड-होल्डिंग सहायता और एक लेनदेन सलाहकार की सेवाएं प्रदान करने और इस संबंध में किए गए व्यय को वित्तपोषित करने के लिए अवगत कराया है, जो ब्याज सहित सफल बोलीदाता/एमओपी से वसूल योग्य होगा। पीएफसी ने इस कार्य के लिए पीएफसीसीएल को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।

56. राज्य विद्युत बोर्डों के विघटन के बाद प्रलेखन की स्थिति

कुछ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) जिनकी ओर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, का अतीत में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्गठन किया गया था और नई संस्थाएं बनाई गई थीं। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती एसईबी की देयताएं नई संस्थाओं को अंतरित कर दी जाती हैं।

56.1 जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू-कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित करने के बाद, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित मौजूदा संस्थाओं को दिनांक 23.10.19 के अनबंडलिंग आदेश के माध्यम से पुनर्गठित किया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ करारों के परिशिष्टों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन में लंबित रहने तक मौजूदा ऋणों को मौजूदा ऋण करारों के अनुरूप चुकाया गया/चुकाया जा रहा है।

56.2 आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद, 02.06.2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। परंतु, परिसंपत्तियों और देयताओं को औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संबंधित विद्युत संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना बाकी है।

अंतिम स्थानांतरण योजना सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, जिसमें विद्युत देयताओं के हस्तांतरण को विधिवत दर्शाया जाता है, नई/नाम परिवर्तित संस्थाओं के साथ सभी बकाया ऋणों (उपर्युक्त आर-एपीडीआरपी ऋणों को छोड़कर) के संबंध में प्रलेखन औपचारिकताओं के निष्पादन के लिए कार्रवाई की जाएगी। उस समय तक, संस्थाओं द्वारा ब्याज/मूलधन के भुगतान की मांग को अलग किया जा रहा है और संबंधित भागों का भुगतान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विद्युत संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

आरईसीएल के संबंध में

56.2.1 जहां भी विभाजन से पहले पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजेनको को ऋण स्वीकृत किया गया है और प्रलेखन नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नवगठित संस्थाओं के नाम पर फिर से मंजूरी दे दी गई है और प्रलेखन औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और तदनुसार प्रभारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ पंजीकृत किया गया है।

56.2.2 जहां भी विभाजन से पहले पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम पर ऋण स्वीकृत किए गए हैं और प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और आहरण किया गया है, इन योजनाओं में परिवर्तित नाम/नवगठित विद्युत संस्था से एक वचन पत्र प्राप्त किया गया है और नई/नाम परिवर्तित विद्युत संस्था के नाम वितरण किया गया है पर ऋणकर्ता का नाम बदलकर नवगठित विद्युत संस्था को संवितरण किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

56.2.3 जहां भी विभाजन से पहले पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम पर ऋण स्वीकृत किया जाता है और सरकारी गारंटी के साथ प्रलेखन औपचारिकताओं पूरा गया गया है और आहरण किया गया है, इन योजनाओं के लिए आगे के प्रलेखन राजपत्र अधिसूचना पर किए जाएंगें।

57. इंड एएस 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के संदर्भ में रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित व्यवसाय/भौगोलिक खंड

समूह के प्रचालन में मुख्य रूप से एक व्यवसाय खंड अर्थात विद्युत संस्थाओं को ऋण देना शामिल है। सभी गतिविधि मुख्य व्यवसाय के आस-पास घूमती हैं। तदनुसार, इंड एएस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं। इंड एएस 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' में परिभाषित प्रबंधन दृष्टिकोण के आधार पर, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता एक व्यवसाय खंड के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर समूह के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

57.1 समूह का कोई भौगोलिक खंड नहीं है क्योंकि इसका संचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किया जाता है।

57.2 प्रमुख सेवाओं से राजस्व

समूह के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के संचालन के प्रचालनों से प्राप्त राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
ब्याज आय		
- ऋण पर	75,912.83	74,344.34
- अन्य	583.10	542.78
लाभांश आय	103.00	68.86
शुल्क और कमीशन आय	548.79	1,069.58
अन्य प्रचालन आय	420.58	236.10
प्रचालनों से कुल राजस्व	**77,568.30**	**76,261.66**

57.3 प्रमुख ऋणकर्ताओं के बारे में जानकारी

वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2021-22 दोनों के लिए किसी भी एकल ऋणकर्ता ने संबंधित कंपनियों के राजस्व में 10% या उससे अधिक का अंशदान नहीं दिया।

58. परिसंपत्ति और देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक संबद्ध मद के लिए 12 महीने के भीतर और उससे अधिक समय में वसूल/निपटान की संभावित राशियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
		12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल	12 माह के भ्भीतर	12 माह से अधिक	कुल
	परिसंपत्ति						
1	वित्तीय परिसंपत्तियां						
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	127.59	-	127.59	914.24	-	914.24
(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल के अलावा बैंक शेष	3,902.57	70.86	3,973.43	5,705.25	65.01	5,770.26
(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	2,937.48	10,847.53	13,785.01	1,324.01	7,266.72	8,590.73
(घ)	व्यापार प्राप्य	171.17	-	171.17	125.63	-	125.63
(ङ)	ऋण	1,33,824.78	6,99,078.58	8,32,903.36	87,291.13	6,45,559.63	7,32,850.76

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2023 तक			31.03.2022 तक		
		12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल	12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल
(च)	निवेश	1,272.39	4,700.50	5,972.89	1,146.91	2,626.60	3,773.51
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	369.01	29,463.07	29,832.08	383.72	29,436.63	29,820.35
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**1,42,604.66**	**7,44,160.87**	**8,86,765.53**	**96,890.89**	**6,84,954.59**	**7,81,845.48**
2	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**						
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	26.91	516.17	543.08	29.79	465.46	495.25
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	7,340.03	7,340.03	0	7,315.37	7,315.37
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	737.66	737.66	0	668.94	668.94
(घ)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	10.66	10.66	0	53.36	53.36
(ङ)	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति	-	11.20	11.20	0	0	0
(च)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	1.67	1.67	0	4.41	4.41
(छ)	राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	-	42.97	42.97	0	45.83	45.83
(ज)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	207.61	433.53	641.14	169.12	382.56	551.68
(झ)	निवेश में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित	-	0.51	0.51	0	0.5	0.5
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**234.52**	**9,094.40**	**9,328.92**	**198.91**	**8,936.42**	**9,135.34**
3	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	17.41	-	17.41	19.45	0	19.45
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**1,42,856.59**	**7,53,255.27**	**8,96,111.86**	**97,109.25**	**6,93,891.01**	**7,91,000.27**
	देयताएं						
1	**वित्तीय देयताएं**						
(क)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	87.43	913.84	1,001.27	75.65	580.74	656.39
(ख)	व्यापार प्राप्य	50.86	-	50.86	49.75	-	49.75
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	63,400.22	4,33,329.16	4,96,729.38	55,156.00	3,94,575.56	4,49,731.56
(घ)	ऋण राशियां(ऋण प्रतिभूतियां को छोड़कर)	72,559.00	1,65,784.00	2,38,343.00	45,795.24	1,48,821.74	1,94,616.98
(ङ)	अधीनस्थ देयताएं	6,699.20	9,385.94	16,085.14	399.28	15,728.46	16,127.74
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	1,735.18	29,229.49	30,964.67	3,294.26	29,304.72	32,598.98
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	**1,44,531.89**	**6,38,642.43**	**7,83,174.32**	**1,04,770.18**	**5,89,011.22**	**6,93,781.40**
2	**गैर-वित्तीय देयताएं**						
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	28.32	105.02	133.34	23.98	195.17	219.15
(ख)	प्रावधान	336.47	101.64	438.11	168.05	188.5	356.55
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	311.25	73.54	384.79	312.24	55.77	368.01
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**676.04**	**280.20**	**956.24**	**504.27**	**439.44**	**943.71**
3	**बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे तौर पर जुड़ी देयताएं**	0.02	-	0.02	0.01	0	0.01
	कुल देयताएं (1+2+3)	**1,45,207.95**	**6,38,922.63**	**7,84,130.58**	**1,05,274.46**	**5,89,450.66**	**6,94,725.12**

59. इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित पृथक रूप से महत्वहीन सभी सहयोगी कंपनियों में हितलाभों का समग्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
सतत प्रचलनों से लाभ या हानि	0.01	0.00
बंद प्रचालनों से कर-पश्चात लाभ या हानि	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-
कुल व्यापक आय	**0.01**	**0.00**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

60. समेकित संस्थाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण

60.1 निवल परिसंपत्तियों में शेयर, अर्थात कुल परिसंपत्तियों में से कुल देयताएं घटाने के बाद शेयर

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	समेकित लाभ-हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ-हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	60.91%	68,202.23	61.65%	59,350.28
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसीएल	51.90%	58,120.51	53.30%	51,314.10
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.15%	163.08	0.12%	111.41
पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड*	0.00%	-	-	-
सहयोगी कंपनियां- भारतीय				
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड**	-	-	0.00%	-
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड*	-	-	0.00%	-
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड**	-	-	0.00%	-
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.00%	0.08	0.00%	0.08
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड**	-	-	0.00%	-
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.04	0.00%	0.05
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.04	0.00%	0.05
समायोजन या निष्कासन प्रभाव	(12.95%)	(14,505.05)	(15.06%)	(14,501.17)
कुल	**100.00%**	**1,11,981.28**	**100.00%**	**96,275.15**

* 01.07.2022 से पीएफसी प्रोजेक्ट्स (पूर्ववर्ती कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड), सहायक कंपनी।

** कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष के दौरान सहयोगी कंपनी को हटा दिया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

60.2 लाभ-हानि में शेयर

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	समेकित लाभ-हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ-हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	54.80%	11,605.47	53.40%	10,021.90
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	52.73%	11,166.98	53.47%	10,035.70
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.30%	63.81	0.20%	37.68
पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड*	0.00%	(0.11)		
संयुक्त उद्यम - भारतीय**				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)	-	-	(0.12)%	(22.40)
सहयोगी कंपनियां - भारतीय	0.00%	0.01	0.00%	-
समायोजन या निष्कासन प्रभाव	(7.83)%	(1,657.57)	(6.95)%	(1,304.67)
कुल	**100.00%**	**21,178.59**	**100.00%**	**18,768.21**

* 01.07.2022 से पीएफसी प्रोजेक्ट्स (पूर्ववर्ती कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड), सहायक कंपनी।

** 01.09.2021 से ईईएसएल, एक संयुक्त उद्यम नहीं रहा।

60.3 अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	14.12%	(159.67)	148.74%	180.83
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	85.88%	(971.04)	(47.63)%	(57.90)
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.00%	-	0.00%	-
पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड*	0.00%	-		
संयुक्त उद्यम - भारतीय**				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	-	(0.15)%	(0.19)
सहयोगी कंपनियां - भारतीय	0.00%	-	0.00%	-
समायोजन या निष्कासन प्रभाव	0.00%	-	(0.96)%	(1.17)
कुल	**100.00%**	**(1,130.71)**	**100.00%**	**121.57**

* 01.07.2022 से पीएफसी प्रोजेक्ट्स (पूर्ववर्ती कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड), सहायक कंपनी।

** 01.09.2021 से ईईएसएल, एक संयुक्त उद्यम नहीं रहा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

60.4 कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	57.09%	11,445.80	54.01%	10,202.73
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	50.86%	10,195.95	52.82%	9,977.80
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.32%	63.81	0.20%	37.68
पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड*	0.00%	(0.11)	-	-
संयुक्त उद्यम - भारतीय* **				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	-	(0.12%)	(22.59)
सहयोगी कंपनियां - भारतीय	0.00%	0.01	0.00%	-
समायोजन या निष्कासन प्रभाव	(8.27%)	(1,657.57)	(6.91)%	(1,305.84)
कुल	**100.00%**	**20,047.88**	**100.00%**	**18,889.78**

* 01.07.2022 से पीएफसी प्रोजेक्ट्स (पूर्ववर्ती कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड), सहायक कंपनी।

** 01.09.2021 से ईईएसएल, एक संयुक्त उद्यम नहीं रहा।

61. समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रासंगिक सीमा तक और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में उपलब्ध जानकारी की सीमा में किया गया है।

62. पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

63. आंकड़ों को दशमलव के दो स्थान तक निकटतम करोड़ रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

फार्म एओसी - 1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

भाग क : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क.	सहायक कंपनियां[1]	आरईसी लिमिटेड	पीएफसी कंसल्टेंसी लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	आरईसी पावर डिवेलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल)[6]
1	दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए सूचना[2]	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023
2	अधिग्रहण/निगमन की तिथि	28.03.2019	25.03.2008	28.03.2019	06.02.2006
3	शेयर पूंजी	2,633.22	0.05	0.09	0.05
4	आरक्षित एवं अधिशेष	54,488.05	163.04	440.84	(0.17)
5	इक्विटी की प्रकृति में लिखत	558.40	-	-	-
6	कुल परिसंपत्तियां	4,64,877.13	276.97	680.50	1.31
7	कुल देयताएं	4,07,197.46	113.88	239.57	1.43
8	निवेश	3,137.98	-	78.77	-
9	टर्नओवर[3]	39,208.06	133.03	307.27	-
10	कराधान पूर्व लाभ	13,738.77	85.45	186.35	(0.11)
11	कराधान पश्चात प्रावधान	2,684.13	21.64	46.56	-
12	कराधान के बाद लाभ	11,054.64	63.81	139.79	(0.11)
13	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	23.40	शून्य
14	शेयरधारिता का %	52.63%	100.00%	100.00%	100.00%

टिप्पणी:

1. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।
2. सभी सहायक कंपनियों की रिपोर्टिंग अवधि होल्डिंग कंपनी के समान है।
3. टर्नओवर को प्रचालनों से राजस्व माना जाता है।
4. उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया है - शून्य
5. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया - शून्य
6. पीएफसी द्वारा पीपीएल की गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता हासिल करने के मद्देनजर, इसे 01.07.2022 से एक सहायक कंपनी माना जा रहा है।

फार्म एओसी - 1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

भाग ख: सहयोगी कंपनी एवं संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

ख.	सहयोगी कंपनियों के नाम	नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	र्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनियों के शेयर: शेयरों की संख्या	संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों में निवेश की राशि	समूह की धारिता के % की सीमा	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं होने का कारण	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता के आधार पर नेट वर्थ	वर्ष के लिए लाभ/हानि: समेकन में विचारणीय	समेकन में विचारणीय नहीं
सहयोगी कंपनियां[1]										
1	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%	एसपीवी का प्रबंधन भारत सरकार के आदेश के अनुसार किया जाता है और कंपनी के पास इन एसपीवी की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए, इन एसपीवी में निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव वाले सहयोगी कंपनियों के रूप में माना जाता है, भले ही कंपनी के पास उनकी भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 100% हिस्सा हो।	लागू नहीं	0.05	0.00	-
2	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	0.00	-
3	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.04	-	-
4	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.04	-	-
5	ओड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.07)	0.00	-
6	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.08	-	-
8	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
9	बिहार मेगा पावर लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	0.00	-
10	देवघर इंफ्रा लिमिटेड[2]	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
11	देवघर मेगा पावर लिमिटेड2	31-मार्च-22	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	0.00	-
12	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	0.00	-
13	फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	0.00	-
14	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	-	-
15	फतेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	0.00	-
16	सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	0.00	-
17	भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	0.00	-
18	ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	0.00	
19	फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	0.00	-
20	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(2.28)	-	(0.01)
21	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(2.55)	-	(0.01)
22	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(2.10)	-	0.00

फार्म एओसी - 1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

ख.	सहयोगी कंपनियों के नाम	नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	र्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनियों के शेयर			महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं होने का कारण	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता के आधार पर नेट वर्थ	वर्ष के लिए लाभ/हानि	
			शेयरों की संख्या	संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों में निवेश की राशि	समूह की धारिता के % की सीमा				समेकन में विचारणीय	समेकन में विचारणीय नहीं
23	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(1.87)	-	0.00
24	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.10)	-	(0.11)
25	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.67)	-	(0.72)
26	केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.57)	-	(0.62)
27	रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.69)	-	(0.74)
28	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.71)	-	(0.76)
29	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.03	-	(0.02)
30	लूहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.46)	-	(0.51)
31	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.38)	-	(0.43)
32	नेरेस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	31-मार्च-23	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.14)	-	(0.19)

टिप्पणियां:

1. क्रम सं. 1 से 19 तक एसपीवी प्रचालन-पूर्व चरण में हैं और अभी तक संचालन शुरू नहीं हुआ है।
2. लाभ/हानि की राशि 31.03.2023 तक प्रबंधन द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
3. वर्ष के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा हटाए गए 3 एसपीवी के नाम:

एसपीवी का नाम	बंद करने की तारीख
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	27-सितंबर-22
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	29-सितंबर-22
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	11-जनवरी-23

फार्म एओसी - 1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

4. सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जो वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेचे गए हैं:

एसपीवी का नाम	बिक्री की तारीख
खेतड़ी-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	11-मई-22
मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड	30-मई-22
खंदूखाल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	7-अक्तूबर-22
किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	6-दिसंबर-22
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	28-मार्च-23
धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	28-मार्च-23
रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	28-मार्च-23
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	30-मई-22
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड	21-जनवरी-23
ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	10-अक्तूबर-22
गडक II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड	8-नवंबर-22
डब्ल्यूआरएसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18-जनवरी-23
खावड़ा II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड	28-मार्च-23
खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-23
खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-23
केपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-23
केपीएस 2 ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-23
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-23
ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	21-मार्च-23
नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड	24-अगस्त-22

5. सहयोगी कंपनियों को बिक्री के लिए धारित के तहत वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य (बिक्री की लागत कम करके) जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया गया है, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया जाता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/-
(मनीष कुमार अग्रवाल)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

ह/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

ह/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000112N

ह/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 082069

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000425N

ह/-
सीए मीनाक्षी बंसल
भागीदार
सदस्यता सं. 520318

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2023

टिप्पणियां

टिप्पणियां

टिप्पणियां

संदर्भ जानकारी

पंजीकृत कार्यालय

'ऊर्जानिधि'
1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
टेलीफोन: (91) (11) 23456000
वेबसाइट: http://www.pfcindia.com

सहायक कंपनियां (31.03.2023 तक)

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
आरईसी लिमिटेड
पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (तत्कालीन कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड)
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
देवघर मेगा पावर लिमिटेड
चेयूर इंफ्रा लिमिटेड
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
बिहार मेगा पावर लिमिटेड
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड*
अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड*
छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड*
फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड*
भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड*
फतेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड*
सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड*
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड$
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड $
चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड$
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड $
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड$
मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड$
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड$
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड$
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड$
मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड$
लूहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड$
नेरेस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड$
खावदा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड$
केपीएसआई ट्रांसमिशन लिमिटेड$

*पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से
$आरईसी लिमिटेड के माध्यम से

शेयरों का सूचीकरण

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड (पूर्ववर्ती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड)

डिपॉजिटरी

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

कंपनी सचिव

श्री मनीष कुमार अग्रवाल

लेखापरीक्षक

दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेहता एंड मेहता, कंपनी सेक्रेटरीज

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी,
प्लॉट नं. 31 और 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, तेलंगाना, भारत
टेलीफोन: +91 40 67162222
ईमेल: einward.riskfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक

(एक महारत्न कंपनी)

नई सोच,
नई राहें

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

टेलीफोन: 011-23456000, फैक्स: 011-23412545, वेबसाइट: www.pfcindia.com

सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

/pfclindia | /pfclindia | /pfclindia

/Concept, content and design at AICL (hello@aicl.in)